भा बी वि वि प्रा
irdai

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2015-16

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रधान कार्यालय
तृतीय तल, परिश्रम भवन, बशीर बाग.
हैदराबाद 500 004, भारत
फोनः +91-40-2338 1100 / 1300
फैक्सः +91-40-6682 3334

दिल्ली कार्यालय
गेट नं. 3, पहली मंज़िल, जीवन तारा बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत
फोनः +91-11-2344 4400
फैक्सः +91-11-2374 7650

मुंबई कार्यालय
रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग, भूतल
12, जे. टाटा मार्ग (चर्चगेट के पास)
मुंबई-400 020, भारत
फोनः +91-22-2289 8600

वेबसाइट : www.irda.gov.in
ई. मेल : irda@irda.gov.in

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

पारगमन पत्र

संदर्भ सं. 101/6/आर&डी/एसडी/एआर-2015-16/38/नवंबर-16 **21** नवंबर, 2016

सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110 001

महोदया,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, अधिसूचित बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टयों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के विहित प्रारूप में भेज रहे हैं।

भवदीय,

(टी.एस. विजयन)
अध्यक्ष

LETTER OF TRANSMITTAL

Ref. No. 101/6/R&D/SD/AR-2015-16/38/Nov-16 21st November, 2016

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building,
Parliament Street, New Delhi - 110 001

Madam,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith a copy of the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2016 in the format prescribed in the IRDA (Annual Report - Furnishing of returns, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,

(T.S. Vijayan)
Chairman

विषय-सूची

मिशन विवरण

प्राधिकरण के आईआरडीएआई सदस्य 31.03.2016

आईआरडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी

भाग-I

नीतियाँ और कार्यक्रम

			पृष्ठ सं.
I.1	सामान्य आर्थिक परिवेश	....	1
I.2	विश्व बीमा परिदृश्य	....	4
I.3	भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन	....	7
I.4	समीक्षा	....	28
	I.4.1. पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण	....	34
	I.4.2 बीमाकर्ताओं के शोधक्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण	....	35
	I.4.3 पुनर्बीमा की निगरानी	....	36
	I.4.4 बीमा पूल - आतंकवादपूल	....	40
	I.4.5 बीमाकर्ताओं द्वारा निवेशों की निगरानी	....	43
	I.4.6 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	....	57
	I.4.7 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में व्यवसाय	....	59
	I.4.8 वित्तीय सूचना-प्रणाली और बीमांकिक मानक	....	59
	I.4.9 धनशोधन-निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला कार्यक्रम	....	59
	I.4.10 फ़सल बीमा	....	61
	I.4.11 सूक्ष्म बीमा	....	64
	I.4.12 प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेश, आदेश और विनियम	....	67
	I.4.13 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	....	67

भाग-II

कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1	बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन	....	69
II.2	बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट, बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध मध्यवर्ती	....	73
II.3	बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान	....	82
II.4	वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय	....	84
II.5	बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग	....	84
II.6	शिकायतें	....	88
II.7	बीमा संघ और बीमा परिषदें	....	92
II.8	बीमा लोकपाल	....	96

भाग-III
प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

			पृष्ठ सं.
III.1	आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन	....	99
III.2	पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण	....	100
III.3	मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण-संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना	....	103
III.4	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण-संहिता विनिर्दिष्ट करना	....	104
III.5	बीमा व्यवसाय के संचालन में कुशलता को बढ़ावा देना	....	105
III.6	बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना	....	107
III.7	अधिनियम के प्रयोजनों कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही	....	108
III.8	बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करना	....	108
III.9	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों, लाभों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन जो प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा उतनी नियंत्रित और विनियमित नहीं हैं	....	109
III.10	उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे	....	110
III.11	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन	....	110
III.12	शोधक्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमन	....	110
III.13	बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन	....	112
III.14	पैरा '6' में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन के लिए योजनाओं के वित्तपोषण हेतु बीमाकर्ता की प्रीमियम आय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना	....	112
III.15	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना	....	114

भाग-IV
संगठनात्मक विषय

पृष्ठ सं.

IV.1 संगठन 117
IV.2 प्राधिकरण की बैठकें 117
IV.3 मानव संसाधन 118
IV.4 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति 119
IV.5 राजभाषा का संवर्धन 119
IV.6 अनुसंधान और विकास 120
IV.7 सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति 121
IV.8 लेखा 122
IV.9 आईआरडीएआई जर्नल 122
IV.10 आभार-प्रदर्शन 123

बॉक्स मदें

1. स्वास्थ्य बीमा में नवोन्मेषण 44
2. बीमा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन का ढाँचा 108
3. इंड-एएस की अधिसूचना 111
4. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105 सी के अंतर्गत न्यायनिर्णयन की कार्यवाही 113

मूलपाठ की सारणियाँ

I.1 राष्ट्रीय आय 2015-16 के अनंतिम अनुमान 1
I.2 आर्थिक गतिविधि द्वारा मूल कीमत पर जीवीए के अनंतिम अनुमान 2
I.3 घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत 3
I.4 सकल बचत 3
I.5 2015 में कुल वास्तविक प्रीमियम वृद्धि दर 4
I.6 क्षेत्र-वार जीवन और गैर-जीवन बीमा प्रीमियम 4
I.7 भारत में बीमा व्यापन और सघनता 6
I.8 भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता 8
I.9 जोखिम-अंकित प्रीमियम : जीवन बीमाकर्ता 8
I.10 बाजार अंश : जीवन बीमाकर्ता 10
I.11 जारी की गई नई पॉलिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता 10
I.12 चुकता पूँजीः जीवन बीमाकर्ता 10
I.13 कमीशन व्ययः जीवन बीमाकर्ता 11
I.14 कमीशन व्यय अनुपातः जीवन बीमाकर्ता 11
I.15 परिचालन व्ययः जीवन बीमाकर्ता 12
I.16 परिचालन व्यय अनुपातः जीवन बीमाकर्ता 12

पृष्ठ सं.

I.17 2015-16 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावे 13
I.18 2015-16 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक मृत्यु दावे 13
I.19 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये लाभांश 15
I.20 जीवन कार्यालयों की संख्या 15
I.21क जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण जीवन कार्यालयों की संख्या 16
I.21ख जीवन कार्यालयों की संख्या स्तर-वार 16
I.22 भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आयः गैर-जीवन बीमाकर्ता 18
I.23 भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आयः गैर-जीवन बीमाकर्ता कंपनी-वार 19
I.24 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर) खंड-वार 19
I.25 कुल प्रीमियम की तुलना में भारत के बाहर प्रीमियम का अनुपात 21
I.26 भारत के बाहर व्यवसाय से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 21
I.27 जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्याः गैर-जीवन बीमाकर्ता 21
I.28 चुकता पूँजीः गैर-जीवन बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता 22
I.29 जोखिम-अंकन अनुभवः गैर-जीवन बीमाकर्ता 22
I.30 कमीशन व्ययः गैर-जीवन बीमाकर्ता 23
I.31 परिचालन व्ययः गैर-जीवन बीमाकर्ता 23
I.32 निवल उपगत दावेः गैर-जीवन बीमाकर्ता 24
I.33 उपगत व्यय अनुपातः गैर-जीवन बीमाकर्ता 24
I.34 निवेश आयः गैर-जीवन बीमाकर्ता 24
I.35 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का निवल लाभ 25
I.36 भुगतान किये गये लाभांशः गैर-जीवन बीमाकर्ता 26
I.37 गैर-जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या 26
I.38 गैर-जीवन कार्यालयों की संख्या 31.03.2016 को स्तर-वार 26
I.39 निवल प्रतिधारण (जीआईसी) 2015-16 37
I.40 भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल में सदस्यों का अंश 38
I.41 भारतीय व्यवसाय पर भारत के बाहर अध्यर्पित पुनर्बीमा (जीआईसी को छोड़कर) 39
I.42 भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारत के अंदर और भारत के बाहर रखा गया पुनर्बीमा (जीआईसी को छोड़कर) 39
I.43 सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारतीय व्यवसाय पर निवल प्रतिधारित प्रीमियम (जीआईसी को छोड़कर) 39
I.44 सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण (जीआईसी सहित) 40
I.45 वर्ष 2015-16 के लिए अस्वीकृत जोखिम पूल के अंतर्गत अध्यर्पित प्रीमियम 40
I.46 बीमा क्षेत्र के कुल निवेश 41
I.47 जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेशः लिखत-वार 41
I.48 जीवन बीमाकर्ताओं के निवेशः निधि-वार 42

पृष्ठ सं.

I.49 निवेशों की वृद्धि- निधि-वार 42
I.50 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेशः लिखत-वार 43
I.51 पिछले पाँच वर्षों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति 45
I.52 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का वर्गीकरण 46
I.53 स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 47
I.54 व्यवसाय का वर्ग-वार निवल उपगत दावा अनुपात 48
I.55 स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का क्षेत्र-वार निवल उपगत दावा अनुपात 48
I.56 वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 49
I.57 क्षेत्र-वार वैयक्तिक दुर्घटना बीमा प्रीमियम 49
I.58 क्षेत्र-वार विदेश यात्रा बीमा प्रीमियम 50
I.59 क्षेत्र-वार देशी यात्रा बीमा सकल प्रीमियम 50
I.60 2015-16 के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में शीर्षस्थ 5 राज्यों का अंश 51
I.61 वितरण के विभिन्न माध्यमों का अंश वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और प्रीमियम की राशि 52
I.62 तृतीय पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से संभाले गये दावे 52
I.63 बीमाकर्ताओं के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से संभाले गये दावे 53
I.64 दोनों तृतीय पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से और आंतरिक रूप से संभाले गये दावे 53
I.65 दावों की अवधि - टीपीए के माध्यम से संभाले गये दावों का विवरण 54
I.66 दावों की अवधि बीमाकर्ताओं द्वारा आंतरिक रूप से संभाले गये दावों का विवरण 54
I.67 दावों की अवधि दोनों टीपीए के माध्यम से और आंतरिक रूप से संभाले गये दावों का विवरण 54
I.68 31 मार्च 2016 को विद्यमान टीपीए की सूची 55
I.69 2015-16 के दौरान नवीकृत टीपीए पंजीकरणों की सूची 55
I.70 उन टीपीए का विवरण जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण 2015-16 के दौरान अस्वीकृत किया गया 56
I.71 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान टीपीए द्वारा नियुक्त नेटवर्क प्रदाता 56
I.72 2015-16 के दौरान ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के अनुपालन का विवरण 58
I.73 गैर-जीवन बीमाकर्ता (स्टैंडअलोन और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर) -- 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र व्यवसाय 58
I.74 मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) 63
I.75 नारियल वृक्ष बीमा योजना (सीपीआईएस) 64
I.76 2015-16 के लिए सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत नया व्यवसाय 65
I.77 जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंटों का विवरण 2015-16 66
I.78 सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत वैयक्तिक मृत्यु दावे 2015-16 66
I.79 सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत सामूहिक मृत्यु दावे 2015-16 66

			पृष्ठ सं.
I.80	सूक्ष्म बीमा वैयक्तिक श्रेणी में निपटाये गये अवधि-वार मृत्यु दावे 2015-16	....	67
I.81	सूक्ष्म बीमा सामूहिक श्रेणी में निपटाये गये अवधि-वार मृत्यु दावे 2015-16	....	67
I.82	केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों की सूची	....	68
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का विवरण 2015-16	....	73
II.2	जीवन बीमाकर्ताओं के कॉरपोरेट एजेंटों का विवरण 2015-16	....	73
II.3	2015-16 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन -- माध्यम-वार	....	74
II.4	2015-16 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन माध्यम-वार	....	74
II.5	2015-16 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम (वैयक्तिक और सामूहिक) माध्यम-वार	....	75
II.6	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किये गये लाइसेंस	....	77
II.7	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों से संबंधित शिकायतें	....	77
II.8	बीमा दलालों की सांख्यिकी	....	78
II.9	31-03-2016 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार बीमा दलालों के कार्यालय	....	78
II.10	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वेब संग्राहक	....	78
II.11	2015-16 की अवधि के लिए दायर किये गये मामलों का विवरण	....	83
II.12	2015-16 की अवधि के लिए निपटाये गये/ खारिज किये गये मामलों का विवरण	....	83
II.13	2015-16 के दौरान शिकायतों की स्थितिः जीवन बीमाकर्ता	....	89
II.14	2015-16 के दौरान शिकायतों की स्थितिः गैर-जीवन बीमाकर्ता	....	89
II.15	शिकायतें -- 2014-15 की तुलना में 2015-16 -- जीवन	....	90
II.16	शिकायतें 2014-15 की तुलना में 2015-16 गैर-जीवन	....	90
II.17	शिकायतें 2014-15 की तुलना में 2015-16 -- उद्योग	....	91
II.18	बीमाकर्ता जिन्होंने 31-03-2016 को लंबित शिकायतों की संख्या शून्य दर्ज की है	....	91
II.19	डीएआरपीजी पोर्टल में दर्ज की गई और आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतों की प्राप्ति और निपटान (1.4.2015 से 31.3.2016 तक की अवधि)	....	91
II.20	आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतें 31.03.2016 को लंबित	....	91
II.21	2015-16 के दौरान बीमा लोकपालों द्वारा शिकायतों का निपटान	....	97
III.1	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित बीमा भंडार (रिपोज़िटरीज़)	....	105

चार्ट

I.1	2011-12 की कीमतों पर जीवीए 2015-16 (अनंतिम अनुमान) में क्षेत्रों का अंश	....	2
I.2	चयनित देशों में बीमा व्यापन -- 2015	....	5
I.3	चयनित देशों में बीमा सघनता -- 2015	....	5

			पृष्ठ सं.
I.4	भारत में बीमा व्यापन	....	7
I.5	भारत में बीमा सघनता	....	7
I.6	जीवन बीमाकर्ताओं का प्रथम वर्ष प्रीमियम	....	9
I.7	जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम	....	9
I.8	5 वर्षों के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम	....	9
I.9	लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण वैयक्तिक पॉलिसियाँ	....	14
I.10	लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण सामूहिक पॉलिसियाँ	....	14
I.11	जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या	....	16
I.12	जीवन बीमा कार्यालयों का भौगोलिक वितरण निजी क्षेत्र	....	17
I.13	कार्यालयों का भौगोलिक वितरण -- एलआईसीआई	....	17
I.14	जीवन बीमा कार्यालयों का भौगोलिक वितरण -- उद्योग	....	17
I.15	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय गैर-जीवन बीमाकर्ता	....	18
I.16	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 5 वर्ष	....	19
I.17	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर) खंड-वार	....	20
I.18	गैर-जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या 2015-16 के लिए स्तर-वार	....	27
I.19	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति	....	45
I.20	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण (सकल प्रीमियम के तौर पर)	....	46
I.21	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या व्यवसाय के विभिन्न वर्गों का अंश	....	47
I.22	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का निवल उपगत दावा अनुपात	....	48
I.23	कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राज्यों का अंश वित्तीय वर्ष 2015-16	....	51
I.24	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में विभिन्न माध्यमों का अंशदान	....	55
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय प्रीमियम माध्यम-वार	....	75
II.2	जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय प्रीमियम माध्यम-वार	....	76
II.3	जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम (वैयक्तिक और सामूहिक)	....	76
II.4	पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त जीवन शिकायतों का वर्गीकरण	....	88
II.5	पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत गैर-जीवन शिकायतों का शिकायत प्रकार-वार वर्गीकरण	....	89
II.6	पिछले 3 वर्षों के दौरान पॉलिसी प्रकार-वार गैर-जीवन शिकायतें	....	89
II.7	शिकायतों की गति उद्योग पिछले दो वर्ष	....	90

विवरण

1.	बीमा व्यापन की अंतरराष्ट्रीय तुलना	....	127
2.	बीमा सघनता की अंतरराष्ट्रीय तुलना	....	128
3.	प्रथम वर्ष जीवन बीमा प्रीमियम (एकल प्रीमियम सहित)	....	129
4.	कुल जीवन बीमा प्रीमियम	....	130
5.	2015-16 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम	....	131

पृष्ठ सं.

6. वर्ष 2015-16 के लिए वैयक्तिक मृत्यु दावे 133
7. वर्ष 2015-16 के लिए सामूहिक मृत्यु दावे 135
8. जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ 137
9. जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी 140
10. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में जीवन बीमाकर्ताओं का तिमाही शोधक्षमता अनुपात 141
11. गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर) 142
12. गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के अंदर) 143
13. स्वास्थ्य बीमा (यात्रा- देशी/ विदेशी और वैयक्तिक दुर्घटना को छोड़कर) सकल प्रीमियम और सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या (2015-16) 144
14. उपगत दावा अनुपात -- सरकारी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ता 145
15. उपगत दावा अनुपात - निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ता 146
16. गैर-जीवन बीमकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ 148
17. गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी 149
18. गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात 150
19. शिकायतों की स्थिति जीवन बीमाकर्ता -- 2015-16 के लिए 151
20. शिकायतों की स्थिति गैर-जीवन बीमाकर्ता 2015-16 के लिए 152

अनुबंध

1. भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियाँ 155
2. बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना 157
3. (i) भारतीय बीमित जीवन मृत्यु-दर (2006-08) अंतिम 158
   (ii) वार्षिकी-ग्राहियों के लिए प्रकाशित मृत्यु-दर सारणीः एलआईसी (क) (1996-98) अंतिम दरें 160
4. वर्ष 2015-16 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और अनुवृद्धियों (राइडरों) की सूची 162
5. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची 169
6. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित गैर-जीवन बीमा उत्पाद 170
7. वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सूची 174
8. अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचनाएँ 177
9. 31/03/2016 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम 186
10. (i) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड 189
    (ii) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड (दलाल) 191

मिशन विवरण

- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना तथा उनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना;
- ✓ आम आदमी के हित के लिए बीमा उद्योग (वार्षिकी और अधिवर्षिता संबंधी भुगतानों सहित) की त्वरित और व्यवस्थित संवृद्धि करना, तथा अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की गति बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक निधियाँ उपलब्ध कराना;
- ✓ प्राधिकरण जिनका विनियमन करता है, उनकी सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता, उचित व्यवहार और सक्षमता के उच्च मानकों का निर्धारण, संवर्धन, निगरानी और प्रवर्तन करना;
- ✓ वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, बीमा संबंधी धोखाधड़ियों और अन्य अनाचारों की रोकथाम करना तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना;
- ✓ बीमे के साथ संबंध रखनेवाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित कार्यसंचालन को बढ़ावा देना तथा बाजार के खिलाड़ियों में वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानक लागू करने के लिए एक विश्वसनीय प्रबंध सूचना प्रणाली का निर्माण करना;
- ✓ जहाँ ऐसे मानक अपर्याप्त हैं अथवा अप्रभावी ढंग से लागू किये गये हैं वहाँ कार्रवाई करना;
- ✓ विवेकपूर्ण विनियमन की अपेक्षाओं के अनुरूप उद्योग के दैनंदिन कार्यचालन में इष्टतम परिमाण में स्व-विनियमन उत्पन्न करना।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2016 को प्राधिकरण के सदस्य

टी एस विजयन
अध्यक्ष

पूर्णकालिक सदस्य

एम रामप्रसाद
(1 मई 2015 तक)

डी डी सिंह

पौर्णिमा गुप्ते

वी आर अय्यर
(15 जून 2015 से)

नीलेश साठे
(1 जुलाई 2015 से)

जोसेफ प्लाप्पल्लिल जे
(29 मार्च 2016 से)

अंशकालिक सदस्य

अनूप वाधवान
(13 सितंबर 2015 तक)

आलोक टंडन
(14 सितंबर 2015 से)

सीए. मनोज फडनीस
(11 फरवरी 2016 तक)

सीए. एम देवराज रेड्डी
(12 फरवरी 2016 से)

प्रो. वी के गुप्ता
(21 फरवरी 2016 तक)

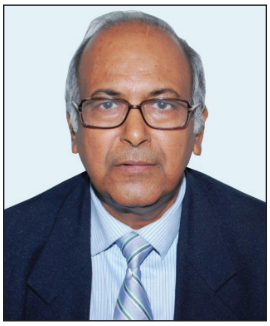

एस बी माथुर

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के वरिष्ठ अधिकारी

कार्यकारी निदेशक	श्रीराम तरनिकाँति, आईएएस
वित्तीय परामर्शदाता	ललित कुमार चंदेल
वरिष्ठ संयुक्त निदेशक	एम पुल्ला राव सुरेश माथुर रणदीप सिंह जगपाल ए आर नित्यानंथम ममता सूरी जे मीना कुमारी
संयुक्त निदेशक	मुकेश शर्मा एस एन जयसिंहन यज्ञप्रिया भरत एच अनंतकृष्णन वी जयंत कुमार रमणा राव अद्दंकि राकेश बजाज संजीव कुमार जैन टी एस नाईक एस पी चक्रबर्ती पी के मैती राज कुमार शर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक	ए वी राव

भाग I
नीतियाँ और कार्यक्रम

I.1 सामान्य आर्थिक परिवेश

I.1.1 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, एमओएसपीआई, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2015-16 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक जीडीपी अथवा स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीडीपी पिछले वर्ष 2014-15 के लिए 7.2 की संवृद्धि दर की तुलना में 7.6 की संवृद्धि दर दर्शा रहा है। वास्तविक योजित सकल मूल्य (जीवीए) अर्थात वर्ष 2015-16 के लिए मूलभूत स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीवीए पिछले वर्ष 2014-15 के 7.1 प्रतिशत की तुलना में 7.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर दर्शा रहा है।

I.1.2 जिन क्षेत्रों ने 7.0 प्रतिशत से अधिक अनुमानित संवृद्धि दर्ज की है वे हैं 'वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ' (10.3 प्रतिशत), 'विनिर्माण' (9.3 प्रतिशत), 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ' (9.0 प्रतिशत) और 'खनन और उत्खनन' (7.4 प्रतिशत)। अनुमानित संवृद्धि दर 'कृषि, वानिकी और मत्स्य-ग्रहण' में 1.2 प्रतिशत, 'निर्माण' में 3.9 प्रतिशत, 'बिजली, गैस, जल-आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएँ' में 6.6 प्रतिशत, 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ' में 6.6 प्रतिशत है।

I.1.3 यह अनुमान है कि सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 2011-12 की कीमतों पर 2014-15 के 7.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर की तुलना में 2015-16 के दौरान 7.5 प्रतिशत बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय में संवृद्धि दर पिछले वर्ष के 5.8 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 के दौरान 6.2 प्रतिशत पर अनुमानित है।

I.1.4 थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) अप्रैल-मार्च 2015-16 के दौरान खाद्य वस्तुओं, विनिर्मित उत्पादों, बिजली और सभी पण्यों के समूहों के संबंध में क्रमशः 3.3 प्रतिशत, (-) 1.1 प्रतिशत, 4.0 प्रतिशत और (-) 2.5 प्रतिशत बढा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) ने अप्रैल-मार्च 2016 के दौरान 4.9 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई है।

(स्रोतः सीएसओ प्रेस नोट दिनांक 31.05.2016)

सारणी I.1
राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान 2015-16

(2011-12 के मूल्यों पर)

मद	2013-14 (दूसरे सं.अ.)(एनएस)	2014-15 (पहले सं.अ.)	2015-16 (अ.अ.)
देशी उत्पाद (₹ करोड़)			
1. योजित सकल मूल्य (जीवीए) मूल कीमतों पर	9084369	9727490 (7.1)	10427191(7.2)
2. सकल देशी उत्पाद (जीडीपी)	9839434	10552151(7.2)	11350249(7.6)
3. निवल देशी उत्पाद (एनडीपी)	8737681	9359476(7.1)	10071784(7.6)
4. सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) (₹ करोड़)	9717062	10427701(7.3)	11213328(7.5)
5. निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) (₹ करोड़)	8615309	9235026(7.2)	9934863(7.6)
प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद			
6. जनसंख्या (मिलियन में)	1251	1267 (1.3)	1283(1.3)
7. प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) (₹)	68867	72889(5.8)	77435(6.2)
8. प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद (जीडीपी)(₹)	78653	83285(5.9)	88466(6.2)

एनएस: *नई शृंखला अनुमान; सं.अ: संशोधित अनुमान; अ.अ.: अनंतिम अनुमान*
टिप्पणी: *कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में घट-बढ़ दर्शाते हैं।*
स्रोत: *केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ), प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2016.*

सारणी I.2
आर्थिक गतिविधि द्वारा मूल कीमत पर जीविए के अनंतिम अनुमान

(₹ करोड़)

उद्योग	2013-14 (दूसरे सं.अ) (एनएस)	2014-15 (पहले सं.अ.)	2015-16 (अ.अ.)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	
				2014-15	2015-16
1. कृषि, वानिकी और मत्स्य-ग्रहण	15,88,237	15,84,293	16,04,044	-0.2	1.2
2. खनन और उत्खनन	2,67,378	2,96,328	3,18,377	10.8	7.4
3. विनिर्माण	15,79,721	16,67,069	18,21,926	5.5	9.3
4. बिजली, गैस, जल-आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएँ	2,00,861	2,16,970	2,31,228	8.0	6.6
5. निर्माण	8,18,494	8,54,636	8,87,957	4.4	3.9
6. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	16,69,844	18,33,997	19,98,292	9.8	9.0
7. वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ	18,44,070	20,39,460	22,48,845	10.6	10.3
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	11,15,765	12,34,737	13,16,522	10.7	6.6
आधार मूल्य पर जीवीए	**90,84,369**	**97,27,490**	**104,27,191**	**7.1**	**7.2**

एनएस: नई शृंखला अनुमान; अ.अ.: अनंतिम अनुमान; सं.अ.: संशोधित अनुमान; जीवीए:सकल योजित मूल्य; 2011-12 की कीमतों पर।
स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ), प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2016।

चार्ट I.1 2011-12 की कीमतों पर जीविए 2015-16 में क्षेत्रों का अंश (अनंतिम अनुमान)

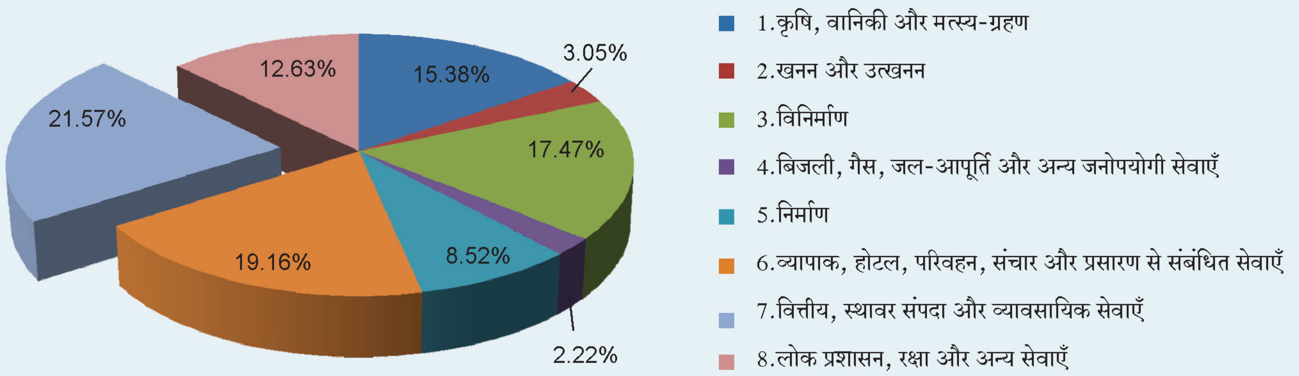

घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

I.1.5 प्रारंभिक अनुमानों ने दर्शाया कि घरेलू निवल वित्तीय बचत दर 2014-15 के 7.5 प्रतिशत और 2013-14 के 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का 7.7 प्रतिशत हो गई। इस सुधार ने वित्तीय देयताओं के संबंध में सकल वित्तीय आस्तियों में वृद्धि की एक उच्चतर दर को प्रतिबिंबित किया। सकल वित्तीय आस्तियों में यह वृद्धि प्राथमिक रूप से अल्प बचत में काफी वृद्धि और ईक्विटियों और म्युचुअल फंडों में निवेश एवं सरकारी क्षेत्र यूनिटों द्वारा कर-मुक्त बांडों और मुद्रा धारिताओं में वृद्धि से प्रेरित रही हालांकि घर-परिवारों द्वारा धारित बैंक जमाराशियों में वृद्धि साधारण रही (सारणी 1.3)। वित्तीय देयताओं में भी उत्कर्ष रहा जिसने वर्ष के दौरान घर-परिवारों द्वारा बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से लिये गये उच्चतर उधार को प्रतिबिंबित किया।

(स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2015-16)

सारणी I.3 : घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई के प्रतिशत में)

मद	2011-12	2012-13	2013-14*	2014-15*	2015-16*
क. सकल वित्तीय बचत	**10.4**	**10.4**	**10.4**	**10.0**	**10.8**
जिसमें से					
1. मुद्रा	1.2	1.1	0.9	1.1	1.4
2. जमाराशियाँ	6.0	6.0	5.8	4.9	4.7
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7
4. सरकार पर दावे	-0.2	-0.1	0.1	0.0	0.4
5. बीमा निधियाँ	2.2	1.8	1.6	1.9	2.0
6. भविष्य और पेंशन निधियाँ	1.1	1.5	1.6	1.6	1.5
ख. वित्तीय देयताएँ	**3.2**	**3.2**	**3.0**	**2.5**	**3.0**
ग. निवल वित्तीय बचत (क-ख)	**7.2**	**7.2**	**7.4**	**7.5**	**7.7**

टिप्पणी: आंकड़े पूर्णांकित होने के कारण कुल जोड़ के साथ मेल नहीं खाते होंगे।
स्रोत: सीएसओ जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 में प्रकाशित है। सारणी II.1
**: रिज़र्व बैंक के नवीनतम अनुमानों के अनुसार; जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय*

सारणी I.4 : सकल बचत

(जीएनडीआई के प्रतिशत में)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल बचत	33.8	33.0	32.3	32.3
1.1 गैर-वित्तीय निगम	9.5	9.7	10.6	12.0
1.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.4	1.2	1.1	0.9
1.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	8.1	8.5	9.4	11.1
1.2 वित्तीय निगम	3.0	3.0	2.6	2.6
1.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.9	1.7	1.4	1.3
1.2.2 निजी वित्तीय निगम	1.2	1.2	1.1	1.3
1.3 सामान्य सरकार	-1.8	-1.6	-1.3	-1.0
1.4 घरेलू क्षेत्र	23.0	21.9	20.5	18.7
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.2	7.2	7.5*	7.5*
मेमो: सकल वित्तीय बचत	10.4	10.4	10.1*	9.8*
1.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	15.5	14.4	12.7	10.8
1.4.3 मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बचत	0.4	0.4	0.3	0.3

*: रिज़र्व बैंक के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 2013-14 और 2014-15 के लिए घरेलू वित्तीय बचत, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) का क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत है तथा इसी अवधि की सकल वित्तीय बचत क्रमशः 10.4 प्रतिशत और 10.0 प्रतिशत है। .
टिप्पणी: घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत और वित्तीय देयताओं के बीच के अंतर के रूप में प्राप्त की गई है।
स्रोतः सीएसओ जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 में प्रकाशित है, परिशिष्ट सारणी 3.

I.2 विश्व बीमा परिदृश्य

I.2.1 रीइंश्योरेंस मेजर, स्विस रे द्वारा प्रकाशित '2015 में विश्व बीमा' के अनुसार पुनर्बीमा उद्योग ने 2015 में साधारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि के एक और वर्ष का सामना किया। वैश्विक वास्तविक सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) ने 2.5% वृद्धि की।

I.2.2 उक्त रिपोर्ट के अनुसार जोखिम-अंकित वास्तविक वैश्विक प्रत्यक्ष जीवन और गैर-जीवन बीमा प्रीमियम ने पिछले वर्ष के 3.5% से ऊपर उठकर 3.8% वृद्धि की। तथापि, नामित अमेरिकी डॉलर के तौर पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले व्यापक मुद्रा मूल्यह्रास के कारण प्रीमियम 4.2% नीचे आये।

वास्तविक तौर पर वैश्विक जीवन प्रीमियम वृद्धि 2014 के 4.3% अभिलाभ से 4% तक मंद हुई। उन्नत बाजारों में जीवन प्रीमियम पिछले वर्ष की 3.8% वृद्धि से ऊपर उठकर 2.5% बढ़े। उभरते बाजारों में समग्र जीवन प्रीमियम वृद्धि लगभग 12% तक दुगुनी हो गई।

वैश्विक गैर-जीवन प्रीमियम वृद्धि में पिछले वर्ष के 2.4% से 2015 में 3.6% तक सुधार आया। उन्नत बाजारों के गैर-जीवन प्रीमियम पिछले वर्ष के 1.1% से 2.6% तक बढ़े। उभरते बाजारों ने अपनी सशक्त प्रीमियम वृद्धि की प्रवृत्ति (+7.8%) 2015 में जारी रखी यद्यपि उन्होंने 2014 की तुलना में निम्नतर वृद्धि (+8.6) दर्शाई।

I.2.3 जीवन में कई बाजारों में मामूली प्रीमियम वृद्धि और बहुत समय से चली आ रही निम्न ब्याज दरों ने लाभों को रोक दिया। गैर-जीवन में दोनों जोखिम-अंकन और निवेश परिणाम 2014 की तुलना में कमजोर रहे। जोखिम-अंकन परिणाम निम्नतर आरक्षित निधि उन्मोचनों से प्रभावित हुए तथा निवेश परिणाम निम्न ब्याज दरों से आहत हुए। तथापि, समग्र रूप में बीमा उद्योग भली भाँति पूँजीकृत रहा है।

I.2.4 उक्त रिपोर्ट के अनुसार यह प्रत्याशित है कि जीवन प्रीमियम वृद्धि 2016 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ी-सी गति पकड़ेगी। उभरते बाजारों में जीवन क्षेत्र के मंद होने का पूर्वानुमान है। उन्नत बाजारों में गैर-जीवन उद्योग के लिए संभावना साधारण आर्थिक पुनरुत्थान और कीमत-निर्धारण की दुर्बलता के चलते जीवन की तुलना में अधिक मंद है। उभरते बाजारों में गैर-जीवन के लिए संभावना मिश्रित है।

(स्रोतः स्विस आरई, सिगमा सं. 3/ 2016)

सारणी I.5
2015 में कुल वास्तविक प्रीमियम वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/देश	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत देश	2.5	2.6	2.5
उभरते बाजार	12	7.8	9.8
एशिया	7.8	9.2	8.2
भारत	7.8	8.1	7.9
विश्व	**4**	**3.6**	**3.8**

स्रोतः स्विस आरई, सिगमा सं. 3/2016

सारणी I.6
क्षेत्र-वार जीवन और गैर-जीवन बीमा प्रीमियम

(प्रीमियम बिलनयन अमेरिकी डॉलर में)

क्षेत्र/देश	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	2089.77 (56.41)	1614.30 (43.59)	3704.07 (100.00)
उभरते बाजार	444.05 (52.26)	405.67 (47.74)	849.72 (100.00)
एशिया	904.57 (66.96)	446.41 (33.04)	1350.97 (100.00)
भारत	56.68 (78.96)	15.10 (21.04)	71.78 (100.00)
विश्व	**2533.82 (55.64)**	**2019.97 (44.36)**	**4553.79 (100.00)**

स्रोत: स्विस आरई, सिगमा 3/2016.
कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में खंड का अंश निर्दिष्ट करते हैं।

चार्ट I.2: चयनित देशों में बीमा व्यापन-2015

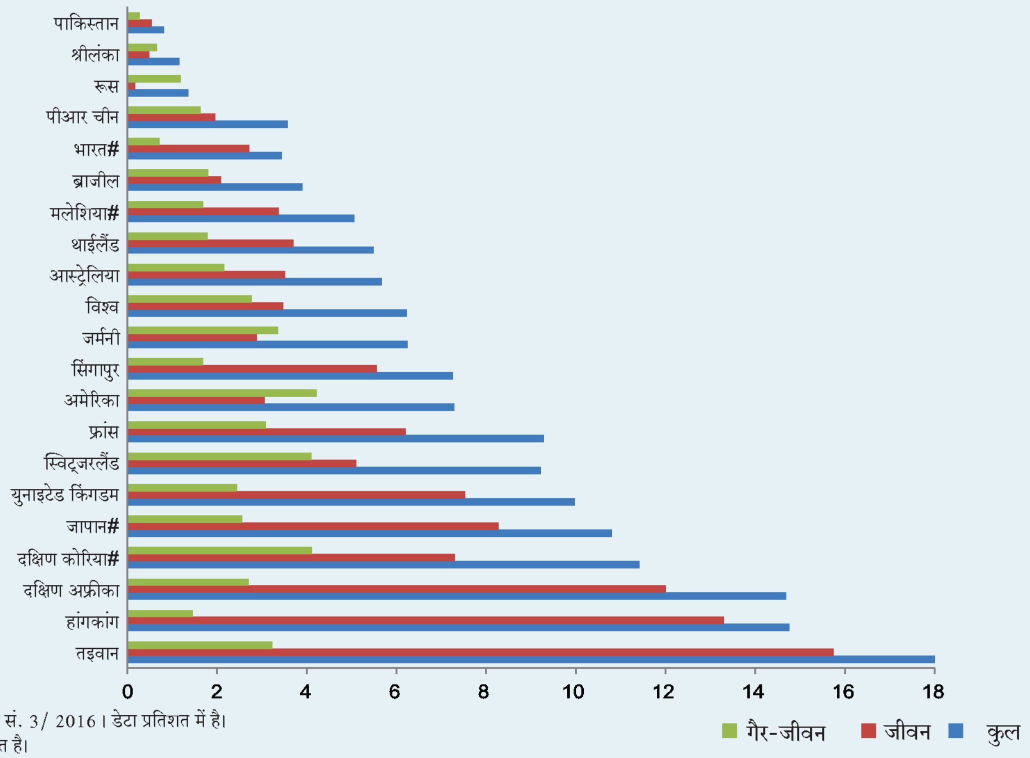

स्रोतः स्विस आरई, सिगमा सं. 3/ 2016 । डेटा प्रतिशत में है।
#डेटा वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

चार्ट I.3: चयनित देशों में बीमा सघनता - 2015

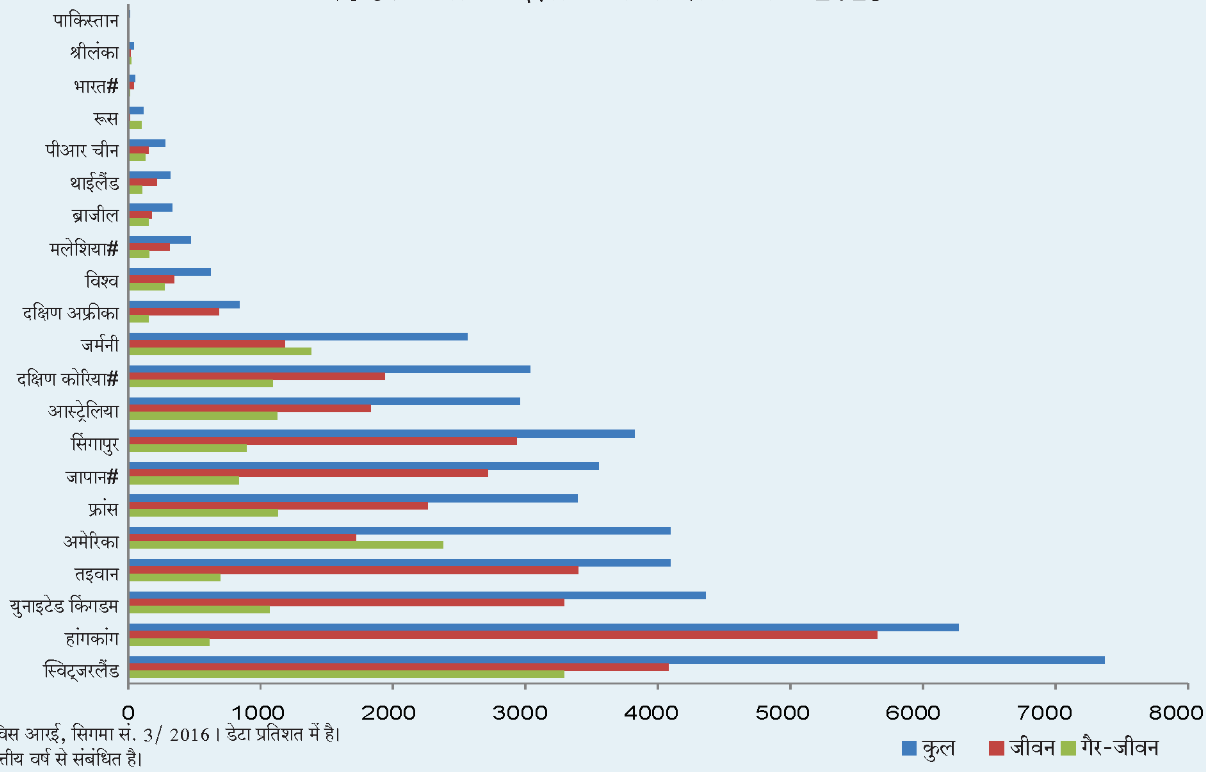

स्रोतः स्विस आरई, सिगमा सं. 3/ 2016 । डेटा प्रतिशत में है।
#डेटा वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय बीमा

I.2.5 वैश्विक तौर पर कुल प्रीमियम में जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 55.6% था। भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 79% पर था, जबकि गैर-जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 21% पर था।

I.2.6 जीवन बीमा व्यवसाय में, 88 देशों के बीच भारत का स्थान 10वाँ है, जिसके लिए डेटा स्विस रे द्वारा प्रकाशित किया गया है। वैश्विक जीवन बीमा बाजार में भारत का अंश 2015 के दौरान 2.24% था, जहाँ यह 2014 में 2.08% था। तथापि, 2015 के दौरान भारत में जीवन बीमा प्रीमियम (मुद्रास्फीति समायोजित) 7.8% बढ़ा जब वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियम में 4% वृद्धि हुई।

I.2.7 भारतीय गैर-जीवन बीमा क्षेत्र ने 2015 के दौरान 8.1 प्रतिशत (मुद्रास्फीति समायोजित) की वृद्धि देखी जहाँ वैश्विक गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में वृद्धि केवल 3.6% ही थी। तथापि, वैश्विक गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में भारतीय गैर-जीवन बीमा प्रीमियम का अंश 0.75% पर था तथा भारत का स्थान 88 देशों के बीच 18वाँ है।

भारत में बीमा व्यापन और सघनता

I.2.8 बीमा व्यापन और सघनता का मापन किसी भी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को प्रतिबिंबित करता है। जबकि बीमा व्यापन का मापन जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के तौर पर किया जाता है, बीमा सघनता का परिकलन जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के रूप में किया जाता है।

I.2.9 बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के पहले दशक के दौरान इस क्षेत्र ने बीमा व्यापन में सुसंगत वृद्धि सूचित की जो 2001 में विद्यमान 2.71 प्रतिशत से 2009 में 5.20 प्रतिशत तक हुई। तब से व्यापन का स्तर घट रहा था। तथापि, 2015 में इसमें अल्प वृद्धि हुई जिससे 2014 में विद्यमान 3.3 प्रतिशत की तुलना में यह 3.44 प्रतिशत तक पहुँच गई। बीमा सघनता के स्तर में इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही जो 2001 के 11.5 अमेरिकी डॉलर के स्तर से वर्ष 2010 में 64.4 अमेरिकी डॉलर के अधिकतम तक पहुँची। समीक्षाधीन वर्ष 2015 के दौरान बीमा सघनता 54.7 अमेरिकी डॉलर थी।

सारणी I.7
भारत में बीमा व्यापन और सघनता

	वर्ष		जीवन		गैर-जीवन उद्योग	
	सघनता (यूएसडी)	व्यापन (प्रतिशत)	सघनता (यूएसडी)	व्यापन (प्रतिशत)	सघनता (यूएसडी)	व्यापन (प्रतिशत)
2001	9.1	2.15	2.4	0.56	11.5	2.71
2002	11.7	2.59	3	0.67	14.7	3.26
2003	12.9	2.26	3.5	0.62	16.4	2.88
2004	15.7	2.53	4	0.64	19.7	3.17
2005	18.3	2.53	4.4	0.61	22.7	3.14
2006	33.2	4.1	5.2	0.6	38.4	4.8
2007	40.4	4	6.2	0.6	46.6	4.7
2008	41.2	4	6.2	0.6	47.4	4.6
2009	47.7	4.6	6.7	0.6	54.3	5.2
2010	55.7	4.4	8.7	0.71	64.4	5.1
2011	49	3.4	10	0.7	59	4.1
2012	42.7	3.17	10.5	0.78	53.2	3.96
2013	41	3.1	11	0.8	52	3.9
2014	44	2.6	11	0.7	55	3.3
2015	43.2	2.72	11.5	0.72	54.7	3.44

टिप्पणी: 1. बीमा सघनता का मापन कुल जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।
2. बीमा व्यापन का मापन जीडीपी (अमेरिकी डॉलर में) की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।
स्रोत: स्विस आरई, सिगमा, विभिन्न अंक

चार्ट I.4: भारत में बीमा व्यापन

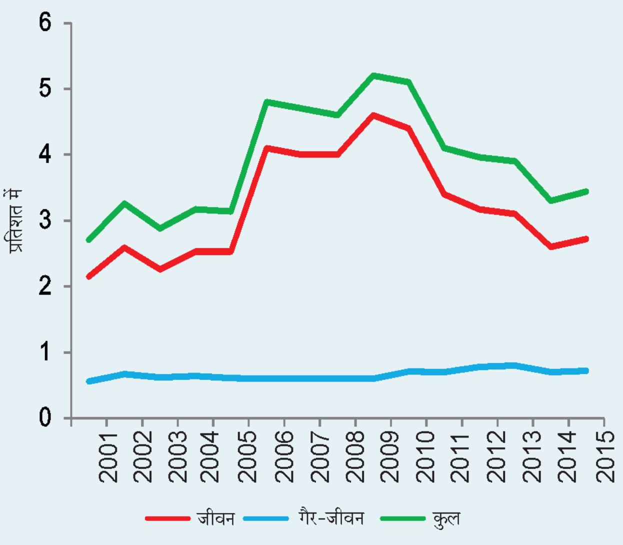

चार्ट I.5: भारत में बीमा सघनता

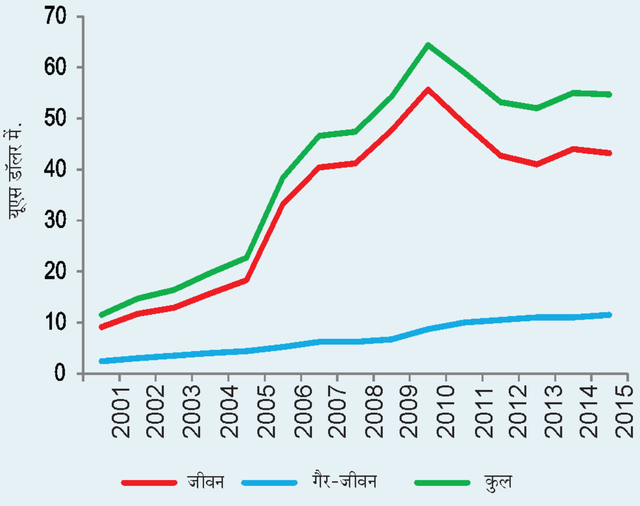

I.2.10 जीवन बीमा व्यवसाय की बीमा सघनता 2001 के 9.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2010 में 55.7 अमेरिकी डॉलर के चरम पर पहुँची थी। 2015 के दौरान जीवन बीमा सघनता का स्तर 43.2 अमेरिकी डॉलर था। इसी प्रकार जीवन बीमा व्यापन में 2001 के 2.15 प्रतिशत से 2009 में 4.60 प्रतिशत तक उत्थान हुआ। तब से इसने एक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई। तथापि, 2015 में इसमें थोड़ी-सी वृद्धि रही जिससे यह 2014 के 2.6% की तुलना में 2015 में 2.72 प्रतिशत तक पहुँच गया।

I.2.11 पिछले 10 वर्षों में देश में गैर-जीवन बीमा क्षेत्र का व्यापन 0.5 - 0.8 प्रतिशत के दायरे में स्थिर रहा। तथापि, इसकी सघनता 2001 के 2.4 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2015 में 11.5 अमेरिकी डॉलर हो गई।

(स्रोतः स्विस रे, सिगमा सं. 3/ 2016)

I.3 भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन

भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता

I.3.1 मार्च 2016 के अंत में भारत में 54 बीमाकर्ता परिचालनरत हैं जिनमें से 24 जीवन बीमाकर्ता हैं, 24 साधारण बीमाकर्ता हैं तथा 5 स्वास्थ्य बीमाकर्ता हैं जो एकमात्र स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करते हैं। इनके अतिरिक्त, जीआईसी एकमात्र पुनर्बीमाकर्ता है।

I.3.2 वर्तमान में परिचालन में लगे हुए 54 बीमाकर्ताओं में से आठ सरकारी क्षेत्र में हैं और शेष छियालीस निजी क्षेत्र में हैं। दो विशेषीकृत बीमाकर्ता अर्थात ईसीजीसी और एआईसी, एक जीवन बीमाकर्ता अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), साधारण बीमा में चार और पुनर्बीमा में एक अर्थात जीआईसी सरकारी क्षेत्र में हैं। 23 जीवन बीमाकर्ता, 18 साधारण बीमाकर्ता और 5 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता निजी क्षेत्र में हैं।

सारणी I.8
भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता
(31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार)

बीमाकर्ता का प्रकार	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन	1	23	24
साधारण	6	18	24
स्वास्थ्य	0	5	5
पुनर्बीमा	1	0	1
कुल	**8**	**46**	**54**

टिप्पणीः भारत में पंजीकृत बीमाकर्ताओं की सूची अनुबंध में दी गई है।

जीवन बीमा

प्रीमियम

I.3.3 जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज ₹328102 करोड़ की तुलना में 2015-16 के दौरान ₹366943.23 करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की और इस प्रकार इसने 11.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 4.39 प्रतिशत वृद्धि थी)। जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने अपनी प्रीमियम आय में 13.64 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 14.32 प्रतिशत वृद्धि थी), एलआईसी ने 11.17 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में वृद्धि 1.15 प्रतिशत थी)।

I.3.4 जबकि नवीकरण प्रीमियम जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम का 62.16 प्रतिशत रहा है (2014-15 में 65.46 प्रतिशत), प्रथम वर्ष प्रीमियम ने शेष 37.84 प्रतिशत का अंशदान किया (2014-15 में 34.54 प्रतिशत था)। 2015-16 के दौरान नवीकरण प्रीमियम में वृद्धि 6.20 प्रतिशत थी (2014-15 में 10.72 प्रतिशत)। प्रथम वर्ष प्रीमियम ने 2014-15 की 5.81 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 22.53 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।

I.3.5 प्रथम वर्ष प्रीमियम का आगे और द्विभाजन यह निर्दिष्ट करता है कि जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त एकल प्रीमियम आय ने 2015-16 के दौरान 32.52 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की (2014-15 में 2.37 प्रतिशत गिरावट थी)। एकल प्रीमियम उत्पादों ने एलआईसी के लिए प्रमुख भूमिका अदा करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने एलआईसी की कुल एकल प्रीमियम आय के 27.80 प्रतिशत का अंशदान किया (2014-15 में 23.11 प्रतिशत)। तुलनात्मक

सारणी I.9
जोखिम-अंकित प्रीमियम : जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
नियमित प्रीमियम (1)		
एलआईसी	23112.20 (-27.56)	23829.38 (3.10)
निजी क्षेत्र	23901.76 (16.61)	27149.32 (13.59)
कुल	**47013.96 (-10.28)**	**50978.70 (8.43)**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	55395.51 (-5.96)	74062.13 (33.70)
निजी क्षेत्र	10920.05 (20.08)	13821.47 (26.57)
कुल	**66315.56 (-2.37)**	**87883.60 (32.52)**
प्रथम वर्ष प्रीमियम (3 =(1+2))		
एलआईसी	78507.71 (-13.55)	97891.51 (24.69)
निजी क्षेत्र	34821.81 (17.97)	40970.79 (17.66)
कुल	**113329.52 (-5.81)**	**138862.30 (22.53)**
नवीकरण प्रीमियम (4)		
एलआईसी	161159.94 (10.28)	168552.70 (4.59)
निजी क्षेत्र	53612.54 (12.06)	59528.23 (11.03)
कुल	**214772.48 (10.72)**	**228080.93 (6.20)**
कुल प्रीमियम (5 =(3+4)=(1+2+4))		
एलआईसी	239667.65 (1.15)	266444.21 (11.17)
निजी क्षेत्र	88434.35 (14.32)	100499.02 (13.64)
कुल	**328102.00 (4.39)**	**366943.23 (11.84)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) निर्दिष्ट करते हैं।

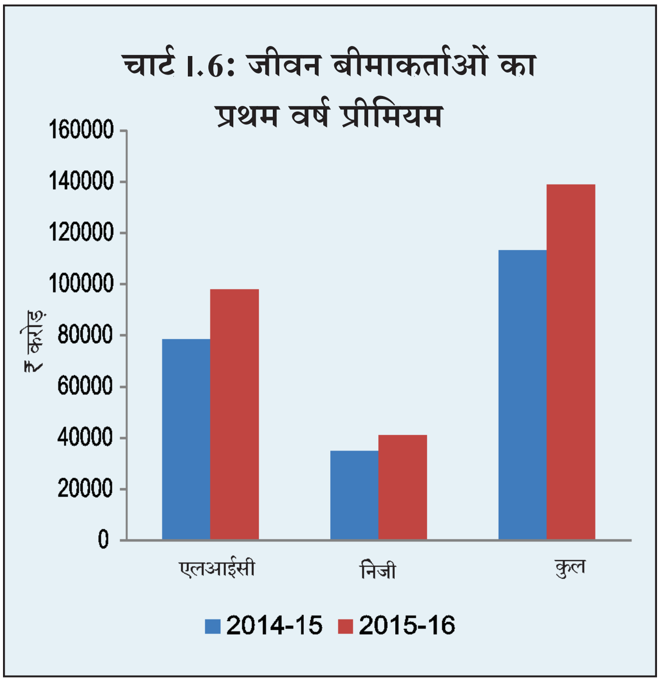

चार्ट I.6: जीवन बीमाकर्ताओं का प्रथम वर्ष प्रीमियम

रूप से 2015-16 के दौरान कुल प्रीमियम आय में एकल प्रीमियम आय का अंशदान निजी बीमा कंपनियों के लिए 13.75 प्रतिशत था (2014-15 में 12.35 प्रतिशत)।

I.3.6 नियमित प्रीमियम ने 2014-15 की 10.28 प्रतिशत गिरावट के मुकाबले 2015-16 में 8.43 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। निजी बीमाकर्ताओं ने 13.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (2014-15 में 16.61 प्रतिशत वृद्धि थी); जबकि एलआईसी ने नियमित प्रीमियम में 3.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (2014-15 में 27.56 प्रतिशत गिरावट थी)।

I.3.7 यूनिट सहबद्ध उत्पादों (यूलिप) ने 2014-15 के ₹41617.80 करोड़ की तुलना में 2015-16 में ₹46871.58 करोड़ तक 12.62 प्रतिशत प्रीमियम वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर, पारंपरिक उत्पादों से प्रीमियम में वृद्धि 2014-15 में विद्यमान ₹286484.20 करोड़ के मुकाबले प्रीमियम ₹320071.65 करोड़ के साथ 11.72 प्रतिशत थी। तदनुसार कुल प्रीमियम में यूनिट सहबद्ध उत्पादों का अंश 2014-15 के 12.68 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 12.77 प्रतिशत तक बढ़ा।

बाजार अंश

I.3.8 कुल प्रीमियम आय के आधार पर एलआईसी का बाजार अंश 2014-15 के 73.05 प्रतिशत से 2015-16 में 72.61 प्रतिशत तक घटा। निजी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश 2014-15 के 26.95 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 27.39 प्रतिशत हो गया।

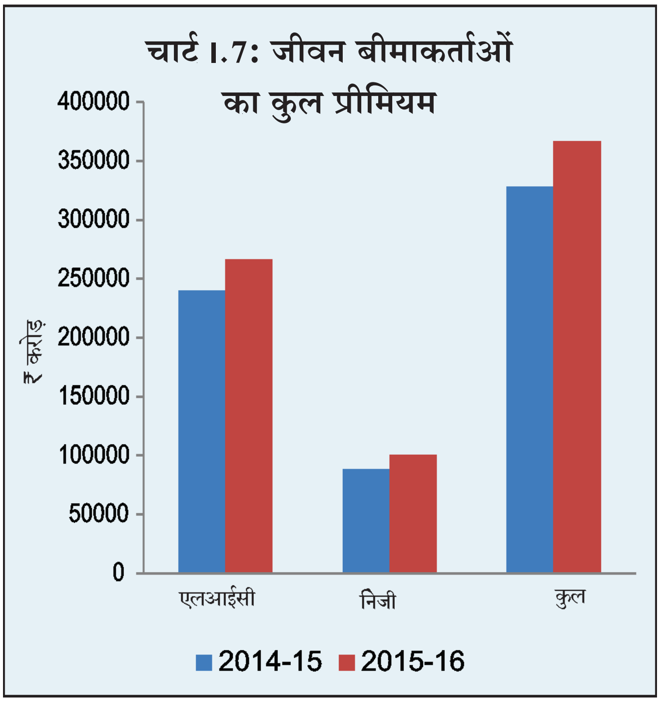

चार्ट I.7: जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम

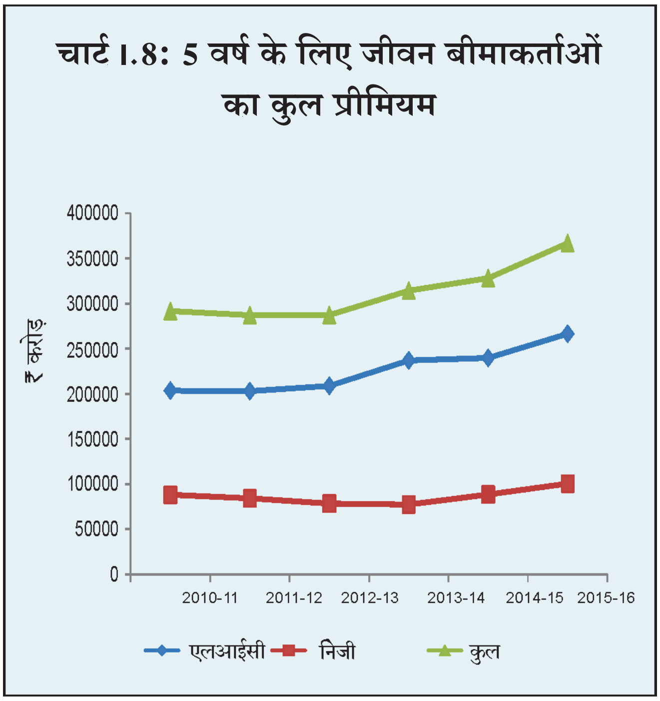

चार्ट I.8: 5 वर्ष के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम

I.3.9 प्रथम वर्ष प्रीमियम में निजी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश 2015-16 में 29.50 प्रतिशत रहा (2014-15 में यह 30.73 प्रतिशत था)। यही एलआईसी के लिए 70.50 प्रतिशत (2014-15 में 69.27 प्रतिशत) था। इसी प्रकार, नवीकरण प्रीमियम में एलआईसी ने 73.90 प्रतिशत पर अपना उच्चतर अंश जारी रखा (2014-15 में 75.04 प्रतिशत) जबकि इसकी तुलना में निजी बीमाकर्ताओं का अंश 26.10 प्रतिशत (2014-15 में 24.96 प्रतिशत) था।

सारणी I.10
बाजार अंश : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
नियमित प्रीमियम (1)		
एलआईसी	49.16	46.74
निजी क्षेत्र	50.84	53.26
कुल	**100.00**	**100.00**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	83.53	84.27
निजी क्षेत्र	16.47	15.73
कुल	**100.00**	**100.00**
प्रथम वर्ष प्रीमियम (3 =(1+2))		
एलआईसी	69.27	70.50
निजी क्षेत्र	30.73	29.50
कुल	**100.00**	**100.00**
नवीकरण प्रीमियम (4)		
एलआईसी	75.04	73.90
निजी क्षेत्र	24.96	26.10
कुल	**100.00**	**100.00**
कुल प्रीमियम (5 =(3+4)=(1+2+4))		
एलआईसी	73.05	72.61
निजी क्षेत्र	26.95	27.39
कुल	**100.00**	**100.00**

नई पॉलिसियाँ :

I.3.10 2015-16 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने 267.38 लाख नई पॉलिसियाँ जारी कीं, जिनमें से एलआईसी ने 205.47 लाख पॉलिसियाँ (जारी की गई कुल नई पॉलिसियों का 76.84 प्रतिशत) और निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 61.92 लाख पॉलिसियाँ (जारी की गई कुल नई पॉलिसियों का 23.16 प्रतिशत) जारी कीं। जबकि निजी क्षेत्र ने पिछले वर्ष के मुकाबले जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या में अच्छे सुधार के साथ (2014-15 में 9.79 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में) 7.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, एलआईसी ने जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार (2014-15 की 41.55 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में) के साथ 1.86 प्रतिशत की अल्प वृद्धि दर्ज की।

I.3.11 समग्र रूप में उद्योग ने जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या में 3.20 प्रतिशत वृद्धि (2014-15 में 36.61 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में) देखी।

सारणी I.11
जारी की गई नई पॉलिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता
(₹ लाख में)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
एलआईसी	201.71 (-41.55)	205.47 (1.86)
निजी क्षेत्र	57.37 (-9.79)	61.92 (7.92)
कुल	**259.08 (-36.61)**	**267.38 (3.20)**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) निर्दिष्ट करते हैं।

चुकता पूँजी

I.3.12 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा कंपनियों की कुल पूँजी ₹26691.47 करोड़ थी। 2015-16 के दौरान निजी क्षेत्र के बीमार्ताओं द्वारा ₹451.91 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी उद्योग में लाई गई।

सारणी I.12
चुकता पूँजी* : जीवन बीमाकर्ता
(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2015 को	2015-16 के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2016
एलआईसी	100.00	0.00	100.00
निजी क्षेत्र	26139.56	451.91	26591.47
कुल	26239.56	451.91	26691.47

* शेयर प्रीमियम और शेयर आवेदन राशि इसमें शामिल नहीं है।

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यय

I.3.13 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुअनुसम में अनुसरण में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 बी का संशोधन किया गया और वह निम्नानुसार पढ़ी जाती हैः 'कोई भी बीमाकर्ता भारत में अपने द्वारा किये जानेवाले बीमा व्यवसाय के संबंध में किसी भी वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष में इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली राशि सेअधिक कोई राशि प्रबंधन के व्ययों के रूप में व्ययनहीं करेगा।'

तदनुसार आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम,2016 एफ.सं. आईआरडीएआई/ आरईजी/ 14/ 126/2016 द्वारा 9 मई 2016 को अधिसूचित किये गये।

सारणी I.13
कमीशन व्यय : जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
नियमित (1)		
एलआईसी	6293.44	6473.19
निजी क्षेत्र	3003.16	3311.17
कुल	**9296.60**	**9784.36**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	264.37	255.94
निजी क्षेत्र	40.22	40.58
कुल	**304.59**	**296.52**
प्रथम वर्ष (3 =(1+2))		
एलआईसी	6557.81	6729.13
निजी क्षेत्र	3043.38	3351.75
कुल	**9601.19**	**10080.88**
नवीकरण (4)		
एलआईसी	8560.33	8771.20
निजी क्षेत्र	1299.16	1414.61
कुल	**9859.49**	**10185.81**
कुल (5 =(3+4)=(1+2+4))		
एलआईसी	15118.14	15500.33
निजी क्षेत्र	4342.54	4766.36
कुल	**19460.68**	**20266.69**

ये विनियम अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद के प्रकार और स्वरूप, प्रीमियम भुगतान अवधि और बीमा व्यवसाय की अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन के व्ययों की अनुमति-योग्य सीमाएँ निर्धारित करते हैं। बीमाकर्ताओं के पास विकल्प है कि वे या तो इन विनियमों का पालन करें या बीमा नियम, 1939 केनियम 17डी के अधीन पूर्व के उपबंधों का पालन करें।

I.3.14 समग्र कमीशन व्यय अनुपात (प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में कमीशन व्यय) 2014-15 के 5.93 प्रतिशत से सीमांत रूप से घटकर 2015-16 में 5.52 प्रतिशत रहा। तथापि, कुल कमीशन 4.14 प्रतिशत (कुल प्रीमियम वृद्धि 11.84 प्रतिशत) बढ़ा, नियमित कमीशन 5.25 प्रतिशत बढ़ा (नियमित प्रीमियम वृद्धि 8.43 प्रतिशत),

सारणी I.14
कमीशन व्यय अनुपात : जीवन बीमाकर्ता

(प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
नियमित (1)		
एलआईसी	27.23	27.16
निजी क्षेत्र	12.56	12.20
कुल	**19.77**	**19.19**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	0.48	0.35
निजी क्षेत्र	0.37	0.29
कुल	**0.46**	**0.34**
प्रथम वर्ष (3 =(1+2))		
एलआईसी	8.35	6.87
निजी क्षेत्र	8.74	8.18
कुल	**8.47**	**7.26**
नवीकरण (4)		
एलआईसी	5.31	5.20
निजी क्षेत्र	2.42	2.38
कुल	**4.59**	**4.47**
कुल (5 =(3+4)=(1+2+4))		
एलआईसी	6.31	5.82
निजी क्षेत्र	4.91	4.74
कुल	**5.93**	**5.52**

टिप्पणी : कमीशन व्यय अनुपात कमीशन और जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम के बीच अनुपात है।

प्रथम वर्ष कमीशन 5.00 प्रतिशत बढ़ा (प्रथम वर्ष प्रीमियम वृद्धि 22.53 प्रतिशत) तथा नवीकरण कमीशन में 3.31 प्रतिशत वृद्धि हुई (नवीकरण प्रीमियम वृद्धि 6.20 प्रतिशत)। एकल प्रीमियम में 32.52 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, परंतु एकल प्रीमियम कमीशन में 2.65 प्रतिशत गिरावट रही है। तथापि, निजी बीमाकर्ताओं और एलआईसी के बीच तुलना करने पर स्थिति में कुछ विभिन्नता है, जैसी कि सारणी I.13 में प्रतिबिंबित है जिसमें दोनों निजी और सरकारी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं के लिए कमीशन व्यय का द्विभाजन प्रस्तुत किया गया है।

I.3.15 जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय 2014-15 में 1.61 प्रतिशत घट गये, परंतु 2015-16 में 5.22 प्रतिशत बढ़े। जीवन बीमा व्यवसाय के लिए परिचालन व्यय 2014-15 में ₹36859.16 करोड़ पर रहे और 2015-16 में ₹38783.09 करोड़ तक बढ़े। एलआईसी के परिचालन व्यय 1.32 प्रतिशत बढ़ गये और निजी बीमाकर्ताओं के परिचालन व्ययों में 11.25 प्रतिशत वृद्धि हुई। जीवन बीमा व्यवसाय उद्योग के लिए, परिचालन व्यय अनुपात (जोखिम-अंकित प्रीमियम की तुलना में परिचालन व्ययों का अनुपात)2014-15 के 11.23 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 10.57 प्रतिशत रहा। परिचालन व्यय जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में एलआईसी के लिए 2014-15 के 9.34 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 8.52 प्रतिशत रहे। निजी बीमाकर्ताओं के लिए ये 2014-15 के 16.36 प्रतिशत से 2015-16 में 16.01 प्रतिशत तक कम हो गये।

सारणी I.15
परिचालन व्यय : जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)
एलआईसी	22395.45	22691.83	1.32
निजी क्षेत्र	14463.72	16091.26	11.25
कुल	**36859.16**	**38783.09**	**5.22**

सारणी I.16
परिचालन व्यय अनुपात : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
एलआईसी	9.34	8.52
निजी क्षेत्र	16.36	16.01
कुल	**11.23**	**10.57**

टिप्पणी : परिचालन व्यय अनुपात जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम की तुलना में परिचालन व्ययों का अनुपात है।

अदा किये गये लाभ

I.3.16 जीवन उद्योग ने 2015-16 में ₹201766.10 करोड़ के लाभ अदा किये (2014-15 में ₹210915.03 करोड़) जो जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम का 54.99 प्रतिशत है (2014-15 में 64.28 प्रतिशत)। निजी बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये लाभ ₹60565.05 करोड़ थे (2014-15 में ₹66789.28 करोड़) जो जोखिम-अंकित प्रीमियम का 60.26 प्रतिशत (2014-15 में 75.52 प्रतिशत) है। एलआईसी ने 2015-16 में ₹141201.05 करोड़ के लाभों का भुगतान किया जो जोखिम-अंकित प्रीमियम का 52.99 प्रतिशत (2014-15 में ₹144125.75 करोड़, जोखिम-अंकित प्रीमियम का 60.14 प्रतिशत) है। अभ्यर्पणों / आहरणों के कारण अदा किये गये लाभ ₹80356.75 करोड़ तक कम हो गये, जिनमें से एलआईसी द्वारा किये गये भुगतान ₹37292.24 करोड़ थे और निजी क्षेत्र द्वारा किये गये भुगतान ₹43064.51 करोड़ थे। पिछले वर्ष के तुलनीय आंकड़े ₹100389.24 करोड़ थे जिनमें से एलआईसी के ₹46537.61 करोड़ थे और निजी क्षेत्र के द्वारा ₹53851.96 करोड़ अदा किये गये थे। चालू वर्ष में एलआईसी के मामले में ₹37292.24 करोड़ के अभ्यर्पणों में से यूलिप पॉलिसियों के ₹8960.57 करोड़ (24.03 प्रतिशत) थे जबकि 2014-15 में ₹23224.49 करोड़ (49.90 प्रतिशत) अदा किये गये थे। निजी बीमा उद्योग के मामले में यूलिप अभ्यर्पण 2014-15 के ₹48724.32 करोड़ (90.48 प्रतिशत) की तुलना में 2015-16 में ₹37489.04 करोड़ (87.05 प्रतिशत) थे।

सारणी I.17
2015-16 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावे

(आंकड़े पॉलिसियों के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे	भुगतान किये गये दावे	निराकृत/ अस्वीकृत दावे	प्रति-लिखित दावे	वर्ष के अंत में लंबित दावे	अवधि-वार लंबित दावों का विश्लेषित विवरण (पॉलिसियाँ)			
						< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष
निजी कुल	100.00	91.48	6.67	0.00	1.85	76.24	10.20	3.87	9.68
एलआईसी	100.00	98.33	0.98	0.17	0.51	17.71	20.34	36.82	25.14
उद्योग कुल	**100.00**	**97.43**	**1.73**	**0.15**	**0.69**	**38.25**	**16.78**	**25.25**	**19.71**

वर्ष 2015-16 के लिए मृत्यु दावे

वैयक्तिक जीवन बीमा व्यवसायः

I.3.17 वर्ष 2015-16 में जीवन बीमा कंपनियों ने वैयक्तिक पॉलिसियों पर 8.54 लाख दावों का निपटान किया, जो ₹12,636.66 करोड़ के कुल भुगतान से संबद्ध था। निराकृत / अस्वीकृत दावों की संख्या 15,157 थी जो ₹736.51 करोड़ के लिए थी। वर्ष के अंत में लंबित दावों की संख्या 6,031 थी और संबद्ध राशि ₹444.23 करोड़ थी। इनमें से 1189 दावे एक वर्ष से अधिक समय के लिए लंबित थे तथा 4,842 दावे एक वर्ष से कम और एक वर्ष तक की अवधि के लिए लंबित थे।

I.3.18 एलआईसी का दावा निपटान अनुपात निजी जीवन बीमाकर्ताओं की तुलना में बेहतर था। एलआईसी का निपटान अनुपात पिछले वर्ष के 98.19 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान 98.33 प्रतिशत तक बढ़ा। निराकरणों का प्रतिशत पिछले वर्ष के 1.15 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 0.98 प्रतिशत तक नीचे आया।

I.3.19 निजी बीमाकर्ताओं के लिए निपटान अनुपात में पिछले वर्ष के दौरान स्थित 89.40 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 91.48 प्रतिशत पर 2.08% की वृद्धि हुई। निराकरणों का प्रतिशत पिछले वर्ष के 7.78% की तुलना में वर्ष 2015-16 में 6.67% तक घट गया।

I.3.20 उद्योग के निपटान अनुपात में 2014-15 के 96.97 प्रतिशत से 2015-16 में 97.43 प्रतिशत तक थोड़ी-सी वृद्धि हुई तथा निराकरण अनुपात में 2014-15 के 2.08 प्रतिशत की तुलना में 1.73% तक कमी आई।

सामूहिक जीवन बीमाः

I.3.21 2015-16 के दौरान कुल सूचित किये गये दावे 5,45,337 थे, जबकि वर्ष के प्रारंभ में 14,388 दावे लंबित थे। इनमें से, जीवन

सारणी I.18
2015-16 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक मृत्यु दावे

(आँकड़े रक्षित जीवनों के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे	भुगतान किये गये दावे	निराकृत/ अस्वीकृत दावे	प्रति-लिखित दावे	वर्ष के अंत में लंबित दावे	अवधि-वार लंबित दावों का विश्लेषित विवरण (जीवन)			
						< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष
निजी कुल	100.00	94.65	0.93	0.00	4.42	4.10	0.69	0.36	94.85
एलआईसी	100.00	99.69	0.04	0.00	0.27	18.24	7.14	10.64	63.98
उद्योग कुल	**100.00**	**96.94**	**0.53**	**0.00**	**2.53**	**4.77**	**1.00**	**0.85**	**93.38**

चार्ट I.9: लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण-वैयक्तिक पॉलिसियाँ

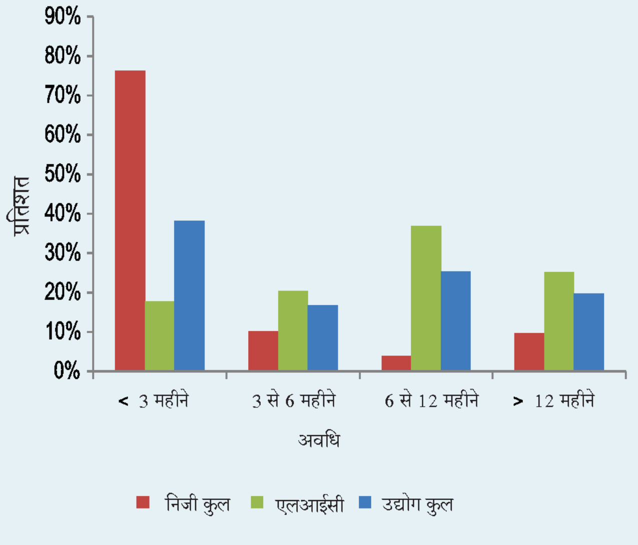

चार्ट I.10: लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण-सामूहिक पॉलिसियाँ

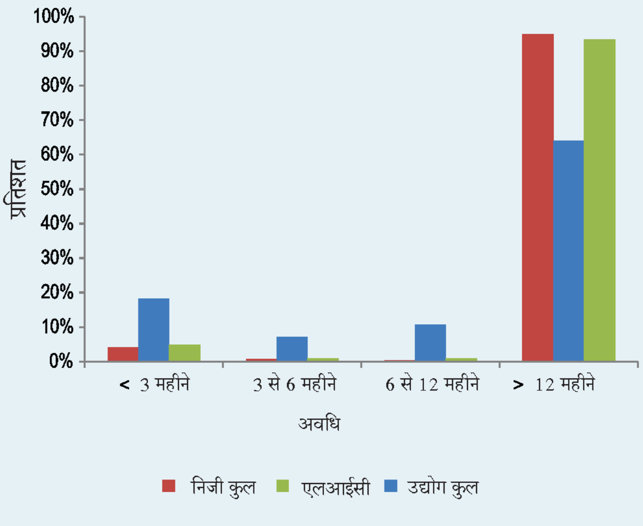

बीमा उद्योग ने कुल 5,28,638 दावों का (कुल दावों का 96.94%) निपटान किया था। निपटाये गये दवों में से 96.28% दावों का निपटान सूचना प्राप्त होने से 30 दिन के अंदर किया गया। 0.01% दावों के निपटान के लिए सूचना मिलने के बाद एक वर्ष से अधिक समय लगा।

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के संबंध में एक वर्ष से अधिक लंबित सामूहिक मृत्यु दावे (12414) 31.03.2016 को कुल जीवन उद्योग के एक वर्ष से अधिक लंबित दावों (12900) का 96.23 प्रतिशत बनते हैं। फ्यूचर जनराली के लंबित दावों को छोड़कर एकसाथ अन्य सभी बीमाकर्ताओं के लंबित दावे 486 हैं। फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 12414 लंबित सामूहिक मृत्यु दावों में से 12371 मुकदमों (लिटिगेशन) के अधीन हैं और निर्णयाधीन हैं।

I.3.22 जबकि एलआईसी ने दावों के 99.69 का निपटान किया, निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने सभी दावों के 94.65 प्रतिशत का भुगतान किया। उद्योग ने 0.53 प्रतिशत दावों को निराकृत किया, शून्य प्रतिशत दावों का प्रतिलेखन किया और शेष 2.53 प्रतिशत दावे 31.3.2016 को लंबित थे।

निवेश आय

I.3.23 एलआईसी के मामले में पूँजीगत अभिलाभों सहित निवेश आय ₹157961.30 करोड़ (2014-15 में ₹168063.58 करोड़) थी। निजी बीमा उद्योग के मामले में पूँजीगत अभिलाभों सहित निवेश आय 2015-16 में ₹13078.73 करोड़ (2014-15 में ₹78650.52 करोड़) थी।

प्रतिधारण अनुपात

I.3.24 2015-16 कै दौरान, एलआईसी द्वारा पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में ₹218.82 करोड़ की राशि अध्यर्पित की गई (2014-15 में ₹184.88 करोड़) थी। निजी बीमाकर्ताओं ने कुल मिलाकर पुनर्बीमा के प्रति प्रीमियम के रूप में ₹1284.32 करोड़ (2014-15 में ₹991.92 करोड़) अध्यर्पित किये।

जीवन बीमाकर्ताओं के लाभ

I.3.25 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, जीवन बीमा उद्योग ने 2014-15 के ₹7611.31 करोड़ की तुलना में कर के बाद ₹7414.97 करोड़ का लाभ सूचित किया। 2015-16 के दौरान

परिचालन में लगे हुए चौबीस जीवन बीमाकर्ताओं में से उन्नीस कंपनियों ने लाभ सूचित किये। वे हैं अवीवा लाइफ, बजाज अलायंज़, बिड़ला सनलाइफ, केनरा एचएसबीसी, डीएचएफएल प्रामेरिका, एक्साइड लाइफ, एचडीएफसी स्टैंडर्ड, आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल, आईडीबीआई फेडरल, इंडिया फर्स्ट, कोटक महिन्द्रा, मैक्स लाइफ, पीएनबी मेटलाइफ, सहारा इंडिया, एसबीआई लाइफ, श्रीराम लाइफ, स्टार यूनियन, टाटा एआईए और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने कर के बाद ₹2517.85 करोड़ का लाभ अर्थात 2014-15 के ₹1823.78 करोड़ की तुलना में 38.06 प्रतिशत वृद्धि सूचित की।

शेयरधारकों को प्रतिलाभ

I.3.26 वर्ष 2015-16 के लिए एलआईसी ने भारत सरकार को लाभांशों के रूप में ₹2497.03 करोड़ (2014-15 में ₹1803.05 करोड़) अदा किये। चार निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान लाभांशों का भुगतान किया। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ ने ₹179.54 करोड़ अदा किये (2014-15 में ₹139.64 करोड़), आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल ने ₹1202.99 करोड़ अदा किये (2014-15 में ₹836.83 करोड़), मैक्स लाइफ ने ₹364.57 करोड़ अदा किये (2014-15 में ₹199.63 करोड़), तथा एसबीआई लाइफ ने ₹120 करोड़ (2014-15 में ₹120 करोड़) का भुगतान किया।

सारणी I.19
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये लाभांश
(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
एलआईसी	1803	2497
निजी क्षेत्र*	1431	1867
कुल	**3234**	**4364**

** 2014-15 में 7 जीवन बीमाकर्ता और 2015-16 में5 जीवन बीमाकर्ता*

कार्यालयों का विस्तार

I.3.27 जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या की घटती हुई प्रवृत्ति (जो 2012-13 तक जारी रही थी) 2013-14 से उलट गई थी और पिछले वर्ष की 11033 की तुलना में 2015-16 में 11071 पर वृद्धि दर्शाती है।

I.3.28 यह पाया गया है कि जीवन बीमाकर्ताओं के अधिकांश कार्यालय अर्ध-शहरी कस्बों में स्थित हैं जहाँ की जनसंख्या 10,000 से 99,000 के बीच है। जीवन बीमा कार्यालयों का लगभग 49% इन छोटे शहरों में स्थित हैं। यह तथ्य दोनों निजी क्षेत्र (38.4% कार्यालय अर्ध-शहरी कस्बों में हैं) और सरकारी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं (61.5% कार्यालय अर्ध-शहरी कस्बों में हैं) के लिए एकसमान है। अर्ध-शहरी कस्बों के बाद अधिकांश जीवन बीमा कार्यालय अर्थात 31.8% कार्यालय शहरी क्षेत्रों में हैं जहाँ की जनसंख्या 1,00,000 से 9,99,990 के बीच में है। यह दोनों निजी क्षेत्र (35.2% कार्यालय शहरों में हैं) और सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं (27.6% कार्यालय शहरों में हैं) के लिए लागू है।

सारणी I.20
जीवन कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च की स्थिति)

बीमा कर्ता	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
निजी	3072	6391	8785	8768	8175	7712	6759	6193	6156	6179
एलआईसी	2301	2522	3030	3250	3371	3455	3526	4839	4877	4892
उद्योग	**5373**	**8913**	**11815**	**12018**	**11546**	**11167**	**10285**	**11032**	**11033**	**11071**

टिप्पणी: 1) बीमाकर्ताओं से एक विशेष विवरणी द्वारा डेटा संगृहीत।
2) कार्यालय बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीसी के अंतर्गत यथापरिभाषित।
3) 2001-2007,के लिए इसी प्रकार के डेटा के लिए आईआरडीए वार्षिक रिपोर्ट 2007-08 देखें।

सारणी I.21ए
जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण जीवन कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च 2016 को)

बीमाकर्ता	महानगर	शहरी	अर्ध-शहरी	ग्रामीण	कुल
निजी क्षेत्र	1287	2176	2372	344	6179
एलआईसी	380	1349	3009	154	4892
उद्योग	**1667**	**3525**	**5381**	**498**	**11071**

****स्थानों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:*
महानगर: 10,00,000 और उससे अधिक *शहरी: 1,00,000 से 9,99,999 तक*
अर्ध-शहरी: 10,000 से 99,999 तक *ग्रामीण: जनसंख्या 9999 तक*

सारणी I.21बी
जीवन कार्यालयों की संख्या - 31 मार्च 2016 को स्तर-वार

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष	स्तर	स्तर	स्तर	स्तर	स्तर	स्तर	कुल
एलआईसी	2015	1704	569	1186	1265	75	78	4877
	2016	1729	569	1219	1221	81	73	4892
निजी क्षेत्र	2015	4636	798	507	137	53	25	6156
	2016	4746	836	426	112	29	30	6179
कुल	**2015**	**6340**	**1367**	**1693**	**1402**	**128**	**103**	**11033**
	2016	**6475**	**1405**	**1645**	**1333**	**110**	**103**	**11071**

टिप्पणी :
स्तर - जनसंख्या 1,00,000 ऊपर *स्तर - जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक*
स्तर -जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक *स्तर - जनसंख्या 5,000 से 9,999 तक*
स्तर - जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक *स्तर - जनसंख्या 5,000 से कम*

जीवन कार्यालयों की जिला-स्तरीय उपस्थिति:

I.3.29 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के एकमात्र जीवन बीमाकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कार्यालय देश में 640 जिलों में से 606 जिलों में हैं (दशवार्षिक जनगणना 2011 के अनुसार)। इस स्थिति के होते हुए इसने देश में सभी जिलों के 94.69 प्रतिशत को समाविष्ट किया है, जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के पास 554 जिलों में कार्यालय हैं जिनके साथ वे देश में सभी जिलों के 86.56 प्रतिशत को समाविष्ट करते हैं। कुल मिलाकर दोनों एलआईसी और निजी क्षेत्र मिलकर देश में सभी जिलों के 95.31 प्रतिशत को सम्मिलित किया है। देश में जीवन बीमा कार्यालयों की उपस्थिति से रहित जिलों की संख्या 30 है। इनमें से, 23 जिले उत्तर-पूर्वी राज्यों में से छह राज्यों के हैं अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम। 23 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों (देश में कुल 36 राज्यों/ / संघराज्य क्षेत्रों में से) में सभी जिले जीवन बीमा कार्यालयों द्वारा शामिल किये गये हैं।

चार्ट I.11: जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या

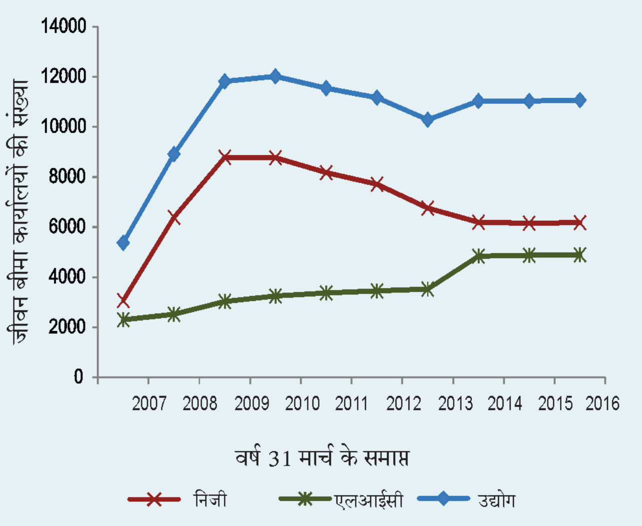

चार्ट I.12: कार्यालयों का भौगोलिक विभाजन-निजी क्षेत्र

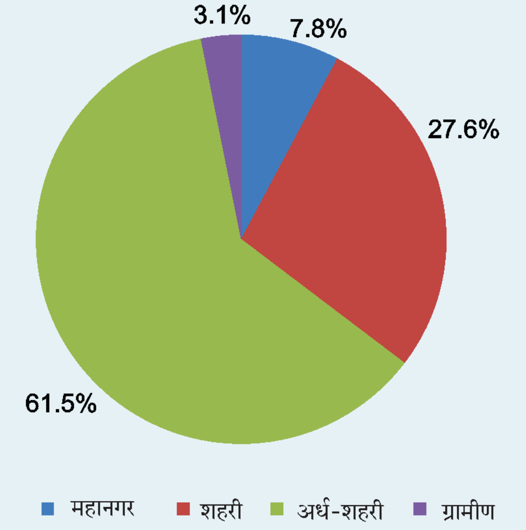

चार्ट I.13: कार्यालयों का भौगोलिक वितरण-एलआईसी

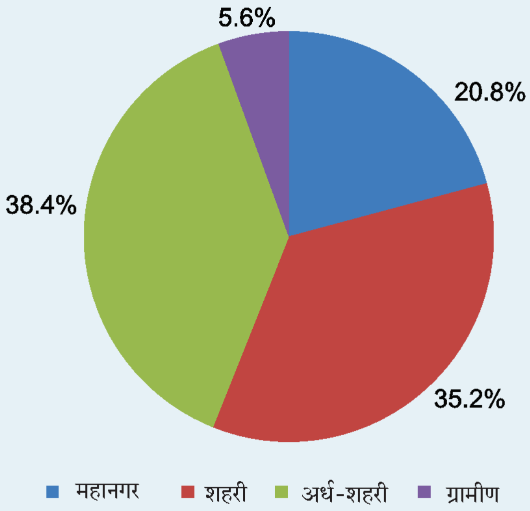

चार्ट I.14: कार्यालयों का भौगोलिक वितरण-उद्योग

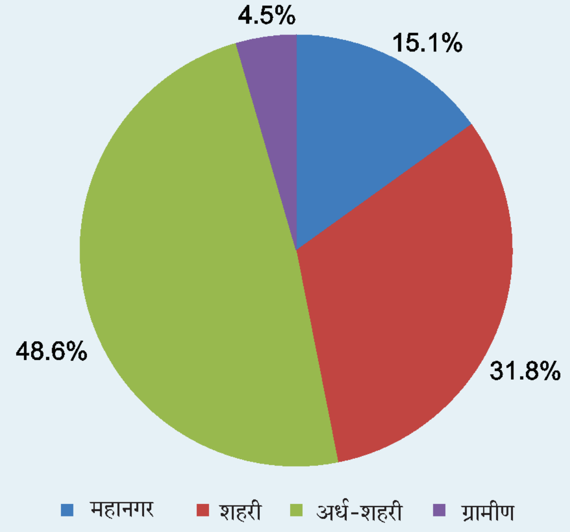

गैर-जीवन बीमा

प्रीमियम

I.3.30 गैर-जीवन बीमा उद्योग ने भारत में 2014-15 के ₹84686 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 में ₹96379 करोड़ के कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया और इस प्रकार पिछले वर्ष में दर्ज 9.20 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 13.81 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की 10.24 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 12.08 प्रतिशत पर 2015-16 में वृद्धि प्रदर्शित की। निजी साधारण बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 9.62 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले 13.12 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की।

I.3.31 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की 31.07 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 41.12 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की 12.7 प्रतिशत की अव-वृद्धि (डी-ग्रोथ) की तुलना में 18.04 की वृद्धि दर दर्ज की।

I.3.32 2015-16 में 23 निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं द्वारा (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) जोखिम-अंकित प्रीमियम 2014-15 के ₹38,033 करोड़ की तुलना में ₹43847 करोड़ था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लगातार निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी

सारणी I.22
गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के अंदर)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	42551 (10.24)	47691 (12.08)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	35090 (9.62)	39694 (13.12)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	2943 (31.07)	4153 (41.12)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	4102 (-12.7)	4842 (18.04)
कुल	**84686 (9.20)**	**96380 (13.81)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि निर्दिष्ट करते हैं।

चार्ट I.15 भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय: गैर-जीवन बीमाकर्ता

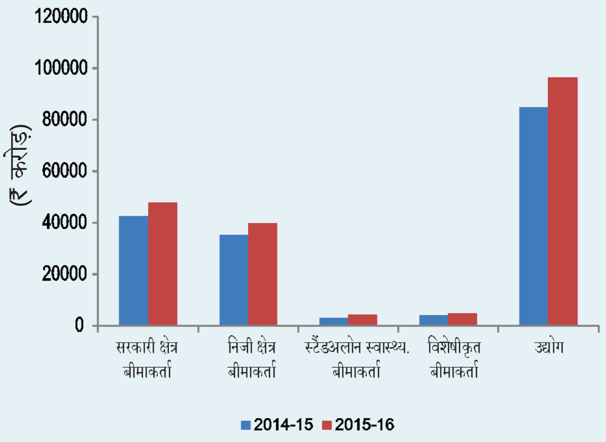

गैर-जीवन बीमा कंपनी के रूप में अपना स्थान जारी रखा, जिसका बाजार अंश पिछले वर्ष के 7.89 प्रतिशत के बाजार अंश के मुकाबले चालू वर्ष में 8.39 प्रतिशत रहा। बजाज अलायंज़ निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा कंपनी है, जिसने ₹5,832 करोड़ के कुल प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया, 2014-15 के 6.18 प्रतिशत के बाजार अंश में समीक्षाधान वर्ष में 6.05 प्रतिशत तक कमी सूचित की। वर्ष 2015-16 मंप परिचालन में लगे हुए 23 निजी बीमाकर्ताओं में से 21 बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2015-16 के लिए जोखिम-अंकित प्रीमियम में वृद्धि की सूचना दी। भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वर्ष 2015-16 के लिए जोखिम-अंकित प्रीमियम में कमी सूचित की।

I.3.33 सरकारी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में सभी चार कंपनियों ने प्रीमियम संग्रहणों के संबंध में वृद्धि के साथ अपने व्यवसाय का विस्तार किया। तथापि, सरकारी क्षेत्र के दो बीमाकर्ताओं का बाजार अंश पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ। ओरियन्टल का बाजार अंश पिछले वर्ष के 8.75 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 8.63 प्रतिशत हुआ तथा नेशनल इंश्योरेंस का बाजार अंश पिछले वर्ष के 13.27 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 12.43 प्रतिशत तक कम हुआ। तथापि, न्यू इंडिया का बाजार अंश पिछले वर्ष के 15.60 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 15.72 प्रतिशत हो गया तथा युनाइटेड इंडिया के बाजार अंश में पिछले वर्ष के 12.63 प्रतिशत से 2015-16 में 12.71 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। न्यू इंडिया, जिसने ₹15150 करोड़ के प्रत्यक्ष प्रीमियम का संग्रहण किया, एक बार पुनः भारत में सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी रही।

खंड-वार प्रीमियम

I.3.34 मोटर व्यवसाय सबसे बड़े गैर-जीवन बीमा खंड के रूप में जारी रहा जिसका अंश 43.89 प्रतिशत (2014-15 में 44.14 प्रतिशत) था। इसने 13.17 प्रतिशत की वृद्धि दर सूचित की ((2014-15 में 10.52 प्रतिशत)। स्वास्थ्य खंड में प्रीमियम संग्रहण लगातार उत्थान पर था जो 2014-15 के ₹22,636 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹27,457 करोड़ पर अग्रसर रहा और इसने 21.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तथापि, स्वास्थ्य खंड का बाजार अंश पिछले वर्ष के 26.73 प्रतिशत से बढ़कर 28.49 प्रतिशत हुआ। अग्नि (फायर) से प्रीमियम संग्रहण 8.35 प्रतिशत बढ़ा, तथा मरीन खंडों के लिए यह 2015-16 में 1.19 प्रतिशत घटा जबकि पिछले वर्ष के लिए फायर और मरीन खंडों में वृद्धि दर क्रमशः 9.44 प्रतिशत और -4.49 प्रतिशत थीं।

सारणी I.23
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय गैर-जीवन बीमाकर्ता कंपनी-वार

(₹ लाख)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम		बाजार अंश (%)	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता				
नेशनल	1124189	1197607	13.27	12.43
न्यू इंडिया	1320939	1514951	15.60	15.72
ओरियन्टल	740796	831474	8.75	8.63
युनाइटेड	1069173	1225036	12.63	12.71
उप-जोड़	**4255097**	**4769068**	**50.25**	**49.49**
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता				
रॉयल सुंदरम	156920	169412	1.85	1.76
रिलायंस	271584	279156	3.21	2.90
इफ़्को टोकियो	332997	369133	3.93	3.83
टाटा एआईजी	271414	295856	3.20	3.07
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	667780	809071	7.89	8.39
बजाज अलायंज़	522985	583215	6.18	6.05
चोलामंडलम	189043	245200	2.23	2.54
कोटक महिन्द्रा	--	371	--	0.00
एचडीएफसी एग्रो	318221	337955	3.76	3.51
फ्यूचर जनराली	143825	155526	1.70	1.61
यूनिवर्सल सोम्पो	70111	90379	0.83	0.94
श्रीराम	149652	171227	1.77	1.78
भारती अक्सा	145707	127441	1.72	1.32
रहेजा क्यूबीई	2163	2876	0.03	0.03
एसबीआई	157690	203985	1.86	2.12
एल एण्ड टी	33171	47339	0.39	0.49
मैगमा एचडीआई	47360	40394	0.56	0.42
लिबर्टी वीडियोकॉन	28386	40872	0.34	0.42
उफ-जोड़	**3509009**	**3969407**	**41.44**	**41.18**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता				
अपोलो म्यूनिख	80313	102218	0.95	1.06
सिगना टीटीके	2183	14382	0.03	0.15
मैक्स बूपा	37266	47601	0.44	0.49
रेलिगेर	27580	50332	0.33	0.52
स्टार हेल्थ	146919	200734	1.73	2.08
उप-जोड़	294261	415267	3.47	4.31
विशेषीकृत बीमाकर्ता				
ईसीजीसी	136240	132073	1.61	1.37
एआईसी	273970	352122	3.24	3.65
उप-जोड़	410210	484195	4.84	5.02
कुल जोड़	**8468577**	**9637937**	**100.00**	**100.00**

चार्ट I.16 गैर-जीव बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम - 5 वर्ष

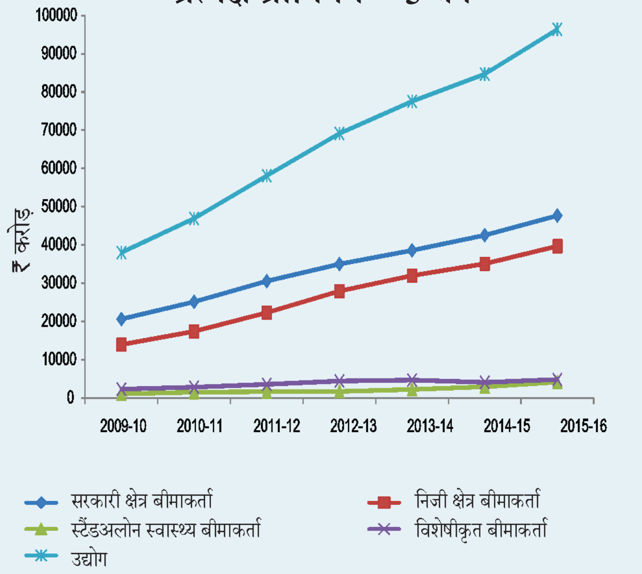

सारणी I.24
गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर) - खंड-वार

(₹ करोड़)

विभाग	2014-15	2015-16
फायर	8058 (9.51)	8731 (9.06)
मरीन	3020 (3.57)	2984 (3.10)
मोटर	37379 (44.14)	42301 (43.89)
स्वास्थ्य	22636 (26.73)	27457 (28.49)
अन्य	13593 (16.05)	14905 (15.47)
कुल प्रीमियम	**84686**	**96379**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में आंकड़े संबंधित खंड का अनुपात (प्रतिशत में) निर्दिष्ट करते हैं।
2. उपर्युक्त आंकड़ों में विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का प्रीमियम शामिल है।
3. स्वास्थ्य बीमा में यात्रा और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा शामिल है।

चार्ट I.17

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित (भारत के अंदर) प्रीमियम खंड-वार

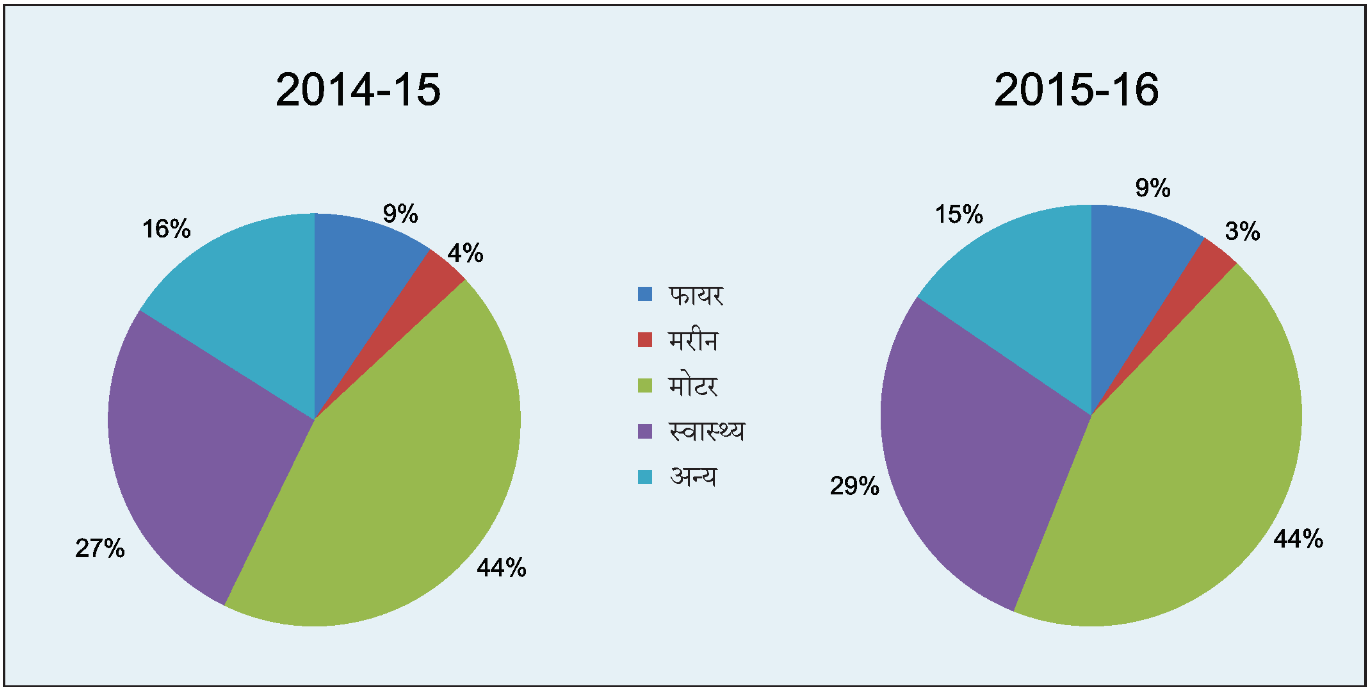

भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम

I.3.35 सरकारी क्षेत्र के सभी बीमाकर्ता (युनाइटेड इंडिया को छोड़कर) भारत के बाहर गैर-जीवन बीमा का जोखिम-अंकन कर रहे हैं। युनाइटेड इंडिया ने 2003-04 में भारत के बाहर परिचालन समाप्त किये थे। सरकारी क्षेत्र के तीन बीमाकर्ताओं द्वारा देश के बाहर जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम 2014-15 के ₹2,466 करोड़ के मुकाबले 2015-16 में ₹2,954 करोड़ पर रहा जिसने पिछले वर्ष के 3.61 प्रतिशत की तुलना में 19.79 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम का 3.06 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष में यह 2.91 प्रतिशत था।

I.3.36 भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम के तौर पर न्यू इंडिया लगातार सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता रहा। 2015-16 में उक्त बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम विदेशी प्रीमियम का 14.71 प्रतिशत (2014-15 में 14.67%) था। ओरियन्टल के मामले में यह 2015-16 में 3.45 प्रतिशत (2014-15 में 2.12%) है। नेशनल इंश्योरेंस 2015-16 में 0.36 प्रतिशत पर लगातार विदेशी व्यवसाय का एक छोटा घटक अपने पास रखा (2014-15 में 0.37 प्रतिशत सूचित)।

I.3.37 2015-16 में भारत के बाहर जोखिम-अंकित ₹2954 करोड़ के कुल प्रीमियम में से न्यू इंडिया ने ₹2614 करोड़ के उच्चतर प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया (2014-15 में ₹2271 करोड़)। सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं के कुल भारत के बाहर प्रीमियम में इसका बाजार अंश 2014-15 के 92.10 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 88.50 प्रतिशत हो गया। नेशनल इंश्योरेंस ने 2015-16 में ₹43 करोड़ के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया (2014-15 में ₹41 करोड़)। भारत के बाहर ओरियन्टल इंश्योरेंस द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम ₹297 करोड़ पर था जो पिछले वर्ष के ₹154 करोड़ की तुलना में उच्चतर रहा और इस प्रकार इसने 92.79 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।

सारणी I.25
कुल प्रीमियम की तुलना में भारत के बाहर प्रीमियम का अनुपात

(प्रतिशत)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
नेशनल	0.36	0.36
न्यू इंडिया	14.67	14.71
ओरियन्टल	2.04	3.45
युनाइटेड	0.00	0.00

सारणी I.26
भारत के बाहर व्यवसाय से जीडीपी

(₹ लाख)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
नेशनल	4073 (6.90)	4291 (5.34)
न्यू इंडिया	227095 (3.81)	261380 (15.10)
ओरियन्टल	15398 -(0.47)	29685 (92.79)
युनाइटेड	0	0
कुल	**246566**	**295356**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत निर्दिष्ट करते हैं।

जारी की गई पॉलिसियों की संख्याः

I.3.38 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य निजी और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2014-15 में जोखिम-अंकित 1182.79 लाख पॉलिसियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1220.76 लाख पॉलिसियों का जोखिम-अंकन किया और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 के मुकाबले 3.21 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में एक सीमांत कमी देखी। उन्होंने जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में वित्तीय वर्ष 2014-15 में की गई 12.95 की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 0.96 प्रतिशत कमी सूचित की। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में 8.84 प्रतिशत की वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2014-15 में 18.96 प्रतिशत) सूचित की।

सारणी I.27
जारी की गई पॉलिसियों की संख्या
गैर-जीवन बीमाकर्ता*

(₹ लाख में)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र	677.82 (12.95)	671.32 (-0.96)
निजी क्षेत्र	504.97 (18.96)	549.44 (8.84)
कुल	**1182.79 (15.44)**	**1220.76 (3.21)**

**स्टैंडअलोन स्वास्थ्य निजी और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर*
टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) निर्दिष्ट करते हैं।

चुकता पूँजी

I.3.39 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की चुकता पूँजी ₹11,504 करोड़ थी। 2015-16 के दौरान, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने अपनी ईक्विटी पूँजी के आधार में ₹1099 करोड़ जोड़ दिये। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने पूँजी नहीं जोड़ी, जबकि विशेषीकृत संस्था ईसीजीसी ने ₹100 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी प्रदान की। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने ₹694 करोड़ की सीमा तक अतिरिक्त पूँजी शामिल की। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने ₹305 करोड़ की पूँजी जोड़ दी। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कुल चुकता पूँजी ₹12603 करोड़ है।

अन्य प्रकार की पूँजी

I.3.40 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 6ए(1)(i) के अधीन दी गई शक्ति के अनुसरण में तथा बीमा अधिनियम की धारा 114ए और आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2016 अधिसूचित किये।

सारणी I.28
चुकता पूँजी : गैर-जीवन बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता*
(₹ करोड़)

	2014-15	2015-2016
गैर-जीवन		
सरकारी क्षेत्र	650	650
निजी क्षेत्र	6972	7666
विशेषीकृत संस्थाएँ		
ईसीजीसी	1200	1300
एआईसी	200	200
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
स्टार हेल्थ	362	387
अपोलो म्यूनिख	349	357
मैक्स बूपा	791	898
रेलिगेर हेल्थ	350	475
सिगना टीटीके	200	240
पुनर्बीमाकर्ता		
जीआईसी	430	430
कुल	**11504**	**12603**

*टिप्पणीः *इसमें शेयर प्रीमियम और शेयर आवेदन राशि शामिल नहीं है।*

जोखिम-अंकन अनुभव

I.3.41 गैर-जीवन बीमा कंपनियों की जोखिम-अंकन हानियाँ पिछले वर्ष के ₹10576 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹14962 हो गईं। जोखिम-अंकन हानियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 41.47 प्रतिशत बढ़ीं। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की हानियाँ 2014-15 के ₹7019 करोड़ से 54.42 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹10839 करोड़ हुईं। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की हानियाँ 2014-15 के ₹2495 करोड़ से 2015-16 में ₹3662 तक बढ़ीं। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता की जोखिम-अंकन हानियाँ 2014-15 के ₹611 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹273 करोड़ रहीं। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने 2015-16 में जोखिम-अंकन हानियों में उल्लेखनीय कमी सूचित की जो 2014-15 के ₹450 करोड़ की जोखिम-अंकन हानि की तुलना में ₹188 करोड़ है।

(टिप्पणी: पिछले वर्ष के आँकड़े मे परिवर्तन का कारण रक्षित प्रिमीयम का अभाव है।)

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के व्यय

I.3.42 सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के

सारणी I.29
जोखिम-अंकन अनुभव : गैर-जीवन बीमाकर्ता
(₹ करोड़)

	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	-7019 (-18.25)	-10839 (-25.33)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	-2495 (-10.23)	-3662 (-13.49)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-611 (-28.40)	-273 (-8.98)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	-450 (-17.20)	-188 (-6.62)
कुल	**-10576 (-15.64)**	**-14962 (-19.73)**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन लाभ/हानि का अनुपात निर्दिष्ट करते हैं।
(जोखिम-अंकन लाभ/हानि= अर्जित प्रीमियम (निवल)-उपगत दावा (निवल)-कमीशन-बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय-प्रीमियम कमी)

कमीशन व्यय 2015-16 के लिए क्रमशः ₹3343 करोड़, ₹1983 करोड़, ₹457 करोड़ और ₹28 करोड़ रहे, और संचयी तौर पर गैर-जीवन उद्योग के लिए कुल कमीशन व्यय ₹5811 करोड़ रहे। कमीशन व्यय लगातार स्वास्थ्य खंड के लिए अधिकतम रहे, जो ₹2168 करोड़ थे जिनमें सरकारी क्षेत्र के लिए ₹1114 करोड़, निजी क्षेत्र कंपनियों के लिए ₹597 करोड़, और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए ₹457 करोड़ थे।

I.3.43 कुल व्ययों में से एक बड़ा भाग कमीशन व्ययों और परिचालन व्ययों का है। गैर-जीवन बीमा कंपनियों के परिचालन व्यय 2014-15 के ₹20206 करोड़ की तुलना में 2015-16 में ₹23230 करोड़ थे, जो 14.97 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाते हैं। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, निजी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के परिचालन व्ययों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 12.11 प्रतिशत, 19.84 प्रतिशत, 14.22 प्रतिशत और 0.73 प्रतिशत वृद्धि हुई।

I.3.44 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 40बी और 40सी के अंतर्गत दी गई शक्ति के अनुसरण में तथा बीमा अधिनियम की धारा 114ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (साधारण और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2016

सारणी I.30
कमीशन व्यय-गैर-जीवन बीमाकर्ता (सकल प्रत्यक्ष कमीशन)

(₹ करोड़)

खंड	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
फायर	192.14	223.91	568.04	602.07	0.00	0.00	0.00	0.00	760.18	825.98
मरीन	99.16	104.35	169.37	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	268.53	245.41
मोटर	716.53	789.16	870.95	983.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1587.48	1773.04
स्वास्थ्य	526.02	597.05	1000.52	1113.87	311.98	456.78	0.00	0.00	1838.52	2167.70
अन्य	226.87	268.74	496.23	501.94	0.00	0.00	34.19	27.97	757.29	798.65
कुल	**1760.72**	**1983.21**	**3105.11**	**3342.82**	**311.98**	**456.78**	**34.19**	**27.97**	**5212.00**	**5810.78**

जारी किये हैं। उपर्युक्त विनियमों में बीमाकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए यह विकल्प उपलब्ध कराया है कि वे या तो बीमा नियम, 1939 के पहले के नियम 17ई का पालन करें या इन विनियमों का अनुसरण करें।

I.3.45 प्राधिकरण ने 23 निजी बीमाकर्ताओं को उनके परिचालनों के प्रथम पाँच वर्षों में नियम 17ई के अंतर्गत सीमाओं के संबंध में छूट प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 6 निजी बीमाकर्ता छूट की अवधि के अधीन हैं। पाँच वित्तीय वर्षों की उक्त अवधि प्रथम आंशिक वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त होगी।

सारणी I.31
परिचालन व्यय : गैर-जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	11181	12535
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	7527	9020
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	1224	1398
विशेषीकृत बीमाकर्ता	275	277
कुल	**20206**	**23230**

उपगत दावा अनुपात

I.3.46 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे 2014-15 के ₹55232 करोड़ के मुकाबले 2015-16 में ₹64495 करोड़ रहे। 2015-16 के दौरान उपगत दावों ने 16.77 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने उपगत दावों में क्रमशः 20.71 प्रतिशत, 12.01 प्रतिशत, 32.41 प्रतिशत और (-)1.40 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की। 2015-16 के दौरान उपगत दावा अनुपात में समग्र वृद्धि 16.77 प्रतिशत पर थी जो पिछले वर्ष में दर्ज 12.31 प्रतिशत से उच्चतर थी।

I.3.47 गैर-जीवन बीमा उद्योग का उपगत दावा अनुपात (निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावे) 2015-16 के दौरान 85.05 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष के 81.70 प्रतिशत के आंकड़े से उच्चतर है। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए उपगत दावा अनुपात वर्ष 2015-16 के लिए 89.03 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष के 82.09 प्रतिशत के उपगत दावा अनुपात से बढ़ा था। जबकि निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए वर्ष 2015-16 के लिए उपगत दावा अनुपात क्रमशः 80.17 प्रतिशत, 58.20 प्रतिशत और 100.54 प्रतिशत था, जबकि तुलनीय रूप में पिछले वर्ष का अनुपात क्रमशः 79.69 प्रतिशत, 62.18 प्रतिशत और 110.68 प्रतिशत था।

I.3.48 विभिन्न खंडों के बीच स्वास्थ्य बीमा और मोटर बीमा का दावा अनुपात उच्च रहा जो क्रमशः 98.43 प्रतिशत और 81.18 प्रतिशत था। मोटर खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 77.14 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 81.18 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, अन्य खंडों का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 73.91 प्रतिशत से बढ़कर 75.94 प्रतिशत हो गया है। फिर भी, फायर खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 73.78 प्रतिशत की तुलना में 74.47 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

सारणी I.32
निवल उपगत दावे: गैर-जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	31567.75 (13.48)	38104.27 (20.71)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	19430.46 (8.71)	21764.44 (12.01)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	1336.62 (31.55)	1769.76 (32.41)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	2897.21 (17.27)	2856.56 (-1.40)
कुल योग	**55232.04 (12.31)**	**64495.03 (16.77)**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

निवेश आयः गैर-जीवन बीमाकर्ता

I.3.49 2015-16 के दौरान सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय ₹19090 करोड़ थी (2014-15 में ₹16607 करोड़ थी) जिसने पिछले वर्ष के 16.44 प्रतिशत के मुकाबले 14.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय उल्लेखनीय रूप में 35.90 प्रतिशत बढ़ी है तथा निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने क्रमशः 19.27 प्रतिशत और 8.28 प्रतिशत की वृद्धि की है। दूसरी ओर, सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए निवेश आय ने 13.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई थी।

सारणी I.34
गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र	10725.02 (14.17)	12147.41 (13.26)
निजी क्षेत्र	4770.95 (21.60)	5690.17 (19.27)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	178.56 (34.98)	242.67 (35.90)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	932.75 (14.77)	1009.98 (8.28)
कुल जोड़	**16607 (16.44)**	**19090 (14.95)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि दर (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

सारणी I.33
उपगत दावा अनुपात : गैर-जीवन बीमाकर्ता

(प्रतिशत में)

खंड	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
फायर	75.21	76.03	66.19	66.31	--	--	--	--	73.78	74.47
मरीन	57.80	63.66	87.38	85.90	--	--	--	--	67.44	72.05
मोटर	72.38	79.83	81.91	82.54	--	--	--	--	77.14	81.18
स्वास्थ्य*	109.97	115.45	79.17	74.59	62.18	58.21	--	--	96.93	98.43
अन्य	55.97	59.24	60.61	75.11	--	--	110.68	100.54	73.91	75.94
कुल	**82.09**	**89.03**	**79.69**	**80.17**	**62.18**	**58.21**	**110.68**	**100.54**	**81.70**	**85.05**

**: स्वास्थ्य बीमा में यात्रा और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा शामिल है।*

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के निवल लाभ

I.3.50 वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-जीवन बीमा उद्योग का कुल निवल लाभ 2014-15 के ₹4639 करोड़ की तुलना में ₹3238 करोड़ था। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने ₹1499 करोड़ के निवल लाभ की सूचना दी। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने ₹1333 करोड़ का निवल लाभ सूचित किया और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने ₹583 करोड़ के निवल लाभ की सूचना दी जबकि स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने ₹177 करोड़ की निवल हानि सूचित की।

I.3.51 सरकारी क्षेत्र के सभी चार बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2015-16 के दौरान निवल लाभ सूचित किये। न्यू इंडिया ने 2014-15 के ₹1431 करोड़ के लाभ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹829 करोड़ का निवल लाभ सूचित किया और इस प्रकार 42.07% की कमी हुई। नेशनल के निवल लाभ में वर्ष 2014-15 के ₹970 करोड़ से ₹149 करोड़ तक कमी आई, ओरियन्टल ने 2014-15 के ₹392 करोड़ के मुकाबले 2015-16 के दौरान ₹300 करोड़ का निवल लाभ सूचित किया और इस प्रकार 23.47% की कमी आई। युनाइटेड इंडिया ने 2014-15 के ₹301 करोड़ की तुलना में 2015-16 के दौरान ₹221 करोड़ के निवल लाभ की सूचना दी।

I.3.52 2015-16 के दौरान अठारह निजी साधारण बीमा कंपनियों के बीच जबकि बारह कंपनियों ने निवल लाभों की सूचना दी, शेष छह कंपनियों ने निवल हानियाँ उठाईं। वर्ष 2015-16 के दौरान बजाज अलायंज़ का निवल लाभ वर्ष 2014-15 के ₹562 करोड़ के निवल लाभ के मुकाबले ₹564 करोड़ था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का निवल लाभ ₹536 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹507 करोड़ था। जिन सात बीमाकर्ताओं ने निवल हानियों की सूचना दी वे थे भारती अक्सा, फ्यूचर जनराली, एलएण्डटी जनरल, मैगमा एचडीआई, कोटक महिन्द्रा, लिबर्टी वीडियोकॉन और एसबीआई जनरल। वर्ष 2014-15 के समान ही, अपोलो म्यूनिख को छोड़कर सभी स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2015-16 के दौरान निवल हानियाँ सूचित कीं। अपोलो म्यूनिख ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹7.46 करोड़ का निवल लाभ सूचित किया। दोनों विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2015-16 के दौरान निवल लाभ की सूचना दी।

सारणी I.35
गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का निवल लाभ

(₹ लाख)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र	309399	149900
निजी क्षेत्र	164351	133324
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-44651	-17692
विशेषीकृत बीमाकर्ता	34814	58316
कुल जोड़	**463913**	**323848**

शेयरधारकों को प्रतिलाभ

I.3.53 सरकारी क्षेत्र की चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों में न्यू इंडिया ने वर्ष 2014-15 में अदा किये गये ₹300 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 के दौरान ₹250 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया। नेशनल इंश्योरेंस ने वर्ष 2014-15 के दौरान दिये ₹194 करोड़ के लाभांशों के मुकाबले वर्ष 2015-16 के दौरान ₹45 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया। ओरियन्टल इंश्योरेंस ने पिछले वर्ष में अदा किये गये ₹110 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 में ₹120 करोड़ का लाभांश अदा किया। जबकि युनाइटेड इंडिया ने वर्ष 2014-15 में भुगतान किये गये ₹61 करोड़ की लाभांश राशि की तुलना में वर्ष 2015-16 में ₹67 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के बीच वर्ष 2015-16 के दौरान तीन कंपनियों ने लाभांशों का भुगतान किया। एचडीएफसी एरगो ने ₹67.30 करोड़ का लाभांश अदा किया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ₹134.17 करोड़ का लाभांश अदा किया और श्रीराम जनरल ने ₹45.72 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

I.3.54 जीआईसी ने वर्ष 2014-15 के दौरान अदा किये गये ₹540 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 के दौरान ₹860 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया। ईसीजीसी ने वर्ष 2014-15 में अदा किये गये ₹48 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹65 करोड़ का भुगतान किया। एआईसी द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया।

सारणी I.36
भुगतान किये गये लाभांश : गैर-जीवन बीमाकर्ता
(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2014-15	2015-16
गैर-जीवन		
सरकारी क्षेत्र	665	482
निजी क्षेत्र	211	247
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	**0**	**0**
विशेषीकृत बीमाकर्ता		
ईसीजीसी	48	65
एआईसी	20	0
पुनर्बीमाकर्ता		
जीआईसी	540	860
कुल	**1484**	**1654**

कार्यालयों की संख्या

I.3.55 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ देश भर में 10,803 कार्यालयों से परिचालन कर रही थीं।

जिला स्तरीय व्याप्ति

I.3.56 गैर-जीवन खंड में देश में चार सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के 607 जिलों में कार्यालय हैं (94.84 प्रतिशत)। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता 297 जिलों को समाविष्ट करते हैं (46.40 प्रतिशत)।

सारणी I.37
गैर-जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च को)

क्षेत्र	2015	2016
सरकारी क्षेत्र	8120	8331
निजी क्षेत्र	1742	1869
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य	458	520
विशेषीकृत बीमाकर्ता	87	83
कुल	**10407**	**10803**

विशेषीकृत बीमाकर्ता

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

I.3.57 भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है जो निर्यात ऋण बीमा में जोखिम-अंकन करता है। इस कंपनी ने 2015-16 में ₹1321 करोड़ के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया तथा 2014-15 के ₹1362 करोड़ के मुकाबले 3 प्रतिशत की कमी सूचित की। उक्त बीमाकर्ता ने पिछले वर्ष के ₹292 करोड़ की जोखिम-अंकन हानि की तुलना में ₹250 करोड़ की जोखिम-अंकन हानि की सूचना दी। इस बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम पिछले वर्ष के ₹1019 करोड़ की तुलना में

सारणी I.38
गैर-जीवन कार्यालयों की संख्या - 31 मार्च 2016 को स्तर-वार

गैर-जीवन बीमाकर्ता	वर्ष	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर IV	स्तर V	स्तर VI	कुल
सरकारी क्षेत्र	2015	3866	1282	1517	1233	170	52	8120
	2016	3901	1307	1579	1316	173	55	8331
निजी क्षेत्र	2015	1706	28	6	2	0	0	1742
	2016	1823	36	7	2	1	0	1869
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य	2015	255	203	0	0	0	0	458
	2016	290	62	168	0	0	0	520
विशेषीकृत बीमाकर्ता	2015	87	0	0	0	0	0	87
	2016	83	0	0	0	0	0	83
कुल	**2015**	**5914**	**1513**	**1523**	**1235**	**170**	**52**	**10407**
	2016	**6097**	**1405**	**1754**	**1318**	**174**	**55**	**10803**

टिप्पणी :
स्तर I - जनसंख्या 1,00,000 ऊपर
स्तर II -जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक
स्तर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक
स्तर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक
स्तर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999 तक
स्तर VI - जनसंख्या 5,000 से कम

चार्ट I.18 2015-16 के लिए स्तर-वार गैर जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या

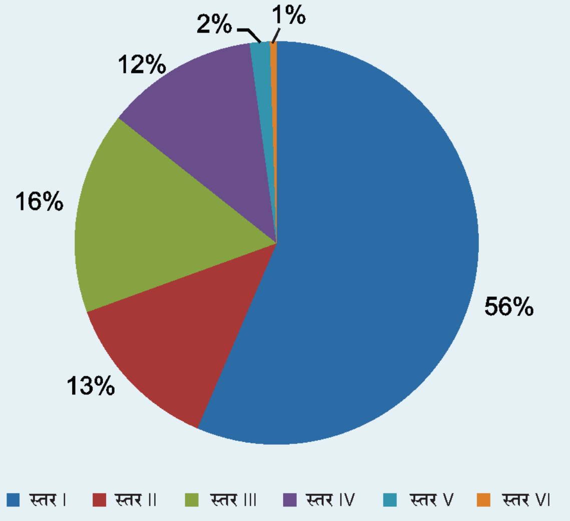

₹979 करोड़ का है। कंपनी का निवल लाभ पिछले वर्ष के ₹180 करोड़ से बढ़कर ₹276 करोड़ हुआ। उक्त बीमाकर्ता ने 2015-16 में 102% का उपगत दावा अनुपात (2014-15 में 114%) सूचित किया।

I.3.58 कंपनी के पास अंतरण गारंटियों सहित 2015-16 में 11525 अल्पकालिक निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ (2014-15 में 11,236) थीं। वर्ष के दौरान अल्पकालिक पॉलिसियों पर अर्जित प्रीमियम आय ₹382.08 करोड़ (2014-15 में ₹382.87 करोड़) थी। वर्ष के दौरान अल्पकालिक ईसीआईबी पर अर्जित प्रीमियम आय ₹910.67 करोड़ (2014-15 में ₹942.29 करोड़) थी। मध्यावधि और दीर्घावधि व्यवसाय से प्रीमियम आय 2014-15 के ₹36.24 करोड़ की तुलना में 2015-16 के दौरान ₹27.04 करोड़ थी।

भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.

I.3.59 भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है जो कृषि बीमा में जोखिम-अंकन करता है। इस कंपनी ने 2014-15 के ₹2740 करोड़ की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि सूचित करते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान ₹3521 करोड़ के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया। इस बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम पिछले वर्ष के ₹1598 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 के लिए ₹1862 करोड़ है। उक्त बीमाकर्ता ने 2014-15 में उठाई गई ₹158 करोड़ की जोखिम-अंकन हानि की तुलना में 2015-16 में ₹61.66 करोड़ का जोखिम-अंकन लाभ अर्जित किया। कंपनी का निवल लाभ पिछले वर्ष के ₹168 करोड़ से बढ़कर ₹307 करोड़ हो गया। कंपनी का उपगत दावा अनुपात 2014-15 में विद्यमान 108.47% की तुलना में 2015-16 में 99.66% है।

भारतीय साधारण बीमा निगम

I.3.60 भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता है जो भारत में प्रत्यक्ष साधारण बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा उपलब्ध कराता है। निगम का पुनर्बीमा कार्यक्रम इस प्रकार से अभिकल्पित है कि देश के अंदर प्रतिधारण को अनुकूलतम स्तर तक ले जाने, एक्सपोज़र के लिए पर्याप्त कवरेज को सुनिश्चित करने और देशी बाजार के अंदर पर्याप्त क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य पूरे किये जा सकें।

I.3.61 जीआईसी द्वारा जोखिम-अंकित कुल निवल प्रीमियम 2014-15 के ₹13857 करोड़ से 18.17 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 के दौरान ₹16375 करोड़ हो गया। उक्त पुनर्बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम 2014-15 के ₹13558 करोड़ की तुलना में 2015-16 में ₹15173 करोड़ तक बढ़ा है। निवल उपगत दावा अनुपात 2014-15 के 87.71 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 85.02 प्रतिशत रहा। कंपनी ने 2014-15 के ₹2694 करोड़ के निवल लाभ के मुकाबले 2015-16 में ₹2848 करोड़ का निवल लाभ सूचित किया।

I.4 समीक्षा

I.4.1 पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण

I.4.1.1 पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण विनियम का प्रारूपः- पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण का मूलभूत ढाँचा आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 में निहित है। तब से बीमा उद्योग ने अनेक परिवर्तनों को देखा है, जैसे सूक्ष्म बीमा उत्पादों, यूलिप उत्पादों, स्वास्थ्य बीमा आदि जैसे नये प्रकार के उत्पादों का प्रारंभ तथा कॉरपोरेट एजेंटों, बीमा दलालों, वेब संग्राहकों और बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) जैसे नई श्रेणियों के वितरण माध्यमों को बीमा वितरण कार्यकलाप करने के लिए अनुमति दी गई है। यह पाया गया है कि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने के साथ ही, बीमा विक्रय प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने, एजेंटों और मध्यवर्तियों द्वारा आचरण-संहिता के कड़ाई से पालन को लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित एफएसएलआरसी की सिफारिशें भी वित्तीय लेनदेनों के सभी स्तरों पर अधिकाधिक उपभोक्ता संरक्षण के लिए व्यवस्था करने हेतु विनियमों की अपेक्षा करती हैं। अतः बदलते समय के अनुरूप वर्तमान विनियमों की जाँच करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस स्थिति के होते हुए आईआरडीएआई ने उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित वर्तमान विनियमों का पुनरीक्षण करने, विभिन्न सेवाओं के लिए टीएटी की समीक्षा करने और प्रत्येक व्यवसाय की व्यवस्था में विभिन्न सेवाओं के लिए समय-सीमाएँ निर्धारित करते हुए बीमा उद्योग के लिए नागरिक चार्टर लागू करने पर विचार करने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया। उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम 2014 का प्रारूप अभिमतों के लिए सार्वजनिक पहुँच (पब्लिक डोमेन) में रखा गया। प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करते हुए आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम यथासमय जारी किये जाएँगे। वे पॉलिसीधारकों के संरक्षण के वर्तमान ढाँचे का अधिक्रमण करेंगे। प्रयास किसी विचलन के बिना पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने और बीमा पॉलिसियों की सर्विसिंग में न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क) निर्धारित करने के लिए है।

I.4.1.2 अपविक्रय और छल-कपटपूर्ण कॉलः आईआरडीएआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के नाम से छल-कपटपूर्ण कॉल बीमा उद्योग के लिए चिंता का विषय है। आईआरडीएआई ने विभिन्न संपर्क बिन्दुओं पर और मीडिया में भी छल-कपटपूर्ण कॉलों के विरुद्ध जनसाधारण को सतर्क करने के लिए कई सार्वजनिक सूचनाएँ, नोटिस, प्रेस प्रकाशनियाँ, अग्रणी टीवी चैनलों पर और समाचारपत्रों में विज्ञापन एवं बीमा कंपनियों को निदेश जारी किये हैं। यह देखा गया है कि 'अपविक्रय और छल-कपटपूर्ण कॉल' श्रेणियों के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अनेक शिकायतें निरंतल बनी हुई हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपविक्रय और छल-कपटपूर्ण कॉलों के अंतर्गत सभी शिकायतों के संबंध में सभी मामलों में बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित नीते के अनुसार कार्रवाई की जाए, सभी जीवन बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित को बनाने के लिए सूचित किया गयाः

- अपविक्रय संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में कंपनी विशिष्ट नीति, एवं
- छल-कपटपूर्ण कॉलों संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में कंपनी विशिष्ट नीति

सभी जीवन बीमाकर्ताओं को इस संबंध में एक निदेश 05.08.2015 को जारी किया गया। तदनुसार सभी जीवन बीमाकर्ताओं ने अपनी कंपनी विशिष्ट नीति बनाई है तथा प्राधिकरण को वह नीति प्रस्तुत की है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने सभी बीमाकर्ताओं की शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा संबंधित शिकायत निवारण अधिकारियों के साथ 2015-16 में की है तथा शिकायतों पर शून्य सहिष्णुता की अपेक्षा की। अपविक्रय को रोकने पर विशिष्ट फोकस के साथ संबंधित बीमाकर्ताओं को अपविक्रय के लिए अंतर्निहित कारणों की पहचान करने और उपयुक्त व्यवस्था/ प्रक्रियाएँ कायम करने के प्रति निदेश उपलब्ध कराये गये जिससे अपविक्रय के संकट का उन्मूलन किया जा सके जो बीमा उद्योग की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है।

I.4.1.3 ऐसे दृष्टांत प्राधिकरण की जानकारी में लाये गये हैं कि बीमाकर्ता (क) उपभोक्ता फोरमों, (ख) एमएसीटी के आदेशों और (ग) बीमा लोकपालों के अधिनिर्णयों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

अतः प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को यह सूचित करते हुए दिनांक 03.11.2015 का परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/सीएडी/सीआईआर/एमआईएससी/194/11/2015 जारी किया है कि वे उपर्युक्त न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के आदेशों का पालन उक्त आदेशों में विनिर्दिष्ट समय-सीमाओ के अनुसार अथवा जहाँ आदेश में कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो वहाँ ऐसे मामलों में बीमाकर्ता द्वारा आदेश/ अधिनिर्णय की प्राप्ति से 60 दिन के अंदर करें। यदि बीमाकर्ता उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहता हो, तो लागू नियमों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर ऐसी अपील उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाएगी तथा तदनुसार ग्राहक को सूचित किया जाएगा।

I.4.1.4 उपर्युक्त के अनुक्रम में प्राधिकरण ने उपर्युक्त 1.4.1.3 में उल्लिखित परिपत्र के अनुपालन की निगरानी करने की दृष्टि से बीमाकर्ताओं से आवधिक रूप से डेटा की माँग करते हुए दिनांक 31.03.2016 का एक परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/सीएडी/सीआईआर/ एमआईएससी/063/03/2016 भी जारी किया है।

पॉलिसीधारकों के संरक्षण हेतु पहलें

I.4.1.5 पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से आईआरडीएआई ने कई पहलें की हैं। संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए विनियमों का ढाँचा आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 में निहित है। इन विनियमों के अंतर्गत विक्रय-स्थान पर अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया; जीवन बीमा और साधारण बीमा पॉलिसी में किये जानेवाले प्रकीटीकरण; जीवन बीमा और साधारण बीमा पॉलिसी के संबंध में दावा प्रक्रिया; तथा पॉलिसी सर्विसिंग के समय विभिन्न कार्यों के लिए टर्नअराउंड समय (टीएटी) उपलब्ध हैं।

I.4.1.6 आईआरडीए (विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 और अन्य दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सूचना (इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना सहित) जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अंततः पॉलिसी की बिक्री अथवा अपेक्षा के रूप में परिणत होती है, अनुचित अथवा भ्रामक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें प्रस्तावित किये जानेवाले उत्पाद के बारे में उचित सूचना निहित होनी चाहिए ताकि ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार बीमा उत्पाद का चयन करने के बारे में सुविचारित निर्णय ले सके।

I.4.1.7 बीमा अपेक्षा करने का विषय है तथा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा संस्थाएँ बीमे की अपेक्षा करने में संबद्ध हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल लाइसेंसप्राप्त व्यक्ति अथवा संस्थाएँ ही बीमा उत्पादों के संबंध में पूर्वेक्षण और विक्रय करने में संबद्ध हों, आईआरडीएआई ने लाइसेंसीकरण के लिए विनियम जारी किये हैं। ये विनियम हैं, आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 वैयक्तिक बीमा एजेंटों के लिए; आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 कॉरपोरेट एजेंटों के लिए; आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 बीमा दलालों के लिए; आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013 वेब संग्राहकों के लिए; तथा आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 बीमा विपणन फर्मों के लिए। ये विनियम एजेंटों, कॉरपोरेट एजेंटों, दलालों, वेब संग्राहकों और बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) के लिए उनमें निर्धारित आचरण-संहिता के पालन को अनिवार्य करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करनेवाले व्यक्ति पात्र व्यक्ति होने चाहिए तथा वे विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पादों के संबंध में आवश्यक सूचना का प्रसारण करें, बेची जा रही पॉलिसी को समझें और ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त परामर्श देने में सक्षम हों जिससे प्रस्तावित / विक्रय की जा रही पॉलिसी संभावित ग्राहक की आवश्यकताएँ पूरी कर सके। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे बिक्री के बाद की सेवा, जैसे नवीकरण, दावा प्रस्तुत करने में सहायता आदि भी उपलब्ध कराएँ।

I.4.1.8 बीमाकर्ताओं, कॉरपोरेट एजेंटों और दलालों के द्वारा टेली-कॉलिंग, एसएमएस, ई-मेल, इंटरनेट, डीटीएच, डाक मेल, और अन्य विधियों के माध्यम से पॉलिसियों की अपेक्षा (अग्रता उत्पादन सहित) जो व्यक्तिगत रूप से संचार के साथ संबद्ध नहीं हैं, का सहारा लेने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के चलते एवं दूरस्थ विधि से बीमा उत्पादों की सूचना और बिक्री की अपेक्षा करते हुए ग्राहकों से प्राप्त हो रहे अनुरोधों को देखते हुए; आईआरडीए ने दूरस्थ विपणन दिशानिर्देश जारी किये हैं। विक्रय के प्रस्ताव, बातचीत और निर्णय के समय अनुपालन की जानेवाली अपेक्षाओं का उद्देश्य दूरस्थ विपणन माध्यमों

का सहारा लेनेवाले संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों को संरक्षण देना है।

I.4.1.9 चूँकि बीमा का लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि उपयुक्त उत्पादों का विक्रय किया जाए; अतः आईआरडीएआई ने दोनों जीवन और गैर-जीवन उत्पादों के फाइल एण्ड यूज़ के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह आईआरडीएआई को आवेदन प्रस्तुत करने के द्वारा उत्पादों के लिए अनुमोदन माँगे। आवेदन के साथ बीमाकर्ता को पॉलिसी बांड का नमूना, प्रस्ताव फार्मों का नमूना, विक्रय से संबंधित साहित्य का नमूना एवं वित्तीय पूर्वानुमानों का विवरण प्रस्तुत करने चाहिए। शर्तों में परिवर्तन के लिए इसी प्रकार की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उस स्थिति में भी जब कोई बीमाकर्ता किसी उत्पाद को हटाना चाहता हो, तब भी वह आईआरडीएआई को सूचित करने के बाद ही और उत्पाद को हटाने के लिए कारण देने के बाद ही ऐसा कर सकता है। ये विनियम यह सुनिश्चित करते हैं कि जनता को केवल अनुमोदित उत्पाद ही बेचे जाएँ।

I.4.1.10 आईआरडीए (असंबद्ध उत्पाद) विनियम, 2013 और आईआरडीए (संबद्ध उत्पाद) विनियम, 2013 जो क्रमशः असंबद्ध और संबद्ध जीवन बीमा उत्पादों का नियंत्रण करते हैं, का उद्देश्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित उत्पादों और उनकी विशेषताओं के तौर पर सामंजस्य को सुनिश्चित करना है तथा लाभों के भुगतान के तौर पर पारदर्शिता लाना है जिसके द्वारा सही पॉलिसी का चयन करने में ग्राहकों को समर्थ बनाया जा सके।

I.4.1.11 आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम 2013 उत्पाद की विशेषताओं, प्रस्ताव फार्म में मानक घोषणा, अधिकाधिक पारदर्शिता और विक्रय साहित्य में प्रकटीकरण तथा वेब पोर्टलों पर प्रकटीकरणों पर अधिकाधिक बल देते हैं जिससे निर्णय लेने आदि के लिए उपयुक्त सूचना का प्रसार किया जा सके। स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश स्वास्थ्य बीमा में कई पहलुओं के मानकीकरण को उपलब्ध कराते हैं, जैसे स्वास्थ्य पॉलिसियों में आम तौर पर प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के लिए परिभाषाएँ, गंभीर बीमारियों के लिए नाम और कार्यविधि, पूर्व-प्राधिकरण और दावा फार्म, पॉलिसियों को अस्पताल में भर्ती में अपवर्जित व्ययों की सूची, फाइल एण्ड यूज़ आवेदन, ग्राहक सूचना पत्रक तथा बीमाकर्ता और अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए) और प्रदाता (अस्पताल) के बीच करार। ये दिशानिर्देश अस्पष्टता का निवारण करते हैं और अर्थनिर्णय में अधिकाधिक सामंजस्य सुनिश्चित करते हैं, जो पॉलिसीधारकों के सामान्य हित में है।

I.4.1.12 ऊपर निर्दिष्ट किये अनुसार बीमा ग्राहकों के हितों का संरक्षण करने के लिए उद्दिष्ट विभिन्न उपायों के अतिरिक्त, यदि किसी बीमाकर्ता द्वारा की जानेवाली सेवा में कमी के संबंध में शिकायत के लिए कोई कारण है, तो उसके शीघ्र समाधान के लिए एक प्रणाली का होना अनिवार्य है। शिकायत निवारण संबंधी दिशानिर्देश बीमाकर्ताओं को निदेश देते हैं कि वे कंपनी में शिकायत निवारण व्यवस्था का अनुमोदन करने और उसकी समीक्षा करने के लिए शीर्ष स्तर पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित पॉलिसीधारकों के संरक्षण की एक समिति रखें तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के अंदर शिकायतें प्राप्त करने, उनकी प्राप्ति-सूचना देने और उनका समाधान करने के लिए एक समरूप प्रणाली स्थापित करें; एवं न केवल प्रधान कार्यालय/ कॉरपोरेट कार्यालय के स्तर पर, बल्कि प्रत्येक अन्य कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को पदनामित करें।

I.4.1.13 अपनी शिकायतों के लिए बीमाकर्ताओं तक पहुँचने में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए आईआरडीएआई ने ग्राहकों के लिए माध्यम उपलब्ध कराये हैं ताकि वे बीमाकर्ताओं के विरुद्ध अपनी शिकायतें उठा सकें। इनमें शामिल हैं, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल .... और एक निःशुल्क शिकायत कॉल सेंटर (155255)। इन माध्यमों के द्वारा पंजीकृत शिकायतें समाधान के लिए बीमाकर्ताओं के पास उठाई जाती हैं।

I.4.1.14 चूँकि आईआरडीएआई शिकायत निवारण के लिए सुविधा प्रदान करता है, परंतु शिकायतों के संबंध में न्यायनिर्णय नहीं करता, अतः सार्वजनिक शिकायत निवारण नियम, 1998 के अंतर्गत कार्यरत बीमा लोकपाल वैयक्तिक बीमा पद्धति से संबंधित शिकायत के कुछ आधारों पर शिकायतों के समाधान के लिए एक सरल, सस्ती, और त्वरित समझौताकारी और अधिनिर्णायक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है।

I.4.1.15 पॉलिसीधारकों के संरक्षण में आईआरडीएआई की भूमिका आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 से भी बहुत आगे है। इसके अलावा, उपर्युक्त उपाय प्रवेश स्थान मानदंड, लाइसेंसीकरण, शोधक्षमता मार्जिन का अनुरक्षण, निवेश मानदंड और सार्वजनिक प्रकटीकरण आदि जैसी अन्य विनियामक अपेक्षाओं तथा स्थान पर (ऑनसाइट) निरीक्षण और विनियामक विवरणियों के माध्यम से परोक्ष (ऑफ़-साइट) निगरानी, बाजार आसूचना, लेखा-परीक्षा आदि जैसी पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त हैं और उन्हें छोड़कर नहीं हैं।

I.4.1.16 जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम वर्ष 2002 में जारी किये गये हैं तथा बीमा परिदृश्य में कई परिवर्तन घटित हो चुके हैं, पॉलिसीधारकों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए विनियमों का पुनरीक्षण करने की त्वरित आवश्यकता है। पॉलिसीधारक संरक्षण विनियमों को मजबूत बनाने के लिए आरआरडीएआई यथासमय आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2016 जारी करनेवाला है। उक्त विनियमों के अलावा, बीमा कंपनियों के लिए एक नागरिक चार्टर के संबंध में भी विचार किया जा रहा है।

शिकायत निवारण और उपभोक्ता शिक्षण

I.4.1.17 आईआरडीएआई का उपभोक्ता कार्य विभाग शिकायत निवारण की बीमाकर्ताओं की नीति की निगरानी करने के द्वारा पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समधान को सुसाध्य बनाता है तथा बीमा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कई पहलें करता है। आईआरडीएआई के शिकायत निवारण दिशानिर्देश यह अनिवार्य करते हैं कि सभी बीमाकर्ताओं के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण नीति होनी चाहिए, वे प्रधान कार्यालय/ कॉरपोरेट कार्यालय में वरिष्ठ प्रबंधक-वर्ग के स्तर के एक शिकायत निवारण अधिकारी को और प्रत्येक अन्य कार्यालय में एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित करें एवं शिकायतों से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने के लिए कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार एक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति गठित करें। ये दिशानिर्देश यह अनिवार्य बनाते हैं कि प्रत्येक बीमाकर्ता शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और उनकी खोज (ट्रैकिंग) करने के लिए स्वचालित प्रणालियाँ रखे तथा कॉल अथवा ई-मेलों के द्वारा शिकायतें प्राप्त करने की प्रणालियाँ रखे एवं इन प्रणालियों को आईआरडीएआई के साथ समन्वित करे। इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों में शिकायतों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए समय-सीमाएँ निहित हैं, जैसे प्राप्ति-सूचना देना, निवारण, समापन, आदि। शिकायत निवारण दिशानिर्देश और कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश यह निदेश देते हैं कि पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए एक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति एक अधिदेशात्मक समिति के रूप में अनिवार्यतः होनी चाहुए।

I.4.1.18 बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई शिकायत केन्द्र (आईजीसीसी) स्थापित किया है जो एक निःशुल्क (टोल फ्री) टेलीफोन संख्या के माध्यम से और ई-मेल द्वारा शिकायतें प्राप्त करता है तथा समाधान की स्थिति प्रेषित करने के अलावा शिकायतों को पंजीकृत करता है। आईआरडीएआई ने शिकायतों के प्रबंध के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली के रूप में समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस) भी स्थापित की है जो न केवल शिकायतों का पंजीकरण और उनकी खोज करने के लिए एक ऑनलाइन प्रवेश द्वार (गेटवे) है, बल्कि बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई के लिए एक उद्योग-व्यापी शिकायत रिपोज़िटरी के रूप में भी कार्य करती है। आईजीसीसी का इंटरफेस आईजीएमएस के साथ है; तथा आईजीएमएस के माध्यम से आईआरडीएआई का बीमाकर्ताओं की शिकायत प्रणालियों के साथ इंटरफेस है।

I.4.1.19 उपभोक्ता कार्य विभाग संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों से बीमा कंपनियों पर शिकायतें प्राप्त करता है; तथा समाधान के लिए ये शिकायतें बीमाकर्ताओं के पास उठाता है। संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि वे पहले अपनी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों के पास दायर करें। यदि बीमा कंपनियाँ 15 दिन के निर्धारित समय के अंदर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करतीं अथवा शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह शिकायत आईआरडीएआई के स्तर पर शिकायत को उठा सकता है/ सकती है। आईआरडीएआई संबंधित बीमा कंपनियों के

पास मामला उठाने के द्वारा समीक्षा/ पुनःजाँच के माध्यम से समाधान को सुसाध्य बनाता है। तथापि, आईआरडीएआई अपने द्वारा प्राप्त अथवा अपने स्तर पर प्रेषित प्रत्येक शिकायत की जाँच नहीं करता अथवा उसके संबंध में न्यायनिर्णय नहीं करता। यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें मामला बीमा लोकपाल द्वारा अथवा किसी अन्य उपयुक्त फोरम अथवा न्यायालय द्वारा, जैसी स्थिति हो, न्यायनिर्णयन के लिए उठाना होगा।

I.4.1.20 विभाग आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 के अनुपालन के स्तर की जाँच करता है। आईजीएमएस समूचे उद्योग में शिकायतों का एक केन्द्रीय रिपोज़िटरी उपलब्ध कराती है तथा प्रणालीगत और नीति से संबंधित विषयों को पहचानने के लिए शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण करने में आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों की सहायता करती है। प्राधिकरण पॉलिसीधारकों की चिंताओं को पहचानता है तथा शिकायतों की शून्य सहिष्णुता के लिए बीमाकर्ताओ को उपयुक्त अनुदेश देता है/ उचित उपाय सुझाता है।

I.4.1.21 उपभोक्ता कार्य विभाग बीमा जागरूकता की व्याप्ति करने की दृष्टि से उपभोक्ता शिक्षण में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है। बीमा एक जटिल वित्तीय उत्पाद होने के कारण प्रस्तावाधीन बीमा उत्पादों के स्वरूप, उनकी उपयोगिता और शर्तों को समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। आईआरडीएआई की उपभोक्ता शिक्षण संबंधी पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पहचाने, बीमा उत्पादों और उनके साथ संबद्ध जोखिमों को समझे ताकि वह बीमा खरीदते समय एक सुविचारित निर्णय ले सके। आईआरडीएआई द्वारा बीमा जागरूकता अभियान सभी संभव माध्यमों द्वारा संचालित किये जाते हैं जिनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात् अखबारों के विज्ञापन और पुस्तिकाओं / कॉमिक पुस्तकों का प्रकाशन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सेमिनार, सामाजिक वेबसाइटें जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि शामिल हैं। उपभोक्ता शिक्षण वेबसाइट ... में सरल भाषा में जनता के लिए रोचकता से युक्त बीमा संबंधी विपुल सामग्री उपलब्ध है। इस सामग्री की पहुँच में विस्तार लाने के लिए आईआरडीएआई ने एक हिन्दी साइट प्रारंभ की है तथा पुस्तकें प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की हैं ताकि उक्त सूचना देश भर में लोगों को अपनी पसंद की भाषा में उपलब्ध कराई जा सके। आईआरडीएआई अब विकसित की गई सामग्री के वितरण पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिसके लिए आईआरडीएआई बीमा उद्योग, अन्य विनियामक निकायों, वित्तीय साक्षरता केन्द्रों, सामान्य सेवा केन्द्रों आदि के साथ सहयोग कर रहा है तथा बीमा जागरूकता की व्याप्ति के लिए सारे राष्ट्र में जनता तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सभी उपलब्ध वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग कर रहा है और इसके द्वारा बीमा समावेशन के स्तरों को बढ़ाने के लिए माँग की वृद्धि निर्मित कर रहा है। जीवन के प्रारंभिक स्तरों से वित्तीय साक्षरता प्रदान करने की दिशा में अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं के साथ कार्य करने के द्वारा वित्तीय शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति को कार्यान्वित करने में आईआरडीएआई भी एक सक्रिय सहभागी है।

आईआरडीएआई की बीमा साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता संबंधी पहलें

I.4.1.22 प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य बाजार की कुशलता का संवर्धन करना और उपभोक्ता के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि दोनों जीवन और गैर-जीवन जोखिमों के लिए देश में बीमा रक्षा की वृद्धि केवल तभी संभव है जब उपभोक्ता के ज्ञान और बीमा शिक्षा में वृद्धि होती है।

किसी भी बीमा उत्पाद का चयन करते समय सुविज्ञतापूर्ण चयन करने के लिए अपेक्षित जानकारी, कौशल और विश्वास के साथ देश के सभी नागरिकों को संपन्न करते हुए बीमा साक्षरता का व्यापन अत्यंत आवश्यक है। बीमा शिक्षण उपभोक्ता की सहायता उसकी आवश्यकताओं और जोखिमों, जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए बीमे की उपलब्धता, बीमा उत्पाद रखने के मूल्य को समझने में तथा कोई भी बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले और उसके बाद करणीय और अकरणीय के बारे में जानने में सहायता करता है। एक सुविज्ञ उपभोक्ता बीमा लोकपाल सहित अपने लिए उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था के विभिन्न माध्यमों का जानकार होगा। बीमा शिक्षण इस प्रकार एक सूचनायुक्त तरीके से बीमा क्षेत्र की सेवाओं तक पहुँचने में तथा बाजार कौशल का संवर्धन करने में और बीमा उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए संतुलित सूचना के प्रवाह में मदद करता है।

प्राधिकरण पर्याप्त सूचना का प्रसार करने, सार्वजनिक प्रकटीकरणों को अनिवार्य बनाने, मध्यवर्तियों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताएँ और आचरण-संहिता निर्धारित करने तथा बीमा जागरूकता की पहलें बढ़ाने आदि के माध्यम से बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के द्वारा अनुसरण किये जानेवाले विवेकपूर्ण बाजार अनुशासन में विश्वास करता है।

इसके अलावा, उपभोक्ता शिक्षण को प्रेरित करने के लिए आईआरडीएआई ने बहुविध दृष्टिकोण अपनाया है तथा जनसाधारण में बीमा जागरूकता का संवर्धन करने के लिए सभी हितधारकों को प्रोत्साहित किया है।

I.4.1.23 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आईआरडीएआई ने बीमा बेमिसाल ब्रैंड के अंतर्गत उपभोक्ता शिक्षा की अनेक पहलें की हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

- छल-कपटपूर्ण कॉल करनेवालों और फर्ज़ी प्रस्तावों के विरुद्ध जनसाधारण को सतर्क करने के लिए हिन्दी सहित 12 क्षेत्रीय भाषाओं में निम्नलिखित तीन टीवीसी के प्रसारण के जरिये आईआरडीएआई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बड़ा अभियान ।

1. 'सच और झूठ में जानिए फर्क रहिए सतर्क' नारे के साथ आईआरडीएआई के नाम से छल-कपटपूर्ण कॉलों के बारे में पड़ोसी (शर्मा जी) को चेतावनी देते हुए।
2. 'सच और झूठ में जानिए फर्क रहिए सतर्क' नारे के साथ पुलिसवाले / हीरो के माध्यम से संदेश देना -- 'आईआरडीएआई बीमा और बोनस की घोषणा नहीं करता'
3. 'आईआरडीएआई आपके शुभचिंतक' नारे के साथ 'बचके बाबा रहना तू' के विषय पर कॉफ़ीहाउस में फ़र्ज़ी प्रस्ताव के बारे में चेतावनी देना।

- छल-कपट वाले कॉलरों के संकट को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए आईआरडीएआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संकेन्द्रित बीमा जागरूकता अभियान संचालित किया, जहाँ से अप्रामाणिक कॉलरों के बारे में अधिकांश शिकायतें उत्पन्न हो रही हैं। छल-कपट वाले कॉलरों के विरुद्ध चेतावनी तथा पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी देते हुए मेट्रो रेलगाड़ियों के अंदर, मेट्रो स्टेशनों के अंदर और बाहर संदेश प्रदर्शित किये गये।

- 8 जनवरी 2015 को माननीय मुख्यमंत्री, त्रिपुरा श्री माणिक सरकार द्वारा प्रारंभ गिया गया बीमा जागरूकता अभियान आईआरडीएआई और त्रिपुरा सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को बीमा के लाभों के बारे में जागरूक बनाना है। इस अभियान ने अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश किया तथा यह दो वर्षों के लिए तैयार की गई कार्य-योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अब तक जिन लोगों के पास नहीं पहुँच सके उन लोगों तक पहुँचने के लिए त्रिपुरा के विभिन्न जिलों में त्रिपुरा की राज्य सरकार द्वारा संचालित छह सेमिनारों को आईआरडीएआई ने प्रायोजित किया। इन सेमिनारों का उद्देश्य बीमे के महत्व का प्रसार करना था तथा आईआरडीएआई एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने संबंधित विषयों पर वक्ताओं के रूप में सहभागियों को संबोधित किया। आईआरडीएआई की शिक्षण सामग्री का वितरण राज्य भर में स्कूलों, जिला पुस्तकालयों, जिला परिषदों, ग्राम समितियों, बड़े आकार वाली आदिवासी बहु-प्रयोजनीय सोसाइटियों (एलएएमपीएस)/ प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों (पीएसीएस) के माध्यम से किया जा रहा है।

- आईआरडीएआई ने अपने स्थापना दिवस (19 अप्रैल) को बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर आईआरडीएआई ने बीमा उद्योग के लिए तृतीय पैन इंडिया क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस अवसर पर 'बीमाकर्ताओं की सर्वोत्तम बीमा जागरूकता नीतियाँ' विषय पर एक 'पैनल चर्चा' संचालित की गई। इसकी अध्यक्षता सदस्य (गैर-जीवन) ने की तथा जीवन बीमा परिषद, साधारण बीमा परिषद, भारतीय बीमा संस्थान के महासचिव एवं राष्ट्रीय बीमा अकादमी के निदेशक पैनल सदस्यों के रूप में इसमें

उपस्थित थे। यह वक्तव्य देते हुए पैनल एकमत थी कि बीमा जागरूकता देश में बीमा विकास के लिए कुंजी है।

- आईआरडीएआई ने सही खरीद के लिए कुछ सुझाव देते हुए बीमा संदेशों के साथ वर्ष 2016 के दीवार कैलेंडर और डेस्क कैलेंडर प्रकाशित किये।

- आईआरडीएआई ने एक बैठक में बीमाकर्ताओं द्वारा की गई बीमा जागरूकता पहलों की तुलना में उनकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमा जागरूकता नीति की समीक्षा की जिसमें अपनी बीमा जागरूकता नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण किये गये।

- आईआरडीएआई ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) के माध्यम से वर्ष 2015 में बीमा जागरूकता अभियानों का प्रारंभोत्तर सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। यह सर्वेक्षण प्रारंभ-पूर्व सर्वेक्षण के जागरूकता स्तरों की तुलना में बीमाकृत और अबीमाकृत लोगों के जागरूकता स्तरों की तुलना और उनका विश्लेषण करने के उद्देश्य से 2010 में संचालित प्रारंभ-पूर्व सर्वेक्षण के अनुवर्तन के रूप में किया गया।

- आईआरडीएआई राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केन्द्र (एनसीएफई) की कोर समिति के एक सदस्य के रूप में एक सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। एनसीएफई वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए भारत में वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियमनकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई संस्था है तथा एनसीएफई की पहलों को आईआरडीएआई समर्थन दे रहा है। 2015-16 के दौरान एनसीएफई द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार हैः-

क. तीसरा एनसीएफई राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता निर्धारण परीक्षा (एनसीएफई एनएफएलएटी)।

ख. अपनी वित्तीय शिक्षण वेबसाइट हिन्दी, तमिल, मराठी और बंगला भाषाओं में प्रारंभ की।

ग. सारे भारत में कक्षा 8 से 10 तक के सीबीएसई विद्यालय शिक्षकों के लिए वित्तीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफईटीपी)।

घ. कक्षा से तक के स्कूली छात्रों के लिए वित्तीय शिक्षण की अभ्यास-पुस्तिकाएँ (वर्कबुक्स) प्रारंभ कीं।

एनसीएफई के सदस्य के रूप में एवं भारत में बीमा क्षेत्र के क्षेत्र विनियमनकर्ता के रूप में, दोनों प्रकार से आईआरडीएआई बीमा संबंधी विषय-वस्तु का अंशदान कर रहा है तथा सामान्य रूप से वित्तीय शिक्षण और विशेष रूप से बीमा शिक्षण के प्रसार के लिए स्कूलों, कालेजों और संस्थाओं के साथ कार्य कर रहा है।

I.4.2 बीमाकर्ताओं के शोधक्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण

I.4.2.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार अपेक्षित शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) मार्जिन बनाये रखे। प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित राशि से अन्यून देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य के आधिक्य को बनाये रखेगा, जो अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन कहलाता है। आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 में अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति का विस्तृत रूप से विवरण दिया गया है।

जीवन बीमाकर्ताः

I.4.2.2 मार्च 2016 के अंत में सब 24 जीवन बीमाकर्ताओं ने 1.5 के निर्धारित शोधक्षमता मार्जिन का पालन किया।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात

I.4.2.3 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के सभी 23 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने (स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) 1.50 के निर्धारित शोधक्षमता अनुपात का अनुपालन किया है।

सरकारी क्षेत्र के चार गैर-जीवन बीमाकर्ताओं में से तीन बीमाकर्ताओं ने 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 1.50 के निर्धारित शोधक्षंमता

अनुपात का अनुपालन किया है। तथापि, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 1.26 के शोधक्षमता अनुपात की सूचना दी है।

I.4.2.4 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार विशेषीकृत बीमाकर्ताओं अर्थात एआईसी और ईसीजीसी ने 31 मार्च 2015 के उनके क्रमशः 3.18 और 6.61 की तुलना में क्रमशः 3.26 और 9.79 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है।

पुनर्बीमाकर्ता

I.4.2.5 राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, भारतीय साधारण बीमा निगम ने 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 3.48 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है (31 मार्च 2015 को यह 3.04 था)।

I.4.3 पुनर्बीमा की निगरानी

I.4.3.1 पुनर्बीमा के संबंध में प्राधिकरण को दिया गया अधिदेश आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(1) और उप-धारा (एफ) एवं बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 34एफ, 101ए, 101बी और 101सी के उपबंधों में निहित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने दोनों जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा से संबंधित विनियम बनाये हैं जो पुनर्बीमाकर्ताओं के पास पुनर्बीमा रखने के लिए आधारभूत नियम निर्धारित करते हैं। बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अंतर्गत 'भारतीय पुनर्बीमाकर्ता' सभी प्रत्यक्ष गैर-जीवन बीमाकर्ताओं से प्रत्येक वर्ष निर्धारित रूप में बाध्यकर अध्यर्पण प्राप्त करने के लिए स्वयं को पात्र बनाते हैं। उक्त सीमाएँ भारत सरकार के अनुमोदन से पुनर्बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद निर्धारित किये गये हैं।

I.4.3.2 प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए एक व्यापक और कुशल पुनर्बीमा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है ताकि उसकी वित्तीय शक्ति की सीमाओं के अंदर परिचालन करने के लिए उसे समर्थ बनाया जा सके। यह बीमाकर्ता की शोधक्षमता को बनाये रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि दावे जब भी उत्पन्न हों तब उन्हें स्वीकार किया जा सके। अतः प्राधिकरण ने यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता अपने पुनर्बीमा कार्यक्रम के लिए अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा। विनियामक ढाँचा भी प्राधिकरण के पास वित्तीय वर्ष के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम उक्त वर्ष के प्रारंभ से कम से कम 45 दिन पहले दाखिल करने के लिए व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त बीमाकर्ताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे पुनर्बीमा व्यवस्थाओं से संबंधित समझौता पर्चियाँ अथवा कवर नोट प्राधिकरण के पास वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर दाखिल करें। ये उपाय किसी भी बीमा कंपनी के लिए पर्याप्त और कुशल पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अस्तित्व से संबद्ध महत्व पर विशेष बल देते हैं। यह स्मरण रहे कि किसी बीमा कंपनी की शोधक्षमता की स्थिति का निर्धारण 'पुनर्बीमा को घटाने' के आधार पर किया जाता है।

I.4.3.3 उक्त विनियम यह भी अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक बीमाकर्ता को उसकी वित्तीय शक्ति और व्यवसाय के परिमाण के अनुरूप अधिकतम संभव प्रतिधारण बनाये रखना चाहिए। पुनर्बीमा कार्यक्रम को तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार बताये गये हैं :

1. देश के अंदर प्रतिधारण को अधिकतम करें;
2. पर्याप्त क्षमता विकसित करें;
3. उपगत पुनर्बीमा लागतों के लिए सर्वाधिक संभव सुरक्षा प्राप्त करें; तथा
4. व्यवसाय के प्रबंधन को सरल बनाएँ।

I.4.3.4 आईआरडीएआई ने पुनर्बीमा विनियम, 2002 में संशोधन लागू किये हैं तथा उन्हें मार्च 2003 में अधिसूचित किये हैं।

बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता पुनर्बीमा व्यवसाय भारत के बाहर बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के पास उनकी क्रेडिट रेटिंग, दावा अनुभव, दावा भुगतान क्षमता और शोधक्षमता पर विचार करने के बाद रख सकते हैं। तदनुसार कुल पुनर्बीमा संबंधी सीमा जो एक बीमाकर्ता भारत के बाहर किसी बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता के पास रख सकता है, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, आपाती जोखिमों के पुनर्बीमा के संबंध में सभी बीमाकर्ताओं/

पुनर्बीमाकर्ताओं को अपना पुनर्बीमा कार्यक्रम प्राधिकरण के पास दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेश दिया गया है कि आपाती संचयनों के संबंध में पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ विभिन्न यथार्थपरक आपदा परिदृश्य परीक्षण का प्रयोग करते हुए पर्याप्त हैं और उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हैं। बीमा विधि संशोधन अधिनियम, 2015 का अनुसमर्थन होने के कारण पुनर्बीमा विनियम संशोधन की प्रक्रिया में हैं।

सीमापार पुनर्बीमाकर्ता

I.4.3.5 प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114(जेडडी) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों के अधीन 'सीमापार पुनर्बीमाकर्ता' संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी थे जो 6 जनवरी 2012 को जारी किये गये पहले के दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हैं। ये दिशानिर्देश उन 'सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं' पर लागू हैं जिनकी भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं है, परंतु जो भारतीय बीमा कंपनियों के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करते हैं।

प्राधिकरण ने इन दिशानिर्देशों के अनुसार सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं को विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन) के वार्षिक आबंटन की वर्तमान प्रक्रिया को समाप्त किया है। तथापि, सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक वर्ष एक बीमाकर्ता के माध्यम से प्राधिकरण को एक सूचना पत्रक प्रस्तुत करे। यह अनिवार्य कर दिया गया कि सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के पास पिछले पाँच वर्षों की अवधि के लिए कम से कम बीबीबी (एस एण्ड पी के साथ) का क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए और उनका पिछला दावा निष्पादन संतोषजनक होना चाहिए। पुनर्बीमाकर्ताओं को अपने स्वदेश में वैध संस्थाएँ होनी चाहिए तथा उन्हें अपने स्वदेश के पर्यवेक्षकों के द्वारा पर्यवेक्षित होना चाहिए। पुनर्बीमाकर्ता की शोधक्षमता स्वदेश के विनियमनकर्ता/ पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित मानकों से कम नहीं होनी चाहिए। उनकी वित्तीय शक्ति, प्रबंधन की गुणवत्ता और उनकी तकनीकी प्रारक्षण कार्यपद्धतियों की पर्याप्तता की निगरानी उनके स्वदेश के पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए। प्राधिकरण उन पुनर्बीमाकर्ताओं को एक वर्ष की वैधता अवधि के साथ एक विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन संख्या) प्रदान करेगा, जो ऐसे राष्ट्रीय विनियामक परिवेश में पंजीकृत और/ या प्रमाणीकृत हैं जिनके साथ भारत सरकार ने डीटीए करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

I.4.3.6 वर्ष 2015-16 में 244 पुनर्बीमाकर्ताओं और 90 लॉयड्स सिंडिकेटों को विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन) आबंटित की गई तथा 2016-17 के लिए प्राधिकरण ने 237 पुनर्बीमाकर्ताओं और 99 लॉयड्स सिंडिकेटों को 336 यूआईएन जारी की हैं।

सभी बीमाकर्ताओं / पुनर्बीमाकर्ताओं को 'सीमापार पुनर्बीमाकर्ता' संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निदेश दिया गया तथा कोई भी बीमाकर्ता/ पुनर्बीमाकर्ता ऐसी किसी संस्था के पास पुनर्बीमा व्यवसाय नहीं रख सकता जो पंजीकृत नहीं है और जिसके पास प्राधिकरण द्वारा आबंटित विलक्षण पहचान संख्या नहीं है।

प्राधिकरण ने उक्त दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि पंजीकृत सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के पास पुनर्बीमा व्यवसाय रखने का दायित्व भारतीय बीमाकर्ताओं अथवा भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं पर है। पुनर्बीमा व्यवसाय रखने से पहले यह सुनिश्चित करना भारतीय बीमाकर्ता अथवा भारतीय पुनर्बीमाकर्ता का दायित्व होगा कि सीमापार पुनर्बीमाकर्ता समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में अपेक्षाएँ पूरी करता है।

I.4.4 बीमा पूल आतंकवाद पूल

I.4.4.1 अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा 9/11 के बाद आतंकवाद बीमारक्षा को हटाने के बाद अप्रैल 2002 में भारत में सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा एक पहल के रूप में भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल बनाया गया। इस पूल ने इस प्रकार सफल परिचालनों के 14 वर्ष पूरे किये हैं। सभी भारतीय गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ और जीआईसी आरई उक्त पूल के सदस्य हैं। इस पूल का प्रशासन जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। यह पूल संपत्ति बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत रक्षित आतंकवाद जोखिम के बीमा के लिए लागू है।

I.4.4.2 प्रति स्थान क्षतिपूर्ति की सीमा आईएनआर 1000 करोड़ के पिछले स्तर की तुलना में 1 अप्रैल 2014 से ₹1,500 करोड़ तक

बढ़ाई गई है। उसी तारीख से आतंकवाद पूल व्यवस्था के अंतर्गत प्रीमियम दरों का अधोमुखी संशोधन किया गया है।

I.4.4.3 दलालों / एजेंटों द्वारा बेहतर विपणन के साथ आतंकवाद जोखिम बीमा के लिए बाजार व्यापन में सुधार लाने के लिए दलालों/ एजेंटों के माध्यम से प्राप्त आतंकवाद बीमा व्यवसाय के लिए 01.01.2014 से आतंकवाद प्रीमियम पर 5% तक दलाली/ एजेंसी कमीशन की अनुमति दी गई।

I.4.4.4 उक्त पूल की प्रीमियम आय 2014-15 के ₹472.33 करोड़ की तुलना में 2015-16 में ₹475.93 करोड़ रही। पूल द्वारा 2015-16 के दौरान भुगतान किये गये दावे ₹2.04 करोड़ के थे। 2015-16 के दौरान पूल के लिए किसी बड़ी हानि की सूचना नहीं दी गई।

I.4.4.5 पुनर्बीमाकर्ता (जीआईसी आरई) को बाध्यकर अध्यर्पणः अधिनियम के उपबंध

क) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए निर्धारित करती है कि प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के साथ प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिनियम की धारा 101बी के अधीन गठित पुनर्बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद विनिर्दिष्ट रूप में प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के निर्धारित प्रतिशत का पुनर्बीमा करेगा, जिन्हें 'बाध्यकर अध्यर्पण' अथवा 'सांविधिक अध्यर्पण' के रूप में भी जाना जाता है।

(ख) प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमित की जानेवाली प्रत्येक पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशतों को विनिर्दिष्ट कर सकता है तथा विभिन्न वर्गों के बीमा के लिए विभिन्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई भी प्रतिशत ऐसी पॉलिसी पर बीमित राशि के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ग) धारा 101ए(4) में व्यवस्था है कि बीमा अधिनियम, 1938 की की धारा 101ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना भी इस धारा के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित पुनर्बीमा के किसी भी व्यवसाय के संबंध में शर्तें निर्धारित कर सकती है तथा ऐसी शर्तें भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और अन्य बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी।

I.4.4.6 2015-16 के लिए पुनर्बीमाकर्ता (जीआईसी आरई) के प्रति बाध्यकर अध्यर्पण

1. भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमित की जानेवाली प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशत अध्यर्पण 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक के वर्ष के दौरान संबद्ध बीमाओं के संबंध में 5% होंगे।

2. वर्ष 2013-14 के लिए उक्त बाध्यकर अध्यर्पण व्यवसाय की सभी व्यवस्थाओं पर 5% तक घटाया गया जबकि 2012-13 में यह 10% था (मोटर और स्वास्थ्य को छोड़कर -- वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा सहित जहाँ उक्त दर 7.5% थी)। बाध्यकर अध्यर्पण की दर वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए 5% पर बनाये रखी गई है।

सारणी I.39 निवल प्रतिधारण (जीआईसी) 2015-16

व्यवसाय की व्यवस्था	देशी व्यवसाय %	विदेशी व्यवसाय %
फायर	55.51	90.74
मरीन कार्गो	92.84	83.93
मरीन हल	80.32	82.49
इंजीनियरिंग	77.60	95.95
विमानन	-	83.51
मोटर	100.00	100.00
विविध	92.15	100.00
जीवन	78.13	100.00
कुल	**85.70**	**92.69**

सारणी I.40 भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह (पूल) में सदस्यों का अंश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सदस्य कंपनी	2015-16		2016-17	
		प्रति जोखिम क्षमता	अंश (% में)	प्रतिजोखिम क्षमता	अंश (% में)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	237.615	15.841	237.615	15.841
2	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	178.215	11.881	170.715	11.381
3	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	237.615	15.841	237.615	15.841
4	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	178.215	11.881	178.215	11.881
5	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	188.865	12.591	188.865	12.591
6	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.640	4.976	74.640	4.976
7	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.105	1.007	15.105	1.007
8	चोलामंडलम जनरल इँश्योरेंस कंपनी लि.	29.505	1.967	29.505	1.967
9	फ्यूचर जनराली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.000	1.000	15.000	1.000
10	सरकारी बीमा निधि, गुजरात	15.000	1.000	15.000	1.000
11	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.105	1.007	15.105	1.007
12	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	118.815	7.921	118.815	7.921
13	इफ़्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	59.400	3.960	59.400	3.960
14	कोटक-महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2015-16 में पूल का सदस्य नहीं		7.500	0.500
15	एल एण्ड टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.105	1.007	15.105	1.007
16	लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.105	1.007	15.105	1.007
17	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	7.500	0.500	7.500	0.500
18	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.750	0.050	0.750	0.050
19	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	29.700	1.980	29.700	1.980
20	रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.000	1.000	15.000	1.000
21	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4.995	0.333	4.995	0.333
22	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.000	1.000	15.000	1.000
23	टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	23.760	1.584	23.760	1.584
24	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	9.990	0.666	9.990	0.666
	कुल	**1500**	**100**	**1500**	**100**

I.4.4.7 पुनर्बीमा सलाहकार समिति

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से पुनर्बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के निर्धारित प्रतिशत का पुनर्बीमा करेगा, जो 'बाध्यकर अध्यर्पण' अथवा 'सांविधिक अध्यर्पण' के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा क) भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमित की जानेवाली प्रत्येक पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशत विनिर्दिष्ट कर सकता है तथा बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं, बशर्ते कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई भी प्रतिशत ऐसी पॉलिसी पर बीमित राशि के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; तथा ख) वह अनुपात विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसमें उपर्युक्त प्रतिशत भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के बीच आबंटित किया जाएगा।

सारणी I.41
भारतीय व्यवसाय पर भारत के बाहर अध्यर्पित पुनर्बीमा (जीआईसी को छोड़कर)

(₹ करोड़)

वर्ग	2015-16		2014-15	
	अध्यर्पित प्रीमियम	अध्यर्पित निवल लाभ	अध्यर्पित प्रीमियम	अध्यर्पित निवल लाभ
फायर	2110.66	(303.75)	2220.44	(1,442.36)
मरीन कार्गो	317.58	(325.31)	375.84	(5.33)
मरीन हल	389.34	245.24	628.55	(207.02)
मोटर106.36	(99.64)	73.01	(28.36)	
विमानन	138.02	0.42	242.14	98.69
इंजीनियरिंग	562.30	149.41	646.75	3.39
अन्य विविध	3098.76	(508.46)	3021.31	211.93
कुल	**6723.03**	**(842.10)**	**7208.04**	**(1,369.06)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े ऋणात्मक मूल्य दर्शाते हैं।

सारणी I.42
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारत के अंदर और भारत के बाहर रखा गया पुनर्बीमा (जीआईसी को छोड़कर)

वर्ग	2015-16		2014-15	
	भारत में रखा गया	भारत के बाहर रखा गया	भारत में रखा गया	भारत के बाहर रखा गया
फायर	36.68	24.82	29.86	28.98
मरीन कार्गो	13.24	14.96	9.34	16.9
मरीन हल	37.50	42.73	21.89	59.7
मोटर	8.93	0.26	8.35	0.2
विमानन	71.97	32.26	36.95	57.86
इंजीनियरिंग	34.75	23.74	27.24	27.3
अन्य विविध	12.04	8.19	12.14	11.09
कुल	**14.06%**	**7.23%**	**12.76%**	**9.31%**

I.4.4.8 भारतीय मोटर अन्य पक्ष अस्वीकृत जोखिम बीमा पूल (डीआर पूल) का विखंडनः

1. प्राधिकरण ने दिनांक 23 दिसंबर 2011 के अपने आदेश सं. आईआरडीए/एनएल/ओआरडी एमपीएल/277/12/2011 के द्वारा 01 अप्रैल 2012 से केवल देयता वाणिज्यिक वाहन अन्य पक्ष बीमा के लिए एक अस्वीकृत जोखिम पूल निर्मित किया है।

2. इस बीच, 23 मार्च 2015 को बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 अधिसूचित किया गया, जिसके द्वारा बीमाकर्ताओं के लिए यह अधिदेशात्मक कर दिया गया कि वे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय का कुछ न्यूनतम प्रतिशत पूरा करें।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए एक ही प्रयोजन के लिए दो अधिदेशों को बनाये रखने की आवश्यकता नहीं थी और इस

सारणी I.43
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारतीय व्यवसाय पर निवल प्रतिधारित प्रीमियम (जीआईसी को छोड़कर)

वर्ग	2015-16			2014-15		
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
फायर	62.00	30.96	48.70	63.76	31.31	50.94
मरीन कार्गो	81.62	67.18	74.01	84.12	65.41	75.44
मरीन हल	28.50	10.45	26.62	26.15	8.71	24.53
मोटर	94.68	88.62	91.46	95.3	89.17	92.04
इंजीनियरिंग	63.30	26.52	51.40	69.24	26.62	55.73
विमानन	1.22	60.09	13.42	10.45	50.77	18.25
अन्य विविध	88.22	69.01	81.00	86.23	68.16	78.6
कुल	**85.71**	**86.78**	**80.88**	**84.74**	**75.24**	**80.34**

कारण से प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2016 से वाणिज्यिक वाहन के लिए भारतीय मोटर अन्य पक्ष अस्वीकृत जोखिम पूल (ऐक्ट ओनली बीमा) को विखंडित करने का निर्णय किया।

4. वर्ष 2015-16 के लिए अस्वीकृत जोखिम प्रीमियम ₹413.11 करोड़ (100%) है तथा वर्ष 2015-16 के लिए डीआर पूल को अध्यर्पित प्रीमियम ₹309.83 करोड़ (75%) है। सरकारी क्षेत्र कंपनियों और निजी क्षेत्र कंपनियों के बीच प्रीमियम का विश्लेषित विवरण सारणी .45 में दिया गया है।

5. प्राधिकरण ने भारतीय साधारण बीमा निगम को प्रेषित दिनांक 10 फरवरी 2016 के अपने पत्र सं. आईआरडीए/ एनएल/ एमटीपी/ डीआरपी/ 2013-1501/2016 के द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने के लिए अस्वीकृत जोखिम पूल के संबंध में वर्ष 2014-15 के लिए 184% पर अंतिम हानि अनुपात घोषित किया।

सारणी I.44
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण (जीआईसी सहित)

वर्ग	2015-16	2014-15
फायर	63.01	64.54
मरीन कार्गो	81.01	81.59
मरीन हल	44.51	35.47
मोटर	99.20	99.67
इंजीनियरिंग	67.23	71.8
विमानन	27.15	38.91
अन्य विविध	84.28	88.14
कुल	**87.72**	**89.57**

सारणी I.45 वर्ष 2015-16 के लिए अस्वीकृत जोखिम पूल के अंतर्गत प्रीमियम

	डीआर पूल को अध्यर्पित प्रीमियम (75 %) (₹ करोड़)
सरकारी क्षेत्र	302.32
निजी क्षेत्र	7.51
कुल	**309.83**

I.4.4.9 मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम दरों में संशोधन

1. दिनांक 15 अप्रैल 2011 की अधिसूचना सं. आईआरडीए/ एनएल/एनटीएफएन/एमओटीपी/ 066/04/2011 के अनुसार प्राधिकरण को केवल मोटर अन्य पक्ष देयता रक्षा के लिए प्रीमियम दरों की समीक्षा करनी चाहिए तथा उसमें विनिर्दिष्ट फार्मूले का उपयोग करते हुए वार्षिक तौर पर उनका समायोजन करना चाहिए।

2. तदनुसार, पूर्व के अखिल भारतीय मोटर प्रशुल्क के अनुसार वाहनों के प्रत्येक वर्ग पर उक्त फार्मूला लागू किया गया है।

तथापि, पॉलिसीधारकों पर दरों में वृद्धि के अचानक और प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, प्राधिकरण ने तदनुसार मोटर बीमा के कुछ वर्गों में दर को बढ़ाने अथवा घटाने के द्वारा उक्त दरों को संतुलित किया तथा वर्ष 2016-17 के लिए मोटर अन्य पक्ष बीमा रक्षा हेतु संशोधित प्रीमियम दरें दिनांक 28 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. आईआरडीए/ एनएल/ एनटीएफएन/ एमओटीपी/ 060/ 03/ 2015 के द्वारा अधिसूचित कीं।

I.4.5 बीमाकर्ताओं द्वारा निवेशों की निगरानी

I.4.5.1 सभी बीमाकर्ताओ से अपेक्षित है कि वे निवेश विनियमों के अंतर्गत निर्धारित रूप में निवेशों के स्वरूप का पालन करें। जीवन और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र द्वारा किये गये निवेशों का विवरण नीचे दिया गया हैः

बीमा क्षेत्र के कुल निवेश

I.4.5.2 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, बीमा क्षेत्र द्वारा किये गये निवेशों की संचित कुल राशि ₹26,90,194 करोड़ थी। वर्ष के दौरान यह 11.71 प्रतिशत बढ़ा है। जीवन बीमाकर्ताओं ने उद्योग द्वारा किये गये कुल निवेशों के अधिकांश भाग का लगातार अंशदान किया है जिनका अंश कुल निवेशों का 93.01 प्रतिशत है। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने कुल निवेशों में एक बड़े भाग 79.24 प्रतिशत का अंशदान करना जारी रखा, हालांकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा निवेश हाल के वर्षों में तीव्र गति से बढ़ रहे हैं।

I.4.5.3 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध निधियों के विभिन्न स्रोतों को पारंपरिक उत्पादों से निधियों एवं यूलिप उत्पादों से निधियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा निवेशित निधियों की कुल राशि ₹25,02,068 करोड़ थी। उसमें ₹3,40,412 करोड़ (कुल निधियों का 13.61 प्रतिशत) यूलिप निधियों से आया है तथा शेष ₹21,61,656 करोड़ (86.39 प्रतिशत) का अंशदान पारंपरिक उत्पादों के द्वारा किया गया। पिछले पाँच वर्षों के दौरान यूलिप का अंश एक अधोमुखी प्रवृत्ति का सामना कर रहा है और इसका अंश पिछवे वर्ष उसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2.53% नीचे आया।

सारणी I.46
बीमा क्षेत्र के कुल निवेश
(31 मार्च को)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	जीवन		गैर-जीवन		कुल	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
सरकारी	1786312 (13.37)	2009119 (12.47)	103561 (10.42)	122560 (18.35)	1889873 (13.30)	2131679 (12.79)
निजी	461210 (20.37)	492949 (6.88)	57153 (24.18)	65565 (14.72)	518363 (20.78)	558514 (7.75)
कुल	**2247522 (14.82)**	**2502068 (11.33)**	**160714 (14.95)**	**188126 (17.06)**	**2408236 (14.83)**	**2690194 (11.71)**

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।
2. 2016 सरकारी में विशेषीकृत बीमाकर्ता अर्थात ईसीजीसी और भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) शामिल हैं।

सारणी I.47
जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेश : लिखत-वार
(31 मार्च को)

(₹ करोड़)

निम्नलिखित से निवेश	2015		2016	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
पारंपरिक उत्पाद				
1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	722955	38.36	831049	38.44
2 राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	430554	22.84	528206	24.44
3 आवास और बुनियादी संरचना	174512	9.26	186112	8.61
4 अनुमोदित निवेश	530568	28.15	583145	26.98
5 अन्य निवेश	26193	1.39	33145	1.53
क. कुल (1+2+3+4+5)	**1884782**	**100.00**	**2161656**	**100.00**
यूलिप निधियाँ				
6 अनुमोदित निवेश	352371	97.14	328974	96.64
7 अन्य निवेश	10369	2.86	11438	3.36
ख. कुल (6+7)	**362740**	**100.00**	**340412**	**100.00**
कुल जोड़ (क+ख)	**2247522**		**2502068**	

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यूलिप निधि समग्र रूप में ₹22,328 करोड़ घट गई है।

I.4.5.4 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये निवेशों के स्वरूप में 31 मार्च 2015 की तुलना में 31 मार्च 2016 को कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया है। केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ और अनुमोदित निवेश जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा निवेशों के दो प्रमुख ज़रिये हैं।

I.4.5.5 निधियों के वर्गीकरण की पद्धति के आधार पर कुल निवेशों में जीवन निधि का अंशदान ₹16,97,453 करोड़ (67.84 प्रतिशत), पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि का अंशदान ₹4,64,203 करोड़ (18.55 प्रतिशत) तथा यूलिप निधि का अंशदान ₹3,40,412 करोड़ (13.61 प्रतिशत) रहा। 2015-16 के दौरान कुल निवेश में पेंशन/ वार्षिकी निधियों का अंश 17.33 प्रतिशत से बढ़कर 18.55 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, जीवन निधियों के अंश 66.53 प्रतिशत से 67.84 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। तदनुरूपी तौर पर यूलिप निधियों का अंश 16.14 प्रतिशत से 13.61 प्रतिशत तक नीचे आया है।

सारणी I.48
जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश : निधि-वार
(31 मार्च को)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	जीवन निधि		पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि		यूनिट सहबद्ध निधि		सभी निधियों का योग	
	2015	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**
एलआईसी	1359829	1527016	343813	412664	82671	69439	1786312	2009119
निजी	135480	170437	45660	51539	280069	270973	461210	492949
कुल	**1495309 (66.53)**	**1697453 (67.84)**	**389473 (17.33)**	**464203 (18.55)**	**362740 (16.14)**	**340412 (13.61)**	**2247522 (100.00)**	**2502068 (100.00)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल निधियों में से संबंधित निधियों का प्रतिशत है। .

सारणी I.49
निवेशों की वृद्धि : निधि-वार
(31 मार्च को)

(₹ करोड़)

निधि	2015		2016	
	कुल	वृद्धि % में	कुल	वृद्धि % में
जीवन	1495309	16.08	1697453	13.52
पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि	389473	15.37	464203	19.19
पारंपरिक (क)	**1884782**	**15.93**	**2161656**	**14.69**
यूनिट सहबद्ध निधियाँ (ख)	362740	9.37	340412	-6.16
कुल (क+ख)	**2247522**	**14.82**	**2502068**	**11.33**

सारणी I.50
गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेश : लिखत-वार
(31 मार्च को)

(₹ करोड़)

लिखतों का स्वरूप	2015		2016	
	कुल	निधि में से %	कुल	निधि में से %
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	42904	26.70	49994	26.57
राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	17120	10.65	22160	11.78
आवास और राज्य सरकार को आवास और एफएफई के लिए ऋण	14834	9.23	19503	10.37
बुनियादी संरचनागत निवेश	27277	16.97	31946	16.98
अनुमोदित निवेश	53734	33.43	58311	31.00
अन्य निवेश	4845	3.01	6212	3.30
कुल	**160714**	**100.00**	**188126**	**100.00**

टिप्पणी : 1. 2016 में ईसीजीसी और एआईसी ऑफ इंडिया शामिल हैं।
2. एफएफई : अग्निशमन उपस्कर

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के निवेशः

I.4.5.6 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने बीमा उद्योग द्वारा किये गये कुल निवेशों में केवल 6.99 प्रतिशत का ही अंशदान किया है। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र द्वारा किये गये निवेशों की कुल राशि ₹1,88,126 करोड़ थी। 2015-16 के दौरान निवेशों में निवल वृद्धि ₹27,412 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 17.06 प्रतिशत वृद्धि) थी।

I.4.5.7 निवेशों का स्वरूप पिछले वर्ष के समान ही बना रहा। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने अनुमोदित निवेशों और केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में क्रमशः ₹58,311 करोड़ (31 प्रतिशत) और ₹49,994 करोड़ (26.57 प्रतिशत) के निवेश किये हैं।

I.4.6 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

I.4.6.1 साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा संगृहीत सकल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 2015-16 के दौरान ₹24,448 करोड़ था और यह पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹20,096 करोड़ था। 2015-16 के दौरान स्वास्थ्य बीमा खंड ने सकल प्रीमियम में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है, जोकि पिछले पाँच वर्षों के दौरान सूचित की गई उच्चतम दर है। सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों ने लगातार 2015-16 में कुल स्वास्थ्य प्रीमियम के 64 प्रतिशत पर एक बड़े भाग का अंशदान करना जारी रखा जो पिछले वर्ष में इतना ही था। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2015-16 के दौरान कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का 16 प्रतिशत अंशदान किया है, और इस प्रकार उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। तथापि, निजी साधारण बीमाकर्ताओं के अंश में कुछ गिरावट है, जो 2014-15 के 22 प्रतिशत से 2015-16 में 20 प्रतिशत तक नीचे आया है। यह देखा जा सकता है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं का अंश 2011-12 के 27 प्रतिशत से 2015-16 में 20 प्रतिशत तक घट गया है, जबकि स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का अंश 12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक ऊपर उठा है तथा सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं का अंश 61 प्रतिशत से 64 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

बॉक्स मद 1

स्वास्थ्य बीमा में नवोन्मेषण

आज उत्पाद विकल्प, सोशल मीडिया तथा व्यवहारगत और जीवन-शैली संबंधी परिवर्तन उपभोक्ताओं की मानसिक प्रवृत्तियों को बदल रहे हैं। सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए नवोन्मेषण एक प्रमुख विभेदक बन गया है और बीमा इसका अपवाद नहीं है। विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा नवोन्मेषण के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध कराता है। नवोन्मेषण कोई नई बात नहीं है। औद्योगिक क्रांति से लेकर सूचना के युग की प्रौद्योगिकी ने असंख्य नवोन्मेषण देखे हैं, उदाहरण के लिए जो बीमा उद्योग सहित व्यवसाय और समाज में अंतर्ग्रथित हैं। जहाँ तक बीमा का संबंध है, नवोन्मेषण की पहचान वितरण, उत्पाद अभिकल्पन और कुशल सेवा से की जा सकती है जो किसी न किसी रूप में प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित हैं। मिसाल के लिए नकदीरहित सुविधा की गति पूरी तरह प्रोद्योगिकी के कारण ही संभव हो सकी है।

स्वास्थ्य बीमा तीव्र विस्तार का साक्षी रहा है तथा भविष्य के लिए भी इसकी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। जबकि बहुविध कारक इस वृद्धि को प्रेरित करते हैं, वहीं स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में नवोन्मेषण इनमें से एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि उत्पादों के क्षेत्र में हाल ही में घटित नवोन्मेषणों पर दृष्टिपात किया जाए तो निम्नलिखित का स्थान प्रमुख रूप से दिखाई देगा -- संवर्धित कवरेज, कवरेज के नये प्रकार जो अब तक अपवर्जित व्ययों को सम्मिलित करते हैं, अस्पताल में भर्ती से संबंधित प्रासंगिक और अनुषंगी व्ययों का कवरेज, बीमाकृत व्यक्ति की सक्रिय स्वास्थ्य पहलें आदि।

जब हम संवर्धित कवरेज की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि पार्किन्सन और अलझेइमेर की जैसी बीमारियों सहित गंभीर बीमारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जिन्हें आजकल कवर किया जा रहा है। वैयक्तिक दुर्घटना के प्रति प्रस्तावित कवरेज ने भी दुर्घटनाओं के विनिर्दिष्ट कारणों के लिए दुहरे या तिहरे लाभों के तौर पर वृद्धि देखी है, जैसे दुर्घटनाजनित छाले, अनुसूचित वाहनों की दुर्घटना, आदि। प्रतीक्षा अवधि / उत्तरजीविता अवधि की छूट/ पहले से विद्यमान बीमारी में कमी के लिए भी कवर प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती से पहले के और उसके बाद के व्ययों के लिए विस्तारित कवरेज दिया जा रहा है।

अब तक अपवर्जित बीमारियों / चिकित्साओं के लिए सह-भुगतान अथवा कटौतीयोग्य के साथ कवरेज प्रदान किया जा रहा है। अवयव-दाताओं के व्ययों को कवर किया जा रहा है। आयुष चिकित्सा के व्ययों की प्रतिपूर्ति की जा रही है। अनुर्वरता (इनफेर्टिलिटी) के लिए कवरेज है। कुछ मामलों में जोखिम-भरी क्रीडाओं के लिए वर्धित लाभ (ऐड-ऑन) और आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध कवर दिया जा रहा है। गैर-चिकित्सीय व्ययों के लिए भी कवर प्रदान किया जा रहा है। बैरियाट्रिक शल्यचिकित्सा जो अब तक अपवर्जित रही, के लिए कुछ बीमाकर्ताओं द्वारा कवर किया जा रहा है। कुछ पॉलिसियों के अंतर्गत सहायक वस्तुओं, जैसे कृत्रिम अंगों के लिए भी कवर प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य-लाभ / रिकवरी लाभ एक और ऐसा लाभ है जिसको कवर किया जा रहा है। कई अन्य नये कवर दिये जा रहे हैं। प्रसूति कवर जो पहले प्रायः सामूहिक पॉलिसियों के अंतर्गत ही उपलब्ध था, अब कुछ वैयक्तिक कवरों के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ मामलों में नवजात शिशुओं के लिए स्वचालित कवर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार टीका लगाने के लिए भी कवर दिया जाता है। दैनिक अस्पताल नकदी एक लोकप्रिय अभिकल्प बन गई है जहाँ बीमारक्षा का विश्व-भर में भी विस्तार किया गया है। आज मधुमेह और उच्चरक्तचाप के लिए विशिष्ट कवर उपलब्ध हैं। कई स्थानों पर बाह्यरोगी (आउटपेशेंट) कवर प्रारंभ किये जा रहे हैं। हवाई एम्बुलेंस के लिए कवर एक और नवोन्मेषण है। दूसरे डॉक्टर की राय के लिए कवर, साथ में आनेवाले व्यक्तियों के व्ययों के लिए कवर आदि भी आम बातें हो रही हैं। दुर्घटना के कारण अशक्तता की स्थिति में दैनिक निर्वाह के लिए घरेलू सहायता हेतु व्ययों के लिए कवर एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए परिवर्तनों के लिए कवर आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए शिक्षा के लाभ आदि सहित वर्धित लाभ (ऐड-ऑन) भी प्रारंभ किये जा रहे हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए 'पैकेज' और 'कॉम्बी' के रूप में स्वास्थ्य कवर भी उपलब्ध हैं। एक अन्य उल्लेखनीय नवोन्मेषण का कवरेज के लिए विस्तार भौगोलिक सीमाओं से आगे किया गया है कुछ कवर अब विश्व-भर में प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

अनेक बीमाकर्ता एक अतिरिक्त / वैकल्पिक लाभ के रूप में अपने उत्पादों में संपूर्ण स्वास्थ्य (वेलनेस) कार्यक्रम अथवा मूल्य वर्धित (वैल्यू ऐडेड) सेवा भी उपलब्ध करा रहे हैं। जबकि विभिन्न बीमाकर्ताओं के पास विभिन्न अभिकल्प हैं, प्राथमिक उद्देश्य अपने स्वास्थ्य.को सुधारने के लिए बीमाकृत व्यक्ति की संलिप्तता और सहभागिता को बढ़ाना है ताकि लंबी अवधि में दावे के विस्तार और तीव्रता को कम किया जा सके। संपूर्ण स्वास्थ्य के लाभों में नियमित जिम गतिविधि, ऑनलाइन स्वास्थ्य जोखिम निर्धारण, निवारक जोखिम निर्धारण आदि जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यकलाप करने के लिए ऋण (क्रेडिट) शामिल किया जा सकता है। दावा संबंधी अनुभव का विचार किये बिना निवारक स्वास्थ्य रक्षा, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य की निःशुल्क जाँच आम तौर पर प्रस्तावित किया जानेवाला लाभ बन रहा है। संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य लाभों में 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण, बीमारी / चिरकालिक स्थिति प्रबंध सेवाएँ आदि शामिल हैं।

नवीनतम विनियामक पहलें (आईआरडीएआई स्वास्थ्य सेवा विनियम, 2016 में घोषित) नवोन्मेषण को सुसाध्य बनाती हैं। उक्त विनियम पॉलिसीधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य और निवारक पहलुओं के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इनका संपूरण कुछ दिशानिर्देशों से किया गया है जो स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण दिशानिर्देश, 2016 का भाग बनते हैं। प्रायोगिक उत्पाद की संकल्पना का प्रारंभ बीमाकर्ताओं के लिए उत्पाद के सीमित जीवन के बारे में पॉलिसीधारक के प्रति पारदर्शी रहते हुए भी नवोन्मेषण के लिए अपनी ओर से प्रयास करने के लिए गुंजाइश प्रदान करता है।

सारणी I.51
पिछले पाँच वर्षों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	8015 (61%)	9580 (62%)	10841 (62%)	12882 (64%)	15591 (64%)
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	3445 (27%)	4205 (27%)	4482 (26%)	4386 (22%)	4911 (20%)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	1609 (12%)	1668 (11%)	2172 (12%)	2828 (14%)	3946 (16%)
उद्योग कुल	**13,069**	**15,453**	**17,495**	**20,096**	**24,448**
वार्षिक वृद्धि दर (% में)	**18.5%**	**18.2%**	**13.2%**	**14.9%**	**21.7%**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बाजार अंश दर्शाते हैं।

चार्ट I.19 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति

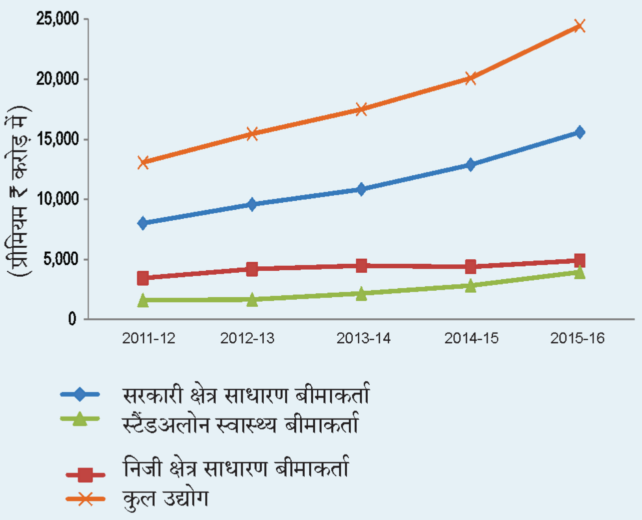

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण:

I.4.6.2 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा (सरकार द्वारा प्रायोजित को छोड़कर अन्य) और वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यवसाय के इन तीनों वर्गों में वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा ने पिछले पाँच वर्षों में कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में अपने अंश में उल्लेखनीय वृद्धि सूचित की है, जो 2011-12 के 37 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 42 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर, कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का अंश 2011-12 के 17 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 10 प्रतिशत रह गया है। इसी अवधि में सामूहिक स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर अन्य) का अंश लगभग 46 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। इस स्थिति के होते हुए, यह देखा जा सकता है कि जबकि सामूहिक व्यवसाय स्थिर रहा है, वहीं सरकारी व्यवसाय का अंश कम हो रहा है।

सरकारी व्यवसाय से संगृहीत प्रीमियम की वास्तविक राशि के तौर पर पिछले पाँच वर्षों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं है। तथापि, दोनों वैयक्तिक और सामूहिक व्यवसाय (सरकारी को छोड़कर अन्य) से संगृहीत प्रीमियम की राशि इसी अवधि में दुगुनी से अधिक हो गई है।

सारणी I.52
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का वर्गीकरण

(₹ करोड़)

व्यवसाय का वर्ग	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ आरएसबीवाई सहित	2225 (17%)	2348 (15%)	2082 (12%)	2474 (12%)	2425 (10%)
सामूहिक व्यवसाय (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर अन्य)	5948 (46%)	7186 (47%)	8058 (46%)	8899 (44%)	11621 (48%)
वैयक्तिक व्यवसाय	4896 (37%)	5919 (38%)	7355 (42%)	8772 (44%)	10353 (42%)
कुल जोड़	**13,069**	**15,453**	**17,495**	**20,096**	**24,448**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में व्यवसाय के प्रत्येक वर्ग का अंश दर्शाते हैं।

चार्ट I.20 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण
(सकल प्रीमियम के तौर पर)

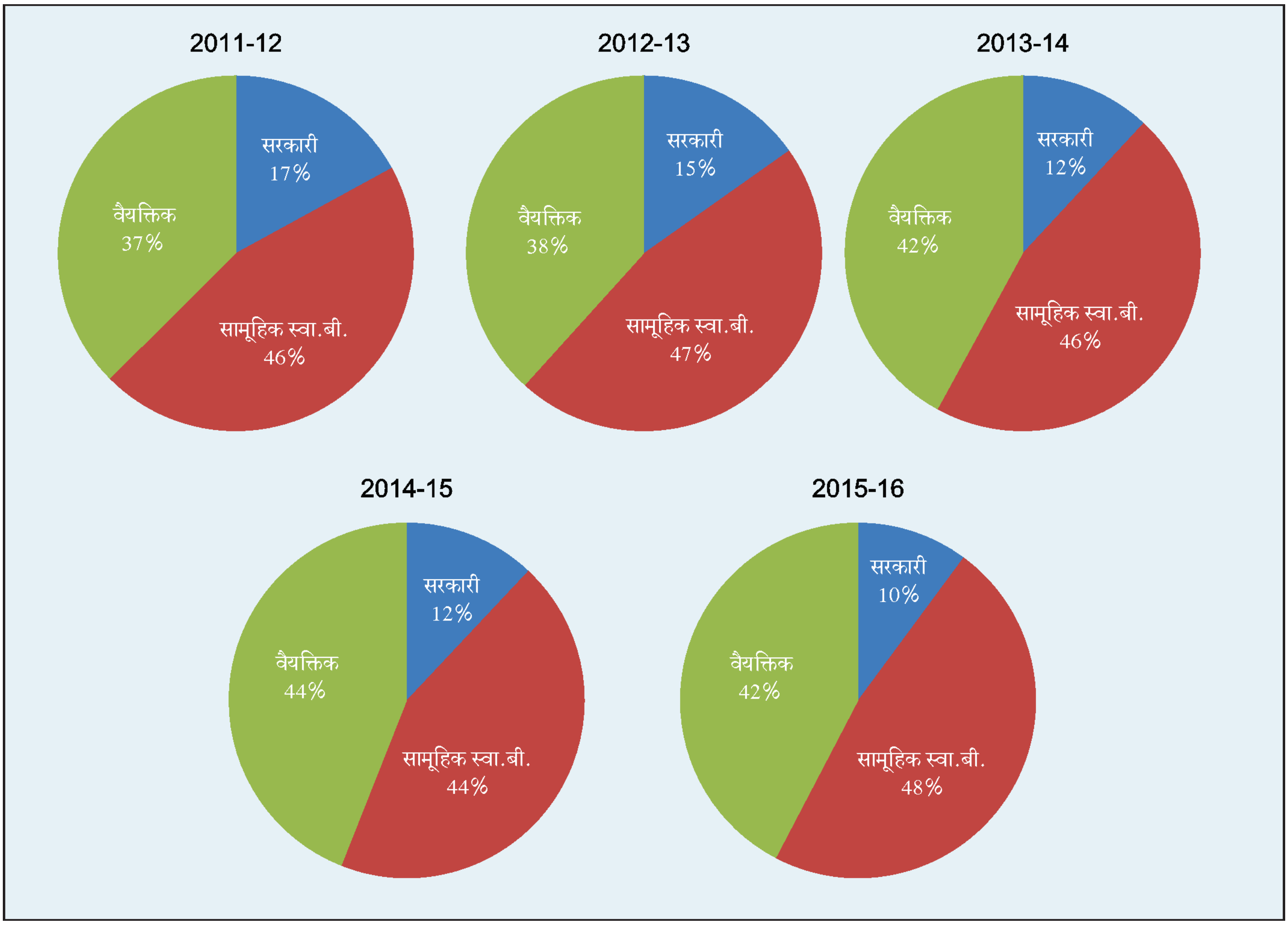

सारणी I.53
स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या

(लाख में)

व्यवसाय का वर्ग	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ आरएसबीवाई सहित	1612 (76%)	1494 (72%)	1553 (72%)	2143 (74%)	2733 (76%)
सामूहिक (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर अन्य)	300 (14%)	343 (17%)	337 (15%)	483 (17%)	570 (16%)
वैयक्तिक व्यवसाय	206 (10%)	236 (11%)	272 (13%)	254 (9%)	287 (8%)
कुल जोड़	**2118**	**2073**	**2162**	**2880**	**3590**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सम्मिलित व्यक्तियों की कुल संख्या में व्यवसाय के प्रत्येक वर्ग का अंश दर्शाते हैं।

चार्ट I.21 सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या
व्यवसाय के विभिन्न वर्गों का अंश

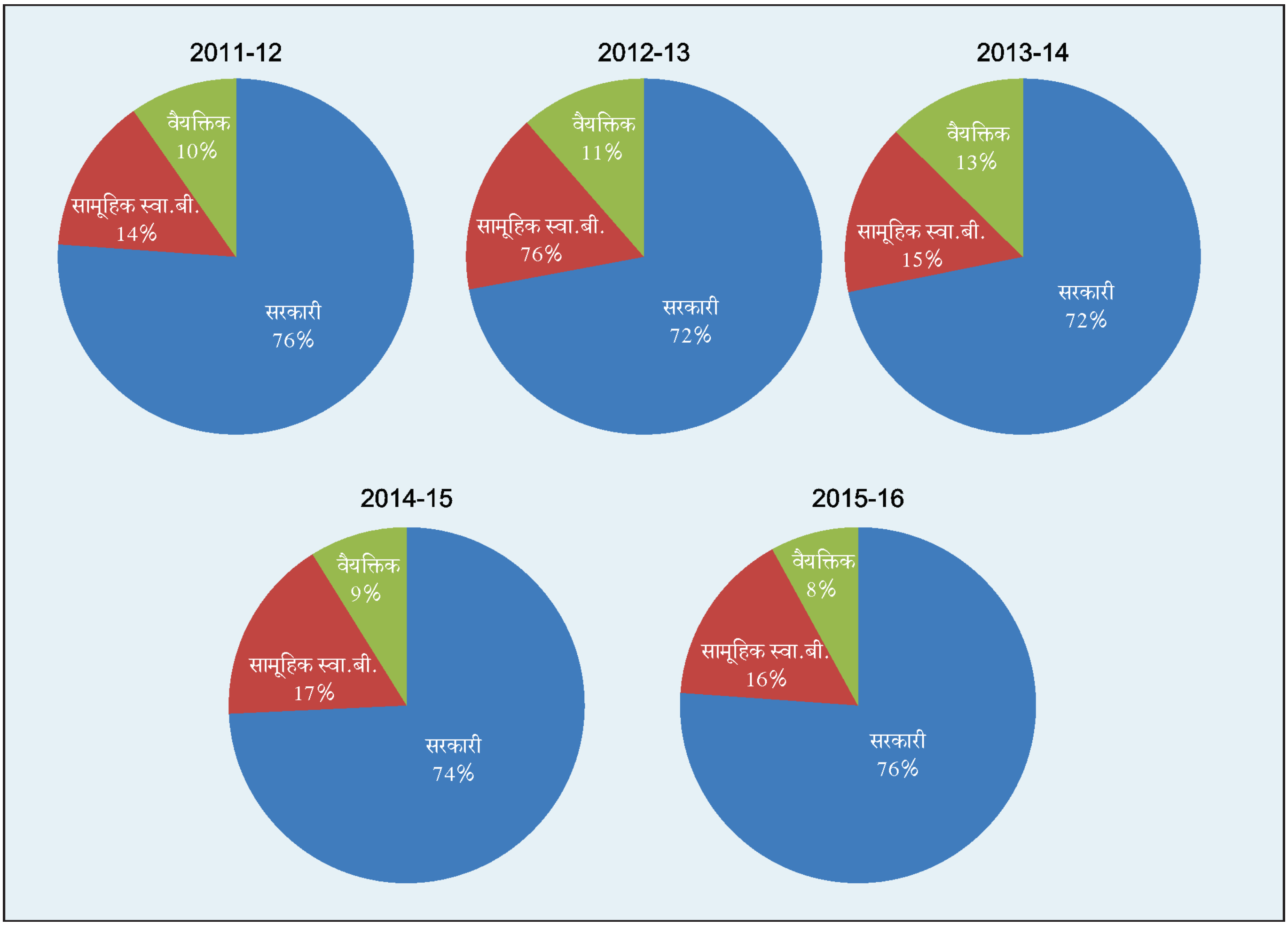

सारणी I.54
व्यवसाय का वर्ग-वार निवल उपगत दावा अनुपात

(प्रतिशत%)

व्यवसाय का वर्ग	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ आरएसबीवाई सहित	90%	87%	93%	108%	109%
सामूहिक (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर अन्य)	100%	104%	110%	116%	120%
वैयक्तिक व्यवसाय	85%	83%	83%	81%	77%
कुल योग	**94%**	**94%**	**97%**	**101%**	**102%**

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या:

I.4.6.3 2015-16 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 35.90 करोड़ व्यक्तियों को समाविष्ट करते हुए लगभग 1.18 करोड़ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ जारी की हैं (2014-15 : 28.8 करोड़) तथा पिछले वर्ष सम्मिलित किये गये व्यक्तियों की संख्या में 24.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के तौर पर तीन-चौथाई भाग के व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल किया गया तथा शेष एक-चौथाई हिस्से के व्यक्तियों को साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई सामूहिक और वैयक्तिक पॉलिसियों द्वारा समाविष्ट किया गया।

निवल उपगत दावा अनुपात की प्रवृत्ति

I.4.6.4 निवल उपगत दावा अनुपात (निवल आईसीआर) में वृद्धि की प्रवृत्ति 2015-16 में जारी रही। निवल आईसीआर 2011-12 और 2012-13 के लिए 94 प्रतिशत था तथा 2013-14 में 97 प्रतिशत, 2014-15 में 101 प्रतिशत और 2015-16 में 102% था।

चार्ट I.22 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का निवल उपगत दावा अनुपात

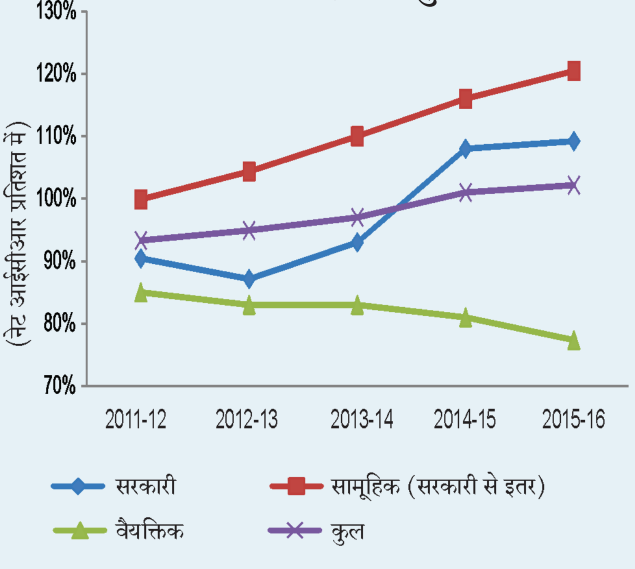

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के विभिन्न वर्गों के बीच निवल आईसीआर विशेष रूप से सामूहिक व्यवसाय (सरकारी से इतर) के लिए उच्च है, जो पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए 100 प्रतिशत से अधिक था और इस अवधि में सुसंगत रूप में बढ़ता रहा है। दूसरी ओर, वैयक्तिक व्यवसाय का निवल आईसीआर क्रमिक गिरावट दर्शा रहा है

सारणी: I.55
स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का क्षेत्र-वार निवल उपगत दावा अनुपात

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	101%	103%	106%	112%	117%
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	78%	78%	87%	84%	81%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	60%	61%	67%	63%	58%
उद्योग का औसत	**93%**	**95%**	**97%**	**101%**	**102%**

सारणी I.56 : वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या

(लाख में)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	1578	1265	753	764	3609
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	456	698	972	2437	826
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	18	21	21	30	38
कुल उद्योग	**2052**	**1984**	**1746**	**3231**	**4473**

सारणी I.57
क्षेत्र-वार वैयक्तिक दुर्घटना बीमा प्रीमियम

(₹ करोड़)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	682 (49%)	650 (41%)	614 (36%)	708 (33%)	879 (34%)
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	672 (49%)	919 (57%)	1,060 (61%)	1351 (63%)	1561 (60%)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	34 (2%)	40 (2%)	55 (3%)	94 (4%)	170 (6%)
कुल जोड़	**1,388**	**1,609**	**1,729**	**2,153**	**2,610**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रीमियम में विभिन्न क्षेत्रों का अंश दर्शाते हैं।

जो 2011-12 के 85 प्रतिशत से 2015-16 में 77 प्रतिशत तक कम हो गया है। सरकारी व्यवसाय के संबंध में निवल आईसीआर में उल्लेखनीय वृद्धि है क्योंकि 2011-12 के दौरान विद्यमान 90 प्रतिशत से 2015-16 में 109 प्रतिशत तक इसमें उन्नति हुई है।

उपर्युक्त सारणी से हम देख सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं का निवल आईसीआर पिछले सभी पाँच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत से अधिक था। इसके साथ ही, पिछले दो वर्षों में तीव्र वृद्धि है। दूसरी ओर, विश्लेषणाधीन अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का निवल आईसीआर क्रमशः 80 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के दायरे में है।

वैयक्तिक दुर्घटना व्यवसायः

I.4.6.5 2015-16 के दौरान बीमा उद्योग ने वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कुल 44.73 करोड़ व्यक्तियों को सम्मिलित किया है। इसमें न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी लि. द्वारा प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत सम्मिलित किये गये 25.75 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय ₹2610 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्शाती है। जबकि निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने कुल प्रीमियम के 60 प्रतिशत का अंशदान किया है, वहीं सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम के 34 प्रतिशत का अंशदान किया है तथा शेष 6 प्रतिशत का अंशदान स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा किया गया है। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए आईसीआर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 62.24 प्रतिशत था।

विदेश यात्रा बीमा

I.4.6.6 2015-16 के दौरान बीमा क्षेत्र ने 39.29 लाख व्यक्तियों को बीमारक्षा प्रदान करते हुए 22.39 लाख विदेश यात्रा बीमा पॉलिसियाँ जारी की हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विदेश यात्रा

सारणी I.58
क्षेत्र वार विदेश यात्रा बीमा प्रीमियम

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	30 (9%)	43 (11%)	46 (10%)	41 (9%)	32 (6%)
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	295 (86%)	325 (84%)	393 (86%)	403 (86%)	467 (87%)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	17 (5%)	19 (5%)	18 (4%)	21 (5%)	37 (7%)
कुल जोड़	**342**	**387**	**457**	**465**	**536**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रीमियम में विभिन्न क्षेत्रों का अंश दर्शाते हैं।

बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय ₹536 करोड़ थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान यह 465 करोड़ रुपये थी। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 54.1 प्रतिशत था।

व्यवसाय की इस व्यवस्था में निजी साधारण बीमाकर्ता प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनका बाजार अंश सकल प्रीमियम में 87 प्रतिशत रहा है। कुल सकल प्रीमियम में सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने क्रमशः 6% और 7% के अंश का योगदान किया। निजी साधारण बीमाकर्ताओं में तीन कंपनियों अर्थात टाटा एआईजी (29 प्रतिशत बाजार अंश), बजाज अलायंज़ (21 प्रतिशत) और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (15 प्रतिशत) ने कुल सकल प्रीमियम के दो-तिहाई हिस्से का अंशदान किया।

देशी यात्रा बीमा

I.4.6.7 देशी यात्रा बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय 2015-16 के दौरान ₹21.80 करोड़ थी, जिसने पिछले वर्ष 2014-15 की तुलना में 35.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जबकि कोई भी स्टैंड-अलोन बीमाकर्ता देशी यात्रा बीमा पॉलिसियाँ नहीं बेचता, व्यवसाय की यह व्यवस्था केवल छह निजी साधारण बीमाकर्ताओं और सरकारी क्षेत्र के एक बीमकर्ता अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उत्पन्न की गई है। दो निजी बीमाकर्ताओं अर्थात आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और टाटा एआईजी व्यवसाय की इस व्यवस्था में क्रमशः 64 प्रतिशत और 32 प्रतिशत पर बड़ा बाजार अंश धारित करते हैं। 2015-16 के दौरान उद्योग ने 22.57 लाख व्यक्तियों को बीमारक्षा प्रदान करते हुए 21.08 लाख बीमा पॉलिसियाँ जारी की हैं। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए आईसीआर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 2.14 प्रतिशत था।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का राज्य-वार वितरण

I.4.6.8 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के राज्य-वार वितरण ने भारत के विभिन्न राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का एक अधिक विषम वितरण दर्शाया है। जबकि पाँच राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली यूटी और गुजरात ने कुल स्वास्थ्य

सारणी I.59
क्षेत्र-वार देशी यात्रा बीमा सकल प्रीमियम

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	0.03	0.04	0.03	0.01	0.002
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	14.22	15.43	12.32	16.05	21.80
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
कुल जोड़	**14.25**	**15.47**	**12.35**	**16.06**	**21.80**

सारणी I.60
2015-16 के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में शीर्षस्थ 5 राज्यों का अंश

राज्य /सं.रा.क्षेत्र	सामूहिक व्यवसाय (आरएसबीवाई और सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर)		सरकारी व्यवसाय (केवल आरएसबीवाई और अन्य सरकार प्रायोजित योजनाएँ)		वैयक्तिक व्यवसाय		कुल स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	
	राशि ₹ करोड़ में	अखिल भारतीय प्रीमियम में अंश का %	राशि ₹ करोड़ में	अखिल भारतीय प्रीमियम में अंश का %	राशि ₹ करोड़ में	अखिल भारतीय प्रीमियम में अंश का %	राशि ₹ करोड़ में	अखिल भारतीय प्रीमियम में अंश का %
महाराष्ट्र	4251	37%	756	31%	2708	26%	7715	32%
तमिलनाडु	1694	15%	555	22%	859	8%	3107	13%
कर्नाटक	2064	18%	44	2%	587	6%	2695	11%
दिल्ली	915	8%	0	0%	1061	10%	1976	8%
गुजरात	149	1%	35	1%	1276	12%	1461	6%
शेष भारत	2548	21%	1084	44%	3862	38%	7494	30%
अखिल भारत कुल	**11621**	**100%**	**2474**	**100%**	**10353**	**100%**	**24448**	**100%**

टिप्पणी : राज्यों का स्थान-निर्धारण कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के आधार पर किया गया है।

चार्ट I.23 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राज्यों का अंश
वित्तीय वर्ष 2015-16

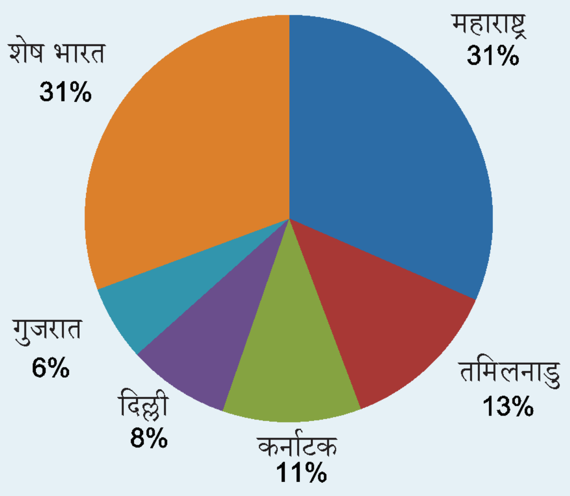

बीमा प्रीमियम के 69 प्रतिशत का अंशदान किया, वहीं शेष 31 राज्यों / संघ-राज्य क्षेत्रों ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 31 प्रतिशत का अंशदान किया। अकेले महाराष्ट्र राज्य ने ही कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के ₹7715 करोड़ (32 प्रतिशत) का अंशदान किया। दूसरी ओर, उत्तर-पूर्वी भारत (सिक्किम राज्य सहित) के 8 सहोदर राज्यों से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 2015-16 के लिए केवल ₹195 करोड़ (0.80 प्रतिशत) ही था।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का माध्यम-वार वितरण

I.4.6.9 वितरण के विभिन्न माध्यमों के बीच वैयक्तिक एजेंट 33 प्रतिशत पर लगातार कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के एक बड़े अंश का योगदान करते हैं। वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम म् उनका अंश 70 प्रतिशत पर अभी भी उच्चतर है।

'प्रत्यक्ष विक्रय ऑनलाइन को छोड़कर अन्य' स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए दूसरा प्रमुख माध्यम है। इस माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 28 प्रतिशत का अंशदान किया है। सामूहिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में इस माध्यम का अंश 43 प्रतिशत पर बहुत अधिक है।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए एक और महत्वपूर्ण माध्यम दलाल है, जिन्होंने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 24 प्रतिशत का अंशदान किया है। यहाँ भी, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में दलालों का अंश 39 प्रतिशत पर अधिक है।

बैंकेश्युरेंस ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 7 प्रतिशत का अंशदान किया तथा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के ऑनलाइन विक्रय ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 2 प्रतिशत का अंशदान किया।

सारणी I.61
वितरण के विभिन्न माध्यमों का अंश वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और प्रीमियम की राशि

माध्यम का नाम	वैयक्तिक व्यवसाय		सामूहिक व्यवसाय		कुल (वैयक्तिक + सामूहिक)	
	जारी की गई पॉलिसियों की सं.	सकल प्रीमियम	जारी की गई पॉलिसियों की सं.	सकल प्रीमियम	जारी की गई पॉलिसियों की सं.	सकल प्रीमियम
दलाल	4%	4%	7%	39%	4%	24%
कॉरपोरेट एजेंट बैंक	13%	11%	44%	4%	14%	7%
कॉरपोरेट एजेंट बैंकों को छोड़कर अन्य	3%	5%	11%	1%	3%	2%
प्रत्यक्ष विक्रय ऑनलाइन	2%	2%	2%	2%	2%	2%
प्रत्यक्ष विक्रय - ऑनलाइन को छोड़कर अन्य	10%	8%	3%	43%	9%	28%
वैयक्तिक एजेंट	69%	70%	33%	6%	68%	33%
सूक्ष्म-बीमा एजेंट	0.02%	0.00%	0.04%	0.00%	0.02%	0.00%
वेब-संग्राहक	0.21%	0.23%	0.00%	0.00%	0.20%	0.10%
अन्य	0.01%	0.15%	0.03%	4.78%	0.01%	2.82%
सभी माध्यमों का कुल जोड़	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

2015-16 के दौरान स्वास्थ्य बीमा दावा विकास

सारणी I.62
अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से संभाले गये दावे

(संख्याएँ वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

विवरण	नकदी रहित		प्रतिपूर्ति		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे	2,26,249	61,678	1,34,950	81,439	197	38	3,61,396	1,43,155
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	35,31,858	10,46,203	30,76,073	9,98,477	1,416	418	66,09,347	20,45,098
अवधि के दौरान निपटाये गये दावे	32,25,958	8,33,360	26,21,230	7,74,190	915	307	58,48,103	16,07,857
अवधि के दौरान निराकृत दावे	2,30,002	1,13,816	4,13,060	1,77,451	591	122	6,43,653	2,91,390
वर्ष के अंत में लंबित दावे	3,02,147	88,995	1,76,733	84,113	107	26	4,78,987	1,73,135

सारणी I.63
बीमाकर्ताओं द्वारा सीधे संभाले गये दावे

(संख्याएँ वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

विवरण	नकदी रहित		प्रतिपूर्ति		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे	1,36,067	18,256	67,942	42,290	2,050	5,058	2,06,059	65,604
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	16,62,818	3,14,607	9,10,272	3,83,734	32,114	18,275	26,05,550	7,16,616
अवधि के दौरान निपटाये गये दावे	14,54,499	2,37,721	7,07,372	3,23,698	24,559	6,615	21,86,608	5,68,033
अवधि के दौरान निराकृत दावे	1,63,951	53,381	2,26,321	79,947	5,389	9,861	3,95,696	1,43,189
वर्ष के अंत में लंबित दावे	1,80,435	25,647	44,521	43,863	4,216	6,886	2,29,303	76,397

सारणी I.64
दोनों अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) द्वारा और आंतरिक रूप से सँभाले गये दावे

(संख्याएँ वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

विवरण	नकदी रहित		प्रतिपूर्ति		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे	362316	79934	202892	123729	2247	5096	567455	208759
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	5194676	1360811	3986345	1382211	33530	18693	9214897	2761715
अवधि के दौरान निपटाये गये दावे	4680457	1071080	3328602	1097888	25474	6922	8034711	2175890
अवधि के दौरान निराकृत दावे	393953	167197	639381	257398	5980	9983	1039349	434579
वर्ष के अंत में लंबित दावे	482582	114643	221254	127977	4323	6912	708290	249532

दावों की अवधि का विवरण दावों का निपटान 2015-16

सारणी I.65
टीपीए के माध्यम से संभाले गये दावों का विवरण

(संख्या वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

लिया गया समय	नकदी रहित		प्रतिपूर्ति		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1 महीना	27,05,759	6,62,435	20,21,775	5,19,587	597	125	47,28,131	11,82,147
1 से 3 महीने	4,35,985	1,49,349	4,04,534	1,77,382	201	82	8,40,720	3,26,814
3 से 6 महीने	67,117	16,943	1,39,397	49,196	57	31	2,06,571	66,170
6 से 12 महीने	14,567	3,255	46,934	16,445	38	40	61,539	19,740
1 से 2 वर्ष	2,096	632	6,734	10,514	15	22	8,845	11,168
2 वर्ष	434	746	1,856	1,066	7	7	2,297	1,818
कुल	**32,25,958**	**8,33,360**	**26,21,230**	**7,74,190**	**915**	**307**	**58,48,103**	**16,07,857**

सारणी I.66
बीमाकर्ताओं द्वारा आंतरिक रूप से संभाले गये दावे

(संख्या वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

लिया गया समय	नकदी रहित		प्रतिपूर्ति		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1 महीना	14,14,423	2,30,873	5,96,769	2,62,387	23,625	5,236	20,34,997	4,98,495
1 से 3 महीने	29,142	5,415	66,504	31,735	752	1,131	96,398	38,281
3 से 6 महीने	699	883	35,206	17,116	126	216	36,031	18,214
6 से 12 महीने	10,166	347	5,587	6,021	35	27	15,786	6,396
1 से 2 वर्ष	36	191	1,867	5,529	8	1	1,911	5,721
2 वर्ष	33	11	1,439	911	12	5	1,484	926
कुल	**14,54,499**	**2,37,721**	**7,07,372**	**3,23,698**	**24,559**	**6,615**	**21,86,608**	**5,68,033**

सारणी I.67
दोनों टीपीए द्वारा और आंतरिक रूप से संभाले गये दावे

(संख्या वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

लिया गया समय	नकदी रहित		प्रतिपूर्ति		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1 महीना	4120182	893308	2618544	781973	24222	5361	6763128	1680642
1 से 3 महीने	465127	154765	471038	209117	953	1213	937118	365095
3 से 6 महीने	67816	17826	174603	66311	183	247	242602	84384
6 से 12 महीने	24733	3602	52521	22466	73	67	77325	26136
1 से 2 वर्ष	2132	823	8601	16043	23	23	10756	16889
2 वर्ष	467	756	3295	1976	19	11	3781	2744
कुल	**4680457**	**1071080**	**3328602**	**1097888**	**25474**	**6922**	**8034711**	**2175891**

चार्ट: I.24 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में विभिन्न माध्यमों का अंशदान

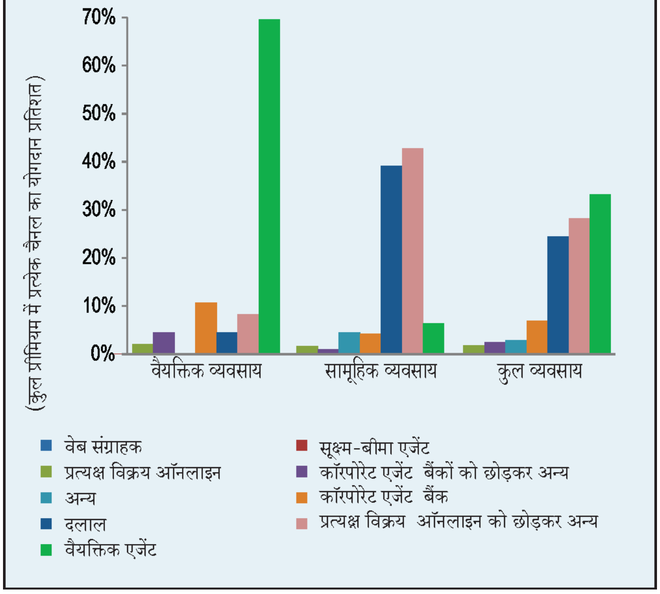

2015-16 के दौरान दावा विकास और अवधि

सारणियों I.62, I.63 और I.64 के विश्लेषण से की गई टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं :-

- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान साधारण बीमा और स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 80.35 लाख स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान किया है तथा दावों के प्रति ₹21,759 करोड़ का भुगतान किया है।

- निपटाये गये दावों की संख्या के तौर पर 73 प्रतिशत दावे टीपीए के माध्यम से निपटाये गये और शेष दावों का निपटान आंतरिक रूप से (इन-हाउस) किया गया।

- दावों के निपटान की विधि के तौर पर कुल दावों में से 58 प्रतिशत दावों का निपटान नकदी रहित विधि से किया गया। शेष 42 प्रतिशत दावे प्रतिपूर्ति की पद्धति के द्वारा किया गया है।

- वर्ष के दौरान बीमाकर्ताओं ने पंजीकृत दावों में से 82.13 प्रतिशत दावों का निपटान किया है तथा पंजीकृत दावों की संख्या के 10.62 प्रतिशत दावों को निराकृत किया है। शेष 7.25 प्रतिशत दावे 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार निपटान के लिए लंबित थे।

सारणी I.68
31 मार्च 2016 को विद्यमान टीपीए की सूची

क्रम सं.	टीपीए का नाम
1	युनाइटेड हेल्थकेअर पारेख टीपीए प्रा. लि.
2	मेडी असिस्ट इंडिया टीपीए प्रा. लि.
3	एमडी इंडिया हेल्थकेअर (टीपीए) सर्विसेज़ (प्रा.) लि.
4	पैरमाउन्ट हेल्थ सर्विसेज़ एण्ड इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि.
5	ई मेडीटेक (टीपीए) सर्विसेज़ लि.
6	हेरिटेज हेल्थ टीपीए प्रा. लि.
7	फ़ोकस हेल्थ सर्विसेज़ टीपीए प्रा. लि.
8	मेडीकेअर टीपीए सर्विसेज़ (आई) प्रा. लि.
9	फ़ैमिली हेल्थ प्लान (टीपीए) लि.
10	रक्षा टीपीए प्रा. लि.
11	वाइडल हेल्थ टीपीए प्राइवेट लिमिटेड
12	अन्युता टीपीए इन हेल्थकेअर प्रा. लि.
13	ईस्ट वेस्ट असिस्ट टीपीए प्रा. लि.
14	मेड सेव हेल्थ केअर टीपीए लि.
15	जेनिन्स इंडिया टीपीए लि.
16	अलंकित हेल्थ केअर टीपीए लिमिटेड
17	हेल्थ इंडिया टीपीए सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
18	गुड हेल्थ टीपीए सर्विसेज़ लि.
19	विपुल मेड कॉर्प टीपीए प्रा. लि.
20	पार्क मेडीक्लेम टीपीए प्राइवेट लि.
21	सेफ़वे टीपीए सर्विसेज़ प्रा. लि.
22	अनमोल मेडीकेअर टीपीए लि.
23	डेडिकेटेड हेल्थकेअर सर्विसेज़ टीपीए (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
24	ग्रैण्ड हेल्थ केअर टीपीए सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
25	रोथशील्ड हेल्थकेअर (टीपीए) सर्विसेज़ लिमिटेड
26	हैपी इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि.
27	एरिक्सन इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि.
28	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ़ इँडिया लि.

सारणी I.69
2015-16 के दौरान नवीकृत टीपीए पंजीकरणों की सूची

क्रम सं.	टीपीए का नाम
1	गुड हेल्थ टीपीए सर्विसेज़ लि.
2	जेनिन्स इँडिया टीपीए लि.
3	डेडिकेटेड हेल्थकेअर सर्विसेज़ टीपीए प्रा. लि.
4	हेल्थ इंडिया टीपीए सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
5	ईस्ट वेस्ट असिस्ट टीपीए प्रा. लि.
6	अन्युता टीपीए इन हेल्थकेअर प्रा. लि.
7	ग्रैंड हेल्थकेअर सर्विसेज़ टीपीए प्रा. लि.

सारणियों I.65, I.66 और I.67 का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

- जबकि बीमाकर्ताओं ने पंजीकृत दावों के 93 प्रतिशत का निपटान एक महीने के अंदर किया है, अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) ने इसी अवधि में 81 प्रतिशत दावों को निपटाया है।
- केवल 0.18 प्रतिशत मामलों में ही दावों का निपटान एक वर्ष से अधिक विलंब के साथ किया गया।

I.4.6.10 अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) की कार्यपद्धतिः

01 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार आईआरडीएआई द्वारा पंजीकृत 30 टीपीए थे, जबकि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 28 टीपीए थे। वर्ष 2015-16 के दौरान किसी नये टीपीए को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के पास पंजीकृत टीपीए की सूची सारणी सं. I.68 में दी गई है। 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा नवीकृत टीपीए पंजीकरणों की सूची सारणी सं. I.69 मे दी गई है। प्राधिकरण ने 2 टीपीए के नवीकरण आवेदन अस्वीकृत किये हैं और उनका ब्योरा सारणी सं. I.70 में दिया गया है। उक्त टीपीए ने अपने नेटवर्कों में नये अस्पतालों को जोड़ने के द्वारा अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार किया है जैसा कि सारणी सं. I.71 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

सारणी I.70 उन टीपीए का विवरण जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अस्वीकृत किया गया

क्रम सं.	टीपीए का नाम
1	श्री गोकुलम हेल्थ सर्विसेज़ टीपीए (प्रा.) लि.
2	स्पूर्ति मेडीटेक टीपीए सोल्यूशन्स प्रा. लि..

सारणी I.71- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान टीपीए द्वारा नियुक्त नेटवर्क प्रदाता

क्रम सं.	टीपीए का नाम	वर्ष के प्रारंभ में नेटवर्क में अस्पतालों की संख्या	वर्ष के दौरान नेटवर्क में जोड़े गये अस्पतालों की संख्या	वर्ष के दौरान नेटवर्क से हट गये/ हटाये गये अस्पतालों की संख्या	* वर्ष के अंत में नेटवर्क में अस्पतालों की कुल संख्या
1	अलंकित हेल्थ केअर टीपीए लि.	4081	0	0	4081
2	अनमोल मेडीकेअर टीपीए लि.	453	0	0	453
3	अन्युता टीपीए इन हेल्थ केअर प्रा. लि.	210	133	0	343
4	डेडिकेटेड हेल्थकेअर सर्विसेज़ टीपीए (इंडिया) प्रा. लि..	3524	4294	118	7700
5	ई मेडीटेक (टीपीए) सर्विसेज़ लि.	5418	255	154	5519
6	ईस्ट वेस्ट असिस्ट टीपीए प्रा. लि.	4145	50	39	4156
7	एरिक्सन टीपीए हेल्थकेअर प्रा. लि.	3493	444	1	3936
8	फ़ैमिली हेल्थ प्लान (टीपीए) लि.	4563	512	420	4655
9	फ़ोकस हेल्थ सर्विसेज़ टीपीए प्रा. लि.	1599	0	74	1525
10	जेनिन्स इंडिया टीपीए लि.	3842	225	44	4023
11	गुड हेल्थ टीपीए सर्विसेज़ लि.	4687	194	9	4872
12	ग्रैंड हेल्थ केअर टीपीए सर्विसेज़ प्रा. लि.	1682	82	0	1764
13	हैपी इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ प्रा. लि.	1327	28	0	1355
14	हेल्थ इंडिया टीपीए प्रा. लि.	4114	267	51	4330
15	हेरिटेज हेल्थ टीपीए प्रा. लि.	4031	1588	402	5217
16	एमडी इंडिया हेल्थकेअर सर्विसेज़ (टीपीए) प्रा. लि.	9395	1432	1735	9092
17	मेड सेव हेल्थ केअर टीपीए लि.	6833	1312	1812	6333
18	मेडी असिस्ट इंडिया टीपीए प्रा. लि.	5394	541	199	5736
19	मेडीकेअर टीपीए सर्विसेज़ (आई) प्रा. लि.	4396	438	256	4578
20	पैरमाउन्ट हेल्थ सर्विसेज़ (टीपीए) प्रा. लि.	10646	1302	252	11696
21	पार्क मेडीक्लेम टीपीए प्रा. लि.	1889	56	9	1936
22	रक्षा टीपीए प्रा. लि.	3367	1203	72	4498
23	रोथशील्ड हेल्थकेअर (टीपीए) सर्विसेज़ लि.	2953	76	0	3029
24	सेफ़वे टीपीए सर्विसेज़ प्रा. लि.	4271	215	42	4444
25	वाइडल हेल्थ टीपीए प्रा. लि.	6146	258	73	6331
26	युनाइटेड हेल्थकेअर पारेख टीपीए प्रा. लि.	4050	493	72	4471
27	विपुल मेड कॉर्प टीपीए प्राइवेट लि.	7676	1543	143	9076
28	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ़ इंडिया लि.	1411	102	114	1399

* अस्पतालों की सहबद्धता एक से अधिक टीपीए के साथ हो सकती है।

I.4.7 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में व्यवसाय

I.4.7.1 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति बीमाकर्ताओ के दायित्वों के लिए लागू विनियमों (विनियम, 2002) ने वार्षिक आधार पर बीमाकर्ताओं द्वारा पूरे किये जानेवाले लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इन विनियमों के अनुसार बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे (i) सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत जीवनों की संख्या के तौर पर वर्ष-वार निर्धारित लक्ष्यों; तथा (ii) ग्रामीण दायित्वों के अंतर्गत जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा क्रमशः जोखिम-अंकन की जानेवाली पॉलिसियों के प्रतिशत एवं प्रत्यक्ष रूप से जोखिम-अंकित कुल सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत के तौर पर वर्ष-वार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। ये विनियम बीमाकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने परिचालनों के प्रारंभ के वर्ष के आधार पर इन खंडों में व्यवसाय का जोखिम-अंकन करें तथा लागू लक्ष्य प्रत्येक बीमाकर्ता के परिचालनों के वर्ष के साथ संबद्ध किये गये हैं। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए उक्त विनियमों में आगे यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई बीमा कंपनी अपने परिचालन वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में प्रारंभ करती है और संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार छह महीने से कम अवधि के लिए परिचालन में है तो (i) उपर्युक्त अवधि के लिए कोई ग्रामीण अथवा सामाजिक लक्ष्य लागू नहीं होंगे; तथा (ii) विनियमों में निर्दिष्ट किये गये रूप में वार्षिक दायित्व अगले वित्तीय वर्ष से गणना में लिये जाएँगे जो अनुपालन के प्रयोजन के लिए परिचालनों के पहले वर्ष के रूप में माना जाएगा। उन मामलों में जहाँ कोई बीमा कंपनी वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में परिचालन प्रारंभ करती है, तो पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दायित्वों का 50 प्रतिशत होंगे।

दायित्वों की पूर्ति जीवन उद्योग

पिछले 5 वर्षों के दौरान सभी जीवन बीमाकर्ताओं (दोनों सरकारी और निजी क्षेत्रों के) ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित दायित्व पूरे किये हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए केवल एक बीमाकर्ता तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए दो बीमाकर्ताओं ने सामाजिक क्षेत्र के लिए निर्धारित दायित्वों को पूरा नहीं किया है जिनके विरुद्ध विनियामक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र दायित्व

I.4.7.2 2015-16 के दौरान निजी क्षेत्र की सभी तेईस जीवन बीमा कंपनियों ने अपने ग्रामीण क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया था। वर्ष 2015-16 में जोखिम-अंकित कुल पॉलिसियों के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा जोखिम-अंकित पॉलिसियों की संख्या उनके लिए लागू दायित्वों के अनुसार थी।

I.4.7.3 सरकारी क्षेत्र का एकमात्र बीमाकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम, 2015-16 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने दायित्वों का अनुपालनकर्ता रहा।

I.4.7.4 जीवन बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में 68.99 लाख पॉलिसियों का जोखिम-अंकन किया अर्थात 2015-16 में उनके द्वारा जोखिम-अंकित नई वैयक्तिक पॉलिसियों (267.08 लाख) के 25.8 प्रतिशत का जोखिम-अंकन ग्रामीण क्षेत्र में किया गया। एलआईसी ने नई पॉलिसियों के 25.70 प्रतिशत का एवं निजी बीमाकर्ताओं ने अपनी नई वैयक्तिक पॉलिसियों के 26.3 प्रतिशत का जोखिम-अंकन ग्रामीण क्षेत्र में किया।

सामाजिक क्षेत्र दायित्व

I.4.7.5 2015-16 के दौरान सभी 23 निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने अपने सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया था। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा बीमारक्षा प्रदान किये गये जीवनों की संख्या आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम 2002 में निर्धारित शर्तों से अधिक थी।

I.4.7.6 एलआईसी 2015-16 के लिए दायित्वों के रूप में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में जीवनों (226.04 लाख) को बीमारक्षा प्रदान करते हुए अपने सामाजिक क्षेत्र दायित्वों का अनुपालनकर्ता रहा। निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 111.13 लाख सामाजिक जीवनों को बीमारक्षा प्रदान की थी।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के दायित्व

I.4.7.7 सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बीमार्ताओं ने वर्ष 2015-16 के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों का अनुपालन किया।

I.4.7.8 स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्व

सभी पाँच स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों का अनुपालन किया।

सारणी I.72 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों में स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के अनुपालन का विवरण

बीमाकर्ता	पूरे किये गये वर्षों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र दायित्व (जीडीपी का %)			सामाजिक क्षेत्र दायित्व (जीवनों की संख्या)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	पालन किया (हाँ/नहीं)	लक्ष्य	उपलब्धि	पालन किया (हाँ/नहीं)
अपोलो म्यूनिख	8	6%	6.30%	हाँ	35,000	37,392	हाँ
सिगना टीटीके	2	3%	6.44%	हाँ	7,500	8,463	हाँ
मैक्स बूपा	6	5%	6.36%	हाँ	25,000	197,186	हाँ
रेलिगेर	4	5%	5.52%	हाँ	15,000	86,265	हाँ
स्टार हेल्थ	10	7%	12%	हाँ	55,000	1,240,551	हाँ

सारणी : I.73 गैर-जीवन बीमाकर्ता (स्टैंडअलोन और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर) 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र व्यवसाय

बीमाकर्ता	ग्रामीण क्षेत्र (सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम)				सामाजिक क्षेत्र (जीवनों की संख्या)	
	लक्ष्य (%) 2015-16	कुल जीडीपी (₹ लाख)	ग्रामीण क्षेत्र में जीडीपी (₹ लाख)	उपलब्धि (%)	2015-16 (लक्ष्य)	उपलब्धि
रॉयल सुंदरम	7.00	169412	13403	7.91	55000	109481
टाटा एआईजी	7.00	295856	39059	13.20	55000	1667299
रिलायंस	7.00	279156	27118	9.71	55000	282212
इफ़्को टोकियो	7.00	369133	41042	11.12	55000	3423261
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	7.00	809071	72907	9.01	55000	233707
बजाज अलायंज़	7.00	583215	43129	7.40	55000	557701
एचडीएफसी एरगो	7.00	337955	29733	8.80	55000	78790
चोलामंडलम	7.00	245200	30980	12.63	55000	701949
फ्यूचर जनराली	6.00	158239	38201	24.14	35000	519339
यूनिवर्सन सोम्पो	6.00	90379	23234	25.71	35000	4705218
श्रीराम जनरल	6.00	171227	13284	7.76	35000	35988
भारती अक्सा	6.00	127442	7876	6.18	35000	42110
रहेजा क्यूबीई	5.00	2876	271	9.43	25000	35497
एसबीआई जनरल	5.00	203985	71135	34.87	25000	1990474
एलएंडटी जनरल	5.00	47339	2907	6.14	20000	609028
लिबर्टी वीडियोकॉन	5.00	40872	2138	5.23	10000	10000
मैगमा एचडीआई	5.00	40394	23153	57.32	10000	87337
कोटक महिन्द्रा	0.00	371	0		0	
निजी कुल		**39,71,749**	**4,79,570**	**12.07**	**6,70,000**	**150,89,391**
न्यू इंडिया	7.00	1514951	246615	16.28	168,70,908	741,61,700
नेशनल	7.00	1209081	94593	7.82	2319041	2646194
युनाइटेड इंडिया	7.00	1225036	161218	13.16	684489	56974548
ओरियन्टल	7.00	831473	113092	13.60	665500	40873981
सरकारी कुल		**4780541**	**615517**	**12.88**	**20539938**	**174656423**
कुल जोड़		**8752291**	**1095087**	**12.51**	**21209938**	**189745814**

I.4.8 वित्तीय सूचना-प्रणाली और बीमांकिक मानक

नियुक्त बीमांकक प्रणाली

I.4.8.1 नियुक्त बीमांकक प्रणाली भारतीय बीमा उद्योग में एक दशक से भी अधिक समय से विद्यमान है। प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह एक बीमांकक की नियुक्ति करे जो नियुक्त बीमांकक के रूप में जाना जाता है। नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता के प्रबंधक-वर्ग को बीमांकिक परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है, विशेष रूप से उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, बीमा संविदा शब्दावली और अभिव्यक्तियों, निवेश और पुनर्बीमा; कंपनी की शोधक्षमता को सुनिश्चित करना और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करने के क्षेत्रों में। नियुक्त बीमांकक को बीमाकर्ता के कब्जे में अथवा उसके नियंत्रण के अंतर्गत विद्यमान समस्त सूचना अथवा सभी दस्तावेजों तक पहुँच होनी चाहिए, यदि नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए ऐसी पहुँच आवश्यक हो।

I.4.9 धन-शोधन निवारण / आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) कार्यक्रम

एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश

I.4.9.1 धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा क्षेत्र को एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश (दिशानिर्देश) पहले मार्च 2006 में जारी किये गये। तब से बीमा क्षेत्र भारत में एक प्रभावी एएमएल/सीएफटी व्यवस्था की दिशा में कार्य करता रहा है। ये दिशानिर्देश पीएमएलए के अंतर्गत अपेक्षित रूप में ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी की प्रक्रियाओं, सूचना देने के दायित्वों और अभिलेख-पालन की आवश्यकताओं के महत्व पर बल देते हैं।

I.4.9.2 बीमाकर्ताओं ने लेखा-परीक्षा समिति के माध्यम से अपने बोर्ड के विस्तृत पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न अपेक्षाओं के अनुपालन की दिशा में प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। बीमाकर्ता के आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण विभागों के माध्यम से प्रणालियों की प्रभावात्मकता की नियमित समीक्षा की जाती है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन की भी निगरानी आईआरडीएआई द्वारा दोनों प्रत्यक्ष (ऑन-साइट) और परोक्ष (ऑफ़-साइट) प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है।

नकदी स्वीकरण का प्रारंभ

I.4.9.3 बीमा क्षेत्र बहुत कुछ बैंकिंग क्षेत्र के समान है जहाँ दोनों ही देश में जनता के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए माध्यम और सहायक साधन हैं। देश में बीमा संबंधी कानूनों के अनुसार भी यह अनिवार्य है कि प्रत्येक कंपनी के व्यवसाय का कुछ अनुपात अवश्य ग्रामीण क्षेत्र से उत्पन्न हो। भारत में गाँवों की विपुल संख्या के होते हुए, जिसकी तुलना में बैंकों की व्याप्ति सीमित है, नकदी की स्वीकृति के संबंध में प्रतिबंधों के द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं को हटाने के लिए आईआरडीएआई ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित रूप में ही निर्धारित शर्त को पंक्तिबद्ध किया था। इसका उद्देश्य प्रभावी ढंग से ग्रामीण व्यवसाय प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों को प्रोत्साहित करना भी था और इसके परिणामस्वरूप बीमा के व्यापन और उसकी सघनता में सुधार लाना था।

I.4.9.4 यह अपेक्षा 26 मई 2011 की सीबीडीटी अधिसूचना एस.ओ. 1214 (ई) के भी अनुरूप थी जो आय-कर नियम, 1962 के नियम 114बी को संशोधित करती है और खंड (क्यू) को निविष्ट करती है जो प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह उन सभी लेनदेनों से संबंधित दस्तावेजों में अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को उद्धृत करे जहाँ किसी बीमाकर्ता को जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में एक वर्ष में कुल पचास हजार रुपये या उससे अधिक राशि का भुगतान निहित हो, जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में परिभाषित है।

I.4.9.5 'नकदी में प्रीमियम के स्वीकरण' के संबंध में अधिक सख्त नियंत्रण रखने के लिए आईआरडीएआई ने कठोर नियंत्रणों को अनिवार्य कर दिया है, जैसे ग्राहक से प्राप्त किये जानेवाले पैन संख्या के सत्यापन की आवश्यकता। बीमाकर्ताओं के लिए यह भी आवश्यक है कि वे पैन विवरण के प्रकटीकरण से बचने के लिए किसी भी प्रकार

के प्रयास को रोकने के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित करें। बीमाकर्ताओं को निदेश दिया गया है कि इन अपेक्षाओं के संबंध में धोखा देने के संभव प्रयासों की स्थिति में वे इसकी सूचना संदिग्ध गतिविधि के रूप में भारतीय वित्तीय आसूचना यूनिट (एफआईयू-आईएनडी) को दें।

गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए लागू एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश

I.4.9.6 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए लागू एएमएल/सीएफटी अपेक्षाएँ जीवन बीमा कंपनियों पर लागू अपेक्षाओं से भिन्न हैं, उक्त दिशानिर्देशों का आशोधन किया गया है ताकि वे गैर-जीवन बीमा व्यवसाय के विशिष्ट लक्षणों के सूक्ष्म भेदों के अनुरूप हो सकें। विभिन्न संबंधित पहलुओं पर साधारण बीमा परिषद के माध्यम से सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। गैर-जीवन बीमा कंपनियों पर यथाप्रयोज्य एएमएल/ सीएफटी ढाँचे की विभिन्न शर्तों/ अपेक्षाओं पर एक समेकिक परिपत्र फरवरी 2013 में जारी किया गया। इस परिपत्र के द्वारा बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक उत्पाद की प्रोफाइल के अपने जोखिम-निर्धारण के आधार पर एएमएल/ सीएफटी अपेक्षाओं को लागू करें। स्टैंडअलोन मेडिकल और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में पूर्व में दी गई छूट अब समाप्त की गई है।

जीवन बीमाकर्ताओं के लिए एएमएल/ सीएफटी दिशानिर्देशों का संशोधन

I.4.9.7 केन्द्र सरकार द्वारा 2013 में पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में किये गये संशोधन के अनुसरण में जीवन बीमाकर्ताओं के लिए 2010 में जारी किये गये एएमएस/ सीएफटी संबंधी मास्टर परिपत्र में उक्त संशोधनों के अनुरूप संशोधन किया गया। संशोधित मास्टर परिपत्र का प्रारूप अभिमतों के लिए जीवन बीमा परिषद, जीवन विभाग और एफआईयू-आईएनडी को परिचालित किया गया। प्राप्त अभिमतों के आधार पर मास्टर परिपत्र को अंतिम रूप दिया गया। उक्त मास्टर परिपत्र 28.09.2015 को जारी किया गया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग/ सूचना की साझेदारी

I.4.9.8 जून 2010 में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एपएटीएफ) में भारत की सदस्यता के बाद भारत एफएटीएफ सचिवालय के प्रति प्रतिबद्ध कार्य योजना पर कार्य कर रहा है। आईआरडीएआई ने वचनबद्ध विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर कार्रवाई पूरी की है। मई 2013 से आईआरडीएआई अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के बहुराष्ट्रीय सहमति ज्ञापन (एमएमओयू) का एक हस्ताक्षरकर्ता है जो सहयोग और सूचना की साझेदारी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2013 प्रचलित हैं जिनमें इस बात की व्यवस्था है कि गोपनीय सूचना की साझेदारी किस तरीके से / किन निकायों के संबंध में अन्य विनियामक निकायों के साथ की जा सकती है।

विभिन्न एजेंसियों / विभागों के साथ समन्वय

I.4.9.9 आईआरडीएआई भारत में एएमएल/सीएफटी व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विभिन्न एजेंसियों / विभागों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है तथा यह राजस्व विभाग द्वारा गठित एएमएल/ सीएफटी संबंधी राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण (एनआरए) के लिए कार्यदल का भाग है। एफएटीएफ की संशोधित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक कार्य विभाग (एफएटीएफ कक्ष) द्वारा गठित कोर कार्य दल (सीडब्ल्यूजी) का भी आईआरडीएआई एक हिस्सा है।

I.4.9.10 इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी यूरेशियन समूह (ईएजी), जो एक एफएटीएफ शैली का क्षेत्रीय निकाय है, के साथ भी सक्रिय रूप से संबद्ध है। आईआरडीएआई ने नवंबर 2012 में नई दिल्ली में आयोजित 17वीं ईएजी प्लीनरी और कार्य दल की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया था तथा 'सूचना के आदान-प्रदान संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं' पर आलेख की परियोजना भारत को सौंपी गई है।

I.4.9.11 आईआरडीएआई ने वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) के साथ नियमित इंटरऐक्शन प्रारंभ किया है तथा 'बीमा क्षेत्र के लिए लाल झंडा संकेतकों' पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के संबंध में उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ गठित कार्य दल में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आईआरडीएआई केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री निर्मित करने की वित्तीय सेवाएँ विभाग की पहल का भी भाग है।

I.4.9.12 धन-शोधन निवारण अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर समन्वित प्रयासों के भाग के रूप में आईआरडीएआई और एफआईयू-आईएनडी ने 29 जनवरी 2014 को परस्पर सहयोग संबंधी एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

उक्त एमओयू के अनुसार, आईआरडीएआई और एफआईयू-आईएनडी निम्नलिखित सहित परस्पर हित के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करेंगेः

क) उनके संबंधित डेटाबेसों में उपलब्ध आसूचना और जानकारी की साझेदारी करना।

ख) वह कार्यविधि और तरीका निर्धारित करना जिसमें सूचना देनेवाली संस्थाएँ पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमों के अंतर्गत एफआईयू-आईएनडी को सूचना देंगी।

ग) सूचना देनेवाली संस्थाओं के लिए लोकसंपर्क और प्रशिक्षण संचालित करना।

घ) आईआरडीएआई द्वारा विनियमित सूचना देनेवाली संस्थाओं के एएमएल/ सीएफटी कौशल का दर्जा बढ़ाना।

ङ) बीमा क्षेत्र में धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/ सीएफटी) जोखिमों और असुरक्षितताओं का निर्धारण।

च) बीमा क्षेत्र में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों (एसटीआर) के लिए लाल झंडा संकेतकों की पहचान।

छ) पीएमएलए के अंतर्गत सूचना देनेवाली संस्थाओं के दायित्वों के साथ उनके अनुपालन का पर्यवेक्षण और निगरानी।

ज) संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत एक दूसरे के दायित्वों का अनुपालन।

I.4.10 फ़सल बीमा

I.4.10.1 राष्ट्रीय फ़सल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी)

एनएआईएस को वापस लेने के परिणामस्वरूप 1 नवंबर 2013 से एनसीआईपी का प्रारंभ एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एनसीआईपी की तीन घटक योजनाएँ हैं अर्थात् आशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस), मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) तथा नारियल बीमा योजना (सीपीआईएस)।

प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):

I.4.10.2 यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और आशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) को प्रतिस्थापित करते हुए खरीफ 2016 से प्रारंभ किया गया है तथा इसका कार्यान्वयन एआईसी और 15 अन्य बीमा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।

पीएमएफबीवाई का उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा कृषि क्षेत्र में धारणीय उत्पादन को समर्थन देना है

- अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उत्पन्न होनेवाली फ़सल हानि/ क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
- किसानों की आय का स्थिरीकरण करना ताकि कृषि-कार्य में उनकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
- नवोन्मेष और आधुनिक कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना
- कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जो खाद्य सुरक्षा के लिए अंशदान करेगा

- किसानों को उत्पादन जोखिमों से संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ फ़सल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतियोगात्मकता को बढ़ाना।

यह योजना सभी किसानों, दोनों ऋणी और गैर-ऋणी, के लिए उनकी जोत के आकार का विचार किये बिना उपलब्ध है। यह योजना अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक और उद्यान-कृषि फ़सलों सहित सभी फ़सलों की बीमारक्षा को परिकल्पित करती है जिनके संबंध में पिछली उपज का डेटा उपलब्ध हो।

पीएमएफबीवाई के उपबंधों के अनुसार प्रमुख फ़सलों के लिए बीमा यूनिट ग्राम पंचायत अथवा अन्य समकक्षल यूनिट है। प्रीमियम दरें बीमांकिक हैं जो प्रीमियम में प्रारंभिक सब्सिडी द्वारा समर्थित हैं, किसान खाद्य फ़सलों और तिलहनों के लिए खरीफ़ मौसम में 2%, रबी मौसम में 1.5% तथा वार्षिक वाणिज्यिक बागबानी फ़सलों के लिए 5% का प्रीमियम अदा करेंगे। यदि बीमांकिक प्रीमियम उपर्युक्त प्रीमियम से कम है, तो किसान द्वारा बीमांकिक प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। बीमांकिक और उच्चतम प्रीमियम के बीच के अंतर की शेष राशि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से देय होगी। वित्त के जिला-स्तरीय फ़सल-वार मान का बीमित राशि के आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा जिसपर क्षतिपूर्ति के तीन स्तर अर्थात 70%, 80% और 90% लागू होंगे। दावों की देयताओं के लिए बीमाकर्ता उत्तरदायी है।

- यह योजना 'क्षेत्र दृष्टिकोण आधार' पर कार्यान्वित की जाती है। बीमा का यूनिट प्रमुख फ़सलों के लिए ग्राम/ ग्राम पंचायत स्तर होगा तथा अन्य फ़सलों के लिए यह ग्राम/ ग्राम पंचायत के स्तर से अधिक आकार का यूनिट होगा।

- अनिवार्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण फ़सल हानियों के लिए हानि निर्धारण क्षेत्र दृष्टिकोण पर होगा।

- किसी अधिसूचित क्षेत्र की अधिकांश बीमित फ़सलों की बुआई/ रोपण को प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के कारण रोका जाता है, तो वे बीमित राशि के 25% की अधिकतम सीमा तक क्षतिपूर्ति दावों के लिए पात्र होंगी।

- तथापि स्थानीकृत जोखिमों (ओला-वृष्टि, भू-स्खलन और बाढ़) के कारण हानियाँ तथा विशिष्ट जोखिमों के कारण फ़सल-कटाई के बाद हानियाँ (चक्रवात/ चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा) वैयक्तिक बीमाकृत किसान के प्रभावित बीमित क्षेत्र पर निर्धारित की जाएँगी।

- फ़सल मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमी स्थितियों, अर्थात बाढ़, सूखे के लंबे दौर, गंभीर सूखा तथा बेमौसम वर्षा की स्थिति में 'ऑन अकाउंट' दावों की व्यवस्था होगी।

संभावित दावों के 25% तक 'ऑन अकाउंट' भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा, यदि मौसम के दौरान प्रत्याशित उपज, सामान्य उपज के 50% से कम होने की संभावना हो।

मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस):

I.4.10.3 उपर्युक्त दो उपज गारंटी बीमा योजनाओं के अलावा, भारत सरकार ने एक प्रायोगिक योजना अर्थात मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) खरीफ 2007 से प्रारंभ की है, जो उसके प्रारंभ से एनसीआईपी के एक घटक के रूप में संपूर्ण योजना बन गई है। यह योजना एक बीमांकिक आधार पर परिचालित की जाती है तथा इसकी प्रीमियम सब्सिडी 25% से 50% तक के दायरे में है जिसकी साझेदारी केन्द्र और राज्यों द्वारा समान रूप से की जाती है। एआईसी ने खरीफ़ 2007 से प्रारंभ करते हुए सभी पिछले खरीफ़ और रबी मौसमों के दौरान विभिन्न राज्यों में उक्त योजना का कार्यान्वयन किया है। डब्ल्यूबीसीआईएस एक प्राचलिक (पैरामेट्रिक) बीमा उत्पाद है जो खेती की अवधि के दौरान प्रतिकूल मौसमी घटनाओं, जैसे अनावृष्टि और अतिवृष्टि, पाला, गरमी (तापमान), संबंधित नमी, हवा की गति आदि के विरुद्ध कृषक को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है, जिनके संबंध में यह माना जाता है कि ये फ़सल की उपज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

I.4.10.4 राज्य सरकार द्वारा मौसम के प्रारंभ से पहले फ़सलें और 'संदर्भ यूनिट क्षेत्र' (आरयूए) अधिसूचित किये जाते हैं। प्रत्येक आरयूए को एक संदर्भ मौसम स्टेशन (आरडब्ल्यूएस) के साथ संबद्ध किया जाता है, जिसके आधार पर भुगतानों/ दावों का प्रसंस्करण

सारणी I.74
मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	मौसम	बीमाकृत किसानों की संख्या	बीमित राशि	प्रीमियम	सूचित किये गये दावे
1	खरीफ 2012	3547463	724009.97	72647.97	54751.16*
2	रबी 2012-13	3706835*	646622.05*	57562.06*	77740.13
3	खरीफ 2013	5000339*	891262.43	89820.20	66692.59
4	रबी 2013-14	1287898	311593.89	28610.78	29801.44*
5	खरीफ 2014	2454658*	600656.92*	62087.91*	60645.91*
6	रबी 2014-15	326093	57810.13	5763.48	7472.92
7	खरीफ 2015	1654958	507562.59	50772.90	45536.60

* *(अद्यतन आंकड़े)*

किया जाता है। भुगतान संदर्भ मौसम स्टेशन (आरडब्ल्यूएस) में मापन किये गये रूप में वर्तमान मौसम के मानदंडों में प्रतिकूल विभिन्नताओं के आधार पर किये जाते हैं। डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत दावा, क्षेत्र आधारित और स्वचालित है। कंपनी ने सेब, नींबू, अंगूर, आम, अनार, काजू, तेल ताड़, आदि जैसी बारहमासी फ़सलों सहित 35 से भी अधिक विभिन्न फ़सलों का बीमा किया। एआईसी द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन खरीफ़ 2014 के दौरान 14 राज्यों के 102 जिलों में तथा रबी 2014-15 के दौरान 11 राज्यों के 88 जिलों में किया गया।

I.4.10.5 खरीफ़ 2015 के दौरान 507.73 करोड़ रुपये के सकल प्रीमियम के साथ 5075.63 करोड़ रुपये की बीमित राशि सहित 0.23 करोड़ हेक्टेअर का बीमा करते हुए 0.17 करोड़ किसानों को सम्मिलित किया गया। खरीफ़ 2007 में प्रायोगिक योजना के तौर पर प्रारंभ से लेकर खरीफ़ 2015 तक डब्ल्यूबीसीआईएस ने 6527.90 करोड़ रुपये के प्रीमियम के आधार पर 69104.44 करोड़ रुपये की बीमित राशि के लिए 4.86 करोड़ हेक्टेअर क्षेत्र का बीमा करते हुए 3.62 करोड़ किसानों को समाविष्ट किया। 228.35 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित करते हुए 5237.07 करोड़ रुपये की राशि के दावे भुगतान-योग्य बन गये। खरीफ़ 2016 से लेकर आगे डब्ल्यूबीसीआईएस को पुनःसंरचित डब्ल्यूबीसीआईएस के रूप में जारी रखा जाएगा जिसमें सभी अन्य मानदंडों को यथावत रखते हुए किसानों की प्रीमियम दर 1.5% तक, एफसीओएस के लिए 2% तक और एसीएच फ़सलों के लिए 5% तक कम की गई है।

नारियल बीमा योजना (सीपीआईएस):

I.4.10.6 एआईसी ने नारियल बोर्ड के सहयोग से नारियल के लिए योजना अर्थात नारियल बीमा योजना (सीपीआईएस) अभिकल्पित की, जो अब एनसीआईपी की एक घटक है। यह योजना देश में नारियल उपजानेवाले सभी राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। 4 से 60 वर्ष की आयु के दायरे में आनेवाले बौने और संकर नारियल वृक्ष तथा 7 से 60 वर्ष की आयु के दायरे में आनेवाले लंबे प्रकार के नारियल वृक्ष बीमारक्षा के लिए पात्र हैं। प्रीमियम पर 50% सब्सिडी नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) द्वारा अदा की जाएगी और 25% संबंधित राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 25% का भुगतान किसान/उत्पादक द्वारा किया जाएगा। यदि प्रीमियम का 25% अंश वहन करने के लिए राज्य सरकार सहमत नहीं होती, तो किसानों / उत्पादकों से अपेक्षित होगा कि वे प्रीमियम के 50% का भुगतान करें, यदि वे बीमा योजना में रुचि रखते हों।

I.4.10.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त, एआईसी ने विभिन्न फ़सलों के जोखिम का न्यूनीकरण करने के लिए विभिन्न फ़सल बीमा उत्पाद विकसित किये हैं अर्थात कॉफ़ी बोर्ड के सहयोग से वर्षा बीमा योजना कॉफी (आरआईएससी), रबड़ रोपण बीमा, जैव-इंधन वनस्पति बीमा (बॉयो-फ्युएल प्लांट्स इंश्योरेंस), अंगूर बीमा, आम मौसम बीमा, आलू संविदा कृषि बीमा, पल्पवुड वृक्ष बीमा, रबी मौसम बीमा, और वर्षा बीमा।

सारणी I.75
नारियल वृक्ष बीमा योजना (सीपीआईएस)

(₹ लाख में)

क्र सं.	मौसम	बीमाकृत किसानों की संख्या	बीमित राशि	प्रीमियम	सूचित किये गये दावे
1	2009-10	45	112.32	0.66	0.00
2	2010-11	35019	19904.24	106.08	30.26
3	2011-12	8454	5510.95	29.77	92.47
4	2012-13	12279	7843.90	40.57	77.27*
5	2013-14	13970	8694.60	70.87	106.35*
6	2014-15	2845	2500.56	17.60	30.75
7	2015-16	361	740.456	11.25	0.98

* (अद्यतन आंकड़े)

I.4.11 सूक्ष्म बीमाः

I.4.11.1 जनसाधारण के निम्नतर आय खंडों तक बीमा के व्यापन को सुसाध्य बनाने के लिए आईआरडीए ने सूक्ष्म बीमा विनियम बनाये थे। सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 ग्रामीण और शहरी निर्धन वर्ग के लिए वहनीय बीमा उत्पाद वितरित करने के लिए तथा सूक्ष्म बीमा को देश की व्यापकतर बीमा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने में समर्थ बनाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं।

I.4.11.2 सूक्ष्म बीमा विनियम मुख्य रूप से निम्न आय वाले लोगों को बीमारक्षा, प्रीमियम और लाभ के मानकों के कुछ स्तरों का पालन करते हुए मानकीकृत लोकप्रिय बीमा उत्पादों के साथ सामान्य जोखिमों का सामना करने और उनसे निरापद होने में सहायता करने के लिए वहनीय बीमा उत्पादों के साथ संरक्षण देने पर महत्व देते हैं। ये विनियम सूक्ष्म बीमा उत्पादों का विपणन करने में बीमा कंपनियों के लिए एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को अनुमति देते हैं तथा दोनों जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को कॉम्बीसूक्ष्म बीमा उत्पादों (व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं का संयोजन) को बढ़ावा देने के लिए अनुमति देते हैं।

I.4.11.3 प्राधिकरण ने व्यापक तौर पर सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 की समीक्षा की। इस संबंध में प्राधिकरण ने 13 मार्च 2015 को संशोधित विनियम अधिसूचित किये हैं जिनमें सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के बेहतर व्यापन को सुसाध्य बनाने के लिए सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के व्यवसाय प्रतिनिधियों सहित और भी अनेक संस्थाओं, जैसे जिला सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति प्रदान की है।

जीवन बीमा क्षेत्र

I.4.11.4 जबकि वर्ष 2015-16 के लिए सूक्ष्म बीमा खंड के अंतर्गत नया व्यावसायिक प्रीमियम 9.15 लाख नई पॉलिसियों के अंतर्गत ₹35.94 करोड़ पर रहा है, सामूहिक व्यवसाय के प्रीमियम की राशि 2.93 करोड़ जीवनों को बीमारक्षा प्रदान करते हुए ₹302.43 करोड़ है।

एलआईसी ने इस संविभाग में प्राप्त व्यवसाय के एक महत्वपूर्ण घटक का अंशदान किया है जिसने 4.5 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत वैयक्तिक नये व्यवसाय प्रीमियम के ₹19.54 करोड़ का संग्रह किया है तथा 2.26 करोड़ जीवनों को शामिल करते हुए सामूहिक प्रीमियम के ₹254.26 करोड़ प्राप्त किये हैं।

I.4.11.5 मार्च 2016 के अंत में सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 27041 रही, जिसमें से 18574 एलआईसी से संबंधित थे तथा शेष एजेंटों ने निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार 13 जीवन बीमाकर्ताओं के 27

सूक्ष्म बीमा उत्पाद उपलब्ध थे। इन 27 उत्पादों में से 20 वैयक्तिक उत्पाद थे और शेष 7 सामूहिक उत्पाद थे।

गैर-जीवन क्षेत्र

I.4.11.6 प्राधिकरण ने व्यापक रूप से सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 की समीक्षा की है और आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 अधिसूचित किये हैं। सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म बीमा उत्पादों के माध्यम से प्रदत्त बीमा है जिसमें 'साधारण सूक्ष्म-बीमा उत्पाद' शामिल है। साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पाद स्वास्थ्य बीमा संविदा, संपत्ति और सामान, जैसे झोंपड़ी, पशुधन अथवा उपकरणों को बीमारक्षा प्रदान करनेवाली किसी भी संविदा अथवा किसी भी वैयक्तिक दुर्घटना संविदा को सम्मिलित करते हैं जो वैयक्तिक अथवा सामूहिक आधार पर रुपये एक लाख के रूप में बीमारक्षा की अधिकतम राशि एवं न्यूनतम और अधिकतम एक वर्ष की अवधि की बीमारक्षा से युक्त हैं।

I.4.11.7 प्राधिकरण ने विभिन्न खंडों में सूक्ष्म बीमा को प्रचारित करने के लिए सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अधिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की है जिनमें शामिल हैं गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एनबीएफसी-एमएफआई, जिला सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, व्यवसाय प्रतिनिधि, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ और अन्य सहकारी समितियाँ।

I.4.11.8 जनसाधारण के निम्न आय खंड को लक्ष्यीकृत करते हुए सभी पंजीकृत गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा लगभग बावन उत्पाद प्रस्तावित किये गये हैं, उदा. मवेशी सूक्ष्म बीमा, किसान कृषि पंपसेट सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, जनता वैयक्तिक दुर्घटना सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, रेशम-कीट (सिल्कवर्म) सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, भेड़ और बकरी सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, संपूर्ण गृह सुरक्षा पॉलिसी आदि। इसके अलावा, साधारण बीमा व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में वर्गीकृत रूप में सूक्ष्म, छोटे और मझौले उद्यमों को जारी की गई साधारण बीमा पॉलिसियाँ भी प्रति एमएसएम उद्यम 10,000 रुपये प्रीमियम प्रति वर्ष तक साधारण सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगी।

I.4.11.9 सूक्ष्म बीमा एक कम कीमत और उच्च परिमाण वाला व्यवसाय है, इसलिए इसकी सफलता और धारणीयता मुख्य रूप से इसके लेनदेनों की लागतों को कम रखने पर निर्भर हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32बी और 32सी तथा आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के संबंध में बीमाकर्ताओं के लिए दायित्व निर्धारित करते हैं, जिन्होंने भी भारत में बीमाकर्ताओं के द्वारा सूक्ष्म बीमा उत्पादों के विकास और संवर्धन में बहुत कुछ अंशदान किया है।

सारणी I.76
2015-16 के लिए सूक्ष्म-बीमा संविभाग के अंतर्गत नया व्यवसाय

(प्रीमियम ₹ लाख में)

बीमाकर्ता	वैयक्तिक		सामूहिक		
	पॉलिसियाँ	प्रीमियम	योजनाएँ	प्रीमियम	रक्षित जीवन
निजी कुल	458655	1217.95	153	4816.67	6650805
एलआईसी	452291	1953.78	4844	25426.39	22603919
उद्योग कुल	**910946**	**3171.73**	**4997**	**30243.06**	**29254724**

टिप्पणी: नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं.

सारणी I.77
जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म-बीमा एजेंटों का विवरण -- 2015-16

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2015 को	परिवर्धन	विलोपन	31 मार्च 2016 को
निजी कुल	3382	6392	1307	8,467
एलआईसी	19379	997	1802	18,574
उद्योग कुल	**22761**	**7389**	**3109**	**27,041**

सारणी I.78
सूक्ष्म-बीमा संविभाग के अंतर्गत वैयक्तिक मृत्यु दावे -- 2015-16

(लाभ राशि ₹ लाख में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		वर्ष के अंत में लंबित दावें	
	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि
निजी कुल	4490	607.82	4427	483.33	63	124.60	0	0.12
			98.60%	79.52%	1.40%	20.50%		-0.02%
एलआईसी	9749	1584.27	9632	1563.55	102	15.77	15	4.95
			98.80%	98.69%	1.05%	1.00%	0.15%	0.31%
उद्योग कुल	**14239**	**2192.09**	**14059**	**2046.88**	**165**	**140.37**	**15**	**4.83**
			98.74%	**93.38%**	**1.16%**	**6.40%**	**0.11%**	**0.22%**

टिप्पणी: प्रतिशत संबंधित कुल दावों में प्रतिशत निर्दिष्ट करते हैं.

सारणी I.79
सूक्ष्म-बीमा संविभाग के अंतर्गत सामूहिक मृत्यु दावे -- 2015-16

(लाभ राशि ₹ लाख में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे		भुगतान किय गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		प्रतिलिखित दावे		वर्ष के अंत में लंबित दावे	
	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि
निजी कुल	14479	3305.00	14429	3290.91	43	11.69	0	0.00	7	2.40
			99.65%	99.57%	0.30%	0.35%			0.05%	0.07%
एलआईसी	117854	38123.00	117827	38111.30	26	11.40	0	0.00	1	0.30
			99.98%	99.97%	0.02%	0.03%			0.00%	0.00%
उद्योग कुल	**132333**	**41428.00**	**132256**	**41402.21**	**69**	**23.09**	**0**	**0.00**	**8**	**2.70**
			99.94%	**99.94%**	**0.05%**	**0.06%**			**0.01%**	**0.01%**

टिप्पणी: प्रतिशत संबंधित कुल दावों में प्रतिशत दर्शाते हैं।

सारणी I.80
सूक्ष्म-बीमा वैयक्तिक श्रेणी में निपटाये गये अवधि-वार मृत्यु दावे -- 2015-16

(पॉलिसियों की संख्या)

जीवन बीमाकर्ता	सूचना-प्राप्ति से अवधि					
	30 दिन के अंदर	31 से 90 दिन	91 से 180 दिन	181 दिन से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	कुल निपटाये गये दावे
निजी कुल	4155 93.86%	237 5.35%	35 0.79%	0 0.00%	0 0.00%	4427 100.00%
एलआईसी	7127 73.99%	2505 26.01%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	9632 100.00%
उद्योग कुल	**11282 80.25%**	**2742 19.50%**	**35 0.25%**	**0 0.00%**	**0 0.00%**	**14059 100.00%**

टिप्पणी: प्रतिशत निपटाये गये संबंधित कुल दावों में प्रतिशत दर्शाते हैं।.

सारणी I.81
सूक्ष्म-बीमा सामूहिक श्रेणी में निपटाये गये अवधि-वार मृत्यु दावे -- 2015-16

(जीवनों की संख्या)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि					
	सूचना-प्राप्ति से 30 दिन के अंदर	31 से 90 दिन	91 से 180 दिन	181 दिन से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	कुल निपटाये गये दावे
निजी कुल	12871 90.28%	1203 8.44%	112 0.79%	68 0.48%	3 0.02%	14257 100.00%
एलआईसी	117818 99.99%	9 0.01%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	117827 100.00%
उद्योग कुल	**130689 98.94%**	**1212 0.92%**	**112 0.08%**	**68 0.05%**	**3 0.00%**	**132084 100.00%**

टिप्पणी: प्रतिशत निपटाये गये संबंधित कुल दावों में प्रतिशत दर्शाते हैं।.

I.4.12 प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेश, आदेश और विनियम

I.4.12.1 प्राधिकरण ने 2014-15 के दौरान अनेक परिपत्र, निदेश और आदेश जारी किये। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान जारी किये गये ऐसे सभी परिपत्रों, निदेशों और आदेशों की सूची अनुबंध सं. 8 में रखी गई है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किये गये सभी विनियमों का विवरण अनुबंध सं. 9 में रखा गया है।

I.4.13 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

I.4.13.1 वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण ने नीचे सारणी .82 में दर्शाये गये अधिकारियों को पदनामित किया है जो आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में जारी हैं।

इसी अवधि के दौरान सुश्री मंजु अरोड़ा, वरिष्ठ सहायक निदेशक को प्राधिकरण के दिल्ली कार्यालय के लिए केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है तथा श्री विकास राणे, कनिष्ठ अधिकारी को प्राधिकरण के मुंबई कार्यालय के लिए केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के अनुसार समनुदेशित कार्यों का निर्वाह करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की उपर्युक्त धारा के अनुसार पदनामित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान श्री एच. अनंतकृष्णन, संयुक्त निदेशक (विधि), श्री जी. मल्लिकार्जुन, विशेष कार्य अधिकारी (कानूनी नीति) और श्री ए. रमणा राव, संयुक्त निदेशक को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार समनुदेशित कार्यों का निर्वाह करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की उपर्युक्त धारा के अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया।

सारणी I.82
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों की सूची

क्रम सं.	विभाग	सीपीआईओ का नाम
1	बीमांकिक	श्री डीएनकेएलएनके चक्रवर्ती
		श्री एनएसके प्रभाकर
2	जीवन	श्री चन्द्रशेखर वी
3	गैर-जीवन	श्री वेंकट राजू के.
4	स्वास्थ्य, टीपीए सहित	श्री एमडी अयाज
5	उपभोक्ता कार्य	श्री आर. पार्धसारधी
6	प्रशासन/एचआर/आंतरिक लेखा/अवशिष्ट विषय	श्री सोमेश्वर राव बूसी
7	मध्यवर्ती	श्री पी. हिमकिरण
		श्री बी. एस. वेंकटेश
8	एजेंसी वितरण	श्री राजेश्वर गंगुला
		सुश्री पी. कांतिश्री
9	एफ एण्ड ए (जीवन और गैर-जीवन)	श्री अम्मु वेंकट रमण
		सुश्री जमुना चौधरी
		श्री जी. शिवरामकृष्ण
10	श्री बिश्वजीत समद्दर	आंतरिक लेखा-परीक्षा और प्रवर्तन
11	निवेश	श्री बिश्वजीत दास
		श्री प्रसाद राव के.
12	सर्वेक्षक	श्रीमती निमिषा श्रीवास्तव
13	दिल्ली कार्यालय- संपर्क कार्य	श्रीमती मंजु अरोड़ा
14	निरीक्षण	श्री जी. शिवरामकृष्ण
		श्री जी. रामबाबू
15	आईटी/विधि/एसडीडी	सुश्री ए. सगीना
		श्री देवेन्द्र कुमार
		श्री अलीम अफ़ाक़
16	सतर्कता	श्री महेश अग्रवाल
		सुश्री नीतू शहदादपुरी
17	संचार और मीडिया	सुश्री ज्योति भगत

भाग-II
कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के प्रयोजन के लिए विनियामक शर्तों में उल्लेखनीय परिवर्तन किये हैं। महत्वपूर्ण विनियामक परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

आईआरडीएआई (समनुदेशन अथवा अंतरण की सूचना की प्राप्ति की लिखित अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015

II.1.1 बीमा अधिनियम की धारा 38(7) में किये गये संशोधन से यह अपेक्षा की गई है कि समनुदेशन/अंतरण की नोटिस की प्राप्ति की लिखित प्राप्ति-स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाना चाहिए वह विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अतः प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (समनुदेशन अथवा अंतरण की नोटिस की प्राप्ति की लिखित प्राप्ति-सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015 निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए 29 अप्रैल 2015 को अधिसूचित किये हैं :

i. समनुदेशन अथवा अंतरण की सूचना की प्राप्ति की लिखित अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में ₹50 (पचास रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगा तथा इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर अन्य प्रकार से जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में ₹100 (एक सौ रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगा। बीमाकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उक्त अभिस्वीकृति प्रदान करने की सेवा करते समय शुल्क की वसूली, किये गये वास्तविक व्ययों के आधार पर करें और वे इस संबंध में कोई अतिरिक्त लागतें भारित नहीं करेंगे।

ii. यह भी स्पष्ट किया गया है कि समनुदेशन अथवा अंतरण के संबंध में कोई भी अन्य शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।

आईआरडीएआई (जीवन बीमा की पॉलिसी के धारक द्वारा नामांकन के निरसन अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015

II.1.2 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39(3) में किये गये संशोधन से यह अपेक्षा की गई कि नामांकन के निरसन अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित किया जानेवाले शुल्क को विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अतः प्राधिकरण ने निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए 29 अप्रैल 2015 को आईआरडीएआई (जीवन बीमा की पॉलिसी के धारक द्वारा नामांकन के निरसन अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015 अधिसूचित किये।

i. नामांकन के निरसन अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में ₹50 (पचास रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगा तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप को छोड़कर अन्य प्रकार से जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में ₹100 (सौ रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगा।

ii. जीवन बीमा की पॉलिसी को जारी करते समय अथवा उसके बाद किसी भी समय अथवा नामांकन से संबंधित किसी भी अन्य सेवा के लिए नामांकन को पंजीकृत करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा। बीमाकर्ताओं को उक्त शुल्क की वसूली वास्तविक व्ययों के आधार पर करनी चाहिए और वे कोई अतिरिक्त लागतें प्रभारित नहीं करेंगे।

iii. नामांकन अथवा उसके निरसन अथवा उसके परिवर्तन को पंजीकृत करने के आशय की एक लिखित अभिस्वीकृति बीमाकृत व्यक्ति को प्रेषित की जाएगी।

iv. प्रस्ताव फार्म के माध्यम से पॉलिसी के प्रारंभ में पॉलिसीधारक द्वारा लागू किये गये तथा पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में बीमाकर्ता द्वारा दर्ज किये गये नामांकन को बीमाकर्ता द्वारा विधिमान्य अभिस्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

आईआरडीएआई (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2015

II.1.3 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीसी में किये गये संशोधनों को देखते हुए प्राधिकरण ने वर्तमान व्यवसाय के स्थान विनियम 2013 (भारत के अंदर स्थित कार्यालयों के लिए लागू) तथा दिनांक 21/01/2009 और 23/05/2013 के दोनों दिशानिर्देशों की समीक्षा की है जो क्रमशः विदेशी बीमा कंपनी (शाखा कार्यालय सहित) का कार्यालय खोलने तथा भारतीय बीमा कंपनी द्वारा भारत के बाहर विदेश में प्रतिनिधि/ संपर्क कार्यालय खोलने से संबंधित हैं। दोनों कार्यालय स्थान विनियम 2013 तथा इन दोनों दिशानिर्देशों के संबंधित उपबंधों को बीमा अधिनियम की धारा 64वीसी के अधीन निहित शक्तियों के अनुसार विनियम 2015 को अधिसूचित करने के लिए उपयुक्त रूप में अनुकूलित किया गया है। 2015 के विनियमों में (21 जुलाई 2015 को अधिसूचित) प्राधिकरण ने भारत के अंदर व्यवसाय के स्थान और भारत के बाहर व्यवसाय के स्थान खोलने के लिए मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया है। कुछ मुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं-

i. भारत के अंदर व्यवसाय के स्थानों के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि सभी बीमाकर्ताओं के पास बीमाकर्ता की व्यावसायिक योजनाओं के अतिरिक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्यावसायिक योजना होगी तथा उसमें न केवल शहरी केन्द्रों, बल्कि अर्ध-शहरी और ग्रामीण केन्द्रों में भी खोलने के लिए प्रस्तावित व्यवसाय के नये स्थानों की कुल संख्या निहित होगी। उक्त विनियमों ने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि खोले गए सभी व्यवसाय के स्थानों पर पॉलिसीधारकों की न्यूनतम सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, जैसे प्रीमियम की वसूली, प्रस्ताव जमाराशियों की वसूली अथवा पॉलिसी सेवा संबंधी अनुरोधों पर कार्रवाई करना।

ii. भारत के अंदर व्यवसाय के स्थान बंद करने अथवा स्थान बदलने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि सभी प्रस्तावित स्थान-परिवर्तनों अथवा समापनों के संबंध में उस व्यवसाय-स्थान द्वारा सेवा-प्रदत्त पॉलिसीधारकों को न्यूनतम दो महीने की सूचना उन्हें सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराई गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं की सूचना के साथ दी जाएगी।

iii. एक संपर्क कार्यालय (एलओ) अथवा एक प्रतिनिधि कार्यालय (आरओ) खोलने के लिए विनिर्दिष्ट मानदंड। आरओ अथवा एलओ द्वारा किये जाने के लिए अनुमत कार्यकलाप और अन्य संबंधित उपबंध।

iv. एक विदेशी शाखा कार्यालय खोलने के लिए विनिर्दिष्ट मानदंड, पात्रता मानदंड, विदेशी शाखा कार्यालय के अनुमोदन को नियंत्रित करनेवाली शर्तें तथा विदेशी शाखा कार्यालय के लिए परिचालनगत अपेक्षाएँ।

आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015

II.1.4 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32बी के संशोधन में शब्द 'ग्रामीण' और नये उपबंध अब इस प्रकार पढ़े जाते हैं 'प्रत्येक बीमाकर्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ के बाद ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के ऐसे प्रतिशतों का दायित्व लेगा जैसे कि इस उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा सरकारी राजपत्र में विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं।' बीमा अधिनियम की धारा 32 बी के नये उपबंधों को लागू करने के लिए प्राधिकरण ने मौजूदा ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र विनियम 2002 की समीक्षा की है तथा आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम 2015 अगस्त 28, 2015 को अधिसूचित किये। इन विनियमों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

i. 2015 विनियमों में विनिर्दिष्ट दायित्व वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू हैं।

ii. दैनिक मजदूर, किराये का चालक और कुली जैसी श्रेणियों को जोड़ने के द्वारा असंगठित क्षेत्र की परिभाषा में वृद्धि की गई।

iii. उन उपबंधों को हटाया गया जिन्होंने आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 के प्रारंभ की तारीख को वर्तमान बीमाकर्ताओं के लिए अलग दायित्व निर्धारित किये थे तथा केवल 'बीमाकर्ता के कार्यकाल' के रूप में मानदंड के साथ ही सभी बीमाकर्ताओं के लिए प्रतिशतों के एकसमान मानदंड निर्धारित किये गये।

iv. स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए ग्रामीण और सामाजिक दायित्वों के अलग प्रतिशत निर्धारित किये गये क्योंकि स्वास्थ्य बीमा अब बीमा विधि संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार व्यवसाय की एक अलग श्रेणी है।

v. जीवनों की पूर्ण संख्या के वर्तमान उपबंध के स्थान पर सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के कुल व्यवसाय पर जीवनों का प्रतिशत (%) निर्धारित किया गया है।

vi. सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जहाँ समूचा प्रींमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है, दोनों ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए हिसाब में नहीं ली जानी चाहिए तथा यह उपबंध वित्तीय वर्ष 2017-18 से लागू है।

vii. भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के लिए उनके व्यवसाय के स्वरूप के कारण कोई दायित्व निर्धारित नहीं किये गये हैं।

viii. सभी सूक्ष्म बीमा पॉलिसियाँ सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए पात्र हैं तथा यदि ये ग्रामीण क्षेत्र में जारी की जाती हैं तो ये दोनों ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए पात्र हैं।

ix. बीमाकर्ता इन विनियमों के अनुसार ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में व्यावसायिक दायित्वों के सही वर्गीकरण के लिए प्रभावी परिचालनगत प्रक्रियाएँ स्थापित करेगा।

x. इन दायित्वों की पूर्ति के लिए वास्तविक व्यावसायिक विवरण प्रस्तुत करते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 90 दिन के अंदर सीईओ अथवा प्रधान अधिकारी द्वारा एक वार्षिक प्रमाणपत्र दाखिल करने की आवश्यकता है।

xi. ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्वों की गणना करते समय पुनर्बीमा प्रीमियम को शामिल नहीं करना चाहिए।

आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015

II.1.5 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 32डी का अनुपालन करने के लिए प्राधिकरण ने बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, मोटर बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के न्यूनतम दायित्व के लिए कार्यपद्धति बताते हुए 2 जून 2015 को आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 जारी किये।

आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

II.1.6 बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन होने के परिणामस्वरूप, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 2(1)(एफ) के अनुसार कॉरपोरेट एजेंटों को मध्यवर्ती और बीमा मध्यवर्ती के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके कारण इस खंड के लिए विनियमों का नया सेट जारी करने की आवश्यकता हुई। इस दिशा में प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए कॉरपोरेट एजेंटों के लिए प्रस्तावित विनियमों के अंतर्गत दो एक्सपोज़र प्रारूप जारी किये हैं। उक्त प्रारूप के संबंध में बीमा सलाहकार समिति की बैठक में एवं प्राधिकरण की बैठक में चर्चा की गई है। प्राधिकरण द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है तथा आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 दिनांक 20 अगस्त 2015 के फा. सं. आईआरडीए/आरईजी/12/102/ 2015 के जरिये अधिसूचित किये गये हैं जो 01.04.2016 को प्रवृत्त होंगे।

इस विनियम की कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

(क) एक कॉरपोरेट एजेंट (जीवन) अधिकतम तीन जीवन बीमाकर्ताओं के साथ उनके बीमा उत्पादों की अपेक्षा करने, उन्हें प्राप्त करने और सेवा प्रदान करने के लिए व्यवस्था कर सकता है।

(ख) एक कॉरपोरेट एजेंट (साधारण) अधिकतम तीन साथारण बीमाकर्ताओं के साथ उनके बीमा उत्पादों की अपेक्षा करने, उन्हें प्राप्त करने और सेवा प्रदान करने के लिए व्यवस्था कर सकता है। इसके अलावा, कॉरपोरेट एजेंट (साधारण) ऐसे बीमाकर्ताओं के साधारण बीमा उत्पादों की खुदरा व्यवस्थाओं और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की अपेक्षा करेगा, प्राप्त करेगा और सेवा प्रदान करेगा जिनके पास सभी बीमाओं को सम्मिलित करने पर प्रति जोखिम कुल बीमित राशि पाँच करोड़ रुपये से अधिक न हो।

(ग) एक कॉरपोरेट एजेंट (स्वास्थ्य) अधिकतम तीन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ उनके बीमा उत्पादों की अपेक्षा करने, उन्हें प्राप्त करने और सेवा प्रदान करने के लिए व्यवस्था कर सकता है।

(घ) कॉरपोरेट एजेंट (सम्मिश्र) के मामले में खंड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट रूप में शर्तें लागू होंगी।

(ङ) बीमा कंपनियों के साथ व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ और वर्तमान पॉलिसीधारकों की रख रखाव के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं के साथ ही किया जाएगा।

(च) एकमात्र बीमा वितरण करनेवाला आवेदक न्यूनतम पचास लाख की ईक्विटी शेयर पूँजी अथवा अंशदान और निवल मालियत (नेट वर्थ) रखेगा। वे हर समय उक्त नेट वर्थ को बनाये रखेंगे।

(छ) एक बार जारी किया गया पंजीकरण उसके निर्गम की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक कि उसे इन विनियमों के अनुसरण में निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता।

(ज) प्रत्येक कॉरपोरेट एजेंट प्राधिकरण के पास पंजीकरण की अपेक्षा करते समय बीमा उत्पादों की अपेक्षा करने और उनकी सर्विसिंग के तरीके पर बोर्ड अथवा उसके समकक्ष द्वारा अनुमोदित नीति दाखिल करेगा। उक्त नीति खुली संरचना के दर्शन को ग्रहण करने और उसके कार्यान्वयन में आगे बढ़ने के तरीके का समाधान करेगा। उक्त नीति अन्य बातों के साथ-साथ एकल अथवा बहुविध तालमेल व्यवस्थाएँ, तालमेल व्यवस्थाओं में भागीदार, व्यवसाय का मिश्रण, विक्रीत उत्पादों के प्रकार, शिकायत निवारण व्यवस्था और रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ रखने में कॉरपोरेट एजेंट द्वारा अनुसरण किये जानेवाले दृष्टिकोण को सम्मिलित करेगी।

(झ) कॉरपोरेट एजेंट प्राधिकरण को अपने कार्यालयों का विवरण जिनमें वह बीमा उत्पादों का वितरण करना चाहता है तथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का विवरण उनको प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र की संख्या सहित प्रकट करेगा। इसके अलावा, कॉरपोरेट एजेंट द्वारा किसी कार्यालय को खोलने अथवा बंद करने की सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी।

अंतर्निहित जी-सेक के साथ विनिमय व्यापारित निधियों में निवेश संबंधी दिशानिर्देश (जीआईएलटी-ईटीएफ)

II.1.7 बीमाकर्ताओं को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे म्युचुअल फंडों में निवेश के समान ही 'अनुमोदित निवेशों' के भाग के रूप में जीआईएलटी-ईटीएफ में निवेश करें। जीआईएलटी-ईटीएफ बाजार में सक्रिय रूप से व्यापारित सरकारी प्रतिभूतियों के समूह में अथवा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचकांक के घटकों में निवेश करते रहेंगे। बीमाकर्ता द्वारा न्यूनतम निवेश निर्माण एकक आकार (क्रिएशन यूनिट साइज) से कम नहीं होगा और किसी भी समय उसे क्रिएशन यूनिट साइज से कम नहीं किया जाएगा तथा निवेश के समय क्रिएशन यूनिट साइज का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। समग्र व्यय अनुपात योजना की दैनिक निवल आस्तियों के 0.50% से कम रहेगा।

II.2 बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट

II.2.1 वर्ष 2015-16 ने वैयक्तिक एजेंटों की संख्या में 2.48 प्रतिशत की गिरावट देखी। उक्त संख्या 31 मार्च 2015 को यथाविद्यमान 20.68 लाख से घटकर 31 मार्च 2016 को 20.17 लाख रहा। जबकि निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा 5.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं एलआईसी ने 8.77 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। सभी निजी जीवन बीमाकर्ताओं को एकसाथ लेने पर उनके वैयक्तिक एजेंटों की तुलना में एलआईसी के पास उच्चतर संख्या में वैयक्तिक एजेंट थे। वर्ष 2015-16 के अंत में जबकि एलआईसी के एजेंटों की संख्या 10.62 लाख रही, वहीं निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की तदनुरूपी संख्या 9.55 लाख थी।

II.2.2 वर्ष 2015-16 के दौरान नियुक्त एजेंटों की कुल संख्या 6.66 लाख थी और सेवासमाप्त एजेंटों की संख्या 7.17 लाख थी। जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने 3.46 लाख एजेंटों को नियुक्त किया, वहीं 2.95 लाख एजेंटों की सेवा समाप्त की गई। दूसरी ओर, एलआईसी के मामले में 4.21 लाख एजेंटों की सेवा समाप्त की गई जबकि उसने 3.19 लाख एजेंटों को नियुक्त किया।

सारणी II.1
जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का विवरण 2015-16

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2015 को	परिवर्धन	विलोपन	31 मार्च 2016 को
निजी कुल	904303	345855	295153	955005
एलआईसी	1163604	319428	421472	1061560
उद्योग कुल	**2067907**	**665283**	**716625**	**2016565**

बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध मध्यवर्ती

कॉरपोरेट एजेंट:

II.2.3 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 416 कॉरपोरेट एजेंट थे। जबकि 2015-16 के दौरान 70 नये एजेंट जुड़ गये थे, 157 कॉरपोरेट एजेंटों के लाइसेंस निरस्त किये गये थे। एलआईसी ने 35 कॉरपोरेट एजेंटों की सेवा समाप्त की थी और 12 नये लाइसेंस जारी किये थे। निजी बीमाकर्ताओं ने 122 कॉरपोरेट एजेंटों की सेवा समाप्त की थी जबकि 58 नये कॉरपोरेट एजेंट सम्मिलित किये गये थे।

सारणी II.2
जीवन बीमाकर्ताओं के कॉरपोरेट एजेंटों का विवरण 2015-16

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2015 को	परिवर्धन	विलोपन	31 मार्च 2016 को
निजी कुल	361	58	122	297
एलआईसी	142	12	35	119
उद्योग कुल	**503**	**70**	**157**	**416**

माध्यम-वार नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन

II.2.4 वैयक्तिक नया व्यवसाय जीवन

वैयक्तिक एनबी प्रीमियम के प्रति वैयक्तिक एजेंटों का अंशदान 2014-15 के 71.42% की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान घटकर 68.27% हो गया है।

एलआईसी ने वैयक्तिक एजेंटों के माध्यम से अपने वैयक्तिक एनबी प्रीमियम का 96.50% प्राप्त किया था जबकि निजी क्षेत्र के लिए वैयक्तिक एजेंटों का अंश 31.90% था।

II.2.5 कॉरपोरेट एजेंटों का अंश जो 2014-15 के दौरान 22.32 प्रतिशत था, वर्ष 2015-16 में 25.21 प्रतिशत तक बढ़ गया था। निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त नये व्यवसाय प्रीमियम में कॉरपोरेट एजेंटों का अंश 2015-16 में 54.71 प्रतिशत पर उल्लेखनीय था (2014-15 में यह 50.72 प्रतिशत था)। दूसरी ओर, जबकि वैयक्तिक एजेंटों से एलआईसी ने नये व्यवसाय प्रीमियम का 96.50 प्रतिशत प्राप्त किया था, वहीं एलआईसी के लिए कॉरपोरेट एजेंटों का अंशदान 2.32 प्रतिशत था।

बैंक और अन्य कॉरपोरेट माध्यमों के बीच, कुल नये व्यवसाय में बैंकों का अंश 2014-15 के 20.84 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 23.82 प्रतिशत हो गया था।

सारणी II.3
2015-16 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	वैयक्तिक एजेंट	कॉरपोरेट एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय	सूक्ष्म बीमा एजेंट	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	वेब संग्राहक	आई एमएफ	ऑन लाइन	कुल वैयक्तिक नया व्यवसाय	रिफ़रल
		बैंक	अन्य*									
निजी कुल	31.90	51.70	3.00	3.64	8.65	0.01	0.004	0.00	0.00	1.10	100.00	0.06
एलआईसी	96.50	2.18	0.14	0.02	1.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.07	100.00	0.00
उद्योग कुल	**68.27**	**23.82**	**1.39**	**1.60**	**4.36**	**0.04**	**0.002**	**0.00**	**0.00**	**0.52**	**100.00**	**0.03**

*बैंकों को छोड़कर कोई अन्य संस्था, परंतु कॉरपोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंस-प्राप्त।
इसमें इसका विदेशी नया व्यवसाय प्रीमियम शामिल नहीं है।
टिप्पणी: 1) नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है। .
2) रेफरल व्यवस्थाओं द्वारा प्राप्त अग्रताएँ संबंधित माध्यमों में शामिल की गई हैं।

प्रत्यक्ष विक्रय के अंश ने 2015-16 में वैयक्तिक नये व्यवसाय का 4.36 प्रतिशत दर्ज किया जबकि ऑनलाइन विक्रय माध्यम ने वर्ष 2015-16 में 0.52% का अंश दर्ज किया। पूर्व में यह प्रत्यक्ष विक्रय माध्यम में शामिल था। जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से अपने नये व्यवसाय का 8.65 प्रतिशत प्राप्त किया, वहीं एलआईसी ने इस माध्यम के द्वारा अपने नये व्यवसाय का 1.03 प्रतिशत प्राप्त किया। निजी बीमाकर्ताओं ने ऑनलाइन विक्रय के माध्यम से अपने नये व्यवसाय प्रीमियम का 1.1% प्राप्त किया, जबकि एलआईसी ने इस माध्यम से 0.07% प्राप्त किया।

वैयक्तिक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग के प्रति दलाल माध्यम, सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंट माध्यम और सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) का अंशदान क्रमशः 1.60%, 0.04% और 0.002% हैं।

सामूहिक नया व्यवसाय

II.2.6 प्रत्यक्ष विक्रय लगातार सामूहिक व्यवसाय के लिए प्रबल माध्यम बना हुआ है, प्रीमियम में जिसका अंश 2015-16 के दौरान 95.03 प्रतिशत है। पिछले वर्ष में तदनुरूपी अंश 93.05 प्रतिशत था। इस माध्यम ने निजी और सरकारी क्षेत्रों के सामूहिक एनबी प्रीमियम के प्रति क्रमशः 82.56% और 98.00% का योगदान किया था।

सारणी II.4
2015-16 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन -माध्यम-वार

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	वैयक्तिक एजेंट	कॉरपोरेट एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय	सूक्ष्म बीमा एजेंट	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	वेब संग्राहक	आई एमएफ	ऑन लाइन	कुल वैयक्तिक नया व्यवसाय	रिफ़रल
		बैंक	अन्य*									
निजी कुल	0.77	8.79	4.71	3.17	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
एलआईसी	1.91	0.00	0.07	0.02	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
उद्योग कुल	**1.69**	**1.69**	**0.96**	**0.63**	**95.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**

*बैंकों को छोड़कर कोई अन्य संस्था, परंतु कॉरपोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंस-प्राप्त।
इसमें इसका विदेशी नया व्यवसाय प्रीमियम शामिल नहीं है।
टिप्पणी: 1) नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है। .
2) रेफरल व्यवस्थाओं द्वारा प्राप्त अग्रताएँ संबंधित माध्यमों में शामिल की गई हैं। .

सारणी II.5
2015-16 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम (वैयक्तिक और सामूहिक) - माध्यम-वार

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	वैयक्तिक एजेंट	कॉर्पोरेट एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय	सूक्ष्म बीमा एजेंट	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	वेब संग्राहक	आई एमएफ	ऑन लाइन	कुल वैयक्तिक नया व्यवसाय	रिफ़रल
		बैंक	अन्य*									
निजी कुल	20.13%	35.48%	3.65%	3.47%	36.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	100.00%	0.04%
एलआईसी	33.68%	0.73%	0.09%	0.02%	65.43%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	100.00%	0.00%
उद्योग कुल	**29.68%**	**10.99%**	**1.14%**	**1.04%**	**56.92%**	**0.02%**	**0.0007%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.22%**	**100.00%**	**0.01%**

**बैंकों को छोड़कर कोई अन्य संस्था, परंतु कॉरपोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंस-प्राप्त।*
इसमें इसका विदेशी नया व्यवसाय प्रीमियम शामिल नहीं है।
टिप्पणी: 1) नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।
2) रेफरल व्यवस्थाओं द्वारा प्राप्त अग्रताएँ संबंधित माध्यमों में शामिल की गई हैं।

निजी बीमाकर्ताओं के सामूहिक व्यवसाय के लिए एक और महत्वपूर्ण वितरण माध्यम बैंकों का था। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकों ने निजी बीमाकर्ताओं के मामले में कुल सामूहिक व्यवसाय का 8.79 प्रतिशत अंशदान किया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष में 10.36 प्रतिशत पर रहा।

एलआईसी ने अपने पारंपरिक वैयक्तिक एजेंसी बल के माध्यम से सामूहिक व्यवसाय का 1.91 प्रतिशत प्राप्त किया था जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने इस माध्यम के द्वारा 0.77 प्रतिशत प्राप्त किया।

सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग के एनबी प्रीमियम के प्रति दलालों के माध्यम का अंशदान 0.63% था।

वैयक्तिक और सामूहिक व्यवसाय का कुल योग

II.2.7 समग्र स्तर पर (वैयक्तिक और सामूहिक व्यवसाय को एकसाथ मिलाकर) 'प्रत्यक्ष विक्रय' ने 2014-15 के 49.67 प्रतिशत की तुलना में कुल नये व्यवसाय के 56.92 प्रतिशत का अंशदान किया था। कुल प्रीमियम में वैयक्तिक एजेंटों का अंश 2014-15 के 36.44 प्रतिशत से घटकर 29.68 प्रतिशत हो गया था।

बैंकों तथा बैंकों को छोड़कर अन्य कॉरपोरेट एजेंटों द्वारा किया गया अंशदान क्रमशः 10.99 प्रतिशत और 1.14 प्रतिशत था। दलालों का योगदान 1.04% था। ऑनलाइन विक्रय माध्यम ने नये व्यवसाय प्रीमियम का 0.22% अंशदान किया था। सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंटों और सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) का अंशदान क्रमशः 0.02% और शून्य प्रतिशत पर था।

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

चार्ट II.1: जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय प्रीमियम - माध्यम-वार

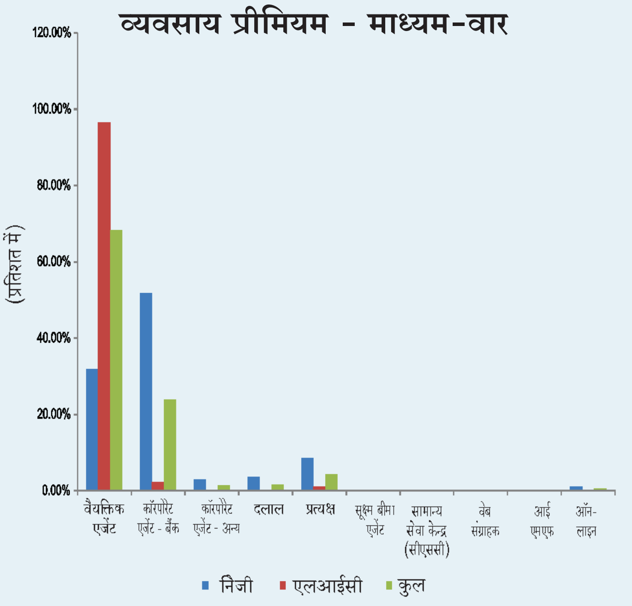

चार्ट II.2: जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय प्रीमियम-माध्यम-वार

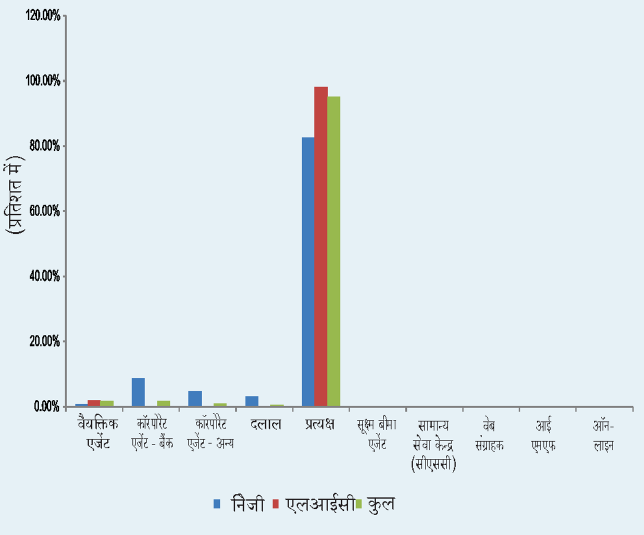

चार्ट II.3: जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम (वैयक्तिक और सामूहिक)

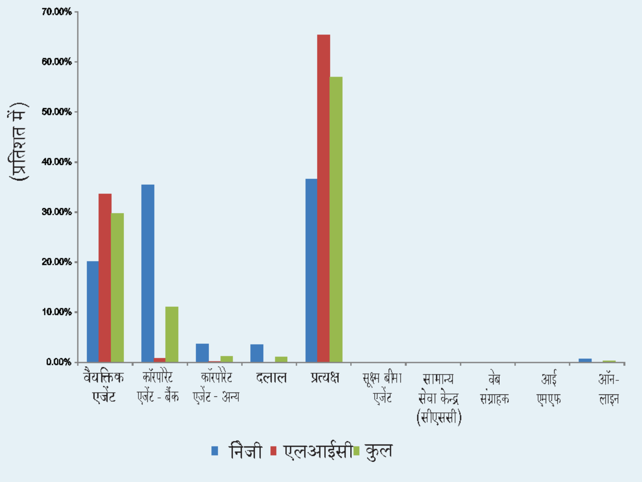

II.2.8 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएम के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में शैक्षिक योग्यता तथा भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) की सदस्यता सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए सांविधिक अपेक्षाएँ हैं। आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 योग्यता के मानदंड अनुसूची , अनुबंध1 में विनिर्दिष्ट करता है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 64 यूएम की उप-धारा 4 कहता है कि 'भारत में घटित और साधारण बीमा की किसी भी पॉलिसी पर मूल्य में प्राधिकरण द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट राशि के समान अथवा उससे अधिक का भारत में भुगतान अथवा निपटान किये जाने के लिए अपेक्षित हानि के संबंध में उत्पन्न होनेवाला अथवा बीमाकर्ता को सूचित कोई भी दावा भुगतान के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाए अथवा उसका निपटना न किया जाए, जब तक ऐसे किसी व्यक्ति से घटित हानि पर एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती जो सर्वेक्षक और हानि निर्धारक ('अनुमोदित सर्वेक्षक और हानि निर्धारक' के रूप में भी उल्लिखित) के रूप में कार्य करने के लिए इस धारा के अधीन जारी किया गया लाइसेंस धारित करता है। आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 का विनियम 12 सर्वेक्षण संबंधी सीमा निम्नानुसार निर्धारित करता हैः

विनियम 12(2) -- सर्वेक्षकों अथवा हानि निर्धारकों की नियुक्ति बीमाकर्ताओं अथवा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के संबंध में बीमा की पॉलिसी के अंतर्गत हानि का निर्धारण करने के लिए की जाएगी

(क) मोटर बीमा पचास हजार रुपये से अधिक

(ख) मोटर बीमा को छोड़कर अन्य एक लाख रुपये से अधिक

विनियम 12(3) उपर्युक्त सीमा की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में की जाएगी।

II.2.9 बीमा मध्यवर्ती होने के नाते, सर्वेक्षकों को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी के अधीन पंजीकरण प्राप्त करना होगा तथा लाइसेंस का नवीकरण हर तीन वर्ष में करवाना होगा। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान प्रशिक्षण नामांकन, वैयक्तिक और कॉरपोरेट सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को नये लाइसेंस प्रदान करने और लाइसेंसों का नवीकरण करने का विवरण नीचे दिया गया है।

सारणी II.6 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किये गये लाइसेंस		
	2014-15	**2015-16**
नये लाइसेंस		
वैयक्तिक	182	260
कॉरपोरेट	5	8
उप- जोड़	**187**	**268**
नवीकरण		
वैयक्तिक	2137	1537
कॉरपोरेट	20	24
उप-जोड़	**2157**	**1561**
प्रशिक्षणार्थी नामांकन	**753**	**947**

शिकायतें सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

II.2.10 प्राधिकरण का सर्वेक्षक लाइसेंसीकरण विभाग सर्वेक्षकों से सर्वेक्षण कार्यों के लिए सूचीकरण (एम्पैनलमेंट), बीमा कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण शुल्क का भुगतान न करना, आईआईआईएसएलए द्वारा सदस्यका का अस्वीकरण, आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त करता है। ऐसी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों और आईआईआईएसएलए को उनके स्तर पर समाधान के लिए प्रेषित की जाती हैं। पॉलिसीधारक भी सर्वेक्षकों/ सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति न मिलने, सर्वेक्षण रिपोर्ट की निर्गम में विलंब, कदाचार, आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 का उल्लंघन, आदि के संबंध में शिकायत करते हैं। ऐसी शिकायतों के संबंध में समस्याओं के त्वरित निपटान के लिए सर्वेक्षकों के साथ संपर्क किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, विभाग द्वारा सर्वेक्षकों और कॉरपोरेट सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध विभिन्न आरटीआई पत्र और मंत्रालय की शिकायतें भी प्राप्त की जाती हैं।

II.2.11 वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण ने 97 शिकायतें प्राप्त कीं, 108 का समाधान किया गया है और 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 1 बकाया है।

बीमा दलाल

II.2.12 प्राधिकरण ने 2003 से भारतीय बाजार में परिचालन करने के लिए बीमा दलालों को अनुमति दी तथा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसरण में पहला दलाली लाइसेंस 30 जनवरी 2003 को जारी किया गया। इन विनियमों का अधिक्रमण वर्ष 2013-14 में आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 द्वारा किया गया। इन विनियमों ने प्रत्यक्ष बीमा दलालों के लिए ₹50 लाख, पुनर्बीमा दलालों के लिए ₹200 लाख और सम्मिश्र बीमा दलालों के लिए ₹250 लाख की पूँजीगत अपेक्षा निर्धारित की। उक्त विनियम बीमा दलाली में विदेशी ईक्विटी सहभागिता के संबंध में 26% की सीमा निर्धारित करता है। तथापि, यह सीमा भारत सरकार द्वारा 49% तक बढ़ाई गई जो भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के जरिये अधिसूचित की गई। बीमा दलाली क्रमशः लोकप्रिय हो रही है तथा पंजीकरणों की संख्या 2003 से लेकर 457 तक बढ़ गई है (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)।

II.2.13 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत दलालों की 457 की कुल संख्या में से विधिमान्य दलाल 368 थे और 89 प्रचलित नहीं हैं। 368 विधिमान्य दलालों में से 315 प्रत्यक्ष दलाल हैं, 47 सम्मिश्र दलाल और 6 पुनर्बीमा दलाल हैं। प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान 38 नये लाइसेंस जारी किये हैं जिनमें से 36 लाइसेंस प्रत्यक्ष बीमा दलाल श्रेणी में हैं और 2 सम्मिश्र बीमा दलाल श्रेणी में हैं। एक वर्तमान लाइसेंस का ग्रेड प्रत्यक्ष बीमा दलाल से बढ़ाकर सम्मिश्र बीमा दलाल किया गया है तथा एक वर्तमान लाइसेंस का ग्रेड प्रत्यक्ष (साधारण) से बढ़ाकर प्रत्यक्ष (जीवन और साधारण) कर दिया गया है। इसके अलावा, 1 प्रत्यक्ष बीमा दलाल और 1 प्रत्यक्ष पुनर्बीमा दलाल का लाइसेंस उनके अपने अनुरोध के अनुसार मिला दिया गया है और एक सम्मिश्र बीमा दलाल के रूप में परिवर्तित किया गया है।

सारणी II.7
सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों से संबंधित शिकायतें

संबंधित अवधि	अवधि के प्रारंभ में बकाया	प्राप्त	समाधान किया गया	अवधि के अंत में बकाया
अप्रैल 2014 मार्च 2015	27	46	61	12
अप्रैल 2015-- मार्च 2016	12	97	108	1

II.2.14 समक्षाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने 124 बीमा दलाल लाइसेंसों का नवीकरण किया है। संशोधित विनियमों के अनुसार बीमा दलाल अपने लाइसेंस की समाप्ति से 90 दिन पहले नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण बीमा दलालों के अनुपालन स्तरों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठा रहा है। इनमें से कुछ के अंतर्गत कार्यशालाओं का संचालन, भारतीय बीमा दलाल संघ के साथ नियमित रूप से परस्पर सक्रियता, आदि शामिल हैं।

कागज-रहित परिवेश की दिशा में अग्रसर होने के लिए एक निवारक कदम के रूप में विभाग ने नये लाइसेंसों और नवीकरण हेतु आवेदनों के लिए 1 जनवरी 2016 से विभाग में व्यावसायिक विश्लेषणात्मक परियोजना (बीएपी) कार्यान्वित किया, जिसे 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया।

निम्नलिखित सारणी 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार भारत में बीमा दलाली उद्योग की सांख्यिकी दर्शाती हैः

सारणी II.8
बीमा दलालों की सांख्यिकी

कुल शेयर पूँजी	₹464.59 करोड़
कुल निवल मालियत (नेट वर्थ)	₹2022.38 करोड़
कुल एफडीआई	₹14.75 करोड़

वेब संग्राहक

II.2.15 प्राधिकरण ने बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन तुलना और वितरण करने के लिए वेब संग्राहक के रूप में ज्ञात एक प्रणाली विकसित करने के लिए पहल की। यह पहल ई-कॉमर्स में विकासशील प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए बीमा पॉलिसियों के संभावित खरीदारों के हित के लिए की गई। प्राधिकरण ने प्रारंभ में नवंबर 2011 में विभिन्न बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों की तुलना के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए प्रौद्योगिकीगत प्रगति का उन्नयन करने के संबंध में उत्साही उद्यमियों को समर्थ बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किये थे। उक्त दिशानिर्देशों के आधार पर प्राधिकरण ने 6 वेब संग्राहकों को लाइसेंस जारी किये थे।

सारणी II.9
31.03.2016 को बीमा दलालों के राज्य-वार कार्यालय

क्रम सं.	भारत के राज्यों के नाम	शाखाओं की संख्या
1	महाराष्ट्र	281
2.	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	148
3.	तमिलनाडु	138
4.	गुजरात	117
5.	उत्तर प्रदेश	107
6.	पश्चिम बंगाल	103
7.	कर्नाटक	101
8.	तेलंगाना	72
9.	केरल	60
10.	आंध्र प्रदेश	55
11.	राजस्थान	50
12.	हरियाणा	39
13.	पंजाब	36
14.	मध्य प्रदेश	33
15.	बिहार	30
16.	असम	26
17.	झारखंड	25
18.	ओडिशा (उड़ीसा)	23
19.	छत्तीसगढ़	22
20.	चंडीगढ़	17
21.	हिमाचल प्रदेश	12
22.	उत्तराखंड	9
23.	जम्मू और कश्मीर	7
24.	गोवा	5
25.	त्रिपुरा	2
26.	मेघालय	1
27.	मिजोरम	1
28.	सिक्किम	1
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	पुदुचेरी (पांडिचेरी)	1
	कुल योग	1523

तदुपरांत प्राधिकरण ने 'आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013' जारी किये तथा उक्त विनियमों के अधीन 5 वेब संग्राहकों को लाइसेंस प्रदान किये। वर्तमान में 16 वेब संग्राहक विद्यमान हैं।

सारणी II.10
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वेब संग्राहक
(31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	वेब संग्राहक का नाम
1	मैंगोट्री सोल्यूशन्स प्रा. लि.
2.	कॉमेट इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
3.	पॉलिसीएक्स.कॉम इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
4	ओए इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर्स प्रा. लि.
5	फ़िनगूल इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
6	ईज़ी पॉलिसी इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
7	पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
8	माई इंस्योरेंस क्लब इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
9	ग्रेट इंडिया इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
10	मिंट वाइज़ इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर्स प्रा. लि.
11	बून इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
12	कम्पेअर पॉलिसी इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
13	बॉय स्मार्ट पॉलिसी इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
14	एमएसएफ इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
15	पॉलिसी मंत्र इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.
16.	डेस्टिनेशन इंश्योरेंस वेब अग्रेगेटर प्रा. लि.

सामान्य सेवा केन्द्र विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी)

II.2.18 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) को मध्यवर्ती और बीमा मध्यवर्ती की परिभाषा में शामिल किया गया है। अधिनियम में संशोधनों के परिणाम के तौर पर सामान्य सेवा केन्द्रों संबंधी दिशानिर्देशों को विनियमों के रूप में परिवर्तित किया गया। उक्त विनियमों में निम्नलिखित परिवर्तन शामिल हैं :

1) सीएससी उत्पाद की परिभाषा

2) सीएससी-एसपीवी के लिए आचरण-संहिता

3) ऑन बोर्डिंग प्रभार

4) पारिश्रमिक

5) जीवन और साधारण बीमा उत्पादों के लिए लागू प्रकार, प्रक्रिया और शर्तें

6) प्राधिकरण के आदेशों पर एसएटी को अपील

7) सामंजस्य लाने के लिए छोटे व्याकरणिक परिवर्तन

सीएससी विनियमों द्वारा प्रस्तावित बीमा सेवाओं की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

1. सीएससी-एसपीवी बीमा उत्पादों का विपणन करेंगे तथा उन बीमा कंपनियों के सीएससी नेटवर्क के माध्यम से अन्य बीमा संबंधी सेवाएँ भी प्रस्तावित करेंगे जिन्होंने सीएससी-एसपीवी के साथ करार किया है।

2. सीएससी-एसपीवी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ लिमिटेड, विशेष प्रयोजन माध्यम है जो सीएससी नेटवर्क के माध्यम से भारत के नागरिकों को सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के वितरण को सुसाध्य बनाने के लिए निगमित है।

3. निम्नलिखित के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तें, शैक्षिक योग्यताएँ और प्रशिक्षण की अपेक्षा को विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है
   - क. सीएससी-एसपीवी का प्रधान अधिकारी
   - ख. सीएससी-एसपीवी का आरएपी।

4. सीएससी-एसपीवी के प्रधान अधिकारी उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए योग्य और उचित (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड प्रस्तावित किये गये हैं।

5. सीएससी-एसपीवी को पंजीकरण, विधिमान्यता प्रदान करने और पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया भी विनिर्दिष्ट की गई है।

6. सीएससी ढाँचे के अंदर सेवा भागीदार एजेंसी हैं जिसमें राज्य द्वारा पदनामित एजेंसी अथवा सेवा केन्द्र एजेंसी अथवा सीएससी योजना के अंतर्गत अन्य कोई एजेंसी शामिल है जो ग्राम-स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करेगी।

7. ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति (आरएपी) ग्राम-स्तरीय उद्यमी (वीएलई) व्यक्ति होगा जो बीमा उत्पादों का विपणन करने और बीमे से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र का परिचालन और प्रबंध करने के लिए पंजीकृत और सीएससी- एसपीवी द्वारा प्राधिकृत हो। उसे 20 घंटे का

प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, एनआईईएलआईटी द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए तथा उसके पास 10वीं कक्षा या उसकी समकक्ष न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।

8. उक्त विनियमों में प्रधान अधिकारी, आरएपी, सीएससी-एसपीवी और बीमाकर्ताओं के लिए आचरण-संहिता तथा कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किये गये हैं। इन विनियमों में ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है।

9. सीएससी-एसपीवी, सेवा भागीदार एजेंसी और आरएपी के बीच पारिश्रमिक, प्रदत्त कमीशन के क्रमशः 8% से अनधिक, 12% से अनधिक और 80% से अन्यून अनुपात में विनिर्दिष्ट किया गया है। तथापि, आरएपी द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली बीमा संबंधी सेवाओं के संबंध में निर्णय करना सीएससी-एसपीवी और बीमाकर्ता के बीच छोड़ दिया गया है।

10. प्रति बीमाकर्ता ₹20 लाख के ऑन-बोर्डिंग प्रभार, जो एक निलंब (एस्क्रो) खाते में अदा किये जाते हैं, बीमाकर्ताओं से सीएससी-एसपीवी द्वारा माँगने की अनुमति दी गई है ताकि आरएपी स्तर पर बॉयो-मेट्रिक और आईआरआईएस उपस्कर की बुनियादी संरचना को सुसाध्य बनाया जा सके, जिन्हें सक्रिय होने के समय निर्मुक्त किया जाता है।

11. सीएससी-एसपीवी इस माध्यम के अंतर्गत एकमात्र उत्पादों का विपणन करेंगे जिनके संबंध में शब्द 'सीएससी' प्रारंभ में होंगे। मोटर बीमा के अंतर्गत बीमित राशि को छोड़कर इन पॉलिसियों में अधिकतम अनुमत बीमित राशि ₹2 लाख है। वर्तमान में फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा जीवन बीमाकर्ताओं के नियमित प्रीमियम भुगतान से युक्त लाभरहित असंबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद एवं नियमित प्रीमियम भुगतान से युक्त विशुद्ध सावधि बीमा उत्पाद अनुमोदित किये गये हैं। इसी प्रकार, मोटर बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, मवेशी/पशुधन बीमा, किसान की पैकेज पॉलिसी तथा साधारण बीमा का अग्नि (फायर) और संबद्ध जोखिमपूर्ण निवास बीमा को प्राधिकरण ने अनुमोदन प्रदान किया है।

12. सीएससी-एसपीवी और आरएपी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए क्रियाविधि भी प्रस्तावित विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई है।

13. उक्त विनियमों में बीमाकर्ताओं और सीएससी-एसपीवी द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानेवारी रिपोर्टें भी विनिर्दिष्ट की गई हैं।

14. सीएससी-एसपीवी माध्यम के संबंध में सांख्यिकी 1.4.2016 से 31.8.2016 तक की अवधि के लिए निमानुसार हैः

क. उन आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिन्हें प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं - 11,621

ख. संगृहीत कुल प्रीमियम (नया और नवीकरण) ₹117.42 करोड़

ग. कुल नया बीमा प्रीमियम ₹6.62 करोड़ (साधारण) + ₹0.28 करोड़ (जीवन)

घ. कुल नवीकरण प्रीमियम ₹110.52 करोड़ (जीवन)

ङ. सेवा प्रदत्त ग्राहकों की कुल संख्या -- 3.78 लाख

च. बीमाकर्ताओं की संख्या जिनके साथ करार हस्ताक्षरित किये गये हैं : साधारण 16, स्वास्थ्य 3, जीवन 18 (14 नवीकरण) + 4 (नये और नवीकरण)

छ. बेची गई पॉलिसियों की संख्या i) मोटर अन्य पक्ष 56,484; ii) पीए 4,521; iii) जीवन बीमा 2,622; iv) फ़सल 1,187; v) अन्य 223

ज. मोटर व्यापक, यात्रा बीमा, फ़सल बीमा और सरकारी बीमा योजनाओं जैसे नये उत्पाद अनुमोदित उताप्दों की सूची में जोड़े गये हैं।

बिक्री केंद्र विक्रेता गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

II.2.17 प्राधिकरण ने पाया कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा और विपणन से संबंधित सरल और नेमी कार्यकलापों से संबद्ध हैं। उदाहरण के लिए मोटर बीमा, यात्रा बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, आदि में अधिकांश उत्पादों के लिए बहुत कम जोखिम-अंकन अपेक्षित है। ये अधिकांश तौर पर पहले से जोखिम अंकित होते हैं जिनमें संभावित ग्राहक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा बीमा पॉलिसी स्वचालित रूप से उत्पन्न की जाती है। ऐसे उत्पाद के लिए आवश्यक हस्तक्षेप अल्पतम है तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा न्यूनतर परिमाण की हो सकती है।

देश में बीमा व्यवसाय की वृद्धि को सुसाध्य बनाने तथा बीमा व्यापन और बीमा सघनता को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने अपनी विकासात्मक कार्यसूची के भाग के रूप में 'बिक्री केंद्र विक्रेताओं' संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये।

उक्त दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

1. 'बिक्री केंद्र विक्रेता' जो केवल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कुछ पहले से जोखिम-अंकित उत्पादों की अपेक्षा और विपणन कर सकते हैं।

2. प्रत्येक 'बिक्री केंद्र विक्रेता' उसकी आधार कार्ड संख्या अथवा उसके पैन कार्ड द्वारा पहचाना जाएगा।

3. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसे पहले से जोखिम-अंकित उत्पादों की अपेक्षा और विपणन करनेवाले व्यक्ति 'बिक्री केंद्र विक्रेता' कहलाएँगे।

4. उक्त 'बिक्री केंद्र विक्रेता' कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगा।

5. वह 'बिक्री केंद्र विक्रेता' के लिए विनिर्दिष्ट ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उस बीमा कंपनी अथवा बीमा मध्यवर्ती द्वारा एनआईईएलआईटी को प्रायोजित किया जाएगा जिसके पास वह कार्य करेगा।

6. उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए शुल्क ₹500 से अधिक नहीं होगा जो एनआईईएलआईटी को या तो उस बीमा कंपनी द्वारा या उस बीमा मध्यवर्ती द्वारा अदा किया जाएगा जो उस व्यक्ति को प्रायोजित कर रहा है।

7. प्रशिक्षण मॉड्यूल की मेजबानी एनआईईएलआईटी वेबसाइट पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में की जाएगी।

8. वह एनआईईएलआईटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होगा जो परीक्षा निकाय होगा।

9. परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद उसे एनआईईएलआईटी द्वारा 'बिक्री केंद्र विक्रेता' के रूप में प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

10. एक 'बिक्री केंद्र विक्रेता' किसी बीमा कंपनी अथवा बीमा मध्यवर्ती का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

11. उक्त 'बिक्री केंद्र विक्रेता' केवल निम्नलिखित पूर्व-जोखिम-अंकित उत्पाद ही बेच सकता है।

    क. दुपहिया, निजी कार और वाणिज्यिक वाहनों के लिए मोटर व्यापक बीमा पैकेज पॉलिसी।

    ख. दुपहिया, निजी कार और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अन्य पक्ष देयता (ऐक्ट ओनली) पॉलिसी।

    ग. वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी

    घ. यात्रा बीमा पॉलिसी

    ङ. गृह बीमा पॉलिसी

    च. प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदित कोई अन्य पॉलिसी।

12. 'बिक्री केंद्र विक्रेता' के माध्यम से बेची गई प्रत्येक पॉलिसी अलग से पहचानी जाएगी और नाम से पहले 'पीओएस (उत्पाद का नाम)' होगा।

13. बीमा कंपनी प्राधिकरण के पास सूचनार्थ फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों के अधीन उत्पाद को फाइल करेगी।

14. प्रत्येक प्रस्ताव फार्म चाहे वह कागज पर हो अथवा कागज-रहित रूप में हो, बीमा पॉलिसी और अन्य संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड संख्या अथवा पैन कार्ड को दर्ज करने के लिए व्यवस्था से युक्त होंगे जिससे पॉलिसी को 'बिक्री केंद्र विक्रेता' के साथ संबद्ध किया जा सके जो उपर्युक्त पॉलिसी को बेच रहा है।

15. प्रस्ताव फार्म अथवा बीमा पॉलिसी में 'बिक्री केंद्र विक्रेता' की आधार कार्ड संख्या अथवा पैन कार्ड संख्या को दर्ज करने के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी। बीमा कंपनी 'बिक्री केंद्र विक्रेता' के आचरण के लिए जिम्मेदार होगी जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है।

16. बीमा मध्यवर्ती के माध्यम से किये जानेवाले विक्रय के लिए बीमा मध्यवर्ती प्रस्ताव फार्म में 'बिक्री केंद्र विक्रेता' की आधार कार्ड संख्या अथवा पैन कार्ड संख्या को दर्ज करेगा और बीमा पॉलिसी में ऐसा ही करने के लिए बीमा कंपनी से अपेक्षा करेगा। बीमा मध्यवर्ती अपने द्वारा नियुक्त 'बिक्री केंद्र विक्रेता' के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा तथा बिक्री केंद्र विक्रेता की ओर से कोई भी कदाचार उसे अधिनियम के अनुसार दंड के लिए भागी बनायेगा।

17. बीमा मध्यवर्ती के पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करते समय जिन कारकों पर विचार किया जाएगा उनमें से एक बीमा मध्यवर्ती के रजिस्टरों में विद्यमान 'बिक्री केंद्र विक्रेता' का आचरण होगा।

18. 31 अगस्त 2016 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः

क) पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 2,536

ख) उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने परीक्षा दी -- 1,639

ग) उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की 838

घ) प्रायोजक एजेंसियाँ -- i) बीमाकर्ता -- 8 ii) बीमा दलाल -- 25; कॉरपोरेट एजेंट -- 4

ङ) प्रायोजक एजेंसियों के 'बिक्री केंद्र विक्रेताओं' (पीओएस) की संख्या -
i)बीमाकर्ता -- 115 ii) बीमा दलाल -- 670; कॉरपोरेट एजेंट -- 53

च) 16 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के 192 उत्पाद अनुमोदित किये गये।

छ) अनुमोदित उत्पादों की सूची में मवेशी/ पशुधन बीमा, कृषि पंपसेट बीमा, अग्नि (फायर) और संबद्ध जोखिमपूर्ण निवास, फ़सल बीमा और सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाओं जैसे नये उत्पाद सम्मिलित किये गये।

II.3 बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान

II.3.1 भारतीय बीमा क्षेत्र ने बीमा शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए माँग में वृद्धि देखी है। इस स्थिति के होते हुए प्राधिकरण बीमा शिक्षण से संबद्ध सभी व्यावसायिक संस्थानों तथा भारत में और विदेशों में बीमा शिक्षण से संबंधित अन्य प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों और संगठनों के साथ संपर्क में रहता है।

II.3.2 प्राधिकरण ने वर्ष 2002 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से बीमा और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए एक व्यावसायिक संस्थान अर्थात् बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम) की स्थापना की। प्राधिकरण उक्त संस्थान के प्रयासों में उसे लगातार समर्थन दे रहा है।

II.3.3 भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) वेब संग्राहकों, कॉरपोरेट एजेंटों और बीमा विपणन फर्मों के लिए प्रशिक्षण निकाय और परीक्षा निकाय दोनों है। वह दलालों के लिए प्रशिक्षण निकाय तथा एजेंटों की भर्ती-पूर्व परीक्षाओं के लिए परीक्षा निकाय भी है। इस संस्थान ने सर्वेक्षकों की विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु तैयार कर रहा है तथा सर्वेक्षकों की परीक्षाएँ भी संचालित कर रहा है। इस संस्थान ने सामान्य सेवा केन्द्र दिशानिर्देशों के अधीन ग्राम स्तरीय उद्यमियों के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किया है।

सारणी II.11
2015-16 की अवधि के लिए दायर किये गये मामलों का विवरण

क्रम सं.	दायर किये गये मामलों का ब्योरा	गैर-जीवन	एच आर	स्वास्थ्य	सीएडी	जीवन	दलाल	कुल
1.	सर्वोच्च न्यायालय	1	0	0	0	0	0	1
2.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाएँ	23	6	5	0	2	2	38
3.	प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण	0	0	0	0	0	5	5
4.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट अपीलें, एलपीए	0	0	0	0	0	0	0
5.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर समीक्षा/पुनःस्थापन याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0
6.	उच्च न्यायालयों में दायर अवमानना याचिकाएँ	1	0	0	0	0	0	1
7.	उपभोक्ता मामले (डीसीएफ+एससीडीआरसी)	0	0	0	46	0	0	46
8.	दीवानी व लोक अदालत मामले	0	0	0	20	0	0	20
9.	एमएसीटी मामले	0	0	0	1	0	0	1
10.	जनहित वाद	0	0	0	0	0	0	0
11.	आपराधिक याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**25**	**6**	**5**	**67**	**2**	**7**	**112**

सारणी II.12 2015-16 की अवधि के लिए निपटाये गये/ खारिज किये गये मामलों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	गैर जीवन		एचआर		स्वास्थ्य		सीएडी		जीवन		दलाल		कुल	
		क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1.	सर्वोच्च न्यायालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में निपटाई गई रिट याचिकाएँ	0	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8
3.	प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
4.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में निपटाई गई रिट अपीलें, एलपीए	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में निपटाई गई समीक्षा/पुनःस्थापन याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	उच्च न्यायालयों में निपटाई गई अवमानना याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	उपभोक्ता मामले	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
8.	दीवानी व लोक अदालत मामले	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	एमएसीटी मामले	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	जनहित वाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	आपराधिक याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**7**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**15**

क आईआईडीएआई को निदेशों के साथ* * ख आईआरडीएआई को निदेशों के बिना*

II.3.4 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित एक संस्थान है। सर्वेक्षक का लाइसेंस प्रदान करने के लिए इस संस्थान की सदस्यता अनिवार्य है। यह संस्थान एक स्व-नियंत्रित निकाय के रूप में कार्य करता है।

II.3.5 भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) की परिषद में प्राधिकरण का संविधिक प्रतिनिधित्व है, जो भारत में बीमांककों के व्यवसाय के विनियमन के लिए एक सांविधिक और व्यावसायिक निकाय है। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ बीमांकक के व्यवसाय के सदस्यों द्वारा किये जानेवाले व्यवहार को विनियमित करना भी शामिल है। बीमा शिक्षण से संबंधित एक और उल्लेखनीय समन्वित प्रबंध विद्यालय राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), पुणे है जो संस्थागत और वैयक्तिक आधार पर अनुसंधान और परामर्श संबंधी कार्यकलापों का प्रवर्तन, विकास और पोषण करता है।

II.4 वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय

II.4.1 2015-16 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, सिविल अदालतों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (एमएसीटी), और लोक अदालतों के समक्ष दायर किये गये मामलों के तौर पर वादों एवं निपटाये गये / खारिज किये गये मामलों का भी विवरण सारणी II.11 और II.12 में दिया गया है।

II.5 बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

II.5.1 आईआरडीएआई घरेलू तौर पर विनियामक उपाय प्रारंभ करने और उन्हें कार्यान्वित करने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व को स्वीकार करता है। इस संदर्भ में और अपने विनियामक उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए आईआरडीएआई विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, फोरमों और विदेशी विनियमनकर्ताओं के साथ संबंध बनाया हुआ है। आईआरडीएआई वित्तीय वर्ष 2015-16 में भी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में निरंतर सक्रिय रूप से संलिप्त रहा है और योगदान कर रहा है।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संलिप्तता अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के साथ जारी है, जो बीमा क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत, मानक और अन्य सहायक सामग्री विकसित करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय है। आईएआईएस सदस्यों के लिए अपने अनुभवों की साझेदारी करने तथा बीमा पर्यवेक्षण और बीमा बाजारों को समझने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। आईआरडीएआई के प्रतिनिधियों ने आईएआईएस समिति की विभिन्न बैठकों में भाग लिया है तथा मानक निर्धारण और कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों में योगदान किया है।

आईआरडीएआई वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बेंक (आरबीआई) को वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के बीमा क्षेत्र संबंधी मामलों में चालू कार्य के संबंध में निरंतर विचार और निविष्टियाँ उपलब्ध कराता रहा है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ऐसा अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसे विश्व में वित्तीय क्षेत्र विनियामक सुधारों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने का दायित्व जी20 द्वारा अधिदेशात्मक तौर पर सौंपा गया है।

बीमा क्षेत्र के विनियमनकर्ता के रूप में अपनी अन्य परिवर्ती प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में आईआरडीएआई ने अंतरराष्ट्रीय विषयों/ संधियों और वित्तीय क्षेत्र संबंधी वार्ताओं के संबंध में भारत सरकार को निविष्टियाँ उपलब्ध कराई हैं, विदेशी प्रतिनिधियों की मुलाकातों की मेजबानी और आयोजन किया है।

द्विपाक्षिक वचनबद्धता के तौर पर आईआरडीएआई ने सूचना और बीमा पर्यवेक्षण संबंधी अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से बीमा पर्यवेक्षण के क्षेत्र में पारस्परिक हितों और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीमा प्राधिकरण के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) किया।

बीमा संबंधी पहलुओं पर अन्य देशों को क्षमता निर्माण सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में आईआरडीएआई ने अल्पतम विकसित देशों (एलडीसी) को बीमा के विभिन्न पहलुओं पर उनके ज्ञान को सुधारने और उसका संवर्धन करने के उद्देश्य के साथ बीमा सेवाओं के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। यह प्रस्ताव संपर्क के विवरण के साथ आईआरडीएआई की वेबसाइट में 'अंतरराष्ट्रीय कार्य' खंड के अंतर्गत रखा गया है।

अध्ययन दौरे के भाग के रूप में अफगानिस्तान बीमा कार्मिक संघ (एआईपीए) का एक प्रतिनिधि मंडल फरवरी 2016 में हैदराबाद स्थित आईआरडीएआई के कार्यालय में आया। इस परस्पर सक्रियता के दौरान उक्त प्रतिनिधि मंडल को भारत में विद्यमान विनियामक संरचना और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

आईएआईएस के साथ संबंधः

II.5.2 1994 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) लगभग 140 देशों का निरूपण करनेवाले प्रायः 200 अधिकार-क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षक प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करता है।

आईएआईएस वैश्विक बीमा सिद्धांत, मानक और मार्गदर्शी पत्र जारी करता है, बीमा पर्यवेक्षण से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करता है तथा बीमा पर्यवेक्षकों के लिए बैंठकें और सेमिनार आयोजित करता है। आईएआईएस वित्तीय क्षेत्र के अन्य मानक निर्धारक निकायों एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करता है। यह एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है जहाँ पर्यवेक्षक, उद्योग के प्रतिनिधि और अन्य व्यवसायी बीमा क्षेत्र की गतिविधियों और बीमा विनियमन को प्रभावित करनेवाले विषयों पर विचार-विमर्श करते हैं।

एक कार्यकारी समिति जिसके सदस्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आईएआईएस का नेतृत्व करती है। एशियाई क्षेत्र से उक्त कार्यकारी समिति में 5 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष, आईआरडीएआई एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों में से एक हैं तथा अन्य सदस्य चीन, जापान, कोरिया और सिंगापुर के बीमा विनियमनकर्ता हैं।

आईएआईएस समितियाँ / कार्यदल

II.5.3 आईआरडीएआई की दो प्रमुख समितियों अर्थात वित्तीय स्थिरता एवं तकनीकी और कार्यान्वयन समितियों में सहभागिता है। ये समितियाँ वित्तीय स्थिरता और कार्यान्वयन एवं आईएआईएस पर्यवेक्षी सामग्री आदि के मूल्यांकन के क्षेत्र में मानक निर्धारण कार्यकलापों की निगरानी करती हैं।

आईएआईएस समिति की प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक समिति ने अपने कर्तव्यों के निर्वाह में सहायता के लिए विभिन्न कार्य दलों / कार्य बलों की स्थापना की है। आईआरडीएआई की सहभागिता वित्तीय समावेशन, कॉरपोरेट अभिशासन, बाजार व्यवहार, समष्टि विवेकपूर्ण नीति और निगरानी तथा पूँजी विकास के पहलुओं की जाँच करनेवाले आईएआईएस कार्य दलों में है। आईआरडीएआई ने आईएआईएस के वित्तीय समावेशन कार्य दल में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तथा इंसके एक नामिती ने उक्त कार्य दल की अध्यक्षता की।

आईआरडीएआई आईएआईएस के कार्य में समितियों/ कार्य दल/ कार्य बलों की बैठकों में भाग लेने तथा आईएआईएस के सर्वेक्षणों/ प्रश्नावलियों/ समीक्षाओं के लिए प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के द्वारा योगदान करता है। उक्त विचार-विमर्श और जानकारी का आदान-प्रदान वैश्विक बीमा मानकों के निर्माण और अंगीकरण के रूप में परिवर्तित होते हैं। आईएआईएस की समितियों/ कार्य दलों/ कार्य बलों की बैठकों में सहभागिता ने अत्यंत उपयोगी निविष्टियाँ उपलब्ध कराई हैं तथा वे आईआरडीएआई के अपने घरेलू नियम-निर्माण में बहुत उपयोगी रही हैं।

बीमा विनियमनकर्ताओं का एशियाई फोरम

II.5.4 बीमा विनियमनकर्ताओं का एशियाई फोरम (एएफआईआर) एशिया और ओशनिया क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षकों का एक मंच है जिसकी स्थापना 2005 में क्षेत्रीय बीमा विनियमन सहयोग पर बीजिंग घोषणा के आधार पर की गई थी। उक्त घोषणा की सूची में 16 अधिकार-क्षेत्र हैं जिन्होंने दिनांक 23-05-2005 की बीजिंग घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे और वे हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग, ताईपेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, जोर्डन, कोरिया गणराज्य, मकाऊ, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम (16 में से 15 एशियाई हैं और 1 मध्य पूर्व का है)। एडीबी, ईयू, आईएआईएस, ओईसीडी, विश्व बैंक, मिशन रिस्किस नैचुरेलिस (फ्रांस) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एएफआईआर की बैठकों में प्रस्तुतकर्ता / वक्ता के रूप में भाग लिया।

एएफआईआर की स्थापना बीमा उद्योग और विनियमन से संबंधित विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए की गई है। इसके अंतर्गत बीमा विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण हैं जो एशियाई-ओशनिक क्षेत्र के स्तर पर सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लक्ष्य से एकसाथ आये हैं।

एएफआईआर के सदस्य वार्षिक तौर पर बैठक करते रहे हैं जहाँ प्रत्येक सहभागी अधिकार-क्षेत्र बारी-बारी से मेजबान आयोजक है। सर्वप्रथम एएफआईआर सम्मेलन बीजिंग में 2006 में आयोजित किया गया और उसके उपरांत सिओल (2007), सिंगापुर (2008), चीनी-ताईपेई (2009), जापान (2010), थाईलैंड (2011), मकाऊ (2012), हैदराबाद, भारत (2013), बीजिंग (2014) और कोलंबो (2015) में इसके सम्मेलन आयोजित किये गये। एएफआईआर एशिया में एकमात्र बीमा पर्यवेक्षी नेटवर्क है। उक्त सम्मेलन अधिकार-

क्षेत्रों के लिए सदस्य-देशों में हो रही गतिविधियों से स्वयं परिचित होने तथा परस्पर हित की समस्याओं और विषयों पर विचारों के विनिमय के लिए एक मिलन स्थल उपलब्ध कराता है।

एएफआईआर का 10वाँ सम्मेलन जुलाई 27-28 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया जिसमें एएफआईआर के कार्यों की आगे और पहचान करने और एएफआईआर तंत्र में सुधार लाने के लिए सचिवालय के समर्थन के साथ एक कार्य बल (टास्क फोर्स) बनाने के लिए सहभागी सहमत हुए। नियमित कार्यसूची के अलावा, कोलंबो में एएफआईआर ने एएफआईआर को औपचारिक रूप देने के संबंध में प्रमुख मुद्दों पर, जैसे निधीयन और अभिशासन की संरचना पर विस्तृत रूप से चर्चा की। एएफआईआर की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एएफआईआर ने यह आवश्यक पाया कि संकेन्द्रित क्षेत्रों और आगे बढ़ने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों की पहचान की जाए। तदनुसार, एक कार्य बल (चीन, हांगकांग, भारत, जापान, कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और आईएआईएस सचिवालय) नवंबर 2015 में स्थापित किया गया तथा सदस्य कई चर्चाओं के उपरांत एक समझौते पर पहुँच गये कि एएफआईआर को चार पहलुओं पर फोकस करना होगा जो उन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं अर्थात सूचना का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय सहयोग और अभिशासन (गवर्नेंस) की संरचना।

तदनुसार, उक्त कार्य बल (टास्क फोर्स) ने चर्चा-पत्रों पर महीनों कार्य किया तथा सम्मेलन कॉलों और आमने-सामने की गई बैठकों के माध्यम से वे सर्वसम्मति पर पहुँच गये। ये चार चर्चा-पत्र ताईपेई में एएफआईआर की वार्षिक बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तावित प्रमुख सामग्री हैं।

आईआरडीएआई, भारत ने इन चर्चा-पत्रों की तैयारी के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज के रूप में एक रूपरेखा पत्र अभिकल्पित करने के द्वारा अंशदान किया तथा 'क्षमता निर्माण' पर चर्चा-पत्र का प्रारूप बनाने के द्वारा अपनी सेवा प्रदान की।

आईआरडीएआई, भारत एएफआईआर फोरम में एक सक्रिय सहभागी है तथा एशियाई अधिकार-क्षेत्रों के बीच समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता का समर्थन करता है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बड़े बीमा बाजार का प्रतिनिधित्व करनेवाले विनियमनकर्ता के रूप में यह प्रत्याशित है कि आईआरडीएआई विनियामक इंटरफेस के लिए चिंतन-प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका का निर्वाह करेगा और क्षेत्र के क्षमता-निर्माण में योगदान करेगा।

अन्य वचनबद्धताएँ :

II.5.5 जी20/ वित्तीय स्थिरता बोर्ड : वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वित्तीय प्रणालियों की असुरक्षितताओं का समाधान करने तथा वित्तीय स्थिरता के हित में सुदृढ़ विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है। एफएसबी का एक मुख्य अधिदेश है वित्तीय विनियमन पर जी20 की नीतिगत घोषणाओं को कार्यान्वित करना। एफएसबी में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है।

एफएसबी की बैठकों में चर्चित बीमा संबंधी विषयों पर अपने विचार और अभिमत वित्त मंत्रालय अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध कराने के द्वारा आईआरडीएआई एफएसबी के कार्य में अंशदान करता है। आईआरडीएआई एफएसबी के सर्वेक्षणों / प्रश्नावलियों / समीक्षाओं के लिए प्रतिक्रियाएँ भी देता है।

II.5.6 भारत की एफएसबी समकक्ष समीक्षा एफएसबी समकक्ष समीक्षाएँ एफएसबी के अंदर सहमति-प्राप्त वित्तीय क्षेत्र मानकों और नीतियों के कार्यान्वयन एवं अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में उनकी प्रभावात्मकता पर फोकस करती हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारत 2015 में एक एफएसबी समकक्ष (पियर) समीक्षा के अधीन रहा। एफएसबी ने एक समकक्ष समीक्षा टीम उक्त समकक्ष समीक्षा करने के लिए नियुक्त की। उक्त समकक्ष समीक्षा ने दो विषयों को समाविष्ट किया: (1) समष्टि विवेकपूर्ण नीतिगत ढाँचा और (2) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों का विनियमन और पर्यवेक्षण। वित्त मंत्रालय एवं वित्तीय विनियमनकर्ता (सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए) ने एफएसबी समकक्ष समीक्षा टीम द्वारा परिचालित विभिन्न प्रश्नावलियों के उत्तर दिये। एफएसबी समकक्ष समीक्षा टीम ने भी अपनी समकक्ष समीक्षा कार्य के भाग के रूप में मार्च 07-11, 2016 के दौरान भारत में एक ऑनसाइट दौरा किया। एफएसबी समकक्ष समीक्षा की रिपोर्ट 2016 की दूसरी छमाही में प्रकाशित होनेवाली है।

II.5.7 ओईसीडी आईएनएफईः वित्तीय शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनएफई) वित्तीय साक्षरता के महत्व को पहचानकर ओईसीडी सरकारों द्वारा 2008 में प्रारंभ किया गया। आईआरडीएआई अप्रैल 2012 में ओईसीडी आईएनएफई का सदस्य बना। यह वित्तीय शिक्षा पर विचारों और अनुभवों का विनिमय करने के लिए सरकारों को एक विलक्षण नीतिगत फोरम उपलब्ध कराता है। यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के संबंध में विश्व भर में की गई पहलुओं का साझा करने के लिए सहभागियों को समर्थ बनाता है। प्रभावपूर्ण मूल्यांकन के लिए सिद्धांतों और वैश्विक पद्धतियों का एक्सपोज़र वित्तीय सक्षमता और संवर्धन के लिए नवोन्मेष पद्धतियों के बारे में शिक्षा ग्रहण करने में सहायता करता है।

द्विपक्षीय वचनबद्धता

II.5.8 द्विपक्षीय वचनबद्धता के तौर पर आईआरडीएआई ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीमा प्राधिकरण के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) (दिनांक 11/02/2016) कर लिया। इस एमओयू का उद्देश्य सहयोग के लिए एक ढाँचे के माध्यम से तथा विनियामक और संबंधित पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय के द्वारा परस्पर समझ में वृद्धि करते हुए बीमा पर्यवेक्षण के क्षेत्र में संबंधित प्राधिकरणों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिससे उनकी संबंधित विधियों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रालय संदर्भः विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और वार्ताओं के प्रति अंशदान

II.5.9 2015-16 के दौरान आईआरडीएआई ने बीमा सेक्टर से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के संबंध में भारत सरकार के साथ एक प्रभावी और उपयोगी संयोजन के प्रति योगदान करना जारी रखा।

इस दिशा में आईआरडीएआई विभिन्न द्विपाक्षिक वार्ताओं के लिए बीमा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रश्नों, कार्यसूची मदों और विषयों पर वित्त मंत्रालय को निविष्टियाँ उपलब्ध कराता है। स्विस वाइस प्रेसिडेंट एवं कनाडियन पेन्शन, हैनोवर रे और अन्य के प्रमुखों के साथ बैठकों के लिए भी सरकार को निविष्टियाँ उपलब्ध कराई गईं।

आईआरडीएआई ने दूसरी भारत-कनाडा आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र नीति वार्ता, वित्तीय बाजारों संबंधी भारत-जापान वार्ता, भारत-यूके आर्थिक वार्ता, भारत-अमेरिका विनियामक वार्ता, ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी करार, वित्तीय सेवाओं के संदर्भ में भारत-आस्ट्रेलिया सेवाओं संबंधी वार्ता, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, घरेलू विनियमन में अनुशासन तथा विश्व व्यापार संगठन और अन्य के बीच वित्तीय सेवाओं में भारत के संशोधित प्रस्ताव के लिए भी निविष्टियाँ उपलब्ध कराईं।

अल्पतम विकसित देशों के बीमा क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी सहायताः

II.5.10 अल्पतम विकसित देश (एलडीसी) विश्व समुदाय के निर्धनतम सदस्य हैं। आज की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभिहित 48 एलडीसी हैं जिनमें से 34 अब विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं जबकि अन्य नौ विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने एलडीसी को विशेष अधिमान देने के लिए सहमति दी है जो विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों को प्रदान नहीं किया जा सकता।

विश्व व्यापार संगठन के अधिदेश, विश्व व्यापार संगठन के विधि-कार्यान्वयन संबंधी (मिनिस्टीरियल) सम्मेलनों के निर्णयों और अल्पतम विकसित देशों (एलडीसी) द्वारा किये गये अनुरोधों के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के विकसित देश एवं विकासशील देश सदस्यों से अपेक्षित है कि यदि वे इस प्रकार करने की स्थिति में हों तो स्वैच्छिक रूप से एलडीसी को सेवाओं में व्यापार में अधिमानी व्यवहार प्रदान करने पर विचार करें।

भारत अल्पतम विकसित देशों के पक्ष का प्रबल समर्थक रहा है। भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं में व्यापार में अल्पतम विकसित देशों (एलडीसी) को भारत द्वारा अधिमानी व्यवहार की अधिसूचना के लिए अपना अनुमोदन दिया। अधिमानी व्यवहार के क्षेत्रों में एलडीसी को तकनीकी सहायता देने की व्यवस्था और क्षमता निर्माण शामिल हैं। बीमा क्षेत्र में भारत एलडीसी के कार्मिकों को प्रशिक्षण में प्राथमिकता देने और बीमा परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस दिशा में आईआरडीएआई ने विकासशील / अल्पतम विकसित देशों को बीमा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनके ज्ञान को सुधारने

और उसे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, उनकी आवश्यकता के आधार पर तकनीकी निविष्टियाँ प्रदान करने के रूप में समर्थन देने के लिए पहल की है। यह प्रस्ताव संपर्क के विवरण के साथ आईआरडीएआई की वेबसाइट में 'अंतरराष्ट्रीय कार्य' खंड के अंतर्गत रखा गया है।

II.6 शिकायतें

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीएमएस)

II.6.1 आईआरडीएआई द्वारा प्रारंभ की गई आईजीएमएस बीमा उद्योग की शिकायतों का भंडार (रिपोज़िटरी) है जो न केवल बीमाकर्ताओं के साथ ग्राहकों की शिकायतें उठाने के लिए, बल्कि बीमाकर्ताओ के विरुद्ध पंजीकृत ग्राहक शिकायतों पर विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टें उत्पन्न करने के लिए भी एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है।

प्रशासन और सार्वजनिक शिकायतें विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार

II.6.2 आईआरडीएआई के आईजीएमएस पोर्टल में दर्ज शिकायतों के अलावा, बीमाकर्ताओं के विरुद्ध डीएआरपीजी पोर्टल में दर्ज शिकायतें भी आईआरडीएआई को भेजी जाती हैं। आईआरडीएआई नियमित रूप से जीएआरपीजी के पोर्टल में पहुँचता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि बीमा क्षेत्र से संबंधित शिकायतें डाउनलोड की जाती हैं और बीमाकर्ताओं द्वारा उनकी जाँच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

जीवन बीमाकर्ता

II.6.3 2015-16 के दौरान बीमा कंपनियों ने अपने द्वारा सँभाली कई शिकायतों में से 99.56 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया। निजी जीवन बीमाकर्ताओ ने सूचित की गई शिकायतों के 99.36 प्रतिशत का समाधान किया, जबकि एलआईसी ने 100 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया, जिसके परिणामस्वरूप 31.3.2016 को एलआईसी के पास कोई लंबित शिकायतें नहीं थीं।

जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, शिकायत निवारण दिशानिर्देशों के तौर पर आईजीएमएस के अनुसार वर्गीकरण 2014-15 की तुलना में 2015-16 के दौरान अनुचित व्यवसाय प्रथाओं के अंतर्गत शिकायतों में 3% की सीमांत कमी तथा दावों, अन्य और पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत सूचित शिकायतों में 1% वृद्धि निर्दिष्ट करता है। प्रस्ताव प्रसंस्करण और यूलिप संबंधी शिकायतों के अंतर्गत शिकायतों ने पिछले 2 वर्षों के दौरान कुल शिकायतों में से वही अंश बनाये रखा है।

चार्ट II.4 पिछले 2 वर्षों के दौरान प्राप्त जीवन शिकायतों का वर्गीकरण

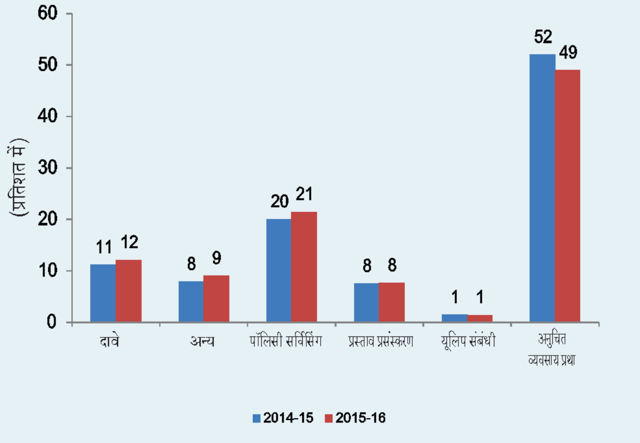

गैर-जीवन बीमाकर्ता

II.6.4 गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने वर्ष 2015-16 के दौरान सँभाली गई शिकायतों के 98.41 प्रतिशत का समाधान किया है। निजी गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने अपने द्वारा सँभाली गई शिकायतों के 98.96 प्रतिशत और सरकारी गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने 97.12 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया है। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कुल 971 शिकायतें समाधान के लिए लंबित थीं, जिनमें से 446 निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से संबंधित थीं और 525 सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की थीं।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान प्रीमियम के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों में 1% कमी और दावों के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों में 1% वृद्धि है। सभी अन्य श्रेणियों के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों ने पिछले वर्ष के अंश को ही बनाये रखा है।

सारणी II.13
2015-16 के दौरान शिकायतों की स्थिति (आईजीएमएस के अनुसार) जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2015 को बकाया	2015-16 के दौरान सूचित की गई शिकायतें	2015-16 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च 2016 को बकाया
एलआईसी	0	64750	64750	0
निजी	6109	139951	145125	935
कुल	**6109**	**204701**	**209875**	**935**

सारणी II.14
2015-16 के दौरान शिकायतों की स्थिति - गैर-जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2015 को बकाया	2015-16 के दौरान सूचित की गई शिकायतें	2015-16 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च 2016 को बकाया
सरकारी	437	17806	17718	525
निजी	1662	41277	42493	446
कुल	**2099**	**59083**	**60211**	**971**

चार्ट II.5 पिछले 2 वर्षों के दौरान पंजीकृत गैर-जीवन शिकायतों का शिकायत प्रकार-वार वर्गीकरण

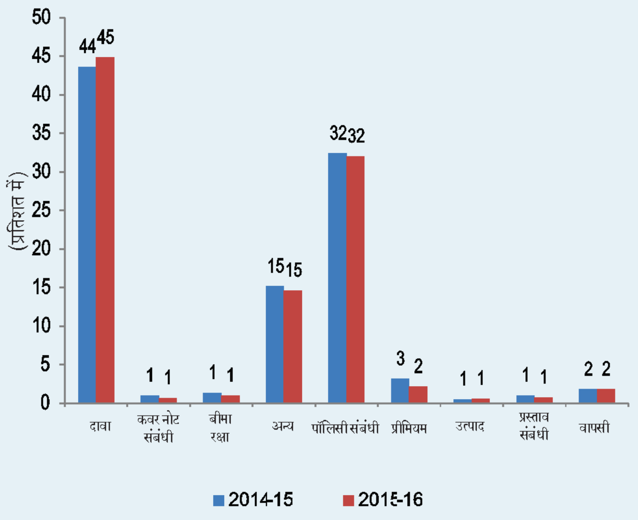

चार्ट II.6 पिछले 3 वर्षों के दौरान पॉलिसी प्रकार-वार गैर-जीवन शिकायतें

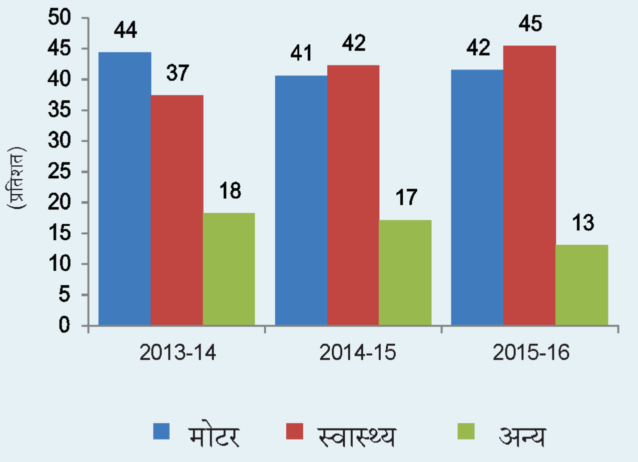

पॉलिसी प्रकार के अंतर्गत शिकायतों का विश्लेषण निर्दिष्ट करता है कि मोटर बीमा के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों की तुलना में पिछले 2 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य बीमा संबंधी शिकायतें अधिक हैं।

शिकायतें 2014-15 की तुलना में 2015-16

II.6.5 जीवन बीमा उद्योग -- सूचित की गई शिकायतों की संख्या में वर्ष 2015-16 में लगभग 26.62% की कमी रही है (2014-15 के 278992 की तुलना में 2015-16 में 204701)। 31.3.2016 को लंबित शिकायतों के संबंध में यह पाया गया है कि

सारणी II.15
शिकायतें - 2014-15 की तुलना में 2015-16 - जीवन

क्र. सं.	बीमाकर्ता	2014-15			2015-16					
		वर्ष के दौरान सूचित	वर्ष के दौरान कार्रवाई कृत	वर्ष के अंत में लंबित	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित	दोहरी शिकायतें	सूचित वास्तविक शिकायतें	वर्ष के दौरान कार्रवाई कृत	वर्ष के अंत में लंबित
(i)	सरकारी कुल:	80944	80944	0	0	65512	762	64750	64750	0
(ii)	निजी कुल:	198048	193119	6109	6109	145395	5444	139951	145125	935
	कुल जोड़:	**278992**	**274063**	**6109**	**6109**	**210907**	**6206**	**204701**	**209875**	**935**

सारणी II.16
शिकायतें - 2014-15 की तुलना में 2015-16 - गैर-जीवन

क्र. सं.	बीमाकर्ता	2014-15			2015-16					
		वर्ष के दौरान सूचित	वर्ष के दौरान कार्रवाई कृत	वर्ष के अंत में लंबित	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित	दोहरी शिकायतें	सूचित वास्तविक शिकायतें	वर्ष के दौरान कार्रवाई कृत	वर्ष के अंत में लंबित
(i)	सरकारी कुल:	15860	16105	437	437	17808	2	17806	17718	525
(ii)	निजी कुल:	44828	43318	1662	1662	41802	525	41277	42493	446
	कुल जोड़:	**60688**	**59423**	**2099**	**2099**	**59610**	**527**	**59083**	**60211**	**971**

चार्ट II.7 शिकायतों की गति - उद्योग पिछले दो वर्ष

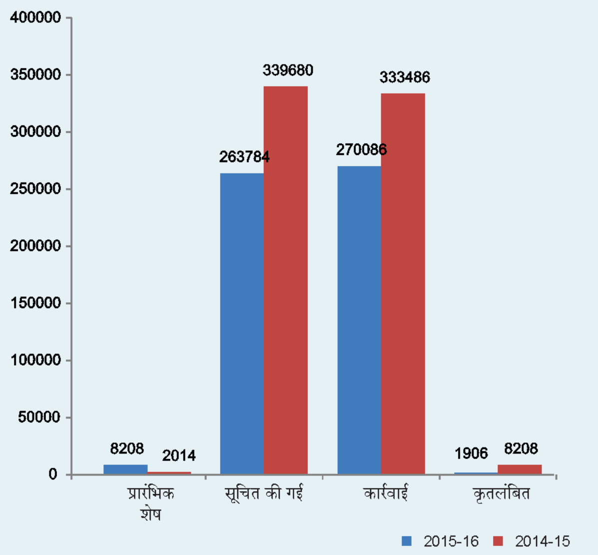

31.3.2015 को लंबित 6109 शिकायतों की तुलना में 935 शिकायतें लंबित थीं।

II.6.6 गैर-जीवन बीमा उद्योग - 2014-15 में सूचित की गई संख्या की तुलना में वर्ष 2015-16 में 1605 शिकायतों की कमी रही है (2014-15 की 60688 की तुलना में 2015-16 में 59083)। लंबित शिकायतों के संबंध में 31.3.2015 को लंबित 2099 की तुलना में 31.3.2016 को लंबित शिकायतों की संख्या 971 रही।

II .6.7 उद्योग -- उद्योग ने वर्ष 2015-16 में 75896 शिकायतों की उल्लेखनीय कमी देखी है। वर्ष 2014-15 की 339680 की तुलना में वर्ष 2015-16 में 263784 शिकायतें सूचित की गईं। प्रतिशत के तौर पर अभिव्यक्त की गई शिकायतों की संख्या में कमी लगभग 22.34% है।

31.3.2016 को लंबित शिकायतों के संबंध में 6 जीवन बीमाकर्ताओं और 6 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने शून्य लंबित दर्शाया है।

वर्ष के दौरान डीएआरपीजी पोर्टल में दर्ज शिकायतों में से 1874 शिकायतें आईआरडीएआई को प्रेषित की गई हैं। वर्ष के दौरान कुल 1698 शिकायतें निपचाई गई हैं। 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार 237 शिकायतें लंबित थीं।

सारणी II.17
शिकायतें 2014-15 की तुलना में 2015-16 उद्योग (जीवन + गैर-जीवन)

बीमाकर्ता	2014-15			2015-16					
	वर्ष के दौरान सूचित	वर्ष के दौरान कार्रवाई कृत	वर्ष के अंत में लंबित	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित	दोहरी शिकायतें	सूचित वास्तविक शिकायतें	वर्ष के दौरान कार्रवाई कृत	वर्ष के अंत में लंबित
(जीवन + गैर-जीवन)	339680	333486	8208	8208	270517	6733	263784	270086	1906

सारणी II.18
बीमाकर्ता जिन्होंने 31.3.2016 को लंबित शिकायतों की संख्या शून्य दर्ज की है

क्रम सं.	बीमाकर्ता का प्रकार	बीमाकर्ता का नाम	निम्न तारीख को लंबित	
			31.3.2016	31.3.2015
1	जीवन बीमाकर्ता	एलआईसी	0	0
2		अवीवा लाइफ	0	0
3		भारती अक्सा लाइफ	0	351
4		आईडीबीआई फेडरल लाइफ	0	0
5		मैक्स लाइफ	0	4
6		टाटा एआईए लाइफ	0	113
7	गैर-जीवन बीमाकर्ता	एल एण्ड टी जनरल	0	5
8		मैगमा एचडीआई जनरल	0	9
9		मैक्स बूपा हेल्थ	0	0
10		रहेजा जनरल	0	0
11		श्रीराम जनरल	0	0
12		यूनिर्सल सोम्पो	0	0

सारणी II.19
डीएआरपीजी पोर्टल में दर्ज की गई और आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतों की प्राप्ति और निपटान (1.4.2015 से 31.3.2016 तक की अवधि के दौरान)

शिकायत का स्रोत	आगे लाया गया शेष	उक्त अवधि के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्तियाँ	उक्त अवधि के दौरान निपटाये गये मामले	31/03/2016 को अंतिम शेष
डीएआरपीजी	15	213	228	202	26
डीपीजी	5	98	103	100	3
स्थानीय/इंटरनेट	35	618	653	597	56
पेंशन	1	3	4	3	1
पीएमओ	0	934	934	785	149
राष्ट्रपति सचिवालय	5	8	13	11	2
कुल	**61**	**1874**	**1935**	**1698**	**237**

सारणी II.20
आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतें - 31.3.2016 को लंबित

संस्था का नाम	01/04/2015 को आगे लाई गई	प्राप्त शिकायत	निपटाई गइ शिकायत	31/03/2016 को लंबित	0 से 15 दिन तक लंबित	16 से 30 दिन तक लंबित	31 से 60 दिन तक लंबित	60 दिन से अधिक लंबित
आईआर डीएआई	61	1874	1698	237	133	54	50	0

31.3.2016 की स्थिति के अनुसार लंबित 237 शिकायतों में से किसी भी शिकायत का समाधान निर्धारित टीएटी से अधिक लंबित नहीं था।

II.7 बीमा संघ और बीमा परिषदें

जीवन बीमा परिषद

II.7.1 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 23 मार्च 2015 को अधिसूचित की गई। जीवन बीमा परिषद एक सांविधिक निकाय है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64सी के अधीन स्थापित की गई थी। संशोधन के अनुसार कार्यकारिणी समिति कार्य के संचालन के लिए उप-नियम बना सकती है। उक्त कार्यकारिणी समिति में चार चुने गये सदस्य होंगे, एक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा जो बीमा व्यवसाय से संबंधित नहीं होगा, तीन व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा नामित होंगे जो बीमा एजेंटों, मध्यवर्तियों और पॉलिसीधारकों का प्रतिनिधित्व करेंगे, स्वयं-सहायता समूहों और बीमा सहकारी समितियों में प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि होगा। जीवन परिषद ने तदनुसार सदस्य कंपनियों के सीईओ और अन्य प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ सिलसिलेवार बैठकों का आयोजन करने के बाद उप-नियम बनाये तथा एक निर्बाध और पारदर्शी तरीके से चुनाव भी आयोजित किये।

जीवन बीमा परिषद की ईसी के सदस्य निम्नानुसार हैं

1. श्री एस. के. राय, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम (ईसी का अध्यक्ष)
2. श्री अनूप राऊ, सीईओ, रिलायंस निप्पोन लाइफ
3. श्री तरुण चुघ, सीईओ, पीएनबी मेट लाइफ
4. श्री संदीप घोष, सीईओ, भारती-अक्सा लाइफ
5. प्रो. अनूप कुमार सिन्हा, श्रेणीः 'प्रसिद्ध व्यक्ति जो बीमा व्यवसाय से संबद्ध नहीं है'
6. श्री भरत पारेख, श्रेणीः 'वैयक्तिक एजेंट'
7. श्री विनीत अरोड़ा, श्रेणीः 'मध्यवर्ती'
8. श्री एम. पी. नागेन्द्र मूर्ति, श्रेणीः 'पॉलिसीधारक'
9. डॉ. एल. एच. मंजुनाथ, श्रेणीः स्वयं सहायता समूह।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जीवन परिषद ने 2 ईसी बैठकों और 1 आम सभा का आयोजन किया।

II.7.2 2015-16 में परिषद द्वारा किये गये कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण

- त्रिपुरा राज्य में बीमा जागरूकता अभियान की समीक्षा बैठक

  आईआरडीएआई ने जीवन और साधारण बीमा कंपनियों की एक समीक्षा बैठक 30 सितंबर 2015 को मुंबई में आयोजित की, जिन्होंने त्रिपुरा राज्य में बीमा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सहमति दी थी। बीमा कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 की पहली छमाही में उनके द्वारा किये गये कार्यकलापों का एक प्रस्तुतीकरण किया तथा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 की अगली छमाही में उनके द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की।

- सुमीत बोस समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सीईओ की बैठक-- जीवन परिषद ने 01 अक्तूबर 2015 को मुंबई में सुमीत बोस समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सदस्य कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) की एक बैठक आयोजित की। जीवन परिषद ने समय बढ़ाने की अपेक्षा करने के बाद उक्त समिति की रिपोर्ट पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया प्रेषित की।

- बजट-पूर्व बैठक केन्द्र बजट 2016-17 -- जीवन परिषद ने वित्त मंत्रालय से दिनांक 8 अक्तूबर 2015 प्राप्त किया जिसमें परिषद से अनुरोध किया गया कि वह केन्द्र बजट 2016-17 के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में प्रस्ताव भेजे। तदनुसार जीवन परिषद ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में सदस्य कंपनियों के विचार माँगे और अंतिम अभ्यावेदन वित्त मंत्रालय को 20 अक्तूबर 2015 को प्रेषित किया। जीवन परिषद को नई दिल्ली में 11 दिसंबर 2015 को एक बजट-पूर्व प्रस्तुतीकरण करने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया। इस अवसर पर सचिव, जीवन परिषद के साथ चयनित सदस्य कंपनियों के कर-प्रमुख उपस्थित थे।

- वित्त अधिनियम 2014 की धारा 194डीए पर अभ्यावेदन

  इस संबंध में जीवन बीमा परिषद ने पीडब्ल्यूसी की सेवाएँ प्राप्त कीं और वित्त मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया और उसके आधार पर उसके संबंध में स्पष्टीकरण माँगने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ अनुवर्तन जारी रखा।

- धोखाधड़ी निगरानी ढाँचा परिषद की आम सभा की प्रतिसूचना (फीडबैक) और मार्गदर्शन के आधार पर जीवन बीमा परिषद ने 21 अगस्त 2015 को जीवन बीमा के लिए धोखाधड़ी रिपोज़िटरी के संबंध में पहली बैठक आयोजित की। कोर समिति से प्राप्त निविष्टियों के आधार पर 3 विक्रेताओं को प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया गया तथा उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा मेसर्स एक्सपेरियन को चयनित सूची में रखा गया। 6 नवंबर 2015 को परिषद ने मानक करार का प्रारूप बनाने और एक्सपेरियन के साथ उद्योग द्वारा साझा किये जानेवाले एकसमान डेटा मानक बनाने के लिए उद्योग के प्रतिनिधियों और मेसर्स एक्सपेरियन के साथ एक और बैठक आयोजित की।

- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) यह योजना भारत सरकार द्वारा मई 2015 में प्रारंभ की गई। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सभी मृत्यु.दावों की एक दावा रजिस्ट्री विकसित करने और उसका रखरखाव करने का कार्य एक अधिदेश के साथ डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा परिषद को सौंपा गया। जीवन बीमा परिषद ने 5 जून 2015 को प्रारंभिक चर्चा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आमंत्रित किया तथा इसके उपरांत 10 जून 2015 को सभी पंजीकृत सीआईसी की क्षमताएँ जानने के लिए उनके साथ एक और बैठक आयोजित की। विक्रेता के रूप में सिबिल को चयनित सूची में रखा गया तथा परिषद की ओर से मृत्यु दावा रजिस्ट्री विकसित करने और उसका रखरखाव करने का कार्य उन्हें सौंपा गया। उक्त रजिस्ट्री प्रचलित है तथा इस योजना के अंतर्गत दावों के दुहराव से बचने (डी-डूप्लिकेशन) के लिए बीमा कंपनियाँ इस सुविधा का उपयोग कर रही हैं। सचिव, जीवन परिषद ने पीएमजेजेबीवाई योजना के संबंध में स्टांप ड्यूटी से छूट के लिए चयनित सदस्य कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन से भेंट की।

- त्रिपुरा के संबंध में बीमा जागरूकता -- बीमाकर्ता प्रत्येक महीने की 5वीं तारीख से पहले मासिक गतिविधियों की रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत करते हैं जिसमें त्रिपुरा अंगीकरण कार्यकलाप एवं बीमा जागरूकता नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में की गई समग्र पहलें शामिल हैं। बीमाकर्ता एनसीएईआर सर्वेक्षण फार्मेट का प्रयोग करते हुए विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए नमूना सर्वेक्षण संचालित करते हैं। परिषद बीमाकर्ताओं के साथ समन्वय करती है तथा मासिक गतिविधियों की रिपोर्टें अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करती है।

- सीएससी अपडेट मेसर्स सीएससी ई-गवर्नैंस सर्विसेज़ प्रा. लि., एक विशेष प्रयोजन माध्यम (सीएससी-एसपीवी) को सीएससी-नेटवर्क के माध्यम से बीमा सेवाओं के वितरण में समर्थ बनाने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। जीवन बीमा परिषद भुगतान की एनईएफटी विधि के माध्यम से सीएससी ई-गवर्नैंस सर्विसेज़ इंडिया लि. को प्रति लाइसेंसप्राप्त आरएपी (ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति) ₹5,000 की दर से 'ऑन बोर्डिंग मूल (कॉर्पस) निधि' की अभिरक्षक है। सीएससी-एसपीवी सक्रियकृत केन्द्रों का विवरण कॉर्पस निधि से आहरित राशि के साथ तदनुसार जीवन बीमा परिषद की वेबसाइट पर जीवन बीमा परिषद को सीएससी-एसपीवी द्वारा उपलब्ध कराई गई सक्रियकृत ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति (आरएपी) की सूची के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा परिषद को सीएससी-एसपीवी द्वारा उपलब्ध कराई गई सक्रियकृत ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति (आरएपी) की संख्या 3373 है।

- क्विज प्रतियोगिता आईआरडीएआई ने 19 अप्रैल 2016 को 'बीमा जागरूकता दिवस' मनाने के उपलक्ष्य में बीमा कंपनियों के लिए पैन इंडिया इंश्योरेंस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस संबंध में जीवन बीमा परिषद ने क्विज प्रतियोगिता से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

- प्रबंधन के व्यय पर आईआरडीएआई विनियमों के प्रारूप संबंधी बैठक जीवन परिषद ने चयनित सीईओ, सीएफओ और नियुक्त बीमांकको के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर प्रबंधन के व्यय (ईओएम) संबंधी आईआरडीएआई के विनियमों के प्रारूप

के संबंध में चर्चा करने के लिए 25 जनवरी 2016 को अध्यक्ष, आईआरडीएआई से भेंट की। सदस्यों ने उक्त ईओएम विनियमों के प्रारूप और उद्योग पर उसके प्रभाव के संबंध में आईआरडीएआई के विचारार्थ एक लंबी चर्चा की।

- एजेंसी कमीशन पर आईआरडीएआई विनियमों के प्रारूप पर बैठक जीवन परिषद ने कमीशन संबंधी आईआरडीएआई विनियमों के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 20 फरवरी 2016 को मुंबई में सदस्य कंपनियों के सीईओ की एक बैठक आयोजित की। सदस्यों ने विस्तृत रूप से चर्चा की और यह सहमति हुई कि परिषद इस पर विचार-विमर्श करने के लिए अध्यक्ष आईआरडीएआई से मिलने के लिए चयनित कंपनियों का एक प्रतिनिधि मंडल ले जाएगी। तदनुसार परिषद सदस्य कंपनियों के चयनित सीईओ का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष, आईआरडीएआई से मिलने 22 फरवरी 2016 को हैदराबाद ले गई। प्रतिनिधि मंडल ने उक्त विनियमों के प्रारूप के संबंध में चिंताएँ सामने रखीं तथा आईआरडीएआई ने प्रतिनिधियों द्वारा बताये गये अभिमतों पर विचार करने के लिए सहमति जताई।

- इंड-एएस पर जीवन परिषद और साधारण परिषद की संयुक्त बैठक जीवन परिषद ने साधारण बीमा परिषद के साथ इंड-एएस के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा पर चर्चा करने और इसके लिए उद्योग की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए सभी सदस्य कंपनियों के सीएफओ और सीआईओ की एक संयुक्त बैठक 17 मार्च 2016 को मुंबई में आयोजित की। श्री वी. आर. अय्यर, सदस्य (एफ एण्ड आई), आईआरडीएआई ने बैठक की अध्यक्षता की। आईआरडीएआई के वरिष्ठ अधिकारियों और इंड-एएस के कार्य दल के साथ संबद्ध परामर्शदाताओं ने भी इस बैठक में भाग लिया।

- माल और सेवा कर (जीएसटी) जीवन परिषद ने वित्त मंत्रालय के पास जीएसटी के संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। परिषद ने जीएसटी प्ररिनिधि मंडल द्वारा चर्चा के लिए अध्यक्ष सीबीईसी, जीएसटी आयुक्त (दिल्ली) के साथ बैठकें कीं।

- आईआईबी करार सदस्य कंपनियों ने 31 जुलाई 2015 को मुंबई में आईआईबी, आईएआई और जीवन परिषद के बीच एमएमआईसी के लिए व्यावसायिक सहयोग करार के संबंध में विचार-विमर्श किया। बैठक के आधार के तौर पर यह निर्णय किया गया कि आईआईबी की एक बैठक जीवन कंपनियों के नियुक्त बीमांककों के साथ आयोजित की जाए। तदनुसार आईआईबी की एक बैठक नियुक्त बीमांककों के साथ 14 अगस्त 2015 को हैदराबाद में आयोजित की गई। आईआईबी, आईएआई और जीवन परिषद के बीच एमएमआईसी के लिए व्यावसायिक सहयोग करार पर 11 सितंबर 2015 को हस्ताक्षर किये गये। करार के अनुसार आईआईबी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट अनुमानों के आधार पर वापस न करने योग्य अनुदान के रूप में अध्ययन संचालित करने के लिए आईआईबी के कार्यकलापों के लिए परिषद वित्त और निधि प्रदान करेगी जिसका समायोजन वार्षिक तौर पर आईआईबी द्वारा प्रस्तुत लेखा-परीक्षित लेखों के आधार पर किया जायेगा।

- परिषद की वेबसाइट लगातार सांख्यिकीय डेटा, नवीनतम बीमा समाचार और अन्य सूचना उपलब्ध करा रही है। इसके अभिकल्प का ग्रेड बढ़ाने तथा आईआरडीए और अन्य जीवन बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों के साथ इसकी अंतर-संबद्धता के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर विभिन्न भूभागों से हिटों की संख्या उल्लेखनीय रूप में बढ़ गई। परिषद ने इस वित्तीय वर्ष 2015-16 से अपनी वेबसाइट में निम्नलिखित डेटा प्रदर्शित करना प्रारंभ किया

  - जीवन कंपनियों के उत्पादों की संख्या संबंधी डेटा
  - जीवन कंपनियों के वैयक्तिक एजेंटों संबंधी डेटा
  - जीवन कंपनियों के नये व्यवसाय का डेटा

  जीवन परिषद की वेबसाइट सभी जीवन बीमाकर्ताओं के यूनिट सहबद्ध उत्पादों के दैनिक एनएवी को भी प्रदर्शित करती है।

- **जीवन परिषद ने आईआरडीएआई और भारत सरकार को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये तथा कुछ प्रमुख अभ्यावेदन निम्नानुसार हैं :**

- सूक्ष्म बीमा संबंधी विषयों पर अभ्यावेदन।
- यूलिप के अंतर्गत समापन मानदंडों के लिए समान अवसर क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए अपील
- जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में सीईएनवीएटी नियम, 2004 के नियम 6(1) के स्पष्टीकरण 3 और 4 की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण
- एफएटीसीए अभ्यावेदन
- पदनामित शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ)
- पॉलिसीधारकों से संबंधित अदावी राशियों के संबंध में कार्रवाई
- आय की गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस)
- नवीकरण शुल्क पर सेवा कर की वसूली
- सभी स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं के बीच समान अवसर क्षेत्र के लिए दिशानिर्देशों के सामान्य सेट के लिए विनती
- बैंक (कॉरपोरेट एजेंट) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए अधिदेशात्मक प्रशिक्षण से छूट देने के लिए विनती
- प्रचलन में विद्यमान निराधार (ऑर्फ़न) पॉलिसियों की सर्विसिंग
- बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के संबंध में पूर्वव्यापी संशोधन

- सचिव, जीवन परिषद ने सेवा कर, मुंबई क्षेत्र की क्षेत्रीय सलाहकार समिति (आरएसी) की बैठक में एक सदस्य के रूप में फरवरी 2016 में भाग लिया तथा जीवन बीमा क्षेत्र से संबंधित विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये।
- परिषद सीआईआई, एफआईसीसीआई, एएसएसओसीएचएएम, आईसीएआई, एमएमए, बीआईएस, आदि द्वारा आयोजित बैठकों और सम्मेलनों के साथ सक्रिय रूप से संबद्ध रही
- सचिव, जीवन परिषद ने आईआईआई के शिक्षा बोर्ड के निदेशक और आईआईआई की पाठ्यक्रम समिति के सदस्य के रूप में आईआईआई द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया।
- सचिव, जीवन परिषद भारत सरकार द्वारा गठित बीमा कीमत सूचकांक समिति का सदस्य है।

सचिव, जीवन परिषद ने आईआईबी की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) के सदस्य और आईआईबी की वित्त और एचआर समिति के सदस्य के रूप में आईआईबी द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लिया।

साधारण बीमा परिषद

II.7.3 भारत में साधारण बीमा व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय, पुनर्बीमा और अन्य विशेषीकृत बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता साधारण बीमा परिषद (जीआई काउंसिल) के सदस्य हैं। वर्ष के दौरान वर्तमान साधारण बीमा परिषद को साधारण बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों के स्व-विनियामक प्रतिनिधि निकाय के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसके अतिरिक्त, बीमा विधि संशोधन अधिनियम, 2015 धारा 64 एफ (2) के अनुसार जीआई काउंसिल ने परिषद की कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया है जिसमें साधारण बीमा परिषद के सदस्यों में से 4 (चार) चुने गये प्रतिनिधि होंगे जो परिषद की उप-विधियों में निर्धारित किये जानेवाले तरीके से अपनी वैयक्तिक क्षमता में चुने जाएँगे, एक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा जो बीमा व्यवसाय से संबंधित नहीं होगा और प्राधिकरण द्वारा नामित किया जाएगा तथा चार व्यक्ति जो बीमा एजेंटों, अन्य पक्ष प्रशासकों, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों एवं पॉलिसीधारकों का प्रतिनिधित्व करेंगे और आईआरडीएआई द्वारा नामित किये जाएँगे। बीमा अधिनियम की धारा 64 एल(1) के अनुसार परिषद के पास निम्नलिखित सांविधिक कार्य हैं :

i) साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं को आचरण के मानक और सुदृढ़ प्रथाएँ स्थापित करने के विषय में तथा साधारण बीमा पॉलिसियों के धारकों को कुशल सेवा प्रदान करने के विषय में सहायता और परामर्श प्रदान करना;

ii) कमीशन और अन्य व्ययों के विषय में भारत में व्यवसाय करनेवाले ऐसे बीमाकर्ताओं के व्ययों को नियंत्रित करने के विषय में प्राधिकरण को परामर्श देना;

iii) साधारण बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों के विपरीत तरीके से कार्य करनेवाले किसी ऐसे बीमाकर्ता के मामले में प्राधिकरण की जानकारी में लाना;

iv) प्राधिकरण के अनुमोदन से खंड (i) से (ii) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए प्रासंगिक अथवा अनुषंगी विधि से कार्य करना, जैसा कि भारत के राजपत्र में में परिषद द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

II.7.4 परिषद की वर्तमान सदस्य-संख्या 30 है, अर्थात 4 सरकारी क्षेत्र कै बीमाकर्ता, 18 निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता, 5 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, दो विशेषीकृत बीमाकर्ता (एआईसी और ईसीजीसी) तथा भारतीय राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, जीआईसी आरई। वर्ष के दौरान परिषद ने सदस्य कंपनियों के विभिन्न जोखिम-अंकन विभागों के प्रमुखों, सीएफओ, और अन्य वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के लिए अपने विचारों, अनुभवों का विनिमय करने और विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग को प्रभावित करनेवाले सामान्य सरोकारों के बारे में चर्चा करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया। इन फोरमों ने प्रतियोगी कंपनियों में उनके प्रतिस्थानियों के बीच मैत्री और सौहार्द का भी निर्माण किया। इन फोरमों की गतिविधियाँ मुख्य व्यापार कार्यकलापों में सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों के अंगीकरण में वृद्धि करने, ग्राहक सेवा मानकों को बढ़ाने, बाजार अनुशासन तथा एक स्वस्थ तरीके से गैर-जीवन बीमा बाजार के विकास को बनाये रखने के लिए उद्योग के लिए मूलभूत आधार हैं। कुल मिलाकर परिषद के तत्वावधान में 15 औपचारिक बैठकें आयोजित की गईं जिनमें ईटीएएसएस, स्वास्थ्य, मोटर, संपत्ति, कराधान और अनुपालन के विषय समाविष्ट किये गये। रिपोर्ट में एक अन्य उल्लेखनीय महत्वपूर्ण गतिविधि परस्पर सक्रिय (इंटर ऐक्टिव) सत्र है जिसमें महा सचिव ने भोपाल में स्थित नेशनल जुडिशियल अकादमी में एमएसीटी दावों संबंधी कार्य करनेवाले 23/24 राज्यों के माननीय न्यायाधीशों के साथ भाग लिया। इस अवसर का उपयोग मोटर टीपी दावों के संबंध में उद्योग की स्थिति को रेखांकित करने के लिए किया गया जिसमें मोटर दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों के प्रति बीमा उद्योग का वित्तीय योगदान तथा न्यायालयों के अधिनिर्णयों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति कैसे पॉलिसीधारकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बीमाकर्ताओं के संसाधनों पर वित्तीय प्रवाह का कारण बन रही है, सूचित किया गया। सहभागी बीमाकर्ताओं के लिए ऑन आईटी समर्थित सदस्य सेवाएँ (i) अग्नि (फायर) एलओबी के लिए ईटीएएसएस सह-बीमा मॉड्यूल के परिचालन का प्रारंभ, (ii) एसीओआरडी ऑनलाइन संदेश प्रणाली के माध्यम से मासिक आंकड़े, और (iii) पीएमएसबीवाई के अंतर्गत समेकित दावा डेटाबेस उपलब्ध कराना, सफल चालू गतिविधियाँ / परियोजनाएँ हैं।

II.8 बीमा लोकपाल

II.8.1 2015-16 के दौरान सारे भारत में व्याप्त सत्रह लोकपाल केन्द्रों ने कुल 26177 शिकायतें प्राप्त की हैं। जबकि 17257 शिकायतें (66 प्रतिशत) जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित हैं, शेष 8920 शिकायतें (34 प्रतिशत) गैर-जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित हैं। यह मार्च 2015 के अंत में लोकपालों के विभिन्न कार्यालयों के पास लंबित 6782 शिकायतों के अतिरिक्त है।

II.8.2 2015-16 के दौरान लोकपालों ने 30266 शिकायतों का निपटान किया है। इन शिकायतों में से लोकपालों ने 49.56 प्रतिशत शिकायतों को अस्वीकार्य / विचार करने के लिए अयोग्य के रूप में घोषित किया। कुल शिकायतों के 29.31 प्रतिशत के लिए अधिनिर्णय / सिफारिशें जारी की गईं। इसके अलावा, 9.54 प्रतिशत शिकायतें वापस ली गईं/ निपटाई गईं, जबकि लगभग 11.59 प्रतिशत शिकायतें खारिज की गईं। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 2693 शिकायतें लंबित थीं।

सारणी II.21

2015-16 के दौरान बीमा लोकपालों द्वारा शिकायतों का निपटान

बीमाकर्ता	1.4.2015 को बकाया शिकायतें	2015-16 के दौरान प्राप्त	कुल	2015-16 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	निम्नलिखित निपटाई गई शिकायतों की संख्या				शिकायतें 31.3.2016 को बकाया
					(I)	(II)	(III)	(IV)	
जीवन	4397	17257	21654	19645	5431 27.65	1956 9.96	1924 9.79	10334 52.60	2009
गैर-जीवन	2385	8920	11305	10621	3440 32.39	932 8.78	1583 14.90	4666 43.93	684
संयुक्त	**6782**	**26177**	**32959**	**30266**	**8871** **29.31**	**2888** **9.54**	**3507** **11.59**	**15000** **49.56**	**2693**

टिप्पणियाँ :

(I) सिफारिशें / अधिनिर्णय (II) वापस लेना / निपटान (III) खारिज करना (IV) अस्वीकरण / विचार करने योग्य नहीं

भाग III
प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

आईआरडीए अधिनियम, 1999 (आईआरडीए अधिनियम) की धारा 14 बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय का विनियमन करने, संवर्धन करने तथा उनकी सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्य निर्धारित करती है। उपर्युक्त धारा की उप-धारा (2) में प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य निर्धारित किये गये हैं। वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय में प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों का निर्वहण एवं अपने को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2015-16 में संपन्न की गई प्राधिकरण की गतिविधियों को समाविष्ट किया गया है।

III.1 आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन

III.1.1 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 मार्च 2015 को प्राप्त की।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 का संशोधन इस प्रकार परिभाषित करता है 'भारतीय बीमा कंपनी' से अभिप्रेत है कोई भी बीमाकर्ता, जो एक कंपनी होते हुए शेयरों द्वारा सीमित है, तथा (क) जो एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन गठित और पंजीकृत है अथवा बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से एक वर्ष के अंदर ऐसी कंपनी के रूप में परिवर्तित है; (ख) जिसमें संविभाग निवेशकों सहित, विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयरों की कुल धारिताएँ ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के उनचास प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, जो निर्धारित किये जानेवाले तरीके से भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण में है।

स्पष्टीकरण.-- इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' में उनकी अपनी शेयरधारिता अथवा प्रबंध अधिकारों अथवा शेयरधारकों के करारों अथवा मतदान करारों के कारण सहित, अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने अथवा प्रबंध अथवा नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;'

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप, **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016, 22.2.2016 को अधिसूचित किये गये।**

मेसर्स कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाणपत्र नवंबर 2015 में प्रदान किया गया।

मेसर्स एडेवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मेसर्स कोहिनूर रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अब मेसर्स आईटीआई रीइंश्योरेंस लिमिटेड के रूप में नाम परिवर्तित किया गया है) ने पंजीकरण के लिए माँग-पत्र (आर1) प्रस्तुत किया।

III.1.2 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 का संशोधन इस प्रकार परिभाषित करता है 'भारत में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी हुई विदेशी कंपनी'। इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति 'विदेशी कंपनी' से अभिप्रेत होगा भारत के बाहर किसी भी देश की विधि के अधीन स्थापित अथवा निगमित कंपनी अथवा निकाय तथा इसमें लॉयड्स अधिनियम, 1871 (युनाइटेड किंगडम) अथवा उसके किसी भी सदस्य के अधीन स्थापित लॉयड्स शामिल है;'

- बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं और लॉयड्स को भारत में शाखा स्थापित करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा रही है। प्राधिकरण ने इसके संबंध में दो अलग विनयम अधिसूचित किये हैं और वे निम्नानुसार हैं :

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015, 19.10.2015 को।

- आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016, 28.1.2016 को।

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016, 9 मार्च 2016 को।

उपर्युक्त विनियमों की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, नवंबर, 2015 के दौरान भारत में विदेशी पुनर्बीमा शाखा कार्यालय के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं ने आवेदन कियाः

- म्यूनिख रे, जर्मनी
- स्विस रे, स्विट्जरलैंड
- हैनोवर रे, जर्मनी
- स्कोर रे, फ्रांस
- आरजीए रे, कनाडा

मेसर्स जेन रे, जर्मनी ने भी जून, 2016 के दौरान पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र दाखिल किया है।

III.1.3 निर्धारिक प्रक्रिया के अनुसार, विनियमित संस्थाओं का स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण करना निरीक्षण विभाग का दायित्व है। पूरी की गई रिपोर्टें टिप्पणियों/ अनुपालन के लिए निरीक्षित संस्थाओं को भेजी जा रही हैं तथा उसके बाद अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट प्रवर्तन विभाग को प्रेषित की जाती है। निरीक्षण की गई संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं/ अनुपालनों का विश्लेषण किया जाता है तथा प्रवर्तन विभाग द्वारा अंतिम रूप दी गई प्रस्तावित कार्रवाई की प्रक्रिया संबंधित पूर्णकालिक सदस्यों (डब्ल्यूटीएम) को उनकी टिप्पणियों/ निविष्टियों के लिए 10 दिन के समय के अंदर प्रस्तुत की जाती है। डब्ल्यूटीएम से प्राप्त टिप्पणियों का ध्यान रखने के बाद प्रस्तावित कार्रवाई की प्रक्रिया अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार, सभी निरीक्षण रिपोर्टों को कारण निदर्शन सूचना, वैयक्तिक सुनवाई, दंड, चेतावनी, आदि जैसी अंतिम कार्रवाइयों के माध्यम से समाप्त किया जा रहा है। भारत सरकार ने बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश 2014 का प्रवर्तन 26 दिसंबर 2014 को किया है जो बाद में बीमा विधि (संशोधन) विधेयक 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया तथा अंतिम रूप से 22 मार्च 2015 को अधिनियमित किया गया। इसके अनुसार दंड के उपबंधों में संशोधन किया गया तथा दंड लागू करना अधिनियम की कुछ धाराओं के संबंध में न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के द्वारा होगा। न्यायनिर्णयन अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जो कम से कम आईआरडीएआई में संयुक्त निदेशक के स्तर का होगा। दंड के परिमाण के संबंध में निर्णय लेने से पहले ध्यान में रखे जानेवाले कारक अधिनियम में दिये गये हैं। आईअरडीएआई के आदेशों के विरुद्ध सभी अपीलें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के पास स्थित होंगी। लगाये जानेवाले मौद्रिक दंडों का विवरण अनुबंध 10(i) और 10(ii) में दिया गया है।

III.1.4 उपर्युक्तानुसार लगाये जानेवाले मौद्रिक दंड के अलावा, अन्य संस्थाओं के संबंध में पाये गये अननुपालनों पर भी अन्य दंडात्मक कार्रवाइयाँ प्रारंभ की गईं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने उन विनियमित संस्थाओं को भी चेतावनियाँ, विशिष्ट आदेश/ निदेश जारी किये, जो विनियामक शर्तों का पालन न करते हुए पायी गईं।

III.2 पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण।

III.2.1 प्राधिकरण ने विक्रय स्थल, दावे के स्थान, आदि पर बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए विभिन्न कर्तव्य और अकर्तव्य (डूज़ एण्ड डोंट्ज़) की हिदायतें देते हुए विनियम जारी किये हैं। प्राधिकरण ने उक्त विनियमों के अंतर्गत पॉलिसीधारकों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए समय-सीमाएँ भी निर्धारित की हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियम पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए बीमाकर्ताओं को एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने का भी

अधिदेश देते हैं। प्राधिकरण ने अपने उपभोक्ता कार्य विभाग (सीएडी) के माध्यम से जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए एक 'शिकायत निवारण कक्ष' स्थापित किया है। निर्धारित समय के अंदर बीमाकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों का समाधान करवाने के लिए पॉलिसीधारकों की मदद करने में एक सहायक भूमिका अदा करने के अलावा, प्राधिकरण एक निरंतर आधार पर उन अंतर्निहित समस्याओं की जाँच करता है जो शिकायतों के लिए कारण बनती हैं तथा संबद्ध प्रणालीगत समस्याओं को ठीक करने की दिशा में कार्य करता है। प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए दिशानिर्देश भी जारी किये हैं जिनके अनुसार सभी बीमाकर्ताओं को अधिदेश दिया गया है कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण नीति प्रचलित रखें तथा कॉरपोरेट अभिशासन के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में एक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति गठित करें। उक्त दिशानिर्देशों में शिकायत निवारण प्रक्रियाएँ, टर्नअराउंड समय भी निर्धारित हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी निर्धारित हैं जिनमें शिकायत को समाप्त समझा जाता है। पॉलिसीधारकों/ मंत्रालयों/ विनियमनकर्ताओं और अन्य सांविधिक एजेंसियों से प्राप्त शिकायतों/ परिवादों पर कार्रवाई करते समय सख्त अनुपालन करने के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देश समय-समय पर दोहराये गये हैं। बीमा क्षेत्र में विश्वास और भरोसे को बढ़ाने के लिए गंभीरता, तत्परता और समानुभूति के साथ पॉलिसीधारकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में न केवल फ्रंटलाइन स्टाफ को, बल्कि संगठन के सभी स्तरों पर ग्राहक सेवा स्टाफ/ अधिकारियों को भी सुग्राही बनाने के लिए विद्यमान प्रणालियों की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में भी बल दिया गया है।

III.2.2 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 में निहित उपबंधों के परिणामस्वरूप, प्राधिकरण ने उस अधिकतम शुल्क को निर्धारित करते हुए विनियम जारी किये हैं जो निम्नलिखित के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रभारित किया जा सकता है

क) समनुदेशन की सूचना की लिखित प्राप्ति-स्वीकृति प्रदान करना

ख) जीवन बीमा के पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन के निरसन अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई पॉलिसियों के लिए 50/- रुपये और इलेक्ट्रॉनिक से इतर रूप में जारी की गई पॉलिसियों के लिए 100/- रुपये होगा।

III.2.3 प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को सूचित किया है कि वे अपरिहार्य परिस्थितियों के अंतर्गत, पॉलिसी में विनिर्दिष्ट समय के बाद सूचित किये गये अथवा प्रस्तुत किये गये वास्तविक दावों को अस्वीकार न करें। सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब के कारण किसी दावे को अस्वीकार करने का बीमाकर्ता का निर्णय सुदृढ़ तर्क अथवा विधिमान्य कारणों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि सूचना देने के समय का खंड न तो संपूर्ण है और न ही इसे अलग रूप से देखा जा सकता है। इस स्थिति के होते हुए बीमाकर्ता किसी दावे को तब तक अस्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि विलंब के लिए कारणों का विशिष्ट रूप से पता नहीं लगाया जाता, उन्हें अभिलिखित नहीं किया जाता और बीमाकर्ता स्वयं इस बात से संतुष्ट न हों कि उन दावों को अन्य प्रकार से भी अस्वीकृत किया जाता भले ही उन्हें समय पर क्यों न सूचित किया गया हो।

III.2.4 अदावी राशियों से संबंधित कई समस्याओं का समाधान निम्नानुसार परिपत्रों के माध्यम से किया गया हैः

क) अदावी राशियों की परिभाषा दी गई 'अदावी राशि के अंतर्गत मृत्यु दावा, परिपक्वता दावा, उत्तरजीविता लाभ, वापसी के लिए देय प्रीमियम, प्रीमियम के लिए समायोजित नहीं की गई प्रीमियम जमाराशि और क्षतिपूर्ति दावों आदि के रूप में पॉलिसीधारक को देय कोई भी राशि शामिल है जो दावा राशि के निपटान के लिए नियत तारीख से छह महीने से अधिक अदावाकृत रही हो।'

ख) अदावी राशियों का अनुरक्षण मुद्रा बाजार लिखतों और/ या अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमाराशियों में अधिदेशित निवेश के साथ एक एकल वियोजित (सेग्रिगेटेड) निधि के रूप में करने की आवश्यकता है। व्ययों की वसूली के लिए 20 आधार अंकों पर उच्चतम सीमा रखी गई है। अदावी राशियों का प्रकटीकरण वेबसाइट पर करना आवश्यक है और बैंक खाते को सभी नई पॉलिसियों के लिए संबद्ध करना

अधिदेशात्मक कर दिया गया है। पॉलिसीधारकों को सूचना देना अधिदेशात्मक किया गया है तथा समयावधि (एजिंग) की सूचना देने के लिए एक फार्मेट निर्धारित किया गया है। किसी विनियोजन अथवा प्रतिलेखन (राइट बैक) की अनुमति नहीं दी गई है।

ग) अदावी राशियों की गणना शोधक्षमता मार्जिन के लिए नहीं की जाएगी तथा अदावी राशियों और लेखा-टिप्पणियों में प्रकटीकरणों के लिए समयावधि (एजिंग) के संबंध में सूचना-प्रणाली (रिपोर्टिंग) निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर आगे के लिए, अर्जित की गई निवेश आय को अदावी राशि निधि में आबंटित करना अधिदेशात्मक किया गया है। यह भी निर्धारित किया गया कि बीमाकर्ता बीमाकृत व्यक्तियों/पॉलिसीधारकों/ दावेदारों को इस प्रकार जमा की गई निवेश आय के साथ ही, अभिनिर्धारित अदावी राशि का भुगतान करे। न्यायालय सहित किसी सांविधिक निकाय द्वारा दिये गये किसी अधिनिर्णय/ आदेश की स्थिति में यदि ब्याज का कोई घटक सम्मिलित हो, तो उसपर आगे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

III.2.5 सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों अथवा मोटर अन्य पक्ष बीमा के दावेदारों की सहायता करने की दृष्टि से मोटर वाहनों की बीमा स्थिति से संबंधित डेटा तक पहुँच हेतु समर्थ बनाने के लिए प्राधिकरण ने बीमा सूचना ब्यूरो के माध्यम से एक वेब आधारित सुविधा उपलब्ध कराई है। इस सुविधा के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को वाहन, बीमा की स्थिति और पॉलिसी जारी करनेवाले कार्यालय के पते का विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

III.2.6 जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्विसिंग में बीमा एजेंटों के निर्गम द्वारा निर्मित अंतराल को ध्यान में रखते हुए तथा बीमा पॉलिसियों की निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए भी, प्राधिकरण ने यह निर्धारित किया है कि बीमा कंपनियाँ व्यपगत देखभाल-रहित (ऑर्फ़न) जीवन बीमा पॉलिसियों का आबंटन वैयक्तिक बीमा एजेंटों को करें जिनका लाइसेंस प्रचलन में हो। आबंटित एजेंट का विवरण बीमाकर्ता द्वारा संबंधित पॉलिसीधारक को सूचित किया जाएगा।

III.2.7 जबकि स्वास्थ्य बीमा की तेजी से वृद्धि हो रही है, मुख्य पॉलिसी शर्तों के परिवर्ती अर्थनिर्णयों के संबंध में शिकायतें मिल रही हैं। भावी ग्राहक/ पॉलिसीधारक की प्रत्याशा का समाधान करने के लिए प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में सामान्य रूप से प्रयुक्त 46 शब्दों की परिभाषा, 11 गंभीर बीमारियों के नाम और उनके विस्तार एवं क्षतिपूर्ति पॉलिसियों के अंतर्गत अपवर्जन व्ययों की एक सूची का मानकीकरण किया है। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा विनियम, 2013 अधिसूचित किये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य पॉलिसियों के लिए 15 दिन की निःशुल्क अवलोकन (फ्री-लुक) अवधि, दावों पर निर्णय की सूचना देने के लिए अंतिम दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की समय-सीमा, सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी) से संबंधित उपबंध, मानक परिभाषाएँ और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष उपबंध निर्धारित किये गये हैं।

III.2.8 बंद की गई संबद्ध बीमा पॉलिसियों के व्यवहार संबंधी विनियम, 2010 में आशोधन किया गया ताकि अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन-पीरियड) की समाप्ति का विचार किये बिना, बंद करने की तारीख से दो वर्ष के अंदर पॉलिसियों का पुनःप्रवर्तन करने का अधिकार पॉलिसीधारक को दिया जा सके।

III.2.9 जीवन बीमा कंपनियों को निदेश दिया गया कि वे सभी विज्ञापनों में सचेतक संदेश देते हुए फ़र्जी फोन कॉलों और अवास्तविक / कपटपूर्ण प्रस्तावों के बारे में जनसाधारण के बीच जागरूकता का प्रसार करें।

III.2.10 यह देखने के बाद कि आस्थगित वार्षिकी योजनाओं में, निहित तारीख से पहले पॉलिसीधारकों से वार्षिकी विकल्प प्राप्त न होने के कारण निहित तारीख पर वार्षिकी के प्रारंभ में विलंब हो रहा है तथा वार्षिकीग्राहियों को असुविधा/ हानि हो रही है, पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण ने आस्थगित पेंशन/ वार्षिकी योजनाओं के संबंध में जहाँ सभी वार्षिकियाँ 1 अप्रैल 2016 से देय होनेवाली हैं, निम्नानुसार अधिदेश लागू किया है।

- बीमाकर्ता प्रस्ताव के स्तर पर प्रस्तावकर्ता द्वारा विधिवत प्रयुक्त वार्षिकी विकल्प प्राप्त करेगा। प्रस्ताव फार्मों में आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इसे प्रस्ताव/ पॉलिसी अभिलेख में लिया जाएगा।

- सभी आस्थगित वार्षिकी पॉलिसियों में जहाँ जीवन बीमाकर्ता ने प्रस्ताव के स्तर पर प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रयुक्त वार्षिकी विकल्प प्राप्त नहीं किया है, वहाँ वह आगे और समय की हानि के बिना प्राप्त किया जा सकता है और पॉलिसी अभिलेखों में लिया जा सकता है।

- निहित तारीख से कम से कम 6 महीने पहले बीमाकर्ता उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत वार्षिकी राशि और चयनित विकल्प की सूचना देते हुए पॉलिसीधारक को एक सूचना-पत्र भेजेगा। बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को नवीनतम सूचना के आधार पर अपने निर्णय की समीक्षा करने और पूर्व में अपने द्वारा चयनित किये गये विकल्प के बजाय किसी अन्य वार्षिकी विकल्प का चयन करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। उस सूचना-पत्र में बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को एक विशिष्ट तारीख देते हुए स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि संशोधित विकल्प, यदि कोई हो, के लिए अंतिम तारिख निहित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले है।

- यदि निहित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले कोई संशोधित विकल्प प्राप्त नहीं होता है, तो बीमाकर्ता बिन्दु 2 पर बताये गये रूप में प्रस्ताव के स्तर पर प्रयुक्त/ बाद में संगृहीत मूल विकल्प के अनुसार आगे बढ़ सकता है और वार्षिकी भुगतानों के लिए कार्रवाई कर सकता है। यदि पॉलिसीधारक द्वारा किसी संशोधित विकल्प का प्रयोग किया जाता है जो बीमाकर्ता द्वारा निहित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले प्राप्त किया जाता है, तो वार्षिकी भुगतानों के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए तथा संशोधित विकल्प के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

III.2.10 आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवात हुदहुद के कारण जान और माल को हुई हानि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाले बीमा दावों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को सूचित किया है कि वे कार्यविधि को सरल बनाएँ और दावा निपटान में शीघ्रता लाने के लिए कुछ सक्रिय कदम उठाएँ।

III.2.11 प्राधिकरण ने यह अधिदेशित किया कि 'सभी बीमा उत्पाद संभावित पॉलिसीधारक को 4% और 8% के सकल निवेश प्रतिलाभों पर गारंटीकृत और अगारंटीकृत लाभों को समझाते हुए तथा समय-समय पर आईआरडीएआई अथवा जीवन बीमा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यकतानुरूप तैयार किया गया लाभ विवरण उपलब्ध कराएँगे'। यह भी सूचित किया गया कि जब भी यह विवरण विज्ञापनों में दिया जाएगा, तब फॉंट आकार में समान प्रमुखता के साथ, एक ही स्थान पर और एक ही पृष्ठ पर 4% और 8% के निवेश प्रतिलाभों सहित दोनों ही परिदृश्यों के साथ होना चाहिए, ताकि संभावित ग्राहक दोनों परिदृश्यों की तुलना कर सकें; जिससे प्रतिफल के आधार पर संभव लाभ को बेहतर ढंग से समझाया जा सके।

III.2.12 उल्लेखनीय व्यावसायिक वृद्धि के साथ निरंतरता की दरों में सुधार लाने के लिए, प्राधिकरण ने कार्यपद्धति तथा नियुक्त बीमांकक की रिपोर्ट के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित निरंतरता रिपोर्ट जैसी अन्य आवश्यकताओं को अधिदेशात्मक किया। इस अधिदेश का उद्देश्य सभी विनियामक रिपोर्टिंग और आंतरिक मूल्यांकनों में निरंतरता दर की गणना में समरूप और सुव्यवस्थित कार्यपद्धति को प्राप्त करना भी है।

III.3 मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण-संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना

बीमा व्यवसाय में सभी मध्यवर्तियों के लिए लाइसेंसीकरण और आचरण-संहिता को आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमों में बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियम, 2000, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है।

विनियामक पर्यवेक्षण को आगे और मजबूत करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विनियामक ढाँचा निर्धारित किया गया है।

1) बीमाकर्ताओं और रेफ़रल कंपनियों के बीच तालमेल को सरल और कारगर बनाने के लिए आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010। यह रेफ़रल संस्थाओं को देय पारिश्रमिक की उच्चतम सीमाएँ भी निर्धारित करता है तथा वह ढाँचा भी निर्धारित करता है

जिसके अंतर्गत रेफ़रल संस्थाओं और बीमाकर्ताओं को बीमा व्यवसाय संचालित करना चाहिए।

2) अन्य जीवन और / या गैर-जीवन बीमा कंपनियों की सेवाओं का उपयोग अपने उत्पादों के वितरण हेतु करने के लिए कृषि बीमा कंपनी को अनुमति प्रदान करते हुए दिनांक 11.09.2013 का परिपत्र सं. आईआरडीए/ डीआईएसटी/ जीडीएल/ एमआईएससी/ 183/ 09/ 2013 जारी किया।

3) 'बीमा एजेंटों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश, 2015' अधिसूचित करते हुए दिनांक 16.03.2015 का परिपत्र सं. आईआरडीए/ एजीटीएस/ सीआईआर/ जीएलडी/ 046/ 03/ 2015 जारी किया जो 01.04.2015 से प्रवृत्त होगा।

4) दिनांक 22.04.2015 के परिपत्र सं. आईआरडीए/ एजीटीएस/ सीआईआर/ जीएलडी/ 081/ 04/ 2015 के अनुसार दिनांक 01.07.2015 से नई पाठ्यक्रम सामग्री आईसी 32 प्रारंभ की गई है। जो उम्मीदवार आईसी-32 में अर्हता प्राप्त करेंगे, वे स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होंगे। आईसी 33 के लिए नया पाठ्यक्रम भी स्वास्थ्य बीमा संबंधी अध्यायों के साथ 01.07.2015 से प्रारंभ किया गया है।

5) दिनांक 18.11.2015 के परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/ सीएजीटीएस/ जीडीएल/ एलसीई/ 202/ 11/ 2015 के अनुसार आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अनुदेश जारी किये।

6) आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 पर स्पष्टीकरणों के संबंध में दिनांक 10.02.2016 का परिपत्र सं. आईआरडीए/ सीएजीटीएस/ सीआईआर/ एलसीई/ 029/ 02/ 2016 जारी किया।

III.4 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण संहिता विनिर्दिष्ट करना

III.4.1 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और दायित्व आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के अध्याय में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। विनियम 13 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही गई हैं कि:

- यह प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का कर्तव्य होगा कि वह किसी भी आकस्मिकता से उत्पन्न होनेवाली हानियों (चाहे बीमाकृत हों अथवा नहीं) का अन्वेषण, प्रबंध, परिमाण निर्धारण, प्रमाणीकरण और निपटारा करे तथा उसके संबंध में बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति को सूचित करे।

- सभी लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक उपर्युक्त कार्य सक्षमता, वस्तुनिष्ठता और व्यावसायिक सत्यनिष्ठता के साथ करेंगे तथा आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में निर्धारित रूप में आचरण-संहिता का कड़ाई से पालन करेंगे।

III.4.2 इसके अलावा, पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण ने आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हित का संरक्षण) विनियम, 2002 बनाये हैं। उपर्युक्त विनियम के विनियम 9 के अंतर्गत गैर-जीवन पॉलिसी के संबंध में दावों के निपटान पर कार्रवाई करते समय सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों द्वारा आचरण-संहिता का पालन करने पर अतिरिक्त रूप से बल दिया गया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, प्राधिकरण ने सर्वेक्षकों से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र/आदेश जारी किये हैं :

- सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों की नियुक्ति के संबंध में साधारण बीमाकर्ताओं के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को दिनांक 14 जुलाई 2015 का एक परिपत्र सं. आईआरडीए/ एनएल/ सीआईआर/ एमआईएससी/ 129/ 07/ 2015 जारी किया गया और उनको इस विनियामक अपेक्षा का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिए सूचित किया गया कि साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमा की पॉलिसी के अंतर्गत बीस हजार रुपये से अधिक हानि का निर्धारण करने के लिए दावे की सूचना प्राप्त होने से 72 घंटे के अंदर सर्वेक्षक और हानि निर्धारक की नियुक्ति बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता।

- आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 सरकारी राजपत्र में 3 नवंबर 2015 को

अधिसूचित किये गये। ये विनियम बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) विनियम, 2000 का अधिक्रमण करते हैं।

- आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 (सर्वेक्षक विनियम) के विनियम 10 के अनुसार सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों की समिति के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 22 दिसंबर 2015 का एक आदेश सं. आईआरडीए/ एसयूआर/ ओआरडी/ एमआईएससी/ 226/ 12/ 2015। समिति की कार्यावधि समिति का गठन होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। यह समिति अपने कार्यों का निर्वहण सर्वेक्षक विनियम के विनियम 11 में निर्धारित रूप में करेगी।

- लाइसेंस सं. 15006 के अंतर्गत श्री संजीव सोनी, सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक के मामले में दिनांक 12 फरवरी 2016 का आदेश सं. आईआरडीए/ एसयूआर/ ओआरडी/ एमआईएससी/ 028/ 02/ 2016।

- चार आंचलिक रिक्तियों के लिए भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) के आठवें परिषद चुनाव संचालित करने के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में 16 फरवरी 2016 का आदेश सं. आईआरडीए/ एसयूआर/ एमआईएससी/ ओआरडी/ 030/ 02/ 2016।

- श्री मुनीश पाराशर, एसएलए 72810 और मेसर्स पुरी क्रॉफर्ड आईएसएलए प्राइवेट लिमिटेड एसएलए 72398 के मामले में दिनांक 25 फरवरी 2016 का आदेश सं. आईआरडीए/ एसयूआर/ ओआरडी/ एमआईएससी/ 034/ 02/ 2016 ।

III.5 बीमा व्यवसाय के संचालन में कुशलता को बढ़ावा देना

बीमा भंडार (रिपोज़िटरीज़)

III.5.1 बीमा रिपोज़िटरी प्रणाली बीमा पॉलिसियों को अमूर्तीकृत (डीमेटीरियलाइज़) करने के लिए प्राधिकरण की एक पहल है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकरण ने अप्रैल 2011 में बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पॉलिसियों के इलैक्ट्रॉनिक निर्गम के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये। बीमा भंडार (रिपोजिटरी) के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण ने पाँच संस्थाओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये।

III.5.2 प्राधिकरण ने आगे मौजूदा प्रणाली को बढ़ावा देने और बाजार की प्रवृत्ति को समझने के लिए 'बीमा रिपोजिटरी प्रणाली के प्रायोगिक प्रारंभ संबंधी दिशानिर्देश' जारी किये। इस पहल पर प्रतिसूचना (फीडबैक) अत्यंत सकारात्मक रही तथा लगभग 1.8 लाख ईएलए (इलैक्ट्रॉनिक बीमा खाते) खोले गये हैं। इसके अलावा, लगभग 50,000 पॉलिसीधारकों ने अपनी हॉर्ड कॉपी को इलैक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए रुचि दर्शाई।

III.5.3 इसके उपरांत, मई 2015 में प्राधिकरण ने 'बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पॉलिसियों के इलैक्ट्रॉनिक निर्गम संबंधी संशोधित दिशानिर्देश' जारी किये हैं। वर्तमान में कुल 8,07,705 ईएलए खाते हैं तथा कुल 4,11,832 पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में परिवर्तित किया गया है।

अनुमोदित बीमा रिपोजिटरियों की सूची सारणी III.1 में दी गई है।

सारणी III.1
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बीमा भंडार (रिपोजिटरीज़)
(31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	नाम
1	नेशनल बीमा पॉलिसी रिपोजिटरी, एनएसडीएल डेटाबेस प्रबंध लिमिटेड
2	सीडीएसएल बीमा रिपोजिटरी लिमिटेड
3	सीएएमएस रिपोजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड, चेन्नै
4	कार्वी बीमा रिपोजिटरी लिमिटेड, हैदराबाद

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रबंध और निपटान प्रणाली (ईटीएएसएस)

III.5.4 इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रबंध और निपटान प्रणाली (ईटीएएसएस) एक समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) प्रणाली है जो सह-बीमा और पुनर्बीमा लेनदेनों से संबंधित दस्तावेजों और लेखा-विवरणों की साझेदारी को सुसाध्य बनाती है तथा अंतर-संस्था शेषों के सुगमतापूर्वक समाधान में सहायता पहुँचाने के लिए अभिकल्पित

है। ईटीएएसएस स्वचालित वार्ता, लेनदेन स्थापन, जोखिमों का बंधन, प्रलेखीकरण, लेखांकन, शेष राशियों का समाधान और निपटान, संदेश-प्रेषण, जोखिम प्रबंध, आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्यात्मकता उपलब्ध कराती है। ईटीएएसएस प्रणाली सदस्यों की सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करने के साथ ही, पुनर्बीमा और सह-बीमा परिचालनों में संपूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए प्रयास करेगी।

III.5.5 प्राधिकरण ने उक्त ईटीएएसएस प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन करने का दायित्व साधारण बीमा (जीआई) परिषद को सौंपा था। जीआई परिषद ने ईटीएएसएस के विकास, परीक्षण और कार्यान्वयन के दौरान गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को संबद्ध किया। इसके पहले चरण में ईटीएएसएस का अभिकल्पन 'अग्नि' (फायर) सह-बीमा लेनदेनों का समर्थन करने के लिए किया गया तथा इसका प्रारंभ औपचारिक रूप से 27 अप्रैल 2015 को किया गया। प्राधिकरण ने ईटीएएसएस के सुचारु परिचालन को सुसाध्य बनाने तथा उसके निरंतर विकास और संरक्षण के लिए 11 मई 2015 को 'ईटीएएसएस प्रशासन के लिए दिशानिर्देश' जारी किये थे। जीआई परिषद को 'प्रशासक' के रूप में प्राधिकृत किया गया है और उन्हें सह-बीमा की अन्य व्यवस्थाओं और बाद में पुनर्बीमा की आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए ईटीएएसएस प्रणाली का विस्तार करने का दायित्व सौंपा गया है।

III.5.6 जीआई परिषद ने ऑनलाइन निपटानों के साथ ही, व्यवसाय की फायर व्यवस्था (एलओबी) में सह-बीमाओं के साथ व्यवहार करनेवाली ईटीएएसएस के चरण 2 का प्रयोग (लाइव) 01 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया है। ईटीएएसएस चरण 2 फायर एलओबी में सह-बीमाओं के लिए कंपनियों के बीच समाधान और निपटानों के लिए एक साझे का प्लेटफार्म उपलब्ध कराने में सफल रहा है। ईटीएएसएस चरण 2 के एक भाग के रूप में जीआई परिषद ने हार्डवेअर और सुरक्षा की विशेषताओं को अपग्रेड करना भी प्रारंभ किया है जिससे ईटीएएसएस प्लेटफार्म पर लेनदेन करने के लिए डेटा सुरक्षित रखा जा सके और कंपनियों को सुरक्षित पहुँच की पद्धतियाँ उपलब्ध कराई जा सकें। जीआई परिषद ईटीएएसएस चरण 3 की भी योजना बना रही है जिसके 01 जनवरी 2017 तक परिचालित होने की संभावना है जिससे निवल राशियों के निर्बाध अंतरण के लिए व्यवस्था के साथ उक्त प्लेटफार्म के माध्यम से सभी सह-बीमाओं को सँभाला जा सकेगा।

डेटा मानक

III.5.7 बीमा क्षेत्र में बहुविध संस्थाओं की आईटी प्रणालियों के सरल इंटरफेसिंग को सुसाध्य बनाने के लिए प्राधिकरण ने डेटा मानकों के संकलन का कार्य प्रारंभ किया था। डेटा मानक सूचना के आदान-प्रदान के लिए सामान्य परिभाषाएँ उत्पन्न करते हैं। यह संगठन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बहुविध प्रणालियों के सरल इंटरफेसिंग में सहायता करता है।

III.5.8 बीमा रिपोजिटरी प्रणाली का समर्थन करने के लिए मानक विस्तार्य मार्कअप भाषा (एक्सएमएल) योजना (स्कीमा) जिसमें क्षेत्र परिभाषाएँ, क्षेत्र की विशेषताएँ और संदेश की विषय-वस्तु निहित हैं, का पूर्व में जीवन खंड के लिए बहुविध खिलाड़ियों के बीच डेटा के विनिमय के लिए साझा किया गया था। इसी प्रकार, व्यवसाय की 'स्वास्थ्य' और 'मोटर' व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए योजनाओं (स्कीमाओं) को अंतिम रूप दिया गया है। ये योजनाएँ (स्कीमाज़) बीमा रिपोजिटरी प्रणाली में गैर-जीवन बीमा लेनदेनों की 'वैयक्तिक व्यवस्थाओं' का समर्थन करेंगी।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र

III.5.9 भारत सरकार ने देश में वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र से अत्यधिक मूल्य वाली नौकरियों का निर्माण करने के उद्देश्य से तथा वित्ताय वैश्वीकरण के लिए एक मार्ग खोलने के लिए गिफ्ट (जीआईएफटी) सिटी, गुजरात में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की स्थापना की थी। आईएफएससी का एक मुख्य उद्देश्य ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना है जहाँ नीति में नये विचारों के साथ नियंत्रित प्रयोग हो सकें। इस पहल के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने प्राधिकरण के विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन अनुमति दी जा सकनेवाली एक गतिविधि के रूप में पुनर्बीमा व्यवसाय की पहचान की थी। प्राधिकरण ने 6 अप्रैल 2015 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र दिशानिर्देश, 2015 जारी किये थे, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के अंदर

पुनर्बीमा व्यवसाय/ विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय करने के लिए एसईजेड में एक आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ) स्थापित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये गये किसी बीमाकर्ता अथवा किसी विदेशी विनियामक अथवा पर्यवेक्षी प्राधिकारी के पास पंजीकृत किसी बीमाकर्ता को अनुमति प्रदान करते हैं। तथापि, आईआईओ आईआरडीएआई (एसईजेड में बीमा व्यवसाय का विनियमन) नियम, 2015 के समग्र विस्तार के अंदर बीमा और पुनर्बीमा के व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने के लिए निर्धारित शर्तों का अनुसरण करेगा। प्राधिकरण को गिफ्ट सिटी, गुजरात में आईआईओ खोलने के लिए 'दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' से आवेदन प्राप्त हुआ है। आईएफएससी इस प्रकार देश में 'पुनर्बीमा केन्द्र' (हब) के निर्माण के लिए अपेक्षित प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा। जहां विदेशी पुनर्बीमा के साथ साथ घरेलू व्यवसाय भी किये जा सकेंगे।

III.6 बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना

III.6.1 जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद जो बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सांविधिक निकाय हैं, क्रमशः जीवन बीमा कंपनियों और गैर-जीवन बीमा कंपनियों का निरूपण करती हैं। ये परिषदें विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष विचार-विमर्श और प्रतिनिधित्व, बीमा संबंधी जागरूकता की व्याप्ति, वर्तमान / प्रस्तावित विनियामक शर्तों के संबंध में निविष्टियाँ उपलब्ध कराने के द्वारा उद्योग की स्वस्थ संवृद्धि की दिशा में योगदान करती हैं। इन स्व-विनियामक निकायों का विकास उद्योग की संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए उद्योग के लिए शुभ संकेत देता है।

इसी प्रकार की व्यवस्थाओं में प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसीकृत दलालों से यह आवश्यक रूप से अपेक्षित है कि वे भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) के सदस्य हों।

III.6.2 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) एक ऐसा संस्थान है जो प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित है। सर्वेक्षक का लाइसेंस प्रदान करने के लिए उक्त संस्थान की सदस्यता अनिवार्य है। यह संस्थान स्व-विनियामक निकाय के रूप में कार्य करता है।

स्वास्थ्य बीमा फोरम

III.6.3 उक्त स्वास्थ्य बीमा फोरम, प्राधिकरण, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करनेवाले बीमाकर्ताओं, अन्य पक्ष प्रबंधकों, सरकार, अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों और उद्योग निकायों सहित, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ 2 फरवरी 2012 को गठित किया गया। इस फोरम के गठन का मूलभूत उद्देश्य जनसाधारण, जो स्वास्थ्य बीमा सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता हैं, को सेवा के वितरण में सुधार लाने की दृष्टि से स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी हितधारकों के लिए एक साझे का प्लेटफार्म उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य बीमा के संबंध में दोनों उत्पादों और वितरणयोग्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करना है।

III.6.4 वर्ष 2015-2016 के दौरान उक्त फोरम की एक बैठक माह दिसंबर 2015 में हुई। चर्चा के लिए लिये गये विषय थे, गंभीर बीमारियों के नामों में संशोधन, मानक परिभाषाओं में आशोधन, मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों आदि के लिए बीमारक्षा अभिकल्पित करना, बीमा के नेटवर्क में अस्पतालों की रजिस्ट्री (रोहिणी), बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आलोक में आईआरडीएआई द्वारा टीपीए विनियमों की समीक्षा एवं वर्तमान विनियमों में अन्य संशोधन।

फोरम का उद्देश्य उप-समूहों के द्वारा इन क्षेत्रों में आगे और कार्य करना तथा स्वास्थ्य बीमा उद्योग में नये खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थकारी परिवेश का निर्माण करना और इसके द्वारा हमारे देश के सभी लोगों के लिए वहनीय स्वास्थ्य बीमा की उपलब्धता में वृद्धि करना है।

बॉक्स मद 2

बीमा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन का ढाँचा

कंपनी अधिनियम, 1956 को एक बड़ी सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसने कंपनियों के अभिशासन के संबंध में कई शर्तें लागू की थीं। बीमा अधिनियम, 1938 में भी दिसंबर 2014 में उल्लेखनीय रूप में संशोधन किया गया था और इसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा कई नये विनियम जारी किये गये थे। इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक समझा गया कि बीमा विधि के उपबंधों एवं भारत में बीमा कंपनियों के लिए लागू कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं और दिशानिर्देशों के संबंध में समीक्षा की जाए।

प्राधिकरण ने सभी हितधारकों के साथ परस्पर सक्रियता के उपरांत 18 मई 2016 को बीमा कंपनियों के लिए संशोधित कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश जारी किये। संशोधित दिशानिर्देश कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं, बीमा कंपनियों के एमडी/ सीईओ/ डब्ल्यूटीडी और अन्य प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपी) की नियुक्ति एवं सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित शर्तों को सम्मिलित करते हैं। उक्त दिशानिर्देशों द्वारा सभी बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के संबंध में अनुपालन की स्थिति निर्दिष्ट करते हुए वार्षिक आधार पर प्राधिकरण को एक जाँच-सूची प्रस्तुत करें। ये वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर आगे लागू हैं।

बीमा उद्योग के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उक्त दिशानिर्देशों में बोर्ड की समितियों, लेखा-परीक्षकों, स्वतंत्र निदेशकों की योग्यताओं और अनुभव के मानदंडों, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और बाध्यताओं, आदि से संबंधित विशेष उपबंध शामिल किये गये हैं। इन दिशानिर्देशों ने बीमा कंपनियों के लिए निर्धारित शर्तों को कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के साथ घनिष्ठ रूप से पंक्तिबद्ध किया है। प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपी) और निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति और रिपोर्टिंग को कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों में एकीकृत किया गया है। बीमा कंपनियों के लिए बोर्ड द्वारा केएमपी की नियुक्ति के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की उचित प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है तथा ऐसी नियुक्तियों के संबंध में उचित सावधानी के उपयुक्त अभिलेख रखने की आवश्यकता है।

उक्त दिशानिर्देशों में बीमा कंपनियों द्वारा वार्षिक रिपोर्टों में विभिन्न प्रकार के प्रकटीकरण करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये दिशानिर्देश बीमा कंपनियों के अभिशासन मानकों और प्रथाओं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्थाओं के साथ न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट (बेंचमार्क) करने की अपेक्षा करते हैं।

प्राधिकरण ने भी एमडी और सीईओ तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में मार्गदर्शी निर्देश जारी किये हैं। यह मार्गदर्शन मुख्य रूप से नियत और परिवर्ती, दोनों प्रकार के पारिश्रमिक के विभिन्न घटकों तथा इनके भुगतान की विधि से संबंधित है। पारिश्रमिक और क्षतिपूर्ति नीति तथा प्रोत्साहनों का भुगतान एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अधीन होना चाहिए और इसे समूचे संगठन में एकसमान रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

III.7 अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही

III.7.1 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए वर्तमान शुल्क की संरचना अनुबंध 2 में निर्दिष्ट की गई है।

III.8 बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करना:

III.8.1 प्राधिकरण, निरीक्षण विभाग के माध्यम से विनियमित संस्थाओं द्वारा संबंधित अधिनियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों/ परिपत्रों, निदेशों, मानकों, आदि के उपबंधों के अनुपालन के संबंध में उनका स्थान-पर (ऑन-साइट) पर्यवेक्षण करता है।

III.8.2 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 और आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एच) बीमा कंपनियों, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अन्य संगठनों की जाँच सहित, स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण करने के लिए सांविधिक उपबंध निर्धारित करती हैं। पर्यवेक्षी निरीक्षण कम से कम एक दो-मुखी दृष्टिकोण अर्थात परोक्ष (ऑफ़-साइट) जाँच और स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण, को संबद्ध करता है। संबंधित अभिलेखों, लेखा-बहियों और व्यावसायिक कार्यकलापों की जाँच के द्वारा विनियमित संस्थाओं की कार्यपद्धति के

मूल्यांकन के लिए स्थान पर उनके व्यापक और संकेन्द्रित निरीक्षण किये गये। विभिन्न विनियामक उपबंधों और सभी अन्य प्रयोज्य विधियों की विशिष्ट अनुपालन स्थिति, प्रवर्तकों/ निदेशकों की जोखिम-वहन-क्षमता, व्यवसाय की आयोजना, जोखिम प्रबंध तथा कॉरपोरेट अभिशासन ढाँचे और समग्र जोखिम रूपरेखा (प्रोफाइल) का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण संबंधी मानक नियम-पुस्तकें (मैनुअल्स) उपयुक्त रूप से आवश्यकतानुसार तैयार की गईं।

III.8.3 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, निरीक्षण विभाग ने 58 निरीक्षण संचालित किये, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

- **5 जीवन बीमा कंपनियाँ**
- **3 साधारण बीमा कंपनियाँ**
- **2 स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ**
- **11 बीमा दलाल**
- **14 अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)**
- **10 वेब संग्राहक**
- **9 कॉरपोरेट एजेंट, और**
- **4 संकेन्द्रित (फोकस्ड) निरीक्षण।**

संकेन्द्रित निरीक्षणों के क्षेत्रों में, बीमाकर्ताओं की शिकायत निवारण व्यवस्था, मध्यवर्तियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के विशिष्ट वर्ग को भुगतान, और प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई विशिष्ट शिकायतें, शामिल थीं।

III.9 बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों, लाभों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन जो प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा उतनी नियंत्रित और विनियमित नहीं हैं

III.9.1 मोटर अन्य पक्ष बीमा रक्षा को छोड़कर प्रशुल्क व्यवसाय के सभी वर्गों के लिए 1 जनवरी 2007 से गैर-जीवन उद्योग को प्रशुल्क से मुक्त (डीटैरिफिंग) करने के साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले कदम उठाये गये कि उत्पादों के कीमत-निर्धारण में बीमा कंपनियों को स्वतंत्रता हो। मोटर अन्य पक्ष बीमारक्षा के लिए, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित एक सांविधिक बीमा रक्षा है, प्राधिकरण ने दरों और शर्तों का निर्धारण करने के अधिकार अपने पास रख लिये हैं। प्राधिकरण ने दिनांक 15 अप्रैल 2011 के आदेश सं. आईआरडीए/ एनएल/ एनटीएफएन/ एमओटीपी/ 066/ 04/ 2011 के अनुसार अधिसूचित किया कि दरों के संशोधन के बीच लंबे अंतराल पॉलिसीधारकों एवं बीमा कंपनियों पर एक परिहार्य दबाव डालते हैं और इसलिए दरों की समीक्षा और समायोजन प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित फार्मूले के अनुरूप वार्षिक तौर पर किया जाएगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रीमियम दरों में संशोधन को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, औसत दावा राशियों, मोटर टीपी व्यवसाय की सर्विसिंग में अंतर्ग्रस्त बारंबारता और व्ययों के साथ संबद्ध और स्थिर रखा गया है।

(क) प्राधिकरण ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015 2 जून 2015 को अधिसूचित किये।

(ख) प्राधिकरण ने ई-गाड़ियों ए3/ए4, ई-रिक्शाओं सी1(बी) के लिए मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम दरों एवं किराये अथवा पारिश्रमिक सी4 के लिए यात्रियों को ले जानेवाली मोटरीकृत दुपहिया वाहनों के लिए यात्री प्रीमियम के संबंध में एक परिपत्र (संदर्भः आईआरडीए/ एनएल/ सीआईआर/ एमओटीपी/ 196/ 11/ 2015 दिनांक 4 नवंबर 2015) जारी किया।

(ग) प्राधिकरण ने (दिनांक 15 मार्च 2016 के परिपत्र संदर्भः सं. आईआरडीए/ एनएल/ सीआईआर/ एनआईएससी/ 051/ 03/ 2016 के अनुसार) 1 अप्रैल 2016 से वाणिज्यिक वाहन (केवल बीमा संबंधी कार्य) के लिए भारतीय मोटर अन्य पक्ष अस्वीकृत जोखिम समूह को विघटित करने का निर्णय किया।

(घ) प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा रक्षा के लिए प्रीमियम दरों के संबंध में एक आदेश जारी किया (संदर्भः आईआरडीए/ एनएल/ एनएफटीएन/ एमओटीपी/ 060/ 03/ 2015 दिनांक 28.03.2016)।

(ङ) भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो ने दिनांक 2 फरवरी 2016 के संदर्भः आईआईबी/ ओएलबी/ 29/ 2015-16 द्वारा मानक फायर और विशेष जोखिमों (एसएफएसपी नीति) के संबंध में हानि लागतों से संबंधित 'जोखिम के कीमत-निर्धारण' संबंधी दिशानिर्देश जारी किये।

III.10 उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे

III.10.1 बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत भी निर्धारित रूप और तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित मदें प्रस्तुत करने के लिए रखी जाती हैं।

मध्यवर्तियों के मामले में, लेखा-बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव संबंधित विनियमों/ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में और तरीके से किया जाएगा।

जहाँ कहीं भी प्राधिकरण ने वह रूप और तरीका निर्धारित नहीं किया है जिसमें लेखा-बहियों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए, वहाँ कंपनी अधिनियम/ नियम और अन्य प्रयोज्य अधिनियम/ नियम लागू होंगे।

III.11 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमनः

III.11.1 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 द्वारा तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों द्वारा किया जाता है।

III.11.2 निवेश के वैकल्पिक अवसर प्रदान करनाः

2015-16 के दौरान, प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को म्युचुअल फंडों में निवेशों की पद्धति में 'अनुमोदित निवेशों' के भाग के रूप में जीआईएलटी-ईटीएफ में निवेश करने की अनुमति दी। जीआईएलटी-ईटीएफ बाजार में सक्रिय रूप से व्यापारित सरकारी प्रतिभूतियों के समूह में अथवा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध घटक के सूचकांक में निवेश करेंगे। बीमाकर्ता द्वारा न्यूनतम निवेश, निर्माण यूनिट आकार से कम नहीं होगा और वह किसी भी समय निर्माण यूनिट आकार से कम नहीं किया जाएगा तथा निर्माण यूनिट आकार निवेश के समय ₹50 लाख से अधिक नहीं होगा। समग्र व्यय अनुपात योजना की दैनिक निवल आस्तियों के 0.50% से कम होगा।

III.12 शोधक्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमनः

III.12.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार अपेक्षित शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन का अनुरक्षण करे। प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीए द्वारा निर्धारित राशि से अन्यून देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य के आधिक्य का अनुरक्षण करेगा, जो अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन के रूप में जाना जाएगा। आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 में अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति का विस्तार से वर्णन किया गया है।

III.12.2 जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, न्यूनतम अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन पचास करोड़ रुपये (पुनर्बीमाकर्ता के मामले में एक सौ करोड़ रुपये) है तथा इसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से गणना कर प्राप्त किया जाएगा। बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 में शोधक्षमता के नियंत्रण स्तर के रूप में कहलानेवाले शोधक्षमता मार्जिन का स्तर विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर, प्राधिकरण बीमाकर्ता को छह महीने से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर कमी को सुधारने के लिए कार्रवाई की योजना निर्दिष्ट करते हुए एक वित्तीय योजना प्रस्तुत करने के लिए निदेश देगा।

III.12.3 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता के लिए न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा के पचास प्रतिशत का अधिकतम अथवा निम्नानुसार संगणित आरएसएम-1 और आरएसएम-2 का उच्चतर होगाः

- आरएसएम-1 से अभिप्रेत है - निवल प्रीमियमों पर आधारित अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के बीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक ए और निवल प्रीमियमों द्वारा गुणा किये गये सकल प्रीमियमों का उच्चतर है। आरएसएम1 के परिकलन के प्रयोजन के लिए आवर्ती आधार पर पिछले 12 महीनों के प्रीमियम को हिसाब में लिया जाएगा।
- आरएसएम-2 से अभिप्रेत है निवल उपगत दावों पर आधारित अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के तीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक बी और निवल उपगत दावों के द्वारा गुणा किये गये सकल उपगत दावों का उच्चतर है।

बॉक्स मद 3

भारतीय लेखांकन मानकों (इंड - एएस) की अधिसूचना

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 16 फरवरी 2015 को जी.एस.आर. 111 (ई) के जरिये अधिसूचित किये गये। उक्त नियम 1 अप्रैल 2015 से प्रवृत्त हुए तथा ये विनिर्दिष्ट कंपनियों के लिए एक चरणबद्ध तरीके से लागू हैं। तथापि, बीमा कंपनियों, बैंकिंग कंपनियों और गैर-बैंकिंग कंपनियों को इस अपेक्षा से छूट प्राप्त है।

बीमा क्षेत्र में इंड एएस पर प्रेस प्रकाशनी:

दिनांक 18 जनवरी 2016 की प्रेस प्रकाशनी में एमसीए ने बीमा क्षेत्र के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की है। इसकी अपेक्षानुसार बीमाकर्ताओं/ बीमा कंपनियों को 31 मार्च 2018 को और उसके बाद समाप्त अवधियों के लिए तुलनात्मक विवरणों के साथ 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ करते हुए और उससे आगे लेखांकन अवधियों के लिए इंड एएस आधारित वित्तीय विवरण तैयार करने होंगे। बीमाकर्ता इंड एएस को तभी लागू करेंगे यदि वे कुछ विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करेंगे। उसके पहले उन्हें इंड एएस को अपनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, यह विधि की वर्तमान अपेक्षाओं का पालन करने के लिए मूल कंपनी/ निवेशक से अपेक्षित रूप में उसकी मूल कंपनी/ निवेशक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिए इंड एएस अनुपालनकर्ता वित्तीय विवरण उपलब्ध कराने से बीमाकर्ता/ बीमा कंपनी को नहीं रोकता।

इंड एएस के संबंध में आईआरडीएआई की पहलें

प्राधिकरण ने इंड एएस के लिए बीमा उद्योग को तैयार करने तथा जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ उपयुक्त दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं-

1. प्राधिकरण ने दिनांक 17 नवंबर 2015 के आदेश संदर्भ आईआरडीए/एफएण्डए/ ओआरडी/ एसीटीएस/ 201/ 11/ 2015 के अनुसार एक कार्यान्वयन दल का गठन किया है। इस कार्यान्वयन दल में लेखाकार, बीमांकक, उद्योग के विशेषज्ञ और प्राधिकरण के अधिकारी हैं।

उस कार्यान्वयन दल के लिए विचारार्थ विषयों के अंतर्गत यह अधिदेशात्मक किया गया है कि वह इंड एएस को कार्यान्वित करने के निहितार्थों की जाँच करे, कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान करे तथा भारतीय बीमा क्षेत्र में इंड एएस की ओर अभिमुख होने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के निर्माण को सुसाध्य बनाए।

उक्त कार्यान्वयन दल के अंतर्गत विभिन्न उप-समूह बनाये गये जिससे विभिन्न इंड एएस के संबंध मेँ संकेन्द्रित अध्ययन किया जा सके। उप-समूहों की कई बैठकें हैदराबाद और मुंबई में संपन्न हुईं। विभिन्न उप-समूहों की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2. इंड एएस वित्तीय विवरणों का प्रोफार्मा

प्राधिकरण ने दिनांक 1 मार्च 2016 के परिपत्र द्वारा निदेश दिया है कि बीमाकर्ताओं को 31 दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही से और उसके आगे इंड एएस वित्तीय विवरणों का प्रोफार्मा प्रस्तुत करना होगा।

बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे इंड एएस के कार्यान्वयन की दिशा मेँ प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक परिवर्तनों की योजना बनाएँ तथा अपने संबंधित संगठनों के अंदर संचालन समिति स्थापित करें जिसमें कार्यान्वयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए बहु-कार्यात्मक क्षेत्रों से लिये गये सदस्य होंगे। कार्यान्वयन की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। उक्त इंड एएस कार्यान्वयन योजना में जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान (फैक्टर) करने की आवश्यकता है, उनमें शामिल हैं इंड एएस तकनीकी अपेक्षाएँ अर्थात वर्तमान लेखांकन ढाँचे और इंड एएस के बीच अंतरों का नैदानिक विश्लेषण, वित्तीय स्थितियों को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिगत निर्णय, लेखांकन नीतियों का प्रारूपण, प्रकटीकरणों की तैयारी, प्रलेखीकरण, प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी, इंड एएस में परिवर्तन के लिए समय-निर्धारण, तथा वास्तविक परिवर्तन के पहले लेखांकन प्रणालियों और संपूर्ण रिपोर्टिंग प्रक्रिया को प्रायोगिक तौर पर चलाना। बीमाकर्ताओं को

(जारी...)

जारी... बॉक्स मद 3

भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) की अधिसूचना

यह भी सूचित किया गया कि वे प्रणालीगत परिवर्तनों का मूल्यांकन करें; व्यावसायिक प्रभाव का अध्ययन करें और संसाधन संबंधी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करें।

बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे शोधक्षमता विनियमन अपेक्षाओं को हिसाब में लेते हुए पूँजी पर्याप्तता सहित अपनी वित्तीय स्थिति पर इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करें और अपने बोर्डों को तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करें। इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति और इस संबंध में की गई प्रगति का प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर कार्यान्वयन होने तक वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा।

3. प्रशिक्षण और लोकसंपर्क

प्राधिकरण ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ समन्वय करते हुए आईआरडीएआई के अधिकारियों के लिए छह दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्राधिकरण बीमा क्षेत्र में इंड एएस के कार्यान्वयन की सुचारु प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए विभिन्न मंचों पर उद्योग से संपर्क कर रहा है।

उद्योग द्वारा तैयारियाँ

बीमा कंपनियों ने अपने संबंधित संगठनों में अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिए संचालन समितियों / केन्द्रीय (नोडल) अधिकारियों को नियुक्त किया है।

आईएएसबी द्वारा बीमा संविदाओं संबंधी मानक में संशोधन

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (बोर्ड) ने 17 मई 2016 को नये बीमा संविदा मानक को कार्यान्वित करने से पहले नये वित्तीय लिखत मानक आईएफआरएस 9, जो आईएफआरएस 4 को प्रतिस्थापित करेगा, को कार्यान्वित करने से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं का समाधान करने के लिए वर्तमान बीमा संविदा मानक, आईएफआरएस 4 में संशोधन घोषित किये हैं। निर्दिष्ट संशोधन निम्नानुसार हैं :

- नये बीमा संविदा मानक से पहले आईएफआरएस 9 को लागू करते समय वित्तीय आस्तियों के मापन में कुछ परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाली अस्थिरता को लाभ या हानि से हटाने का विकल्प उन कंपनियों को देना जो बीमा संविदाएँ जारी करती हैं; तथा
- 2021 तक आईएफआरएस 9 को लागू करने से एक वैकल्पिक अस्थायी छूट उन कंपनियों को देना जिनके प्रधान कार्यकलाप बीमा से संबंधित हैं।

आईसीएआई के साथ प्राधिकरण ने, प्रस्तावित परिवर्तनों पर उद्योग के विचार जानने के लिए उनसे भेंट की तथा आईसीएआई आईएफआरएस 4 में किये गये इसी प्रकार के संशोधन भारत में समतुल्य मानक अर्थात् इंड एएस 104 में लाने के लिए कार्य कर रहा है।

वर्तमान जीएएपी से इंड एएस में सुचारु रूप से परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए विनियमनकर्ता उद्योग और आईसीएआई के साथ ध्यानपूर्वक कार्य कर रहा है।

III.13 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन

III.13.1 आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 51(3) के अनुसार, किसी बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उसकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाला कोई भी विवाद इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा; तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण उस शिकायत की जाँच कर सकता है एवं यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

III.13.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने न्यायनिर्णयन के लिए इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया है।

III.14 पैरा '6' में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन के लिए योजनाओं के वित्तपोषण हेतु बीमाकर्ता की प्रीमियम आय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना

III.14.1 प्राधिकरण ने पैरा (6) में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन के लिए योजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया है।

बॉक्स मद 4

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105 सी के अधीन
न्यायनिर्णयन की कार्यवाही

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने बीमा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उल्लिखित कुछ अपेक्षाओं का उल्लंघन करने के लिए उल्लंघनों का न्यायनिर्णयन करना और दोषी संस्थाओं पर दंड लागू करना प्रारंभ किया। बीमा अधिनियम की धारा 105सी (1) में उल्लिखित केवल विशिष्ट उल्लंघनों के संबंध में ही दंड लगाने के लिए न्यायनिर्णयन करना होगा।

प्राधिकरण निर्धारित तरीके से जाँच आयोजित करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में संयुक्त निदेशक (अब महा प्रबंधक) से अन्यून हैसियत के किसी अधिकारी अथवा उसके समतुल्य अधिकारी को नियुक्त करेगा। न्यायनिर्णयन अधिकारी (एओ) जाँच रिपोर्ट जारी करने से पहले संबंधित को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर देगा। प्राधिकरण संबंधित की बात सुनने के बाद संबंधित धाराओं में की गई व्यवस्था के अनुसार दंड लगा सकता है।

एओ द्वारा दंड की मात्रा की सिफारिश करते समय और प्राधिकरण द्वारा ऐसा दंड लगाते समय निम्नलिखित कारकों के प्रति उचित ध्यान दिया जाएगा, अर्थात.-

क) चूक के परिणामस्वरूप, जहाँ भी परिमाण निर्धारित किया जा सकता है वहाँ असंगत लाभ अथवा अनुचित लाभ की राशि;
ख) चूक के परिणामस्वरूप पॉलिसीधारकों को हुई हानि की राशि; और
ग) चूक का आवृत्तीय स्वरूप।

अधिनियम की धारा 114(2)(एलए) के अनुसरण में न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जाँच आयोजित करने की विधि केन्द्र सरकार द्वारा 17 फरवरी 2016 को अधिसूचित बीमा (न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जाँच आयोजित करने के लिए प्रक्रिया) नियम, 1976 के अनुसार निर्धारित की गई। न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं :

- न्यायनिर्णयन अधिकारी (एओ) के रूप में संयुक्त निदेशक (अब महा प्रबंधक) से अन्यून हैसियत का एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
- एओ पहले दौर में, उल्लंघन करने के तौर पर आरोपित व्यक्ति को उससे कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि उसके विरुद्ध जाँच क्यों नहीं आयोजित की जानी चाहिए।
- उक्त नोटिस में उस अपराध का स्वरूप निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे करने का आरोप लगाया गया है।
- उक्त व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद यदि एओ जाँच आयोजित करने का निर्णय करता है तो वह उस व्यक्ति की उपस्थिति के लिए एक तारीख निर्धारित करते हुए नोटिस जारी करेगा।
- संबंधित दस्तावेज, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को समन करने और उसकी उपस्थिति को प्रवर्तित करने के लिए एओ के पास शक्ति है।
- निर्धारित तारीख को एओ उक्त व्यक्ति पर जो अपराध करने का आरोप लगाया गया है, वह अपराध उस व्यक्ति को स्पष्ट करेगा और उल्लंघन किये गये अधिनियम के उपबंध स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा।
- एओ जाँच के लिए संगत दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उक्त व्यक्ति को एक अवसर देगा।
- एओ संबंधित सभी तथ्यों और उक्त व्यक्ति द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखने के बाद यदि वह संतुष्ट है कि उक्त व्यक्ति ने धारा 105सी(1) में विनिर्दिष्ट किसी भी धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है, अपनी रिपोर्ट में ऐसे दंड की सिफारिश कर सकता है जो वह अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अनुसार उचित समझता है।

धारा 105सी(1) में उल्लिखित धाराओं का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा	अपेक्षा
1	2सीबी(2)	भारत में संपत्तियों/भारत में पंजीकृत जहाज/विमान का बीमा प्राधिकरण की अनुमति के बिना विदेशी बीमाकर्ता के पास नहीं किया जा सकता।
2	34(बी)(4)	कार्यालय से प्रबंधकीय व्यक्तियों (निदेशक/सीईओ) को हटाने के लिए प्राधिकरण द्वारा धारा 34(बी)(1 और 2) के अधीन जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन

(जारी...)

जारी... बॉक्स मद 4

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105 सी के अधीन न्यायनिर्णयन की कार्यवाही

3	40(3)	लाइसेंसरहित संस्थाओं को कमीशन/पारिश्रमिक/प्रतिफल का भुगतान तथा विनियम (40(1)) द्वारा विनिर्दिष्ट विधि का अनुसरण किये बिना इन प्रतिफलों का भुगतान भी।
		मध्यवर्तियों के द्वारा ऐसे प्रतिफलों की प्राप्ति के लिए भी दंड लगाया जा सकता है (40(2))
4	41(2)	रिबेट का निषेध
5	42(4)	अपेक्षित योग्यताओं के बिना बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना तथा एक जीवन, एक स्वास्थ्य, एक साधारण और एकल व्यवस्था वाले (मोनो लाइन) बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक व्यवस्था में एक से अधिक बीमाकर्ता के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना
6	42(5)	निर्धारित आचरण-संहिता का पालन करने में एजेंट की चूक (प्रतिस्थानिक दायित्व)
7	42(डी)(8)	प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त किये बिना बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना
8	42(डी)(9)	यदि उपर्युक्त उल्लंघन कंपनी/फर्म द्वारा किया गया हो
9	52एफ	प्रशासक से दस्तावेज / संपत्ति रोक रखना
10	105बी	धारा 32बी के अधीन ग्रामीण और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ
11	105बी	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ, धारा 32सी के अधीन ग्रामीण क्षेत्र के दायित्वों, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, फ़सल बीमा दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ
12	105बी	धारा 32डी के अधीन मोटर वाहनों के अन्य पक्ष जोखिम में जोखिम-अंकन दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ

III.15 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना

III.15.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015, 24 अगस्त 2015 को अधिसूचित किये गये हैं तथा ये आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करेंगे। इन विनियमों में उल्लिखित दायित्व वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू होंगे। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक समय-समय पर यथासशोधित आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 के अनुसार दायित्व लागू थे।

बीमाकर्ताओं के दायित्व निम्नानुसार हैं :

III.15.2 ग्रामीण क्षेत्र

(क) जीवन बीमाकर्ता के संबंध में संबंधित वर्षों में अंकित पॉलिसियों की कुल संख्या के निम्नलिखित प्रतिशत इसके नीचे दर्शाये गये हैं :-

क्र सं	प्रारंभ से वित्तीय वर्ष	पॉलिसियों की संख्या का प्रतिशत
1	पहला वर्ष	7%
2	दूसरा वर्ष	9%
3	तीसरा वर्ष	12%
4	चौथा वर्ष	14%
5	पाँचवाँ वर्ष	16%
6	छठवाँ और सातवाँ वर्ष	18%
7	आठवाँ और नौवाँ वर्ष	19%
8	दसवाँ वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वर्ष	20%

(ख) साधारण बीमाकर्ता के संबंध में संबंधित वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से अंकित सकल प्रीमियम आय का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया हैः-

क्र सं	प्रारंभ से वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष रूप से अंकित सकल प्रीमियम का प्रतिशत
1	पहला वर्ष	2%
2	दूसरा वर्ष	3%
3	तीसरे वर्ष से सातवें वर्ष तक	5%
4	आठवाँ वर्ष	6%
5	नौवाँ वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वर्ष	7%

(ग) स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के संबंध में :-

साधारण बीमाकर्ताओं के लिए निर्धारित दायित्वों का 50%.

III.15.3 सामाजिक क्षेत्र

- सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में (जीवन, गैर-जीवन, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य) :-

वर्षों में बीमाकर्ता का कार्यकाल (एज)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल व्यवसाय** पर संगणित 'सामाजिक क्षेत्र जीवनों का प्रतिशत'
1	0.5%
2	1%
3	1.5%
4	2%
5	2.5%
6	3%
7	3.5%
8	4%
9	4.5%
10 और उससे अधिक	5%

**इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए कुल व्यवसाय वैयक्तिक बीमा के मामले में जारी की गई पॉलिसियों की कुल संख्या तथा सामूहिक बीमा के मामले में समाविष्ट जीवनों की संख्या है। पारिवारिक सदस्यों के जीवनों को सम्मिलित करनेवाली वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के मामले में ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत समाविष्ट जीवन, लक्ष्य के निर्धारण और वास्तविक कार्यनिष्पादन -- दोनों में गणना में लिये जा सकते हैं।

उस स्थिति में जहाँ बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में परिचालन प्रारंभ करता है तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को छह महीने से कम अवधि के लिए परिचालन में है,

(i) उपर्युक्त अवधि के लिए कोई ग्रामीण और सामाजिक दायित्व लागू नहीं होंगे, और

(ii) विनियमों में निर्दिष्ट रूप में वार्षिक दायित्वों की गणना वित्तीय वर्ष 2016-17 से की जाएगी, वह परिचालनों के पहले वर्ष के रूप में माना जाएगा तथा पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व सामाजिक क्षेत्र के लिए 2500 जीवन होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लिए दायित्व पहले वर्ष के लिए निर्धारित प्रतिशत के आधे होंगे।

III.15.4 इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म बीमा को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को सूक्ष्म बीमा विनियमों के साथ पंक्तिबद्ध करने के लिए अनुपालन की विधि सूक्ष्म बीमा विनियमों के साथ संबद्ध की गई है।

भाग IV
संगठनात्मक विषय

IV.1 संगठन

IV.1.1 श्री टी.एस. विजयन, जो 21 फरवरी, 2013 से भारत सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं, उक्त पद पर जारी हैं। श्री एम राम प्रसाद, पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन) 1 मई 2015 को प्राधिकरण की सेवाओं से निवृत्त हुए थे। श्री डी.डी. सिंह, पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) और सुश्री पूर्णिमा गुप्ते, पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक) वर्ष के दौरान प्राधिकरण में जारी रहे।

भारत सरकार ने प्राधिकरण के निम्नलिखित तीन पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया थाः

i) श्रीमती विजयलक्ष्मी राजाराम अय्यर, पूर्णकालिक सदस्य (एफएण्डआई) 15 जून 2015 से।

ii) श्री नीलेश साठे, पूर्णकालिक सदस्य (जीवन) 1 जुलाई 2015 से।

ii) श्री जोसेफ प्लाप्पल्लिल जे, पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन) 29 मार्च 2016 से।

IV.1.2 प्रो. वी. के. गुप्ता, निदेशक, प्रबंध विकास संस्थान, (एमडीआई), गुड़गाँव, प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य की अवधि 21 फरवरी 2016 को समाप्त हो गई। सीए एम. देवराज रेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान 12 फरवरी 2016 से सीए मनोज फडणीस के स्थान पर प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य बने। श्री आलोक टंडन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को श्री अनूप वाधवान, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय के स्थान पर 14 सितंबर 2015 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। श्री एस. बी. माथुर, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ष के दौरान प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में जारी रहे।

IV.2 प्राधिकरण की बैठकें

IV.2.1 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण की पाँच बैठकें आयोजित की गईं। इसी अवधि में बीमा सलाहकार समिति की पाँच बैठकें बुलाई गईं। विवरण इसके नीचे दिया जाता हैः

प्राधिकरण की बैठकें :

1) प्राधिकरण की 88वीं बैठक 24 जून 2015 को आयोजित की गई

2) प्राधिकरण की 89वीं बैठक 12 अक्तूबर 2015 को आयोजित की गई

3) प्राधिकरण की 90वीं बैठक 24 नवंबर 2015 को आयोजित की गई

4) प्राधिकरण की 91वीं बैठक 04 जनवरी 2016 को आयोजित की गई

5) प्राधिकरण की 92वीं बैठक 11 मार्च 2016 को आयोजित की गई

बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) की बैठकें :

1) आईएसी की 26वीं बैठक 12 जून 2015 को आयोजित की गई

2) आईएसी की 27वीं बैठक 05 अक्तूबर 2015 को आयोजित की गई

3) आईएसी की 28वीं बैठक 22 दिसंबर 2015 को आयोजित की गई

4) आईएसी की 29वीं बैठक 08 फरवरी 2016 को आयोजित की गई

5) आईएसी की 30वीं बैठक 19 फरवरी 2016 को आयोजित की गई

IV.3 मानव संसाधन

IV.3.1 स्टाफ संख्या और अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। 31-03-2016 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण की स्टाफ संख्या निम्नानुसार थीः-

क्रम सं.	श्रेणी	31-03-2015 को	31-03-2016 को
1	I	142	141
2	III	3	19

- वर्ष 2015-16 के दौरान संयुक्त निदेशक के संवर्ग में एक अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ था और सहायक के संवर्ग में सोलह कर्मचारी प्राधिकरण की सेवाओं में सम्मिलित हुए थे।

- 24 कनिष्ठ अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया जनवरी 2016 में प्रारंभ की गई।

- एनएआईसी फेलोस कार्यक्रम के लिए चार अधिकारियों को नामित किया गया।

- कनिष्ठ अधिकारी, सहायक निदेशक और वरिष्ठ सहायक निदेशक के संवर्ग में पदोन्नत अधिकारियों के लिए प्रवेश/उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गये।

आईआरडीएआई द्वारा किये गये क्षमता निर्माण के उपाय

IV.3.2 एफएसएलआरसी की गैर-विधायी सिफारिश के कार्यान्वयन के भाग के रूप में तथा आईआरडीएआई के अधिकारियों को सामान्य रूप से एफएसएलआरसी सिफारिशों और भारतीय वित्तीय कोड एवं विशेष रूप से गैर-विधायी सिफारिशों की विषय-वस्तु और आशय (इंपोर्ट) के बारे में अवगत कराने के लिए विधि विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन किया गया, ताकि आईआरडीएआई का प्रत्येक कर्मचारी एफएसएलआरसी, आईएफसी और गैर-विधायी सिफारिशों के मुख्य पहलुओं से परिचित हो सके।

i) एनएएलएसएआर, हैदराबाद के द्वारा आईआरडीएआई के अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम (आवसीय) का संचालन विनियम के प्रारूपण, कानूनी प्रणाली को अद्यतन करना जिसके अंतर्गत प्राधिकरण परिचालन करता है, आरटीआई से संबंधित विधि और बीमा के क्षेत्रों में हाल की अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के विषयों पर किया गया, जिसमें 5 समूहों में 152 सहभागियों को जून-अगस्त 2015 के दौरान प्रशिक्षण दिया गया।

ii) जाँच के संचालन, प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन के संबंध में ईडी, सेबी के साथ न्यायनिर्णयन और एसएटी को अपील संबंधी परस्पर सक्रिय (इंटर-ऐक्टिव) सत्र का आयोजन 27-11-2015 को किया गया।

ii) 05.12.2015 को 'विनियम के प्रारूपण सिद्धांत और सर्वोत्तम प्रथाएँ' पर एक सत्र डॉ. के. एन. चतुर्वेदी, भूतपूर्व सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया जिसमें 60 कर्मचारियों ने भाग लिया।

iv) भारतीय वित्तीय कोड एवं एफएसएलआरसी द्वारा की गई गैर-विधायी सिफारिशों पर विधि विभाग द्वारा तीन आंतरिक (इन-हाउस) सत्र संचालित किये गये जिनमें सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया।

एफएसएलआरसी, आईएफसी और एनएलआर के बारे में सूचना आईआरडीएआई के सभी स्टाफ-सदस्यों द्वारा पहुँच के लिए इंट्रानेट पर भी रखी गई।

IV.4 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति

IV.4.1 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013' के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में शिकायतों का निवारण करने एवं उक्त अधिनियम में निर्धारित विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से 1 मार्च 2013 के कार्यालय आदेश संदर्भ आईआरडीए/एडीएमएन/ओआरडी/पीईआर/41/3/2013 द्वारा एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।

IV.4.2 उक्त समिति ने अधिनियम के उपबंधों के संबंध में कर्मचारियों को शिक्षित करने एवं कर्मचारियों के लिए अभिमुखता कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता महसूस की।

IV.5 राजभाषा का संवर्धन

IV.5.1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कार्यालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाये गये नियम 1976 के उपबंधों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संगठित प्रयास करना जारी रखा।

IV.5.2 इन नियमों और उपबंधों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण का राजभाषा विभाग प्राधिकरण के विभागों द्वारा अपेक्षित रूप में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद की व्यवस्था करता है, दस्तावेजों पर हिन्दी में हस्ताक्षर करने, बैठकें हिन्दी में संचालित करने, रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ हिन्दी में करने, कार्यालय नोट द्विभाषिक रूप में बनाने, तकनीकी और गैर-तकनीकी दस्तावेजों के द्विभाषिक अग्रेषण पत्र बनाने, ई-मेलों में द्विभाषिक संपर्क विवरण का प्रयोग करने, कार्यालय नोटों पर हिन्दी में टिप्पणियाँ लिखने, आदि के द्वारा अपने दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है।

IV.5.3 संसद के पटल पर रखे जानेवाले सभी दस्तावेज भी द्विभाषिक रूप में तैयार किये गये हैं। भारत के संविधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, वार्षिक कार्यक्रम और समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों में निहित संघ की राजभाषा नीति का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किये गये। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के दायरे में आनेवाले सभी दस्तावेज अर्थात् महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ/ विनियम, परिपत्र, आदेश, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, वार्षिक रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियाँ, लाइसेंस, संविदाएँ, करार द्विभाषिक रूप में बनाये गये। राजभाषा नियमों के नियम 5 और नियम 7(2) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों, अभ्यावेदनों/ अपीलों/ आरटीआई आवेदनों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।

IV.5.4 प्राधिकरण के राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किये गये ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये फार्मेट के अनुसार राजभाषा विभाग ने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान से संबंधित डेटा का संग्रहण किया, जिसे कार्यालय के इंट्रानेट पर उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार, राजभाषा विभाग ने उक्त मंत्रालय द्वारा दिये गये फार्मेट के अनुसार सभी विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट से संबंधित डेटा का संग्रहण किया।

IV.5.5 प्राधिकरण ने वर्ष 2015-16 में राजभाषा विभाग में राजभाषा सहायक की नियुक्ति के लिए भर्ती की कार्रवाई संचालित की, जिसने माह जुलाई 2016 में सेवा में सम्मिलित हुआ।

IV.5.6 दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ) में राजभाषा विभाग निर्मित किया गया तथा राजभाषा विभाग के प्रमुख के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को और राजभाषा अधिकारी के रूप में एक अन्य अधिकारी को पदनामित किया गया। प्रधान कार्यालय के मार्गदर्शन में डीआरओ में राजभाषा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना इन दोनों अधिकारियों का कर्तव्य है।

IV.5.7 राजभाषा विभाग ने दैनिक आधार पर प्राधिकरण के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को द्विभाषिक रूप में उदाहरण के साथ 'आज का शब्द' और 'आज का सुविचार' प्रेषित किया। हिन्दी पुस्तकें पढ़ने और अपना हिन्दी ज्ञान बढ़ाने में रुचि विकसित करने के लिए सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राधिकरण के पुस्तकालय में हिन्दी में उपलब्ध पुस्तकों की सूची सबको भेजी गई।

IV.5.8 प्राधिकरण ने 14 सितंबर 2015 से प्रारंभ करते हुए हिन्दी पखवाड़ा मनाया जिसका उद्घाटन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस आयोजन के लिए प्रत्येक विभाग से कम से कम एक अधिकारी को लेते हुए एक हिन्दी पखवाड़ा समारोह समिति का गठन किया गया। इस उत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जैसे निबंध लेखन, आशुभाषण और अंताक्षरी। हिन्दी भाषा संवर्धन सामग्री से युक्त एक पेन-ड्राइव प्राधिकरण के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच वितरित किया गया। पखवाड़े का समापन उत्सव एक सांस्कृतिक समारोह के रूप में एक बड़े सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया। समापन समारोह में बीमा उद्योग से एक अनुभवी हिन्दी अधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। समापन समारोह का शुभारंभ गणेश वंदना एवं सदस्य (जीवन और राजभाषा), मुख्य अतिथि और प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दीप-प्रज्वलन के साथ किया गया। पखवाड़ा उत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में जिन अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया, उन सभी को दो वर्गों (हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी) में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार वितरित किये गये।

IV.5.9 प्राधिकरण अपनी तिमाही गृह-पत्रिका 'स्पंदन' द्विभाषिक रूप में प्रकाशित करता है, जिसमें दोनों हिन्दी और अंग्रेजी में रचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं।

IV.5.10 प्राधिकरण का संचार विभाग भी एक वेबसाइट 'policyholder.gov.in' संचालित करता है और यह वेबसाइट भी द्विभाषिक है। यह विभाग 'बीमा बेमिसाल' कहलानेवाले उपभोक्ता जागरूकता अभियान में बहुत-सारी हिन्दी सामग्री नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा है जिसका वितरण जनसाधारण, स्कूली छात्रों, आदि के बीच किया जाता है। इस विभाग ने सार्वजनिक जागरूकता के वीडियो और कार्टून फिल्में भी हिन्दी में बनाई हैं। प्राधिकरण ने अपना तारीख-कैलेंडर द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया है।

IV.6 अनुसंधान और विकास

IV.6.1 वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बीमा सांख्यिकी पर पुस्तिका (हैंड-बुक) के संकलन के लिए केन्द्रीय स्थल (नोडल पॉइन्ट) के रूप में विभाग का रहना जारी है, जो समय-शृंखला डेटा से युक्त एक वार्षिक प्रकाशन है।

IV.6.2 2008 में भारतीय बीमा संबंधी हैंड-बुक के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के परिणामस्वरूप, अनुसंधान और विकास विभाग ने उद्योग में विभिन्न हितधारकों की बढ़ती हुई आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए इस प्रकाशन के दायरे का विस्तार करना जारी रखा। इस हैंड-बुक का 8वाँ संस्करण मार्च 2016 में प्रकाशित किया गया जिसमें 93 समय-शृंखला डेटा सारणियाँ शामिल की गईं। विभाग द्वारा इस हैंड-बुक के 9वें संस्करण के विस्तार और विषय-वस्तु में सुधार करने के लिए प्रयास जारी है जिसके दिसंबर 2016 में प्रकाशित होने की संभावना है।

IV.6.3 आर एण्ड डी अनुभाग विभिन्न प्रकार का डेटा भारतीय रिज़र्व बैंक, एमओएसपीआई और डीएफएस को उपलब्ध कराता रहा है। डेटा के कुछ प्रकारों का स्वरूप आवधिक है।

IV.6.4 भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए दो उप-समितियों का गठन किया है, एक 'सेवा उत्पादन सूचकांक' के निर्माण और दूसरी 'सेवा कीमत सूचकांक' के निर्माण के लिए है। बीमा क्षेत्र के लिए सेवा उत्पादन सूचकांक विकसित करने हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा फरवरी 2012 में गठित उप-समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट एमओएसपीआई को 14.07.2015 को प्रस्तुत की।

IV.6.5 दिसंबर 2011 में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बीमा क्षेत्र के लिए सेवा कीमत सूचकांक के विकास के लिए गठित उप-समिति ने बहुविध दृष्टिकोणों से कार्य किया। सेवा कीमत सूचकांक संबंधी रिपोर्ट का प्रारूप विशेषज्ञ समिति को 30.09.2015 को तकनीकी सलाहकार समिति के साथ उसकी संयुक्त बैठक में प्रस्तुत किया गया। विशेषज्ञ समिति के सुझावों के आधार पर 15-16.02.2016 को आयोजित उप-समिति की सातवीं बैठक में कार्यपद्धति की समीक्षा की गई। बीमा क्षेत्र कीमत सूचकांक संबंधी अंतिम रिपोर्ट के अनुवर्ती वर्ष में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

IV.6.6 उक्त दोनों उप-समितियों की अध्यक्षता श्री श्रीराम तरणीकांति, कार्यकारी निदेशक द्वारा की गई तथा आईआरडीएआई से एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी इनमें प्रतिनिधित्व किया गया। दोनों उप-समितियों को क्षेत्रीय विकास विभाग (एसडीडी) का आर एण्ड डी खंड सचिवीय सहायता प्रदान करता रहा है। इसके अलावा, इन उप-समितियों के कार्य की प्रगति में विभाग के अधिकारी घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहे हैं।

IV.6.7 आर एण्ड डी अनुभाग विश्व औसत की तुलना में हमारे देश में कम बीमा व्यापन के लिए कारण और इसके साथ संबंधित विभिन्न वितरण माध्यमों की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान परियोजना संचालित कर रहा है।

IV.7 सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति

प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी केवल तभी संभव है जब सशक्त आईटी प्रणालियाँ विद्यमान हों। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस दिशा में निरंतर अग्रसर है तथा इस वर्ष के दौरान विभाग द्वारा किये गये कुछ कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :

IV.7.1 व्यावसायिक विश्लेषण-पद्धति परियोजना (बीएपी)

समूची प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया तथा प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी), प्रयोक्ता प्रशिक्षण (दोनों आंतरिक और बाह्य प्रयोक्ताओं के लिए) और पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूलों के लिए नियंत्रित उपयोग (गो-लाइव) का संचालन करने के बाद इसे परिचालित किया गया। प्रयोक्ता विभागों द्वारा औपचारिक परिपत्र जारी किये गये तथा विनियमित संस्थाओं ने विवरणियाँ/ डेटा ऑनलाइन फाइल करना प्रारंभ किया है। विनियमित संस्थाएँ समांतर रूप में अयांत्रिक प्रणाली के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुति जारी रखेंगी। जैसे ही इन मॉड्यूलों के परिचालन पूरी तरह सुस्थिर हो जाएँगे, अयांत्रिक रूप में फाइलिंग को क्रमशः छोड़ दिया जाएगा।

IV.7.2 आंतरिक अनुप्रयोग

इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित नये अनुप्रयोग आंतरिक रूप से विकसित किये गये और विभिन्न विभागों के लिए कार्यान्वित किये गये।

i) संचालित एचओडी बैठकों के प्रस्तुतीकरणों का अपलोडिंग करने के लिए अनुप्रयोग।

ii) विभिन्न रिपोर्टों तथा राज्य-स्तरीय अधिकारियों (एसएलओ) द्वारा आयोजित राज्य-स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठकों के कार्यवृत्तों का अपलोडिंग करने के लिए अनुप्रयोग।

iii) कानूनी मामलों के रखरखाव के लिए अनुप्रयोग।

iv) शिकायतें दर्ज करने और निगरानी करने के लिए आईटी हेल्प डेस्क हेतु अनुप्रयोग।

इस वर्ष के दौरान वर्तमान आंतरिक अनुप्रयोगों में विभिन्न संवर्धन किये गये और उनका सारांश निम्नानुसार हैः

i) सीमापार पुनर्बीमा में फाइलिंग कार्यविधि।

ii) सम्मेलन कक्ष का बुकिंग।

सतर्कता संबंधी सूचना, आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं क्षेत्रीय विकास विभाग संबंधी सूचना के प्रसार हेतु अलग ऊर्ध्वाधरों (वर्टिकलों) को शामिल करने के लिए इंट्रानेट साइट का भी ग्रेड बढ़ाया गया है। आईटी

विभाग एक सहयोगपूर्ण कार्य परिवेश को कार्यान्वित करने के लिए इंट्रानेट पोर्टल में सुधार करने की भी प्रक्रिया में है।

IV.7.3 एसएपी-ईआरपी कार्यान्वयन

अंतरालों की पहचान करने और ईआरपी अनुप्रयोग की उपयोगिता को आगे और बढ़ाने के लिए भी ईआरपी अनुप्रयोग के लिए एक विस्तृत अंतराल विश्लेषण संचालित किया गया। इस गतिविधि के अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य भी किये गयेः

क) खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नये एएमसी विक्रेता का चयन

ख) परिदृश्य में गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना

ग) वर्तमान एसएपी ईआरपी प्रणाली में अंतरालों (फार्म 16 को छोड़कर) का निर्धारण

IV.7.4 अन्य गतिविधियाँ

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा पूरी की गई गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :

क) क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के बीच संबद्धता की स्थापना।

ख) मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ) के लिए नेटवर्किंग की स्थापना।

ग) नकली ई-मेल प्रेषण (ई-मेल स्पूफिंग) को रोकने के लिए संदेश प्रणाली का कठोरीकरण।

घ) एकीकृत आशंका प्रबंध प्रणाली का ग्रेड बढ़ाना।

ङ) सशक्त निगरानी के लिए ऐन्टी-वाइरस प्रणाली का ग्रेड बढ़ाना।

च) महत्वपूर्ण डेटाबेसों के लिए परोक्ष (ऑफ़-साइट) सहायक व्यवस्थाओं (बैक-अपों) का कार्यान्वयन।

IV.8 लेखा

IV.8.1 वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राधिकरण के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) को प्रस्तुत किये गये हैं। आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 17 के उपबंधों के अनुसरण में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा-परीक्षित लेखे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाने के लिए भारत सरकार को प्रेषित करना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लेखा-परीक्षित लेखे लोकसभा के समक्ष 18 दिसंबर 2015 को तथा राज्यसभा के समक्ष 15 दिसंबर 2015 को प्रस्तुत किये गये।

IV.9 आईआरडीएआई जर्नल

IV.9.1 उद्योग के विभिन्न हितधारकों और पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के अबाधित प्रसार के लिए एक पारदर्शी माध्यम के रूप में आईआरडीएआई 2002 से प्रति माह आईआरडीएआई जर्नल का प्रकाशन कर रहा है। यह जर्नल अपनी शक्ति उन विशेषज्ञों से प्राप्त करती है जिन्होंने समय-समय पर इसमें अपनी रचनाएँ देकर सहयोग किया है। आईआरडीएआई जर्नल के लिए आलेख सामान्यतः बीमा के क्षेत्र के सुविज्ञ व्यक्तियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। आईआरडीएआई जर्नल अपने पाठकगण के लिए बीमा से संबंधित सूचना और समाचारों का संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रसार करने का प्रयास करता है तथा अपने पाठकों के लिए मूल्यवान रचनाएँ प्रकाशित करना इसका उद्देश्य है।

जर्नल में जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा के संबंध में प्रकाशित सांख्यिकीय सूचना शिक्षाविदों एवं नीति-निर्धारकों के लिए आगे और विश्लेषण करने में सहायक होती है।

जर्नल के पाठकों की संख्या क्रमशः बढ़ रही है तथा कई नये लेखक इस जर्नल के लिए लिखने में काफी रुचि दर्शा रहे हैं। यह देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के सूचनाप्रद विषयों पर विभिन्न अभिमतों के

लिए एक अच्छे स्रोत के रूप में परिणत हुआ है। जर्नल की वेब प्रति लगातार सूचना का स्रोत बनी हुई है तथा यह विभिन्न हितधारकों के लिए अनेक सामयिक विषयों को समाविष्ट करती है।

IV.9.2 मासिक जर्नल का प्रत्येक अंक उद्योग के लिए संगत एक प्रासंगिक विषय पर केन्द्रित है। वर्ष 2015-16 के दौरान जर्नल ने स्वास्थ्य बीमा, ग्राहक सेवा, बीमा उद्योग में शिकायतों पर कार्रवाई, फसल बीमा, बीमा उद्योग में मध्यवर्तियों की भूमिका, बीमा उद्योग में सीएसआर गतिविधियाँ, आदि विभिन्न विषयों को ग्रहण किया है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विचारों और धारणाओं के एक व्यापकतम दायरे को समाविष्ट करने के अतिरिक्त, इस प्रथा ने विभिन्न अंशदाताओं के आलेखों को शामिल करने में समर्थ बनाया है तथा इसके द्वारा जर्नल में बौद्धिक विषय-वस्तु के दायरे को विस्तृत कर दिया है।

अपने प्रारंभ से ही, मार्च 2016 तक जर्नल को बाह्य व्यक्तियों ने सँभाला है तथा पहली बार प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से यह कार्य आंतरिक संपादक को सौंपने का निर्णय किया है। जर्नल के प्रकाशन की आवधिकता अब मासिक से तिमाही के रूप में परिवर्तित की गई है तथा जर्नल का पहला तिमाही अंक अप्रैल-जून 2016 है।

IV.10 आभार-प्रदर्शन

IV.10.1 आईआरडीएआई बोर्ड के सदस्यों, बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों, पुनर्बीमा सलाहकार समिति, वित्तीय सेवाएँ विभाग (वित्त मंत्रालय), परामर्शदात्री समिति के सदस्यों, सभी बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को अपने समुचित कार्यसंचालन में उनके अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए; तथा आईआरडीएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुसंबद्ध टीम को उनके कर्तव्यों के कुशल निर्वहण के लिए अपनी सराहना और हार्दिक कृतज्ञता को अभिलेखबद्ध करना चाहता है। प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) सहित, जनसाधारण के सदस्यों, प्रेस, सभी व्यावसायिक निकायों और अपनी परिषदों के माध्यम से बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी समय-समय पर दिये गये उनके मूल्यवान सहयोग के लिए अपने विशेष आभार अभिलिखित करता है।

विवरण

विवरण 1

बीमा व्यापन की अंतरराष्ट्रीय तुलना*

(प्रतिशत में)

देश	2014**			2015**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
आस्ट्रेलिया	6.0	3.8	2.2	5.7	3.5	2.2
ब्राजील	3.9	2.1	1.9	3.9	2.1	1.8
फ्रांस	9.1	5.9	3.1	9.3	6.2	3.1
जर्मनी	6.5	3.1	3.4	6.2	2.9	3.4
रूस	1.4	0.2	1.2	1.4	0.2	1.2
दक्षिण अफ्रीका	14.0	11.4	2.7	14.7	12.0	2.7
स्विट्जरलैंड	9.2	5.1	4.1	9.2	5.1	4.1
युनाइटेड किंगडम	10.6	8.0	2.6	10.0	7.5	2.4
संयुक्त राज्य अमेरिका	7.3	3.0	4.3	7.3	3.1	4.2
एशियाई देश						
हांगकांग	14.2	12.7	1.4	14.8	13.3	1.5
भारत	**3.3**	**2.6**	**0.7**	**3.4**	**2.7**	**0.7**
जापान	10.8	8.4	2.4	10.8	8.3	2.6
मलेशिया	4.8	3.1	1.7	5.1	3.4	1.7
पाकिस्तान	0.8	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3
पीआर चीन	3.2	1.7	1.5	3.6	2.0	1.6
सिंगापुर	6.7	5.0	1.6	7.3	5.6	1.7
दक्षिण कोरिया	11.3	7.2	4.1	11.4	7.3	4.1
श्रीलंका	1.1	0.5	0.7	1.2	0.5	0.7
ताइवान	18.9	15.6	3.3	19.0	15.7	3.2
थाईलैंड	5.8	3.6	2.2	5.5	3.7	1.8
विश्व	**6.2**	**3.4**	**2.7**	**6.2**	**3.5**	**2.8**

स्रोत: स्विस आरई, सिगमा खंड 4/2015 और 3/2016.
** बीमा व्यापन का मापन जीडीपी (अमेरिकी डॉलर में) की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।*
*** डेटा कैलेंडर वर्ष 2014 और 2015 से संबंधित है।*
डेटा वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 से संबंधित है।

विवरण 2

बीमा सघनता की अंतरराष्ट्रीय तुलना*

(अमेरिकी डॉलर में)

देश	2014**			2015**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
आस्ट्रेलिया	3736	2382	1354	2958	1830	1128
ब्राजील	422	222	200	332	178	154
फ्रांस	3902	2552	1350	3392	2263	1129
जर्मनी	3054	1437	1617	2563	1181	1381
रूस	181	20	161	117	15	102
दक्षिण अफ्रीका	925	748	176	843	688	155
स्विट्जरलैंड	7934	4391	3542	7370	4079	3292
युनाइटेड किंगडम	4823	3638	1185	4359	3292	1067
संयुक्त राज्य अमेरिका	4017	1657	2360	4096	1719	2377
एशियाई देश						
हांगकांग	5647	5071	575	6271	5655	616
भारत	**55**	**44**	**11**	**55**	**43**	**12**
जापान	3778	2926	852	3554	2717	837
मलेशिया	524	338	186	472	316	157
पाकिस्तान	11	7	4	12	8	4
पीआर चीन	235	127	109	281	153	128
सिंगापुर	3759	2840	919	3825	2932	894
दक्षिण कोरिया	3163	2014	1149	3034	1940	1094
श्रीलंका	40	17	23	43	19	25
ताइवान	4072	3371	701	4094	3397	698
थाईलैंड	323	198	125	319	215	104
विश्व	**662**	**368**	**294**	**621**	**346**	**276**

स्रोत: स्विस आरई, सिगमा खंड 4/2015 और 3/2016
** बीमा सघनता का मापन कुल जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।*
*** डेटा कैलेंडर वर्ष 2014 और 2015 से संबंधित है।*
डेटा वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 से संबंधित है।

विवरण 3

प्रथम वर्ष जीवन बीमा प्रीमियम (एकल प्रीमियम सहित)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
एइगॉन लाइफ	--	--	--	--	--	--	--	--	31.21	150.37	274.87	207.65	135.90	147.22	207.50	136.33
अवीवा	--	--	13.47	76.96	192.29	407.12	721.35	1053.98	724.56	798.37	745.39	801.86	687.40	593.76	556.89	320.80
बजाज अलायंज़	--	7.14	63.39	179.55	857.45	2716.77	4302.74	6674.48	4491.43	4451.10	3465.82	2717.31	2987.90	2592.03	2702.10	2884.52
भारती अक्सा	--	--	--	--	--	--	7.78	113.24	292.93	437.43	347.78	224.59	248.92	375.61	474.20	539.49
बिड़ला सनलाइफ	0.32	28.11	129.57	449.86	621.31	678.12	882.72	1965.01	2820.85	2960.01	2080.30	1926.17	1836.51	1697.49	1937.94	2220.31
केनरा एचएसबीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	296.41	622.62	817.29	687.10	606.72	608.07	476.98	859.18
डीएचएफएल प्रामेरिका	--	--	--	--	--	--	--	--	3.37	37.38	74.15	103.16	140.01	172.95	579.59	727.02
एडेलवेइस टोकियो	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.88	47.33	80.72	122.42	183.59
एक्साइड लाइफ	--	4.19	17.66	72.10	282.42	283.98	467.66	704.44	688.95	642.43	660.49	638.14	638.20	567.81	644.75	632.85
फ्यूचर जनराली	--	--	--	--	--	--	--	2.49	149.97	486.08	448.61	345.03	240.43	224.90	252.41	255.59
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0.002	32.78	129.31	209.33	486.15	1042.65	1648.85	2685.37	2651.11	3257.51	4059.33	3857.47	4436.07	4038.93	5492.10	6487.22
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	5.97	113.33	364.11	750.84	1584.34	2602.50	5162.13	8034.75	6811.83	6333.92	7862.14	4441.09	4808.62	3759.59	5332.13	6765.75
आईडीबीआई फेडरल	--	--	--	--	--	--	--	11.90	316.78	400.56	444.95	311.01	345.14	315.69	484.50	588.40
इंडियाफर्स्ट	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.59	704.77	982.31	1316.42	1681.36	1538.67	1478.10
कोटक महिन्द्रा	--	7.58	35.21	125.51	373.99	396.06	614.94	1106.62	1343.03	1333.98	1253.14	1164.27	1188.10	1271.81	1540.18	2209.66
मैक्स लाइफ	0.16	38.80	67.31	137.28	233.63	471.36	912.11	1597.83	1842.91	1849.08	2061.39	1901.72	1899.34	2261.60	2572.60	2881.71
पीएनबी मेटलाइफ	--	0.48	7.70	23.41	57.52	148.53	340.44	825.35	1144.70	1061.85	706.22	1076.97	840.08	675.89	829.06	1003.17
रिलायंस निप्पोन	--	0.28	6.32	27.21	91.33	193.56	932.11	2751.05	3513.98	3920.78	3034.94	1809.29	1376.57	1933.99	2069.69	1558.33
सहारा	--	--	--	--	1.74	26.34	43.00	122.12	134.01	124.83	91.83	71.14	61.43	65.09	38.44	43.43
एसबीआई लाइफ	--	14.69	71.88	207.05	484.85	827.82	2563.84	4792.82	5386.64	7040.74	7589.58	6531.32	5182.88	5065.48	5529.16	7106.58
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	--	10.33	181.17	309.99	314.47	419.50	571.99	390.99	420.65	389.83	498.52	693.79
स्टार यूनियन दाई-ईची	--	--	--	--	--	--	--	--	50.19	519.87	758.69	964.77	744.80	562.85	629.93	654.19
टाटा एआईए	--	21.14	59.77	181.59	297.55	464.53	644.82	964.51	1142.67	1322.01	1332.21	939.55	560.16	433.76	312.05	740.79
निजी कुल	**6.45**	**268.51**	**965.69**	**2440.71**	**5564.57**	**10269.67**	**19425.65**	**33715.95**	**34152.00**	**38372.01**	**39385.84**	**32103.78**	**30749.58**	**29516.43**	**34821.81**	**40970.80**
		(4061.70)	**(259.65)**	**(152.74)**	**(127.99)**	**(84.55)**	**(89.16)**	**(73.56)**	**(1.29)**	**(12.36)**	**(2.64)**	**(-18.49)**	**(-4.22)**	**(-4.01)**	**(17.97)**	**(17.66)**
एलआईसी	9700.98	19588.77	15976.76	17347.62	20653.06	28515.87	56223.56	59996.57	53179.08	71521.90	87012.35	81862.25	76611.50	90808.79	78507.72	97891.5096
		(101.93)	(-18.44)	(8.58)	(19.05)	(38.07)	(97.17)	(6.71)	(-11.36)	(34.49)	(21.66)	(-5.92)	(-6.41)	(18.53)	(-13.55)	(24.69)
उद्योग कुल	**9707.43**	**19857.28**	**16942.45**	**19788.32**	**26217.64**	**38785.54**	**75649.21**	**93712.52**	**87331.08**	**109893.91**	**126398.18**	**113966.03**	**107361.08**	**120325.22**	**113329.52**	**138862.31**
		(104.56)	**(-14.68)**	**(16.80)**	**(32.49)**	**(47.94)**	**(95.04)**	**(23.88)**	**(-6.81)**	**(25.84)**	**(15.02)**	**(-9.84)**	**(-5.80)**	**(12.08)**	**(-5.82)**	**(22.53)**

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।
2) -- द्योतित करता है कि व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया है।
3) पिछले वर्ष के आंकड़े बीमाकर्ताओं द्वारा संशोधित किये गये हैं।

विवरण 4

कुल जीवन बीमा प्रीमियम

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
एइगॉन लाइफ	--	--	--	--	--	--	--	--	31.21	165.65	388.61	457.32	430.50	453.00	559.20	501.60
अवीवा	--	--	13.47	81.50	253.42	600.27	1147.23	1891.88	1992.87	2378.01	2345.17	2415.87	2140.67	1878.10	1796.25	1493.15
बजाज अलायंज़	--	7.14	69.17	220.80	1001.68	3133.58	5345.24	9725.31	10624.52	11419.71	9609.95	7483.80	6892.70	5843.14	6017.30	5897.31
भारती अक्सा	--	--	--	--	--	--	7.78	118.41	360.41	669.73	792.02	774.16	744.52	872.65	1053.32	1208.33
बिड़ला सनलाइफ	0.32	28.26	143.92	537.54	915.47	1259.68	1776.71	3272.19	4571.80	5505.66	5677.07	5885.36	5216.30	4833.05	5233.22	5579.71
केनरा एचएसबीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	296.41	842.45	1531.86	1861.08	1912.15	1823.42	1657.02	2059.96
डीएचएफएल प्रामेरिका	--	--	--	--	--	--	--	--	3.37	38.44	95.04	167.01	236.79	305.86	735.10	920.21
एडेलवेइस टोकियो	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.88	54.83	110.90	193.08	310.07
एक्साइड लाइफ	--	4.19	21.16	88.51	338.86	425.38	707.20	1158.87	1442.28	1642.65	1708.95	1679.98	1742.36	1830.67	2027.48	2046.99
फ्यूचर जनराली	--	--	--	--	--	--	--	2.49	152.60	541.51	726.16	779.58	678.29	634.16	604.25	592.50
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0.002	33.46	148.83	297.76	686.63	1569.91	2855.87	4858.56	5564.69	7005.10	9004.17	10202.40	11322.68	12062.90	14829.90	16312.98
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	5.97	116.38	417.62	989.28	2363.82	4261.05	7912.99	13561.06	15356.22	16528.75	17880.63	14021.58	13538.24	12428.65	15306.62	19164.39
आईडीबीआई फेडरल	--	--	--	--	--	--	--	11.90	318.97	571.12	811.00	736.70	804.68	826.25	1069.62	1239.67
इंडियाफर्स्ट	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.60	798.43	1297.93	1690.08	2143.36	2034.11	1967.40
कोटक महिन्द्रा	--	7.58	40.32	150.72	466.16	621.85	971.51	1691.14	2343.19	2868.05	2975.51	2937.43	2777.78	2700.79	3038.05	3971.68
मैक्स लाइफ	0.16	38.95	96.59	215.25	413.43	788.13	1500.28	2714.60	3857.26	4860.54	5812.63	6390.53	6638.70	7278.54	8171.62	9216.16
पीएनबी मेटलाइफ	--	0.48	7.91	28.73	81.53	205.99	492.71	1159.54	1996.64	2536.01	2508.17	2677.50	2429.52	2240.59	2461.19	2827.83
रिलायंस निप्पोन	--	0.28	6.47	31.06	106.55	224.21	1004.66	3225.44	4932.54	6604.90	6571.15	5497.62	4045.39	4283.40	4621.08	4398.12
सहारा	--	--	--	--	1.74	27.66	51.00	143.49	206.47	250.59	243.41	225.95	205.38	204.63	166.86	157.05
एसबीआई लाइफ	--	14.69	72.39	225.67	601.18	1075.32	2928.49	5622.14	7212.10	10104.03	12945.29	13133.74	10450.03	10738.60	12867.11	15825.36
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	--	10.33	184.16	358.05	436.17	611.27	821.52	644.16	618.07	594.24	734.66	1022.11
स्टार यूनियन दाई-ईची	--	--	--	--	--	--	--	--	50.19	530.37	933.31	1271.95	1068.80	948.75	1134.68	1307.47
टाटा एआईए	--	21.14	81.21	253.53	497.04	880.19	1367.18	2046.35	2747.50	3493.78	3985.22	3630.30	2760.43	2323.70	2122.66	2478.96
निजी कुल	**6.45**	**272.55**	**1119.06**	**3120.33**	**7727.51**	**15083.54**	**28253.00**	**51561.42**	**64497.43**	**79369.94**	**88165.24**	**84182.83**	**78398.91**	**77359.36**	**88434.35**	**100499.03**
		(4124.31)	**(310.59)**	**(178.83)**	**(147.65)**	**(95.19)**	**(87.31)**	**(82.50)**	**(25.09)**	**(23.06)**	**(11.08)**	**(-4.52)**	**(-6.87)**	**(-1.33)**	**14.32**	**(13.64)**
एलआईसी	34892.02	49821.91	54628.49	63533.43	75127.29	90792.22	127822.84	149789.99	157288.04	186077.31	203473.40	202889.28	208803.58	236942.30	239667.65	266444.21
		(42.79)	(9.65)	(16.30)	(18.25)	(20.85)	(40.79)	(17.19)	(5.01)	(18.30)	(9.35)	(-0.29)	(2.92)	(13.48)	(1.15)	(11.17)
उद्योग कुल	**34898.47**	**50094.46**	**55747.55**	**66653.75**	**82854.80**	**105875.76**	**156075.84**	**201351.41**	**221785.47**	**265447.25**	**291638.64**	**287072.11**	**287202.49**	**314301.66**	**328102.01**	**366943.23**
		(43.54)	**(11.28)**	**(19.56)**	**(24.31)**	**(27.78)**	**(47.41)**	**(29.01)**	**(10.15)**	**(19.69)**	**(9.87)**	**(-1.57)**	**(0.05)**	**(9.44)**	**(4.39)**	**(11.84)**

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।
2) -- द्योतित करता है कि व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया है।
3) पिछले वर्ष के आंकड़े बीमाकर्ताओं द्वारा संशोधित किये गये हैं।

विवरण 5

2015-16 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम

(प्रीमियम ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम					संबद्ध प्रीमियम					असंबद्ध प्रीमियम				
	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल
एगॉन लाइफ	133.92	2.40	136.33	365.27	501.60	31.13	0.67	31.80	133.33	165.13	102.79	1.73	104.53	231.95	336.48
अवीवा	312.19	8.61	320.80	1172.34	1493.15	162.34	3.86	166.19	444.41	610.60	149.85	4.76	154.61	727.93	882.54
बजाज अलायंज़	1393.80	1490.71	2884.52	3012.79	5897.31	381.28	618.99	1000.27	731.10	1731.37	1012.52	871.72	1884.25	2281.70	4165.94
भारती अक्सा	358.82	180.67	539.49	668.84	1208.33	4.51	3.37	7.88	157.58	165.46	354.31	177.30	531.61	511.26	1042.87
बिड़ला सनलाइफ	2173.43	46.87	2220.31	3359.41	5579.71	1048.54	18.57	1067.12	2168.41	3235.52	1124.89	28.30	1153.19	1191.00	2344.19
केनरा एचएसबीसी	437.79	421.40	859.18	1200.78	2059.96	348.64	18.95	367.59	958.76	1326.35	89.15	402.44	491.59	242.02	733.61
डीएचएफएल प्रामेरिका	148.85	578.17	727.02	193.19	920.21	10.04	30.22	40.26	21.90	62.17	138.81	547.95	686.75	171.29	858.04
एडेलवेइस टोकियो	150.04	33.55	183.59	126.47	310.07	29.04	15.58	44.63	14.12	58.74	121.00	17.96	138.96	112.36	251.32
एक्साइड लाइफ	565.82	67.04	632.85	1414.14	2046.99	20.94	9.31	30.25	181.95	212.20	544.88	57.73	602.61	1232.18	1834.79
फ्यूचर जनराली	249.05	6.53	255.59	336.91	592.50	20.80	2.99	23.78	59.11	82.89	228.26	3.55	231.81	277.80	509.61
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	3296.49	3190.73	6487.22	9825.76	16312.98	1882.10	954.85	2836.95	5771.45	8608.39	1414.40	2235.88	3650.27	4054.31	7704.58
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	4924.38	1841.37	6765.75	12398.64	19164.39	4116.43	1450.35	5566.78	8815.16	14381.94	807.95	391.02	1198.97	3583.48	4782.45
आईडीबीआई फेडरल	310.32	278.08	588.40	651.27	1239.67	50.18	183.65	233.83	56.30	290.14	260.14	94.43	354.57	594.96	949.53
इंडियाफर्स्ट	218.79	1259.31	1478.10	489.30	1967.40	92.40	46.46	138.86	403.51	542.37	126.39	1212.85	1339.23	85.79	1425.03
कोटक महिन्द्रा	1646.68	562.98	2209.66	1762.02	3971.68	586.93	125.56	712.49	585.41	1297.90	1059.76	437.42	1497.17	1176.60	2673.78
मैक्स लाइफ	2082.79	798.92	2881.71	6334.45	9216.16	576.48	32.85	609.33	1637.95	2247.28	1506.31	766.07	2272.38	4696.50	6968.89
पीएनबी मेटलाइफ	958.15	45.02	1003.17	1824.67	2827.83	266.84	8.81	275.65	646.93	922.58	691.31	36.21	727.52	1177.73	1905.26
रिलायंस निप्पोन	1446.70	111.63	1558.33	2839.79	4398.12	689.92	17.14	707.07	621.41	1328.48	756.77	94.49	851.26	2218.37	3069.64
सहारा	12.45	30.98	43.43	113.62	157.05	0.11	3.19	3.31	8.07	11.38	12.34	27.79	40.12	105.55	145.67
एसबीआई लाइफ	4630.54	2476.04	7106.58	8718.79	15825.36	2594.66	638.69	3233.35	3661.41	6894.76	2035.88	1837.34	3873.23	5057.38	8930.61
श्रीराम लाइफ	420.13	273.66	693.79	328.32	1022.11	7.79	30.45	38.25	19.74	57.98	412.33	243.21	655.54	308.58	964.13
स्टार यूनियन दाई-ईची	553.34	100.85	654.19	653.28	1307.47	42.75	61.44	104.18	316.56	420.75	510.59	39.41	550.01	336.72	886.73
टाटा एआईए	724.84	15.95	740.79	1738.17	2478.96	255.65	9.64	265.28	482.71	747.99	469.19	6.32	475.51	1255.46	1730.97
निजी कुल	**27149.32**	**13821.47**	**40970.80**	**59528.23**	**100499.03**	**13219.51**	**4285.59**	**17505.10**	**27897.27**	**45402.37**	**13929.82**	**9535.88**	**23465.70**	**31630.96**	**55096.65**
एलआईसी	23829.38	74062.13	97891.51	168552.70	266444.21	29.14	1.27	30.41	1438.79	1469.21	23800.24	74060.86	97861.10	167113.90	264975.00
कुल जोड़	**50978.71**	**87883.60**	**138862.31**	**228080.93**	**366943.23**	**13248.65**	**4286.86**	**17535.51**	**29336.07**	**46871.58**	**37730.06**	**83596.74**	**121326.79**	**198744.86**	**320071.65**

टिप्पणी: 1) प्रथम वर्ष प्रीमियम= नियमित प्रीमियम + एकल प्रीमियम
2) कुल प्रीमियम= प्रथम वर्ष प्रीमियम+ नवीकरण प्रीमियम

जारी... विवरण 5

2014-15 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम

(प्रीमियम ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम					संबद्ध प्रीमियम					असंबद्ध प्रीमियम				
	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल
एइगॉन लाइफ	206.28	1.22	207.50	351.69	559.20	32.95	0.45	33.40	160.48	193.89	173.33	0.77	174.10	191.21	365.31
अवीवा	546.04	10.86	556.89	1239.36	1796.25	113.53	4.71	118.24	615.39	733.63	432.51	6.15	438.65	623.97	1062.62
बजाज अलायंज़	1501.02	1201.07	2702.10	3315.20	6017.30	331.27	643.57	974.84	771.03	1745.88	1169.75	557.50	1727.25	2544.17	4271.42
भारती अक्सा	350.48	123.73	474.20	579.12	1053.32	6.10	1.92	8.02	236.22	244.24	344.37	121.80	466.18	342.90	809.08
बिड़ला सनलाइफ	1896.37	41.57	1937.94	3295.28	5233.22	665.13	12.57	677.70	2322.42	3000.12	1231.24	29.01	1260.25	972.86	2233.10
केनरा एचएसबीसी	336.35	140.63	476.98	1180.04	1657.02	249.22	4.90	254.12	964.08	1218.19	87.13	135.73	222.86	215.96	438.82
डीएचएफएल प्रामेरिका	140.21	439.38	579.59	155.51	735.10	8.54	0.23	8.77	30.38	39.15	131.67	439.15	570.82	125.13	695.95
एडेलवेइस टोकियो	105.30	17.12	122.42	70.66	193.08	17.64	4.95	22.58	5.10	27.69	87.66	12.17	99.84	65.56	165.40
एक्साइड लाइफ	429.09	215.67	644.75	1382.72	2027.48	20.94	9.31	30.25	181.95	212.20	408.15	206.36	614.51	1200.77	1815.28
फ्यूचर जनराली	245.89	6.52	252.41	351.84	604.25	21.80	4.32	26.12	69.72	95.84	224.09	2.20	226.29	282.11	508.40
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	2927.90	2564.20	5492.10	9337.80	14829.90	1845.36	530.68	2376.04	5950.92	8326.96	1082.54	2033.51	3116.06	3386.88	6502.94
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	4573.17	758.96	5332.13	9974.49	15306.62	3884.90	480.25	4365.15	6799.21	11164.35	688.27	278.71	966.98	3175.28	4142.26
आईडीबीआई फेडरल	257.64	226.86	484.50	585.12	1069.62	17.30	105.24	122.54	84.57	207.11	240.34	121.62	361.96	500.56	862.52
इंडियाफर्स्ट	155.67	1383.01	1538.67	495.43	2034.11	91.74	76.24	167.98	444.98	612.96	63.93	1306.77	1370.69	50.45	1421.14
कोटक महिन्द्रा	1061.42	478.76	1540.18	1497.88	3038.05	269.02	137.95	406.98	622.47	1029.45	792.40	340.80	1133.20	875.41	2008.61
मैक्स लाइफ	1924.78	647.82	2572.60	5599.02	8171.62	521.52	38.69	560.21	1553.96	2114.18	1403.26	609.13	2012.39	4045.05	6057.44
पीएनबी मेटलाइफ	812.90	16.16	829.06	1632.12	2461.19	307.22	9.53	316.75	674.92	991.67	505.68	6.63	512.31	957.21	1469.52
रिलायंस निप्पोन	1971.09	98.59	2069.69	2551.40	4621.08	505.52	21.74	527.26	668.46	1195.72	1465.57	76.86	1542.43	1882.93	3425.36
सहारा	10.35	28.10	38.44	128.41	166.86	0.10	2.89	2.99	13.99	16.99	10.24	25.21	35.45	114.42	149.87
एसबीआई लाइफ	3330.72	2198.44	5529.16	7337.95	12867.11	1379.84	555.29	1935.12	3351.78	5286.90	1950.88	1643.15	3594.03	3986.17	7580.21
श्रीराम लाइफ	273.46	225.06	498.52	236.13	734.66	2.04	24.38	26.42	32.65	59.07	271.42	200.68	472.10	203.49	675.59
स्टार यूनियन दाई-ईची	551.74	78.19	629.93	504.75	1134.68	218.41	34.70	253.11	284.37	537.48	333.33	43.48	376.81	220.39	597.20
टाटा एआईए	293.91	18.14	312.05	1810.61	2122.66	54.44	1.44	55.88	631.20	687.08	239.48	16.69	256.17	1179.41	1435.58
निजी कुल	**23901.76**	**10920.05**	**34821.81**	**53612.54**	**88434.35**	**10564.52**	**2705.96**	**13270.48**	**26470.27**	**39740.75**	**13337.24**	**8214.09**	**21551.33**	**27142.28**	**48693.60**
एलआईसी	23112.20	55395.51	78507.72	161159.94	239667.65	0.68	1.36	2.04	1875.01	1877.05	23111.52	55394.15	78505.67	159284.93	237790.60
कुल जोड़	**47013.97**	**66315.56**	**113329.52**	**214772.48**	**328102.01**	**10565.21**	**2707.32**	**13272.53**	**28345.28**	**41617.80**	**36448.76**	**63608.24**	**100057.00**	**186427.20**	**286484.20**

टिप्पणी: 1) प्रथम वर्ष प्रीमियम= नियमित प्रीमियम + एकल प्रीमियम
2) कुल प्रीमियम= प्रथम वर्ष प्रीमियम+ नवीकरण प्रीमियम

विवरण 6

वर्ष 2015-16 के लिए वैयक्तिक मृत्यु दावे

(लाभ राशि करोड़ ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित/ दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		प्रतिलिखित दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण-अवधि वार (पॉलिसियाँ)				
	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	3 महीने	3 - 6 महीने	6 - 1 वर्ष	1 वर्ष	कुल
एइगॉन लाइफ	1	0.10	532	42.54	533	42.64	508	40.15	20	1.12	0	0.00	5	1.37	5	0	0	0	5
					100%	100%	95.31%	94.16%	3.75%	2.63%	-	-	0.94%	3.21%	100.00%				100%
अवीवा	9	2.07	1522	138.54	1531	140.60	1255	101.39	266	36.02	0.00	0.00	10	3.20	10	0	0	0	10
					100%	100%	81.97%	72.11%	17.37%	25.62%	-	-	0.65%	2.27%	100.00%				100%
बजाज अलायंज़	624	36.36	17343	404.30	17967	440.67	16404	352.46	1140	56.47	0.00	0.00	423	31.73	377	46	0	0	423
					100%	100%	91.30%	79.98%	6.34%	12.82%	-	-	2.35%	7.20%	89.13%	10.87%			100%
भारती अक्सा	32	3.29	1229	68.70	1261	71.99	1009	50.79	166	13.66	0.00	0.00	86	7.55	68	18	0	0	86
					100%	100%	80.02%	70.55%	13.16%	18.97%	-	-	6.82%	10.48%	79.07%	20.93%			100%
बिड़ला सनलाइफ	142	17.72	7062	259.79	7204	277.51	6372	215.97	566	37.40	0.00	0.00	266	24.14	225	10	5	26	266
					100%	100%	88.45%	77.82%	7.86%	13.48%	-	-	3.69%	8.70%	84.59%	3.76%	1.88%	9.77%	100%
केनरा एचएसबीसी	18	2.38	553	30.51	571	32.89	531	30.05	36	2.25	0.00	0.00	4	0.59	1	0	1	2	4
					100%	100%	92.99%	91.37%	6.30%	6.83%	-	-	0.70%	1.80%	25.00%		25.00%	50.00%	100%
डीएचएफएल प्रामेरिका	55	2.41	495	16.45	550	18.87	460	13.80	74	4.29	3.00	0.05	13	0.73	13	0	0	0	13
					100%	100%	83.64%	73.14%	13.45%	22.72%	0.55%	0.25%	2.36%	3.89%	100.00%				100%
एडेलवेइस टोकियो	6	1.03	135	15.31	141	16.34	120	14.13	18	2.13	0	0.00	3	0.08	3	0	0	0	3
					100%	100%	85.11%	86.47%	12.77%	13.04%	-	-	2.13%	0.49%	100.00%				100%
एक्साइड लाइफ	48	4.15	3185	76.60	3233	80.75	2889	51.69	327	27.96	0	0.00	17	1.11	17	0	0	0	17
					100%	100%	89.36%	64.01%	10.11%	34.62%	-	-	0.53%	1.37%	100.00%				100%
फ्यूचर जनराली	38	1.75	1492	30.47	1530	32.22	1381	25.93	132	5.50	0.00	0.00	17	0.79	14	1	2	0	17
					100%	100%	90.26%	80.48%	8.63%	17.07%	-	-	1.11%	2.45%	82.35%	5.88%	11.76%		100%
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	275	53.55	12155	378.96	12430	432.51	11811	300.19	540	105.07	0.00	0.00	79	27.25	72	7	0	0	79
					100%	100%	95.02%	69.41%	4.34%	24.29%	-	-	0.64%	6.30%	91.14%	8.86%			100%
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	96	14.14	10938	446.43	11034	460.57	10615	405.63	386	46.70	0.00	0.00	33	8.24	32	0	0	1	33
					100%	100%	96.20%	88.07%	3.50%	10.14%	-	-	0.30%	1.79%	96.97%			3.03%	100%
आईडीबीआई फेडरल	44	3.56	1041	49.55	1085	53.11	920	43.39	145	8.40	0	0.00	20	1.32	19	0	0	1	20
					100%	100%	84.79%	81.69%	13.36%	15.82%	-	-	1.84%	2.49%	95.00%			5.00%	100%
इंडियाफर्स्ट	82	6.14	1809	59.60	1891	65.74	1359	41.35	482	20.75	0	0.00	50	3.64	44	6	0	0	50
					100%	100%	71.87%	62.90%	25.49%	31.56%	-	-	2.64%	5.54%	88.00%	12.00%			100%

टिप्पणी: 1) प्रथम वर्ष प्रीमियम= नियमित प्रीमियम + एकल प्रीमियम
2) कुल प्रीमियम= प्रथम वर्ष प्रीमियम+ नवीकरण प्रीमियम

जारी.....विवरण 6

वर्ष 2015-16 के लिए वैयक्तिक मृत्यु दावे

(लाभ राशि करोड़ ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित/ दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		प्रतिलिखित दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण-अवधि वार (पॉलिसियाँ)				
	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	3 महीने	3 - 6 महीने	6 - 1 वर्ष	1 वर्ष	कुल
कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल	87	8.19	2680	103.86	2767	112.05	2465	93.65	210	11.00	0.00	0.00	92	7.40	21	12	14	45	92
					100%	100%	89.09%	83.58%	7.59%	9.82%	-	-	3.32%	6.60%	22.83%	13.04%	15.22%	48.91%	100%
मैक्स लाइफ	6	2.09	9169	278.97	9175	281.07	8895	261.91	276	16.94	0.00	0.00	4	2.21	4	0	0	0	4
					100%	100%	96.95%	93.19%	3..01%	6.03%	-	-	0.04%	0.79%	100.00%				100%
पीएनबी मेट लाइफ	37	6.74	3057	163.41	3094	170.14	2641	125.42	427	40.93	0	0.00	26	3.80	23	3	0	0	26
					100%	100%	85.36%	73.71%	13.80%	24.06%	-	-	0.84%	2.23%	88.46%	11.54%			100%
रिलायंस लाइफ	1050	32.84	13568	234.11	14618	266.96	13714	220.42	721	35.76	0	0.00	183	10.77	163	7	4	9	183
					100%	100%	93.82%	82.57%	4.93%	13.40%	-	-	1.25%	4.03%	89.07%	3.83%	2.19%	4.92%	100%
सहारा	28	0.29	766	7.41	794	7.70	717	6.95	52	0.45	0	0.00	25	0.29	24	1	0	0	25
					100%	100%	90.30%	90.35%	6.55%	5.85%	-	-	3.15%	3.79%	96.00%	4.00%			100%
एसबीआई लाइफ	470	31.40	15632	437.71	16102	469.10	15037	389.58	767	38.45	0	0.00	298	41.06	120	24	44	110	298
					100%	100%	93.39%	83.05%	4.76%	8.20%	-	-	1.85%	8.75%	40.27%	8.05%	14.77%	36.91%	100%
श्रीराम	220	11.48	2290	75.86	2510	87.35	1512	42.05	726	33.22	0.00	0.00	272	12.07	232	26	5	9	272
					100%	100%	60.24%	48.15%	28.92%	38.04%	-	-	10.84%	13.82%	85.29%	9.56%	1.84%	3.31%	100%
स्टार यूनियन	4	0.33	1361	47.87	1365	48.20	1102	32.48	72	3.54	0.00	0.00	191	12.18	127	55	7	2	191
					100%	100%	80.73%	67.39%	5.27%	7.34%	-	-	13.99%	25.28%	66.49%	28.80%	3.66%	1.05%	100%
टाटा एआईए	37	2.45	3274	89.96	3311	92.41	3205	87.09	106	5.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	96.80%	94.24%	3.20%	5.76%	-	-	-	-					0%
निजी कुल	**3409**	**244.46**	**111288**	**3456.93**	**114697**	**3701.39**	**104922**	**2946.49**	**7655**	**553.33**	**3**	**0.05**	**2117**	**201.52**	**1614**	**216**	**82**	**205**	**2117**
					100%	**100%**	**91.48%**	**79.60%**	**6.67%**	**14.95%**	**0.00%**	**0.00%**	**1.85%**	**5.44%**	**76.24%**	**10.20%**	**3.87%**	**9.68%**	**100%**
एलआईसी	3652	207.63	758331	9929.46	761983	10137.09	749249	9690.17	7502	183.18	1318	21.03	3914	243	693	796	1441	984	3914
					100%	100%	98.33%	95.59%	0.98%	1.81%	0.17%	0.21%	0.51%	2.39%	17.71%	20.34%	36.82%	25.14%	100%
उद्योग कुल	**7061**	**452.09**	**869619**	**13386.39**	**876680**	**13838.48**	**854171**	**12636.66**	**15157**	**736.51**	**1321**	**21.08**	**6031**	**444.23**	**2307**	**1012**	**1523**	**1189**	**6031**
					100%	**100%**	**97.43%**	**91.32%**	**1.73%**	**5.32%**	**0.15%**	**0.15%**	**0.69%**	**3.21%**	**38.25%**	**16.78%**	**25.25%**	**19.71%**	**100%**

टिप्पणी: 1) प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

विवरण 7

वर्ष 2015-16 के लिए सामूहिक मृत्यु दावे

(लाभ की राशि करोड़ ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		प्रतिलिखित दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण अवधि-वार (जीवन)				
	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	3 महीने	3 - 6 महीने	6 - 1 वर्ष	1 वर्ष	कुल
एइगॉन लाइफ	0	0.00	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-					0%
अवीवा	0	0.00	2075	10.85	2075	10.85	2068	10.76	7	0.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.66%	99.16%	0.34%	0.84%	-	-	-	0.00%					0%
बजाज अलायंज़	323	9.16	150211	509.14	150534	518.30	148840	486.44	1595	23.22	0.00	0.00	99	8.64	96	3	0	0	99
					100%	100%	98.87%	93.85%	1.06%	4.48%	-	-	0.07%	1.67%	96.97%	3.03%			100%
भारती अक्सा	0	0.00	209	15.48	209	15.48	175	12.45	28	2.32	0.00	0.00	6	0.71	6	0	0	0	6
					100%	100%	83.73%	80.41%	13.40%	15.01%	-	-	2.87%	4.58%	100.00%				100%
बिड़ला सनलाइफ	0	0.00	2312	113.29	2312	113.29	2309	112.97	3	0.33	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.87%	99.71%	0.13%	0.29%	-	-	-	0.00%					0%
केनरा एचएसबीसी	1	0.00	540	5.35	541	5.35	525	4.33	15	0.72	0.00	0.00	1	0.30	1	0	0	0	1
					100%	100%	97.04%	80.99%	2.77%	13.47%	-	-	0.18%	5.54%	100.00%				100%
डीएचएफएल प्रामेरिका	432	2.25	15525	58.73	15957	60.98	15733	53.29	176	4.60	0.00	0.00	48	3.09	47	1	0	0	48
					100%	100%	98.60%	87.39%	1.10%	7.54%	-	-	0.30%	5.07%	97.92%	2.08%			100%
एडेलवेइस टोकियो	8	0.18	1264	10.74	1272	10.92	1269	10.90	0	0.00	0	0.00	3	0.02	3	0	0	0	3
					100%	100%	99.76%	99.85%	-	-	-	-	0.24%	0.15%	100.00%				100%
एक्साइड लाइफ	0	0.00	698	23.68	698	23.68	697	23.61	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.86%	99.68%	0.14%	0.32%	-	-	-	0.00%					0%
फ्यूचर जनराली	12435	18.12	191	29.23	12626	47.34	198	24.69	0	0.00	0.00	0.00	12428	22.65	10	3	1	12414	12428
					100%	100%	1.57%	52.16%	-	-	-	-	98.43%	47.84%	0.08%	0.02%	0.01%	99.89%	100%
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0	0.00	13814	115.22	13814	115.22	13742	106.33	72	8.89	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.48%	92.28%	0.52%	7.72%	-	-	-	0.00%					0%
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	8	1.96	1876	81.09	1884	83.05	1876	81.12	-3	-0.41	0.00	0.00	11	2.34	6	0	0	5	11
					100%	100%	99.58%	97.68%	-0.16%	-0.49%	-	-	0.58%	2.81%	54.55%			45.45%	100%
आईडीबीआई फेडरल	1	0.13	1755	19.06	1756	19.19	1753	18.43	3	0.30	0	0.00	0	0.46	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.83%	96.04%	0.17%	1.55%	-	-	-	2.41%					0%
इंडियाफर्स्ट	28	1.10	6486	117.30	6514	118.40	6197	108.91	288	8.10	0	0.00	29	1.39	24	1	0	4	29
					100%	100%	95.13%	91.98%	4.42%	6.84%	-	-	0.45%	1.18%	82.76%	3.45%		13.79%	100%

टिप्पणी: 1) प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

जारी.....विवरण 7

वर्ष 2015-16 के लिए सामूहिक मृत्यु दावे

(लाभ की राशि करोड़ ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		प्रतिलिखित दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण अवधि-वार (जीवन)				
	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	3 महीने	3 - 6 महीने	6 - 1 वर्ष	1 वर्ष	कुल
कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल	44	3.10	34728	282.73	34772	285.83	34501	272.03	204	9.12	0.00	0.00	67	4.69	11	10	24	22	67
					100%	100%	99.22%	95.17%	0.59%	3.19%	-	-	0.19%	1.64%	16.42%	14.93%	35.82%	32.84%	100%
मैक्स लाइफ	1	0.53	3702	47.84	3703	48.36	3688	46.40	15	1.96	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.59%	95.95%	0.41%	4.05%	-	-	-	0.00%					0%
पीएनबी मेट लाइफ	4	0.22	1923	132.93	1927	133.15	1915	132.26	11	0.48	0	0.00	1	0.41	1	0	0	0	1
					100%	100%	99.38%	99.33%	0.57%	0.36%	-	-	0.05%	0.31%	100.00%				100%
रिलायंस लाइफ	3	0.06	6386	51.41	6389	51.47	6354	50.26	19	0.73	0	0.00	16	0.48	14	1		1	16
					100%	100%	99.45%	97.65%	0.30%	1.41%	-	-	0.25%	0.94%	87.50%	6.25%		6.25%	100%
सहारा	0	0.00	69	0.07	69	0.07	67	0.07	0	0.00	0	0.00	2	0.00	2	0	0	0	2
					100%	100%	97.10%	97.10%	-	-	-	-	2.90%	2.90%	100.00%				100%
एसबीआई लाइफ	179	8.46	19753	525.66	19932	534.12	19523	510.08	273	16.69	0	0.00	136	7.35	76	19	8	33	136
					100%	100%	97.95%	95.50%	1.37%	3.12%	-	-	0.68%	1.38%	55.88%	13.97%	5.88%	24.26%	100%
श्रीराम	0	0.00	14589	96.20	14589	96.20	14575	95.77	14	0.43	0.00	0.00	0	0.00					0
					100%	100%	99.90%	99.56%	0.10%	0.44%	-	-	-	0.00%					0%
स्टार यूनियन	0	0.19	5081	88.42	5081	88.61	4740	80.29	32	1.64	0.00	0.00	309	6.68	242	53	14	0	309
					100%	100%	93.29%	90.61%	0.63%	1.85%	-	0.00%	6.08%	7.54%	78.32%	17.15%	4.53%		100%
टाटा एआईए	36	1.92	1142	61.76	1178	63.69	1147	61.51	31	2.17	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	97.37%	96.59%	2.63%	3.40%	-	-	-	0.01%					0%
निजी कुल	**13503**	**47.38**	**284330**	**2396.28**	**297833**	**2443.66**	**281893**	**2303.00**	**2784**	**81.44**	**0**	**0.00**	**13156**	**59.22**	**539**	**91**	**47**	**12479**	**13156**
					100%	**100%**	**94.65%**	**94.24%**	**0.93%**	**3.33%**	**-**	**0.00%**	**4.42%**	**2.42%**	**4.10%**	**0.69%**	**0.36%**	**94.85%**	**100%**
एलआईसी	885	7.31	246619	2495.62	247504	2502.93	246745	2494.03	101	0.50	0	0.00	658	8.40	120	47	70	421	658
					100%	100%	99.69%	99.64%	0.04%	0.02%	-	-	0.27%	0.34%	18.24%	7.14%	10.64%	63.98%	100%
उद्योग कुल	**14388**	**54.69**	**530949**	**4891.90**	**545337**	**4946.59**	**528638**	**4797.03**	**2885**	**81.94**	**0**	**0.00**	**13814**	**67.62**	**659**	**138**	**117**	**12900**	**13814**
					100%	**100%**	**96.94%**	**96.98%**	**0.53%**	**1.66%**	**-**	**0.00%**	**2.53%**	**1.37%**	**4.77%**	**1.00%**	**0.85%**	**93.38%**	**100%**

टिप्पणी: 1) प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

विवरण 8

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	जीवन निधि											
	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास और बुनियादी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (जीवन निधि)	
	31.03.2016	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**
एइगॉन रेलिगेर	469.94	317.64	7.44	4.68	192.78	109.97	74.34	64.87	1.01	35.94	745.51	533.10
अवीवा	2367.60	1856.75	138.99	139.02	798.23	596.10	254.54	246.97	0.00	0.01	3559.36	2838.85
बजाज अलायंज़	11331.19	9881.46	1117.83	1427.01	3722.47	3200.89	3635.21	2901.38	247.78	136.11	20054.48	17546.85
भारती अक्सा	458.78	278.25	231.50	186.45	265.84	149.64	359.70	250.88	71.18	32.59	1387.00	897.81
बिड़ला सनलाइफ	2615.63	1995.60	77.95	77.96	1195.58	1079.14	586.14	552.11	480.18	103.36	4955.48	3808.17
केनरा एचएसबीसी	1005.68	833.20	31.51	31.35	618.06	395.34	93.42	70.36	109.80	72.47	1858.47	1402.72
डीएचएफएल प्रामेरिका	688.97	576.39	57.99	20.27	379.39	302.81	149.77	120.27	6.44	3.33	1282.56	1023.08
एडेलवेइस टोकियो	287.22	168.86	0.00	0.00	298.08	74.19	556.02	404.92	108.59	20.33	1249.91	668.30
एक्साइड लाइफ	3527.82	2576.99	177.78	165.87	1166.29	1180.56	849.86	766.16	121.40	92.88	5843.15	4782.46
फ्यूचर जनराली	671.07	557.79	165.53	195.47	295.95	378.92	384.83	327.09	19.46	2.33	1536.84	1461.60
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	10596.93	8067.26	474.75	292.74	3711.23	3513.82	5308.53	4159.49	1009.63	279.76	21101.07	16313.07
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	12585.83	10431.94	1176.79	527.10	4145.91	3500.40	4779.58	4590.95	492.53	186.52	23180.64	19236.91
आईडीबीआई फेडरल	1342.37	1069.31	227.58	151.00	593.71	575.95	637.84	466.51	12.48	0.00	2813.98	2262.76
इंडियाफर्स्ट	440.80	323.25	86.99	61.41	212.48	132.44	191.77	143.12	8.73	1.25	940.77	661.47
कोटक महिन्द्रा	4341.62	2927.05	69.39	192.40	1049.43	865.47	979.10	860.33	259.00	171.12	6698.54	5016.37
मैक्स लाइफ	13521.13	10230.86	1350.40	1289.68	3468.72	2832.14	3474.23	2544.62	126.85	92.68	21941.33	16989.97
पीएनबी मेटलाइफ	3725.39	3424.25	210.71	154.09	1520.00	1285.19	1166.58	346.39	0.00	0.00	6622.68	5209.91
रिलायंस	4210.02	2476.41	431.02	827.34	1846.97	1512.09	1366.35	1038.34	163.77	144.69	8018.13	5998.86
सहारा	318.76	289.99	202.72	188.71	300.87	244.14	92.59	96.96	36.01	31.21	950.95	851.01
एसबीआई लाइफ	11741.14	9123.22	777.26	889.25	4203.34	3365.59	4847.37	3449.26	879.66	182.93	22448.77	17010.24
श्रीराम लाइफ	384.17	423.66	247.49	118.40	224.89	203.20	371.04	241.70	178.78	107.20	1406.37	1094.16
स्टार यूनियन दाई-ईची	884.62	685.29	86.30	86.35	291.30	244.20	380.07	170.72	17.61	1.64	1659.90	1188.20
टाटा एआईए	6431.51	5878.60	343.94	325.94	2009.89	1702.44	1395.95	770.83	0.00	6.55	10181.29	8684.36
निजी कुल	**93948.19**	**74394.02**	**7691.86**	**7352.49**	**32511.41**	**27444.61**	**31934.83**	**24584.24**	**4350.89**	**1704.90**	**170437.18**	**135480.26**
एलआईसी	602617.50	548898.83	369746.35	321376.39	153600.13	147066.38	372257.61	317999.04	28794.17	24488.24	1527015.76	1359828.88
उद्योग कुल	**696565.69**	**623292.85**	**377438.21**	**328728.88**	**186111.54**	**174510.99**	**404192.44**	**342583.28**	**33145.06**	**26193.14**	**1697452.94**	**1495309.14**

जारी... विवरण 8

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	पेंशन और सामान्य वार्षिकी और सामूहिक निधि							
	केन्द्र सरकार-प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		अनुमोदित निवेश		कुल (पेंशन तथा सामान्य वार्षिकी और सामूहिक निधि)	
	31.03.2016	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**
एड्गॉन रेलिगेर	3.80	3.74	0.35	0.35	1.14	0.23	5.29	4.32
अवीवा	191.42	352.33	1.02	1.02	195.58	312.65	388.02	666.01
बजाज अलायंज़	1501.96	1383.15	595.84	336.22	2511.24	2246.41	4609.04	3965.78
भारती अक्सा	56.84	48.98	54.18	18.77	153.34	87.82	264.36	155.57
बिड़ला सनलाइफ	953.87	728.60	98.91	85.25	1406.41	1027.61	2459.19	1841.46
केनरा एचएसबीसी	378.82	243.69	93.33	83.40	610.22	433.57	1082.37	760.66
डीएचएफएल प्रामेरिका	259.80	128.78	5.02	5.02	257.23	134.48	522.05	268.28
एडेलवेइस प्रामेरिका	18.59	14.83	0.00	0.00	14.98	7.38	33.57	22.21
एक्साइड लाइफ	664.17	573.28	99.08	103.65	687.53	681.59	1450.78	1358.52
फ्यूचर जनराली	105.95	101.21	96.08	52.83	231.15	159.75	433.18	313.79
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	2711.60	1794.90	624.51	599.15	4084.92	3374.96	7421.03	5769.01
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	2209.97	2138.75	166.19	257.57	937.89	1465.21	3314.05	3861.53
आईडीबीआई फेडरल	79.70	56.25	84.28	53.58	134.37	131.10	298.35	240.93
इंडियाफर्स्ट	1976.01	1445.47	574.60	544.17	2158.30	1751.33	4708.91	3740.97
कोटक महिन्द्रा	229.48	171.18	75.25	42.30	222.16	140.96	526.89	354.44
मैक्स लाइफ	418.13	323.86	70.25	56.99	221.49	190.22	709.87	571.07
पीएनबी मेटलाइफ	78.10	130.83	0.97	5.99	91.32	85.86	170.39	222.68
रिलायंस	154.00	305.6002	73.96	165.82	193.98	569.74	421.94	1041.15
सहारा	2.58	2.68	0.00	0.00	0.28	0.43	2.86	3.11
एसबीआई लाइफ	9288.70	7689.10	2611.23	2337.14	9085.13	8927.19	20985.06	18953.43
श्रीराम लाइफ	71.79	68.72	36.74	13.11	161.98	110.36	270.51	192.19
स्टार यूनियन दाई-ईची	372.47	282.34	137.29	115.99	370.47	375.64	880.23	773.97
टाटा एआईए	295.94	262.92	23.84	36.9600	261.72	279.05	581.50	578.93
निजी कुल	**22023.69**	**18251.19**	**5522.92**	**4915.27**	**23992.83**	**22493.55**	**51539.44**	**45660.00**
एलआईसी	112460.06	81411.04	145244.51	96910.06	154959.34	165491.47	412663.91	343812.57
उद्योग कुल	**134483.75**	**99662.23**	**150767.43**	**101825.33**	**178952.17**	**187985.02**	**464203.35**	**389472.57**

जारी... विवरण 8

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	यूनिट सहबद्ध निधि							
	अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (यूलिप निधियाँ)		कुल (सभी निधियाँ)	
	31.03.2016	**31.3.2015**	**31.03.2016**	**31.3.2015**	**31.03.2016**	**31.3.2015**	**31.03.2016**	**31.3.2015**
एइगॉन रेलिगेर	993.02	1129.02	41.12	46.28	1034.14	1175.31	1784.94	1712.73
अवीवा	4768.04	5536.92	36.61	80.94	4804.65	5617.85	8752.03	9122.71
बजाज अलायंज़	18430.99	20429.20	790.47	1215.84	19221.46	21645.04	43884.98	43157.67
भारती अक्सा	1321.22	1741.65	104.00	167.20	1425.22	1908.85	3076.58	2962.23
बिड़ला सनलाइफ	22044.12	23348.63	1284.15	1046.77	23328.27	24395.40	30742.94	30045.03
केनरा एचएसबीसी	6375.65	7239.68	469.16	380.33	6844.81	7620.01	9785.65	9783.39
डीएचएफएल प्रामेरिका	220.71	249.54	2.48	1.91	223.19	251.44	2027.80	1542.80
एडेलवेइस टोकियो	104.45	54.69	9.62	4.92	114.07	59.61	1397.55	750.13
एक्साइड लाइफ	2010.05	2310.07	142.01	158.71	2152.06	2468.78	9445.99	8609.76
फ्यूचर जनराली	661.56	865.71	30.47	12.84	692.03	878.55	2662.05	2653.94
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	44037.25	43332.60	1689.76	1587.72	45727.01	44920.32	74249.11	67002.40
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	73655.26	73437.94	1640.52	1339.59	75295.78	74777.54	101790.47	97875.98
आईडीबीआई फेडरल	1614.90	1743.13	11.24	13.42	1626.14	1756.55	4738.47	4260.24
इंडिया फर्स्ट	3227.69	3490.13	19.68	105.36	3247.37	3595.49	8897.05	7997.93
को	8998.39	9048.67	552.86	631.44	9551.25	9680.11	16776.68	15050.92
कोटक महिन्द्रा	12451.46	12742.31	702.33	657.26	13153.79	13399.57	35804.99	30960.61
पीएनबी मेटलाइफ	6594.22	7273.07	88.11	30.54	6682.33	7303.62	13475.40	12736.20
रिलायंस	7055.17	8293.98	440.50	493.77	7495.67	8787.75	15935.74	15827.76
सहारा	188.08	267.99	0.59	3.54	188.67	271.53	1142.48	1125.65
एसबीआई लाइफ	34227.88	33994.08	1794.01	815.99	36021.89	34810.07	79455.72	70773.75
श्रीराम लाइफ	818.72	1027.09	43.80	36.59	862.52	1063.68	2539.40	2350.03
स्टार यूनियन दाई-ईची	2989.91	3389.13	65.61	33.49	3055.52	3422.62	5595.65	5384.79
टाटा एआईए	7961.07	10021.27	263.83	238.42	8224.90	10259.69	18987.69	19522.98
निजी कुल	**260749.81**	**270966.49**	**10222.93**	**9102.88**	**270972.74**	**280069.37**	**492949.36**	**461209.63**
एलआईसी	68224.31	81404.95	1214.95	1266.15	69439.26	82671.10	2009118.93	1786312.55
उद्योग कुल	**328974.12**	**352371.44**	**11437.88**	**10369.03**	**340412.00**	**362740.47**	**2502068.29**	**2247522.18**

विवरण 9

जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2016 को	विदेशी प्रवर्तक	भारतीय प्रवर्तक	एफडीआई
एइगॉन लाइफ	1310.50	48.94	1359.44	666.13	693.31	49.00%
अवीवा लाइफ	2004.90	0.00	2004.90	521.27	1483.63	26.00%
बजाज अलायंज़	150.70	0.00	150.70	39.18	111.52	26.00%
भारती अक्सा	2115.70	170.50	2286.20	1120.24	1165.96	49.00%
बिड़ला सनलाइफ	1901.21	0.00	1901.21	494.31	1406.90	26.00%
केनरा एचएसबीसी	950.00	0.00	950.00	247.00	703.00	26.00%
डीएचएफएल प्रामेरिका	374.06	0.00	374.06	97.26	276.80	26.00%
एडेलवेइस टोकियो	180.29	81.30	261.59	128.18	133.41	49.00%
एक्साइड लाइफ	1750.00	0.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00%
फ्यूचर जनराली	1452.00	0.00	1452.00	370.26	1081.74	25.50%
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	1994.88	0.41	1995.29	518.67	1476.62	25.99%
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	1431.72	0.60	1432.32	370.78	1061.53	25.89%
आईडीबीआई फेडरल	799.78	0.11	799.89	208.00	591.89	26.00%
इंडियाफर्स्ट	475.00	150.00	625.00	162.50	462.50	26.00%
कोटक महिन्द्रा	510.29	0.00	510.29	132.68	377.61	26.00%
मैक्स लाइफ	1918.81	0.00	1918.81	479.70	1439.11	25.00%
पीएनबी मेटलाइफ	2012.88	0.00	2012.88	523.35	1489.53	26.00%
रिलायंस निप्पोन	1196.32	0.00	1196.32	586.20	610.12	49.00%
सहारा	232.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00%
एसबीआई लाइफ	1000.00	0.00	1000.00	260.00	740.00	26.00%
श्रीराम लाइफ	175.00	0.05	175.05	0.00	175.05	0.00%
स्टार यूनियन दाई-ईची	250.00	0.00	250.00	65.00	185.00	26.00%
टाटा एआईए	1953.50	0.00	1953.50	507.91	1445.59	26.00%
कुल (निजी क्षेत्र)	**26139.55**	**451.91**	**26591.46**	**7498.63**	**19092.83**	**28.20%**
एलआईसी	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00%
कुल (जीवन)	**26239.55**	**451.91**	**26691.46**	**7498.63**	**19192.83**	**28.09%**

विवरण 10

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में जीवन बीमाकर्ताओं का तिमाही शोधक्षमता अनुपात

क्रम सं.	जीवन बीमाकर्ता का नाम	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015	31.03.2016
1	एइगॉन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1.97	2.21	1.70	2.20
2	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.92	3.93	3.89	3.84
3	बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	7.87	8.09	7.97	7.93
4	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.00	1.62	1.69	2.19
5	बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.14	2.14	2.11	2.11
6	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	3.53	3.84	4.04	4.11
7	डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	12.79	13.12	12.15	10.31
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.27	2.58	2.42	2.64
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.74	2.52	2.42	2.65
10	फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.73	2.58	2.35	2.03
11	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.08	2.04	1.95	1.98
12	आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.40	3.28	3.20	3.20
13	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	5.13	4.85	4.80	4.06
14	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1.63	1.58	2.16	2.17
15	कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.21	3.16	3.20	3.11
16	भारतीय जीवन बीमा निगम	1.52	1.56	1.55	1.55
17	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	4.27	4.01	4.02	3.43
18	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	2.18	2.18	2.18	2.11
19	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.65	3.68	3.62	3.04
20	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	8.15	8.05	8.24	8.04
21	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.10	2.15	2.16	2.12
22	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.41	3.29	2.98	2.43
23	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1.71	1.77	1.89	1.86
24	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.62	3.61	3.53	3.48

स्रोत: जीवन बीमाकर्ताओं की बीएपी प्रस्तुतियाँ

विवरण 11

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बजाज अलायंज़	--	141.96	296.48	476.53	851.62	1272.29	1786.34	2379.92	2619.29	2482.33	2869.96	3286.62	4001.4	4516.44	5229.84	5832.15
भारती अक्सा	--	--	--	--	--	--	--	--	28.50	310.82	553.90	884.00	1218.43	1423.15	1457.06	1274.41
चोलामंडलम	--	--	14.79	97.05	169.25	220.18	311.73	522.34	685.44	784.85	967.99	1346.54	1620.89	1855.11	1890.43	2452.00
फ्यूचर जनराली	--	--	--	--	--	--	--	9.81	186.49	376.61	600.16	919.76	1105.39	1262.55	1438.24	1555.26
एचडीएफसी एर्गो	--	--	9.49	112.95	175.63	200.94	194.00	220.60	339.21	915.40	1279.91	1839.46	2453.2	2906.98	3182.2	3379.55
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	--	28.13	211.66	486.73	873.86	1582.86	2989.07	3307.12	3402.04	3295.06	4251.87	5150.14	6133.99	6856.16	6677.79	8090.71
इफ़्को टोकियो	5.83	70.51	213.33	322.24	496.64	892.72	1144.47	1128.15	1374.06	1457.84	1783.18	1975.24	2565.03	2930.92	3329.96	3691.33
कोटक महिन्द्रा				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71
एल एण्ड टी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.24	143.40	182.07	253.78	331.71	473.39
रहेजा क्यूबीई	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.32	4.90	14.79	21.3	23.23	21.62	28.76
रिलायंस	1.07	77.46	185.68	161.06	161.68	162.33	912.23	1946.42	1914.88	1979.65	1655.43	1712.55	2010.01	2388.82	2715.83	2791.56
रॉयल सुंदरम	0.24	71.13	184.44	257.76	330.70	458.64	598.20	694.41	803.36	913.11	1143.99	1479.79	1560	1437.04	1569.2	1694.12
एसबीआई	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43.02	250.14	770.85	1187.57	1576.9	2039.85
श्रीराम	--	--	--	--	--	--	--	--	113.76	416.93	780.89	1266.44	1541.38	1510.59	1496.51	1712.27
टाटा एआईजी	--	78.46	233.93	343.52	448.24	572.70	710.55	782.64	823.92	853.80	1173.09	1641.57	2135.08	2362.71	2714.13	2958.56
यूनिवर्सल सोम्पो	--	--	--	--	--	--	--	0.48	30.14	189.28	299.10	404.58	534.35	540.44	701.1	903.79
मैगमा एचडीआई												0.00	95.14	424.93	473.59	403.94
लिबर्टी वीडियोकॉन												0.00	2.19	129.81	283.85	408.72
निजी क्षेत्र	**7.14**	**467.65**	**1349.80**	**2257.83**	**3507.62**	**5362.66**	**8646.57**	**10991.89**	**12321.09**	**13977.00**	**17424.63**	**22315.03**	**27950.70**	**32010.30**	**35089.96**	**39694.07**
		(6453.98)	**(188.64)**	**(67.27)**	**(55.35)**	**(52.89)**	**(61.24)**	**(27.12)**	**(12.09)**	**(13.44)**	**(24.67)**	**(28.07)**	**(25.26)**	**(14.52)**	**(9.59)**	**(13.12)**
नेशनल	2227.73	2439.41	2869.87	3399.97	3810.65	3536.34	3827.12	4021.97	4295.85	4645.99	6245.17	7815.69	9194.6122	10260.96	11282.62	12018.98
न्यू इंडिया	3493.05	4198.06	4812.79	4921.47	5103.16	5675.54	5936.78	6151.97	6455.79	7099.14	8225.51	10073.88	11873.4881	13727.6	15480.35	17763.31
ओरियन्टल	2247.10	2498.64	2868.15	2899.74	3090.55	3609.77	4020.78	3900.22	4077.89	4854.67	5569.88	6194.60	6737.6574	7282.53	7561.92	8611.59
युनाइटेड	2524.00	2781.48	2969.63	3063.47	2944.46	3154.78	3498.77	3739.56	4277.77	5239.05	6376.66	8179.29	9266.0376	9708.93	10691.73	12250.36
सरकारी क्षेत्र	10491.88	11917.59	13520.44	14284.65	14948.82	15976.44	17283.45	17813.71	19107.31	21838.85	26417.21	32263.46	37071.7953	40980.06	45016.62	50644.24
	--	(13.59)	(13.45)	(5.65)	(4.65)	(6.87)	(8.18)	(3.07)	(7.26)	(14.30)	(20.96)	(22.13)	(14.90)	(10.54)	(9.85)	(12.50)
सरकारी और निजी कुल	**10499.02**	**12385.24**	**14870.25**	**16542.49**	**18456.45**	**21339.10**	**25930.02**	**28805.60**	**31428.40**	**35815.85**	**43841.84**	**54578.49**	**65022.4953**	**72990.36**	**80106.58**	**90338.31**
	--	**(17.97)**	**(20.06)**	**(11.25)**	**(11.57)**	**(15.62)**	**(21.51)**	**(11.09)**	**(9.11)**	**(13.96)**	**(22.41)**	**(24.49)**	**(19.14)**	**(12.12)**	**(9.74)**	**(12.77)**
एआईसी	--	--	--	369.21	549.72	555.83	564.67	835.11	833.44	1520.40	1950.05	2576.85	3297.42	3395.00	2739.69	3521.22
ईसीजीसी	--	338.52	374.78	445.48	515.55	577.33	617.66	668.37	744.68	813.00	885.47	1004.83	1157.25	1303.72	1362.39	1320.73
विशेषीकृत बीमाकर्ता	**0.00**	**338.52**	**374.78**	**814.70**	**1065.26**	**1133.17**	**1182.33**	**1503.47**	**1578.12**	**2333.39**	**2835.52**	**3581.68**	**4454.67**	**4698.72**	**4102.08**	**4841.95**
	--	**--**	**(10.71)**	**(117.38)**	**(30.76)**	**(6.37)**	**(4.34)**	**(27.16)**	**(4.96)**	**(47.86)**	**(21.52)**	**(26.31)**	**(24.37)**	**(5.48)**	**(-12.7)**	**(18.04)**
अपोलो म्यूनिख	--	--	--	--	--	--	--	2.97	48.14	114.66	282.69	475.64	619.99	692.47	803.12	1022.18
सिगना टीटीके														0.33	21.82	143.82
मैक्स बूपा	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.13	25.53	99.08	207.22	308.85	372.65	476.01
रेलिगेर हेल्थ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.79	152.30	275.80	503.32
स्टार हेल्थ	--	--	--	--	--	--	22.51	168.19	509.86	961.65	1227.55	1085.06	860.21	1091.07	1469.19	2007.34
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22.51**	**171.16**	**558.01**	**1076.44**	**1535.77**	**1659.78**	**1726.21**	**2245.02**	**2942.58**	**4152.67**
	--	--	--	--	--	--		660.34	226.02	92.91	42.67	8.08	4.00	30.05	31.07	41.12
	--	--	--	--	--	--	(0)	(660.34)	(226.02)	(92.91)	(42.67)	(8.08)	(4)	(30.05)	(31.07)	(41.12)
कुल योग	**10499.02**	**12723.76**	**15245.02**	**17357.18**	**19521.71**	**22472.27**	**27134.86**	**30480.23**	**33564.52**	**39225.68**	**48213.12**	**59819.96**	**71203.38**	**79934.14**	**87151.24**	**99332.93**
	(0)	**(21.19)**	**(19.82)**	**(13.85)**	**(12.47)**	**(15.11)**	**(20.75)**	**(12.33)**	**(10.12)**	**(16.87)**	**(22.91)**	**(24.07)**	**(19.03)**	**(12.26)**	**(9.03)**	**(13.98)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।

-- निरूपित करता है कि व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया है।

विवरण 12

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के अंदर)

(₹ लाख)

बीमाकर्ता/ खंड	फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
निजी बीमाकर्ता												
बजाज अलायंज़	43098	47627	12308	14154	291838	327729	79751	94225	95991	99481	522985	583215
भारती अक्सा	7793	6236	3206	2592	109352	101991	17623	9937	7732	6686	145707	127442
चोलामंडलम	12434	20468	6413	7571	127909	166761	23797	31136	18490	19264	189043	245200
फ्यूचर जनराली	13312	16200	5779	6114	82810	92785	18930	20405	22994	20023	143825	155526
एचडीएफसी एरगो	37469	42171	10669	10440	105165	117430	94285	109288	70633	58625	318221	337955
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	54474	63270	24643	29980	341581	414981	155049	166284	92033	134555	667780	809071
इफ़्को टोकियो	23240	26595	11394	11673	214197	240714	39039	48178	45127	41973	332997	369133
कोटक महिन्द्रा	-	0	-	0	-	362	-	9	-	0	-	371
एल एण्ड टी	4181	6009	946	1448	20486	30194	4856	6837	2702	2851	33171	47339
रहेजा क्यूबीई	62	77	0	3	42	543	32	15	2027	2238	2163	2876
रिलायंस	18932	25908	4599	5079	164254	166053	51970	56457	31829	25660	271584	279156
रॉयल सुंदरम	7958	9409	3403	3320	115943	127391	24205	23595	5411	5696	156920	169412
एसबीआई	51469	61535	1751	2220	53865	70794	38694	51678	11911	17757	157690	203985
श्रीराम	1595	1971	76	128	146131	166641	562	657	1288	1829	149652	171227
टाटा एआईजी	34863	38494	24905	26543	122458	141136	37928	39840	51260	49842	271414	295855
यूनिवर्सल सोम्पो	11924	13103	1614	1687	25130	31577	13891	14845	17551	29167	70111	90379
मैगमा एचडीआई	2978	2913	1081	1239	40119	33448	134	177	3048	2618	47360	40394
लिबर्टी वीडियोकॉन	1941	2780	367	797	19216	27447	5405	6985	1457	2863	28386	40872
निजी बीमाकर्ता कुल	**327722**	**384765**	**113153**	**124989**	**1980497**	**2257979**	**606151**	**680547**	**481483**	**521129**	**3509009**	**3969408**
सरकारी बीमाकर्ता												
नेशनल	92133	89655	29859	25835	517748	566460	389597	428410	94852	87247	1124189	1197607
न्यू इंडिया	164489	169184	66528	61753	536601	617729	412739	505864	140583	160422	1320940	1514951
ओरियन्टल	96161	98403	39793	42033	286170	315064	220022	277815	98649	98159	740796	831474
युनाइटेड	125149	131139	52673	43828	416917	472854	340887	437828	133547	139387	1069173	1225036
सरकारी बीमाकर्ता कुल	**477933**	**488380**	**188853**	**173449**	**1757435**	**1972107**	**1363246**	**1649918**	**467631**	**485215**	**4255097**	**4769068**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल												
अपोलो म्यूनिख	-	-	-	-	-	-	80313	102218	-	-	80313	102218
सिगना टीटीके	-	-	-	-	-	-	2183	14382	-	-	2183	14382
मैक्स बूपा	-	-	-	-	-	-	37266	47601	-	-	37266	47601
रेलिगेर	-	-	-	-	-	-	27580	50332	-	-	27580	50332
स्टार हेल्थ	-	-	-	-	-	-	146919	200734	-	-	146919	200734
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**294261**	**415267**			**294261**	**415267**
विशेषीकृत बीमाकर्ता												
ईसीजीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	136240	132073	136240	132073
एआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-	273970	352122	273970	352122
विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**410210**	**484195**	**410210**	**484195**
कुल जोड़	**805654**	**873146**	**302006**	**298437**	**3737932**	**4230085**	**2263657**	**2745731**	**1359324**	**1490539**	**8468577**	**9637938**

टिप्पणी: स्वास्थ्य बीमा में यात्रा और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा शामिल है।

विवरण 13

स्वास्थ्य बीमा (यात्रा - देशी/ विदेशी और वैयक्तिक दुर्घटना को छोड़कर)
सकल प्रीमियम और सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या (2015-16)

(पॉलिसियों की वास्तविक संख्या) (व्यक्तियों की संख्या '000 में) (सकल प्रीमियम लाख ₹ में)

बीमा कंपनी का नाम	सरकार प्रायोजित योजनाएँ आरएसबीवाई सहित			सामूहिक बीमा योजनाएँ सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर			वैयक्तिक परिवार फ्लोटर			वैयक्तिक परिवार फ्लोटर को छोड़कर वैयक्तिक			कुल		
	पॉलिसियों की सं.	सम्मिलित व्यक्तियों की सं.	सकल प्रीमियम	पॉलिसियों की सं.	सम्मिलित व्यक्तियों की सं.	सकल प्रीमियम	पॉलिसियों की सं.	सम्मिलित व्यक्तियों की सं.	सकल प्रीमियम	पॉलिसियों की सं.	सम्मिलित व्यक्तियों की सं.	सकल प्रीमियम	पॉलिसियों की सं.	सम्मिलित व्यक्तियों की सं.	सकल प्रीमियम
बजाज अलायंज़				2211	1210	36882	170740	500	14978	262597	457	20765	435548	2167	72625
भारती अक्सा				1474	282	7394				19528	36	924	21002	318	8319
चोला एमएस	9	1874	1141	11332	1447	15519	40043	136	2099	26723	37	1477	78107	3494	20236
फ्यूचर जनराली		3976	594	868	297	11231	16105	65	1389	14028	27	954	31001	4364	14167
एचडीएफसी एरगो		71		1257	348	10333	172931	435	18179	282337	244	28630	456525	1098	57142
आईसीआईसीआई लोंबार्ड	52	19200	3489	3497	2518	62437	109928	315	17350	653053	664	58491	766530	22697	141767
इफ़्को टोकियो	28	5226	7536	982	1606	26639	81819	317	5890	60868	85	2784	143697	7234	42849
कोटक जनरल							56	0.16	5	71	0.08	4	127	0.24	9
लिबर्टी वीडियोकॉन				424	223	5548	1436	4	162	4088	4	186	5948	231	5897
एलएण्डटी जनरल	8	606	702	84	89	961	37294	113	2564	33148	45	2329	70534	852	6556
मैगमा एचडीआई										1	0.001	0.05	1	0.001	0.05
रहेजा क्यूबीई										84	0.08	2	84	0.08	2
रिलायंस	34	17074	25813	898	1878	18321	52724	162	4858	25581	27	1974	79237	19141	50966
रॉयल सुंदरम				576	388	6700	71419	184	5199	109832	230	7757	181827	802	19656
एसबीआई जनरल				3860	2137	20611	2649	16	238	20821	26	709	27330	2179	21558
श्रीराम जनरल															
टाटा एआईजी	10	1526	3567	1574	423	3543	102745	224	4092	38762	56	4828	143091	2229	16030
यूनिवर्सल सोंपो				3873	762	7184	170328	369	6158	684	1	14	174885	1132	13356
निजी कुल	**141**	**49552**	**42841**	**32910**	**13608**	**233304**	**1030217**	**2839**	**83162**	**1552206**	**1940**	**131827**	**2615474**	**67938**	**491134**
नेशनल	21	75493	86903	10021	5262	182105	584809	1620	32715	1154480	2727	101438	1749331	85102	403161
न्यू इंडिया	106	62039	67200	14726	10508	245391	480488	1613	42584	1210877	2965	128358	1706197	77124	483532
ओरियन्टल	8	2469	1435	223061	5410	160471	756652	2046	65221	449703	910	33671	1429424	10835	260798
युनाइटेड इंडिया	142	79670	47041	99502	19706	270817	304349	1440	31243	789670	2686	62473	1193663	103502	411574
सरकारी कुल	**277**	**219671**	**202578**	**347310**	**40886**	**858784**	**2126298**	**6719**	**171763**	**3604730**	**9288**	**325940**	**6078615**	**276563**	**1559065**
अपोलो म्यूनिख				1036	1090	29800	330059	1068	42469	244925	375	22236	576020	2533	94505
सिगना टीटीके				5	9	5421	33903	102	4842	32681	33	3319	66589	144	13582
मैक्स बूपा	3	1046	425	135	317	3852	134069	372	16180	130861	306	27098	265068	2040	47555
रेलिगेर	0	86	26	1728	635	16760	114297	360	14944	106582	116	12790	222607	1198	44520
स्टार हेल्थ	12	2917	1534	5444	496	14131	1316551	4394	130364	669551	740	48363	1991558	8547	194392
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**15**	**4049**	**1985**	**8348**	**2546**	**69964**	**1928879**	**6297**	**208801**	**1184600**	**1570**	**113806**	**3121842**	**14461**	**394555**
कुल जोड़	**433**	**273272**	**247404**	**388568**	**57039**	**1162052**	**5085394**	**15855**	**463725**	**6341536**	**12797**	**571573**	**11815931**	**358962**	**2444754**

विवरण 14

उपगत दावा अनुपात - सरकारी क्षेत्र गैर-जीवन बीमाकर्ता 2015-16

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमियम (लाख रु. में)						उपगत दावे (निवल) (लाख रु. में)						उपगत दावा अनुपात (%)					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
सरकारी बीमाकर्ता																		
नेशनल	75646	20572	517057	388709	77155	1079138	68787	10480	464899	429135	54939	1028240	90.93	50.94	89.91	110.40	71.21	95.28
न्यू इंडिया	207326	47300	650000	445045	146313	1495983	147197	27244	531431	510180	98067	1314119	71.00	57.60	81.76	114.64	67.03	87.84
ओरियन्टल	56559	29018	295944	235960	84908	702390	43533	21685	203258	270132	49351	587959	76.97	74.73	68.68	114.48	58.12	83.71
युनाइटेड	79068	28877	417281	375121	101939	1002287	58754	20656	301372	458596	40732	880109	74.31	71.53	72.22	122.25	39.96	87.81
कुल	418599	125767	1880282	1444835	410314	4279798	318270	80064	1500960	1668042	243090	3810427	76.03	63.66	79.83	115.45	59.24	89.03
विशेषीकृत बीमाकर्ता																		
ईसीजीसी	-	-	-	-	979	979	-	-	-	-	1001	1001	-	-	-	-	102.22	102.22
एआईसी	-	-	-	-	1862	1862	-	-	-	-	1856	1856	-	-	-	-	99.66	99.66
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**2841**	**2841**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2857**	**2857**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.54**	**100.54**
कुल जोड़	**418599**	**125767**	**1880282**	**1444835**	**413155**	**4282639**	**318270**	**80064**	**1500960**	**1668042**	**245946**	**3813283**	**76.03**	**63.66**	**79.83**	**115.45**	**59.53**	**89.04**

उपगत दावा अनुपात-सरकारी क्षेत्र गैर-जीवन बीमाकर्ता 2014-15

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमियम (लाख ₹ में)						उपगत दावे (निवल) (लाख ₹ में)						उपगत दावा अनुपात (%)					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
सरकारी बीमाकर्ता																		
नेशनल	75331	20138	477416	332965	83965	989816	56333	11748	262074	366344	71019	767518	74.78	58.34	54.89	110.02	84.58	77.54
न्यू इंडिया	188733	61104	569219	368785	143688	1331529	144152	32167	496170	364302	82012	1118804	76.38	52.64	87.17	98.78	57.08	84.02
ओरियन्टल	59002	30019	263244	200410	89841	642517	42506	12129	203850	234517	33149	526150	72.04	40.40	77.44	117.02	36.90	81.89
युनाइटेड	80640	30454	368224	299246	103059	881623	60651	25865	252524	356057	49205	744303	75.21	84.93	68.58	118.98	47.74	84.42
कुल	**403706**	**141714**	**1678103**	**1201406**	**420554**	**3845484**	**303642**	**81908**	**1214618**	**1321220**	**235386**	**3156775**	**75.21**	**57.80**	**72.38**	**109.97**	**55.97**	**82.09**
विशेषीकृत बीमाकर्ता																		
ईसीजीसी	-	-	-	-	101927	101927	-	-	-	-	116350	116350	-	-	-	-	114.15	114.15
एआईसी	-	-	-	-	159838	159838	-	-	-	-	173371	173371	-	-	-	-	108.47	108.47
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**261765**	**261765**	**-**	**-**	**-**	**-**	**289721**	**289721**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110.68**	**110.68**
कुल जोड़	**403706**	**141714**	**1678103**	**1201406**	**682319**	**4107249**	**303642**	**81908**	**1214618**	**1321220**	**525106**	**3446495**	**75.21**	**57.80**	**72.38**	**109.97**	**76.96**	**83.91**

विवरण 15

उपगत दावा अनुपात-निजी क्षेत्र गैर-जीवन बीमाकर्ता 2015-16

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमियम (लाख ₹ में)						उपगत दावे (निवल) (लाख ₹ में)						उपगत दावा अनुपात (%)					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
बजाज अलायंज़	16585	8488	288564	79332	29396	422365	11125	4135	207964	59450	22712	305386	67.08	48.71	72.07	74.94	77.26	72.30
भारती अक्सा	936	1181	100736	9987	2981	115822	2221	1237	92162	8531	3009	107161	237.20	104.77	91.49	85.41	100.95	92.52
चोलामंडलम	4659	1574	134687	22552	5609	169080	1702	864	105628	10050	4134	122377	36.52	54.88	78.42	44.56	73.70	72.38
फ्यूचर जनराली	4315	4866	74106	15062	9795	108144	3466	3673	58682	12281	9788	87890	80.33	75.49	79.19	81.53	99.93	81.27
एचडीएफसी एरगो	7330	7478	79025	63809	13212	170854	3718	7615	67802	32542	12738	124416	50.73	101.83	85.80	51.00	96.41	72.82
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	9950	18493	295902	107460	50357	482162	6330	18033	237546	88212	42701	392821	63.62	97.51	80.28	82.09	84.80	81.47
इफ़्को-टोकियो	4493	3961	216092	41531	14418	280495	2508	4003	164415	43296	7744	221967	55.83	101.05	76.09	104.25	53.71	79.13
कोटक महिन्द्रा	-	-	6	0.35	-	6	-	-	21	0.12	-	21	-	-	366.84	34.29	-	347.60
लिबर्टी वीडियोकॉन	454	331	21295	6677	872	29630	806	301	18169	7079	838	27194	177.49	90.95	85.32	106.02	96.06	91.78
एल एण्ड टी	761	588	22346	4940	1148	29783	1413	509	16946	2298	730	21896	185.57	86.45	75.84	46.52	63.58	73.52
मैगमा एचडीआई	190	105	35681	125	1221	37322	441	330	29270	242	1599	31883	232.02	316.00	82.03	192.87	130.99	85.43
रहेजा क्यूबीई	35	2	114	19	1979	2149	22	(0.26)	123	18	373	535	61.88	(17.11)	107.85	94.15	18.83	24.90
रिलायंस	5604	2683	129625	54948	7080	199940	3627	3142	113156	52679	6147	178751	64.72	117.12	87.30	95.87	86.82	89.40
रॉयल सुंदरम	2174	1412	112087	21565	1764	139002	1096	1086	92785	12631	420	108018	50.41	76.94	82.78	58.57	23.81	77.71
एसबीआई	15278	1588	60054	38893	4876	120689	9900	1555	64813	21161	2698	100127	64.80	97.91	107.92	54.41	55.34	82.96
श्रीराम	748	56	146204	219	880	148106	400	51	148482	141	341	149415	53.54	90.35	101.56	64.55	38.78	100.88
टाटा एआईजी	2676	22582	127273	37258	16484	206274	2555	18248	106574	24163	7486	159026	95.47	80.81	83.74	64.85	45.41	77.09
यूनिवर्सल सोम्पो	5518	726	25309	13731	7772	53056	2850	603	18316	11681	4111	37561	51.65	83.12	72.37	85.07	52.89	70.80
उप-जोड़	**81708**	**76114**	**1869105**	**518108**	**169843**	**2714879**	**54181**	**65385**	**1542854**	**386455**	**127568**	**2176444**	**66.31**	**85.90**	**82.55**	**74.59**	**75.11**	**80.17**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता																		
अपोलो म्यूनिख	-	-	-	77490	-	77490	-	-	-	50065	-	50065	-	-	-	64.61	-	64.61
सिगना टीटीके	-	-	-	7096	-	7096	-	-	-	5582	-	5582	-	-	-	78.66	-	78.66
मैक्स बूपा	-	-	-	39311	-	39311	-	-	-	23402	-	23402	-	-	-	59.53	-	59.53
रेलिगेर	-	-	-	28773	-	28773	-	-	-	16472	-	16472	-	-	-	57.25	-	57.25
स्टार हेल्थ	-	-	-	151387	-	151387	-	-	-	81455	-	81455	-	-	-	53.81	-	53.81
उप-जोड़	**-**	**-**	**-**	**304056**	**-**	**304056**	**-**	**-**	**-**	**176976**	**-**	**176976**	**-**	**-**	**-**	**58.20**	**-**	**58.20**
कुल जोड़	**81708**	**76114**	**1869105**	**822164**	**169843**	**3018935**	**54181**	**65385**	**1542854**	**563431**	**127568**	**2353420**	**66.31**	**85.90**	**82.55**	**68.53**	**75.11**	**77.96**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े ऋणात्मक राशियाँ दर्शाते हैं।

जारी... विवरण 15

उपगत दावा अनुपात-निजी क्षेत्र गैर-जीवन बीमाकर्ता 2014-15

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमियम (लाख ₹ में)						उपगत दावे (निवल) (लाख ₹ में)						उपगत दावा अनुपात (%)					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
बजाज अलायंज़	14662	7201	265003	69512	26813	383190	9366	6468	189764	51152	18850	275599	63.88	89.82	71.61	73.59	70.30	71.92
भारती अक्सा	1143	808	96669	19117	2648	120384	916	783	81000	18636	1757	103091	80.12	96.88	83.79	97.48	66.35	85.64
चोलामंडलम	4341	2027	116588	19635	5619	148210	2769	1454	92374	10295	3720	110612	63.78	71.74	79.23	52.43	66.21	74.63
फ्यूचर जनराली	3347	3999	74933	14192	11441	107912	1649	2639	60276	11345	7519	83428	49.27	65.98	80.44	79.94	65.72	77.31
एचडीएफसी एग्रो	6840	7169	80860	58145	14395	167409	6015	8152	73058	32843	11720	131788	87.94	113.71	90.35	56.48	81.42	78.72
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	10885	16011	249673	106110	40854	423533	10235	15799	200060	92720	25529	344344	94.03	98.68	80.13	87.38	62.49	81.30
इफ़्को टोकियो	3920	4909	174710	29989	13186	226714	2155	3778	128387	27714	6120	168153	54.97	76.96	73.49	92.41	46.41	74.17
लिबर्टी वीडियोकॉन	363	105	14570	3747	415	19200	371	209	13345	3843	380	18148	102.17	199.18	91.59	102.56	91.56	94.52
एल एण्ड टी	848	436	14590	3502	1239	20614	692	539	10613	1819	1103	14765	81.59	123.86	72.74	51.93	89.02	71.63
मैगमा एचडीआई	148	(121)	38807	66	1718	40618	584	100	31669	61	1639	34053	394.77	(82.47)	81.61	92.67	95.39	83.84
रहेजा क्यूबीई	47	1	39	35	1831	1953	73	(1)	(46)	41	474	542	154.91	(85.00)	(116.92)	116.54	25.91	27.73
रिलायंस	4839	2187	133026	44927	6868	191847	3650	1861	121289	48291	5340	180430	75.43	85.07	91.18	107.49	77.76	94.05
रॉयल सुंदरम	1824	1213	103045	22577	1686	130346	933	986	87438	11942	366	101665	51.15	81.26	84.85	52.89	21.72	78.00
एसबीआई	13942	763	48292	24252	3884	91133	5703	1075	49867	19492	2036	78173	40.90	140.91	103.26	80.37	52.41	85.78
श्रीराम	660	26	137721	214	803	139424	428	(24)	135690	152	335	136580	64.83	(92.08)	98.53	70.91	41.67	97.96
टाटा एआईजी	2423	21088	104757	35591	16365	180224	2032	15458	79233	24892	6001	127616	83.84	73.30	75.63	69.94	36.67	70.81
यूनिवर्सल सोम्पो	5834	672	22584	9955	6579	45623	2779	572	18669	10176	1863	34060	47.64	85.17	82.67	102.22	28.32	74.65
उप-जोड़	**76066**	**68494**	**1675866**	**461565**	**156343**	**2438335**	**50349**	**59848**	**1372685**	**365412**	**94752**	**1943046**	**66.19**	**87.38**	**81.91**	**79.17**	**60.61**	**79.69**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता																		
अपोलो म्यूनिख	-	-	-	65588	-	65588	-	-	-	41343	-	41343	-	-	-	63.03	-	63.03
सिगना टीटीके	-	-	-	667	-	667	-	-	-	429	-	429	-	-	-	64.33	-	64.33
मैक्स बूपा	-	-	-	31524	-	31524	-	-	-	17388	-	17388	-	-	-	55.16	-	55.16
रेलिगेर	-	-	-	15372	-	15372	-	-	-	9397	-	9397	-	-	-	61.13	-	61.13
स्टार हेल्थ	-	-	-	101793	-	101793	-	-	-	65106	-	65106	-	-	-	63.96	-	63.96
उप-जोड़	-	-	-	214945	-	214945	-	-	-	133662	-	133662	-	-	-	62.18	-	62.18
कुल जोड़	**76066**	**68494**	**1675866**	**676510**	**156343**	**2653279**	**50349**	**59848**	**1372685**	**499074**	**94752**	**2076708**	**66.19**	**87.38**	**81.91**	**73.77**	**60.61**	**78.27**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े ऋणात्मक राशियाँ दर्शाते हैं।

विवरण 16

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास तथा राज्य सरकार को आवास और एफएफई* के लिए ऋण		बुनियादी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल निवेश	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
बजाज अलायंज़	3906.13	3510.37	598.52	476.76	1112.76	688.31	1899.62	1315.63	1238.76	1386.64	178.86	138.61	8934.65	7516.32
भारती अक्सा	635.97	626.46	250.77	148.53	387.87	316.36	414.95	385.07	1068.00	974.61	82.72	9.90	2840.28	2460.92
चोलामंडलम एमएस	840.62	684.06	411.19	321.20	526.83	361.48	588.40	409.29	1497.78	1388.07	10.00	0.00	3874.82	3164.10
फ्यूचर जनराली	573.96	458.93	195.12	239.53	240.89	163.70	476.79	517.88	512.59	592.93	24.66	0.32	2024.01	1973.29
एचडीएफसी एरगो	1229.27	994.90	249.99	212.70	307.90	282.70	1241.02	1073.20	836.90	1091.50	266.22	101.80	4131.30	3756.80
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	4511.27	3338.26	97.90	480.10	1144.53	1002.95	1904.51	2464.97	3159.74	2374.48	439.96	187.12	11257.91	9847.88
इफ्को टोकियो	1032.51	907.87	483.07	473.18	697.47	491.34	1489.47	730.20	1119.52	1766.21	9.02	0.00	4831.06	4368.80
एलएण्डटी जनरल	203.68	174.80	10.33	20.30	80.24	49.20	85.83	70.55	168.63	157.35	53.08	18.08	601.79	490.28
लिबर्टी वीडियोकॉन	214.55	314.37	0.00	0.00	55.32	49.95	145.57	120.46	98.17	81.22	0.00	0.00	513.61	566.00
मैगमा एचडीआई	268.71	248.43	66.60	46.56	80.03	81.77	143.89	143.74	271.78	245.50	35.32	0.00	866.33	766.00
रहेजा क्यूबीई	84.68	78.24	0.00	0.00	30.23	30.38	60.52	50.52	80.02	80.64	0.00	0.00	255.45	239.78
रिलायंस	1338.06	1612.63	417.94	72.48	768.35	636.66	575.59	609.49	2119.78	2082.63	175.61	32.98	5395.33	5046.87
रॉयल सुंदरम	1021.51	848.83	74.27	74.64	335.20	306.10	692.97	772.92	584.39	486.10	10.00	0.00	2718.34	2488.59
एसबीआई जनरल	862.29	587.11	269.78	241.05	348.24	179.77	524.46	311.10	1171.78	1323.55	128.07	25.00	3304.62	2667.58
श्रीराम	1405.65	1226.35	534.37	482.43	1135.65	948.99	2213.33	1941.97	730.71	781.71	0.00	0.01	6019.71	5381.46
टाटा एआईजी	981.08	970.07	525.09	80.84	437.70	410.69	976.36	1288.00	781.63	266.35	0.00	0.00	3701.86	3015.95
यूनिवर्सल सोम्पो	386.51	364.00	38.95	28.7600	145.84	130.85	296.86	220.09	220.72	287.67	0.00	0.00	1088.88	1031.37
कोटक महिन्द्रा**	41.72	--	15.39	--	14.86	--	20.27	--	22.18	--	0.00	--	114.42	--
निजी कुल	**19538.17**	**16945.68**	**4239.28**	**3399.06**	**7849.91**	**6131.20**	**13750.41**	**12425.08**	**15683.08**	**15367.16**	**1413.52**	**513.82**	**62474.37**	**54781.99**
नेशनल	3780.25	3770.28	3185.80	3224.39	1009.44	982.92	2509.02	2639.23	5633.40	5469.01	1024.56	396.53	17142.47	16482.36
न्यू इंडिया	7991.89	7576.33	3794.89	2371.67	2327.16	2208.02	3531.00	3124.06	8039.27	9258.26	496.34	274.77	26180.55	24813.11
ओरियन्टल	2745.66	2745.21	1667.50	1732.38	1155.58	1058.51	1904.92	1961.16	4384.78	4707.86	355.83	268.40	12214.27	12473.52
युनाइटेड इंडिया	4055.77	4185.91	2353.40	2148.08	1981.74	1874.05	3550.13	3469.64	6877.65	6684.22	846.61	735.68	19665.30	19097.58
सरकारी कुल	**18573.57**	**18277.73**	**11001.59**	**9476.52**	**6473.92**	**6123.50**	**11495.07**	**11194.09**	**24935.10**	**26119.35**	**2723.34**	**1675.38**	**75202.59**	**72866.57**
अपोलो म्यूनिख	184.65	175.98	83.80	54.04	124.14	69.10	106.10	81.26	305.77	348.24	76.02	15.27	880.48	743.89
सिगना टीटीके	54.66	43.79	20.73	15.44	19.95	14.88	44.95	30.12	64.29	36.87	2.04	2.76	206.62	143.86
मैक्स बूपा	149.68	128.24	30.84	5.34	47.70	26.75	111.44	50.53	187.28	208.82	39.21	9.89	566.15	429.57
रेलिगेर हेल्थ	121.00	75.60	38.70	23.30	51.80	36.20	56.40	41.90	171.80	105.90	13.60	22.00	453.30	304.90
स्टार हेल्थ	385.01	301.97	0.00	0.00	146.20	83.11	234.47	96.56	204.68	267.55	14.00	0.00	984.36	749.19
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य निजी (कुल)	**895.00**	**725.58**	**174.07**	**98.12**	**389.79**	**230.04**	**553.36**	**300.37**	**933.82**	**967.38**	**144.87**	**49.92**	**3090.91**	**2371.41**
जीआईसी (पुनर्बीमाकर्ता)	7977.31	6955.31	4735.78	4146.69	3310.37	2348.85	4212.54	3357.87	12180.73	11280.33	1633.59	2605.32	34050.32	30694.37
गैर-जीवन कुल	**46984.05**	**42904.30**	**20150.72**	**17120.39**	**18023.99**	**14833.58**	**30011.38**	**27277.41**	**53732.73**	**53734.22**	**5915.32**	**4844.44**	**174818.19**	**160714.34**
एआईसी	1260.19	996.06	688.63	532.30	444.94	510.01	637.19	589.74	2848.00	2079.44	243.95	4.00	6122.90	4711.55
ईसीजीसी	1749.29	1516.19	1320.66	960.61	1034.55	744.53	1297.13	1150.69	1730.67	2316.15	52.33	30.30	7184.63	6718.47
विशेषीकृत बीमाकर्ता (कुल)	**3009.48**	**2512.25**	**2009.29**	**1492.91**	**1479.49**	**1254.54**	**1934.32**	**1740.43**	**4578.67**	**4395.59**	**296.28**	**34.30**	**13307.53**	**11430.02**

* एफएफई: अग्निशमन उपस्कर

** परिचालन 2015-16 के दौरान प्रारंभ किये।

विवरण 17
गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2016 को	विदेशी प्रवर्तक	भारतीय प्रवर्तक	एफडीआई
बजाज अलायंज़	110.23	0.00	110.23	28.66	81.57	26.00%
भारती अक्सा	1238.66	332.79	1571.45	770.00	801.45	49.00%
चोलामंडलम एमएस	298.81	0.00	298.81	119.52	179.28	40.00%
फ्यूचर जनराली	710.00	0.00	710.00	181.05	528.95	25.50%
एचडीएफसी एरगो	538.62	0.00	538.62	139.17	399.45	25.84%
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	446.59	0.95	447.54	154.78	292.76	34.58%
इफ़्को टोकियो	269.32	0.00	269.32	70.02	199.30	26.00%
कोटक महिन्द्रा***	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00%
एल एण्ड टी	620.00	85.00	705.00	0.00	705.00	0.00%
मैगमा एचडीआई	100.00	12.50	112.50	28.75	83.75	25.56%
लिबर्टी वीडियोकॉन	679.35	0.00	679.35	122.90	556.45	18.09%
रहेजा क्यूबीई	207.00	0.00	207.00	53.82	153.18	26.00%
रिलायंस	122.78	0.00	122.78	0.00	122.78	0.00%
रॉयल सुंदरम	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00%
एसबीआई	203.00	0.00	203.00	52.78	150.22	26.00%
श्रीराम	258.09	0.20	258.29	0.00	258.29	0.00%
टाटा एआईजी	505.00	127.50	632.50	164.45	468.05	26.00%
यूनिवर्सल सोम्पो	350.00	0.00	350.00	91.00	259.00	26.00%
निजी कुल	**6972.45**	**693.93**	**7666.38**	**1976.90**	**5689.48**	**25.79%**
नेशनल	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00%
न्यू इंडिया	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00%
ओरियन्टल	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00%
युनाइटेड इंडिया	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00%
सरकारी कुल	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00%
कुल (गैर-जीवन)	**7622.45**	**693.93**	**8316.38**	**1976.90**	**6339.48**	**23.77%**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य निजी						
अपोलो म्यूनिख	349.23	7.69	356.92	90.91	266.01	25.47%
सिगना टीटीके	200.00	40.03	240.03	62.41	177.62	26.00%
मैक्स बूपा	790.50	107.50	898.00	233.48	664.52	26.00%
रेलिगेर हेल्थ	350.00	125.07	475.07	0.00	475.07	0.00%
स्टार हेल्थ	362.14	24.85	386.99	99.29	287.70	25.66%
स्टैंडअलोन कुल	2051.87	305.14	2357.01	486.09	1870.92	20.62%
विशेषीकृत बीमाकर्ता						
एआईसी	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00%
ईसीजीसी	1200.00	100.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00%
विशेषीकृत कुल	1400.00	100.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00%
पुनर्बीमाकर्ता						
जीआईसी	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00%
पुनर्बीमाकर्ता कुल	**430.00**	**0.00**	**430.00**	**0.00**	**430.00**	**0.00%**
कुल जोड़ (गैर-जीवन)	**11504.31**	**1099.08**	**12603.39**	**2462.99**	**10140.40**	**19.54%**

***हाल में संस्थापित

विवरण 18

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात

क्रम सं.	बीमाकर्ता	मार्च 2015	जून 2015	सितंबर 2015	दिसंबर 2015	मार्च 2016 2016
	निजी बीमाकर्ता					
1	बजाज अलायंज़	1.82	2.46	2.54	2.54	2.51
2	भारती अक्सा	1.57	1.72	1.61	1.30	1.59
3	चोलामंडलम एमएस	1.59	1.72	1.55	1.61	1.61
4	फ्यूचर जनराली	1.66	1.54	1.59	1.53	1.54
5	एचडीएफसी एरगो	1.65	1.54	1.66	1.78	1.67
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	1.95	1.93	1.94	1.93	1.82
7	इफ़्को टोकियो	1.65	1.63	1.65	1.62	1.60
8	कोटक महिन्द्रा***				2.58	2.45
9	एलएण्डटी	1.97	1.69	1.60	1.40	1.52
10	लिबर्टी वीडियोकॉन	6.71	4.91	3.87	2.87	2.24
11	मैगमा एचडीआई	1.24	1.69	1.51	1.53	1.78
12	रहेजा क्यूबीई	4.26	4.28	4.37	4.44	4.43
13	रिलायंस	1.53	1.50	1.54	1.64	1.55
14	रॉयल सुंदरम	1.64	1.6	1.66	1.60	1.55
15	एसबीआई	2.80	2.62	2.40	2.19	1.81
16	श्रीराम	1.79	1.91	2.01	2.09	1.98
17	टाटा एआईजी	1.55	1.57	1.53	1.58	1.66
18	यूनिवर्सल सोम्पो	1.86	1.84	1.67	1.75	1.69
	सरकारी बीमाकर्ता					
18	नेशनल	1.52	1.51	1.51	1.51	1.26
19	न्यू इंडिया	2.44	2.47	2.40	2.31	2.30
20	ओरियन्टल	1.68	1.77	1.78	1.74	1.59
21	युनाइटेड इंडिया	2.36	2.4	2.43	2.02	1.91
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य निजी					
22	अपोलो म्यूनिख	1.72	1.55	1.51	1.60	1.51
23	मैक्स बूपा	2.10	1.66	1.84	2.17	2.16
24	रेलिगेर हेल्थ	2.04	1.84	1.67	1.68	1.85
25	स्टार हेल्थ	2.40	1.04	1.36	2.10	5.99
26	सिगना टीटीके	2.10	1.83	1.81	1.68	1.54
	विशेषीकृत बीमाकर्ता					
27	एआईसी	3.18	3.2	3.09	3.13	3.26
28	ईसीजीसी	6.61	6.53	6.23	8.93	9.79
	पुनर्बीमाकर्ता					
29	जीआईसी	3.04	3.33	3.22	3.52	3.48

*** हाल में संस्थापित

विवरण 19

2015-16 के लिए शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2015-16					लंबित शिकायतों का अवधि-वार विश्लेषण		
	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान समाधान की गई	वर्ष के दौरान समाधान कृत %	वर्ष के अंत में लंबित	15 दिन से कम	15 और 30 दिन के बीच	30 दिन से अधिक
एइगॉन रेलिगेर	371	8595	8822	98.39	144	124	0	20
अवीवा	0	3259	3259	100.00	0	0	0	0
बजाज अलायंज़	275	14295	14556	99.90	14	9	2	3
भारती अक्सा	351	4728	5079	100.00	0	0	0	0
बिड़ला सन लाइफ	11	12402	12412	99.99	1	1	0	0
केनरा एचएसबीसी	59	3179	3225	99.60	13	13	0	0
डीएचएफएल प्रामेरिका	653	1372	2018	99.65	7	7	0	0
एडलवेइस टोकियो	33	627	654	99.09	6	6	0	0
एक्साइड लाइफ	634	9375	9968	99.59	41	41	0	0
फ्यूचर जनराली	381	7162	7491	99.31	52	52	0	0
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	2298	11513	13726	99.38	85	28	11	46
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	59	8865	8912	99.87	12	12	0	0
आईडीबीआई फेडरल	0	853	853	100.00	0	0	0	0
इंडियाफर्स्ट	118	1912	2006	98.82	24	24	0	0
कोटक महिन्द्रा	128	3444	3326	93.11	246	195	4	47
मैक्स लाइफ	4	14157	14161	100.00	0	0	0	0
पीएनबी मेटलाइफ	7	4411	4398	99.55	20	18	0	2
रिलायंस	490	14024	14345	98.84	169	163	4	2
सहारा	0	35	34	97.14	1	0	1	0
एसबीआई लाइफ	15	9391	9403	99.97	3	3	0	0
श्रीराम	14	259	264	96.70	9	2	0	7
स्टार यूनियन दाई-ईची	95	1825	1832	95.42	88	77	0	11
टाटा एआईए	113	4268	4381	100.00	0	0	0	0
एलआईसी	0	64750	64750	100.00	0	0	0	0
कुल	**6109**	**204701**	**209875**	**99.56**	**935**	**775**	**22**	**138**

विवरण 20

2015-16 के लिए शिकायतों की स्थिति - गैर-जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2015-16					लंबित शिकायतों का अवधि-वार विश्लेषण		
	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान समाधान की गई	वर्ष के दौरान समाधान कृत %	वर्ष के अंत में लंबित	15 दिन से कम	15 और 30 दिन के बीच	30 दिन से अधिक
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस	204	1756	1911	97.50	49	18	7	24
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस	105	4198	4266	99.14	37	26	5	6
चोलामंडलम एमएस जनरल	103	2163	2256	99.56	10	10	0	0
फ्यूचर जनराली इंडिया आईएनएस.	0	4251	4250	99.98	1	1	0	0
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस	23	2879	2886	99.45	16	16	0	0
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस	372	4974	5256	98.32	90	90	0	0
इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस	163	1355	1517	99.93	1	1	0	0
एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस	5	335	340	100.00	0	0	0	0
लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस	6	524	527	99.43	3	3	0	0
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस	9	151	160	100.00	0	0	0	0
रहेजा क्यूबीई	0	0	0	0.00	0	0	0	0
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस	67	1500	1521	97.06	46	31	7	8
रॉयल सुंदरम अलायंस जनरल	66	2551	2595	99.16	22	18	1	3
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस	317	1136	1392	95.80	61	26	10	25
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस	0	120	120	100.00	0	0	0	0
टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस	37	3422	3458	99.97	1	1	0	0
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	0	373	373	100.00	0	0	0	0
कुल निजी बीमाकर्ता	**1477**	**31688**	**32828**	**98.98**	**337**	**241**	**30**	**66**
नेशनल इंश्योरेंस	175	4933	4928	96.48	180	57	12	111
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस	102	4087	4050	96.68	139	90	26	23
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस	59	2555	2485	95.07	129	25	11	93
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस	55	6221	6254	99.65	22	13	2	7
कुल - पीएसयू बीमाकर्ता	**391**	**17796**	**17717**	**97.42**	**470**	**185**	**51**	**234**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता								
अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस	13	978	987	99.60	4	4	0	0
सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस	4	334	332	98.22	6	6	0	0
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस	0	620	620	100.00	0	0	0	0
रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस	2	564	560	98.94	6	6	0	0
स्टार हेल्थ एण्ड अलॉयड इंश्योरेंस	166	7093	7166	98.72	93	91	2	0
कुल - स्वास्थ्य बीमाकर्ता	**185**	**9589**	**9665**	**98.88**	**109**	**107**	**2**	**0**
विशेषीकृत बीमाकर्ता								
कृषि बीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय ईसीजीसी	46	10	1	1.79	55	0	0	55
कुल जोड़ :	**2099**	**59083**	**60211**	**98.41**	**971**	**533**	**83**	**355**

अनुबंध

अनुबंध 1

भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियाँ
जीवन बीमाकर्ता*

सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	1. एइगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	2. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	3. बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	4. भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	5. बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	6. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	7. डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	8. एडलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	9. एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	10. फ्युचर जनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	11. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	12. आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	13. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	14. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	15. कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस लि.
	16. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	17. पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
	18. रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	19. सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	20. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	21. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	22. स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	23. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

* 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार

जारी... **अनुबंध 1**

गैर-जीवन बीमाकर्ता*

सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1 बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
2 दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2 भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3 दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3 चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
4 युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	4 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
	5 एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
विशेषीकृत बीमाकर्ता	6 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
5 भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	7 इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
6 भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	8 एल एण्ड टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	9 लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	10 मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	11 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	12 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	13 रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	14 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	15 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	16 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	17 यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	18 कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता
	19 अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	20 सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	21 मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	22 रेलीगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	23 स्टार हेल्थ एण्ड अलॉयड इंश्योरेंस कंपनी लि.

पुनर्बीमाकर्ता*

भारतीय साधारण बीमा निगम

* 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार

अनुबंध 2

बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना

क्रम सं.	बीमाकर्ता/ मध्यवर्ती	प्रसंस्करण शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क	नवीकरण की आवधिकता
1	बीमाकर्ता (जीवन/ साधारण/स्वास्थ्य)	-	₹5,00,000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम₹10 करोड़ के अधीन भारत में जोखिम-अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/20 वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 जनवरी तक)
2	पुनर्बीमाकर्ता	-	₹5,00,000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में स्वीकृत विकल्पी पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के 1% का 1/20 वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 जनवरी तक)
3	साधारण / जीवन बीमा व्यवसाय का समामेलन और अंतरण	न्यूनतम ₹50 लाख और अधिकतम ₹5 करोड़ के अधीन प्राधिकरण के पास आवेदन दाखिल करने के वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लेनदेन करनेवाली संस्थाओं द्वारा भारत में प्रत्यक्ष जोखिम-अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/10 वाँ भाग	-	-	-
4	लॉयड्स सहित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओ की शाखा	-	₹5,00,000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में स्वीकृत विकल्पी पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के 1% का 1/20 वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 दिसंबर)
5	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)	₹20000	₹30000	₹15000	3 वर्ष
6	दलाल-प्रत्यक्ष	-	₹20000	न्यूनतम ₹25,000 और अधिकतम ₹1,00,000 के अधीन नवीकरण शुल्क के रूप में ₹1,000+पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% का वार्षिक शुल्क	3 वर्ष
	दलाल-पुनर्बीमा	-	₹25000	न्यूनतम ₹75,000 और अधिकतम ₹3,00,000 के अधीन नवीकरण शुल्क के रूप में ₹1,000 + पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% का वार्षिक शुल्क	3 वर्ष
	दलाल-सम्मिश्र	-	₹40000	न्यूनतम ₹1,25,000 और अधिकतम ₹5,00,000 के अधीन नवीकरण शुल्क के रूप में '1,000 + पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% का वार्षिक शुल्क	3 वर्ष
7	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक वैयक्तिक और कॉरपोरेट	-	₹1000	नवीकरण शुल्क के रूप में ₹100 यदि आवेदन समाप्ति से 30 दिन पहले दाखिल की गई हो, नवीकरण शुल्क के रूप में ₹850 ₹750 के दंड सहित, यदि नवीकरण आवेदन बाद में, परंतु लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से छह महीने पहले दाखिल किया गया हो।	3 वर्ष
8	कॉरपोरेट एजेंट	वापस न करने योग्य शुल्क ₹10,000	₹25000 संस्था के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु तथा ₹500 प्रधान अधिकारी/विनिर्दिष्ट व्यक्ति/प्राधिकृत सत्यापक को प्रमाणपत्र के लिए	₹25000 सीओआर के नवीकरण के लिए ₹500 प्रधान अधिकारी/विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ प्राधिकृत सत्यापक को प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए	3 वर्ष
9	वेब संग्राहक	-	₹10000	₹10000	3 वर्ष
10	सामान्य सेवा केन्द्र - विशेष प्रयोजन माध्यम	-	-	₹1000	3 वर्ष
11	रिफ़रल	-	₹10,000	₹10000	3 वर्ष
12	बीमा विपणन फर्म	-	₹5000	₹2000	3 वर्ष
13	बीमा रिपोज़िटरी	₹10000	₹100000	₹50000	3 वर्ष

टिप्पणी: लागू शुल्क की राशि पर सेवा कर से 1.4.2016 से छूट दी गई है।

अनुबंध 3(i)

भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (2006-08) यूएलटी.

आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 के विनियम 4 के आशय के अन्तर्गत प्रकाशित मृत्यु-दर सारणी जो 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी है।

आईआरडीए के पत्र दिनांक 20 फरवरी 2013 के अनुसार उनकी सहमति से प्रकाशित।

आयु निकटतम जन्मदिन के रूप में परिभाषित है।

आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)	आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)
0	0.004445	27	0.001004
1	0.003897	28	0.001017
2	0.002935	29	0.001034
3	0.002212	30	0.001056
4	0.001670	31	0.001084
5	0.001265	32	0.001119
6	0.000964	33	0.001164
7	0.000744	34	0.001218
8	0.000590	35	0.001282
9	0.000492	36	0.001358
10	0.000440	37	0.001447
11	0.000428	38	0.001549
12	0.000448	39	0.001667
13	0.000491	40	0.001803
14	0.000549	41	0.001959
15	0.000614	42	0.002140
16	0.000680	43	0.002350
17	0.000743	44	0.002593
18	0.000800	45	0.002874
19	0.000848	46	0.003197
20	0.000888	47	0.003567
21	0.000919	48	0.003983
22	0.000943	49	0.004444
23	0.000961	50	0.004946
24	0.000974	51	0.005483
25	0.000984	52	0.006051
26	0.000994	53	0.006643

जारी.अनुबंध 3(i)

भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (2006-08) यूएलटी.

आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)	आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)
54	0.007256	85	0.091982
55	0.007888	86	0.099930
56	0.008543	87	0.108540
57	0.009225	88	0.117866
58	0.009944	89	0.127963
59	0.010709	90	0.138895
60	0.011534	91	0.150727
61	0.012431	92	0.163532
62	0.013414	93	0.177387
63	0.014497	94	0.192374
64	0.015691	95	0.208585
65	0.017009	96	0.226114
66	0.018462	97	0.245067
67	0.020061	98	0.265555
68	0.021819	99	0.287699
69	0.023746	100	0.311628
70	0.025855	101	0.337482
71	0.028159	102	0.365411
72	0.030673	103	0.395577
73	0.033412	104	0.428153
74	0.036394	105	0.463327
75	0.039637	106	0.501298
76	0.043162	107	0.542284
77	0.046991	108	0.586516
78	0.051149	109	0.634244
79	0.055662	110	0.685737
80	0.060558	111	0.741283
81	0.065870	112	0.801191
82	0.071630	113	0.865795
83	0.077876	114	0.935453
84	0.084645	115	0.985796

अनुबंध 3(ii)

प्रकाशित मृत्यु-दर सारणियाँ

आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 के विनियम 4 के आशय के अंतर्गत वार्षिकीग्राहियों के लिए मृत्यु-दर - एलआईसी (ए) (1996-98) अंतिम दरें

आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)	आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)
20	0.000919	48	0.003438
21	0.000961	49	0.003816
22	0.000999	50	0.004243
23	0.001033	51	0.004719
24	0.001063	52	0.005386
25	0.001090	53	0.006058
26	0.001113	54	0.006730
27	0.001132	55	0.007401
28	0.001147	56	0.008069
29	0.001159	57	0.008710
30	0.001166	58	0.009397
31	0.001170	59	0.010130
32	0.001170	60	0.010907
33	0.001171	61	0.011721
34	0.001201	62	0.011750
35	0.001246	63	0.012120
36	0.001308	64	0.012833
37	0.001387	65	0.013889
38	0.001482	66	0.015286
39	0.001593	67	0.017026
40	0.001721	68	0.019109
41	0.001865	69	0.021534
42	0.002053	70	0.024301
43	0.002247	71	0.027410
44	0.002418	72	0.030862
45	0.002602	73	0.034656
46	0.002832	74	0.038793
47	0.003110	75	0.043272

जारी... अनुबंध 3(ii)

प्रकाशित मृत्यु-दर सारणियाँ

आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 के विनियम 4 के आशय के अंतर्गत वार्षिकीग्राहियों के लिए मृत्यु-दर - एलआईसी (ए) (1996-98) अंतिम दरें

आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)	आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)
76	0.048093	98	0.240778
77	0.053257	99	0.253473
78	0.058763	100	0.266511
79	0.064611	101	0.279892
80	0.070802	102	0.293614
81	0.077335	103	0.307679
82	0.084210	104	0.322087
83	0.091428	105	0.336836
84	0.098988	106	0.351928
85	0.106891	107	0.367363
86	0.115136	108	0.383139
87	0.123723	109	0.399258
88	0.132652	110	0.415720
89	0.141924	111	0.432524
90	0.151539	112	0.449670
91	0.161495	113	0.467159
92	0.171794	114	0.484989
93	0.182436	115	0.503163
94	0.193419	116	0.521678
95	0.204746	117	0.540536
96	0.216414	118	0.559737
97	0.228425		

अनुबंध 4

वर्ष 2015-16 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और अनुवृद्धियों (राइडरों) की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
1	बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	बजाज अलायंज लाइफ जन सुरक्षा योजना	116एन138वी01
		बजाज अलायंज़ लाइफ बीमा संचय योजना	116एन136वी02
		बजाज अलायंज़ लाइफ बीमा संचय योजना	116एन136वी01
		बजाज अलायंज़ लाइफ बीमा धन सुरक्षा योजना	116एन135वी02
		बजाज अलायंज़ लाइफ बीमा धन सुरक्षा योजना	116एन135वी01
		बजाज अलायंज़ लाइफ सुपर लाइफ एश्योर	116एन134वी01
		बजाज अलायंज़ सीएससी बचत प्लस	116एन132वी01
		बजाज अलायंज़ कैश एश्योर	116एन131वी01
		बजाज अलायंज़ ग्रूप क्रेडिट प्रोटेक्शन प्लस	116एन094वी03
		बजाज अलायंज़ ग्रूप ऐन्यूइटी	116एन059वी04
		बजाज अलायंज़ पेंशन गारंटी	116एन036वी05
		बजाज अलायंज़ ग्रूप टर्म लाइफ	116एन021वी03
		बजाज अलायंज़ लाइफ प्रिंसिपल गेन	116एल137वी01
		बजाज अलायंज़ ग्रूप इम्प्लाई बेनिफिट प्लान	116एन104वी03
		बजाज अलायंज़ लाइफ मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	116जी133वी01
		बजाज अलायंज़ ग्रूप ऐक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस राइडर	116बी026वी02
2	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	रिलायंस ग्रूप क्रेडिट एश्योर प्लस	121एन115वी01
		रिलायंस पेंशन बिल्डर	121एन113वी01
		रिलायंस होल लाइफ इन्कम	121एन112वी01
		रिलायंस ऑनलाइन इन्कम प्रोटेक्ट	121एन111वी01
		रिलायंस लाइफ लांग सेविंग्ज़	121एन110वी01
		रिलायंस फ्यूचर इन्कम	121एन109वी01
		रिलायंज़ इंक्रीजिंग इन्कम इंश्योरेंस प्लान	121एन108वी01
		रिलायंस फिक्स्ड मनी बैक	121एन107वी01
		रिलायंस प्रीमियर वेल्थ इंश्योरेंस प्लान	121एल114वी01
3	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया प्राइवेट लि.	अवीवा धन वृद्धि प्लस	122एन110वी01
		अवीवा सीएससी बीमा लाभ योजना	122एन109वी01
		अवीवा आई-लाइफ सेक्यूर	122एन104वी02
		अवीवा न्यू फैमिली इन्कम बिल्डर	122एन103वी02
		अवीवा कॉरपोरेट शील्ड प्लस	122एन066वी04
		अवीवा अफ्लुएन्स	122एल111वी01
		अवीवा आई-ग्रोथ	122एल106वी02
		अवीवा लाइव स्मार्ट प्लान	122एल098वी03
		अवीवा लाइफ बांड अडवांटेज	122एल086वी03

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2015-16 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और अनुवृद्धियों (राइडरों) की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
4	बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	बीएसएलआई हॉस्पिटल प्लस प्लान	109एन101वी01
		बीएसएलआई ग्रूप सेविंग्ज़ एश्युरेंस प्लान	109एन098वी01
		बीएसएलआई ग्रूप कैपसेक्यूर प्लान	109एन084वी02
		बीएसएलआई इमीडियेट ऐन्युइटी प्लान	109एन083वी03
		बीएसएलआई ग्रूप कैपसेक्यूर पेंशन प्लान	109एन082वी02
		बीएसएलआई ग्रूप प्रोटेक्शन सोल्यूशन्स	109एन006वी05
		बीएसएलआई वेल्थ ऐस्पाइर प्लान	109एल100वी01
		बीएसएलआई वेल्थ मैक्स प्लान	109एल073वी03
		बीएसएलआई प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	109जी099वी01
		बीएसएलआई क्रिटिल इलनेस राइडर	109बी019वी03
		बीएसएलआई ऐक्सिडेंट डेथ एण्ड डिजेबिलिटी राइडर	109बी018वी03
		बीएसएलआई हॉस्पिटल केअर राइडर	109बी016वी03
		बीएसएलआई सर्जिकल केअर राइडर	109बी015वी03
5	आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईसीआईसीआई प्रू आईप्रोटेक्ट स्मार्ट	105एन151वी01
		आईसीआईसीआई प्रू लोन प्रोटेक्ट प्लस	105एन150वी01
		आईसीआईसीआई प्रू लाइफ रक्षा	105एन149वी01
		आईसीआईसीआई प्रू ग्रूप सुरक्षा प्लस सूपरऐन्युएशन	105एन148वी01
		आईसीआईसीआई प्रू ग्रूप सुरक्षा प्लस	105एन147वी01
		आईसीआईसीआई प्रू ग्रूप टर्म प्लस	105एन119वी03
		आईसीआईसीआई प्रू सर्व जन सुरक्षा	105एन081वी03
		आईसीआईसीआई प्रू ग्रूप इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	105जी146वी01
		आईसीआईसीआई प्रू यूनिट लिंक्ड ऐक्सिडेंटल डेथ राइडर	105ए025वी01
6	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एचडीएफसी लाइफ ईजी हेल्थ	101एन110वी01
		एचडीएफसी कैंसर केअर	101एन106वी01
		एचडीएफसी लाइफ उदय	101एन105वी01
		एचडीएफसी लाइफ सीएससी सुरक्षा प्लान	101एन104वी01
		एचडीएफसी लाइफ संचय	101एन097वी02
		एचडीएफसी लाइफ गारंटीड पेंशन प्लान	101एन092वी02
		एचडीएफसी लाइफ पॅर्सनल पेंशन प्लस	101एन091वी02
		एचडीएफसी लाइफ न्यू इमीडिएट ऐन्युइटी प्लान	101एन084वी03
		एचडीएफसी लाइफ न्यू इमीडिएट ऐन्युइटी प्लान	101एन084वी02
		एचडीएफसी एसएल सर्वग्रामीण बचत योजना (सूक्ष्म बीमा उत्पाद)	101एन069वी03
		एचडीएफसी लाइफ अश्योर्ड पेंशन प्लान	101एल109वी02
		एचडीएफसी लाइफ एश्योर्ड पेंशन प्लान	101एल109वी01
	(जारी..)	एचडीएफसी लाइफ क्लिक 2 रिटायर	101एल108वी02

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2015-16 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और अनुवृद्धियों (राइडरों) की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
(जारी...)	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एचडीएफसी लाइफ क्लिक 2 रिटायर	101एल108वी01
		एचडीएफसी लाइफ सिंगल प्रीमियम पेंशन सूपर	101एल086वी03
		एचडीएफसी लाइफ पेंशन सूपर प्लस	101एल085वी03
		एचडीएफसी लाइफ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्लान	101जी107वी01
		एचडीएफसी लाइफ क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर	101बी014वी01
7	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एक्साइड लाइफ न्यू इमीडिएट ऐन्युइटी विथ रिटर्न ऑफ पर्चेज प्राइस	114एन081वी01
		एक्साइड लाइफ स्टार सेवर	114एन080वी01
		एक्साइड लाइफ टर्म प्लान	114एन076वी01
		एक्साइड लाइफ ग्रूप ट्रैडिशनल इम्प्लाई बेनिफिट प्लान	114एन075वी01
		एक्साइड लाइफ गोल्डन इयर्स रिटायरमेंट प्लान	114एन065वी02
		एक्साइड लाइफ वेल्थ मैक्सिमा	114एल079वी01
		एक्साइड लाइफ ग्रूप ग्रैच्युइटी प्रॉडक्ट	114एल078वी02
		एक्साइड लाइफ ग्रूप ग्रैच्युइटी प्रॉडक्ट	114एल078वी01
		एक्साइड लाइफ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	114जी077वी01
		एक्साइड लाइफ ग्रूप इलनेस राइडर	114बी010वी01
8	भारतीय जीवन बीमा निगम	एलआईसी की जीवन प्रगति प्लान	512एन306वी01
		एलआईसी का जीवन शिखर	512एन305वी01
		एलआईसी का जीवन लाभ	512एन304वी01
		एलआईसी का ग्रूप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस	512एन302वी01
		एलआईसी का जीवन तरुण	512एन299वी01
		एलआईसी का न्यू इंडोमेंट प्लस	512एल301वी01
		एलआईसी की प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	512जी300वी01
		एलआईसी की प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर	512बी204वी02
		एलआईसी की लिंक्ड ऐक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर	512ए211वी01
9	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	मैक्स लाइफ मंथली इन्कम अडवांटेज प्लान	104एन091वी01
		मैक्स लाइफ सूपर टर्म प्लान	104एन086वी02
		मैक्स लाइफ होल लाइफ सूपर प्लान	104एन080वी02
		मैक्स लाइफ लाइफ गेन प्रीमियर	104एन079वी02
		मैक्स लाइफ प्लेटिनम वेल्थ प्लान	104एल090वी01
		मैक्स लाइफ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	104जी089वी01
		मैक्स लाइफ ग्रूप क्रिटिकल इलनेस (अतिरिक्त लाभ) प्रीमियर राइडर	104बी031वी01
		मैक्स लाइफ ग्रूप टोटल एण्ड पर्मनेंट डिजबिलिटी (ऐक्सिडेंट) प्रीमियर राइडर	104बी030वी01
		मैक्स लाइफ वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर	104बी029वी01
		मैक्स लाइफ ग्रूप ऐक्सिलिरेटेड टर्मिनल इलनेस प्रीमियर राइडर	104बी028वी01

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2015-16 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और अनुवृद्धियों (राइडरों) की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
10	पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	मेटलाइफ गारंटीकृत इन्कम प्लान	117एन097वी01
		मेटलाइफ गारंटीकृत बचत प्लान	117एन096वी01
		मेटलाइफ इमीडिएट ऐन्युइटी प्लान	117एन095वी01
		मेटलाइफ कम्प्लीट केअर प्लस	117एन093वी01
		मेटलाइफ मेरा टर्म प्लान	117एन092वी01
		मेटलाइफ रिटायरमेंट बचत प्लान	117एन091वी01
		मेटलाइफ मेजर इलनेस प्रीमियम बैक कवर	117एन090वी02
		मेटलाइफ भविष्य प्लस	117एन089वी02
		मेटलाइफ बचत योजना	117एन088वी02
		मेटलाइफ कालेज प्लान	117एन087वी02
		मेटलाइफ फैमिली इन्कम प्रोटेक्टर प्लस	117एन086वी02
		मेटलाइफ इंडोमेंट बचत प्लान	117एन083वी02
		मेटलाइफ मासिक आय प्लान- 10 वेतन	117एन082वी02
		मेटलाइफ मनी बैक प्लान	117एन081वी02
		मेटलाइफ यूनिट लिंक्ड इंप्लाई बेनिफिट्स प्लान	117एल084वी02
		मेटलाइफ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्लान	117जी094वी01
		मेटलाइफ क्रिटिकल इलनेस राइडर	117बी023वी01
		मेटलाइफ ऐक्सिडेंटल डिजेबिलिटी बेनिफिट राइडर	117बी022वी01
		मेटलाइफ सीरियस इलनेस राइडर (असंबद्ध)	117बी021वी01
		मेटलाइफ ऐक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर प्लस	117बी020वी01
11	कोटक महिन्द्रा ओम लाइफ इंश्योरेंस लि.	कोटक प्रीमियर लाइफ प्लान	107एन096वी01
		कोटक इन्कम प्रोटेक्शन प्लान	107एन095वी01
		कोटक प्रीमियर पेंशन प्लान	107एन094वी01
		कोटक ई-लाइफटाइम इन्कम प्लान	107एन085वी02
		कोटक सिंगल इन्वेस्ट प्लस प्लान	107एल075वी02
		कोटक प्लेटिनम	107एल067वी03
		कोटक सिंगल इन्वेस्ट एडवांटेज	107एल065वी03
		कोटक एस इन्वेस्टमेंट	107एल064वी03
		कोटक ग्रैच्युइटी ग्रूप प्लान- केजीजीपी	107एल010वी06
		कोटक प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	107जी093वी01
		कोटक ई-ऐक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर	107बी019वी01
		कोटक क्रिटिकल इलनेस प्लस बेनिफिट राइडर (असंबद्ध सामूहिक राइडर)	107बी015वी03
		कोटक क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर (असंबद्ध सामूहिक राइडर)	107बी009वी04
		कोटक ऐक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर (असंबद्ध सामूहिक राइडर)	107बी005वी04
		कोटक पर्मनेंट डिजेबिलिटी बेनिफिट (राइडर)	107बी002वी03
	(जारी..)	कोटक ऐक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट (राइडर)	107बी001वी03

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2015-16 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और अनुवृद्धियों (राइडरों) की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
(जारी...)	कोटक महिन्द्रा ओम लाइफ इंश्योरेंस लि.	कोटक पर्मनेंट डिजेबिलिटी बेनिफिट राइडर (संबद्ध)	107ए018वी01
		कोटक ऐक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर (संबद्ध)	107ए017वी01
12	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एसबीआई लाइफ स्मार्ट वीमेन एडवांटेज	111एन106वी01
		एसबीआई लाइफ ई-इन्कम शील्ड	111एन105वी01
		एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्वधन प्लस	111एन104वी01
		एसबीआई लाइफ स्मार्ट हमसफ़र	111एन103वी01
		एसबीआई लाइफ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	111जी102वी01
13	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	टाटा एआईए लाइफ गुड किड	110एन127वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट इन्कम प्लस	110एन126वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस मंथली इंश्योरेंस प्लान	110एन125वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस फ्रीडम	110एन124वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस साथ-साथ - सूक्ष्म बीमा उत्पाद	110एन123वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस फार्च्यून गारंटी	110एन120वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस मनी बैक प्लस	110एन119वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस सूपर अचीवर	110एल122वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्ट वन	110एल121वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर	110बी029वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ऐक्सिडेंटल डेथ एण्ड डिसमेंबरमेंट (लांग स्केल)(एडीडीएल) असंबद्ध राइडर	110बी028वी01
14	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	कुछ नहीं	
15	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारती अक्सा लाइफ सूपर सीरीज़	130एन066वी01
		भारती अक्सा लाइफ चाइल्ड अडवांटेज	130एन065वी01
		भारती अक्सा लाइफ - इन्वेस्ट वन्स	130एन064वी01
		भारती अक्सा लाइफ ई-फ्यूचर इन्वेस्ट	130एल063वी01
		भारती अक्सा लाइफ ऐक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर	130बी008वी01
		भारती अक्सा लाइफ प्रीमियम वेवर राइडर	130बी005वी03
16	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	श्रीराम जन सहाय	128एन062वी01
		श्रीराम लाइफ फैमिली प्रोटेक्शन प्लान	128एन061वी01
		श्रीराम लाइफ एश्योर्ड इन्कम प्लस	128एन060वी01
		श्रीराम लाइफ सेक्यूर प्लस प्लान	128एन059वी01
		श्रीराम ग्रामीण सुरक्षा	128एन057वी01
		श्रीराम ग्रूप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान	128एन042वी02
		श्रीराम ग्रूप टर्म लाइफ इंश्योरेंस इन ल्यू ऑफ ईडीएलआई	128एन040वी02
		श्रीराम लाइफ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	128जी058वी01
		श्रीराम क्रिटिकल इलनेस केअर राइडर	128ए014वी01

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2015-16 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और अनुवृद्धियों (राइडरों) की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
17	फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	फ्यूचर जनराली न्यू सरल आनंद	133एन062वी01
		फ्यूचर जनराली जन सुरक्षा प्लस	133एन060वी01
		फ्यूचर जनराली जन सुरक्षा	133एन059वी01
		फ्यूचर जनराली फ्लेक्सी ऑनलाइन टर्म प्लान	133एन058वी01
		फ्यूचर जनराली एश्योर्ड एजुकेशन प्लान	133एन057वी01
		फ्यूचर जनराली लोन सुरक्षा	133एन053वी02
		फ्यूचर जनराली ईज़ी इन्वेस्ट ऑनलाइन प्लान	133एल061वी01
18	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईडीबीआई फेडरल लोन एश्योरेंस ग्रूप इंश्योरेंस प्लान	135एन041वी01
		आईडीबीआई फेडरल इन्कमश्योरेंस गारंटीड मनी बैक इंश्योरेंस प्लान 7 वेतन	135एन042वी01
19	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस समृद्ध भविष्य	136एन038वी01
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट फ्यूचर इन्कम प्लान	136एन036वी01
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वृद्धि प्लान	136एन035वी01
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट इमीडिएट इन्कम प्लान	136एन034वी01
		केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ कॉरपोरेट ग्रूप टर्म प्लान	136एन020वी03
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स इंश्योरेंस स्मार्ट फ्यूचर प्लान	136एल037वी01
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	136जी033वी01
20	डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	डीएचएफएल प्रामेरिका स्मार्ट फी प्रोटेक्ट	140एन050वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका रक्षक गोल्ड	140एन049वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका मैग्नम एश्योर	140एन047वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका ई-सेव	140एन046वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका स्मार्ट मनी बैक	140एन045वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका स्मार्ट इन्कम	140एन044वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका ग्रूप टर्म प्लान	140एन034वी03
		डीएचएफएल प्रामेरिका सर्व सुरक्षा	140एन007वी03
		डीएचएफएल प्रामेरिका प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	140जी048वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका ग्रूप ट्रेडिशनल ऐक्सिडेंटल टोटल एण्ड पर्मनेंट डिजेबिलिटी (एटीपीडी) एण्ड एक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट (एडीबी) राइडर	140बी008वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका ट्रेडिशनल वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर	140बी007वी01

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2015-16 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और अनुवृद्धियों (राइडरों) की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
21	एइगॉन रेलिगेर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एइगॉन लाइफ ग्रूप क्रेडिट शील्ड इंश्योरेंस प्लान	138एन057वी01
		एइगॉन लाइफ रेगुलर मनी बैक इंश्योरेंस प्लान	138एन056वी01
		एइगॉन रेलिगेर जीवन शांति इंश्योरेंस प्लान	138एन055वी01
		एइगॉन रेलिगेर आई-इन्कम इंश्योरेंस प्लान	138एन054वी01
		एइगॉन रेलिगेर आई-कैंसर इंश्योरेंस प्लान	138एन053वी01
		एइगॉन रेलिगेर आई-डिजेबिलिटी राइडर	138बी014वी01
		एइगॉन रेलिगेर प्रीमियम शील्ड राइडर	138बी013वी01
		एइगॉन रेलिगेर डब्ल्यूओपी ऑन सीआई ज्वाइंट लाइफ राइडर	138बी012वी01
22	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एसयूडी लाइफ आरोग्यम	142एन051वी01
		एसयूडी लाइफ आयुष्मान	142एन050वी01
		एसयूडी लाइफ इमीडिएट ऐन्युइटी प्लस	142एन048वी02
		एसयूडी लाइफ इमीडिएट ऐन्युइटी प्लस	142एन048वी01
		एसयूडी लाइफ एश्यूर्ड इन्कम प्लान	142एन045वी02
		एसयूडी लाइफ जीवन आश्रय	142एन044वी02
		एसयूडी लाइफ्स एलाइट एश्योर	142एन040वी02
		एसयूडी लाइफ ब्राइट चाइल्ड	142एन039वी02
		एसयूडी लाइफ शिक्षा सुरक्षा 2 प्लान	142एन038वी02
		स्टार यूनियन दाई-ईचीस गारंटीड मनी बैक प्लान	142एन036वी02
		एसयूडी लाइफ ग्रूप रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान	142एल049वी01
		एसयूडी लाइफ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	142जी047वी01
		एसयूडी लाइफ फैमिली इन्कम बेनिफिट राइडर - ट्रैडिशनल	142बी007वी01
23	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	इंडिया फर्स्ट मास मार्केट इंश्योरेंस प्लान	143एन028वी01
		इंडिया फर्स्ट इमीडिएट ऐन्युइटी प्लान	143एन027वी01
		इंडिया फर्स्ट गारंटीड रिटायरमेंट प्लान	143एन026वी01
		इंडिया फर्स्ट महा जीवन प्लान	143एन018वी03
		इंडिया फर्स्ट मनी बैलेंस प्लान	143एल017वी03
		इंडिया फर्स्ट प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्लान	143जी025वी01
24	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	एडेलवेइस टोकियो लाइफ - सिम्प्ली प्रोटेक्ट	147एन035वी01
		एडेलवेइस टोकियो लाइफ - धन लाभ	147एन033वी01
		एडेलवेइस टोकियो लाइफ - ट्रिपल अडवांटेज प्लान	147एन032वी01
		एडेलवेइस टोकियो लाइफ - जीसीएपी	147एन031वी01
		एडेलवेइस टोकियो लाइफ - वेल्थ बिल्डर	147एन026वी02
		एडेलवेइस टोकियो लाइफ - इमीडिएट ऐन्युइटी प्लान	147एन019वी02
		एडेलवेइस टोकियो लाइफ - ग्रूप लाइफ प्रोटेक्शन	147एन008वी03
		एडेलवेइस टोकियो लाइफ - ईज़ी पेंशन	147एल034वी01

अनुबंध 5

31.03.2016 को विद्यमान जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों को सूची

बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	
	वैयक्तिक श्रेणी	सामूहिक श्रेणी
अवीवा लाइफ	अवीवा नई ग्रामीण सुरक्षा	-
बजाज अलायंज़ लाइफ	बजाज अलायंज़ लाइफ बीमा धन सुरक्षा योजना बजाज अलायंज़ लाइफ बीमा धन सुरक्षा योजना बजाज अलायंज़ लाइफ बीमा संचय योजना	- - -
भारती अक्सा लाइफ	-	भारती अक्सा लाइफ जन सुरक्षा
बिड़ला सनलाइफ	बीएसएलआई बीमा सुरक्षा सूपर बीएसएलआई ग्रामीण जीवन रक्षा	- -
केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ	-	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण कवच प्लान
डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ	-	डीएचएफएल प्रामेरिका सर्व सुरक्षा
एडेलवेइस टोकियो लाइफ	एडेलवेइस टोकियो लाइफ रक्षा कवच एडेलवेइस टोकियो लाइफ धन निवेश बीमा योजना	- -
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	एचडीएफसी एसएल सर्वग्रामीण बचत योजना	-
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ	आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत आईसीआईसीआई प्रू सर्व जन सुरक्षा	- -
आईडीबीआई फेडरल लाइफ	टर्मश्योरेंस संपूर्ण सुरक्षा माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान	आईडीबीआई फेडरल ग्रूप माइक्रोश्योरेंस प्लान
कोटक महिन्द्रा लाइफ	संपूर्ण बीमा माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान	
पीएनबी मेटलाइफ	मेटलाइफ ग्रामीण आश्रय	-
सहारा लाइफ	सहारा सुरक्षित परिवार जीवन बीमा	-
एसबीआई लाइफ	एसबीआई लाइफ ग्रामीण बीमा -	एसबीआई लाइफ ग्रामीण सूपर सुरक्षा एसबीआई लाइफ ग्रामीण शक्ति
श्रीराम लाइफ	-	श्री सहाय एसपी
टाटा एआईए लाइफ	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नवकल्याण योजना टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस साथ साथ	- -
भारतीय जीवन बीमा निगम	न्यू जीवन मंगल भाग्य लक्ष्मी	- -

अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित गैर-जीवन बीमा उत्पाद

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
1	बजाज अलायंज़ साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	विस्तारित वारंटी - संशोधन	बीएएल-ओटी-पी15-04-वी02-15-16
		साइबर प्रोटेक्ट	बीएएल-एलआई-पी15-11-वी01-15-16
		कमर्शियल क्राइम इंश्योरेंस पॉलिसी	बीएएल-एलआई-पी15-16-वी01-15-16
		बजाज अलायंज़ केवीबी सुरक्षा प्लस	बीएएल-ओटी-पी16-62-वी01-15-16
		दीर्घकालिक टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी	बीएएल-एमओ-पी16-65-वी01-15-16
		मुर्गी पालन बीमा	बीएएल-ओटी-पी16-67-वी01-15-16
		वेदर इंडेक्स प्लस वेदर प्रोटेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कवर ऐड-ऑन	बीएएल-डब्ल्यूई-ए00-00-30-वी01-15-16
		टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी ऐड ऑन कवर - 247 स्पॉट असिस्टैंस	बीएएल-एमओ-ए00-00-34-वी01-15-16
2	भारती अक्सा साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	फ़सल बीमा - उपज आधारित एमएनएआईएस	बीएक्सए-एजी-पी16-29-वी01-15-16
		मौसम बीमा पॉलिसी	बीएक्सए-डब्ल्यूई-पी16-30-वी01-15-16
		मोटर व्यापार आंतरिक जोखिम	बीएक्सए-एमओ-पी16-36-वी01-15-16
		मोटर व्यापार सड़क जोखिम	बीएक्सए-एमओ-पी16-37-वी01-15-16
		मोटर व्यापार सड़क मार्गस्थ जोखिम	बीएक्सए-एमओ-पी16-38-वी01-15-16
3	चोलामंडलम एमएस साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	आवासीय भवन के भूमि मूल्य / भूमि के अविभक्त अंश के मूल्य की बीमारक्षा के लिए ऐड-ऑन कवर (एसएफएसपी पॉलिसी के अंतर्गत)	सीएचएम-एफआई-ए00-00-29-वी01-15-16
		जीसीसीवी पैकेज - न्यू वेहिकल रीप्लेसमेंट कवर	सीएचएम-एमओ-ए00-00-31-वी01-15-16
		जीसीसीवी पैकेज - लॉस ऑफ इन्कम कवर	सीएचएम-एमओ-ए00-00-32-वी01-15-16
		जीसीसीवी पैकेज - फुल डिप्रीशिएशन वेवर कवर	सीएचएम-एमओ-ए00-00-33-वी01-15-16
4	ईसीजीसी लिमिटेड	क्रेता क्रेडिट कवर - संशोधन	ईसीजी-सीआर-पी16-58-वी02-15-16
		निर्यात टर्नओवर पॉलिसी - संशोधन	ईसीजी-सीआर-पी15-59-वी02-15-16
		छोटे निर्यातक पॉलिसी	ईसीजी-सीआर-पी16-68-वी02-15-16
		शिपमेंट व्यापक जोखिम (एससीआर) पॉलिसी	ईसीजी-सीआर-पी16-69-वी02-15-16
		सेवाओं का निर्यात व्यापक जोखिम (एसआरसी) पॉलिसी	ईसीजी-सीआर-पी16-70-वी02-15-16
		निर्यात टर्नओवर पॉलिसी	ईसीजी-सीआर-पी16-71-वी02-15-16
		परेषण निर्यात (एसएचए) पॉलिसी	ईसीजी-सीआर-पी16-72-वी02-15-16
		परेषण निर्यात (वैश्विक संस्था) पॉलिसी	ईसीजी-सीआर-पी16-73-वी02-15-16
5	एचडीएफसी एरगो साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	ज्वेलर्स व्यापक बीमा	एचडीई-ओटी-पी15-39-वी01-15-16
		मरीन अपहरण और फिरौती पॉलिसी	एचडीई-एलआई-पी15-60-वी01-15-16
		दीर्घकालिक टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी	एचडीई-एमटी-पी16-77-वी01-15-16

जारी... अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित गैर-जीवन बीमा उत्पाद

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	शून्य मूल्यह्रास ऐड-ऑन व्यापक बीमा (टू व्हीलर - दीर्घकालिक) पॉलिसी	आईसीआई-एमओ-00-00-11-वी01-15-16
7	इफ़्को टोकियो साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	जनता सुरक्षा बीमा योजना	आईटीजी-ओटी-पी15-12-वी01-15-16
		जन सेवा बीमा योजना	आईटीजी-ओटी-पी15-13-वी01-15-16
		अपराध बीमा	आईटीजी-एलआई-पी16-57-वी01-15-16
8	कोटक महिन्द्रा साधारण बीमा कंपनी लि.	कोटक कार सेक्यूर	केएमजी-एमओ-पी16-47-वी01-15-16
		कोटक टू व्हीलर सेक्यूर	केएमजी-एमओ-पी16-48-वी01-15-16
		कोटक कमर्शियल वेहिकल सेक्यूर (पैसेंजर कैरीइंग वेहिकल)	केएमजी-एमओ-पी16-49-वी01-15-16
		कोटक कमर्शियल वेहिकल सेक्यूर (गूड्स केरीइंग वेहिकल)	केएमजी-एमओ-पी16-50-वी01-15-16
		कोटक कमर्शियल वेहिकल सेक्यूर (विविध डी)	केएमजी-एमओ-पी16-51-वी01-15-16
		केवल देयता (निजी कर)	केएमजी-एमटी-पी16-52-वी01-15-16
		केवल देयता (टू व्हीलर)	केएमजी-एमटी-पी16-53-वी01-15-16
		केवल देयता (जीसीवी)	केएमजी-एमटी-पी16-54-वी01-15-16
		केवल देयता (पीसीवी)	केएमजी-एमटी-पी16-55-वी01-15-16
		केवल देयता (विविध डी)	केएमजी-एमटी-पी16-56-वी01-15-16
		मूल्यह्रास कवर	केएमजी-एमओ-ए00-00-24-वी01-15-16
		उपभोग्य वस्तुएँ कवर	केएमजी-एमओ-ए00-00-25-वी01-15-16
		इंजन प्रोटेक्ट	केएमजी-एमओ-ए00-00-26-वी01-15-16
		रिटर्न टू इनवॉइस	केएमजी-एमओ-ए00-00-27-वी01-15-16
		रोडसाइड असिस्टैंस	केएमजी-एमओ-ए00-00-28-वी01-15-16
9	एल एण्ड टी साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	किसान पैकेज पॉलिसी	एलएनटी-ओटी-पी16-43-वी01-15-16
		मेरी जीविका वाणिज्यिक और विविध एवं विशेष प्रकार के वाहन पैकेज पॉलिसी	एलएनटी-एमओ-पी16-64-वी02-15-16
		माई ऐसेट टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी - रेटिंग में संशोधन	एलएनटी-एमओ-पी16-74-वी02-15-16
		माई ऐसेट टू व्हीलर पैकेज इंश्योरेंस	एलएनटी-एमओ-ए00-00-08-वी01-15-16
10	लिबर्टी वीडियोकॉन साधारण बीमा कंपनी लि.	टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत बहुवर्षीय पॉलिसी विकल्प	एलवीजी-एमओ-पी16-44-वी01-15-16
		होम कनेक्ट	एलवीजी-ओटी-पी16-75-वी01-15-16
		टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी - ऐड ऑन जीएपी वैल्यू कवर	एलवीजी-एमओ-ए00-00-12-वी01-15-16
		टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी- ऐड ऑन - रोडसाइड असिस्टैंस	एलवीदी-एमओ-ए00-00-13-वी01-15-16
		टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी - ऐड ऑन - एंजिन सेफ़)	एलवीजी-एमओ-ए00-00-14-वी01-15-16
	(जारी...)	गैप वैल्यू कवर - टीडब्ल्यू के अंतर्गत बहुवर्षीय विकल्प	एलवीजी-एमओ-ए00-00-16-वी01-15-16

जारी... अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित गैर-जीवन बीमा उत्पाद

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
(जारी...)	लिबर्टी वीडियोकॉन साधारण बीमा कंपनी लि.	रोडसाइड असिस्टैंस कवर - टीडब्ल्यू के अंतर्गत बहुवर्षीय विकल्प एंजिन सेफ़ - टीडब्ल्यू के अंतर्गत बहुवर्षीय विकल्प	एलवीजी-एमओ-ए00-00-17-वी01-15-16 एलवीजी-एमओ-ए00-00-18-वी01-15-16
11	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	दीर्घकालिक टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट - निजी कार पैकेज पॉलिसी इंजन प्रोटेक्ट - निजी कार पैकेज पॉलिसी इंजन प्रोटेक्ट - टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी इंजन प्रोटेक्ट - कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी एनसीबी प्रोटेक्ट - कमर्शियल वेहिकल्स पैकेज पॉलिसी एनसीबी प्रोटेक्ट - टू व्हीलर्स पैकेज पॉलिसी इनवॉइस प्रोटेक्ट (कमर्शियल वेहिकल्स पैकेज पॉलिसी का ऐड-ऑन)	एनआईसी-एमओ-पी16-31-वी01-15-16 एनआईसी-एमओ-ए00-00-04-वी01-15-16 एनआईसी-एमओ-ए00-00-05-वी01-15-16 एनआईसी-एमओ-ए00-00-06-वी01-15-16 एनआईसी-एमओ-ए00-00-07-वी01-15-16 एनआईसी-एमओ-ए00-00-09-वी01-15-16 एनआईसी-एमओ-ए00-00-10-वी01-15-16 एनआईसी-एमओ-ए00-00-15-वी01-15-16
12	रहेजा क्यूबीई साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	क्लिनिकल ट्रॉयल्स बीमा पॉलिसी	आरक्यूबी-एलआई-पी16-45-वी02-15-16
13	रायल सुंदरम साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	आल रिस्क्स इंश्योरेंस पॉलिसी - संशोधन निजी कार पैकेज पॉलिसी - की रीप्लेसमेंट क्लॉज़	आरएसए-एफआई-पी16-63-वी02-15-16 आरएसए-एमओ-ए00-00-03-वी01-15-16
14	एसबीआई साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	दीर्घकालिक टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी	एसबीजी-एमओ-पी16-66-वी01-15-16 एसबीजी-सीआर-पी16-76-वी02-15-16
15	श्रीराम साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	बर्ग्लरी इंश्योरेंस - संशोधन	एसजीआई-ओटी-पी16-61-वी02-15-16
16	टाटा एआईजी साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड (जारी....)	ई-गार्ड (3 वर्ष तक दीर्घकालिक) ग्रामीण पैकेज पॉलिसी बिजनेस गार्ड - दीर्घकालिक एग्रिकल्चर पंपसेट इंश्योरेंस (9 वर्ष तक) मरीन कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी कर्मकार प्रतिकर बीमा प्रोडक्ट रीकॉल इंश्योरेंस दीर्घकालिक टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी ऑटो सेक्यूर - टीडब्ल्यू ऐड-ऑन्स - अतिरिक्त अन्य पक्ष संपत्ति क्षति कवर ऑटो सेक्यूर - टीडब्ल्यू ऐड-ऑन्स - उपभोग्य वस्तुएँ - व्यय ऑटो सेक्यूर - टीडब्ल्यू ऐड-ऑन्स - आपाती चिकित्सा व्यय	टीएजी-ओटी-पी15-05-वी01-15-16 टीएजी-ओटी-पी15-10-वी01-15-16 टीएजी-ओटी-पी15-14-वी01-15-16 टीएजी-एमसी-पी15-15-वी02-15-16 टीएजी-ओटी-पी15-17-वी02-15-16 टीएजी-एलआई-पी15-35-वी01-15-16 टीएजी-एमओ-पी16-46-वी01-15-16 टीएजी-एमओ-ए00-00-19-वी01-15-16 टीएजी-एमओ-ए00-00-20-वी01-15-16 टीएजी-एमओ-ए00-00-21-वी01-15-16

जारी... अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित गैर-जीवन बीमा उत्पाद

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
(जारी...)	टाटा एआईजी साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड	ऑटो सेक्यूर - टीडब्ल्यू ऐड-ऑन्स - ओनर ड्राइवर को अतिरिक्त वैयक्तिक दुर्घटना कवर	टीएजी-एमओ-ए00-00-22-वी01-15-16
		ऑटो सेक्यूर - टीडब्ल्यू ऐड-ऑन्स - अकथित व्यक्तियों को अतिरिक्त वैयक्तिक दुर्घटना कवर	टीएजी-एमओ-ए00-00-23-वी01-15-16
		दीर्घकालिक टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी ऐड-ऑन - मूल्यह्रास का अलाउंस	टीएजी-एमओ-ए00-00-35-वी01-15-16
		दीर्घकालिक टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी ऐड-ऑन - रिटर्न टू इनवॉइस	टीएजी-एमओ-ए00-00-36-वी01-15-16
17	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	फिस्ट हानि आधार पर गृह सुविधा पॉलिसी	एनआईए-ओटी-पी15-02-वी01-15-16
		जन सुरक्षा लघु बीमा पॉलिसी - सूक्ष्म बीमा	एनआईए-ओटी-पी15-03-वी02-15-16
		न्यूक्लियर परिचालक (ऐक्ट ओन्ली) देयता पॉलिसी	एनआईए-एलआई-पी16-28-वी01-15-16
		निजी कार पैकेज पॉलिसी - संवर्धित कवर - शून्य डिप	एनआईए-एमओ-ए00-00-01-वी01-15-16
		निजी कार पैकेज पॉलिसी - संवर्धित कवर - रोड टैक्स कवर	एनआईए-एमओ-ए00-00-37-वी01-15-16
		निजी कार पैकेज पॉलिसी - संवर्धित कवर - रिटर्न टू इनवॉइस कवर	एनआईए-एमओ-ए00-00-38-वी01-15-16
		निजी कार पैकेज पॉलिसी - संवर्धित कवर - नो क्लेम बोनस (एनसीबी) प्रोटेक्शन	एनआईए-एमओ-ए00-00-39-वी01-15-16
		निजी कार पैकेज पॉलिसी - संवर्धित कवर - एंजिन प्रोटेक्ट कवर	एनआईए-एमओ-ए00-00-40-वी01-15-16
		निजी कार पैकेज पॉलिसी - संवर्धित कवर - अतिरिक्त टोइंग प्रभार कवर	एनआईए-एमओ-ए00-00-41-वी01-15-16
		निजी कार पैकेज पॉलिसी - संवर्धित कवर - लॉस ऑफ़ कंटेंट्स कवर	एनआईए-एमओ-ए00-00-42-वी01-15-16
18	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	डब्ल्यूसी पॉलिसी के लिए मेडिकल एस्कटेन्शन ऐड-ऑन	ओआईसी-ओटी-ए00-00-02-वी01-15-16
19	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एग्जिक्यूटिव प्रोटेक्ट (निदेशक और अधिकारी)	यूआईआई-एलआई-पी15-06-वी01-15-16
		दुकानदार का बीमा	यूआईआई-ओटी-पी15-07-वी02-15-16
		यूएनआई उत्पाद देयता बीमा	यूआईआई-एलआई-पी15-08-वी01-15-16
		यूएनआई एमएसएमई प्रोटेक्ट बीमा	यूआईआई-ओटी-पी15-09-वी01-15-16

अनुबंध 7

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सूची

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	दिनांक	यूआईएन
1	अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	डेंग्यू केअर	23.05.2015	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/एएमएचआई/पी-एच/वी./74/14-15
		एड्यू केअर	19.06.2015	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/एएमएचआई/पी-एच/वी./72/14-15
		क्रिटिकल अडवांटेज राइडर	19.06.2015	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/एएमएचआई/पी-एच/वी./59/14-15
		एविरी डे केअर	12.08.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/एएमएचआई/पी-एच/वी./01/15-16
		एनर्जी	16.12.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/एएमएचआई/पी-एच/वी./10/15-16
		व्यक्तिगत वैयक्तिक दुर्घटना	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एएमएचआई/पी-पी/वी./20/2015-16
2	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	बीमाकृत व्यक्ति और पारिवारिक सदस्यों के लिए आपाती होटल एक्सटेंशन	11.05.2015	आईआरडीए/एनएल एचएलटी/बीएजीआई/पी-टी/वी./60/14-15
		पारिवारिक सदस्य द्वारा सहानुभूतिपूर्वक मुलाकात	11.05.2015	आईआरडीए/एनएल एचएलटी/बीएजीआई/पी-टी/वी./60/14-15
		पारिवारिक सदस्यों के लिए आपाती होटल व्यवस्था	11.05.2015	आईआरडीए/एनएल एचएलटी/बीएजीआई/पी-टी/वी./65/14-15
		व्यक्तिगत वस्तुओं की हानि का कवर	11.05.2015	आईआरडीए/एनएल एचएलटी/बीएजीआई/पी-टी/वी./66/14-15
		अवयस्क बच्चे/बच्चों के लिए मार्गरक्षण	11.05.2015	आईआरडीए/एनएल एचएलटी/बीएजीआई/पी-टी/वी./67/14-15
		स्टाफ का प्रतिस्थापन और पुनर्व्यवस्था	11.05.2015	आईआरडीए/एनएल एचएलटी/बीएजीआई/पी-टी/वी./68/14-15
		सामूहिक अस्पताल नकदी पॉलिसी	18.06.2015	आईआरडीए/एनएल एचएलटी/बीएजीआई/पी-एच/वी./64/14-15
		यात्रा प्रधान पॉलिसी	18.06.2015	आईआरडीए/एनएल एचएलटी/बीएजीआई/पी-टी/वी./37/14-15
		आकस्मिक अस्पताल में भर्ती कवर	18.06.2015	आईआरडीए/एनएल एचएलटी/बीएजीआई/पी-एच/वी./84/14-15
		ग्लोबल पर्सनल गार्ड पॉलिसी वैयक्तिक	23.02.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/बीएजीआई/पी-पी/वी./30/2015-16
3	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	जनता वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी (सामूहिक)	31.03.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएचएसजीआई/पी-पी/वी./33/15-16
		चोल इन्कम शील्ड इंश्योरेंस ग्रूप	29.02.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएचएसजीआई/पी-एच/वी./24/15-16
4	सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	सिगना टीटीके प्रो हेल्थ कैश	14.07.2015	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/सीटीटीके/पी-एच/वी./70/14-15
		सिगना टीटीके लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन ग्रूप पॉलिसी	02.12.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीटीटीके/पी-एच/वी./81/2014-15
		सिगना टीटीके प्रो हेल्थ इंश्योरेंस	02.03.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीटीटीके/पी-एच/वी./390/15-16
5	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	हेल्थ टोटल	23.06.2015	आईआरडीएआई/एचएलची/एफजीआईआई/पी-एच/वी./02/15-16
		सुषमा होपी कैश ग्रूप सूक्ष्म बीमा	31.03.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एफजीआईआई/पी-एच/वी./34/15-16
6	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	एचडीएफसी एरगो जनता पर्सनल ऐक्सिडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी	03.06.2015	आईआरडीएआई/एनएल-एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-पी/वी.1/82/14-15
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस	31.03.2016	आईआरडीएआई/एनएल-एचएलटी/आईसीआईसीआई/पी-एच/वी./63/15-16
		हेल्थ बूस्टर इंडिविड्युअल	03.03.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/आईसीआईसीआई/पी-एच/वी./31/15-16
8	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	इंडिविड्युअल पर्सनल ऐक्सिडेंट ग्रैंड	24.06.2015	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/आईटीजीआई/पी-पी/वी./13/14-15
9	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	कोटक हेल्थ केअर	16.02.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/केएमजीआई/पी-एच/वी./28/2015-16
10	लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	लिबर्टी वीडियोकॉन हॉस्पी कैश कनेक्ट पॉलिसी	10.09.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/एलवीजीआई/पी-एच/वी.1/77/14-15
		ओवरसीज़ ट्रैवल कनेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी	28.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एलवीजीआई/पी-टी/वी./32/15-16
		ओवरसीज़ स्टूडेंट ट्रैवल कनेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी	28.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एलवीजीआई/पी-टी/वी./33/15-16
		लिबर्टी वीडियोकॉन सेक्यूर फ्यूचर कनेक्ट पॉलिसी	16.02.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एलवीजीआई/पी-एच/वी.1/29/15-16

जारी... अनुबंध 7

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सूची

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	दिनांक	यूआईएन
11	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	मेडीक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी वैयक्तिक	22.05.2015	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/ओआईसी/पी-एच/वी./448/14-15
		ओरियन्टल हैपी कैश निश्चिंत रहें!	22.05.2015	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/ओआईसी/पी-एच/वी./73/14-15
		हैपी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी 2015	07.10.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/ओआईसी/पी-एच/वी./450/15-16
12	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	हेल्थ क्यूयूबीई	31.03.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरक्यूबीईजीआई/पी-एच/वी./35/15-16
13	रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	स्टूडेंट एक्सप्लोर	26.06.2015	आईआरडीए/एनएल एचएलटी/आरएचआई/पी-टी/वी./70/2014-15
		केअर फ्रीडम	03.07.2015	आईएरडीए/एनएल एचएलटी/आरएचआई/पी-एच/वी./36/2014-15
		ग्रूप एक्सप्लोर पॉलिसी	23.11.2015	आईआरडीए/एचएलटी/आरएचआई/पी-टी/वी./53/2014-15
		ग्रामीण केअर - सूक्ष्म बीमा उत्पाद	21.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरएचआई/पी-एच/वी./27/2015-16
14	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	स्मार्ट कैश प्लान	12.08.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरएसएआई/पी-एच/वी./181/14-15
		लाइफ लाइन	09.12.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरएसएआई/पी-एच/वी./32/15-16
15	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	ग्रूप बिजनेस ट्रैवल (इंटरनेशनल) इंश्योरेंस	23.11.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसबीआईजीआई/पी-टी/वी./85/14-15
16	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	स्टार कांप्रेहेन्सिव इंश्योरेंस पॉलिसी	07.04.2015	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/एसएचएआई/पी-एच/वी./398/14-15
		सीनियर सिटिजन रेड कार्पेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी	16.06.2015	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/एसएचएआई/पी-एच/वी./172/14-15
		ऐक्सिडेंटल केअर इंडिविड्युअल इंश्योरेंस पॉलिसी	20.08.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-पी/वी./134/15-16
		फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ऐक्सिडेंट केअर पॉलिसी	24.09.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-पी/वी./166/15-16
		मेडी क्लैसिक ऐक्सिडेंट केअर (इंडिविड्युअल) इंश्योरेंस पॉलिसी	24.09.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-पी/वी./162/15-16
		ग्रूप हेल्थ इंश्योरेंस	23.03.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-एच/वी./32/15-16
		ऐक्सिडेंट केअर (ग्रूप) इंश्योरेंस रिविज़न	29.03.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-एच/वी./102/2015-16
17	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	होम गार्ड प्लस पॉलिसी	23.04.2015	आईआरडीएआई/एनएल एचएलटी/टीएजीआई/पी-एच/वी./287/14-15
		स्टूडेंट गार्ड ओवरसीज़ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान	19.06.2015	आईआरडीएआई/एनएल एचएलटी/टीएजीआई/पी-टी/वी./237/14-15
		ऐक्सिडेंट शील्ड पॉलिसी	26.05.2015	आईआरडीएआई/एचएलटी/टीएजीआई/पी-पी/वी./200/15-16
18	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	नेशनल परिवार मेडीक्लेम पॉलिसी	24.06.2015	आईआरडीएआई/एनएल एचएलटी/एनआई/पी-एच/वी./61/14-15
		नेशनल परिवार मेडीक्लेम प्लस पॉलिसी	24.06.2015	आईआरडीएआई/एनएल एचएलटी/एनआई/पी-एच/वी./62/14-15
		नेशनल हीरो ऐक्सिडेंट सुरक्षा पॉलिसी	24.06.2015	आईआरडीएआई/एनएल एचएलटी/एनआई/पी-पी/वी./78/14-15
19	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	ओवरसीज़ ट्रैवल इंश्योरेंस 2014	25.05.2015	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/यूआईआई/पी-टी/वी./37/14-15
		भाग्यश्री इंश्योरेंस - वैयक्तिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./3/2015-16
		भाग्यश्री इंश्योरेंस - सामूहिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./4/2015-16
		ग्रूप रोड सेफ्टी इंश्योरेंस	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./5/2015-16
		इंडिविड्युअल रोड सेफ्टी पॉलिसी	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./6/2015-16
		जनता पॅर्सनल ऐक्सिडेंट - वैयक्तिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./7/2015-16
		जनता पॅर्सनल ऐक्सिडेंट - सामूहिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./8/2015-16
		मदर टेरीसा वीमेन एण्ड चिल्ड्रन पॉलिसी	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./9/2015-16
	(जारी...)	राज राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना (वैयक्तिक)	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./10/2015-16

जारी... अनुबंध 7

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सूची

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	दिनांक	यूआईएन
(जारी...)	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	राज राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना (सामूहिक)	11.01.2016	आईआईडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./11/2015-16
		नादलाहिरी वैयक्तिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./12/2015-16
		नादलाहिरी सामूहिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./13/2015-16
		पैसेंजर फ्लाइट कूपन - वैयक्तिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./14/2015-16
		पैसेंजर फ्लाइट कूपन - सामूहिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./15/2015-16
		ग्रामीण ऐक्सिडेंट पॉलिसी - वैयक्तिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./16/2015-16
		ग्रामीण ऐक्सिडेंट पॉलिसी - सामूहिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./17/2015-16
		किसान क्रेडिट कार्ड सामूहिक बीमा	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./18/2015-16
		रूरल वीमेन पैकेज	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./19/2015-16
		रूरल ऐक्सिडेंट पैकेज	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./20/2015-16
		यूनीस्टडीकेअर वैयक्तिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./21/2015-16
		यूनीस्टडीकेअर सामूहिक	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./22/2015-16
		स्टूडेंट सेफ़्टी	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./23/2015-16
		पैकेज पीबीबीवाई (प्रवासी भारतीय बीमा योजना)	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./24/2015-16
		सुहाना सफ़र	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./25/2015-16
		ग्रूप मार्गबंधु पॉलिसी	11.01.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/यूआईआई/पी-पी/वी./26/2015-16

अनुबंध 8

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचनाएँ

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
1	आईआरडीए/एजीटीएस/जीडीएल/सीआईआर/060/04/2015	एजेंट	दिशानिर्देश/अनुदेश	1/4/2015	बीमा एजेंटों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश 2015 - बीमाकर्ताओं को अनुदेश
2	आईआरडीए/एफए/सीआईआर/जीएलडी/062/04/2015	वित्त और लेखा	परिपत्र	6/4/2015	बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3ए के साथ पठित धारा 3 के अधीन निर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र
3	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/063/04/2015	स्वास्थ्य विभाग	विनियम	6/4/2015	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 के विनियम 12 का अनुपालन
4	आईआरडीए/आई सी/ओआरडी/ओएनएस/064/04/2015	निरीक्षण और अनुपालन	आदेश	6/4/2015	मेसर्स एक्सलेंट इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ लि. के मामले में आदेश
5	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/एमआईएससी/065/04/2015	गैर-जीवन	दिशानिर्देश/अनुदेश	6/4/2015	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बीमा व्यवसाय संबंधी दिशानिर्देश
6	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/बीएपी/066/04/2015	बीमांकिक	परिपत्र	8/4/2015	एआरए, एएआर और पुनर्बीमा विवरणियों की प्रस्तुति
7	आईआरडीए/एजीटीएस/एमआईएससी/ओआरडी/067/04/2015	एजेंट	विविध	9/4/2015	बीमा वितरण प्रणाली के प्रशिक्षण/व्यवसायीकरण की जाँच करने के लिए समिति
8	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/069/04/2015	प्रवर्तन	आदेश	9/4/2015	मेसर्स सुरक्षा इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि., कोलकाता के मामले में आदेश
9	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/070/04/2015	प्रवर्तन	आदेश	9/4/2015	मेसर्स रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मामले में आदेश
10	आईआरडीए/एसयूआर/आरईजी/ओआरडी/071/04/2015	सर्वेक्षक	विनियम	10/4/2015	आईआईआईएसएलए सदस्यता सहित सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों (वैयक्तिक और कॉरपोरेट) की वेबसूची
11	आईआरडीए/टीपीए/एमआईएससी/ओआरडी/072/04/2015	टीपीए (आईएनटीआरएमई)	विविध	15/4/2015	मेसर्स श्री गोकुलम हेल्थ सर्विसेज़ टीपीए प्रा.लि. के मामले में
12	आईआरडीए/बीआरके/जीडीएल/सीआईआर/074/04/2015	दलाल	दिशानिर्देश/अनुदेश	16/4/2015	साधारण बीमा कंपनियों और जीआईसी रे के सभी सीईओ
13	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर//075/04/2015	गैर-जीवन	परिपत्र	17/4/2015	बीएपी नॉन-लाइफ मॉड्यूल द्वारा कार्यालय में दाखिल आवेदन की प्रस्तुति
14	आईआरडीए/एजीटीएस/सीआईआर/जीएलडी/081/04/2015	एजेंट	परिपत्र	21/4/2015	बीमा एजेंटों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश - 2015
15	आईआरडीए/टीएसी/ओआरडी/एडीएमएन/077/04/2015	प्रशुल्क सलाहकार समिति	आदेश	21/4/2015	टीएसी के भ.नि. न्यासों और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन
16	आईआरडीए/आईएनएसपी/ओआरडी/ओएनएस/083/04/2015	निरीक्षण	आदेश	23/4/2015	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
17	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/जीआरवी/084/04/2015	जीवन	परिपत्र	23/4/2015	एफआरएम पीएच की शिकायतों और परिवादों पर कार्रवाई
18	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ओआरडी/085/04/2015	स्वास्थ्य विभाग	विविध	24/4/2015	मेसर्स चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
19	आईआरडीए/टीपीए/विविध/ओआरडी/087/04/2015	टीपीए (आईएनटीआरएमई)	विविध	27/4/2015	गुड हेल्थ प्लान (टीपीए) लिमिटेड, हैदराबाद के मामले में अंतिम आदेश
20	आईआरडीए/टीपीए/विविध/ओआरडी/088/04/2015	टीपीए (आईएनटीआरएमई)	विविध	28/4/2015	जेनिन्स इंडिया टीपीए लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश

जारी... अनुबंध 8

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचनाएँ

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
21	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ओआरडी/090/04/2015	स्वास्थ्य विभाग	विविध	29/4/2015	मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश
22	आईआरडीए/आईएनएसपी/ओआरडी/ओएनएस/089/04/2015	निरीक्षण	आदेश	29/4/2015	मेसर्स ऐमश्योर इंश्योरेंस एजेंसी लि. के मामले में अंतिम आदेश
23	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/092/04/2015	दलाल	विविध	30/4/2015	मेसर्स श्री विघ्नेश्वर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश
24	आईआरडीए/एफआई/सीआईआर/आईएनवी/093/04/2015	एफ एण्ड आई	परिपत्र	30/4/2015	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अधीन जमाराशि का आहरण
25	आईआरडीए/एचएलटी/डब्ल्यूआरएन/ओआरडी/095/05/2015	स्वास्थ्य विभाग	चेतावनी	1/5/2015	मेसर्स बजाज अलायंज़ के मामले में आदेश
26	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/विविध/104/05/2015	जीवन	परिपत्र	11/5/2015	बीएपी द्वारा जीवन के लिए विवरणियों की प्रस्तुति
27	आईआरडीए/एनएल/ईटीएएसएस/आरआईएन/103/05/2015	गैर-जीवन	इले.अंत.और निप. प्रणाली	11/5/2015	ईटीएएसएस दिशानिर्देश
28	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एडीवी/105/05/2015	गैर-जीवन	परिपत्र	12/5/2015	बीएपी द्वारा उत्पाद फाइलिंग आवेदनों की प्रस्तुति - एनएल
29	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/विविध/106/05/2015	जीवन	परिपत्र	18/5/2015	प्रीमियमों के संग्रहण पर प्राप्ति-स्वीकृति और प्राप्त प्रीमियमों की वापसी/ बीमा हेतु विप्रेषित जमाराशियों के लिए कार्यविधियाँ
30	आईआरडीए/टीएसी/ओआरडी/एडीएमएन/107/05/2015	प्रशुल्क सलाहकार समिति	आदेश	19/5/2015	सचिव, टीएसी का पुनः पदनामन
31	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/बीएपी/108/05/2015	बीमांकिक	परिपत्र	20/5/2015	बीएपी द्वारा जीवन बीमा उत्पादों/ राइडरों की प्रस्तुति
32	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/112/05/2015	प्रवर्तन	विविध	26/5/2015	मेसर्स इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
33	आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/आईएनएसआरई/111/05/2015	मध्यवर्ती विभाग	दिशानिर्देश/अनुदेश	26/5/2015	बीमा रिपोज़िटरियों पर संशोधित दिशानिर्देश और बीमा पॉलिसियों का इलैक्ट्रॉनिक निर्गम
34	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/113/05/2015	प्रवर्तन	आदेश	28/5/2015	मेसर्स रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. के मामले में आदेश
35	आईआरडीए/एफए/सीआईआर/जीएलडी/114/05/2015	वित्त और लेखा	परिपत्र	5/28/2015	टीईएच पॉलिसीधारकों से संबंधित अदावी राशियों संबंधी कार्रवाई
36	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/115/06/2015	प्रवर्तन	आदेश	9/6/2015	मेसर्स फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
37	आईआरडीए/टीपीए/विविध/सीआईआर/117/06/2015	टीपीए (आईएनटीआरएमई)	विविध	22/6/2015	अस्पतालों द्वारा प्रस्तावित बिलों पर छूट
38	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/120/06/2015	दलाल	विविध	26/6/2015	मेसर्स ईशान इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि. के मामले में आदेश
39	आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/123/07/2015	मध्यवर्ती विभाग	विविध	2/7/2015	बीमा क्षेत्र में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देनेवाले जीवन और साधारण बीमा समूह की समिति

जारी... अनुबंध 8

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचनाएँ

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
40	आईआरडीए/एफआई/ओआरडी/एफए/125/07/2015	एफआई	आदेश	3/7/2015	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
41	आईआरडीए/एफआई/ओआरडी/एफए/126/07/2015	एफआई	आदेश	3/7/2015	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
42	आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/128/07/2015	मध्यवर्ती विभाग	विविध	7/7/2015	मेसर्स स्ट्रैटस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के संबंध में आदेश
43	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/129/07/2015	गैर-जीवन	परिपत्र	14/7/2015	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की नियुक्ति
44	आईआरडीए/एसीटी/ओआरडी/जीवन/130/07/2015	बीमांकिक	आदेश	22/7/2015	विनियमों की समीक्षा - जीवन
45	आईआरडीए/एसीटी/ओआरडी/जीईएन/131/07/2015	बीमांकिक	आदेश	22/7/2015	विनियमों की समीक्षा - साधारण
46	आईआरडीए/एसीटी/ओआरडी/आरआईएन/132/07/2015	बीमांकिक	आदेश	22/7/2015	पुनर्बीमाकर्ता का विदेशी कार्यालय
47	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/133/07/2015	प्रवर्तन	आदेश	24/7/2015	मेसर्स एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. की ऑन-साइट निरीक्षण रिपोर्ट पर आदेश
48	आईआरडीए/एफए/सीआईआर/सीपीएम/134/07/2015	वित्त और लेखा	परिपत्र	24/7/2015	पॉलिसीधारकों से संबंधित अदावी राशियों संबंधी कार्रवाई
49	आईआरडीए/आईएनटी/ओआरडी/आईएनएसआरई/135/07/2015	मध्यवर्ती विभाग	आदेश	24/7/2015	केवाईसी के लिए तकनीकी समिति का गठन
50	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/138/07/2015	प्रवर्तन	आदेश	31/7/2015	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में आदेश
51	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/विविध/140/08/2015	जीवन	परिपत्र	4/8/2015	पॉलिसीधारकों से वार्षिकी विकल्प प्राप्त करना
52	आईआरडीए/सीएडी/ओआरडी/विविध/142/08/2015	उपभोक्ता कार्य	आदेश	5/8/2015	वाणिज्यिक टेलीविज़न के प्रेषण के लिए डिजिटल सिनेमा का उपयोग
53	आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/141/08/2015	मध्यवर्ती विभाग	विविध	5/8/2015	मेसर्स अनिल कृष्ण इंश्योरेंस ब्रोकिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लि. के संबंध में आदेश
54	आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/विविध/143/08/2015	जीवन	आदेश	7/8/2015	मेसर्स रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
55	आईआरडीए/आईएनटी/ओआरडी/आईएनएसआरई/146/08/2015	मध्यवर्ती विभाग	आदेश	10/8/2015	आइट्रिक्स (बीमा लेनदेन एक्सचेंज) का विकास और अनुरक्षण
56	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/विविध/147/08/2015	जीवन	परिपत्र	13/8/2015	बीमा विज्ञापन संबंधी मास्टर परिपत्र
57	आईआरडीए/एचएलटी/डब्ल्यूआरएन/ओआरडी/150/08/2015	स्वास्थ्य विभाग	चेतावनी	20/8/2015	दी इकनॉमिक टाइम्स में विज्ञापन के लिए स्टार हेल्थ को पत्र
58	आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/149/08/2015	मध्यवर्ती विभाग	विविध	20/8/2015	मेसर्स एस्कायर इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि. के संबंध में आदेश
59	आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/151/08/2015	मध्यवर्ती विभाग	विविध	20/8/2015	मेसर्स स्पेस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में आदेश
60	आईआरडीए/आईएनटी/ओआरडी/आईएनएसआरई/153/08/2015	मध्यवर्ती विभाग	आदेश	25/8/2015	आइट्रिक्स संबंधी समिति

जारी... अनुबंध 8

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचनाएँ

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
61	आईआरडीए/एफआई/सीआईआर/आईएनवी/156/08/2015	एफआई	परिपत्र	27/8/2015	(गिल्ट-ईटीएफ) अंतर्निहित जी सेक के साथ विनिमय व्यापारित निधियों में निवेश संबंधी दिशानिर्देश
62	आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/विविध/157/08/2015	जीवन	आदेश	28/8/2015	सं. आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/विविध/143/08/2015 दिनांक 6 अगस्त 2015 से युक्त अंतिम आदेश का आशोधन
63	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/162/09/2015	प्रवर्तन	आदेश	4/9/2015	मेसर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में आदेश
64	आईआरडीए/एफ़ए/सीआईआर/डीएलडी/161/09/2015	वित्त और लेखा	परिपत्र	4/9/2015	बीएपी मॉड्यूल द्वारा एफएण्डए जीवन के लिए विवरणियों की प्रस्तुति
65	आईआरडीए/एफ़ए/ओआरडी/टीआरएसएच/163/09/2015	वित्त और लेखा	आदेश	7/9/2015	आरएलआईसी के विरुद्ध दंड का आदेश
66	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/विविध/164/09/2015	गैर-जीवन	आदेश	7/9/2015	मोटर वाहन डेटाबेस की साझेदारी हेतु मॉडल के विकास के लिए समिति
67	आईआरडीए/एफ़ए/ओआरडी/टीआरएसएच/165/09/2015	वित्त और लेखा	आदेश	9/9/2015	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के विरुद्ध दंड का आदेश
68	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/बीएपी/166/09/2015	बीमांकिक	परिपत्र	11/9/2015	व्यवसाय विश्लेषण-विध परियोजना (बीएपी) द्वारा आईबीएनआर रिपोर्ट की प्रस्तुति
69	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/ओआरडी/171/09/2015	मध्यवर्ती विभाग	परिपत्र	16/9/2015	बीमा विपणन फर्म के नाम संबंधी स्पष्टीकरण
70	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/173/09/2015	गैर-जीवन	परिपत्र	24/9/2015	दावों के निपटान में उन्मोचन वाउचर
71	आईआरडीए/एसडीडी/जीडीएल/सीआईआर/175/09/2015	क्षेत्रवार विकास	दिशानिर्देश/अनुदेश	28/9/2015	एएमएल/सीएफटी संबंधी मास्टर परिपत्र
72	आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/विविध/176/10/2015	जीवन	आदेश	9/10/2015	मेसर्स टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
73	आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/विविध/177/10/2015	जीवन	आदेश	9/10/2015	मेसर्स आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
74	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/जीएलडी/179/10/2015	जीवन	परिपत्र	15/10/2015	ऋणदाता-उधारकर्ता सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत सामूहिक बीमा किन्स्योरेंस पॉलिसियों के लिए दावा प्रसंस्करण संबंधी दिशानिर्देश
75	आईआरडीए/एफ़ए/जीडीएल/जीएलडी/180/10/2015	वित्त और लेखा	दिशानिर्देश/अनुदेश	19/10/2015	भारतीय बीमा कंपनी के लिए 'भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित' अपेक्षाओं संबंधी दिशानिर्देश
76	आईआरडिए/सीडब्ल्यू/सीआईआर/विविध/181/10/2015	संचार खंड	परिपत्र	23/10/2015	कैलेंडरों का मुद्रण
77	आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/ओआरडी/183/10/2015	मध्यवर्ती विभाग	दिशानिर्देश/अनुदेश	26/10/2015	विक्रेता स्थान संबंधी दिशानिर्देश - गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
78	आईआरडीए/जीवन/जीडीएल/विविध/186/10/2015	जीवन	दिशानिर्देश/अनुदेश	28/10/2015	विभिन्न परिदृश्यों में बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के उपबंधों की प्रयोज्यता

जारी... अनुबंध 8

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचनाएँ

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
79	आईआरडीए/सीएडी/सीआईआर/विविध/194/11/2015	उपभोक्ता कार्य	परिपत्र	3/11/2015	बीमा लोकपाल के अधिनिर्णय अथवा एमएसीटी या उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन न करना
80	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/195/11/2015	प्रवर्तन	विविध	4/11/2015	मेसर्स आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
81	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/196/11/2015	गैर-जीवन	परिपत्र	4/11/2015	ई-गाड़ियों, ई-रिक्शाओं के लिए मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम दरें तथा किराये या प्रतिफल के लिए यात्रियों को ले जानेवाले मोटरीकृत टू-व्हीलरों के लिए यात्री प्रीमियम
82	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/आईएनएसआरई/197/11/2015	मध्यवर्ती विभाग	परिपत्र	6/11/2015	इलेक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों का निर्गम
83	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/सीएमटी/199/11/2015	गैर-जीवन	आदेश	13/11/2015	मोटर बीमा व्यवसाय संबंधी मोटर व्यापारी भुगतानों के संबंध में समिति का गठन
84	आईआरडीए/एफए/सीआईआर/जीएलडी/200/11/2015	वित्त और लेखा	परिपत्र	16/11/2015	लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय का पंजीकरण और परिचालन
85	आईआरडीए/सीएजीटीएस/जीडीएल/एलसीई/202/11/2015	कॉरपोरेट एजेंट	दिशानिर्देश/अनुदेश	18/11/2015	आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अनुदेश
86	आईआरडीए/एफए/ओआरडी/एसीटीएस/201/11/2015	वित्त और लेखा	आदेश	18/11/2015	इंड एएस संबंधी कार्यान्वयन समूह
87	आईआरडीए/आईएनटी/ओआरडी/आईएनएसआरई/203/11/2015	मध्यवर्ती विभाग	आदेश	19/11/2015	केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई पॉलिसियों के लिए डिस्काउंट-कृत संरचना
88	आईआरडीए/टीपीए/विविध/ओआरडी/204/11/2015	टीपीए (आईएनटीआरएमई)	विविध	19/11/2015	मेसर्स ईस्ट वेस्ट असिस्ट टीपीए प्रा. लि.
89	आईआरडीए/टीपीऐ/विविध/ओआरडी/205/11/2015	टीपीए (आईएनटीआरएमई)	विविध	19/11/2015	मेसर्स ईस्ट वेस्ट असिस्ट टीपीए प्रा. लि.
90	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/ओआरडी/208/11/2015	मध्यवर्ती विभाग	परिपत्र	20/11/2015	भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित
91	आईआरडीए/टीएसी/ओआरडी/एडीएमएन/206/11/2015	प्रशुल्क सलाहकार समिति	आदेश	20/11/2015	टीएसी उपदान और भविष्य निधि न्यासों का पुनर्गठन
92	आईआरडीए/टीएसी/ओआरडी/एडीएमएन/207/11/2015	प्रशुल्क सलाहकार समिति	आदेश	20/11/2015	टीएसी पेंशन निधि न्यास का पुनर्गठन
93	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/एडीवी/209/11/2015	जीवन	परिपत्र	23/11/2015	जीवन बीमा उत्पादों के विज्ञापनों में लाभ निदर्शन
94	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/210/11/2015	प्रवर्तन	आदेश	24/11/2015	कार्यालय आदेश
95	आईआरडीए/आईटी/विविध/टीएनडीआर/211/11/2015	सूचना प्रौद्योगिकी	विविध	26/11/2015	एसएपी-ईआरपी अनुप्रयोग के वार्षिक अनुरक्षण के लिए विक्रेता का चयन
96	आईआरडीए/आईटी/सीआईआर/विविध/217/12/2015	सूचना प्रौद्योगिकी	परिपत्र	3/12/2015	पंजीकृत संस्थाओं को जारी की गई सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का एक केन्द्रीय डेटाबेस स्थापित करना

जारी... अनुबंध 8

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचनाएँ

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
97	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/आईएनएसआरई/214/12/2015	मध्यवर्ती विभाग	परिपत्र	3/12/2015	बीमा रिपोज़िटरी द्वारा दी जानेवाली मूलभूत सेवाओं पर अधिकतम प्रभार
98	आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/विविध/213/12/2015	जीवन	आदेश	3/12/2015	मेसर्स मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
99	आईआरडीए/टीएसी/ओआरडी/एडीएमएन/219/12/2015	प्रशुल्क सलाहकार समिति	आदेश	15/12/2015	बैंक हस्ताक्षरकर्ताओं में परिवर्तन - टीएसी
100	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/221/12/2015	प्रवर्तन	आदेश	16/12/2015	मेसर्स चोलामंडलम एमएस जीआईसीएल की ऑनसाइट निरीक्षण रिपोर्ट टिप्पणियों पर आदेश का प्रारूप - निरीक्षण अवधि 6 से 10 दिसंबर 2010 तक
101	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/आईएनएसआरई/220/12/2015	मध्यवर्ती विभाग	परिपत्र	16/12/2015	इलेक्ट्रॉनिक मोटर पॉलिसियों के बीमे पर पाक्षिक स्थिति रिपोर्ट
102	आईआरडीए/एफए/सीआईआर/जीएलडी/222/12/2015	वित्त और लेखा	परिपत्र	18/12/2015	विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए)/ सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (सीआरएस) के अधीन दायित्वों के अनुपालन के लिए पंजीकरण और सीबीडीटी को सूचना की प्रस्तुति
103	आईआरडीए/सीडब्ल्यू/ओआरडी/विविध/223/12/2015	संचार खंड	आदेश	22/12/2015	आईआरडीएआई जर्नल के प्रकाशन के लिए संपादक मंडल का पुनर्गठन
104	आईआरडीए/एफए/सीआईआर/सीपीएम/224/12/2015	वित्त और लेखा	परिपत्र	23/12/2015	भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण के संबंध में अनुपालन की रिपोर्टिंग
105	आईआरडीए/लाइफ/सीआईआर/एमआईएन/225/12/2015	लाइफ	परिपत्र	23/12/2015	वर्तमान सूक्ष्म बीमा उत्पादों को जारी रखने के लिए तारीख बढ़ाना
106	आईआरडीए/एसयूआर/ओआरडी/विविध/226/12/2015	सर्वेक्षक	आदेश	23/12/2015	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 (सर्वेक्षक विनियम) के विनियम 10 के अनुसार सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की समिति का पुनर्गठन
107	आईआरडीए/टीपीए/विविध/ओआरडी/229/12/2015	टीपीए (आईएनटीआरएमई)	विविध	31/12/2015	मेसर्स स्फूर्ति मेडीटेक (टीपीए) सोल्यूशन्स प्रा. लि. के मामले में
108	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/001/01/2016	स्वास्थ्य विभाग	विनियम	1/4/2016	पर्याप्त संख्या में भौगोलिक रूप से व्याप्त सेवा प्रदाताओं के साथ करार
109	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/004/01/2016	प्रवर्तन	आदेश	1/7/2016	मेसर्स प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. का ऑनसाइट निरीक्षण - अंतिम आदेश
110	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/005/01/2016	प्रवर्तन	आदेश	7/1/2016	मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
111	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/006/01/2016	प्रवर्तन	आदेश	7/1/2016	मेसर्स इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
112	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/एमआईएन/007/01/2016	जीवन	परिपत्र	8/1/2016	आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 के कार्यान्वयन के बाद सूक्ष्म बीमा उत्पादों का फाइलिंग
113	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ओआरडी/009/01/2016	स्वास्थ्य विभाग	विविध	11/1/2016	मेसर्स अनमोल मेडीकेअर टीपीए लि. के मामले में अंतिम आदेश
114	आईआरडीए/आईएनटी/एमआईएससी/ओआरडी/012/01/2016	मध्यवर्ती विभाग	विविध	12/1/2016	एबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. से संबंधित मामले में आदेश

जारी... अनुबंध 8

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचनाएँ

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
115	आईआरडीए/टीपीए/विविध/ओआरडी/013/01/2016	टीपीए (आईएनटीआरएमई)	विविध	13/1/2016	मेसर्स श्री गोकुलम हेल्थ सर्विसेज़ टीपीए प्रा. लि. का मामला
116	आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/014/01/2016	मध्यवर्ती विभाग	विविध	15/1/2016	आईआरडीए के (बीमा दलाल) विनियम, 2015 का अनुपालन न करने की स्थिति में दृष्टिकोण
117	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ओआरडी/016/01/2016	स्वास्थ्य विभाग	विविध	19/1/2016	मेसर्स दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
118	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/आरआईएन/017/01/2016	गैर-जीवन	दिशानिर्देश/अनुदेश	19/1/2016	सीमापार पुनर्बीमा संबंधी दिशानिर्देश
119	आईआरडीए/बीआरके/विविध/सीआईआर/018/01/2016	दलाल	विविध	21/1/2016	ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से दलालों का प्रशिक्षण
120	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/019/01/2016	गैर-जीवन	परिपत्र	28/1/2016	आईएफएससी में कार्यालय खोलने से संबंधित विषय
121	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/023/02/2016	प्रवर्तन	आदेश	8/2/2016	मेसर्स दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
122	आईआरडीए/एफआई/विविध/सीआईआर/026/02/2016	एफआई	विविध	9/2/2016	बीएपी द्वारा एफएण्डए गैर-जीवन के लिए विवरणियों की प्रस्तुति
123	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/024/02/2016	गैर-जीवन	परिपत्र	9/2/2016	सभी साधारण बीमा कंपनियाँ, स्टैंडअलोन बीमा कंपनियाँ
124	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एफएण्डयू/025/02/2016	गैर-जीवन	परिपत्र	9/2/2016	सभी साधारण बीमा कंपनियाँ
125	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/027/02/2016	दलाल	विविध	12/2/2016	मेसर्स एलएमबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
126	आईआरडीए/एसयूआर/ओआरडी/विविध/028/02/2016	सर्वेक्षक	आदेश	15/2/2016	श्री संजीव सोनी, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - एसएलए सं.:150006 के मामले में आदेश
127	आईआरडीए/सीएडी/सीआईआर/एलसीई/029/02/2016	कॉरपोरेट एजेंट	परिपत्र	16/2/2016	आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के संबंध में स्पष्टीकरण
128	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/एफएण्डयू/030/02/2016	गैर-जीवन	दिशानिर्देश/अनुदेश	16/2/2016	साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं के संबंध में दिशानिर्देश
129	आईआरडए/एसयूआर/विविध/ओआरडी/031/02/2016	सर्वेक्षक	विविध	16/2/2016	4 आंचलिक रिक्तियों के लिए आईआईआईएसएलए के 8वें परिषद चुनावों के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति
130	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/आईएनएसआरई/032/02/2016	मध्यवर्ती विभाग	परिपत्र	22/2/2016	आइट्रिक्स (बीमा लेनदेन विनिमय) सर्वर पर एसएलए डेटा को अपलोड करना
131	आईआरडीए/एसयूआर/ओआरडी/विविध/034/02/2016	सर्वेक्षक	आदेश	25/2/2016	श्री मुनीश प्राशर, एसएलए 72810 और मेसर्स पुरी क्रॉफर्ड आईएसएलए इंडिया प्रा. लि. ,एसएलए 72398 के मामले में आदेश
132	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/आरआईएन/036/02/2016	गैर-जीवन	परिपत्र	29/2/2016	आईआरडीएआई विनियम, 2015 के विनियम 28(9) के प्रवर्तन की तारीख का आस्थगन

जारी... अनुबंध 8

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचनाएँ

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
133	आईआरडीए/एफए/सीआईआर/आईएफआरएस/037/03/2016	वित्त और लेखा	परिपत्र	1/3/2016	इंड एएस पर आंतरिक कार्यदल का गठन
134	आईआरडीए/एफए/सीआईआर/आईएफआरएस/038/03/2016	वित्त और लेखा	परिपत्र	1/3/2016	बीमा उद्योग में भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन
135	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/039/03/2016	दलाल	विविध	2/3/2016	मेसर्स टॉवर्स वाट्सन इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
136	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/आईएमएफ/041/03/2016	मध्यवर्ती विभाग	परिपत्र	2/3/2016	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 के संबंध में स्पष्टीकरण
137	आईआरडीए/आईएनटी/ओआरडी/सीओसीआई/042/03/2016	मध्यवर्ती विभाग	आदेश	2/3/2016	बीमा सेवा कंपनियों की स्थापना के लिए समिति का गठन
138	आईआरडीए/टीपीए/विविध/ओआरडी/040/03/2016	टीपीए (आईएनटीआरएमई)	विविध	2/3/2016	मेसर्स मेडसेव हेल्थकेअर (टीपीए) लि. के मामले में अंतिम आदेश
139	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/एमआईएन/045/03/2016	जीवन	परिपत्र	10/3/2016	वर्तमान साधारण बीमा उत्पाद प्रस्तावित करना जो साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पादों के रूप में आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 का अनुपालन करते हैं
140	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/सीआरई/044/03/2016	गैर-जीवन	परिपत्र	10/3/2016	व्यापारिक उधार बीमा संबंधी दिशानिर्देश
141	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/046/03/2016	प्रवर्तन	आदेश	11/3/2016	मेसर्स दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश
142	आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/ओआरडी/047/03/2016	मध्यवर्ती विभाग	दिशानिर्देश/अनुदेश	11/3/2016	विक्रेता स्थान संबंधी दिशानिर्देश - गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमाकर्ता - उत्पादों का परिवर्धन
143	आईआरडीए/एसीटी/विविध/विविध/048/03/2016	बीमांकिक	विविध	14/3/2016	बीमांककों का पैनल - हित की अभिव्यक्ति
144	आईआरडीए/बीआरके/जीडीएल/सीआईआर/050/03/2016	दलाल	दिशानिर्देश/अनुदेश	15/3/2016	विनियम से छूट
145	आईआरडीए/आईएनटी/ओआरडी/सीओएमएण/049/03/2016	मध्यवर्ती विभाग	आदेश	15/3/2016	बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन, पारिश्रमिक के भुगतान अथवा नवीकरण या प्रतिफल के संबंध में विनियम
146	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/051/03/2016	गैर-जीवन	परिपत्र	15/3/2016	वाणिज्यिक वाहनों के लिए भारतीय मोटर अन्य पक्ष अस्वीकृत जोखिम पूल (ऐक्ट ओनली इंश्योरेंस) का विघटन - डीआर पूल
147	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/052/03/2016	प्रवर्तन	विविध	17/3/2016	मेसर्स स्टार यूनियन दाई ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
148	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/053/03/2016	प्रवर्तन	विविध	17/3/2016	मेसर्स एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
149	आईआरडीए/एसीटी/जीडीएल/विविध/055/03/2016	बीमांकिक	दिशानिर्देश/अनुदेश	22/3/2016	सभी बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के सीईओ को - नियुक्त बीमांककों और उनके परामर्शदाताओं (मेंटरों) की नियुक्ति

जारी... अनुबंध 8

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचनाएँ

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
150	आईआरडीए/एफ़ए/सीआईआर/सीपीएम/056/03/2016	वित्त और लेखा	परिपत्र	23/3/2016	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002
151	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध/057/03/2016	बीमांकिक	परिपत्र	24/3/2016	बीमांककों का पैनल - हित की अभिव्यक्ति
152	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/058/03/2016	गैर-जीवन	परिपत्र	24/3/2016	आईआईबी को गुणवत्ता डेटा की प्रस्तुति
153	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/060/03/2016	गैर-जीवन	आदेश	28/3/2016	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा रक्षा के लिए प्रीमियम दरें
154	आईआरडीए/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/059/03/2016	टीपीए (आईएनटीआरएमई)	विनियम	28/3/2016	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए) - स्वास्थ्य सेवाएँ, विनियम
155	आईआरडीए/सीएडी/सीआईआर/विविध/063/03/2016	उपभोक्ता कार्य	परिपत्र	31/3/2016	बीमा लोकपाल के अधिनिर्णय का पालन न करना

अनुबंध 9

31/03/2016 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) विनियम, 2000
2	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000
3	आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000
4	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2000
5	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
6	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
7	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) 2000
8	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000
9	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2000
10	आईआरडीए (बैठकें) विनियम, 2000
11	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000
12	आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000
13	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2000
14	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियम, 2000
15	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
16	आईआरडीए (निवेश)(संशोधन) विनियम, 2001
17	आईआरडीए (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2001
18	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2001
19	आईआरडीए (निवेश)(संशोधन) विनियम, 2002
20	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002
21	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002
22	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002
23	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002
24	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002
25	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण)(संशोधन) विनियम, 2002
26	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण)(संशोधन) विनियम, 2002
27	आईआरडीए (प्रीमियम की प्राप्ति की विधि) विनियम, 2002
28	आईआरडीए (अधिशेष के वितरण) विनियम, 2002
29	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2003
30	आईआरडीए (निवेश)(संशोधन) विनियम, 2004
31	आईआरडीए (अर्हता बीमांकक) विनियम, 2004
32	आईआरडीए (ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व)(संशोधन) विनियम, 2004
33	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005
34	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें)(संशोधन) विनियम, 2005

जारी... अनुबंध 9

31/03/2016 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
35	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व)(संशोधन) विनियम, 2005
36	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
37	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण)(संशोधन) विनियम, 2007
38	आईआरडीए (बीमा दलाल) (संशोधन) विनियम, 2007
39	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008
40	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व)(चौथा संशोधन) विनियम, 2008
41	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008
42	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2008
43	आईआरडीए (निवेश)(चौथा संशोधन) विनियम, 2008
44	आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010
45	आईआरडीए (समाप्त संबद्ध बीमा पॉलिसियों का उपचार) विनियम, 2010
46	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण)(संशोधन) विनियम, 2010
47	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
48	आईआरडीए (साधारण बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011
49	आईआरडीए (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2011
50	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012
51	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2012
52	आईआरडीए (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2012
53	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण)(चौथा संशोधन) विनियम, 2013
54	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
55	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
56	आईआरडीए (बीमा दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
57	आईआरडीए (जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2013
58	आईआरडीए (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ)(पहला संशोधन) विनियम, 2013
59	आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) विनियम, 2013
60	आईआरडीए (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2013
61	आईआरडीए (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2013
62	आईआरडीए (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
63	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013
64	आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
65	आईआरडीए (निवेश) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013
66	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
67	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013
68	आईआरडीए (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013
69	आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013

जारी... अनुबंध 9

31/03/2016 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
70	आईआरडीए (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
71	आईआरडीए आईएसी (बैठकें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
72	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013
73	आईआरडीए (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
74	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013
75	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण)(संशोधन) विनियम, 2013
76	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
77	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014
78	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (छठवाँ संशोधन) विनियम, 2014
79	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) (पहला संशोधन) विनियम, 2014
80	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2014
81	आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015
82	आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015
83	आईआरडीएआई (नामांकन के पंजीकरण, निरसन अथवा परिवर्तन के लिए शुल्क) विनियम, 2015
84	आईआरडीएआई (समनुदेशन अथवा अंतरण की सूचना प्राप्त होने की लिखित प्राप्ति-सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
85	आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015
86	आईआरडीएआई (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2015
87	आईआरडीएआई (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण) विनियम, 2015
88	आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
89	आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015
90	आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015
91	आईआरडीएआई (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015
92	आईआरडीएआई (सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015
93	आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015.
94	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015
95	आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015
96	आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015
97	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य प्रकार का व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015
98	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015
99	आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
100	आईआरडीएआई (विवरणियों का निरीक्षण और प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015
101	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016
102	आईआरडीएआई (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016
103	आईआरडीएआई (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016

सरकारी राजपत्र में अधिसूचित

अनुबंध 10(i)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि (₹ में)	दंड का अदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
1	रिलायंस साधारण बीमा कंपनी लि.	500000	10/4/2015	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 का उल्लंघन
2	गोकुलम हेल्थ सर्विसेज़ टीपीए प्रा. लि.	200,000	13/4/2015	आईआरडीए (टीपीए-स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम का उल्लंघन
3	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	6,000,000	22/4/2015	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002, आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002, एफएण्डयू दिशानिर्देशों, बीमा अधिनियम की धारा 64वीबी, आईआरडीए (एएसएलएम) विनियम, 2000, आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2000, विज्ञापन दिशानिर्देशों और लाइसेंसप्राप्त संस्थाओं को भुगतानों संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन
4	चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100,000	24/4/2015	प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना 'चोला एमएस कॉरपोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस' नामक उत्पाद का विपणन
5	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	500,000	27/4/2015	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 के विनियम 5(आर),5(ई),5(एफ)(iv),5(जी),8(डी)(iv) तथा आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एच) का उल्लंघन
6	गुड हेल्थ प्लान टीपीए लि.	500,000	28/4/2015	आईआरडीए (टीपीए-स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम का उल्लंघन
7	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6,500,000	27/5/2015	बीमा अधिनियम की धारा 40(1), 40(ए), कॉरपोरेट एजेंट, एफएण्डयू और सामूहिक बीमा संबंधी दिशानिर्देशों एवं आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 का उल्लंघन
8	फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5,000,000	9/6/2015	आईआरडीए (बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के उपबंधों, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40(1) और 42(7), आईआरडीए (डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010, कॉरपोरेट एजेंटों संबंधी दिशानिर्देशों तथा आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 का उल्लंघन
9	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	500,000	3/7/2015	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 (1) तथा आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002 के अधीन निर्गत परिपत्र सं. 017/आईआरडीए/परिपत्र/सीए दिशानिर्देश /2005 दिनांक 14 जुलाई 2005 के खंड 21 का उल्लंघन
10	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,000,000	3/7/2015	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002 के अधीन निर्गत परिपत्र सं. 017/आईआरडीए/परिपत्र/सीए दिशानिर्देश/2005 दिनांक 14 जुलाई 2005 के खंड 21 का उल्लंघन
11	एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	5,000,000	30/7/2015	एफएण्डयू दिशानिर्देशों, दूरस्थ विपणन दिशानिर्देशों, आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम,2002 तथा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40(1) और 42डी(8) का उल्लंघन
12	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,500,000	31/7/2015	बीमा अधिनियम की धारा 64वीबी, 40(1) और 42डी(8) तथा कमीशन परिपत्र दिनांक 25/08/2008 का उल्लंघन
13	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	8,500,000	6/8/2015	आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों और कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन।

जारी... अनुबंध 10(i)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि (₹ में)	दंड का अदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
14	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,000,000	3/9/2015	एफएण्डयू दिशानिर्देशों तथा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीबी का उल्लंघन।
15	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	500,000	10/9/2015	आईआरडीए (बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 2(जी)(i) के उपबंधों का उल्लंघन
16	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	500,000	10/9/2015	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 2(जी)(i) का उल्लंघन
17	आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	500,000	9/10/2015	आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का उल्लंघन।
18	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,600,000	4/11/2015	सामूहिक बीमा दिशानिर्देशों, एफएण्डयू दिशानिर्देशों, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40ए(1) और 40(1) तथा आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002 का उल्लंघन
19	ईस्ट वेस्ट असिस्ट टीपीए प्रा. लि.	100,000	17/11/2015	आईआरडीए (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम का उल्लंघन।
20	चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,500,000	16/12/2015	एफएण्डयू दिशानिर्देशों, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीबी, आईआरडीए (डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010 तथा आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 का उल्लंघन।
21	इफ़्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,000,000	7/1/2016	एफएण्डयू दिशानिर्देशों और आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002 के उपबंधों का उल्लंघन।
22	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,500,000	7/1/2016	एफएण्डयू दिशानिर्देशों, लाइसेंसप्राप्त संस्थाओं को अतिरिक्त भुगतानों, व्यवसाय की अपेक्षा संबंधी दिशानिर्देशों और आईआरडीए (डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010 का उल्लंघन।
23	अनमोल मेडीकेअर टीपीए लि.	500,000	11/1/2016	आईआरडीए (टीपीए-स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम का उल्लंघन।
24	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	500,000	19/1/2016	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 के विनियम 4(ए) का उल्लंघन
25	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,000,000	8/2/2016	सामूहिक बीमा दिशानिर्देशों, एफएण्डयू दिशानिर्देशों और व्यवसाय की अपेक्षा करने संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन
26	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	1,500,000	11/3/2016	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002, एफएण्डयू दिशानिर्देशों और आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 का उल्लंघन।
27	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,100,000	21/3/2016	बीमा अधिनियम की धारा 45, सामूहिक बीमा दिशानिर्देशों और आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002 का उल्लंघन।
28	स्टार दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	100,000	22/3/2016	सामूहिक बीमा संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन

अनुबंध - 10(ii)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड (बीमा दलाल)

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि	दंड का आदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
1	आदित्य बिड़ला इंश्यूरेंस ब्रोकर्स लि.	₹ 1,000,000	1/4/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 20 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 3 लाख का दंड. (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2 लाख का दंड (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8 (2)(xiv) के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 5 लाख का दंड
2	सैंग्विन इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 100,733	1/4/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 733/- का दंड. (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 1 लाख का दंड
3	नवनीत इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि.	₹ 302,500	9/4/2015	(1)आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2500/- का दंड. (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 1 लाख का दंड. (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2 लाख का दंड।
4	यूनिज़ॉन इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि.	₹ 400,000	9/4/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 में यथाविनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के खंड 3(ख) के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2 लाख का दंड. (2) सर्वव्यापी प्रबंध से संबंधित जोखिम निर्धारण रिपोर्ट, आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 4 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2 लाख का दंड.
5	सलासर सर्विसेज़ इंश्यरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 500,000	13/4/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 34(ख) के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 5 लाख का दंड।
6	इंडियानिवेश इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 1,300,000	13/4/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 20 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 6 लाख का दंड। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 34(ख) के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 5 लाख का दंड. (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम, 9(2)(ख) के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2 लाख का दंड।
7	राजकृष्ण इंश्योरेंस ब्रोकर प्रा. लि.	₹ 11,034	13/4/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 11034/- का दंड।
8	एआईएमएस इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि.	₹ 100,000	20/4/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया।
9	ट्रांसएशिया कॉम्पोज़िट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लि.	₹ 200,000	21/4/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
10	इंटरलिंक इंश्योरेंस एण्ड री-इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि.	₹ 600,000	23/4/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 20 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 6 लाख का दंड।
11	आरआर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 523,608	27/4/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 23,608/- का दंड। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8(2)(iii) के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 5 लाख का दंड।

जारी.. अनुबंध - 10(ii)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड (बीमा दलाल)

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि	दंड का आदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
12	विपुल इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 200,000	4/5/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2 लाख का दंड।
13	जेके रिस्क्स मैनेजर्स एण्ड इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि.	₹ 400,000	12/5/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(2)(बी) के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2 लाख का दंड. (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3)(ए) और (बी) के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2 लाख का दंड।
14	प्रीमियम इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 2,500	7/5/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2,500/- का दंड।
15	गैलक्सी रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 302,500	18/5/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 1 लाख का दंड। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2500/- का दंड। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3)(बी) के उल्लंघन के लिए लगाया गया रु. 2 लाख का दंड।
16	जेबी बोडा इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 800,000	18/5/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 21(3)(बी) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 27 के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (4) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(2)(बी) के उल्लंघन के लिए रु. 3 लाख का दंड लगाया गया।
17	वल्कन इंटरनेशनल इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि.	₹ 300,000	18/5/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 20 के उल्लंघन के लिए रु. 3 लाख का दंड लगाया गया।
18	एयू इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि.	₹ 200,000	18/5/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3)(बी) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
19	प्रमाण री-इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 407,500	5/5/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 7500/- का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 34(2) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
20	मथरावाला एण्ड सन्ज़ इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 479,790	26/5/2015	(1)आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 24 के उल्लंघन के लिए रु. 4 लाख का दंड लगाया गया। (2) अईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 79,790/- का दंड लगाया गया।
21	ज़ील डाइरेक्ट एण्ड री-इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि.	₹ 12,500	26/5/2016	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 12500/- का दंड लगाया गया।

जारी.. अनुबंध - 10(ii)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड (बीमा दलाल)

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि	दंड का आदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
22	लिंक-के इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी लि.	₹ 400,000	8/6/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8(2)(xiv) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
23	सुरक्षा इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 300,000	9/6/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 20 के उल्लंघन के लिए रु. 3 लाख का दंड लगाया गया।
24	सत्यन इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 203,886	10/6/2015	(1)आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 3,886/- का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
25	डेक्कन इंश्योरेंस एण्ड री-इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 200,000	25/6/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8(2) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
26	लाइफ एण्ड जनरल इंश्योरेंस एण्ड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 491,315	8/7/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 91,315 का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 18(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
27	इंश्योटेक इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि.	₹ 100,000	8/7/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया।
28	पेराज इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 200,000	11/7/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 18(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
29	सेफ़वे इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 1,020,000	28/7/2015	(1).आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 20,000/- का दंड लगाया गया। (2).आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(1) और 9(2) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (4) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 की आचरण-संहिता के विनियम 3(बी) के उल्लंघन के लिए रु. 5 लाख का दंड लगाया गया। (5) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 41(1)(ओ) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
30	लीड्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 305,750	31/7/2015	(1).आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 5,750/- का दंड लगाया गया। (2). आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 13(2) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया।
31	निपुण इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लि.	₹ 300,000	31/7/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 20 के उल्लंघन के लिए रु. 3 लाख का दंड लगाया गया।

जारी.. अनुबंध - 10(ii)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड (बीमा दलाल)

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि	दंड का आदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
32	टेलोस रिस्क मैनेजमेंट एण्ड इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि.	₹ 300,000	31/7/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 20 के उल्लंघन के लिए रु. 3 लाख का दंड लगाया गया।
33	वीआईएस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 230,000	31/7/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 30,000/- का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
34	शताब्दी इंश्योरेंस ब्रोकर लि.	₹ 300,000	31/7/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया। (2). आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
35	कांटिनेंटल सुरक्षा इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसज़ प्रा. लि.	₹ 11,926	31/7/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 11,926 का दंड लगाया गया।
36	एमएएसएस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 302,500	31/7/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 2,500/- का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 20 के उल्लंघन के लिए रु. 3 लाख का दंड लगाया गया।
37	कॉम्पोज़िट इंश्योरेंस ब्रोकर्स एण्ड एडवाइज़र्स प्रा. लि.	₹ 80	4/8/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 80 का दंड लगाया गया।
38	रंगउद्यान इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ लि.	₹ 405,776	5/8/2015	(1). आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 5,776/- का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8(2)(iii) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 21 के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
39	अनार इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि.	₹ 300,000	12/8/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 20 के उल्लंघन के लिए रु. 3 लाख का दंड लगाया गया।
40	आरआईए इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 200,000	21/8/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
41	श्रियाह इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 400,000	21/8/2015	(1)आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 38(4) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
42	सिनर्जी इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि.	₹ 5,937	24/8/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 5,937/- का दंड लगाया गया।
43	आलमांड्ज़ इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 200,000	27/8/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 4 के उल्लंघन के लिए रु. 2,00,000 का दंड लगाया गया।
44	श्रेयष इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 20,000	28/8/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 20,000 का दंड लगाया गया।
45	मखति इंश्योरेंस ब्रोकर प्रा. लि.	₹ 3,000	31/8/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 3000/- का दंड लगाया गया।

जारी.. अनुबंध - 10(ii)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड (बीमा दलाल)

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि	दंड का आदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
46	कोरट्री इंश्योरेंस ब्रोकर्स (इंडिया) प्रा. लि.	₹ 205,000	1/9/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 5,000/- का दंड लगाया गया।
47	सनरेस इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ लि.	₹ 305,000	11/9/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 5,000/- का दंड लगाया गया।
48	बीयूटी इंटरनेशनल इंश्योरेंस ब्रोकर प्रा. लि.	₹ 100,000	8/9/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया।
49	रॉयल इंश्योरेंस ब्रोकिंग (इंडिया) प्रा. लि.	₹ 110,500	22/9/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 10,500/- का दंड लगाया गया।
50	की इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 102,500	24/9/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 2,500/- का दंड लगाया गया।
51	अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 50,000	5/10/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 50,000/- का दंड लगाया गया।
52	ब्लेंड इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 300,000	25/9/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया।
53	कारे इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 206,297	15/10/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 6,297/- का दंड लगाया गया।
54	ऊर्जिता इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 2,500	16/10/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 2,500/- का दंड लगाया गया।
55	इकॉमनी इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 402,500	16/10/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 9(3) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 2,500/- का दंड लगाया गया।
56	वे2वेल्थ इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 200,000	20/10/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8(2)(iii) के उल्लंघन के लिए रु. 2,00,000 का दंड लगाया गया।

जारी.. अनुबंध - 10(ii)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड (बीमा दलाल)

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि	दंड का आदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
57	एक्सक्लूज़िव इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ लि.	₹ 5,000	20/10/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 5,000/- का दंड लगाया गया।
58	फंडट्री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 5,000	28/10/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 5,000/- का दंड लगाया गया।
59	मोहर इंश्योरेंस ब्रोकिंग एण्ड सर्विसेज़ प्रा. लि.	₹ 200,000	27/10/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8(2)(iii) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
60	प्लेटिनमवन इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि.	₹ 5,000	30/10/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 5,000/- का दंड लगाया गया।
61	इंडिट्रेड इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि.	₹ 5,000	29/10/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 5,000/- का दंड लगाया गया।
62	हस्तिरा इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि.	₹ 2,500	30/10/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 2,500/- का दंड लगाया गया।
63	बेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि.	₹ 308,115	3/12/2015	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8(2)(iii) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 8,115/- का दंड लगाया गया। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के उल्लंघन के लिए रु. 1 लाख का दंड लगाया गया।
64	आईआईटी इंश्योरेंस ब्रोकिंग एण्ड रिस्क मैनेजमेंट प्रा. लि.	₹ 200,000	13/11/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8(2)(iii) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।
65	एबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	₹ 800,000	12/1/2016	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8(2)(xiv) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम 2013 के विनियम 41(1)(डी) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (3) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की आचरण-संहिता के खंड 3(बी) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया। (4). प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दूरस्थ विपणन दिशानिर्देशों के खंड 7(i) के उल्लंघन के लिए रु. 2 लाख का दंड लगाया गया।

ANNUAL REPORT
2015-16

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Head Office
3rd Floor, Parishram Bhavan, Basheerbagh,
Hyderabad - 500 004, INDIA
Phone : +91-40-2338 1100 / 1300
Fax : +91-40-6682 3334

Delhi Office
Gate No.3, 1st Floor, Jeevan Tara Building
Parliament Street, New Delhi - 110 001
INDIA
Phone : +91-11-2344 4400
Fax : +91-11-2374 7650

Mumbai Office
Royal Insurance Building, Ground Floor
12, J. Tata Road (Near Church gate)
Mumbai 400 020, INDIA
Phone : +91-22-2289 8600

Website:www.irda.gov.in
E-mail: irda@irda.gov.in

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

पारगमन पत्र

संदर्भ सं. 101/6/आर&डी/एसडी/एआर-2015-16/38/नवंबर-16 **21** नवंबर, 2016

सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110 001

महोदया,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, अधिसूचित बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टयों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के विहित प्रारूप में भेज रहे हैं।

भवदीय,

(टी.एस. विजयन)
अध्यक्ष

LETTER OF TRANSMITTAL

Ref. No. 101/6/R&D/SD/AR-2015-16/38/Nov-16 21st November, 2016

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building,
Parliament Street, New Delhi - 110 001

Madam,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith a copy of the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2016 in the format prescribed in the IRDA (Annual Report - Furnishing of returns, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,

(T.S. Vijayan)
Chairman

परिश्रम भवन, तीसरा तल, बशीरबाग, हैदराबाद-500 004. भारत
✆ : 91-040-2338 1100, फैक्स: 91-040-6682 3334
ई-मेल: irda@irda.gov.in वेब: www.irda.gov.in

Parisharam Bhavan, 3rd Floor, Basheer Bagh, Hyderabad-500 004. India.
Ph.: 91-040-2338 1100, Fax: 91-040-6682 3334
E-mail : irda@irda.gov.in Web.: www.irda.gov.in

CONTENTS

MISSION STATEMENT

IRDAI MEMBERS OF THE AUTHORITY 31.03.2016

SENIOR OFFICIALS AT IRDAI

PART – I

POLICIES AND PROGRAMMES

			Page No.
I.1	General Economic Environment	....	1
I.2	World Insurance Scenario	....	4
I.3	Appraisal of Indian Insurance Market	....	7
I.4	Review	....	28
	I.4.1 Protection of Interests of Policyholders	....	28
	I.4.2 Maintenance of Solvency Margins of Insurers	....	34
	I.4.3 Monitoring of Reinsurance	....	35
	I.4.4 Insurance Pools - Terrorism Pool	....	36
	I.4.5 Monitoring of Investments by the Insurers	....	40
	I.4.6 Health Insurance Business	....	43
	I.4.7 Business in the Rural and Social Sectors	....	57
	I.4.8 Financial Reporting and Actuarial Standards	....	59
	I.4.9 Anti-Money Laundering/Counter Finance of Terrorism Programme	....	59
	I.4.10 Crop Insurance	....	61
	I.4.11 Micro Insurance	....	64
	I.4.12 Directions, Orders and Regulations issued by the Authority	....	67
	I.4.13 Right to Information Act, 2005	....	67

PART – II

REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS

II.1	Regulation of Insurance and Reinsurance Companies	....	69
II.2	Individual Agents associated with the Insurance Business, Intermediaries Associated with the Insurance Business	....	73
II.3	Professional Institutes connected with Insurance Education	....	82
II.4	Litigations, Appeals and Court Pronouncements	....	84
II.5	International Cooperation in Insurance	....	84
II.6	Grievances	....	88
II.7	Insurance Associations and Insurance Councils	....	92
II.8	Insurance Ombudsmen	....	96

PART – III

STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

			Page No.
III.1	Issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration	....	99
III.2	Protection of the interests of policyholders in matters concerning assigning of policy, nomination by policyholders, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of policy and other terms and conditions of contracts of insurance	....	100
III.3	Specifying requisite qualifications, code of conduct and practical training for intermediaries or Insurance Intermediaries and agents	....	103
III.4	Specifying the code of conduct for surveyors and loss assessors	....	104
III.5	Promoting efficiency in the conduct of insurance business	....	105
III.6	Promoting and regulating professional organisations connected with the insurance and reinsurance business	....	107
III.7	Levying fees and other charges for carrying out the purposes of the Act	....	108
III.8	Calling for information from, undertaking inspection of, conducting enquiries and investigations including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organisations connected with the insurance business	....	108
III.9	Control and regulation of rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business not so controlled and regulated by the Tariff Advisory Committee under section 64U of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)	....	109
III.10	Specifying the form and manner in which books of accounts shall be maintained and statements of accounts shall be rendered by Insurers and other insurance intermediaries	....	110
III.11	Regulating investment of funds by insurance companies	....	110
III.12	Regulating maintenance margin of solvency	....	110
III.13	Adjudication of disputes between Insurers and Intermediaries or Insurance Intermediaries	....	112
III.14	Specifying the percentage of premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organisations referred to in para ‘6’	....	112
III.15	Specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the Insurers in the rural and social sectors	....	114

PART – IV

ORGANISATIONAL MATTERS

			Page No.
IV.1	Organisation	....	117
IV.2	Meetings of the Authority	....	117
IV.3	Human Resources	....	118
IV.4	Internal Committee for Women Employees	....	118
IV.5	Promotion of Official Language	....	119
IV.6	Research and Development	....	120
IV.7	Status of Information Technology	....	121
IV.8	Accounts	....	122
IV.9	IRDAI Journal	....	122
IV.10	Acknowledgements	....	123

BOX ITEMS

1.	Innovation in Health Insurance	....	44
2.	Corporate Governance framework for Insurance Companies	....	108
3.	Notification of Ind-AS	....	111
4.	Adjudication proceedings under Section 105 C of Insurance Act, 1938	....	113

TEXT TABLES

I.1	Provisional estimates of National Income 2015-16	....	1
I.2	Provisional Estimates of GVA at basic price by Economic Activity	....	2
I.3	Financial Savings of Household sector	....	3
I.4	Gross Savings	....	3
I.5	Total Real Premium Growth Rate in 2015	....	4
I.6	Region Wise Life and Non-life Insurance Premium	....	4
I.7	Insurance Penetration and Density in India	....	6
I.8	Registered Insurers in India	....	8
I.9	Premium Underwritten: Life Insurers	....	8
I.10	Market Share: Life Insurers	....	10
I.11	New Policies Issued: Life Insurers	....	10
I.12	Paid-up Capital: Life Insurers	....	10
I.13	Commission Expenses: Life Insurers	....	11
I.14	Commission Expense Ratio: Life Insurers	....	11
I.15	Operating Expenses: Life Insurers	....	12
I.16	Operating Expense Ratio: Life Insurers	....	12

			Page No.
I.17	Individual Death Claims of Life Insurers during 2015-16	....	13
I.18	Group Death Claims of Life Insurers during 2015-16	....	13
I.19	Dividends Paid by Life Insurers	....	15
I.20	Number of Life Offices	....	15
I.21A	Distribution of Offices of Life Insurers -No. of Life Offices	....	16
I.21B	Number of Life Offices - Tier wise	....	16
I.22	Gross Direct Premium Income in India: Non-Life Insurers	....	18
I.23	Gross Direct Premium Income in India: Non-Life Insurers Company-wise	....	19
I.24	Premium (Within India) Underwritten by Non-Life Insurers Segment-wise	....	19
I.25	Ratio of Outside India Premium to Total Premium	....	21
I.26	Gross Direct Premium from Business Outside India	....	21
I.27	Number of New Policies Issued: Non-Life Insurers	....	21
I.28	Paid Up Capital: Non-Life Insurers and Reinsurer	....	22
I.29	Underwriting Experience: Non-Life Insurers	....	22
I.30	Commission Expenses: Non-Life Insurers	....	23
I.31	Operating Expenses: Non-Life Insurers	....	23
I.32	Net Incurred Claims: Non-Life Insurers	....	24
I.33	Incurred Claims Ratio: Non-Life Insurers	....	24
I.34	Investment Income: Non-Life Insurers	....	24
I.35	Net Profits of Non-Life Insurers	....	25
I.36	Dividend Paid: Non-Life Insurers	....	26
I.37	Number of Non-Life Insurance Offices	....	26
I.38	Number of Non-life Offices – Tier- wise as on 31.03.2016	....	26
I.39	Net Retentions (GIC) 2015 - 16	....	37
I.40	Members share in Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool	....	38
I.41	Reinsurance Ceded Outside India on Indian Business (Excluding GIC)	....	39
I.42	Reinsurance placed within India and Outside India as percentage of Gross Direct Premium in India. (Excluding GIC)	....	39
I.43	Net Retained Premium on Indian Business as percentage of Gross Direct Premium (Excluding GIC)	....	39
I.44	Net Retention of Non-life insurers as percentage of Gross Direct Premium (Including GIC)	....	40
I.45	Premium Ceded under Declined Risk Pool for the year 2015-16	....	40
I.46	Total Investments of the Insurance Sector	....	41
I.47	Total Investments of Life Insurers: Instrument-wise	....	41
I.48	Investments of Life Insurers: Fund-wise	....	42

			Page No.
I.49	Growth of Investments: Fund-wise	....	42
I.50	Total Investments of Non-Life Insurers: Instrument-wise	....	43
I.51	Trend in Health Insurance(HI) Premium over the past five years	....	45
I.52	Classification of Health Insurance Premium	....	46
I.53	Number of Persons covered under Health Insurance	....	47
I.54	Class of Business- wise Net Incurred Claims Ratio	....	48
I.55	Sector-wise Net Incurred Claims Ratio of Health Insurers	....	48
I.56	Number of Persons covered under Personal Accident Insurance Business	....	49
I.57	Sector-wise Personal Accident Insurance Premium	....	49
I.58	Sector-wise Overseas Travel Insurance Premium	....	50
I.59	Sector-wise Domestic Travel Insurance Gross Premium	....	50
I.60	Share of Top 5 States in Health Insurance Premium for 2015-16	....	51
I.61	Share of various channels of distribution – number of policies issued and amount of premium for FY 2015-16	....	52
I.62	Claims handled through TPAs	....	52
I.63	Claims handled directly by the Insurers	....	53
I.64	Claims handled both through TPAs and In-house	....	53
I.65	Aging of claims- Claims handled through TPAs	....	54
I.66	Aging of claims – Claims handled by the Insurers in-house	....	54
I.67	Aging of claims – Claims handled through both TPAs and In-house	....	54
I.68	List of TPAs as on 31st March, 2016	....	55
I.69	List of TPAs registrations renewed during 2015-16	....	55
I.70	Details of TPAs whose renewal certificate of registration was rejected during 2015-16	....	56
I.71	Network providers engaged by TPAs during 2015-16	....	56
I.72	Details of compliance of Standalone Health Insurers in rural and social sector obligations during 2015-16	....	58
I.73	Non-life insurers(excluding standalone and specialised insurers) rural and social sector business as of 31st March, 2016	....	58
I.74	Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS)	....	63
I.75	Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS)	....	64
I.76	New Business under Micro Insurance Portfolio for 2015-16	....	65
I.77	Micro Insurance Agents of Life Insurers 2015-16	....	66
I.78	Individual Death Claims under Micro Insurance Portfolio 2015-16	....	66
I.79	Group Death Claims under Micro Insurance Portfolio 2015-16	....	66

			Page No.
I.80	Duration-Wise Death Claims settled in Micro Insurance – Individual Category 2015-16	....	67
I.81	Duration-Wise Death Claims settled in Micro Insurance – Group Category 2015-16	....	67
I.82	List of Central Public Information Officers	....	68
II.1	Details of Individual Agents of Life Insurers 2015-16	....	73
II.2	Details of Corporate Agents of Life Insurers 2015-16	....	73
II.3	Individual New Business Performance of Life Insurers for 2015-16 – Channel-wise	....	74
II.4	Group New Business Performance of Life Insurers for 2015-16 – Channel-wise	....	74
II.5	New Business Premium (Individual and Group) of Life Insurers for 2015-16 – Channel-wise	....	75
II.6	Licenses Issued to Surveyors and Loss Assessors	....	77
II.7	Grievances relating to Surveyors and Loss Assessors	....	77
II.8	Statistics of Insurance Brokers	....	78
II.9	Offices of Insurance Brokers state-wise as on 31-03-2016	....	78
II.10	Web Aggregators Approved by the Authority	....	79
II.11	Details of Cases Filed for the period 2015-16	....	83
II.12	Details of cases disposed/dismissed for the period 2015-16	....	83
II.13	Status of Grievances: Life Insurers during 2015-16	....	89
II.14	Status of Grievances: Non-Life Insurers during 2015-16	....	89
II.15	Grievances- 2015-16 in comparison with 2014-15 – Life	....	90
II.16	Grievances- 2015-16 in comparison with 2014-15 – Non-Life	....	90
II.17	Grievances- 2015-16 in comparison with 2014-15 – Industry	....	91
II.18	Insurers who have registered NIL pending in no. of complaints as on 31-03-2016	....	91
II.19	Receipt and Disposal of grievances registered in DARPG Portal and referred to IRDAI (during period from 1.4.2015 to 31.03.2016)	....	91
II.20	Grievances referred to IRDAI- Pending as at 31.03.2016	....	91
II.21	Disposal of Complaints by Ombudsmen during 2015-16	....	97
III.1	Insurance Repositories Approved by the Authority as at 31.03.2016	....	105

CHARTS

I.1	Share of Sectors in GVA 2015-16(PE) at 2011-12 prices	....	2
I.2	Insurance Penetration in Select Countries – 2015	....	5
I.3	Insurance Density in Select Countries – 2015	....	5

			Page No.
I.4	Insurance Penetration in India	....	7
I.5	Insurance Density in India	....	7
I.6	First Year Premium of Life Insurers	....	9
I.7	Total Premium of Life Insurers	....	9
I.8	Total Premium of Life Insurers for 5 years	....	9
I.9	Duration wise Break-up of Claims Pending – Individual Policies	....	14
I.10	Duration Wise Break-up of Claims Pending – Group Policies	....	14
I.11	Number of Life Insurance Offices	....	16
I.12	Geographical Distribution of Life Insurance Offices - Private Sector	....	17
I.13	Geographical Distribution of Offices - LICI	....	17
I.14	Geographical Distribution of Life Insurance Offices - Industry	....	17
I.15	Gross Direct Premium income in India -- Non-Life Insurers	....	18
I.16	Gross Direct Premium of Non-life Insurers – 5 years	....	19
I.17	Premium(within India) underwritten by Non-life Insurers segment-wise	....	20
I.18	Number of Non-Life Insurance Offices – Tier-wise for 2015-16	....	27
I.19	Trend in Health Insurance Premium	....	45
I.20	Classification of Health Insurance Business (in terms of Gross Premium)	....	46
I.21	Number of Persons Covered – Share of different class of business	....	47
I.22	Net incurred claims ratio of Health Insurance Business	....	48
I.23	Share of States in Total Health Insurance Premium FY 2015-16	....	51
I.24	Contribution of various channels in HI premium	....	55
II.1	Individual New Business Premium of Life Insurers – Channel-wise.	....	75
II.2	Group New Business Premium of Life Insures – Channel-wise.	....	76
II.3	New Business Premium(Individual & Group) of Life Insurers	....	76
II.4	Classification of Life Complaints received during the last two years	....	88
II.5	Complaint type- wise classification of Non-Life Complaints registered during the last two years	....	89
II.6	Policy type- wise non-life complaints during the last 3 years	....	89
II.7	Movement of complaints – Industry – Last two years	....	90

STATEMENTS

1.	International Comparison of Insurance Penetration	....	127
2.	International Comparison of Insurance Density	....	128
3.	First Year Life Insurance Premium (including single premium)	....	129
4.	Total Life Insurance Premium	....	130
5.	Linked and Non-Linked Premium of Life Insurers for 2015-16	....	131

			Page No.
6.	Individual Death Claims for the year 2015-16	....	133
7.	Group Death Claims for the year 2015-16	....	135
8.	Assets under Management of Life Insurers	....	137
9.	Equity Share Capital of Life Insurers	....	140
10.	Quarterly Solvency Ratio of Life Insurers in India during the FY 2015-16	....	141
11.	Gross Direct Premium of Non-Life Insurers (Within & Outside India)	....	142
12.	Segment-wise Gross Direct Premium Income of Non-Life Insurers (Within India)	....	143
13.	Health Insurance (Excluding Travel-Domestic/Overseas & Personal Accident) Gross Premium and Number of Persons Covered (2015-16)	....	144
14.	Incurred Claims Ratio – Public Sector Non-life Insurers	....	145
15.	Incurred Claims Ratio – Private Sector Non-life Insurers	....	146
16.	Assets under Management of Non-life Insurers	....	148
17.	Equity Share Capital of Non-life Insurers	....	149
18.	Solvency Ratio of Non-life Insurers	....	150
19.	Status of Grievances – Life Insurers for 2015-16	....	151
20.	Status of Grievances – Non-life Insurers for 2015-16	....	152

ANNEXURES

1.	Insurance Companies Operating in India	....	155
2.	Fee Structure for Insurers and Various Intermediaries	....	157
3.	(i) Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	....	158
	(ii) published Mortality Table for Annuitants: LIC (A) (1996-98) Ultimate Rates	....	160
4.	List of Life Insurance Products and Riders approved by IRDAI in the year 2015-16	....	162
5.	List of Micro Insurance Products of life insurers as at 31.03.2016	....	169
6.	Non-Life Insurance Products cleared during the Financial year 2015-16	....	170
7.	List of Health Insurance Products cleared during the year 2015-16	....	174
8.	Circulars / Orders / Notifications issued by the Authority from APRIL 2015 to MARCH 2016	....	177
9.	Regulations framed under the IRDA Act, 1999 upto 31/03/2016	....	186
10	(i) Penalties Levied by the Authority during FY 2015-16	....	189
	(ii) Penalties Levied by the Authority during FY 2015-16(Brokers)	....	191

MISSION STATEMENT

- ✓ To protect the interest of and secure fair treatment to policyholders;
- ✓ To bring about speedy and orderly growth of the insurance industry (including annuity and superannuation payments), for the benefit of the common man and to provide long term funds for accelerating growth of the economy;
- ✓ To set, promote, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates;
- ✓ To ensure speedy settlement of genuine claims, to prevent insurance frauds and other malpractices and put in place effective grievance redressal machinery;
- ✓ To promote fairness, transparency and orderly conduct in financial markets dealing with insurance and build a reliable management information system to enforce high standards of financial soundness amongst market players;
- ✓ To take action where such standards are inadequate or ineffectively enforced;
- ✓ To bring about optimum amount of self-regulation in day-to-day working of the industry consistent with the requirements of prudential regulation.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Members of the Authority as on 31st March, 2016

T S VIJAYAN
CHAIRMAN

WHOLE-TIME MEMBERS

M Ramaprasad
(upto 1st May,2015)

D D Singh

Pournima Gupte

V R Iyer
(from 15th June,2015)

Nilesh Sathe
(from 1st July,2015)

Joseph Plappallil J
(from 29th March,2016)

PART-TIME MEMBERS

Anup Wadhwan
(upto 13th September,2015)

Alok Tondon
(from 14th September,2015)

CA. Manoj Fadnis
(upto 11th February,2016)

CA. M Devaraja Reddy
(from 12th February,2016)

Prof. V K Gupta
(upto 21st February, 2016)

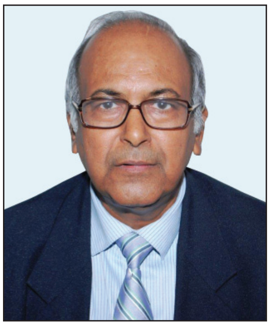

S B Mathur

SENIOR OFFICIALS OF IRDAI

EXECUTIVE DIRECTOR	SRIRAM TARANIKANTI, IAS
FINANCIAL ADVISER	LALIT KUMAR CHANDEL
SENIOR JOINT DIRECTORS	M PULLA RAO
	SURESH MATHUR
	RANDIP SINGH JAGPAL
	A R NITHIANANTHAM
	MAMTA SURI
	J MEENA KUMARI
JOINT DIRECTORS	MUKESH SHARMA
	S N JAYASIMHAN
	YEGNA PRIYA BHARATH
	H ANANTHAKRISHNAN
	V JAYANTH KUMAR
	RAMANA RAO ADDANKI
	RAKESH BAJAJ
	SANJEEV KUMAR JAIN
	T S NAIK
	S P CHAKRABORTY
	P K MAITI
	RAJ KUMAR SHARMA
CHIEF VIGILANCE OFFICER & JOINT DIRECTOR	A V RAO

PART – I
POLICIES AND PROGRAMMES

I.1 GENERAL ECONOMIC ENVIRONEMNT

I.1.1 As per the provisional estimates of Annual National Income, 2015-16 released by CSO, MOSPI, GOI, Real GDP or GDP at constant (2011-12) prices for the year 2015-16 is showing a growth rate of 7.6 percent against a growth rate of 7.2 for the previous year 2014-15. The real GVA i.e. GVA at basic constant (2011-12) prices for the year 2015-16 is showing a growth rate of 7.2 percent against 7.1 percent for the previous year 2014-15.

I.1.2 The sectors which registered an estimated growth rate of over 7.0 percent are 'financial, real estate and professional services' (10.3 percent), 'manufacturing' (9.3 percent), 'trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting' (9.0 percent), and 'mining and quarrying' (7.4 percent). The estimated growth rate is 1.2 percent in 'agriculture, forestry and fishing', 3.9 percent in 'construction', 6.6 percent in 'electricity, gas, water supply & other utility services', 6.6 percent in 'public administration, defence and other services'.

I.1.3 The Gross National Income (GNI) at 2011-12 prices is estimated to have risen by 7.5 percent during 2015-16 in comparison to the growth rate of 7.3 percent in 2014-15.The growth rate in per capita income is estimated at 6.2 percent during 2015-16, against 5.8 percent in the previous year.

I.1.4 The wholesale price index (WPI) in respect of the groups – food articles, manufactured products, electricity and all commodities, has risen by 3.3 percent, (-)1.1 percent, 4.0 percent and (-)2.5 percent, respectively during April-March, 2015-16. The consumer price index (CPI) has shown a rise of 4.9 percent during April-March, 2016.

(Source: CSO press note dated 31.05.2016)

TABLE I.1
PROVISIONAL ESTIMATES OF NATIONAL INCOME 2015-16

(At 2011-12 prices)

Item	2013-14 (2nd RE (NS))	2014-15 (1st RE)	2015-16 (PE)
Domestic Product (₹ crore)			
1. Gross Value Added(GVA) at basic prices	9084369	9727490 (7.1)	10427191(7.2)
2. Gross Domestic Product(GDP)	9839434	10552151(7.2)	11350249(7.6)
3. Net Domestic Product(NDP)	8737681	9359476(7.1)	10071784(7.6)
4. Gross National Income(GNI) (₹ crore)	9717062	10427701(7.3)	11213328(7.5)
5. Net National Income(NNI) (₹ crore)	8615309	9235026(7.2)	9934863(7.6)
Per capita Income, Product			
6. Population (in million)	1251	1267 (1.3)	1283(1.3)
7. Per Capita Net National Income(NNI) (₹)	68867	72889(5.8)	77435(6.2)
8. Per Capita Gross Domestic Product(GDP)(₹)	78653	83285(5.9)	88466(6.2)

NS: *New Series Estimates; RE: Revised Estimates; PE: Provisional Estimates.*
Note: *Figures in brackets are percentage changes over the previous year.*
Source: *Central Statistical Organisation (CSO), Press Note dated 31st May 2016.*

TABLE I.2
PROVISIONAL ESTIMATES OF GVA AT BASIC PRICE BY ECONOMIC ACTIVITY

(₹ crore)

Industry	2013-14 (2nd RE (NS))	2014-15 (1st RE)	2015-16 (PE)	Percentage change over previous year	
				2014-15	2015-16
1. Agriculture, forestry & fishing	15,88,237	15,84,293	16,04,044	-0.2	1.2
2. Mining & quarrying	2,67,378	2,96,328	3,18,377	10.8	7.4
3. Manufacturing	15,79,721	16,67,069	18,21,926	5.5	9.3
4. Electricity, gas, water supply and other utility services	2,00,861	2,16,970	2,31,228	8.0	6.6
5. Construction	8,18,494	8,54,636	8,87,957	4.4	3.9
6. Trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting	16,69,844	18,33,997	19,98,292	9.8	9.0
7. Financial, real estate & professional services	18,44,070	20,39,460	22,48,845	10.6	10.3
8. Public Administration, defence and other services	11,15,765	12,34,737	13,16,522	10.7	6.6
GVA at Basic Price	**90,84,369**	**97,27,490**	**104,27,191**	**7.1**	**7.2**

NS: *New Series Estimates; PE: Provisional Estimates; RE: Revised Estimates; GVA: Gross Value Added; # at 2011-12 prices.*
Source: Central Statistical Organisation (CSO), Press Note dated 31st May 2016.

CHART I.1 SHARE OF SECTORS IN GVA 2015-16 (PE) AT 2011-12 PRICES

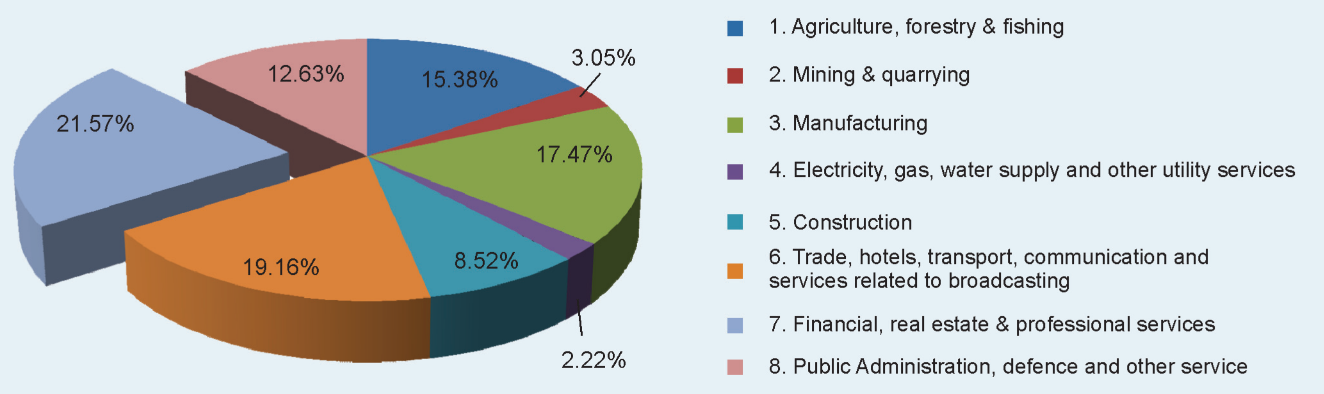

Financial Saving of the Household Sector

I.1.5 Preliminary estimates showed that the household net financial saving rate increased to 7.7 per cent of Gross National Disposable income (GNDI) in 2015-16 from 7.5 per cent in 2014-15 and 7.4 per cent in 2013-14. The improvement reflected a higher rate of increase in gross financial assets in relation to that in financial liabilities. The increase in gross financial assets was driven primarily by a turnaround in small savings and increases in investment in equities and mutual funds, tax-free bonds by public sector units and currency holdings even as the growth in bank deposits held by the households moderated (Table I.3). Financial liabilities also surged reflecting higher borrowings from banks and housing finance companies by the households during the year.

(Source: RBI Annual Report 2015-16)

TABLE I.3
FINANCIAL SAVINGS OF THE HOUSEHOLD SECTOR

(In per cent of GNDI)

Item	2011-12	2012-13	2013-14*	2014-15*	2015-16*
A. Gross financial savings	**10.4**	**10.4**	**10.4**	**10.0**	**10.8**
of which					
1. Currency	1.2	1.1	0.9	1.1	1.4
2. Deposits	6.0	6.0	5.8	4.9	4.7
3. Shares and debentures	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7
4. Claims on government	-0.2	-0.1	0.1	0.0	0.4
5. Insurance funds	2.2	1.8	1.6	1.9	2.0
6. Provident and pension funds	1.1	1.5	1.6	1.6	1.5
B. Financial liabilities	**3.2**	**3.2**	**3.0**	**2.5**	**3.0**
C. Net financial saving (A-B)	**7.2**	**7.2**	**7.4**	**7.5**	**7.7**

Note: *Figures may not add up to total due to rounding off.*
Source: CSO as published in RBI Annual Report 2015-16 Table II.1
** : As per the latest estimates of the reserve bank; GNDI : Gross National Disposable Income*

TABLE I.4
GROSS SAVINGS

(In per cent of GNDI)

Item	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Gross Savings	**33.8**	**33.0**	**32.3**	**32.3**
1.1 Non-financial corporations	**9.5**	**9.7**	**10.6**	**12.0**
1.1.1 Public non-financial corporations	1.4	1.2	1.1	0.9
1.1.2 Private non-financial corporations	8.1	8.5	9.4	11.1
1.2 Financial corporations	**3.0**	**3.0**	**2.6**	**2.6**
1.2.1 Public financial corporations	1.9	1.7	1.4	1.3
1.2.2 Private financial corporations	1.2	1.2	1.1	1.3
1.3 General Government	**-1.8**	**-1.6**	**-1.3**	**-1.0**
1.4 Household sector	**23.0**	**21.9**	**20.5**	**18.7**
1.4.1 Net financial saving	7.2	7.2	7.5 *	7.5 *
Memo: Gross financial saving	**10.4**	**10.4**	**10.1 ***	**9.8 ***
1.4.2 Saving in physical assets	15.5	14.4	12.7	10.8
1.4.3 Saving in the form of valuables	0.4	0.4	0.3	0.3

**: As per the latest estimates of the Reserve Bank, household financial saving for 2013-14 and 2014-15 are 7.4 per cent and 7.5 per cent of gross national disposable income (GNDI) and gross financial saving for the same period are 10.4 per cent and 10.0 per cent, respectively.*
Note*: Net financial saving of the household sector is obtained as the difference between gross financial savings and financial liabilities during the year.*
Source: CSO as published in RBI Annual Report 2015-16 Appendix Table 3

I.2 WORLD INSURANCE SCENARIO

I.2.1 According to the 'World Insurance in 2015' report published by reinsurance major, Swiss Re, the re/insurance industry faced another year of moderate global economic growth in 2015. The global real gross domestic product (GDP) grew by 2.5%,

I.2.2 As per the report, the real global direct life and non-life insurance premiums written grew by 3.8% in 2015, up from 3.5% in previous year. However in nominal US dollar terms, premiums were down by 4.2% due to wide-spread currency depreciation against USD.

In real terms, the global life premium growth slowed to 4% from a 4.3% gain in 2014. In advanced markets life premiums grew 2.5%, down from 3.8% growth the previous year. In the emerging markets, overall life premium growth doubled to near 12%.

Global non-life premium growth improved to 3.6% in 2015 from 2.4% the previous year. The advanced markets non-life premiums grew 2.6% up from 1.1% growth the previous year. The Emerging markets continued their robust premium growth trend (+7.8%) in 2015 though showed lower growth (+ 8.6%) than 2014.

I.2.3 In life moderate premium growth in many markets and the prolonged low interest rates dragged on profits. In non-life both the underwriting and investment results were weaker than those of 2014. The underwriting results were impacted by lower reserve releases and investment results were hit by low interest rates. However, the insurance industry overall remains well capitalized.

I.2.4 As per the report, the life premium growth is expected to accelerate slightly in the advanced economics in 2016. In the emerging markets the life sector is forecast to decelerate. The out-look for the non-life industry in advanced markets is more muted than for life, given expectations of moderate economic recovery and pricing weakness. The outlook for non-life in emerging markets is mixed.

(Source: Swiss Re, Sigma No. 3/2016)

TABLE I.5
TOTAL REAL PREMIUM GROWTH RATE IN 2015

(In per cent)

Regions/Countries	Life	Non-Life	Total
Advanced countries	2.5	2.6	2.5
Emerging markets	12	7.8	9.8
Asia	7.8	9.2	8.2
India	7.8	8.1	7.9
World	**4**	**3.6**	**3.8**

Source: Swiss Re, Sigma No. 3/2016.

TABLE I.6
REGION WISE LIFE AND NON-LIFE INSURANCE PREMIUM

(Premium in USD Billions)

Region/Country	Life	Non-Life	Total
Advanced economies	2089.77 (56.41)	1614.30 (43.59)	3704.07 (100.00)
Emerging markets	444.05 (52.26)	405.67 (47.74)	849.72 (100.00)
Asia	904.57 (66.96)	446.41 (33.04)	1350.97 (100.00)
India	56.68 (78.96)	15.10 (21.04)	71.78 (100.00)
World	**2533.82 (55.64)**	**2019.97 (44.36)**	**4553.79 (100.00)**

Source: Swiss Re, Sigma 3/2016. Figures in brackets indicate share of the segment in per cent.

CHART I. 2: INSURANCE PENETRATION IN SELECT COUNTRIES - 2015

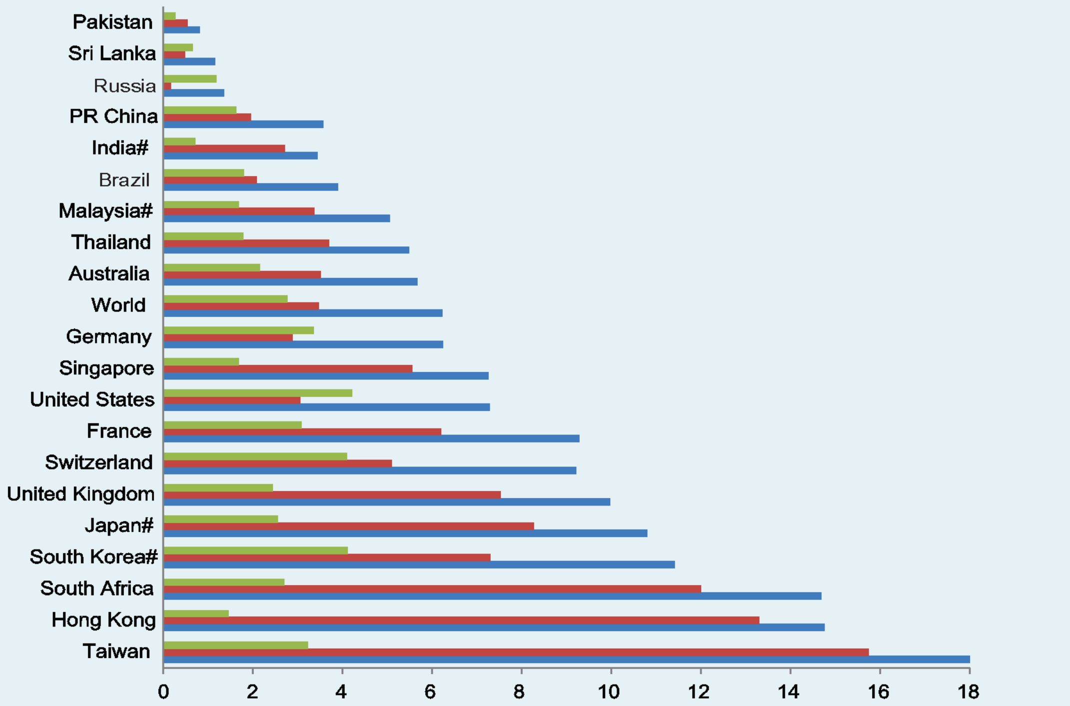

Source: Swiss Re, Sigma No. 3/2016. Data is in per cent.
Data relates to Financial Year

CHART I.3: INSURANCE DENSITY IN SELECT COUNTRIES - 2015

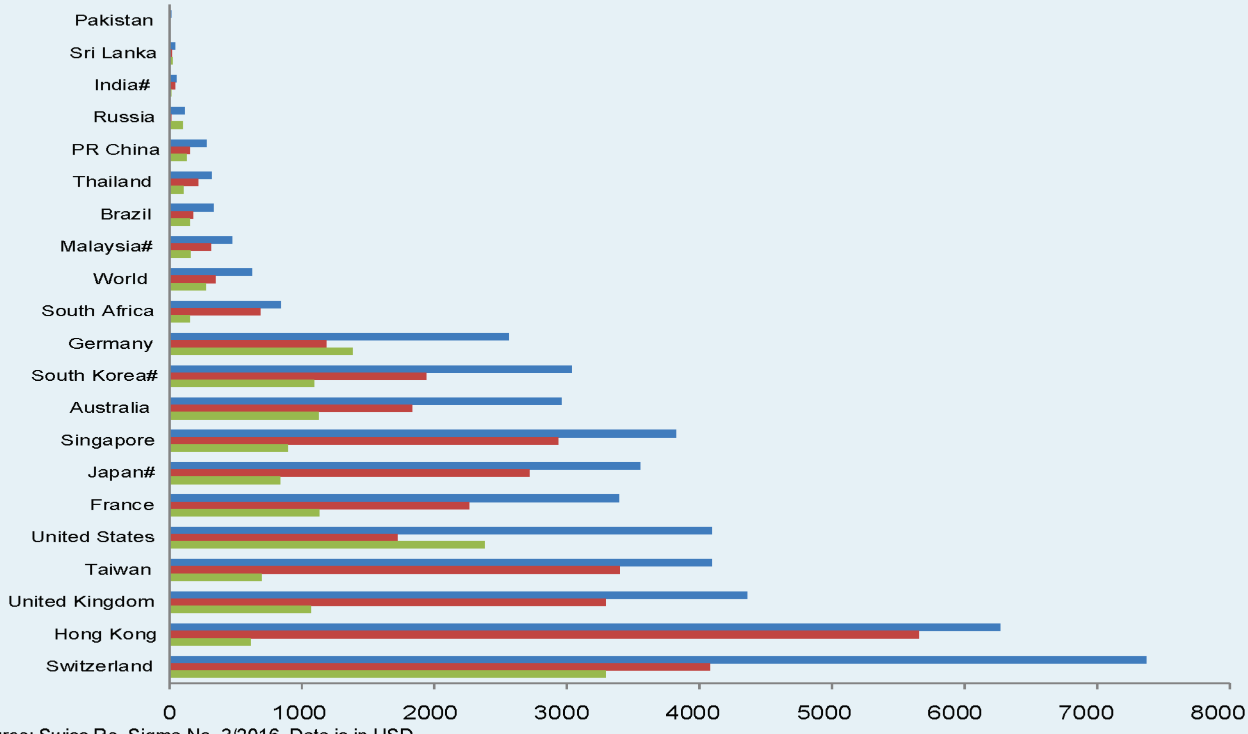

Source: Swiss Re, Sigma No. 3/2016. Data is in USD
data relates to financial year

Indian Insurance in the global scenario

I.2.5 Globally, the share of life insurance business in total premium was 55.6%. The share of life insurance business in India was at 79% while that of non-life insurance business was at 21 %.

I.2.6 In life insurance business, India is ranked 10th among the 88 countries, for which the data was published by Swiss Re. India's share in global life insurance market was 2.24% during 2015 where as it was 2.08% in 2014. However, during 2015, the life insurance premium in India (inflation adjusted) increased by 7.8% when global life insurance premium increased by 4%.

I.2.7 The Indian non-life insurance sector witnessed a growth of 8.1 percent (inflation adjusted) during 2015 where as the growth in global non-life insurance premium was 3.6% only. However, the share of Indian non-life insurance premium in global non-life insurance premium was at 0.75% and India ranks 18th among the 88 countries.

Insurance penetration and density in India

I.2.8 The measure of insurance penetration and density reflects the level of development of insurance sector in a country. While insurance penetration is measured as the percentage of insurance premium to GDP, insurance density is calculated as the ratio of premium to population (per capita premium).

I.2.9 During the first decade of insurance sector liberalization, the sector has reported consistent increase in insurance penetration from 2.71 per cent in 2001 to 5.20 per cent in 2009. Since then, the level of penetration was declining. However, there was slight increase in 2015 reaching 3.44 percent compared to 3.3 percent in 2014. A similar trend in

TABLE I.7
INSURANCE PENETRATION AND DENSITY IN INDIA

Year	Life		Non-Life		Industry	
	Density (USD)	Penetration (percentage	Density (USD)	Penetration (percentage)	Density (USD)	Penetration (percentage)
2001	9.1	2.15	2.4	0.56	11.5	2.71
2002	11.7	2.59	3	0.67	14.7	3.26
2003	12.9	2.26	3.5	0.62	16.4	2.88
2004	15.7	2.53	4	0.64	19.7	3.17
2005	18.3	2.53	4.4	0.61	22.7	3.14
2006	33.2	4.1	5.2	0.6	38.4	4.8
2007	40.4	4	6.2	0.6	46.6	4.7
2008	41.2	4	6.2	0.6	47.4	4.6
2009	47.7	4.6	6.7	0.6	54.3	5.2
2010	55.7	4.4	8.7	0.71	64.4	5.1
2011	49	3.4	10	0.7	59	4.1
2012	42.7	3.17	10.5	0.78	53.2	3.96
2013	41	3.1	11	0.8	52	3.9
2014	44	2.6	11	0.7	55	3.3
2015	43.2	2.72	11.5	0.72	54.7	3.44

Note: 1. Insurance density is measured as ratio of premium (in USD) to total population.
2. Insurance penetration is measured as ratio of premium (in USD) to GDP (in USD).
Source: Swiss Re, Sigma, Various Issues

CHART I.4: INSURANCE PENETRATION IN INDIA

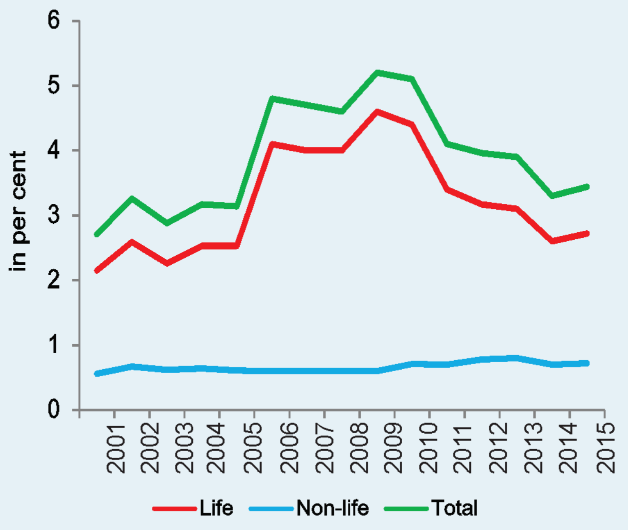

CHART I.5: INSURANCE DENSITY IN INDIA

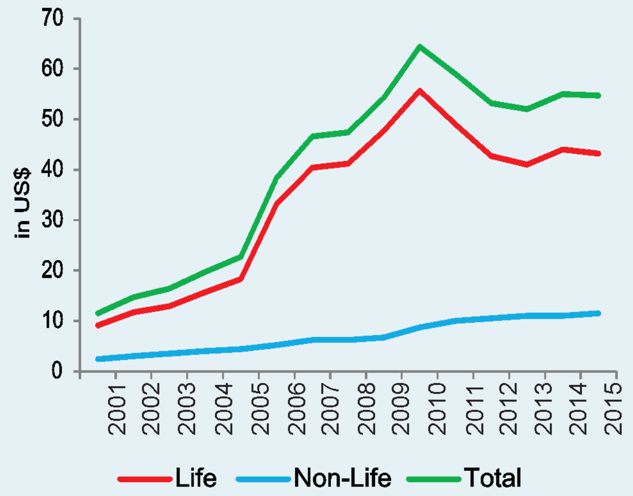

the level of insurance density which reached the maximum of USD 64.4 in the year 2010 from the level of USD 11.5 in 2001. During the year under review 2015, the insurance density was USD 54.7.

I.2.10 The insurance density of life insurance business had gone up from USD 9.1 in 2001 to the peak at USD 55.7 in 2010. During 2015, the level of life insurance density was USD 43.2. Similarly, the life insurance penetration surged from 2.15 per cent in 2001 to 4.60 percent in 2009. Since then, it has exhibited a declining trend. However, there was a slight increase 2015 reaching 2.72 percent in 2015 when compared to 2.6% in 2014.

I.2.11 Over the last 10 years, the penetration of non-life insurance sector in the country remained steady in the range of 0.5-0.8 per cent. However, its density has gone up from USD 2.4 in 2001 to USD 11.5 in 2015.

(Source: Swiss Re, Sigma No. 3/2016)

I.3 APPRAISAL OF INDIAN INSURANCE MARKET

Registered insurers in India

I.3.1 At the end of March 2016, there are 54 insurers operating in India of which 24 are life insurers, 24 are general insurers and 5 are health insurers exclusively doing health insurance business. In addition, GIC is the sole national reinsurer.

I.3.2 Of the 54 insurers presently in operation, eight are in the public sector and the remaining forty six are in the private sector. Two specialized insurers, namely ECGC and AIC, one life insurer namely LIC of India (LIC), four in general insurance and one in reinsurance namely GIC are in public sector. 23 life insurers, 18 general insurers and 5 standalone health insurers are in private sector.

TABLE I.8
REGISTERED INSURERS IN INDIA
(As on 31th March, 2016)

Type of Insurer	Public Sector	Private Sector	Total
Life	1	23	24
General	6	18	24
Health	0	5	5
Reinsurance	1	0	1
Total	**8**	**46**	**54**

Note: List of insurers registered in India is given in Annexure I

LIFE INSURANCE

Premium

I.3.3 Life insurance industry recorded a premium income of ₹366943.23 crore during 2015-16 as against ₹328102 crore in the previous financial year, registering growth of 11.84 per cent (4.39 per cent growth in previous year). While private sector insurers posted 13.64 per cent growth (14.32 per cent growth in previous year) in their premium income, LIC recorded 11.17 per cent growth (1.15per cent growth in previous year)

I.3.4 While renewal premium accounted for 62.16 per cent (65.46 per cent in 2014-15) of the total premium received by the life insurers, first year premium contributed the remaining 37.84 per cent (34.54 percent in 2014-15). During 2015-16, the growth in renewal premium was 6.20 per cent (10.72 per cent in 2014-15). First year premium registered a growth of 22.53 per cent in comparison to a decline of 5.81 per cent during 2014-15.

I.3.5 Further bifurcation of the first year premium indicates that single premium income received by the life insurers recorded a positive growth of 32.52 percent during 2015-16 (2.37per cent decline in 2014-15). Single premium products continue to play a major role for LIC as they contributed 27.80 percent of LIC's total premium income (23.11 per cent in 2014-15). In comparison, the contribution of single

TABLE I. 9
PREMIUM UNDERWRITTEN : LIFE INSURERS

(₹ crore)

Insurer	2014-15	2015-16
Regular premium (1)		
LIC	23112.20	23829.38
	(-27.56)	(3.10)
Private Sector	23901.76	27149.32
	(16.61)	(13.59)
Total	**47013.96**	**50978.70**
	(-10.28)	**(8.43)**
Single premium (2)		
LIC	55395.51	74062.13
	(-5.96)	(33.70)
Private Sector	10920.05	13821.47
	(20.08)	(26.57)
Total	**66315.56**	**87883.60**
	(-2.37)	**(32.52)**
First Year Premium (3 =(1+2))		
LIC	78507.71	97891.51
	(-13.55)	(24.69)
Private Sector	34821.81	40970.79
	(17.97)	(17.66)
Total	**113329.52**	**138862.30**
	(-5.81)	**(22.53)**
Renewal Premium (4)		
LIC	161159.94	168552.70
	(10.28)	(4.59)
Private Sector	53612.54	59528.23
	(12.06)	(11.03)
Total	**214772.48**	**228080.93**
	(10.72)	**(6.20)**
Total Premium (5 =(3+4)=(1+2+4))		
LIC	239667.65	266444.21
	(1.15)	(11.17)
Private Sector	88434.35	100499.02
	(14.32)	(13.64)
Total	**328102.00**	**366943.23**
	(4.39)	**(11.84)**

Note: *Figures in brackets indicate the growth (in per cent) over the previous year.*

CHART I.6: FIRST YEAR PREMIUM OF LIFE INSURERS

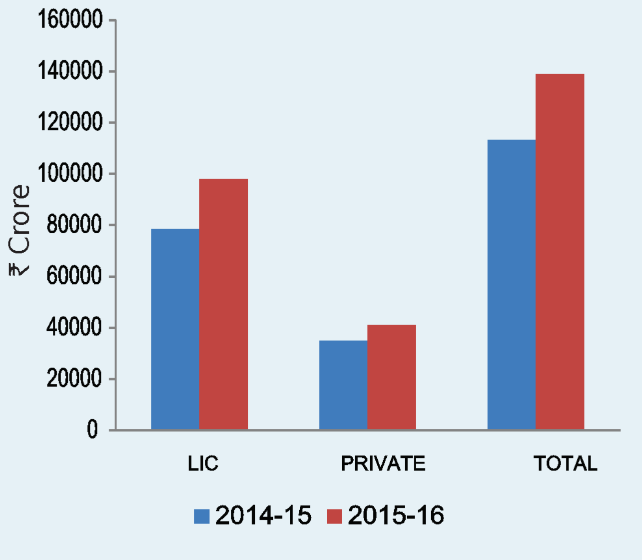

premium income in total premium income during 2015-16 was 13.75 percent for private insurance companies (12.35 percent in 2014-15).

I.3.6 The regular premium registered 8.43 percent growth in 2015-16, as against 10.28 per cent decline in 2014-15. The private insurers registered a growth of 13.59 per cent (16.61 per cent growth in 2014-15); while LIC registered a growth of 3.10 per cent in the regular premium (27.56 per cent decline in 2014-15).

I.3.7 Unit-linked products (ULIPs) registered a growth of 12.62 percent premium from ₹41617.80 crore in 2014-15 to ₹46871.58 crore in 2015-16. On the other hand, the growth in premium from traditional products was at 11.72 per cent, with premium ₹320071.65 crore as against ₹286484.20 crore in 2014-15. Accordingly, the share of unit-linked products in total premium increased to 12.77 per cent in 2015-16 as against 12.68 per cent in 2014-15.

Market Share

I.3.8 On the basis of total premium income, the market share of LIC decreased from 73.05 per cent in 2014-15 to 72.61 per cent in 2015-16. The market share of private insurers has increased from 26.95 per cent in 2014-15 to 27.39 per cent in 2015-16.

CHART I.7 : TOTAL PREMIUM OF LIFE INSURERS

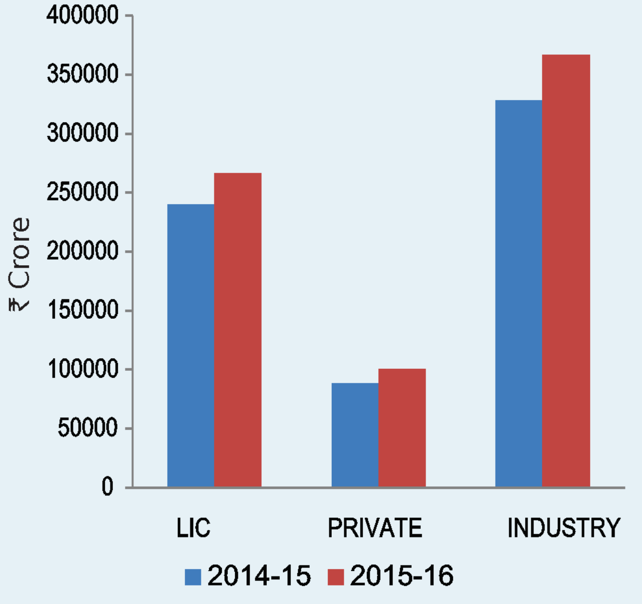

CHART I.8 : TOTAL PREMIUM OF LIFE INSURERS FOR 5 YEARS

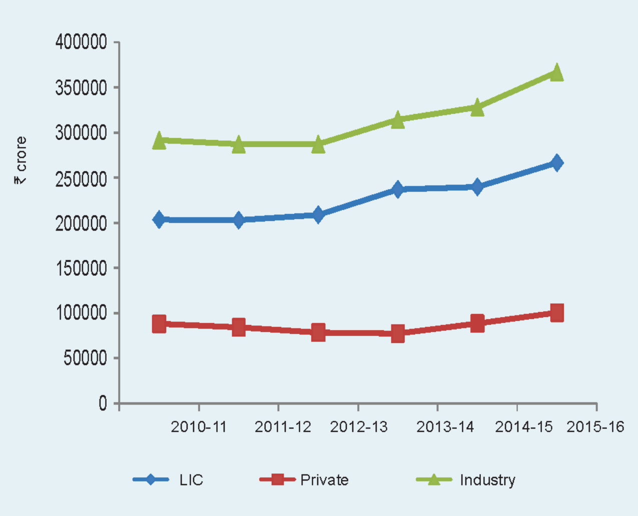

1.3.9 The market share of private insurers in first year premium was 29.50 per cent in 2015-16 (30.73 per cent in 2014-15). The same for LIC was 70.50 per cent (69.27 per cent in 2014-15). Similarly, in renewal premium, LIC continued to have a higher share at 73.90 per cent (75.04 per cent in 2014-15) when compared to 26.10 per cent (24.96 per cent in 2014-15) share of private insurers.

TABLE I.10
MARKET SHARE : LIFE INSURERS

Insurer	2014-15	2015-16
Regular Premium (1)		
LIC	49.16	46.74
Private Sector	50.84	53.26
Total	**100.00**	**100.00**
Single Premium (2)		
LIC	83.53	84.27
Private Sector	16.47	15.73
Total	**100.00**	**100.00**
First Year Premium (3 =(1+2))		
LIC	69.27	70.50
Private Sector	30.73	29.50
Total	**100.00**	**100.00**
Renewal Premium (4)		
LIC	75.04	73.90
Private Sector	24.96	26.10
Total	**100.00**	**100.00**
Total Premium (5 =(3+4)=(1+2+4))		
LIC	73.05	72.61
Private Sector	26.95	27.39
Total	**100.00**	**100.00**

New Policies:

I.3.10 During 2015-16, life insurers issued 267.38 lakh new policies, out of which LIC issued 205.47 lakh policies (76.84 per cent of total new policies issued) and the private life insurers issued 61.92 lakh policies (23.16 per cent of total new policies issued). While the private sector registered a growth of 7.92 per cent with a good improvement (against a decline of 9.79 per cent in 2014-15) in the number of new policies issued against the previous year, LIC registered a slight growth of 1.86 per cent with a significant improvement (against a decline of 41.55 per cent in 2014-15) in the number of new policies issued.

I.3.11 Overall, the industry witnessed a 3.20 per cent growth (against the decline of 36.61 per cent decline in 2014-15) in the number of new policies issued.

TABLE I.11
NEW POLICIES ISSUED: LIFE INSURERS

(In lakh)

Insurer	2014-15	2015-16
LIC	201.71 (-41.55)	205.47 (1.86)
Private Sector	57.37 (-9.79)	61.92 (7.92)
Total	**259.08 (-36.61)**	**267.38 (3.20)**

Note: *Figures in brackets indicate growth (in percent) over previous year*

Paid-up capital

I.3.12 The total capital of the life insurance companies as on 31st March, 2016 was ₹26691.47crore. During 2015-16, an additional capital of ₹451.91 crore was brought in the industry by the private sector insurers.

TABLE I.12
PAID UP CAPITAL* : LIFE INSURERS

(₹ crore)

Insurer	As at 31st March, 2015	Additions during 2015-16	As at 31st March, 2016
LIC	100.00	0.00	100.00
Private Sector	26139.56	451.91	26591.47
TOTAL	**26239.56**	**451.91**	**26691.47**

** Excludes Share premium & Share application money*

Expenses of life insurers

I.3.13 Pursuant to Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, section 40B of Insurance Act, 1938 was amended and reads as under: "No insurer shall, in respect of insurance business transacted by him in India, spend as expenses of management in any financial year any amount exceeding the amount as may be specified by the regulations made under this Act."

Accordingly, IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting life insurance business) Regulations, 2016 were notified vide F.No. IRDAI/Reg/14/126/2016 on 9th May 2016

These Regulations prescribes the allowable limits of expenses of management taking into account, inter alia the type and nature of product, premium paying term and duration of insurance business. Further, for the financial year 2015-16, Insurers have the option either to comply with these Regulations or with the erstwhile provisions under Rule 17D of the Insurance Rules, 1939.

TABLE I.13
COMMISSION EXPENSES : LIFE INSURERS

(₹crore)

Insurer	2014-15	2015-16
Regular (1)		
LIC	6293.44	6473.19
Private Sector	3003.16	3311.17
Total	**9296.60**	**9784.36**
Single Premium (2)		
LIC	264.37	255.94
Private Sector	40.22	40.58
Total	**304.59**	**296.52**
First Year (3 =(1+2))		
LIC	6557.81	6729.13
Private Sector	3043.38	3351.75
Total	**9601.19**	**10080.88**
Renewal (4)		
LIC	8560.33	8771.20
Private Sector	1299.16	1414.61
Total	**9859.49**	**10185.81**
Total (5 =(3+4)=(1+2+4))		
LIC	15118.14	15500.33
Private Sector	4342.54	4766.36
Total	**19460.68**	**20266.69**

I.3.14 The overall commission expenses ratio (commission expenses as a percentage of premiums) decreased marginally to 5.52 per cent in 2015-16 from 5.93 per cent in 2014-15. However, total commission increased by 4.14 percent (total premium growth 11.84 percent), regular commission

TABLE I.14
COMMISSION EXPENSE RATIO
LIFE INSURERS

(In per cent)

Insurer	2014-15	2015-16
Regular (1)		
LIC	27.23	27.16
Private Sector	12.56	12.20
Total	**19.77**	**19.19**
Single Premium (2)		
LIC	0.48	0.35
Private Sector	0.37	0.29
Total	**0.46**	**0.34**
First Year (3 =(1+2))		
LIC	8.35	6.87
Private Sector	8.74	8.18
Total	**8.47**	**7.26**
Renewal (4)		
LIC	5.31	5.20
Private Sector	2.42	2.38
Total	**4.59**	**4.47**
Total (5 =(3+4)=(1+2+4))		
LIC	6.31	5.82
Private Sector	4.91	4.74
Total	**5.93**	**5.52**

Note : *Commission expense ratio is the ratio between commission and the premium underwritten by life insurers*

increased by 5.25 percent (regular premium growth 8.43 percent), first year commission increased by 5.00 percent (first year premium growth 22.53 percent) and renewal commission increased by 3.31percent (renewal premium growth 6.20 percent). The single premium has increased by 32.52 percent but there has been a fall in single premium commission by 2.65 percent. However, there is some variation in the position when compared between the private insurers and LIC, as reflected in Table I.13, providing bifurcation of the commission expenses for both private and public sector life insurers.

I.3.15 The operating expenses of the life insurers decreased by 1.61 per cent in 2014-15 but increased by 5.22 per cent in 2015-16. The operating expenses towards life insurance business stood at ₹36859.16 crore in 2014-15 and increased to ₹38783.09 crore in 2015-16. The operating expenses of LIC increased by 1.32 percent and that of private insurers by 11.25 percent. For the life insurance industry, the operating expenses ratio (the ratio of operating expenses to the premium underwritten) decreased from 11.23 per cent in 2014-15 to 10.57 percent in 2015-16. Operating expenses, as a per cent of gross premium underwritten decreased for LIC from 9.34 per cent in 2014-15 to 8.52 per cent in 2015-16. The same for private insurers decreased from 16.36 percent in 2014-15 to 16.01 percent in 2015-16.

TABLE I.15

OPERATING EXPENSES : LIFE INSURERS

(₹ crore)

Insurer	2014-15	2015-16	Increase over previous year (%)
LIC	22395.45	22691.83	1.32
Private Sector	14463.72	16091.26	11.25
TOTAL	**36859.16**	**38783.09**	**5.22**

TABLE I.16

OPERATING EXPENSES RATIO : LIFE INSURERS

Insurer	2014-15	2015-16
LIC	9.34	8.52
Private Sector	16.36	16.01
TOTAL	**11.23**	**10.57**

Note : Operating expense ratio is the ratio of operating expenses to the premium underwritten by the life insurers

Benefits Paid

I.3.16 The life industry paid benefits of ₹201766.10 crore in 2015-16 (₹210915.03 crore in 2014-15) constitutes 54.99 per cent of the gross premium underwritten (64.28 per cent in 2014-15). The benefits paid by the private insurers was ₹60565.05 crore (₹66789.28 crore in 2014-15) constituting 60.26 per cent of the premium underwritten (75.52 per cent in 2014-15). LIC paid benefits of ₹141201.05 crore in 2015-16, constituting 52.99 per cent of the premium underwritten (₹144125.75 crore in 2014-15, 60.14 percent of the premium underwritten). The benefits paid on account of surrenders / withdrawals decreased at ₹80356.75 crore, of which LIC accounted for ₹37292.24 crore and private sector ₹43064.51crore. The comparative previous year statistics were ₹100389.57crore, of which LIC accounted for ₹46537.61crore and private sector paid ₹53851.96crore. In the current year, in case of LIC, out of the ₹37292.24 crore surrenders, ULIP policies accounted for ₹8960.57crore (24.03 percent) as against ₹23224.49 crore, (49.90 percent) in 2014-15. In case of the private insurance industry, the ULIP surrenders accounted for ₹37489.04crore (87.05 percent) in 2015-16 as against ₹48724.32 crore (90.48 per cent) in 2014-15.

TABLE I.17
INDIVIDUAL DEATH CLAIMS OF LIFE INSURERS DURING 2015-16

(Figures in percent of policies)

Life Insurer	Total Claims	Claims paid	Claims repudiated/ rejected	Claims written back	Claims pending at end of year	Break up of claims pending duration wise (Policies)			
						< 3 mths	3 - < 6 mths	6 - < 1 yr	> 1 yr
Private Total	100.00	91.48	6.67	0.00	1.85	76.24	10.20	3.87	9.68
LIC	100.00	98.33	0.98	0.17	0.51	17.71	20.34	36.82	25.14
Industry Total	**100.00**	**97.43**	**1.73**	**0.15**	**0.69**	**38.25**	**16.78**	**25.25**	**19.71**

Death Claims for the year 2015-16

Individual Life Insurance Business:

I.3.17 In the year 2015-16, the life insurance companies had settled 8.54 lakh claims on individual policies, with a total payout of ₹ 12,636.66 crore. The number of claims repudiated/rejected was 15,157 for an amount of ₹ 736.51 crore. The number of claims pending at the year-end was 6,031 and the amount involved was ₹ 444.23 crore. Of these, 1189 claims were pending for more than one year and 4,842 claims were pending for less than and up to one year.

I.3.18 The claim settlement ratio of LIC was better than that of the private life insurers. Settlement ratio of LIC had increased to 98.33 percent during the year 2015-16 when compared to 98.19 percent during the previous year. The percentage of repudiations has come down to 0.98 percent in 2015-16 compared to the 1.15 percent in previous year.

I.3.19 For private insurers, settlement ratio had gone up by 2.08% at 91.48 percent during the financial year 2015-16 when compared to 89.40 percent during the previous year. The percentage of repudiations has come down to 6.67% in the year 2015-16 compared to the 7.78% percent in previous year.

I.3.20 The industry's settlement ratio had slightly increased to 97.43 percent in 2015-16 from 96.97 percent in 2014-15 and the repudiation ratio had decreased to 1.73% compared to the 2.08 percent in 2014-15.

Group Life Insurance:

I.3.21 During 2015-16, the total intimated claims were 5,45,337 while 14,388 claims were pending at the beginning of the year. Out of these, life insurance industry had settled a total of 5,28,638 (96.94% of the total claims) claims. 96.28% of the settled claims

TABLE I.18
GROUP DEATH CLAIMS OF LIFE INSURERS DURING 2015-16

(Figures in percent of lives covered)

Life Insurer	Total Claims	Claims paid	Claims repudiated/ rejected	Claims written back	Claims pending at end of year	Break up of claims pending duration wise (Lives)			
						< 3 mths	3 - < 6 mths	6 - < 1 yr	> 1 yr
Private Total	100.00	94.65	0.93	0.00	4.42	4.10	0.69	0.36	94.85
LIC	100.00	99.69	0.04	0.00	0.27	18.24	7.14	10.64	63.98
Industry Total	**100.00**	**96.94**	**0.53**	**0.00**	**2.53**	**4.77**	**1.00**	**0.85**	**93.38**

CHART I.9: DURATION WISE BREAKUP OF CLAIMS PENDING-INDIVIDUAL POLICIES

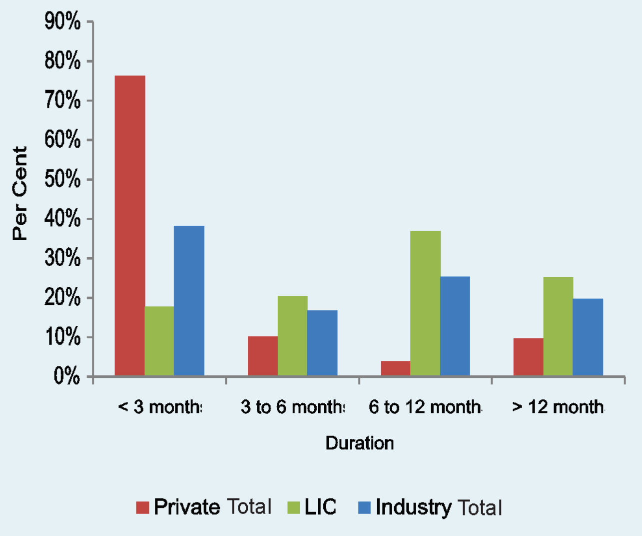

CHART I.10: DURATION WISE BREAKUP OF CLAIMS PENDING-GROUP POLICIES

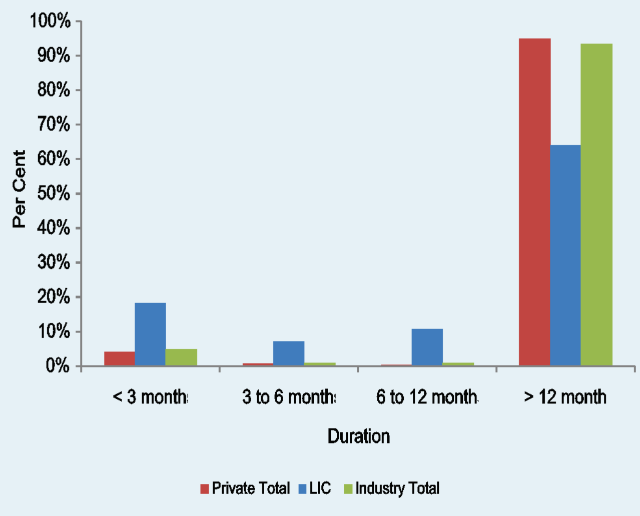

were settled within 30 days of intimation. 0.01% of the claims took more than a year to get settled.

Group Death claims pending for more than one year with respect to the Future Generali Life Insurance Company (12414) as at 31.03.2016 accounts for 96.23 per cent of total Life Industry's Group Claims pending for more than one year (12900) as at 31.03.2016. Barring Future Generali's pending claims, pending claims of all other insurers put together comes at 486. Out of the 12414 pending group death claims of Future Generali Life Insurance Company, 12371 are under litigation and are sub-judice.

I.3.22 While LIC settled 99.69 percent of the claims, the private life insurers paid 94.65 percent of all claims. The industry repudiated 0.53 percent of the claims, written back zero percent of the claims and the remaining 2.53 percent of the claims were pending as at 31.3.2016.

Investment income

I.3.23 In the case of LIC, the investment income including capital gains was ₹157961.30crore (₹168063.58 crore in 2014-15). In the case of private insurance industry, the investment income including capital gains was at ₹13078.73 crore in 2015-16 (₹78650.52 crore in 2014-15).

Retention Ratio

I.3.24 During 2015-16, ₹ 218.82 crore was ceded as reinsurance premium by LIC (₹184.88 crore in 2014-15). The private insurers together ceded ₹ 1284.32 crore (₹991.92 crore in 2014-15) as premium towards reinsurance.

Profits of Life Insurers

I.3.25 During the financial year 2015-16, the life insurance industry reported a profit after tax of ₹7414.97 crore as against ₹7611.31 crore in 2014-15. Out of twenty-four life insurers in operations during 2015-16, nineteen companies reported profits. They are AvivaLife, Bajaj Allianz, Birla

SunLife, Canara HSBC, DHFL Pramerica, EXIDE Life, HDFC Standard, ICICI Prudential, IDBI Federal, India First, Kotak Mahindra, Max Life, PNB MetLife, Sahara India, SBI Life, Shriram Life, Star Union, Tata AIA and LIC of India. LIC of India reported a profit after tax of ₹2517.85 crore i.e. an increase of 38.06 percent over ₹1823.78 crore in 2014-15.

Returns to Shareholders

I.3.26 For the year 2015-16, LIC paid ₹2497.03 crore (₹1803.05 crore in 2014-15) as dividends to Government of India. Four private life insurers paid dividends during the financial year 2015-16. HDFC Standard Life paid ₹179.54crore (₹139.64 crore in 2014-15), ICICI Prudential paid ₹1202.99crore (₹836.83 crore in 2014-15), Max Life paid ₹364.57crore (₹199.63crore in 2014-15)and SBI Life paid ₹120 crore (₹120 crore in 2014-15)

TABLE I.19
DIVIDENDS PAID BY LIFE INSURERS

(₹crore)

Insurer	2014-15	2015-16
LIC	1803	2497
Private Sector*	1431	1867
Total	**3234**	**4364**

** 7 Life Insurers in 2014-15 and 5 Life insurers in 2015-16.*

Expansion of Offices

I.3.27 The decreasing trend of number of life insurance offices (which had continued until 2012-13) had reverted from 2013-14 and there is an increase in 2015-16 at 11071 from 11033 of the previous year.

I.3.28 It is observed that majority of offices of life insurers are located in Semi-Urban towns which are with a population between 10,000 to 99,000. Around 49% of life insurance offices are located in these small towns. This fact remains similar for both private sector (38.4% of the offices in semi-urban towns) and public sector life insurer (61.5% of the offices in semi-urban towns). After the Semi-Urban towns, majority of the life insurance offices i.e. 31.8% are located in Urban towns with a population between 1,00,000 to 9,99,999. This applies to both private sector (35.2% of offices in Urban towns) and public sector life insurer (27.6% of offices in Urban towns).

District Level Presence of Life Offices:

I.3.29 As at 31st March, 2016, the sole public sector life insurer, LIC of India had its offices in 606 districts out of 640 districts (As per the Decennial Census - 2011) in the country. As such, it covered 94.69 percent of all districts in the country, whereas the private sector insurers had offices in 554 districts covering 86.56 percent of all districts in the country.

TABLE I.20
NUMBER OF LIFE OFFICES
(As on 31st March)

Insurer	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Private	3072	6391	8785	8768	8175	7712	6759	6193	6156	6179
LIC	2301	2522	3030	3250	3371	3455	3526	4839	4877	4892
Industry	**5373**	**8913**	**11815**	**12018**	**11546**	**11167**	**10285**	**11032**	**11033**	**11071**

Note: *1) Data collected from life insurers through a special return.*
2) Office as defined under Section 64VC of the Insurance Act, 1938.
3) For similar data for 2001-2007, refer IRDA Annual report for 2007-08.

TABLE I.21A
DISTRIBUTION OF OFFICES OF LIFE INSURERS - NUMBER OF LIFE OFFICES
(As on 31st March 2016)

Insurer	Metropolis	Urban	Semi-Urban	Rural	Total
Private Sector	1287	2176	2372	344	6179
LIC	380	1349	3009	154	4892
Industry	**1667**	**3525**	**5381**	**498**	**11071**

Note:- *Metro: 10,00,000 and above*
Urban: From 1,00,000 to 9,99,999
Semi-Urban: From 10,000 to 99,999
Rural: Population upto 9999

TABLE I.21B
NUMBER OF LIFE OFFICES - TIER WISE

Insurer	Year	Tier I	Tier II	Tier III	Tier IV	Tier V	Tier VI	Total
LIC	2015	1704	569	1186	1265	75	78	4877
	2016	1729	569	1219	1221	81	73	4892
Private Sector	2015	4636	798	507	137	53	25	6156
	2016	4746	836	426	112	29	30	6179
Total	**2015**	**6340**	**1367**	**1693**	**1402**	**128**	**103**	**11033**
	2016	**6475**	**1405**	**1645**	**1333**	**110**	**103**	**11071**

Note:-
Tier I - Population 1,00,000 & Above.
Tier II - Population of 50,000 to 99,999.
Tier III - Population of 20,000 to 49,999
Tier IV - Population of 10,000 to 19,999.
Tier V - Population of 5,000 to 9,999.
Tier VI - Population less than 5,000.

In total, both LIC and private insurers together covered 95.31 percent of all districts in the country. The number of districts with no presence of life insurance offices stood at 30 in the country. Out of these, 23 districts belong to the six of the north eastern states namely Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Sikkim. In 23 states/union territories (out of a total of 36 states/ union territories in the country), all their districts were covered through life insurance offices.

CHART I.11
NUMBER OF LIFE INSURANCE OFFICES

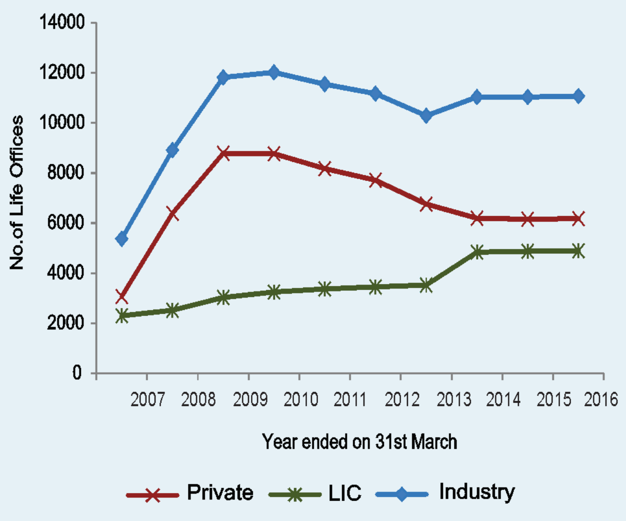

CHART I.12: GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF OFFICES-PRIVATE SECTOR

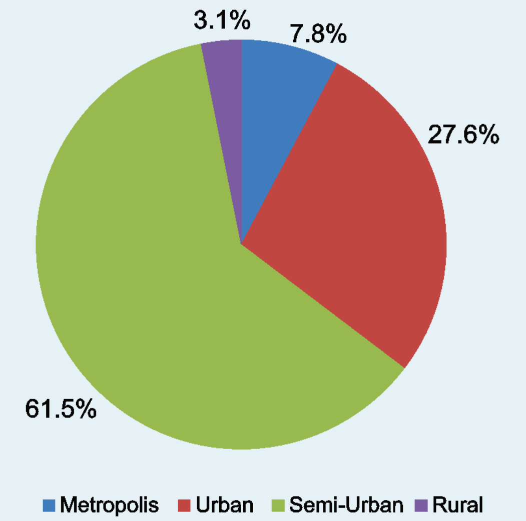

CHART I.13: GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF OFFICES-LIC

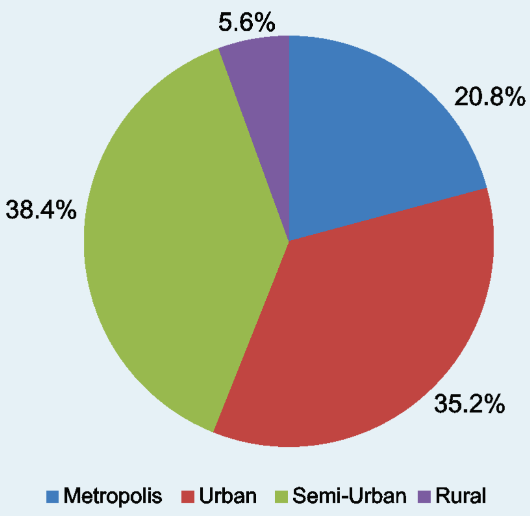

CHART I.14: GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF OFFICES-INDUSTRY

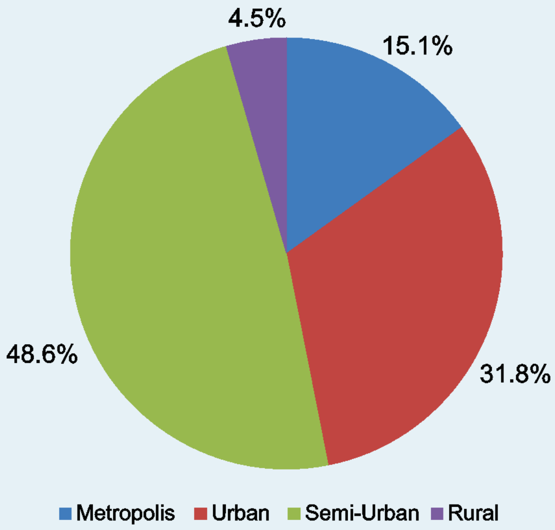

NON-LIFE INSURANCE

Premium

I.3.30 The non-life insurance industry underwrote total direct premium of ₹ 96379 crore in India for the year 2015-16 as against ₹ 84686 crore in 2014-15, registering a growth rate of 13.81 percent as against 9.20 percent growth rate recorded in the previous year. The public sector insurers exhibited growth in 2015-16 at 12.08 percent; over the previous year's growth rate of 10.24 percent. The private general insurers registered a growth rate of 13.12 percent, against 9.62 percent growth rate during the previous year.

1.3.31 The standalone health insurers registered a growth rate of 41.12 percent against 31.07 percent growth rate during the previous year and the specialized insurers registered a growth rate of 18.04 percent as against the de-growth 12.7 percent during the previous year.

TABLE I.22
GROSS DIRECT PREMIUM INCOME IN INDIA NON-LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Insurer	2014-15	2015-16
Public Sector Insurer	42551 (10.24)	47691 (12.08)
Private Sector Insurer	35090 (9.62)	39694 (13.12)
Standalone Health Insurer	2943 (31.07)	4153 (41.12)
Specialised Insurer	4102 (-12.7)	4842 (18.04)
Total	**84686** **(9.20)**	**96380** **(13.81)**

Note: *Figures in brackets indicate growth in percent over previous year.*

CHART I.15 GROSS DIRECT PREMIUM INCOME IN INDIA: NON-LIFE INSURERS

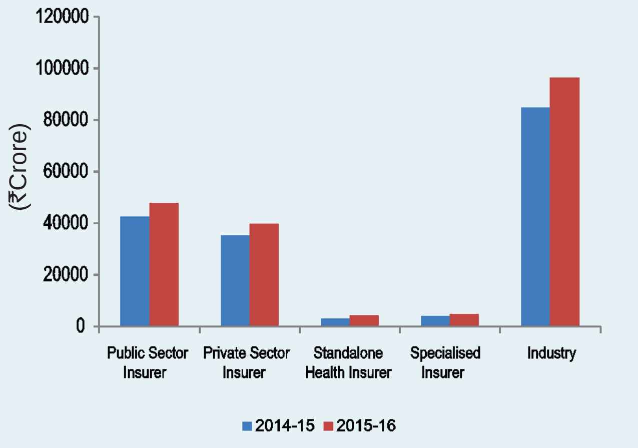

I.3.32 The premium underwritten by 23 private sector insurers (including standalone health insurers) in 2015-16 was ₹ 43847crore as against ₹ 38,033 crore in 2014-15. ICICI Lombard continued to be the largest private sector non-life insurance company, with market share of 8.39 percent in the current year against a market share of 7.89 percent in the previous year. Bajaj Allianz, the second largest private sector non-life insurance company, which underwrote a total premium of ₹ 5,832 crore, reported decrease in market share from 6.18 percent in 2014-15 to 6.05 percent during the year under review. Out of 23 private insurers who were operating in the year 2015-16, 21 insurers reported an increase in premium underwritten for the year 2015-16 .BHARTI AXA General Insurance Company Limited, MAGMA HDI General Insurance Company Limited reported decrease in premium underwritten for the year 2015-16.

I.3.33 In case of public sector non-life insurers, all four companies expanded their business with an increase in respective premium collections. However, the market share of two public sector insurers decreased from previous year. The market shares of Oriental declined to 8.63 percent in 2015-16 from 8.75 percent in the previous year and National Insurance declined to 12.43 percent in 2015-16 from 13.27 percent in the previous year. However the market share of New India increased to 15.72 percent in 2015-16 from 15.60 percent in the previous year and United India Insurance increased to 12.71 percent in 2015-16 from 12.63 percent in the previous year. New India which collected Direct Premium of ₹ 15150 crore, once again remained as the largest general insurance company in India.

Segment wise premium

I.3.34 The Motor business continued to be the largest non-life insurance segment with a share of 43.89 percent (44.14 percent in 2014-15). It reported growth rate of 13.17 percent (10.52 percent in 2014-15). The premium collection in Health segment continued to surge ahead at ₹ 27,457 crore in 2015-16 from ₹ 22,636 crore of 2014-15, registering growth of 21.30 percent. However, the market share of health segment has increased to 28.49 percent

TABLE I.23
GROSS DIRECT PREMIUM INCOME IN INDIA: NON-LIFE INSURERS - COMPANY - WISE

(₹ Lakh)

Insurer	Total Premium		Market Share(%)	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
Public Sector Insurers				
National	1124189	1197607	13.27	12.43
New India	1320939	1514951	15.60	15.72
Oriental	740796	831474	8.75	8.63
United	1069173	1225036	12.63	12.71
Sub-total	**4255097**	**4769068**	**50.25**	**49.49**
Private Sector Insurers				
Royal Sundaram	156920	169412	1.85	1.76
Reliance	271584	279156	3.21	2.90
Iffco Tokio	332997	369133	3.93	3.83
Tata Aig	271414	295856	3.20	3.07
Icici Lombard	667780	809071	7.89	8.39
Bajaj Allianz	522985	583215	6.18	6.05
Cholamandalam	189043	245200	2.23	2.54
Kotak Mahindra	--	371	--	0.00
Hdfc Ergo	318221	337955	3.76	3.51
Future Generali	143825	155526	1.70	1.61
Universal Sompo	70111	90379	0.83	0.94
Shriram	149652	171227	1.77	1.78
Bharti Axa	145707	127441	1.72	1.32
Raheja Qbe	2163	2876	0.03	0.03
Sbi	157690	203985	1.86	2.12
L&T	33171	47339	0.39	0.49
Magma Hdi	47360	40394	0.56	0.42
Liberty Videocon	28386	40872	0.34	0.42
Sub-total	**3509009**	**3969407**	**41.44**	**41.18**
Standalone Health Insurers				
Apollo Munich	80313	102218	0.95	1.06
Cigna Ttk	2183	14382	0.03	0.15
Max Bupa	37266	47601	0.44	0.49
Religare	27580	50332	0.33	0.52
Star Health	146919	200734	1.73	2.08
Sub-total	**294261**	**415267**	**3.47**	**4.31**
Specialised Insurers				
Ecgc	136240	132073	1.61	1.37
Aic	273970	352122	3.24	3.65
Sub-total	**410210**	**484195**	**4.84**	**5.02**
Grand Total	**8468577**	**9637937**	**100.00**	**100.00**

CHART I.16 GROSS DIRECT PREMIUM OF NON-LIFE INSURERS - 5 YEARS

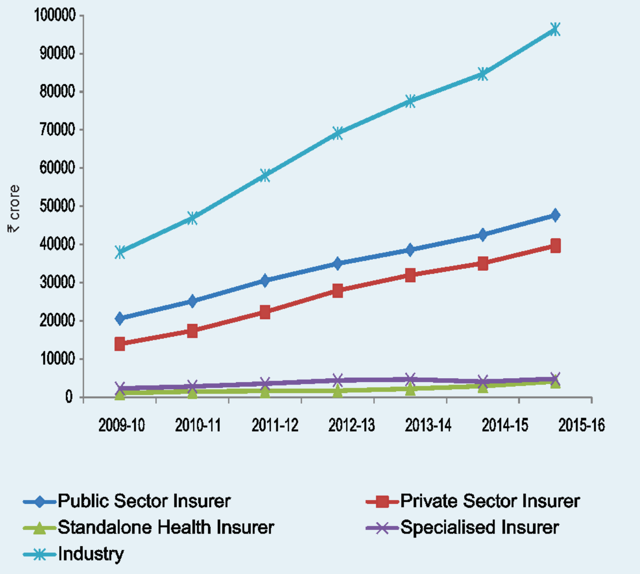

from 26.73 percent of previous year. The premium collection from fire increased by 8.35 percent and for Marine segments, it has decreased by 1.19 percent in 2015-16 whereas for the previous year the growth rate in the Fire and Marine segments were 9.44 percent and -4.49 percent respectively.

TABLE I.24
PREMIUM (WITHIN INDIA) UNDERWRITTEN BY NON-LIFE INSURERS - SEGMENT WISE

(₹ crore)

Segment	2014-15	2015-16
Fire	8058 (9.51)	8731 (9.06)
Marine	3020 (3.57)	2984 (3.10)
Motor	37379 (44.14)	42301 (43.89)
Health	22636 (26.73)	27457 (28.49)
Others	13593 (16.05)	14905 (15.47)
Total Premium	**84686**	**96379**

Note : *1. Figures in brackets indicate the ratio (in percent) of respective segment.*
2. The above figures include premium of Specialized insurers and Standalone Health Insurers
3. Health includes Personal Accident and Travel Insurance

CHART I.17

PREMIUM (WITHIN INDIA) UNDERWRITTEN BY NON-LIFE INSURERS - SEGMENT WISE

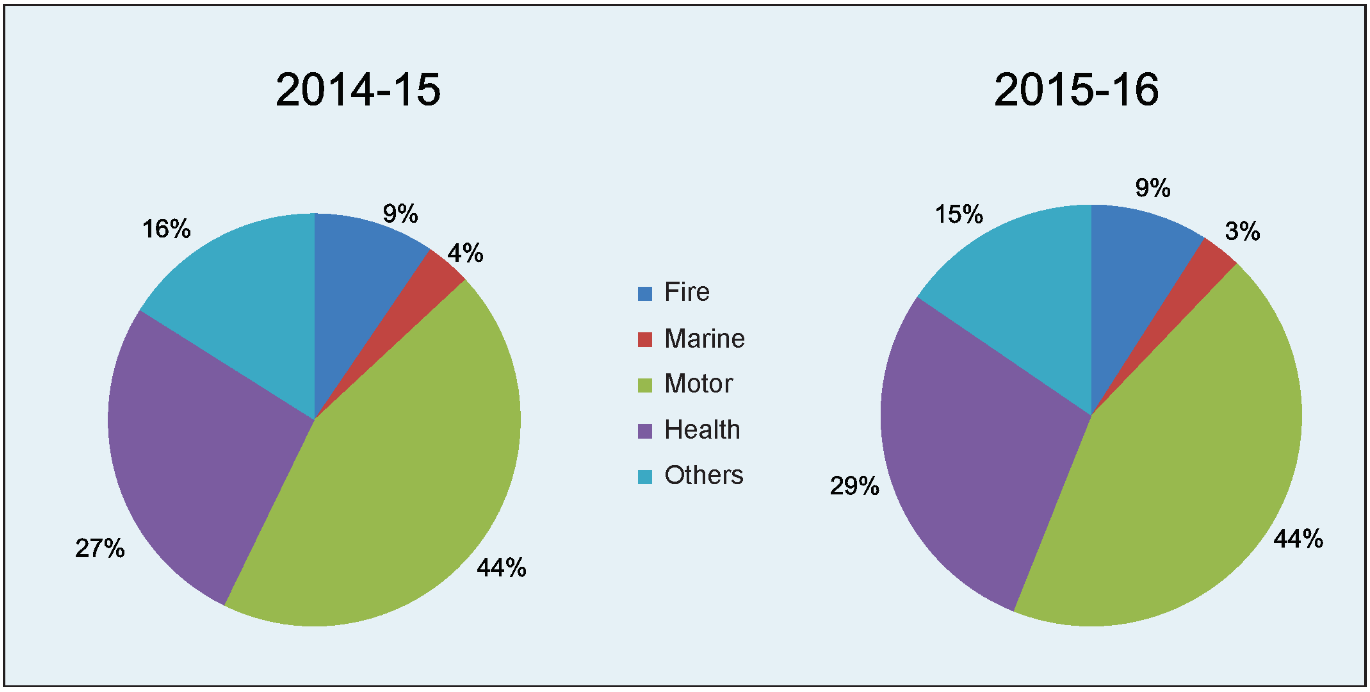

Premium Underwritten Outside India

I.3.35 All public sector insurers (except United India) are underwriting non-life insurance business outside India. United India ceased operations outside India in 2003-04. The total premium underwritten outside the country by the three public sector insurers stood at ₹ 2,954 crore in 2015-16 as against ₹ 2,466 crore in 2014-15 registering a growth of 19.79 percent against 3.61 percent in the previous year. The premium underwritten outside India accounted for 3.06 percent of total premium underwritten by the Non-Life insurers whereas it was 2.91 percent in the previous year.

I.3.36 New India continued to be the largest public sector general insurer in terms of premium underwritten outside India. The overseas premium constitutes 14.71 percent of the total premium underwritten by the insurer in 2015-16. (14.67% in 2014-15). In case of Oriental, it is 3.45 percent in 2015-16 (2.12 % in 2014-15). National Insurance continued to have a small component of overseas business at 0.36 percent in 2015-16 (0.37 percent reported in 2014-15).

I.3.37 Of the total premium of ₹ 2954 crore underwritten outside India in 2015-16, New India underwrote a higher premium of ₹ 2614 crore (₹ 2271crore in 2014-15), its market share in the total outside India premium of public general insurers decreased to 88.50 percent in 2015-16 from 92.10 percent in 2014-15. National Insurance underwrote a premium of ₹ 43 crore in 2015-16 (₹ 41 crore in 2014-15). The outside India premium underwritten by Oriental Insurance stood at ₹ 297crore higher than previous year's ₹ 154 crore, recording a 92.79 percent growth.

TABLE I.25
RATIO OF OUTSIDE INDIA PREMIUM TO TOTAL PREMIUM

(Percent)

Insurer	2014-15	2015-16
National	0.36	0.36
New India	14.67	14.71
Oriental	2.04	3.45
United	0.00	0.00

TABLE I.26: GROSS DIRECT PREMIUM FROM BUSINESS OUTSIDE INDIA

(₹ lakh)

Insurer	2014-15	2015-16
National	4073 (6.90)	4291 (5.34)
New India	227095 (3.81)	261380 (15.10)
Oriental	15398 -(0.47)	29685 (92.79)
United	0	0
Total	**246566**	**295356**

Note : Figures in bracket indicate the percent of growth over previous year

Number of policies issued:

1.3.38 The non-life insurers(excluding Standalone Health Private and Specialized Insurers) underwrote 1220.76 lakh policies in financial year 2015-16 against 1182.79 lakh policies underwritten in financial year 2014-15, reporting an increase of 3.21 percent over financial year 2014-15. The public sector insurers witnessed a marginal decrease in the number of policies issued. They reported a 0.96 percent decrease in number of policies issued during the financial year 2015-16 as compared to a 12.95 increase in financial year 2014-15. The private sector insurers reported an increase of 8.84 percent in the number of policies issued in the financial year 2015-16 (18.96 percent in the financial year 2014-15).

TABLE 1.27
NUMBER OF POLICIES ISSUED NON-LIFE INSURERS*

(In Lakhs)

Insurer	2014-15	2015-16
Public Sector	677.82 (12.95)	671.32 (-0.96)
Private Sector	504.97 (18.96)	549.44 (8.84)
Total	**1182.79** **(15.44)**	**1220.76** **(3.21)**

**Excluding standalone Health Private and Specialized Insurers*

Note: *Figures in brackets indicate the growth (in percent) over previous year.*

Paid-up Capital

I.3.39 The total paid-up capital of non-life insurers as on 31st March, 2015 was ₹ 11,504 crore. During 2015-16, the non-life insurers added ₹ 1099 crore to their equity capital base. Public sector insurers not infused capital whereas specialized institution ECGC infused a further capital of ₹ 100 crore. Private sector insurers infused further capital to the extent of ₹ 694 crore. Standalone health insurers infused a capital of ₹ 305 crore. Total paid up capital as on 31.3.2016 is ₹ 12603 crore.

Other Forms of Capital

I.3.40 Pursuant to the power given under section 6A(1)(i) of The Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 and in exercise of the power conferred under section 114A of the Insurance Act and section 26 of the IRDA Act, 1999, the Authority has notified IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2016.

Underwriting Experience

I.3.41 The underwriting losses of the non-life insurance companies increased to ₹ 14962 crore in 2015-16, from ₹ 10576 crore in the previous year. The underwriting losses increased by 41.47 percent over previous year. The public sector insurers' losses

TABLE I.28
PAID UP CAPITAL : NON-LIFE INSURERS AND REINSURER*

(₹ Crore)

	2014-15	2015-16
Non -Life		
Public Sector	650	650
Private Sector	6972	7666
Specialized Institutions		
ECGC	1200	1300
AIC	200	200
Standalone Health Insurers		
Star Health	362	387
Apollo MUNICH	349	357
Max BUPA	791	898
Religare Health	350	475
Cigna TTK	200	240
Reinsurer		
GIC	430	430
Total	**11504**	**12603**

*Note: * Excludes share premium and share application money.*

increased by 54.42 percent to ₹ 10839 crore in 2015-16 from ₹ 7019 crore in 2014-15. The private sector insurers' losses increased to ₹ 3662 crore in 2015-16 from ₹ 2495 crore in 2014-15. The underwriting losses of standalone health insurer decreased to ₹ 273 crore in 2015-16 from ₹ 611 in 2014-15. Specialized insurers reported significant decrease in underwriting losses in 2015-16 which is ₹ 188 crore as compared to underwriting loss of ₹ 450 crores in 2014-15.

Note: Change in previous year figures are due to consideration Premium Deficiency Reserve

Expenses of Non-Life Insurers

I.3.42 The commission expenses of public insurers, private non-life insurers, standalone health insurers and specialized insurers stood at ₹ 3343 crore, ₹ 1983 crore, ₹ 457crore and ₹ 28 crore respectively for 2015-16, cumulatively amounting to a total commission expense of ₹ 5811 crore for the non-life industry. The commission expenses continued to be the highest in the Health segment, which stood at ₹ 2168 crore, comprising of ₹ 1114 crore for the public sector, ₹ 597 crore for the private sector companies and ₹ 457crore for the standalone health insurance companies.

TABLE I.29
UNDERWRITING EXPERIENCE NON-LIFE INSURERS

(₹ Crore)

	2014-15	2015-16
Public Sector Insurer	-7019 (-18.25)	-10839 (-25.33)
Private Sector Insurer	-2495 (-10.23)	-3662 (-13.49)
Standalone Health Insurer	-611 (-28.40)	-273 (-8.98)
Specialised Insurer	-450 (-17.20)	-188 (-6.62)
Total	**-10576 (-15.64)**	**-14962 (-19.73)**

Note : *Figures in brackets indicate ratio of underwriting profit/ loss to net earned premium*
(Underwriting Profit/Loss= Premium earned (Net)-Claim Incurred (Net)-Commission-operating Expenses related to Insurance Business-Premium Deficiency)

I.3.43 Commission expenses and operating expenses constitute a major part of the total expenses. The operating expenses of non-life insurance companies stood at ₹ 23230 crore in 2015-16 as against ₹ 20206 crore in 2014-15, showing overall increase of 14.97 percent. The operating expenses of the public sector insurers, private non-life insurers, standalone health insurers and specialized insurers are increased by 12.11 percent, 19.84 percent, 14.22 percent and 0.73 percent respectively over previous year.

I.3.44 Pursuant to the power given under section 40B and 40C of The Insurance Laws (Amendment)

TABLE I.30
COMMISSION EXPENSES-NON LIFE INSURERS

(₹ crore)

Segment	Private Sector Insurer		Public Sector Insurer		Standalone Health Insurer		Specialised Insurer		Total	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
Fire	192.14	223.91	568.04	602.07	0.00	0.00	0.00	0.00	760.18	825.98
Marine	99.16	104.35	169.37	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	268.53	245.41
Motor	716.53	789.16	870.95	983.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1587.48	1773.04
Health	526.02	597.05	1000.52	1113.87	311.98	456.78	0.00	0.00	1838.52	2167.70
Others	226.87	268.74	496.23	501.94	0.00	0.00	34.19	27.97	757.29	798.65
Total	**1760.72**	**1983.21**	**3105.11**	**3342.82**	**311.98**	**456.78**	**34.19**	**27.97**	**5212.00**	**5810.78**

Act, 2015 and in exercise of the power conferred under section 114A of the Insurance Act, the Authority has issued IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2016. The said Regulations have provided option to the insurers for the financial year 2015-16 either to follow erstwhile Rule 17E of the Insurance Rules, 1939 or to follow these Regulations.

I.3.45 The Authority has granted exemption on the limits under Rule 17E to 23 private insurers in the first five years of their operations. During the financial year 2015-16, 6 private insurers are under exemption period. The period of five financial years shall be in addition to the first partial financial year.

TABLE I.31
OPERATING EXPENSES
NON-LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Insurer	2014-15	2015-16
Public Sector Insurer	11181	12535
Private Sector Insurer	7527	9020
Standalone Health Insurer	1224	1398
Specialised Insurer	275	277
Total	**20206**	**23230**

Incurred Claims Ratio

I.3.46 The net incurred claims of the non-life insurers stood at ₹ 64495 crore in 2015-16 as against ₹55232 crore in 2014-15. The incurred claims exhibited an increase of 16.77 percent during 2015-16. The public sector insurers, private sector non-life insurers, standalone health insurers and specialized insurers reported increase of 20.71 percent, 12.01 percent, 32.41 percent and (-)1.40 percent respectively in the incurred claims. The overall increase in incurred claims ratio during 2015-16 was at 16.77 percent was higher than 12.31 percent recorded during the previous year.

I.3.47 The incurred claims ratio (net incurred claims to net earned premium) of the non-life insurance industry was 85.05 percent during 2015-16 which is higher than the previous year figure of 81.70 percent. The incurred claims ratio for public sector insurers was 89.03 for the year 2015-16 which was increased from the previous year's incurred claims ratio of 82.09 Whereas for the private sector non-life insurers, standalone health insurers and specialized insurers incurred claims ratio for the year 2015-16 was 80.17 percent, 58.20 percent and 100.54 percent respectively as compared to the previous year's ratio of 79.69 percent, 62.18 percent and 110.68 percent respectively.

I.3.48 Among the various segments, Health insurance and Motor insurance had a high claims ratio at 98.43 percent and 81.18 percent respectively. The incurred claims ratio of the Motor Segment was increased to 81.18 percent in the year 2015-16 from the previous year's ratio 77.14 percent. However, incurred claims ratio of others segment is increased to 75.94 from previous year's ratio of 73.91. However, the incurred claims ratio of Fire segment is increased to 74.47 from 73.78in the previous year.

TABLE I.32
NET INCURRED CLAIMS: NON-LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Insurer	2014-15	2015-16
Public Sector Insurers	31567.75 (13.48)	38104.27 (20.71)
Private Sector Insurers	19430.46 (8.71)	21764.44 (12.01)
Standalone Health Insurer	1336.62 (31.55)	1769.76 (32.41)
Specialised Insurer	2897.21 (17.27)	2856.56 (-1.40)
Grand Total	**55232.04 (12.31)**	**64495.03 (16.77)**

Note: *Figures in brackets indicate percentage growth over previous year.*

Investment Income: Non-Life Insurers

I.3.49 The investment income of all non-life insurers during 2015-16 was ₹ 19090 crore (₹ 16607 crore in 2014-15) registering a growth of 14.95 percent as against 16.44 percent in the previous year. During the year under review, the investment income of standalone health insurers has increased significantly by 35.90 percent and private sector insurers and specialized insurers has grown at the percent of 19.27 and 8.28 respectively. On the other hand the investment income for the public sector insurers had shown a growth of 13.26 percent.

TABLE I.34
INVESTMENT INCOME OF NON LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Insurer	2014-15	2015-16
Public Sector	10725.02 (14.17)	12147.41 (13.26)
Private Sector	4770.95 (21.60)	5690.17 (19.27)
Standalone Health Insurers	178.56 (34.98)	242.67 (35.90)
Specialised Insurers	932.75 (14.77)	1009.98 (8.28)
Grand Total	**16607 (16.44)**	**19090 (14.95)**

Note: Figures in brackets indicate growth rate (in percent) of the respective sectors

TABLE I.33
INCURRED CLAIMS RATIO : NON LIFE INSURERS

(in Percent)

Segment	Private Sector Insurer		Public Sector Insurer		Standalone Health Insurer		Specialised Insurer		Total	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
Fire	75.21	76.03	66.19	66.31	--	--	--	--	73.78	74.47
Marine	57.80	63.66	87.38	85.90	--	--	--	--	67.44	72.05
Motor	72.38	79.83	81.91	82.54	--	--	--	--	77.14	81.18
Health*	109.97	115.45	79.17	74.59	62.18	58.21	--	--	96.93	98.43
Others	55.97	59.24	60.61	75.11	--	--	110.68	100.54	73.91	75.94
Total	**82.09**	**89.03**	**79.69**	**80.17**	**62.18**	**58.21**	**110.68**	**100.54**	**81.70**	**85.05**

**: Health includes Personal Accident and Travel Insurance*

Net Profits of Non-life Insurers

I.3.50 During the year 2015-16, the total net profit of non-life insurance industry was ₹ 3238 crore as against a profit of ₹ 4639 crore in 2014-15. The public sector companies reported a net profit of 1499 crore. The private sector insurers reported a net profit of ₹ 1333 crore and specialized insurers have reported ₹ 583 crore net profit whereas the standalone health insurers reported ₹ 177 crore net loss.

I.3.51 All the four public sector insurers reported net profits during the year 2015-16. New India reported a net profit of ₹ 829 crore during the year 2015-16 against a profit of ₹ 1431 crore in 2014-15 and thus decreased 42.07%. Net profit of National has decreased to ₹ 149 crore from ₹ 970 crore in the year 2014-15, Oriental reported a net profit of ₹ 300 crore during 2015-16 against ₹ 392 crore in 2014-15 thus decreased by 23.47%. United India reported a net profit of ₹ 221 crore during 2015-16 against the ₹ 301 crore in 2014-15, thus decreased by 26.57%.

I.3.52 Among the eighteen private general insurance companies, while twelve companies reported net profits, the remaining six companies incurred net losses during 2015-16. The net profit of Bajaj Allianz during the year 2015-16 was ₹ 564 crore against net profit of ₹ 562 crore in the year 2014-15. The net profit of ICICI Lombard was ₹ 507 crore in 2015-16 against the net profit of ₹ 536 crore.The seven insurers which reported net losses were Bharti AXA, Future Generali, L&T General, Magma HDI, Kotak Mahindra, Liberty Videocon and SBI General. Similar to the year 2014-15, all the standalone health insurers except Apollo Munich reported net losses during the year 2015-16. Apollo Munich reported net profit of ₹ 7.46 crore during the year 2015-16. Both the specialized insurers have reported net profit during the year 2015-16.

TABLE I.35
NET PROFIT OF NON LIFE INSURERS

(₹ Lakh)

Insurer	2014-15	2015-16
Public Sector	309399	149900
Private Sector	164351	133324
Standalone Health Insurer	-44651	-17692
Specialised Insurer	34814	58316
Grand Total	**463913**	**323848**

Returns to Shareholders

I.3.53 Of the four public sector non-life insurance companies, New India paid a dividend of ₹ 250 crore during the year 2015-16 against ₹ 300 crore paid in the year 2014-15. National Insurance paid a dividend of ₹ 45 crore during the year 2015-16 against ₹ 194 crore dividends during the year 2014-15. Oriental Insurance paid dividend of ₹ 120 crore in the year 2015-16 against ₹ 110 crore in the previous year. While United India paid a dividend of ₹ 67 crore in the year 2015-16 against the same amount of ₹ 61 crore paid in the year 2014-15.

Among the private sector insurers, three companies paid dividends during the year 2015-16. HDFC Ergo paid dividend of ₹ 67.30 crore, ICICI Lombard paid dividend of ₹ 134.17 crore and Shriram General paid dividend of ₹ 45.72 crore.

I.3.54 GIC paid ₹ 860 crore dividend during the year 2015-16 against ₹ 540 crore dividend paid during the year 2014-15. ECGC paid ₹65 crore during the year 2015-16 against ₹ 48 crore in the year 2014-15. No dividend was paid by AIC for the year 2015-16.

TABLE I.36
DIVIDEND PAID : NON-LIFE INSURERS

(₹ Crores)

Insurer	2014-15	2015-16
Non -Life		
Public sector	665	482
Private Sector	211	247
Standalone Health Insurers	**0**	**0**
Specialised Insurers		
ECGC	48	65
AIC	20	0
Reinsurer		
GIC	540	860
Total	**1484**	**1654**

Number of offices

I.3.55 As on 31st March 2016, the non-life insurance companies were operating from 10,803 offices all over the country.

District Level Coverage

I.3.56 In Non-Life segment, the four public sector insurers are having offices at 607 districts in the country. (94.84 percent). The private sector insurers cover 297 districts (46.40 percent).

TABLE I.37
No. OF NON LIFE INSURANCE OFFICES
(As on 31st March)

Sector	2015	2016
Public Sector	8120	8331
Private Sector	1742	1869
Standalone Health	458	520
Specialised Insurers	87	83
Total	**10407**	**10803**

SPECIALISED INSURERS:

Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

I.3.57 Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd (ECGC) is a specialized insurer underwriting business in export credit insurance. The company underwrote a gross direct premium of ₹ 1321 crore in 2015-16 reporting a decrease of 3 percent against ₹ 1362 crore in 2014-15. The insurer reported an underwriting loss of ₹ 250 crore against ₹ 292 crore underwriting loss in the previous year. The insurer's Net Earned Premium is to the tune of ₹ 979 crore

TABLE I.38
NUMBER OF NON-LIFE OFFICES - TIER WISE AS ON 31st MARCH, 2016

Non Life Insurers	Year	Tier I	Tier II	Tier III	Tier IV	Tier V	Tier VI	Total
Public Sector	2015	3866	1282	1517	1233	170	52	8120
	2016	3901	1307	1579	1316	173	55	8331
Private Sector	2015	1706	28	6	2	0	0	1742
	2016	1823	36	7	2	1	0	1869
Standalone Health	2015	255	203	0	0	0	0	458
	2016	290	62	168	0	0	0	520
Specialised Insurers	2015	87	0	0	0	0	0	87
	2016	83	0	0	0	0	0	83
Total	**2015**	**5914**	**1513**	**1523**	**1235**	**170**	**52**	**10407**
	2016	**6097**	**1405**	**1754**	**1318**	**174**	**55**	**10803**

Note:-
Tier I - Population 1,00,000 & Above.
Tier II - Population of 50,000 to 99,999.
Tier III - Population of 20,000 to 49,999
Tier IV - Population of 10,000 to 19,999.
Tier V - Population of 5,000 to 9,999.
Tier VI - Population less than 5,000.

CHART I.18: NUMBER OF NON LIFE INSURANCE OFFICES TIER- WISE FOR 2015-16

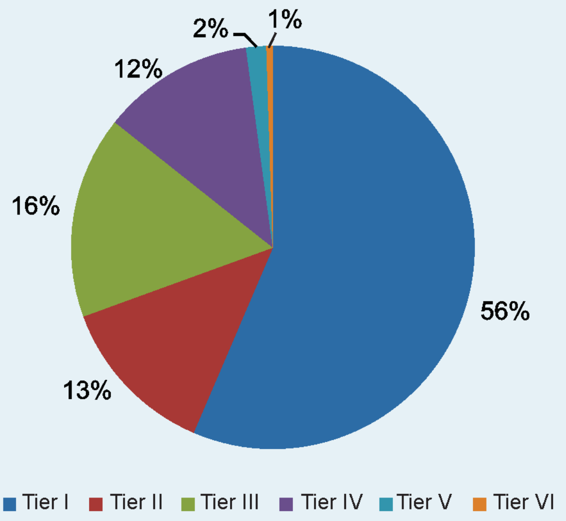

as against ₹ 1019 crore in the previous year. The net profit of the company increased to ₹ 276 crore from ₹ 180 crore in the previous year. The insurer reported an incurred claims ratio of 102% in 2015-16 (114% in 2014-15).

I.3.58 The company had 11525 short term export credit insurance policies in force in 2015-16 (11,236 in 2014-15) including transfer guarantees. Premium income earned on short term policies during the year was ₹ 382.08crore (₹ 383.87 crore in 2014-15). The premium income earned on short term ECIB during the year was ₹ 910.67crore (₹ 942.29 crore in 2014-15). The Premium income from the medium and long term business during 2015-16 was ₹ 27.04 crore as against ₹ 36.24 crore in 2014-15.

Agricultural Insurance Company of India Ltd

I.3.59 Agriculture Insurance Company of India Ltd (AIC) is a specialized insurer underwriting business in agriculture insurance. The company underwrote gross direct premium of ₹ 3521 crore during the year 2015-16, reporting a growth of 29 percent as against ₹ 2740 crore in 2014-15.The insurer's net earned premium for the year 2015-16 is ₹ 1862 crore as against ₹ 1598 crore in the previous year. The insurer has earned an underwriting profit of ₹ 61.66 crore in 2015-16 against an underwriting loss of ₹ 158 crore in 2014-15.The net profit of the company was increased to ₹ 307 crore from ₹ 168 crore in the previous year. The company's incurred claims ratio is 99.66% in 2015-16 as against 108.47% in 2014-15.

General Insurance Corporation of India

I.3.60 GIC is the national reinsurer, providing reinsurance to the direct general insurance companies in India. The Corporation's reinsurance program has been designed to meet the objectives of optimizing the retention within the country, ensuring adequate coverage for exposure and developing adequate capacities within the domestic market.

I.3.61 The total net premium written by GIC during 2015-16 increased by 18.17 percent to ₹16375 crore from ₹13857crore in 2014-15. The net earned premium of the Reinsurer (the net premium after adjustments for reserve for unexpired risks) during 2015-16 is increased to ₹ 15173 crore from ₹ 13558 crore in 2014-15. The net incurred claim ratio has decreased to 85.02 percent in 2015-16 from 87.71 percent in 2014-15.The company reported a net profit of ₹ 2848 crore in 2015-16 as against net profit of ₹ 2694 crore in 2014-15.

I.4 REVIEW

I.4.1 PROTECTION OF INTERESTS OF POLICYHOLDERS

I.4.1.1 Draft Protection of policyholders' interests regulations: - The basic framework for protection of policyholder's interests is contained in the IRDA (Protection of policyholder's Interests) Regulations 2002. Since then, the insurance industry has witnessed numerous changes such as introduction of new type of products like micro insurance products, ULIP products, Health Insurance etc, new categories of distribution channels like Corporate Agents, Insurance Brokers, web-aggregators and Insurance Marketing Firms (IMF) have been permitted to carryout insurance distribution activities. It is observed that with increase in competition the need to bring in more transparency in insurance sales process, strict enforcement of code of conduct by agents and intermediaries, has arisen.

The FSLRC recommendations relating to consumer protection also call for regulations to provide for greater consumer protection at all stages of financial transactions. Therefore the need to examine the current regulations in line with changing times was felt necessary. And as such IRDAI constituted a standing advisory committee to have a relook at the existing regulations pertaining to consumer protection, review of TATs for various services and contemplating introduction of a Citizen's Charter for the insurance industry prescribing timelines for various services in each line of business. Based on the recommendations of the committee, Draft IRDAI (Protection of Policyholder's Interests) Regulations 2014 were placed in the public domain for comments. Considering the comments and suggestions received, IRDAI (Protection of Policyholders' Interests) Regulations would be issued in due course. They shall supersede the existing policyholders' protection framework. The endeavour is to ensure protection of interests of policyholders without any deviation and setting minimum bench marks in servicing of insurance policies.

I.4.1.2 Misselling and Spurious calls: Spurious calls in the name of officials of IRDAI and other financial institutions is a matter of concern for the Insurance Industry. IRDAI has issued several public notices, press releases, advertisements in leading TV Channels, newspapers, and directions to Insurance Companies to caution public against spurious calls etc at various touch points and in media as well. It is observed that the number of consumer complaints under the categories, 'Misselling and Spurious calls' continue to exist and in order to ensure that all the complaints under Misselling and spurious calls are handled as per the laid down policy of the Insurance company in all cases, All the life insurers were advised to draw out:

- Company Specific Policy on handling Misselling Complaints and also a
- Company Specific Policy on handling Spurious Calls Complaints

A direction in this regard was issued on 05.08.2015 to all life insurers. Accordingly All Life Insurers have drawn their Company specific policy and submitted the same to the Authority. The Consumer Affairs Department has reviewed the grievance redressal machinery of all insurers with the Grievance redressal officers concerned, in 2015-16 and has urged Zero tolerance to complaints. With specific focus on arresting misselling, Insurers concerned were provided directions towards identifying the underlying causes for misselling and putting in place appropriate mechanism/procedures in order to eradicate the misselling menace which is affecting the reputation of the insurance industry.

1.4.1.3 Instances have been brought to the notice of the authority that the insurers are not complying with the Orders of (a) Consumer Forums (b) Orders of MACT and (c) Awards of Insurance Ombudsman. Therefore the Authority has issued Circular Ref: IRDA / CAD / CIR / MISC / 194 / 11/2015 dated 03.11.2015 advising insurers to comply with the orders of above judicial and quasi judicial bodies as per time lines specified in the orders or within 60 days of receipt of the order/award by insurer in cases where no time limit is specified in the order. If insurer chooses to prefer an appeal against the order, such appeal against the order shall be preferred within the stipulated time limit as per applicable rules and the customer should be informed accordingly.

1.4.1.4 In continuation to the above, the Authority has also issued a Circular Ref No: IRDAI/CAD/CIR/MISC/063/03/2016 dated 31.03.2016 calling for data periodically from insurers with a view to monitor compliance with the circular mentioned at 1.4.1.3 above.

Initiatives towards policyholder protection

I.4.1.5 With a view to protect the policyholders' interest, IRDAI has taken a number of initiatives. The framework of regulations to protect the interests of prospects and policyholders are contained in the IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002. The Regulations contain procedure to be followed at the point of sale; disclosures to be made in life insurance and general insurance policy document, claim procedure in respect of life insurance and general insurance policy; and Turnaround Time (TATs) for various functions under policy servicing.

I.4.1.6 IRDA (Advertisement and Disclosure) Regulations, 2000 and other guidelines relating to advertisements are aimed at ensuring that any communication (including that on the internet) which directly or indirectly results in eventual sale or solicitation of policy should not be unfair or misleading but should contain fair information about the product on offer so that the customer can take an informed decision about choosing the insurance product according to his need.

I.4.1.7 Insurance is a subject matter of solicitation and authorized persons or institutions are involved in soliciting insurance. In order to ensure that only licensed persons or institutions engage in prospecting and sale of insurance products, IRDAI has issued regulations for licensing. These regulations are IRDAI (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016 for individual insurance agents; IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 for corporate agents; IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 for insurance brokers; IRDA (Web Aggregators) Regulations, 2013 for web aggregators; and IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 for Insurance Marketing Firms. These regulations mandate compliance of the agents, corporate agents, brokers, web aggregators and IMFs with the code of conduct prescribed therein to ensure that the persons soliciting insurance business should be eligible persons and that they disseminate the requisite information in respect of insurance products offered for sale, understand the policy being sold and should be capable of making suitable advice based on the customer needs so that the policy offered / sold meets the requirements of the prospect. They are also required to provide after sales service like renewal, assistance in making claim etc.

I.4.1.8 With the increasing recourse taken by insurers, corporate agents and brokers solicit policies (including lead generation) through tele-calling, SMS, email, internet, DTH, postal mail and other modes which do not involve communication

in person as well as requests from clients seeking information and sale of insurance products in distance mode; IRDA issued Distance Marketing Guidelines. The requirements to be complied with at the time of offer, negotiation and conclusion of sale are aimed at affording protection to prospects and policyholders taking recourse to distance marketing channels.

I.4.1.9 Since the benefit of insurance can be reaped only if appropriate products are sold; IRDAI has issued guidelines on File and Use of products both in life and non-life. In terms of these guidelines every insurer is required to seek approval of products by making an application to IRDAI. Along with the application, the insurer should furnish specimen policy bond, specimen proposal forms, specimen sales literature and statement of financial projections. Similar procedure has to be followed for change in terms and conditions. Even in case an insurer wants to withdraw a product, it can do so only after informing IRDAI and giving reasons for withdrawal. These guidelines ensure that only approved products are sold to public.

I.4.1.10 The IRDA (Non-Linked Product) Regulations 2013 and IRDA (Linked Product) Regulations 2013 governing non-linked and linked life insurance products respectively are aimed at ensuring consistency in terms of products and features offered by the insurers and bringing in transparency in terms of benefit payouts thereby enabling the customers to choose the right policy.

I.4.1.11 IRDA (Health Insurance) Regulations 2013 lay greater emphasis on features of the product, standard declaration in the proposal form, greater transparency and disclosures in sales literature and disclosures on the web portals to disseminate suitable information for decision making, etc. The guidelines on standardization in health insurance provide standardization of several aspects in health insurance such as definitions for commonly used terms in health policies, nomenclature and procedure for critical illness, pre-authorization and claim form, list of excluded expenses in hospitalization benefit to policies, file and use application, customer information sheet and agreement between Insurer & Third party Administrator and Insurer & Provider (Hospital). These guidelines prevent ambiguity and ensure greater consistency in interpretation, which is in the general interest of policyholders.

I.4.1.12 In addition to the various measures aimed at protecting the interests of insurance customers as indicated above, if there is a cause for complaint regarding deficiency of service by an insurer, a system for expeditious resolution is imperative. The grievance redressal guidelines direct the insurers to have a board approved Policyholder’s protection committee at the apex level for approving and reviewing Grievance Redressal mechanism in the company and a uniform system for receiving, acknowledging and resolving grievances within specified time limits; and to appoint an officer designated as Grievance Redressal Officer not only at the Head Office/Corporate office level but also at every other office.

I.4.1.13 In order to facilitate customers to reach the insurers for their grievances, IRDAI has provided channels for customers to raise their grievances against insurers. These include online grievance portal www.igms.irda.gov.in and a toll free grievance call centre (155255). The complaints registered through these channels are taken up with insurers for resolution.

I.4.1.14 As IRDAI facilitates grievance redressal but does not adjudicate upon grievances, the institution of Insurance Ombudsman functioning under the

Redressal of Public Grievances Rules, 1998 serves as a simple, inexpensive and expeditious conciliatory and adjudicatory mechanism for settlement of complaints on certain grounds of complaint relating to personal lines of insurance.

I.4.1.15 Thus, IRDAI's role in policyholder protection goes much beyond the IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002. Further, the above measures are in addition to and not exclusive of other regulatory requirements of entry point norms, licensing, maintenance of solvency margins, investment norms, and public disclosures etc. and supervisory mechanisms like on-site inspection and off-site monitoring through regulatory returns, market intelligence, audit etc.

I.4.1.16 As mentioned above, considering the fact that IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations are issued in the year 2002 and that several changes have occurred in the insurance landscape, there is an urgent need for revisiting the regulations to enhance the policyholder protection. IRDAI shall be issuing IRDAI (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2016 in due course to strengthen the Policyholder Protection Regulations. Apart from the regulations a Citizen Charter for insurance companies is also being contemplated.

Grievance Redressal and Consumer Education

I.4.1.17 The Consumer Affairs Department of IRDAI facilitates resolution of policyholder grievances by monitoring the insurers' policy of Grievance redressal and takes several initiatives towards protecting the interests of the Insurance consumers. Grievance Redressal Guidelines of IRDAI mandate that all insurers should have a Board approved grievance redressal policy, designate a Grievance Redressal Officer at the senior management level at the Head Office/Corporate Office/Principal Office and a Grievance Redressal Officer at every other office and constitute a policyholder protection committee as per the corporate governance guidelines for receiving and analyzing reports relating to grievances. The guidelines mandate each insurer to put in place automated systems for online registration and tracking of complaints as well as systems of receiving grievances by call or emails and integrate these systems with IRDAI. Further, the guidelines contain timelines for various activities relating to grievances like acknowledgement, redressal, closure etc. Grievance redressal guidelines and the corporate governance guidelines direct to have a policyholder protection committee as a mandatory committee for protection of interests of policyholders.

I.4.1.18 In order to provide alternative channels to receive complaints against insurers, IRDAI has set up IRDAI Grievance Call Centre (IGCC) which receives complaints through a toll free telephone number & by email and registers complaints apart from furnishing the status of the resolution. IRDAI has also put in place the Integrated Grievance Management System (IGMS) as an online system for grievance management that is not only a gateway for registering and tracking grievances online but also act as an industry-wide grievance repository for IRDAI to monitor disposal of grievances by insurance companies. IGCC has an interface with IGMS; and through IGMS, IRDAI has an interface with grievance systems of insurers

I.4.1.19 The Consumer Affairs Department receives complaints on Insurance companies from prospects and policyholders; and takes up these grievances with insurers for resolution. Prospects and policyholders are advised to first file their complaints with the respective insurance companies. If the insurance companies do not attend to the complaints

within the stipulated time of 15 days or the complainant is not satisfied with the resolution, he/ she may escalate the complaint to IRDAI. IRDAI facilitates resolution through review/reexamination by taking up the matter with the respective insurance companies. However, IRDAI does not investigate into or adjudicate upon each complaint received or escalated to IRDAI. In case the complainants are not satisfied with the resolution, they may have to take up the matter for adjudication by the insurance ombudsman or any other appropriate forum or court as the case may be.

I.4.1.20 The Department examines the level of compliance with IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002. IGMS provides a central repository of complaints across the industry and helps IRDAI as well as insurance companies to carry out root cause analysis of grievances to identify systemic and policy related issues. Authority identifies the concerns of the policyholders and issues suitable instructions / suggests appropriate measures to insurers towards zero tolerance for grievances.

I.4.1.21 Consumer Affairs Department is also actively engaged in consumer education with a view to spread insurance awareness. Insurance, being a complex financial product, requires special knowledge to understand the nature of insurance products on offer, their utility and the terms and conditions. The consumer education initiatives of IRDAI are aimed at ensuring that the consumer identifies his needs, understands the insurance products and the risks involved therewith so that he takes an informed decision while purchasing insurance. Insurance awareness campaigns by IRDAI are carried out through all possible channels including print and electronic media viz. newspaper ads and publication of handbooks/comic books, radio/television, internet, seminars, social websites like You tube, face book, twitter etc. The consumer education website www.policyholder.gov.in hosts a lot of insurance related information of interest to the public in simple language. In order to enhance the reach of the material, IRDAI has launched a Hindi site and also prepared the books in major regional languages so that the information can be made available to the people across the country in the language of their choice. IRDAI is focusing now on the distribution of the material developed for which IRDAI is collaborating with the insurance industry, other regulatory bodies, Financial Literacy Centers, Common Service Centers etc., and using all available alternative channels used to reach people across the nation for spreading insurance awareness, thereby creating the demand push for enhancing the levels of insurance inclusion. IRDAI is also an active participant in implementing the National Strategy on Financial Education by working with other financial sector regulators towards imparting financial literacy from early stages of one's life.

Insurance Literacy and Consumer Awareness Initiatives of IRDAI

1.4.1.22 The key objective of the Authority is to promote market efficiency and ensure consumer protection. The Authority is fully conscious of the fact that the growth of insurance coverage in the country, both for life and non-life risks, is possible only when there is a growth in consumer knowledge and insurance education.

It is essential to spread insurance literacy across all citizens of the country equipping them with knowledge, skills and confidence required to make an informed choice while choosing any insurance product. Insurance education helps a consumer to

understand his needs and risks, availability of insurance for managing risks, value of possessing an insurance product and know about the dos & don'ts before and after purchase of an insurance policy. An informed consumer will be aware of the various channels of redress mechanism available to him including the Insurance Ombudsman. Insurance education, thus, helps to access the services of insurance sector in an informed manner and to promote market efficiency and flow of symmetrical information for orderly growth of insurance industry.

The Authority believes in ensuring prudent market discipline to be followed by insurers and intermediaries through disseminating adequate information, mandating public disclosures, prescribing training requirements, code of conduct for intermediaries and stepping insurance awareness initiatives etc.

Further, to provide impetus to consumer education, IRDAI has adopted multi-pronged approach and encouraged all stakeholders to promote insurance awareness among the public.

I.4.1.23 During the FY 2015-16, IRDAI took a number consumer education initiatives under the **BimaBemisaal** brand, which are as follows:-

- A massive campaign through electronic media was carried out by IRDAI by telecast of the following three TVCs in 12 regional languages including Hindi for cautioning general public against spurious callers and fictitious offers.

    1. Cautioning neighbor (Sharma Ji) about the fraud calls in the name of IRDAI with the tagline **'Sach or Jhoot Mein Janiye fark - rahiye satark'.**

    2. Giving message through Policeman/Hero – 'IRDAI Bimaaur Bonus kighoshnanahikarta' with the tagline **'Sach or Jhoot Mein Janiye fark - rahiye satark'**

    3. Cautioning about fictitious offer in the cafeteria on the theme of 'Bach ke baba rahenatu…' with the tagline **'IRDAI aapke shubh chintak'.**

- Continuing its efforts to curb the menace of spurious callers, IRDAI carried out a focused Insurance Awareness Campaign at National Capital Region, from where most of the grievances about spurious callers are emanating. Messages were displayed inside Metro Trains, Metro Stations and outside Stations cautioning against spurious callers and Grievance Redressal Mechanism available for policyholders.

- The Insurance Awareness Campaign in the State of Tripura launched by Hon'ble Chief Minister of Tripura, Shri Manik Sarkar on 8th January, 2015 is a joint effort of IRDAI and Government of Tripura. The objective of campaign is to make the citizens aware about the benefits of insurance. The campaign has entered in its second year and progressing as per action plan prepared for two years. IRDAI sponsored six seminars conducted by the State Government of Tripura in different districts of Tripura to reach out the unreached. These seminars were aimed to disseminate the importance of insurance and officials from IRDAI as well as insurance companies addressed the participants as speakers on the related subjects. The insurance education material of IRDAI is being distributed across the State through Schools, District Libraries, Zila Parishad, Village Committees, LAMPs/PACs.

- IRDAI celebrated its foundation day (19th April) as Insurance Awareness Day. On this occasion,

IRDAI organized 3rd Pan India Insurance Quiz Competition for the insurance industry. On this occasion, a 'Panel Discussion' on **'Best Insurance Awareness Policies of the insurers'** was conducted. It was chaired byMember (Non-Life) and attended by the Secretary Generals of Life Insurance Council, General Insurance Council, Insurance Institute of India and Director of National Insurance Academy as panel members. The panel was unanimous in stating that insurance awareness is the key for insurance development in the country.

- IRDAI brought out wall calendars and desk calendars for the year 2016 with insurance messages giving a few tips about Right Buying.
- IRDAI reviewed the Board approved Insurance Awareness Policy of insurer'sviz-a-viz insurance awareness initiatives taken by them in a meeting where presentations were made by the Senior officials of Insurance Companies responsible for implementation of their insurance awareness policy.
- IRDAI has undertaken Post Launch Survey of Insurance Awareness Campaigns in the year 2015 through National Council of Applied Economic Research (NCAER) and its final report is under finalization. The survey was undertaken as a follow-up of the Pre-launch survey conducted in 2010 with an objective to compare and analyze awareness levels of insured and uninsured population vis-a-vis awareness levels of Pre-launch Survey.
- IRDAI is playing an active role as a member of Core Committee of National Centre for Financial Education, an institution, jointly formed by all financial sector regulators in India for implementation of the National Strategy for Financial Education (NSFE), and supporting the initiatives of NCFE. The details of important activities taken by NCFE during 2015-16 are as under:-

a. 3rd NCFE – National Financial Literacy Assessment Test (NCFE-NFLAT).

b. Introduced its Financial Education Website in Hindi, Tamil, Marathi and Bengali language.

c. Financial Education Training Programs (FETP) for CBSE school teachers of class 8 to 10 across India.

d. Launched Financial Education Workbooks for school students of Class VI to X.

Both as member of NCFE and also as a sectoral regulator for insurance sector in India, IRDAI is contributing the insurance related content and also working with schools, colleges and institutions for dissemination of financial education in general and insurance education in particular.

I.4.2 MAINTENANCE OF SOLVENCY MARGINS OF INSURERS

I.4.2.1 Every insurer is required to maintain a Required Solvency Margin as per Section 64VA of the Insurance Act, 1938. Every insurer shall maintain an excess of the value of assets over the amount of liabilities of not less than an amount prescribed by the IRDA, which is referred to as a Required Solvency Margin. The IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 describe in detail the method of computation of the Required Solvency Margin.

Life Insurers:

I.4.2.2 At the end of March 2016, all 24 life insurers complied with the stipulated solvency ratio of 1.5.

Solvency Ratio of Non-life Insurers

I.4.2.3 As at 31st March, 2016, all 23 private sector non-life insurers (including the health insurers) have complied with the stipulated Solvency Ratio of 1.50.

Out of four public sector non-life insurers, three insurers have complied with the stipulated Solvency Ratio of 1.50 as at 31st March ,2016. However, National Insurance Company Limited has reported solvency ratio of 1.26.

I.4.2.4 As at 31st March, 2016, the specialized insurers, i.e. AIC and ECGC reported a solvency ratio of 3.26 and 9.79 respectively as against 3.18 and 6.61 as at 31st March, 2015.

Reinsurer

I.4.2.5 The national re-insurer, General Insurance Corporation of India, reported a solvency ratio of 3.48 as on 31st March,2016 (3.04 as on 31st March, 2015)

I.4.3 Monitoring of Re-insurance

1.4.3.1 The mandate to the Authority in respect of reinsurance lies in the provisions of Section 14(1) and 14(2) Sub Section (f) of the IRDA Act, 1999 as well as Sections 34F, 101A, 101B and 101C of the Insurance Act, 1938. In addition, the Authority has framed regulations pertaining to re-insurance by both life and non-life insurers which lay down the ground rules for placing re-insurance with the re-insurers. Under the provisions of the Insurance Act, 1938, the “Indian re-insurer” entitle themselves to receive obligatory cessions as decided every year, from all the direct non-life insurers. The limits have been laid down in consultation with the Reinsurance Advisory Committee with the approval of Government of India.

1.4.3.2 Every insurer needs a comprehensive and efficient re-insurance program to enable it to operate within the constraints of its financial strength. This is important to maintain the solvency of the insurer and to ensure that the claims are honored as and when they arise. Hence the Authority has stipulated that every insurer shall obtain the approval of its Board for its reinsurance program. The regulatory framework also provides for filing of the reinsurance program for a financial year with the Authority at least 45 days before the commencement of the said year. The insurers are further required to file the treaty slips or cover notes relating to the reinsurance arrangements with the Authority within 30 days of the commencement of the financial year. These measures highlight the importance attached to the existence of adequate and efficient reinsurance arrangements for an insurance company. It would be recalled that the solvency position of an insurance company is assessed on a “net of re-insurance” basis.

1.4.3.3 The Regulations also require that every insurer should maintain the maximum possible retention commensurate with its financial strength and volume of business. The guiding principles in drawing up the reinsurance program have been stated as under:

1. Maximize retention within the country;
2. Develop adequate capacity;
3. Secure the best possible protection for the reinsurance costs incurred; and
4. Simplify the administration of business.

1.4.3.4 IRDAI effected amendments to the Reinsurance Regulations, 2002 and notified the same in March 2013.

The Insurers/reinsurers may place reinsurance business with insurers/reinsurers outside India, after taking into consideration their Credit rating, Claims experience, Claims paying ability and solvency margin. Accordingly, limit on the total reinsurance

which an insurer could place with an insurer/ reinsurer outside India was prescribed by IRDAI. Further, in respect of reinsurance of Catastrophe risks, all insurers/reinsurers were mandated to ensure that the reinsurance arrangements in respect of catastrophe accumulations, using various realistic disaster scenario testing, are adequate and approved by their Board of Directors before filing the same is with the Authority along-with their reinsurance program. Due to ratification of Insurance Law amendment Act, 2015, the Reinsurance Regulations are in the process of amendment.

Cross Border Reinsurers

I.4.3.5 The Authority, under the powers granted to it under Section 114 (zd) of the Insurance Act, 1938 has issued guidelines on "Cross Border Reinsurer". These guidelines were effective from April 1st, 2016, which supersede the earlier guidelines issued on January 6th 2012. The guidelines are applicable to those "Cross Border Reinsurers" who do not have any physical presence in India but carry on reinsurance business with Indian Insurance Companies.

The Authority vide these guidelines discontinued with the existing process of annual allotment of Unique Identification Number (UIN) to the cross border reinsurers. However, the cross border reinsurer has to submit an information sheet to the Authority, through an insurer, every year. It was mandated that the cross border reinsurers should have a credit rating of at least BBB (with S&P) over a period of past five years and have a satisfactory past claims performance. The reinsurers should be legal entities in their home country and regulated and supervised by their home supervisors. The solvency of the reinsurer should not be lower than standards prescribed by the home regulator/supervisor. Their financial strength, quality of management and adequacy of their technical reserving methodologies should be monitored by their home supervisory Authority. Authority shall provide a Unique Identification Number (UIN Number), with a validity period of one year, to those reinsurers which are registered and/or certified in a national regulatory environment with which the Government of India has signed DTA Agreement.

1.4.3.6 In the year 2015-16 244 reinsurers and 90 Lloyds Syndicates where allotted Unique Identification Number (UIN) and for 2016-17 the Authority has issued 336 UINs to 237 reinsurers and 99 Lloyds Syndicates.

All Insurers/Reinsurers were directed to strictly comply with the guidelines on "Cross Border Reinsurer" and no Insurer/Reinsurer can place reinsurance business with any entity which is not registered and not having Unique Identification Number allotted by IRDAI.

The Authority has categorically stated in the guidelines that the onus of placing reinsurance business with registered cross border reinsurers is on the Indian insurers or Indian reinsurers. It will be the responsibility of Indian insurer or Indian reinsurer to ensure before placing reinsurance business that the cross border reinsurer meets the requirements as specified by the Authority from time to time.

I.4.4 Insurance Pools-Terrorism Pool

I.4.4.1 The Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool was formed as an initiative by all the non-life insurance companies in India in April 2002, after terrorism cover was withdrawn by international reinsurers post 9/11. The Pool has thus completed 14 years of successful operations. All Indian non-life insurance companies and GIC Re are members of the Pool. The Pool is administered by GIC Re. The Pool is applicable to insurance of terrorism risk covered under property insurance policies.

I.4.4.2 The limit of indemnity per location has been enhanced to ₹ 1,500 crores w.ef 1st April 2014, against the previous level of INR 1000 Crores. The premium rates have been revised downward under the Terrorism Pool arrangement w.e.f the same date.

I.4.4.3 In order to improve the market penetration for Terrorism Risk Insurance with better marketing by Brokers / Agents, Brokerage /Agency commission of upto 5% on Terrorism premium was allowed w.e.f. 01.01.2014 for Terrorism Insurance business procured through Brokers/Agents.

I.4.4.4 The Pool's premium income for 2015-16 was ₹ 475.93 crores compared to ₹ 472.33 crores in 2014-15. The claims paid by the Pool during 2015-16 were ₹ 2.04 crores. No major losses were reported to the Pool during 2015-16.

I.4.4.5 Obligatory Cession to Reinsurer (GIC Re): Act provisions

a) Section 101A of the Insurance Act 1938 stipulates that every insurer shall reinsure with the Indian reinsurer such percentage of the sum insured on each general insurance policy as may be specified by the Authority, which are also known as 'obligatory cessions' or 'statutory cessions', with the previous approval of the Central Government, after consultation with the Reinsurance Advisory Committee constituted under section 101B of the Act.

b) The Authority may by notification specify the percentages of the sum insured on each policy to be reinsured with the Indian reinsurer and different percentages may be specified for different classes of insurance provided that no percentage so specified shall exceed 30 per cent of the sum insured on such policy.

c) Section 101A (4) provides that a notification under sub-section (2) of Section 101A of the Insurance Act, 1938 may also specify the terms and conditions in respect of any business of re-insurance required to be transacted under this section and such terms and conditions shall be binding on Indian re-insurers and other insurers.

I.4.4.6 Obligatory Cession to Reinsurer (GIC Re) for 2015-16

1. The percentage cessions of the sum insured on each General Insurance policy to be reinsured with the Indian Reinsurer shall be 5% in respect of insurances attaching during the year 1st April 2015 to 31st March 2016.

2. For the year 2013-14, the obligatory cession was reduced to 5% on all lines of business as against 10% (except motor & health –including Personal Accident & Travel where the rate was 7.5%) in 2012-13. The rate of obligatory cession is maintained at 5% for the year 2014-15 and 2015-16.

TABLE : I.39
NET RETENTIONS (GIC) 2015-16

Line of Business	Domestic Business %	Foreign Business %
Fire	55.51	90.74
Marine Cargo	92.84	83.93
Marine Hull	80.32	82.49
Engineering	77.60	95.95
Aviation	-	83.51
Motor	100.00	100.00
Misc	92.15	100.00
Life	78.13	100.00
Total	**85.70**	**92.69**

TABLE I.40 MEMBERS SHARE IN INDIAN MARKET TERRORISM RISK INSURANCE POOL

(₹ in Crores)

Sl. No	Member Company	2015-16		2016-17	
		Per risk Capacity	Share (in %)	Per risk Capacity	Share (in %)
1	General Insurance Corporation of India	237.615	15.841	237.615	15.841
2	National Insurance Co. Ltd.	178.215	11.881	170.715	11.381
3	The New India Assurance Co. Ltd.	237.615	15.841	237.615	15.841
4	The Oriental Insurance Co. Ltd.	178.215	11.881	178.215	11.881
5	United India Insurance Co. Ltd.	188.865	12.591	188.865	12.591
6	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	74.640	4.976	74.640	4.976
7	Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.	15.105	1.007	15.105	1.007
8	Cholamandalam General Insurance Co. Ltd.	29.505	1.967	29.505	1.967
9	Future Generali General Insurance Co. Ltd.	15.000	1.000	15.000	1.000
10	Govt. Insurance Fund, Gujarat	15.000	1.000	15.000	1.000
11	HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd.	15.105	1.007	15.105	1.007
12	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	118.815	7.921	118.815	7.921
13	IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.	59.400	3.960	59.400	3.960
14	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	Not a Pool member in 2015-16		7.500	0.500
15	L&T General Insurance Co. Ltd.	15.105	1.007	15.105	1.007
16	Liberty Videocon General insurance Co. Ltd.	15.105	1.007	15.105	1.007
17	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	7.500	0.500	7.500	0.500
18	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	0.750	0.050	0.750	0.050
19	Reliance General Insurance Co. Ltd.	29.700	1.980	29.700	1.980
20	Royal Sundaram Alliance Insurance Co. Ltd.	15.000	1.000	15.000	1.000
21	SBI General Insurance Co. Ltd.	4.995	0.333	4.995	0.333
22	Shriram General Insurance Co. Ltd.	15.000	1.000	15.000	1.000
23	Tata-AIG General Insurance Co. Ltd.	23.760	1.584	23.760	1.584
24	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	9.990	0.666	9.990	0.666
	Total	**1500**	**100**	**1500**	**100**

I.4.4.7 Re-insurance Advisory Committee

As per Section 101A of the Insurance Act, 1938, every insurer shall reinsure with the Indian reinsurer such percentage of the sum insured on each general insurance policy as may be specified by the Authority, which are also known as 'obligatory cessions' or 'statutory cessions', with the previous approval of the Central Government, after consultation with the Reinsurance Advisory Committee.

For this purpose, the Authority may by notification a) specify the percentages of the sum insured on each policy to be reinsured with the Indian reinsurer and different percentages may be specified for different classes of insurance provided that no percentage so specified shall exceed 30 per cent of

the sum insured on such policy; and b) specify the proportion in which said percentage shall be allocated among the Indian reinsurer.

TABLE I.41
REINSURANCE CEDED OUTSIDE INDIA ON INDIAN BUSINESS (EXCLUDING GIC)

(₹ crore)

Class	2015-16		2014-15	
	Premium Ceded	Net Profit Ceded	Premium Ceded	Net Profit Ceded
Fire	2110.66	(303.75)	2220.44	(1,442.36)
Marine Cargo	317.58	(325.31)	375.84	(5.33)
Marine Hull	389.34	245.24	628.55	(207.02)
Motor	106.36	(99.64)	73.01	(28.36)
Aviation	138.02	0.42	242.14	98.69
Engineering	562.30	149.41	646.75	3.39
Other Misc.	3098.76	(508.46)	3021.31	211.93
Total	**6723.03**	**(842.10)**	**7208.04**	**(1,369.06)**

Note: Figures in bracket indicate negative values

I.4.4.8 Dismantling of Indian Motor Third Party Declined Risk Insurance Pool (DR Pool):

1. The Authority vide its order no. IRDA/NL/ORD/MPL/277/12/2011 dated 23rd December 2011 created a declined risk pool for Liability only commercial vehicle third party insurance with effect from 01st April 2012.

2. In the meantime, the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 was notified on 23rd March 2015, mandating insurers to complete a certain minimum percentage of motor third party business in manner as prescribed by the Authority

3. In view of the above, it was not required to maintain two mandates for the same purpose

TABLE I.42
REINSURANCE PLACED WITHIN INDIA AND OUTSIDE INDIA AS PERCENTAGE OF GROSS DIRECT PREMIUM IN INDIA (EXCLUDING GIC)

Class	2015-16		2014-15	
	Placed in India	Placed Outside India	Placed in India	Placed Outside India
Fire	36.68	24.82	29.86	28.98
Marine Cargo	13.24	14.96	9.34	16.9
Marine Hull	37.50	42.73	21.89	59.7
Motor	8.93	0.26	8.35	0.2
Aviation	71.97	32.26	36.95	57.86
Engineering	34.75	23.74	27.24	27.3
Other Misc.	12.04	8.19	12.14	11.09
Total	**14.06%**	**7.23%**	**12.76%**	**9.31%**

TABLE I.43
NET RETAINED PREMIUM ON INDIAN BUSINESS AS PERCENTAGE OF GROSS DIRECT PREMIUM (EXCLUDING GIC)

Class	2015-16			2014-15		
	Public Sector	Private Sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total
Fire	62.00	30.96	48.70	63.76	31.31	50.94
Marine Cargo	81.62	67.18	74.01	84.12	65.41	75.44
Marine Hull	28.50	10.45	26.62	26.15	8.71	24.53
Motor	94.68	88.62	91.46	95.3	89.17	92.04
Engineering	63.30	26.52	51.40	69.24	26.62	55.73
Aviation	1.22	60.09	13.42	10.45	50.77	18.25
Other Misc.	88.22	69.01	81.00	86.23	68.16	78.6
Total	**85.71**	**86.78**	**80.88**	**84.74**	**75.24**	**80.34**

and therefore the Authority decided to dismantle the Indian Motor Third Party Declined Risk Pool for Commercial Vehicle (Act only Insurance) from 1st April 2016.

4. The declined risk premium for the year 2015-16 is 413.11crs (100%), and the premium ceded to DR pool for the year 2015-16 is ₹309.83crs (75%). The break-up of premium between public sector companies and private sector companies is given in Table I.45.

5. The Authority vide its letter no. IRDA/NL/MTP/DRP/2013-1501//2016 dated 10th February 2016 to General Insurance Corporation of India declared the Ultimate Loss Ratio for the year 2014-15 in respect of Declined Risk Pool at 184%, for finalizing the accounts.

TABLE I.44
NET RETENTION OF NON-LIFE INSURERS AS PERCENTAGE OF GROSS DIRECT PREMIUM (INCLUDING GIC)

Class	2015-16	2014-15
Fire	63.01	64.54
Marine Cargo	81.01	81.59
Marine Hull	44.51	35.47
Motor	99.20	99.67
Engineering	67.23	71.8
Aviation	27.15	38.91
Other Misc.	84.28	88.14
Total	**87.72**	**89.57**

TABLE I.45 PREMIUM UNDER DECLINED RISK POOL FOR THE YEAR 2015-16

	Premium Ceded to DR Pool (75 %) (₹ crore)
Public Sector	302.32
Private Sector	7.51
TOTAL	**309.83**

I.4.4.9 Revision in Motor Third Party Premium Rates

1. As per the notification no. IRDA/NL/NTFN/MOTP/066/04/2011 dated 15th April 2011, the Authority has to review the premium rates for motor third party liability only cover and adjust them annually using the formula specified therein.

2. Accordingly, the formula has been applied on each of the classes of vehicles as per the erstwhile All India Motor Tariff.

However, looking into the sudden and adverse impact on the policyholders of increase in rates, the Authority moderated the rates by increasing or decreasing the rate accordingly in some of the classes of motor insurance, and notified the revised premium rates for motor third party insurance cover for the year 2016-17 vide notification no. IRDA/NL/NTFN/MOTP/060/03/2015dated 28th March 2016.

1.4.5 MONITORING OF INVESTMENTS BY THE INSURERS

1.4.5.1 All Insurers are required to adhere to the pattern of investments as stipulated under the investment regulations. The details of investments made by life and non-life insurance sector are given below:

TOTAL INVESTMENTS OF THE INSURANCE SECTOR

1.4.5.2 As on 31st March 2016, the accumulated total amount of investments made by the insurance sector was ₹26,90,194 crore. During the year, it has grown by 11.71 per cent. Life insurers continued to contribute a major share of total investments made by the industry with a share of 93.01 per cent of total investments. Similarly, public sector companies continued to contribute a major share 79.24 per cent

in total investments though investments by private sector insurers are growing at a fast pace in recent years.

INVESTMENTS OF LIFE INSURERS:

1.4.5.3 The various sources of funds available for investment by life insurers can be classified as funds from traditional products and funds from ULIP products. The total amount of funds invested by life insurers as on 31st March 2016 was ₹25,02,068 crore. In that, ₹3,40,412 crore (13.61 percent of total funds) has come from ULIP funds and the remaining ₹21,61,656 crore (86.39 percent) was contributed by traditional products. The share of ULIP during

TABLE I.46

TOTAL INVESTMENTS OF THE INSURANCE SECTOR

(As on 31st MARCH)

(₹ Crore)

INSURER	Life		Non-Life		Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Public	1786312 (13.37)	2009119 (12.47)	103561 (10.42)	122560 (18.35)	1889873 (13.30)	2131679 (12.79)
Private	461210 (20.37)	492949 (6.88)	57153 (24.18)	65565 (14.72)	518363 (20.78)	558514 (7.75)
Total	**2247522 (14.82)**	**2502068 (11.33)**	**160714 (14.95)**	**188126 (17.06)**	**2408236 (14.83)**	**2690194 (11.71)**

Note: *1. Figures in brackets represent growth in percentage over the previous year*
2. 2016 Public Includes Specialized Insurers i.e., ECGC & AIC of India

TABLE I.47

TOTAL INVESTMENTS OF LIFE INSURERS : INSTRUMENT-WISE

(As on 31st MARCH)

(₹ Crore)

Investments from	2015		2016	
	Amount	Percentage	Amount	Percentage
Traditional Products				
1 Central Govt. Securities	722955	38.36	831049	38.44
2 State govt. and other approved securities	430554	22.84	528206	24.44
3 Housing & Infrastructure	174512	9.26	186112	8.61
4 Approved Investments	530568	28.15	583145	26.98
5 Other Investments	26193	1.39	33145	1.53
A. Total (1+2+3+4+5)	**1884782**	**100.00**	**2161656**	**100.00**
ULIP Funds				
6 Approved Investments	352371	97.14	328974	96.64
7 Other Investments	10369	2.86	11438	3.36
B. Total (6+7)	**362740**	**100.00**	**340412**	**100.00**
Grand Total (A+B)	**2247522**		**2502068**	

last five years is facing a downward trend and its share last year went down by 2.53% when compared to its previous year. During the year under review, the ULIP Fund has decreased in absolute number by ₹22,328 crore.

1.4.5.4 The pattern of investments made by life insurers witnessed not much change as on 31st March 2016 when compared to 31st March 2015. Central Government Securities and Approved Investments are two major avenues of investments by life insurers.

1.4.5.5 Based on the method of classification of funds, Life fund contributed ₹16,97,453 crore (67.84 per cent), Pension and General Annuity & Group Fund ₹4,64,203 crore (18.55 per cent) and ULIP fund ₹3,40,412 (13.61 per cent) in total investments. During 2015-16, the share of Pension/Annuity funds in total investment has gone up from 17.33 per cent to 18.55 per cent. Further, the shares of Life funds have moved up from 66.53 per cent to 67.84 per cent. Correspondingly, the share of ULIP fund has come down from 16.14 per cent to 13.61 per cent

TABLE I.48

INVESTMENTS OF LIFE INSURERS : FUND-WISE

(As on 31st March)

(₹ Crore)

Insurer	Life Fund		Pension and General Annuity & Group Fund		Unit Linked Fund		Total of all Funds	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
LIC	1359829	1527016	343813	412664	82671	69439	1786312	2009119
Private	135480	170437	45660	51539	280069	270973	461210	492949
Total	**1495309**	**1697453**	**389473**	**464203**	**362740**	**340412**	**2247522**	**2502068**
	(66.53)	**(67.84)**	**(17.33)**	**(18.55)**	**(16.14)**	**(13.61)**	**(100.00)**	**(100.00)**

Note: *Figures in brackets is percentage of respective funds to the total funds.*

TABLE I.49

GROWTH OF INVESTMENTS: FUND-WISE

(As on 31st March)

(₹ Crore)

Fund	2015		2016	
	Total	Growth in %	Total	Growth in %
Life	1495309	16.08	1697453	13.52
Pension & General Annuity & Group Fund	389473	15.37	464203	19.19
Traditional (A)	**1884782**	**15.93**	**2161656**	**14.69**
Unit Linked Funds (B)	362740	9.37	340412	-6.16
Total (A+B)	**2247522**	**14.82**	**2502068**	**11.33**

TABLE I.50
TOTAL INVESTMENTS OF NON-LIFE INSURERS : INSTRUMENT-WISE
(As on 31st MARCH)

(₹ Crore)

Pattern of Investments	2015		2016	
	Total	% to Fund	Total	% to Fund
Central Govt. Securities	42904	26.70	49994	26.57
State govt. and other approved securities	17120	10.65	22160	11.78
Housing and Loans to State Govt for Housing & FFE	14834	9.23	19503	10.37
Infrastructure Investments	27277	16.97	31946	16.98
Approved Investments	53734	33.43	58311	31.00
Other Investments	4845	3.01	6212	3.30
Total	**160714**	**100.00**	**188126**	**100.00**

Note : *1. 2016 Includes ECGC & AIC of India*
2. FFE : Fire Fighting Equipment

INVESTMENTS OF NON-LIFE INSURERS:

1.4.5.6 Non-Life insurers have contributed only 6.99 per cent of total investments made by the insurance industry. The total amount of investments made by the sector, as on 31st March 2016, was ₹1,88,126 crore. During 2015-16, the net increase in investments was ₹27,412 (17.06 per cent growth over previous year).

1.4.5.7 The pattern of investments made remained the same as was in the previous year. As on 31st March 2016, non-life insurers have invested ₹58,311 crore (31 per cent) and ₹49,994 crore (26.57 per cent) in Approved Investments and Central Government Securities respectively.

I.4.6. Health Insurance Business

Trend in Health Insurance Premium (other than personal accident and Travel Insurance Business)

I.4.6.1 The gross health insurance premium collected by general & health insurance companies was ₹ 24,448 crore during 2015-16 and the same was ₹ 20,096 crore during the previous financial year. During 2015-16, the health insurance segment has achieved a growth rate of 21.7 percent in gross premium, which is the highest reported during the past five years. The four public sector general insurance companies continued to contribute a major share at 64 percent of total health premium in 2015-16 which was same as in the previous year. Stand-alone health insurers have contributed 16 percent of total health insurance premium during 2015-16, registering an increase of 2 percent over the previous year. However, there is a drop in the share of private general insurers, whose market share has come down from 22 percent in 2014-15 to 20 percent in 2015-16. It can be observed that over the past five years, the share of private sector general insurers has declined from 27 percent in 2011-12 to 20 percent in 2015-16 while the share of standalone health insurers has moved up from 12 percent to 16 percent and the share of public sector general insurers has increased from 61 percent to 64 percent.

BOX ITEM 1

INNOVATIONS IN HEALTH INSURANCE

Today, product choices, social media and behavioural & life – style shifts are changing consumer mindsets. Innovation has become a key differentiator for all businesses and insurance is no exception. Health Insurance in particular offers a great platform for innovation. Innovation is nothing new. From the Industrial Revolution to the Information Age, technology, for instance, has seen numerous innovations woven into the fabric of business and society including the insurance industry. As far as insurance is concerned, innovation can be reckoned from the perspective of distribution, product design and efficient servicing, all enabled by technology in one way or the other. The speed of cashless facility for instance has been enabled purely by technology.

Health Insurance has been witnessing a rapid expansion and has significant growth potential for the future as well. While multiple factors drive this growth, innovation in health insurance products would be a significant factor. If one were to have a look at the innovations that have taken place in the recent past in the product area, the following would stand out – enhanced coverage; new types of coverage that include hitherto excluded expenses; coverage of incidental and ancillary expenses connected with hospitalization; pro-active health initiatives of the insured and so on.

When it comes to enhanced coverage, we find that there are increased number of critical illnesses including diseases such as Parkinson's and Alzheimer's that are being covered nowadays. The coverage offered towards Personal Accident also has seen an enhancement in terms of double and triple benefits for specified causes of accidents such as Accidental Burns, accident to Scheduled Carriers, etc. Covers are also being offered for waiver of Waiting Period / Survival Period / Reduction in Pre – existing Disease. Further, extended coverage is being offered for Pre and Post Hospitalization expenses.

Coverage is offered to hitherto excluded illnesses / treatments with co-pay or deductible. Expenses of organ donors are being covered. AYUSH treatment expenses are being reimbursed. There is coverage for infertility. Add-ons for adventure sports and cover against terrorist activities are being offered in certain cases. Cover is also being offered for non – medical expenses. Bariatric surgery which was hitherto excluded is being covered by some. Support items such as artificial limbs are also being covered under some policies. Convalescence / Recovery benefit is yet another benefit that is being covered. Several other new covers are being offered. For instance, Maternity cover which earlier used to be offered only under group policies is being offered under some Individual covers. Automatic cover is offered for new born in some cases. Cover for vaccinations is also offered as per the National Immunization Programme. Daily hospital cash has become quite a popular design where the cover is extended world-wide as well. Today, there are specific covers for diabetes and hypertension. Outpatient Covers are being introduced in many. Coverage for air ambulance is yet another innovation. Cover for second medical opinion, cover for expenses of accompanying persons etc are also becoming common. There are covers for expenses towards domestic help for daily living in case of disablement due to accident, covers for modifications for the disabled etc. Add-ons including education benefit for children etc are also being introduced. Health covers are also available in 'package' and 'combi' forms for convenience of customers. One other noticeable innovation has been expanded geographies for coverage – quite a few covers are being offered worldwide now.

Many insurers are also offering Wellness Programme or Value Added Service in their products as an additional/ optional benefit. While different insurers have different designs, the primary objective is to increase the engagement and participation of the insured to improve his/her health, so that the incidence and severity of claim can be reduced in the long run. Wellness benefits may include credit for undertaking wellness activities such as regular gym activity, online health risk assessment, preventive risk assessment etc. Preventive healthcare is becoming a commonly offered benefit – free health check – up for instance, irrespective of claim experience. Some of the other wellness related benefits include vaccination for children up to 12 years, disease / chronic condition management services etc.

The latest regulatory initiatives (enunciated in IRDAI Health Insurance Regulations, 2016) facilitate innovation. The regulations offer a framework for wellness and preventive aspects keeping in view the interest of policyholders. These have been supplemented with certain guidelines which form part of the Standardization Guidelines in Health Insurance, 2016. The introduction of the concept of pilot product offers scope to insurers to try their hand at innovation even while being transparent to the policyholder about the limited life of the product.

TABLE I.51
TREND IN HEALTH INSURANCE(HI) PREMIUM OVER THE PAST FIVE YEARS

(₹ Crore)

Sectors	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Public Sector General Insurers	8015 (61%)	9580 (62%)	10841 (62%)	12882 (64%)	15591 (64%)
Private Sector General insurers	3445 (27%)	4205 (27%)	4482 (26%)	4386 (22%)	4911 (20%)
Stand-alone Health Insurers	1609 (12%)	1668 (11%)	2172 (12%)	2828 (14%)	3946 (16%)
Industry Total	**13,069**	**15,453**	**17,495**	**20,096**	**24,448**
Annual Growth Rate (In %)	**18.5%**	**18.2%**	**13.2%**	**14.9%**	**21.7%**

Note: *Figures in the bracket indicate the market-share in total HI premium.*

CHART I.19 TREND IN HEALTH INSURANCE PREMIUM

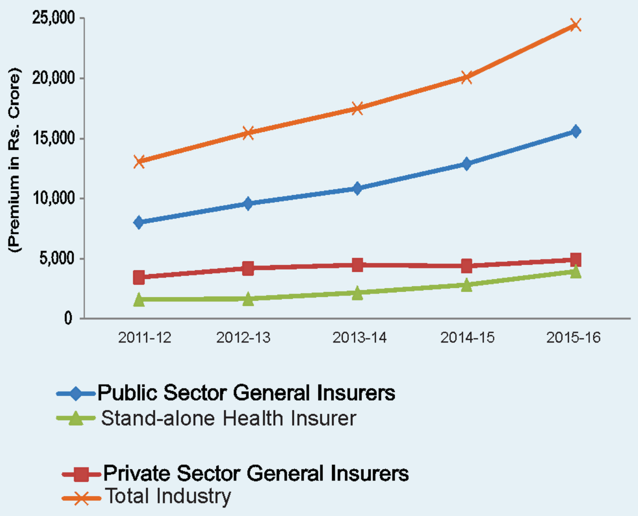

Classification of Health Insurance Business:

I.4.6.2 Health insurance business can be classified into Government Sponsored Health Insurance, Group Health Insurance (Other than Government Sponsored) and Individual Health Insurance. Among these three classes of business, individual health insurance business has reported noticeable increase in its share in total health insurance premium over the past five years, increasing from 37 percent in 2011-12 to 42 percent in 2015-16. On the other hand, the share of Government sponsored health insurance business in total health insurance premium has come down from 17 percent in 2011-12 to 10 percent in 2015-16. During the same period, the share of group health insurance business (other than Government business) remained stable at around 46 percent. As such, it can be observed that, while the share of group business remains stable, the share of government business is declining.

In terms of actual amount of premium collected from Government business, there is no significant increase over the past five years. However, the amount of premium collected from both individual and group business (other than government) has more than doubled during the same period.

Number of policies issued & Number of persons covered under Health insurance business:

I.4.6.3 During 2015-16, the general and health insurance companies have issued around 1.18 crore health insurance policies covering 35.90 crore persons (2014-15: 28.8 crore) and registered a growth of 24.65 percent in the number of persons covered over the previous year. In terms of number of persons covered under health insurance, three-

TABLE I.52
CLASSIFICATION OF HEALTH INSURANCE PREMIUM

(₹ Crore)

Class of Business	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Government Sponsored Schemes including RSBY	2225 (17%)	2348 (15%)	2082 (12%)	2474 (12%)	2425 (10%)
Group Business (other than Government Business)	5948 (46%)	7186 (47%)	8058 (46%)	8899 (44%)	11621 (48%)
Individual Business	4896 (37%)	5919 (38%)	7355 (42%)	8772 (44%)	10353 (42%)
Grand Total	**13,069**	**15,453**	**17,495**	**20,096**	**24,448**

Note: *Figures in bracket indicate the share of each class of business in total health insurance premium*

CHART I.20 CLASSIFICATION OF HEALTH INSURANCE BUSINESS
(in terms of gross premium)

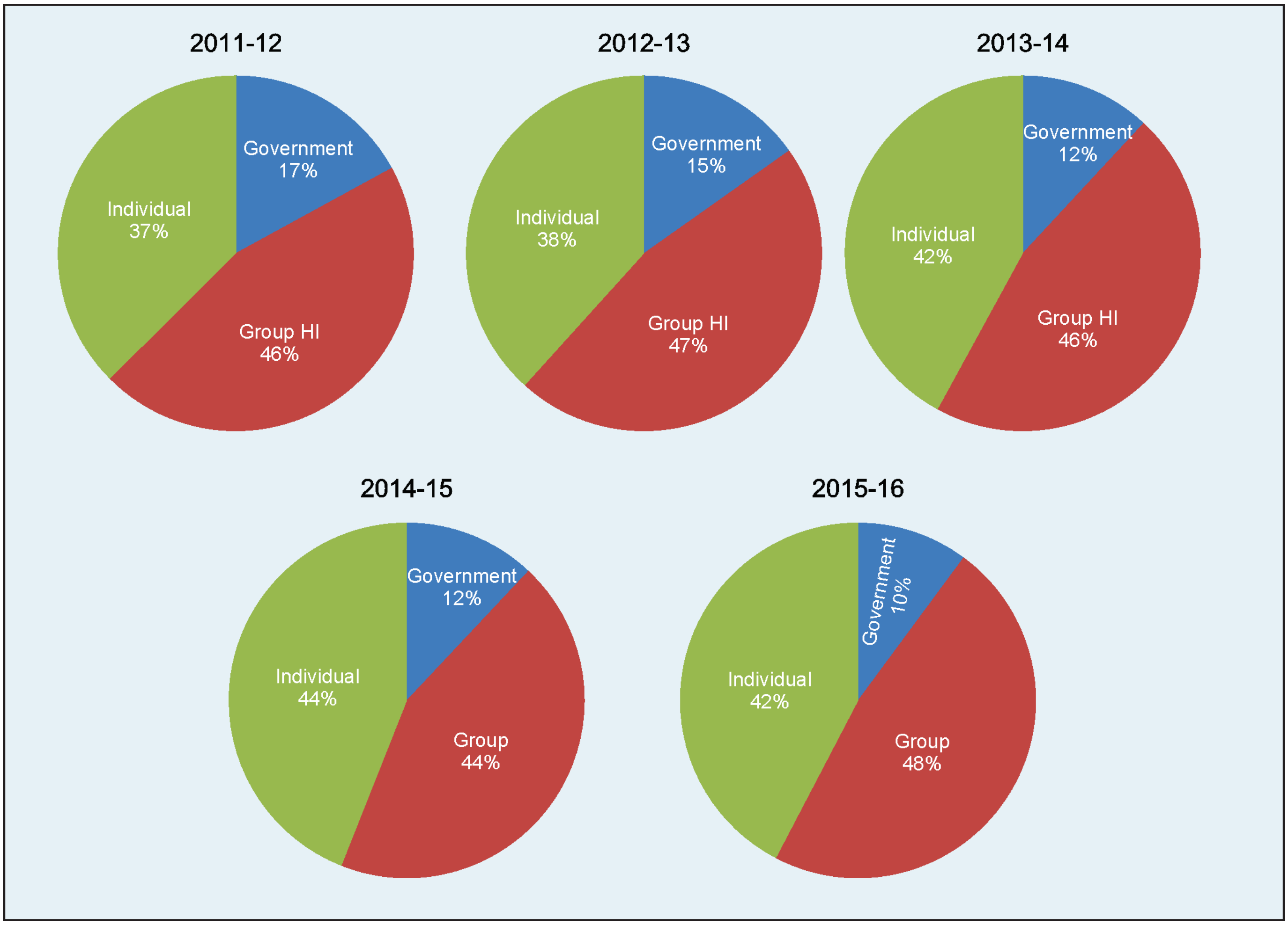

TABLE I.53
NUMBER OF PERSONS COVERED UNDER HEALTH INSURANCE

(in Lakh)

Class of Business	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Government Sponsored Schemes including RSBY	1612 (76%)	1494 (72%)	1553 (72%)	2143 (74%)	2733 (76%)
Group (other than Govt. Business)	300 (14%)	343 (17%)	337 (15%)	483 (17%)	570 (16%)
Individual Business	206 (10%)	236 (11%)	272 (13%)	254 (9%)	287 (8%)
Grand Total	**2118**	**2073**	**2162**	**2880**	**3590**

Note: *Figures in bracket indicate the share of each class of business in total number of persons covered.*

CHART I.21
NUMBER OF PERSONS COVERED
SHARE OF DIFFERENT CLASS OF BUSINESS

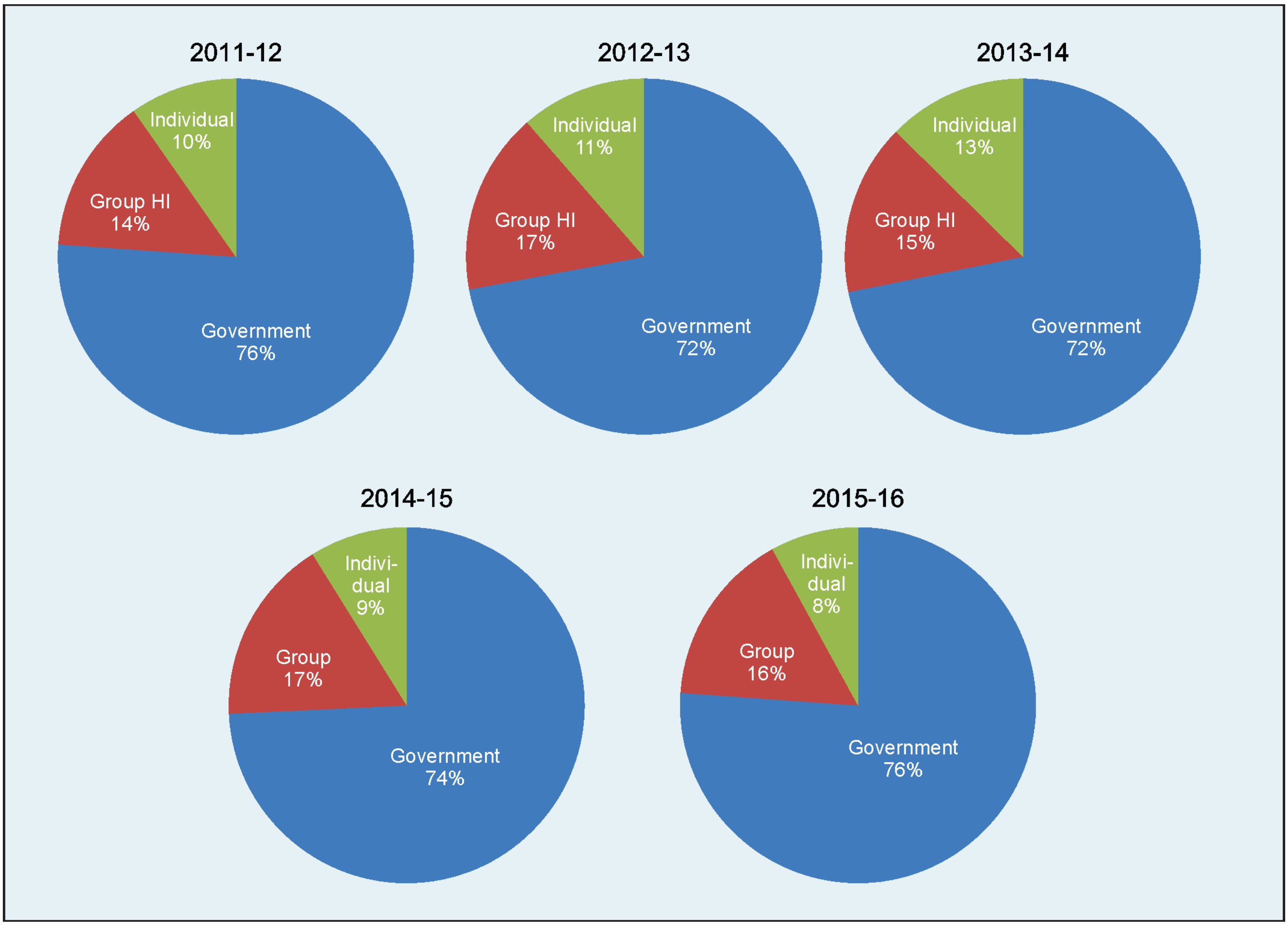

TABLE I.54:
CLASS OF BUSINESS WISE NET INCURRED CLAIMS RATIO

(In per cent)

Class of Business	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Government Sponsored Schemes including RSBY	90%	87%	93%	108%	109%
Group (other than Govt. Business)	100%	104%	110%	116%	120%
Individual Business	85%	83%	83%	81%	77%
Grand Total	**94%**	**94%**	**97%**	**101%**	**102%**

fourth of the persons were covered under government sponsored health insurance schemes and the balance one-fourth were covered by group and individual policies issued by general and health insurers.

Trend in Net Incurred Claims Ratio

I.4.6.4 The trend of increase in Net Incurred claims ratio (Net ICR) continued in 2015-16. The net ICR was 94 percent for 2011-12 and 2012-13, 97 percent in 2013-14,101 percent in 2014-15 and 102% in 2015-16.

Among the various classes of health insurance business, the net ICR is particularly high for Group Business (Other than Government) which was more than 100 percent for each of the preceding five years, consistently increasing over the same period. On the other hand, the net ICR of individual business is showing gradual decline from 85 percent in 2011-12 to 77 percent in 2015-16. With respect to Government business, there is significant increase in net ICR as it went up from 90 percent during 2011-12 to 109 percent in 2015-16.

CHART I. 22 NET INCURRED CLAIMS RATIO OF HEALTH INSURANCE BUSINESS

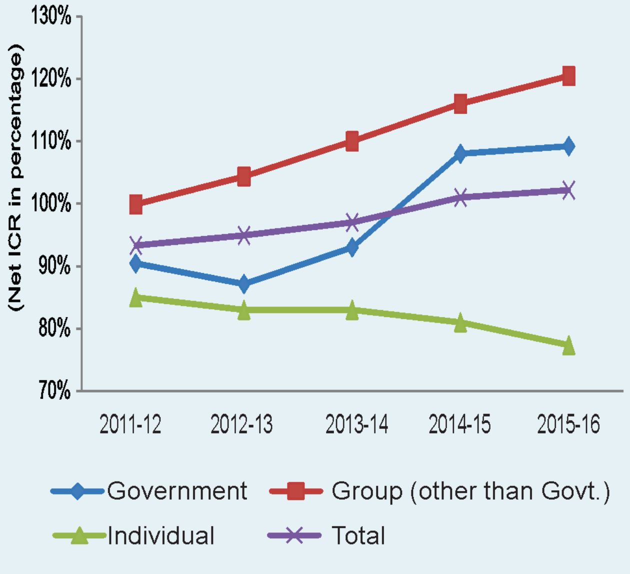

From the above table, we can observe that the net ICR of public sector general insurers was more than 100 percent for all the past five years. Besides, there is sharp increase in the past two years. On the other hand, during the period under analysis, the net ICR of private sector general insurers and stand-alone

TABLE: I.55
SECTOR WISE NET INCURRED CLAIMS RATIO OF HEALTH INSURERS

Sectors	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Public Sector General Insurers	101%	103%	106%	112%	117%
Private Sector General Insurers	78%	78%	87%	84%	81%
Stand-alone Health Insurers	60%	61%	67%	63%	58%
Industry Average	**93%**	**95%**	**97%**	**101%**	**102%**

TABLE I.56
NUMBER OF PERSONS COVERED UNDER PERSONAL ACCIDENT INSURANCE BUSINESS

(In Lakhs)

Sectors	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Public Sector General Insurers	1578	1265	753	764	3609
Private Sector General insurers	456	698	972	2437	826
Stand-alone Health Insurers	18	21	21	30	38
Total Industry	**2052**	**1984**	**1746**	**3231**	**4473**

TABLE I.57
SECTOR -WISE PERSONAL ACCIDENT INSURANCE PREMIUM

(₹ Crore)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Public Sector General Insurers	682 (49%)	650 (41%)	614 (36%)	708 (33%)	879 (34%)
Private Sector General insurers	672 (49%)	919 (57%)	1,060 (61%)	1351 (63%)	1561 (60%)
Stand-alone Health Insurers	34 (2%)	40 (2%)	55 (3%)	94 (4%)	170 (6%)
Grand Total	**1,388**	**1,609**	**1,729**	**2,153**	**2,610**

Note: *Figures in bracket indicate the share of different sectors in the total premium*

health insurers were in the region of 80 percent and 60 percent respectively.

Personal Accident Business:

I.4.6.5 During 2015-16, the Insurance industry has covered a total of 44.73 crore persons under Personal Accident Insurance. It includes 25.75 crore numbers of persons covered under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) Scheme by New India Assurance Company Ltd.

During the FY 2015-16, the gross premium income from Personal Accident insurance business was ₹ 2610 crore, growing at the rate of 21 percent over the previous year. While private sector general insurers have contributed 60 percent of total premium, public sector general insurers contributed 34 percent of premium and the rest 6 percent was contributed by the stand-alone health insurers. The ICR for this line of business was 62.24 percent for FY 2015-16.

Overseas Travel Insurance

I.4.6.6 During 2015-16, the insurance sector has issued 22.39 lakh overseas travel insurance policies covering 39.29 lakh persons. The Gross Premium income from Overseas Travel Insurance business for FY 2015-16 was ₹ 536 crore. The same was Rs. 465 crore during the previous FY 2014-15. The Incurred Claims Ratio (ICR) for this line of business was 54.1 percent for the FY 2015-16.

In this line of business, private general insurers are major players with a market share of 87 percent in gross premium. Public sector general insurers and stand alone health insurers contributed a share of 6% and 7% respectively in total gross premium. Among the private general insurers, three

TABLE I.58:
SECTOR –WISE OVERSEAS TRAVEL INSURANCE PREMIUM

(₹ Crore)

Sector	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Public Sector General Insurers	30 (9%)	43 (11%)	46 (10%)	41 (9%)	32 (6%)
Private Sector General insurers	295 (86%)	325 (84%)	393 (86%)	403 (86%)	467 (87%)
Stand-alone Health Insurers	17 (5%)	19 (5%)	18 (4%)	21 (5%)	37 (7%)
Grand Total	**342**	**387**	**457**	**465**	**536**

Note: *Figures in bracket indicate the share of different sectors in the total premium*

companies namely Tata AIG (29 percent market share), Bajaj Allianz (21 percent) and ICICI Lombard (15 percent) contributed two-thirds of total gross premium.

Domestic Travel Insurance

I.4.6.7 The gross premium income from Domestic Travel insurance business was ₹ 21.80 crore during 2015-16, registering a growth of 35.77 percent over the previous year 2014-15. While none of the stand-alone health insurers sell domestic travel insurance policies, this line of business has been generated only by six private general insurers and one public sector insurer namely National Insurance company. Two private insurers namely ICICI Lombard and TATA AIG hold major market share in this line of business at 64 percent and 32 percent respectively. During 2015-16, the industry has issued 21.08 lakh insurance policies covering 22.57 lakh individuals. The ICR for this line of business was 2.14 percent for FY 2015-16.

State-wise distribution of health insurance business

I.4.6.8 State-wise distribution of health insurance business has shown a much skewed distribution of health insurance business across various States & Union territories of India. While five states namely Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Delhi UT and Gujarat contributed 69 percent of the total health insurance premium, the rest 31 States/UTs contributed 31 percent of the total Health insurance premium. The state of Maharashtra alone contributed ₹ 7715 crore (32 percent) of total health insurance premium. On the other hand, the health insurance premium from the 8 sister States of North

TABLE I.59
SECTOR WISE DOMESTIC TRAVEL INSURANCE GROSS PREMIUM

(₹ Crore)

Sector	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Public Sector General Insurers	0.03	0.04	0.03	0.01	0.002
Private Sector General Insurers	14.22	15.43	12.32	16.05	21.80
Stand-alone Health Insurers	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
Grand Total	**14.25**	**15.47**	**12.35**	**16.06**	**21.80**

TABLE I.60
SHARE OF TOP 5 STATES IN HEALTH INSURANCE PREMIUM FOR 2015-16

STATE /UT	Group Business (Other than RSBY & Govt Sponsored Schemes)		Government Business (Only of RSBY & Other Govt. Sponsored Schemes)		Individual Business		Total HI Business	
	Amount in ₹ Crore	% age share in All-India Premium	Amount in ₹ Crore	% age share in All-India Premium	Amount in ₹ Crore	% age share in All-India Premium	Amount in ₹ Crore	% age share in All-India Premium
Maharashtra	4251	37%	756	31%	2708	26%	7715	32%
Tamil Nadu	1694	15%	555	22%	859	8%	3107	13%
Karnataka	2064	18%	44	2%	587	6%	2695	11%
Delhi	915	8%	0	0%	1061	10%	1976	8%
Gujarat	149	1%	35	1%	1276	12%	1461	6%
Rest of India	2548	21%	1084	44%	3862	38%	7494	30%
All India Total	**11621**	**100%**	**2474**	**100%**	**10353**	**100%**	**24448**	**100%**

***Note :** Ranking of states is done on the basis of Total Health Insurance premium*

CHART I.23 SHARE OF STATES IN HEALTH INSURANCE PREMIUM FY 2015-16

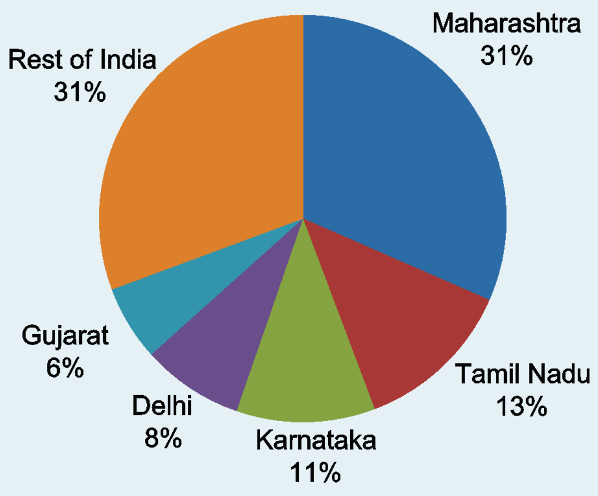

Eastern India (including the state of Sikkim) was only ₹ 195 crore (0.80 percent) for 2015-16.

Channel wise distribution of Health insurance premium

I.4.6.9 Among the various channels of distribution, individual agents continue to contribute a major share of total health insurance premium at 33 percent. Their share in individual health insurance premium was still higher at 70 percent.

"Direct sales –other than online" is the second major channel for distribution of health insurance business. This channel contributed 28 percent in total health insurance premium. The share of this channel was very high at 43 percent in group health insurance premium.

Another important channel for distribution of health insurance business is Brokers, who contributed 24 percent of the total health insurance premium. Here again, the share of Brokers was high at 39 percent in group health insurance premium.

Bancassurance contributed 7 percent of total health insurance premium and online sale of health insurance policies contributed 2 percent of total health insurance premium.

TABLE I.61
SHARE OF VARIOUS CHANNELS OF DISTRIBUTION - NUMBER OF POLICIES ISSUED AND AMOUNT OF PREMIUM FOR FY 2015-16

Name of the Channel	Individual Business		Group Business		Total (Individual + Group)	
	No. of policies Issued	Gross Premium	No. of policies Issued	Gross Premium	No. of policies Issued	Gross Premium
Brokers	4%	4%	7%	39%	4%	24%
Corporate Agent - Banks	13%	11%	44%	4%	14%	7%
Corporate Agent - Other than Banks	3%	5%	11%	1%	3%	2%
Direct Sale - Online	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Direct Sale - Other than Online	10%	8%	3%	43%	9%	28%
Individual Agents	69%	70%	33%	6%	68%	33%
Micro-insurance Agents	0.02%	0.00%	0.04%	0.00%	0.02%	0.00%
Web- aggregators	0.21%	0.23%	0.00%	0.00%	0.20%	0.10%
Others	0.01%	0.15%	0.03%	4.78%	0.01%	2.82%
Total of all channels	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

HEALTH INSURANCE CLAIMS DEVELOPMENT DURING 2015-16

TABLE I.62
CLAIMS HANDLED THROUGH TPAs

(Numbers in Actual)(Amount in ₹ Lakh)

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
Claims pending at the beginning of the period	2,26,249	61,678	1,34,950	81,439	197	38	3,61,396	1,43,155
New claims registered during the period	35,31,858	10,46,203	30,76,073	9,98,477	1,416	418	66,09,347	20,45,098
Claims settled during the period	32,25,958	8,33,360	26,21,230	7,74,190	915	307	58,48,103	16,07,857
Claims repudiated during the period	2,30,002	1,13,816	4,13,060	1,77,451	591	122	6,43,653	2,91,390
Claims pending at the end of the year	3,02,147	88,995	1,76,733	84,113	107	26	4,78,987	1,73,135

TABLE I.63
CLAIMS HANDLED DIRECTLY BY THE INSURERS

(Numbers in Actual)(Amount in ₹ Lakh)

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
Claims pending at the beginning of the period	1,36,067	18,256	67,942	42,290	2,050	5,058	2,06,059	65,604
New claims registered during the period	16,62,818	3,14,607	9,10,272	3,83,734	32,114	18,275	26,05,550	7,16,616
Claims settled during the period	14,54,499	2,37,721	7,07,372	3,23,698	24,559	6,615	21,86,608	5,68,033
Claims repudiated during the period	1,63,951	53,381	2,26,321	79,947	5,389	9,861	3,95,696	1,43,189
Claims pending at the end of the year	1,80,435	25,647	44,521	43,863	4,216	6,886	2,29,303	76,397

TABLE I.64
CLAIMS HANDLED BOTH THROUGH TPAs AND IN-HOUSE

(Numbers in Actual)(Amount in ₹ Lakh)

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
Claims pending at the beginning of the period	362316	79934	202892	123729	2247	5096	567455	208759
New claims registered during the period	5194676	1360811	3986345	1382211	33530	18693	9214897	2761715
Claims settled during the period	4680457	1071080	3328602	1097888	25474	6922	8034711	2175890
Claims repudiated during the period	393953	167197	639381	257398	5980	9983	1039349	434579
Claims pending at the end of the year	482582	114643	221254	127977	4323	6912	708290	249532

DETAILS OF CLAIMS AGING - SETTLEMENT OF CLAIMS 2015-16

TABLE I.65
CLAIMS HANDLED THROUGH TPAs

(Number in Actual)(Amount in ₹ Lakh)

Time Taken	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
< 1 Month	27,05,759	6,62,435	20,21,775	5,19,587	597	125	47,28,131	11,82,147
1 to 3 months	4,35,985	1,49,349	4,04,534	1,77,382	201	82	8,40,720	3,26,814
3 to 6 months	67,117	16,943	1,39,397	49,196	57	31	2,06,571	66,170
6 to 12 months	14,567	3,255	46,934	16,445	38	40	61,539	19,740
1 to 2 years	2,096	632	6,734	10,514	15	22	8,845	11,168
2 years	434	746	1,856	1,066	7	7	2,297	1,818
Total	**32,25,958**	**8,33,360**	**26,21,230**	**7,74,190**	**915**	**307**	**58,48,103**	**16,07,857**

TABLE I.66
CLAIMS HANDLED BY THE INSURERS BY THE INSURERS IN-HOUSE

(Number in Actual)(Amount in ₹ Lakh)

Time Taken	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
< 1 Month	14,14,423	2,30,873	5,96,769	2,62,387	23,625	5,236	20,34,997	4,98,495
1 to 3 months	29,142	5,415	66,504	31,735	752	1,131	96,398	38,281
3 to 6 months	699	883	35,206	17,116	126	216	36,031	18,214
6 to 12 months	10,166	347	5,587	6,021	35	27	15,786	6,396
1 to 2 years	36	191	1,867	5,529	8	1	1,911	5,721
2 years	33	11	1,439	911	12	5	1,484	926
Total	**14,54,499**	**2,37,721**	**7,07,372**	**3,23,698**	**24,559**	**6,615**	**21,86,608**	**5,68,033**

TABLE I.67
CLAIMS HANDLED THROUGH BOTH TPAs AND IN-HOUSE

(Number in Actual)(Amount in ₹Lakh)

Time Taken	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
< 1 Month	4120182	893308	2618544	781973	24222	5361	6763128	1680642
1 to 3 months	465127	154765	471038	209117	953	1213	937118	365095
3 to 6 months	67816	17826	174603	66311	183	247	242602	84384
6 to 12 months	24733	3602	52521	22466	73	67	77325	26136
1 to 2 years	2132	823	8601	16043	23	23	10756	16889
2 years	467	756	3295	1976	19	11	3781	2744
Total	**4680457**	**1071080**	**3328602**	**1097888**	**25474**	**6922**	**8034711**	**2175891**

CHART I.24 CONTRIBUTION OF VARIOUS CHANNELS IN HEALTH INSURANCE PREMIUM

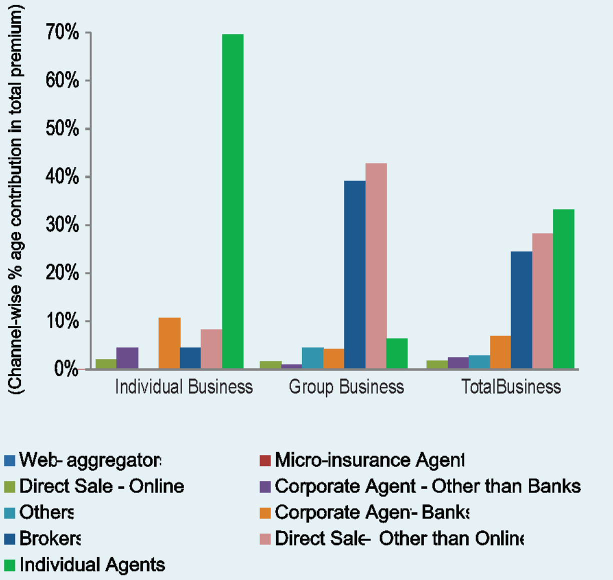

Claims Development & Aging during 2015-16

The following are the observations from the analysis of tables I.62, I.63 and I.64:-

- During the FY 2015-16, the general insurance and stand alone health insurance companies have settled 80.35 lakh health insurance claims and paid ₹ 21,759 crore towards claims.
- In terms of number of claims settled, 73 percent of the claims were settled through TPAs and the balance were settled through in-house.
- In terms of mode of settlement of claims, 58 percent of the total claims were settled by cashless mode. The remaining 42 percent of the claims are settled through reimbursement mode.
- During the year, insurers have settled 82.13 percent of claims registered and have repudiated 10.62 percent of the number of claims registered. The balance 7.25 percent were pending for settlement as at 31st March 2016.

TABLE I.68
LIST OF TPAs AS ON 31ST MARCH 2016

Sl. No.	Name of TPA
1	United Healthcare Parekh TPA Pvt. Ltd.
2	Medi Assist India TPA Pvt. Ltd.
3	MD India Healthcare (TPA) Services (Pvt.) Ltd.
4	Paramount Health Services & Insurance TPA Pvt. Ltd.
5	E Meditek (TPA) Services Ltd.
6	Heritage Health TPA Pvt. Ltd.
7	Focus Health Services TPA Pvt. Ltd.
8	Medicare TPA Services (I) Pvt. Ltd.
9	Family Health Plan (TPA) Ltd.
10	Raksha TPA Pvt. Ltd.
11	Vidal Health TPA Private Limited
12	Anyuta TPA in Healthcare Pvt. Ltd.
13	East West Assist TPA Pvt. Ltd.
14	Med Save Health Care TPA Ltd.
15	Genins India TPA Ltd.
16	Alankit Health Care TPA Limited
17	Health India TPA Services Private Limited
18	Good Health TPA Services Ltd.
19	Vipul Med Corp TPA. Pvt. Ltd.
20	Park Mediclaim TPA Private Ltd.
21	Safeway TPA Services Pvt. Ltd
22	Anmol Medicare TPA Ltd.
23	Dedicated Healthcare Services TPA (India) Private Limited
24	Grand Health Care TPA Services Private Limited
25	Rothshield Healthcare (TPA) Services Limited
26	Happy Insurance TPA Pvt. Ltd.
27	Ericson Insurance TPA Pvt. Ltd.
28	Health Insurance TPA of India Ltd.

TABLE I.69
LIST OF TPAs REGISTRATIONS RENEWED DURING 2015-16

Sl.No.	Name of TPA
1	Good Health TPA Services Ltd.
2	Genins India TPA Ltd.
3	Dedicated Healthcare Services TPA Pvt. Ltd.
4	Health India TPA Services Private Limited
5	East West Assist TPA Pvt. Ltd.
6	Anyuta TPA in Healthcare Pvt. Ltd.
7	Grand Healthcare Services TPA Pvt. Ltd.

The following is the analysis of tables I.65, I.66 and I.67:-

- While Insurers have settled 93 percent of the claims registered within one month TPAs have settled 81percent within the same period.
- Only in 0.18 percent of the cases, claims were settled with a delay of more than one year.

I.4.6.10 Functioning of TPAs

As at 01st April, 2015 there were 30 TPAs registered by IRDAI while as at 31st March, 2016 there were 28 TPAs. During the year 2015-16, no Certificate of Registration was granted to any new TPA. The list of TPAs registered with the Authority as at 31st March 2016 is given in Table No.1.68. The list of TPA registrations renewed by the Authority during 2015-16 are given in Table No. I.69 The Authority rejected the renewal applications of 2 TPAs and the particulars are giving in Table No. I.70 The TPAs expanded the network of the hospitals by adding new hospitals to their networks as specified at Table No. I.71.

TABLE I.70
DETAILS OF TPAs WHOSE RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATION WAS REJECTED DURING FY 2015-16

S. No.	Name of TPA
1	Sri Gokulam Health Services TPA (P) Ltd.
2	Spurthi Meditech TPA Solutions Pvt. Ltd.

TABLE I.71: NETWORK PROVIDERS ENGAGED BY TPAS DURING FY 2015-16

Sl. No	Name of the TPA	No.of Hospitals in the Network at the beginning of the year	No.of Hospitals added to the Network during the year	No.of Hospitals withdrawn/ removed from Network during the year	* Total No.of Hospitals in the Network at the end of the year
1	Alankit Health Care TPA Ltd.	4081	0	0	4081
2	Anmol Medicare TPA Ltd.	453	0	0	453
3	Anyuta TPA in Health Care Pvt. Ltd.	210	133	0	343
4	Dedicated Healthcare Services TPA (India) Pvt. Ltd.	3524	4294	118	7700
5	E Meditek (TPA) Services Ltd.	5418	255	154	5519
6	East West Assist TPA Pvt. Ltd.	4145	50	39	4156
7	Ericson TPA Healthcare Pvt. Ltd.	3493	444	1	3936
8	Family Health Plan (TPA) Ltd.	4563	512	420	4655
9	Focus Health Services TPA Pvt. Ltd.	1599	0	74	1525
10	Genins India TPA Ltd.	3842	225	44	4023
11	Good Health TPA Servies Ltd.	4687	194	9	4872
12	Grand Health Care TPA Services Pvt Ltd	1682	82	0	1764
13	Happy Insurance TPA Services	1327	28	0	1355
14	Health India TPA Pvt. Ltd.	4114	267	51	4330
15	Heritage Health TPA Pvt. Ltd.	4031	1588	402	5217
16	MD India Healthcare Services (TPA) Pvt. Ltd.	9395	1432	1735	9092
17	Med Save Health Care TPA Ltd.	6833	1312	1812	6333
18	Medi Assist India TPA Pvt. Ltd.	5394	541	199	5736
19	Meidcare TPA Services (I) Pvt. Ltd.	4396	438	256	4578
20	Paramount Health Services (TPA) Pvt. Ltd.	10646	1302	252	11696
21	Park Mediclaim TPA Pvt Ltd	1889	56	9	1936
22	Raksha TPA Pvt. Ltd.	3367	1203	72	4498
23	Rothshield Healthcare (TPA) Services Ltd	2953	76	0	3029
24	Safeway TPA Services Pvt. Ltd	4271	215	42	4444
25	Vidal Health TPA Pvt. Ltd.	6146	258	73	6331
26	United Healthcare Parekh TPA Pvt. Ltd.	4050	493	72	4471
27	Vipul Med Corp TPA Private Ltd.	7676	1543	143	9076
28	Health Insurance TPA of India Ltd.	1411	102	114	1399

** Hospitals may have tied up with more than one TPA*

I.4.7 Business in the Rural and Social Sector

I.4.7.1 The Regulations applicable for the obligations of the insurers towards rural and social sector (Regulations, 2002) stipulated targets to be fulfilled by insurers on an annual basis. In terms of these regulations, insurers are required to cover year wise prescribed targets (i) in terms of number of lives under social obligations; and (ii) year wise prescribed targets in terms of percentage of policies to be underwritten and percentage of total gross premium income written direct by the life and non-life insurers respectively under rural obligations. The regulations require insurers to underwrite business in these segments based on the year of commencement of their operations and the applicable targets are linked to the year of operations of each insurer. For meeting these obligations, the regulations further provide that, if an insurance company commences operations in the second half of the financial year and is in operations for less than six months as at 31st March of the relevant financial year (i) no rural or social sector obligations shall be applicable for the said period; and (ii) the annual obligations as indicated in the Regulations shall be reckoned from the next financial year which shall be considered as the first year of operations for the purpose of compliance. In cases where an insurance company commences operations in the first half of the financial year, the applicable obligations for the first year shall be 50 per cent of the obligations as specified in these Regulations.

Fulfilment of obligations – Life Industry

During the last 5 years, all the life insurers (both public and private sectors) have fulfilled the obligations prescribed for the rural sector. Only one insurer for FY 2012-13 and two insurers for FY 2013-14 failed to fulfil the obligations prescribed for the Social Sector against whom regulatory action is initiated.

Rural Sector Obligations

I.4.7.2 During 2015-16, all the twenty three private sector life insurance companies had fulfilled their rural sector obligations. The number of policies underwritten by them in the rural sector as a percentage of the total policies underwritten in the year 2015-16 was as per the obligations applicable to them.

I.4.7.3 The lone public sector insurer, Life Insurance Corporation of India was compliant with its obligations in the rural sector for 2015-16.

I.4.7.4 The life insurers underwrote 68.99 lakh policies in the rural sector, viz., 25.8 percent of the new individual policies (267.08 lakh policies) underwritten by them in 2015-16. LIC underwrote 25.70 per cent of the new policies and private insurers underwrote 26.3 per cent of their new individual policies in the rural sector.

Social Sector Obligations

I.4.7.5 All the 23 private life insurers had fulfilled their social sector obligations during 2015-16. The number of lives covered by them in the Social Sector was above stipulations in the IRDA (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations 2002.

I.4.7.6 LIC was compliant with its social sector obligations, having covered more number of lives (226.04 lakhs) than the prescribed number as obligations for 2015-16. Private Life insurers had covered 111.13 lakh social lives.

Obligations of non-life insurers

I.4.7.7 All the Public and Private sector Insurers complied with Rural and Social Sector Obligations for the year 2015-16.

I.4.7.8 Rural and Social Sector Obligations of Stand-alone health Insurers

All the five stand alone health insurance companies were compliant with their rural and social sector obligations during the financial year 2015-16.

TABLE I.72
DETAILS OF COMPLIANCE OF STAND-ALONE HEALTH INSURERS IN RURAL & SOCIAL SECTOR OBLIGATIONS DURING FY 2015-16.

Insurer	No of completed years	Rural Sector Obligations (% of GDP)			Social Sector Obligations (No of lives)		
		Target	Acht.	Complied (Yes/No)	Target	Acht.	Complied (Yes/No)
Apollo Munich	8	6%	6.30%	Yes	35,000	37,392	Yes
Cigna TTK	2	3%	6.44%	Yes	7,500	8,463	Yes
Max Bupa	6	5%	6.36%	Yes	25,000	197,186	Yes
Religare	4	5%	5.52%	Yes	15,000	86,265	Yes
Star Health	10	7%	12%	Yes	55,000	1,240,551	Yes

TABLE: I.73
NON-LIFE INSURERS(EXCLUDING STANDALONE AND SPECIALISED INSURERS) RURAL OR SOCIAL SECTOR BUSINESS AS AT 31.03.2016

Insurer	Rural Sector (Gross Direct Premium)				Social Sector (No. of Lives)	
	Target (%) 2015-16	Total GDP (₹ Lakh)	GDP in rural sector (₹ Lakh)	Achievement (%)	2015-16 (Target)	Achievement
Royal Sundaram	7.00	169412	13403	7.91	55000	109481
TATA AIG	7.00	295856	39059	13.20	55000	1667299
Reliance	7.00	279156	27118	9.71	55000	282212
IFFCO Tokio	7.00	369133	41042	11.12	55000	3423261
ICICI Lombard	7.00	809071	72907	9.01	55000	233707
Bajaj Allianz	7.00	583215	43129	7.40	55000	557701
HDFC ERGO	7.00	337955	29733	8.80	55000	78790
Cholamandalam	7.00	245200	30980	12.63	55000	701949
Future Generali	6.00	158239	38201	24.14	35000	519339
Universal Sompo	6.00	90379	23234	25.71	35000	4705218
Shriram General	6.00	171227	13284	7.76	35000	35988
Bharti Axa	6.00	127442	7876	6.18	35000	42110
Raheja QBE	5.00	2876	271	9.43	25000	35497
SBI General	5.00	203985	71135	34.87	25000	1990474
L&T General	5.00	47339	2907	6.14	20000	609028
Liberty Videocon	5.00	40872	2138	5.23	10000	10000
Magma HDI	5.00	40394	23153	57.32	10000	87337
KotakMahindra	0.00	371	0	NA	0	NA
Private Total		**39,71,749**	**4,79,570**	**12.07**	**6,70,000**	**150,89,391**
New India	7.00	1514951	246615	16.28	168,70,908	741,61,700
National	7.00	1209081	94593	7.82	2319041	2646194
United India	7.00	1225036	161218	13.16	684489	56974548
Oriental	7.00	831473	113092	13.60	665500	40873981
Public Total		**4780541**	**615517**	**12.88**	**20539938**	**174656423**
GRAND TOTAL		**8752291**	**1095087**	**12.51**	**21209938**	**189745814**

I.4.8 FINANCIAL REPORTING AND ACTUARIAL STANDARDS

Appointed Actuary System

I.4.8.1 The Appointed Actuary system is in place for more than a decade in Indian Insurance Industry. Every Insurer is required to appoint an actuary known as Appointed Actuary. The Appointed Actuary is responsible for rendering actuarial advice to the management of the insurer, in particular in the areas of product design and pricing. Insurance contract wording, investments and reinsurance; ensuring solvency of the company and complying with the Authority's directions from time to time. The Appointed Actuary has access to all the information or documents in possession or under control of the insurer if such access is necessary for the proper and effective performance of the functions and duties of the Appointed Actuary.

I.4.9 ANTI-MONEY LAUNDERING/ COUNTER FINANCE OF TERRORISM (AML/CFT) PROGRAMME

AML/CFT GUIDELINES

I.4.9.1 Empowered by the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) and the rules framed there under, the AML/CFT guidelines (the guidelines) to the insurance sector were first issued in March 2006. Since then the insurance sector has been working towards an effective AML/CFT regime in India. The guidelines emphasize the importance of the customer due diligence processes, reporting obligations and record keeping requirements as required under the PMLA.

I.4.9.2 Insurers have laid down systems and processes towards implementation of various requirements under the broad oversight of their Board through the audit committee. There is a regular review of the effectiveness of the systems through the insurer's internal audit/inspection departments. Compliance with the guidelines is also monitored by IRDAI through both on-site and off-site processes.

Cash Acceptance Threshold

I.4.9.3 The insurance sector is very similar to the banking sector in that both are vehicles and instrumentalities for encouraging savings amongst the people in the country. The insurance laws in the country also mandate that a certain proportion of every company's business must emanate from the rural sector. Given the vast number of villages in India, compared to which the spread of banks is limited, to remove the hindrances posed by the restrictions on acceptance of cash, the IRDAI had aligned the stipulation with that prevalent in the banking sector. This was also aimed at encouraging insurance companies to tap rural business effectively, consequently improving on insurance penetration and density.

I.4.9.4 The requirement was also in line with the CBDT notification S.O. 1214 (E) dated 26th May, 2011 amending Rule 114B of the Income-tax Rules, 1962, inserting clause (q) which requires every person to quote his permanent account number (PAN) in all documents pertaining to the transactions where there is a payment of an amount aggregating to fifty thousand rupees or more in a year as life insurance premium to an insurer as defined in clause (9) of section 2 of the Insurance Act 1938 (4 of 1938).

I.4.9.5 In order to have tighter controls as regards 'acceptance of premium in cash', the IRDAI has mandated stringent controls like the requirement of verification of the PAN number so obtained from the customer. Insurers are also required to lay down proper mechanisms to check any kind of attempts

to avoid disclosure of PAN details. In case of possible attempts to circumvent the requirements, insurers are directed to report the same as suspicious activity to Financial Intelligence Unit India (FIU-IND).

AML/CFT guidelines applicable to non-life insurance companies

I.4.9.6 Considering the fact that AML/CFT requirements applicable to non-life insurance companies differ from those applicable to life insurance companies, the guidelines have been modified to meet the nuances of typical characteristics of the non-life insurance business. Various related aspects were widely deliberated with all the non-life insurance companies through the General Insurance Council. A consolidated circular on various stipulations/requirements of AML/CFT framework, as applicable to non-life insurance companies, was issued in February 2013. Through this circular, insurers have been advised to apply the AML/CFT requirements based on their risk assessment of each of the product's profile. The earlier exemption given to standalone medical and health insurance policies now stands withdrawn.

Revision of AML/CFT Guidelines for Life Insurers

I.4.9.7 Pursuant to amendment of PML (Maintenance of Records) Rules, 2005 in 2013 by Central Government, IRDAI Master Circular on AML/CFT issued in 2010 for Life Insurers was revised in line with amendments. The revised draft Master Circular was circulated to Life Insurance Council, Life Department and FIU-IND for comments. Based on the comments received the draft Master Circular was finalized. The Master Circular was issued on 28.09.2015

International Cooperation/Information Sharing

I.4.9.8 Post India's membership into the Financial Action Task Force (FATF) in June 2010, India has been working on the Action Plan committed to FATF Secretariat. The IRDAI has accomplished various action points committed. Effective May 2013, IRDAI is a signatory to the Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU) of International Association of Insurance Supervisors (IAIS) which provides an international platform for cooperation and sharing of information. Further, the IRDAI (Sharing of Confidential Information Concerning Domestic or Foreign Entity) Regulations, 2013 are in place which provides for the manner in which / bodies with which confidential information can be shared with other regulatory bodies.

Coordination with various agencies/departments

I.4.9.9 IRDAI is in active coordination with various agencies/departments in ensuring effective implementation of AML/CFT regime in India and is part of the Working Group for National Risk Assessment (NRA) on AML/CFT constituted by the Department of Revenue. IRDAI is also part of the Core Working Group (CWG) constituted by the Department of Economic Affairs (FATF Cell) for implementation of revised recommendations of FATF.

I.4.9.10 In addition, the IRDAI is also actively associated with the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), a FATF style regional body. The IRDAI had actively participated in the 17th EAG Plenary and Working Group meetings held in New Delhi in November 2012 and the project of 'best practices paper on information exchange' has been assigned to India.

I.4.9.11 IRDAI has initiated regular interaction with the Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) and actively took part in the working group constituted

with industry representatives on finalization of report on the 'Red Flag Indicators for Insurance Sector'. IRDAI is also part of the Department of Financial Services, initiative of building Central KYC Registry.

I.4.9.12 IRDAI and FIU-IND signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Mutual Cooperation on 29th January 2014 as part of continued coordinated efforts in effective implementation of requirements of the Prevention of Money Laundering Act and the rules framed thereunder.

According to the MoU, IRDAI and FIU-IND will cooperate with each other in areas of mutual interest including the following:

a) Sharing of intelligence and information available in their respective databases.

b) Laying down procedure and manner in which the reporting entities report to FIU-IND under the PML (Maintenance of Records) Rules.

c) Conducting outreach and training for reporting entities.

d) Upgradation of AML/CFT skills reporting entities regulated by IRDAI.

e) Assessment of Anti-Money laundering/ Combating Financing of Terrorism (AML/CFT) risks and vulnerabilities in the insurance sector.

f) Identification of red flag indicators for Suspicious Transaction Reports (STRs) in the insurance sector.

g) Supervising and monitoring the compliance of reporting entities with their obligations under PMLA.

h) Compliance with each other's obligations under the relevant international standards.

I.4.10 CROP INSURANCE

I.4.10.1 National Crop Insurance Programme (NCIP)

The most important change is the introduction of NCIP from 1st November 2013 consequent to the withdrawal of NAIS. NCIP has three component Schemes viz. Modified National Agriculture Insurance Scheme (MNAIS), Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) and Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS).

PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA (PMFBY):

I.4.10.2 The Scheme has been introduced from Kharif 2016 replacing National Agriculture Insurance Scheme (NAIS) and Modified National Agriculture Insurance Scheme (MNAIS) and is being implemented by AIC and 15 other insurance companies.

PMFBY aims at supporting sustainable production in agriculture sector by way of

- providing financial support to farmers suffering crop loss/damage arising out of unforeseen events
- stabilizing the income of farmers to ensure their continuance in farming
- encouraging farmers to adopt innovative and modern agricultural practices
- ensuring flow of credit to the agriculture sector; which will contribute to food security
- crop diversification and enhancing growth and competitiveness of
- agriculture sector besides protecting farmers from production risks.

The Scheme is available to all the farmers both, loanee and non loanee irrespective of the size of their holding. The Scheme envisages coverage of all crops including cereals, millets, pulses, oilseeds and annual commercial and horticultural crops in respect of which past yield data is available.

As per provisions of PMFBY, Insurance Unit for major crops is village panchayat or other equivalent unit. Premium rates are actuarial supported by up-front subsidy in premium, Farmers would pay premium of 2% in Kharif season, 1.5% in Rabi Season for Food Crops and Oilseeds and 5% for Annual Commercial Horticulture Crops. In case actuarial premium is less than above premium, actuarial premium will be paid by farmer. Balance between actuarial and capped premium would be payable by Centre and State govt. equally. District level crop wise scale of finance would serve as basis of sum insured at which three levels of Indemnity i.e. 70%, 80% and 90% would be applicable. Insurer is responsible for the claims liabilities

- The Scheme is implemented on an 'Area Approach basis'. The unit of insurance shall be Village/Village Panchayat level for major crops and for other crops it may be a unit of size above the level of Village/Village Panchayat.
- The Loss assessment for crop losses due to non-preventable natural risks will be on Area approach.
- In case of majority of insured crops of a notified area are prevented from sowing/planting the insured crops due to adverse weather conditions that will be eligible for indemnity claims up to maximum of 25% of the sum-insured.
- However losses due to localised perils (Hailstorm, landslide & inundation) and Post-Harvest losses due to specified perils, (Cyclone/ Cyclonic rain & Unseasonal rains) shall be assessed at the affected insured field of the individual insured farmer.
- There will be a provision of on account claims in case of adverse seasonal conditions during crop season viz. floods, prolonged dry spells, severe drought, and unseasonal rains.

On account payment up to 25% of likely claims will be provided, if the expected yield during the season is likely to be less than 50% of normal yield.

Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS):

I.4.10.3 Apart from the above two yield guarantee insurance Schemes, the Government of India had introduced another Pilot namely, Pilot Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) with effect from Kharif 2007, which became full-fledged Scheme as a component of NCIP with its introduction. The Scheme operates on an actuarial basis with premium subsidy which ranges from 25% to 50% equally shared by Centre and States. AIC has since implemented the Scheme in various States during all previous Kharif and Rabi seasons starting Kharif 2007. WBCIS is a parametric insurance product designed to provide insurance protection to the cultivator against adverse weather incidence during the cultivation period, such as deficit & excess rainfall, frost, heat (temperature), relative humidity, wind speed etc., which are deemed to adversely impact the crop yield.

I.4.10.4 Crops and 'Reference Unit Areas (RUA)' are notified before the commencement of the season by the State Government Each RUA is linked to a Reference Weather Station (RWS), on the basis of which payout/ claims are processed. The payouts are made on the basis of adverse variations in the current season's weather parameters as measured

Table I.74
WEATHER BASED CROP INSURANCE SCHEME (WBCIS)

(In ₹ lakh)

S.No.	Season	No. of Farmers Insured	Sum Insured	Premium	Claims Reported
1	Kharif 2012	3547463	724009.97	72647.97	54751.16 *
2	Rabi 2012-13	3706835 *	646622.05 *	57562.06 *	77740.13
3	Kharif 2013	5000339 *	891262.43	89820.20	66692.59
4	Rabi 2013-14	1287898	311593.89	28610.78	29801.44 *
5	Kharif 2014	2454658 *	600656.92 *	62087.91 *	60645.91 *
6	Rabi 2014-15	326093	57810.13	5763.48	7472.92
7	Kharif 2015	1654958	507562.59	50772.90	45536.60

* (Updated figures)

at Reference Weather Station (RWS). Claim under WBCIS is area based and automatic. The Company insured more than 35 different crops including perennial crops like Apple, Citrus crops, Grapes, Mango, Pomegranate, Cashew nut, Oil palm, etc. During Kharif 2014, the scheme was implemented by AIC in 102 Districts across 14 and during Rabi 2014-15 in 88 Districts across 11 States.

I.4.10.5 During Kharif 2015 season, 0.17 crore farmers were covered insuring - 0.23 crore hectare with sum insured of ₹5075.63 crore with gross premium of ₹507.73 crore. Since introduction as pilot in Kharif 2007 to Kharif 2015, WBCIS covered about 3.62 crore farmersinsuring 4.86 crore hectare area for sum insured of ₹69104.44 crore against premium of ₹6527.90 crore. Claims amounting ₹5237.07 crore became payable benefitting more than 228.35 lakh farmers. From Kharif 2016 onwards, WBCIS will be continued as restructured WBCIS wherein Farmers' Premium rate has been reduced to 1.5% to 2% for FCOS and 5% for ACH crops keeping all other parameters same.

Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS):

I.4.10.6 AIC in collaboration with Coconut Board designed Scheme for coconut i.e. Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS) is now a component of NCIP. The Scheme is available to all Coconut growing States/UTs in the country. Dwarf and Hybrid coconut palms in age range of 4 to 60 year and Tall variety coconut palms in age range of 7 to 60 year are eligible for coverage. On premium, 50% subsidy will be paid by Coconut Development Board (CDB) and 25% by State Government concerned and balance 25% of the premium will be paid by farmer / grower. In case, the State Government does not agree to bear 25% share of premium, farmers / growers will be required to pay 50% of premium, if interested in insurance Scheme.

I.4.10.7 Besides the above, AIC has developed various crop insurance products for risk mitigation of various crops viz. Rainfall Insurance Scheme-Coffee (RISC) in collaboration with Coffee Board, Rubber Plantation Insurance, Bio-Fuel Plants Insurance, Grapes Insurance, Mango Weather Insurance, Potato Contract Farming Insurance, Pulpwood Tree Insurance, Rabi Weather Insurance, and VarshaBima / Rainfall Insurance.

Table I.75
COCONUT PALM INSURANCE SCHEME (CPIS)

(In ₹ lakh)

S.No.	Season	No. of Farmers Insured	Sum Insured	Premium	Claims Reported
1	2009-10	45	112.32	0.66	0.00
2	2010-11	35019	19904.24	106.08	30.26
3	2011-12	8454	5510.95	29.77	92.47
4	2012-13	12279	7843.90	40.57	77.27 *
5	2013-14	13970	8694.60	70.87	106.35 *
6	2014-15	2845	2500.56	17.60	30.75
7	2015-16	361	740.456	11.25	0.98

* *(Updated figures)*

I.4.11 Micro Insurance:

I.4.11.1 In order to facilitate penetration of insurance to the lower income segments of population, IRDA had formulated the micro insurance regulations. Micro Insurance Regulations, 2005 provide a platform to distribute insurance products, which are affordable to the rural and urban poor and to enable micro insurance to be an integral part of the country's wider insurance system.

I.4.11.2 The main thrust of micro insurance regulations is protection of low income people with affordable insurance products to help cope with and recover from common risks with standardized popular insurance products adhering to certain levels of cover, premium and benefit standards. These regulations allow Non Government Organizations (NGOs) and Self Help Groups (SHGs) to act as agents to insurance companies in marketing the micro insurance products and also allow both life and non-life insurers to promote combi-micro insurance products (combination of different lines of business).

I.4.11.3 The Authority undertook the review of the Micro Insurance Regulations, 2005 comprehensively. In this connection, the Authority has notified the Amended Regulations on 13th March 2015 wherein it has permitted several more entities like District Co-operative Banks, Regional Rural Banks including Business Correspondents of Scheduled Commercial Banks to be appointed as Micro Insurance agents facilitating better penetration of Micro Insurance business.

Life Insurance Sector

I.4.11.4 While the individual new business premium under the micro insurance segment for the year 2015-16 stood at ₹35.94 Crore under 9.15 lakh new policies, the group business premium amounted to ₹ 302.43 crore covering 2.93 crore lives.

LIC contributed to a significant component of the business procured in this portfolio by garnering ₹19.54 crores of individual new business premium under 4.5 lakh policies and ₹ 254.26 crore of group premium covering 2.26 Crore lives.

I.4.11.5 The number of micro insurance agents at the end of March 2016stood at 27041; of which 18574 agents pertained to the LIC and the remaining represented the private sector life insurers. 27 micro insurance products of 13 life insurers were available as at 31.3.2016. Of these 27products, 20 were

Individual products and the remaining 7were Group products.

Non-life sector

I.4.11.6 The Authority has reviewed the Micro Insurance Regulations,2005 comprehensively and notified IRDAI(Micro Insurance) Regulations, 2015. Micro Insurance is the insurance provided through the Micro Insurance Products which includes "general micro-insurance product". General Micro Insurance Products cover health insurance contract, any contract covering the belongings, such as, hut, livestock or tools or instruments or any personal accident contract, either on individual or group basis with a Maximum Amount of Cover as Rupees one lakh and minimum and maximum term cover of one year.

I.4.11.7 The Authority in order to propagate micro insurance in various segments has permitted more entities or individuals to be appointed as Micro Insurance Agents which include Non-Government Organisations (NGO), Self-Help Groups (SHG), Micro-Finance Institution(MFI), RBI regulated NBFC-MFIs, District Cooperative Banks, Regional Rural Banks, Urban Co-operative banks, Business correspondents, Primary Agricultural Cooperative Societies and Other Cooperative Societies.

I.4.11.8 There are around fifty two products offered by all registered non-life insurance companies targeting low income segment of the population e.g., Cattle Micro Insurance, Kisan Agriculture Pumpset Micro Insurance Policy, Janata Personal Accident Sukshma Bima Policy, Silkworm Sukshma Bima Policy, Sheep & Goat Micro Insurance Policy, Sampoorna Griha Suraksha Policy etc. Further, General Insurance Policies issued to Micro, Small and Medium Enterprises as classified in MSMED Act, 2006 under various lines of General Insurance business will also be qualified as general micro insurance business upto Rs.10,000 premium p.a. per MSM enterprise.

I.4.11.9 Micro Insurance being a low price-high volume business, its success and sustainability depends mainly on keeping the transactions costs down. Section 32B and 32C of the Insurance Act, 1938 and IRDAI(Obligations of insurers to rural and social sectors)2015, stipulate obligations to insurers in respect of rural and social sector, which have also contributed a lot in development and promotion of micro insurance products by insurers in India.

TABLE 1.76

NEW BUSINESS UNDER MICRO-INSURANCE PORTFOLIO FOR 2015-16

(Premium in ₹ lakh)

Insurer	Individual		Group		
	Policies	Premium	Schemes	Premium	Lives covered
Private Total	458655	1217.95	153	4816.67	6650805
LIC	452291	1953.78	4844	25426.39	22603919
Industry Total	**910946**	**3171.73**	**4997**	**30243.06**	**29254724**

Note: *New business premium includes first year premium and single premium.*

TABLE I.77
MICRO-INSURANCE AGENTS OF LIFE INSURERS - 2015-16

Insurer	As on 1st April, 2015	Additions	Deletions	As on 31st March, 2016
Private Total	3382	6392	1307	8,467
LIC	19379	997	1802	18,574
Industry Total	**22761**	**7389**	**3109**	**27,041**

TABLE I.78
INDIVIDUAL DEATH CLAIMS UNDER MICRO- INSURANCE PORTFOLIO-- 2015-16

(Benefit Amount in ₹ Lakhs)

Life Insurer	Total Claims		Claims paid		Claims repudiated / rejected		Claims pending at end of year	
	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount
Private Total	4490	607.82	4427 98.60%	483.33 79.52%	63 1.40%	124.60 20.50%	0	0.12 -0.02%
LIC	9749	1584.27	9632 98.80%	1563.55 98.69%	102 1.05%	15.77 1.00%	15 0.15%	4.95 0.31%
Industry Total	**14239**	**2192.09**	**14059 98.74%**	**2046.88 93.38%**	**165 1.16%**	**140.37 6.40%**	**15 0.11%**	**4.83 0.22%**

Note: *The percentages indicate the share of the respective claims to the total claims*

TABLE I.79
GROUP DEATH CLAIMS UNDER MICRO-INSURANCE PORTFOLIO -- 2015-16

(Benefit Amount in ₹ lakh)

Life Insurer	Total Claims		Claims paid		Claims repudiated / rejected		Claims written back		Claims pending at end of year	
	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount
Private Total	14479	3305.00	14429 99.65%	3290.91 99.57%	43 0.30%	11.69 0.35%	0	0.00	7 0.05%	2.40 0.07%
LIC	117854	38123.00	117827 99.98%	38111.30 99.97%	26 0.02%	11.40 0.03%	0	0.00	1 0.00%	0.30 0.00%
Industry Total	**132333**	**41428.00**	**132256 99.94%**	**41402.21 99.94%**	**69 0.05%**	**23.09 0.06%**	**0**	**0.00**	**8 0.01%**	**2.70 0.01%**

Note: *The percentages indicate the share of the respective claims to the total claims*

TABLE I.80
DURATION-WISE DEATH CLAIMS SETTLED IN MICRO-INSURANCE INDIVIDUAL CATEGORY -- 2015-16

(No. of Policies)

Life Insurer	Duration since intimation					
	Within 30 Days	31 to 90 Days	91 to 180 Days	181 Days to 1 Year	More than 1 Year	Total Claims Settled
Private Total	4155 93.86%	237 5.35%	35 0.79%	0 0.00%	0 0.00%	4427 100.00%
LIC	7127 73.99%	2505 26.01%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	9632 100.00%
Industry Total	**11282** **80.25%**	**2742** **19.50%**	**35** **0.25%**	**0** **0.00%**	**0** **0.00%**	**14059** **100.00%**

Note: *The percentages indicate the share of the respective claims to the total claims*

TABLE I.81
DURATION-WISE DEATH CLAIMS SETTLED IN MICRO-INSURANCE GROUP CATEGORY - 2015-16

(No. of Lives)

Life Insurer	Duration					
	Within 30 Days of Intimation	31 to 90 Days	91 to 180 Days	181 Days to 1 Year	More than 1 Year	Total Claims Settled
Private Total	12871 90.28%	1203 8.44%	112 0.79%	68 0.48%	3 0.02%	14257 100.00%
LIC	117818 99.99%	9 0.01%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	117827 100.00%
Industry Total	**130689** **98.94%**	**1212** **0.92%**	**112** **0.08%**	**68** **0.05%**	**3** **0.00%**	**132084** **100.00%**

Note: *The percentages indicate the share of the respective claims to the total claims*

I.4.12 DIRECTIONS, ORDERS AND REGULATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY

I.4.12.1 The Authority issued a number of circulars, directions and orders during 2014-15. The list of all such circulars, directions and orders which were issued during the period 1st April, 2015 to 31st March, 2016 are placed at Annexure No. 8. In addition, the details of all regulations notified by the Authority till 31st March, 2016 are placed at Annexure No. 9.

I.4.13 Right to Information (RTI) Act, 2005

I.4.13.1 During the year 2015-16, the Authority designated the officers shown in Table 1.69 below, continued as the Central Public Information Officer (CPIO) in terms of Section 5(1) of the RTI Act, 2005.

During the same period, Ms. Manju Arora, Sr. Assistant Director designated as Central Assistant Public Information Officer for its Delhi Office and Shri Vikas Rane, Junior Officer, designated as

Central Assistant Public Information Officer for its Mumbai Office in terms of Section 5(2) of the RTI Act, 2005 to discharge the functions assigned in terms of the said section of the RTI Act 2005.

Further, during the same period, Shri H Ananthakrishnan, Joint Director (Legal), Shri G. Mallikarjun, Officer on Special Duty (Legal Policy) and Shri A. Ramana Rao, Joint Director were designated as First Appellate Authorities in terms of Section 19(1) of the RTI Act, 2005 to discharge the functions assigned in terms of the said Section of the RTI Act, 2005.

TABLE I.82
LIST OF CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICERS

Sl. No.	Department	Name of the CPIO
1	Actuarial	Mr. DNKLNK Chakravarthy
		Mr. NSK Prabhakar
2	Life	Mr. Chandrasekhar V
3	Non-life	Mr. Venkata Raju K
4	Health including TPAs	Mr. MD. Ayaz
5	Consumer Affairs	Mr. R Pardhasaradhi
6	Admin/HR/Internal Accounts/Residual Matters	Mr. Someswara Rao Busi
7	Intermediaries	Mr. P Himakiran
		Mr. B. S. Venkatesh
8	Agency Distribution	Mr. Rajeshwar Gangula
		Ms. P. Kanthisree
9	F & A (Life and Non-life)	Mr. Ammu Venkata Ramana
		Ms. Jamuna Choudhary
		Mr. G. Sivaramakrishna
10	Internal Audit & Enforcement	Mr. Biswajit Samaddar
11	Investments	Mr. Biswajit Das
		Mr. Prassad Rao K
12	Surveyors	Mrs. Nimisha Srivastava
13	Delhi Office- Liaison work	Mrs. Manju Arora
14	Inspection	Mr. G. Sivaramakirshna
		Mr. G. Rambabu
15	IT/Legal/SDD	Ms. A. Sageena
		Mr. Devendra Kumar
		Mr. Aleem Afaque
16	Vigilance	Mr. Mahesh Agarwal
		Ms. Neetu Shahdadpuri
17	Communications & Media	Ms. Jyoti Bhagat

PART- II
REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS

II.1 Regulation of Insurance and Reinsurance Companies

During the year under review, the Authority has brought out significant changes in the regulatory stipulations for the purpose of orderly growth of the insurance sector. The important regulatory changes include:

IRDAI (Fee for granting written acknowledgement of the receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015

II.1.1 The amendment to Section 38(7) of the Insurance Act required the fee which should be paid for grant of a written acknowledgement of the receipt of assignment/transfer notice be specified by the Regulations. The Authority has therefore notified IRDAI (Fee for granting written acknowledgement of the receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015 on 29th April, 2015 specifying the following:

i. Fee for granting a written acknowledgement of the receipt of notice of assignment or transfer shall not exceed ₹ 50 (Rupees fifty only) in respect of policies that are issued in electronic form and shall not exceed ₹ 100 (Rupees Hundred Only) in respect of policies issued other than electronic form. Insurers need to collect the fee on the basis of actual costs incurred while rendering the service of granting the acknowledgement and shall not load any additional costs.

ii. It is also clarified that no other fee shall be collected in connection with the assignment or transfer.

IRDAI (Fee for Registering Cancellation or Change of Nomination by the Holder of a Policy of Life Insurance) Regulations, 2015

II.1.2 The amendment to Section 39(3) of the Insurance Act, 1938 required the fee that may be charged by the Insurer for registering cancellation or change of nomination, be specified by the Regulations. The Authority has therefore notified IRDAI (Fee for Registering Cancellation or Change of Nomination by the Holder of a Policy of Life Insurance) Regulations, 2015 on 29th April, 2015 specifying the following:

i. Fee for registering the cancellation or change of the nomination shall not exceed ₹ 50 (Rupees fifty only) in respect of policies that are issued in electronic form and shall not exceed ₹ 100 (Rupees Hundred Only) in respect of policies issued other than those issued in electronic form.

ii. No fee shall be collected for registering a nomination either at the time of effecting a policy of life insurance or at any time thereafter or towards any other services connected to the nomination. Insurers to collect the fee on the basis of actual costs and shall not load any additional costs.

iii. Furnish a written acknowledgement, to the insured, of having registered a nomination or a cancellation or change thereof.

iv. The nomination effected by a policyholder at the inception of the policy through the proposal form and recorded by the Insurer in the schedule of a policy document shall be considered as a valid acknowledgement by the Insurer.

IRDAI (Places of Business) Regulations, 2015

II.1.3 In view of the amendments made to Section 64 VC of the Insurance Act, 1938, the Authority has reviewed the existing Places of Business Regulations 2013 (applicable for offices within India) and the two Guidelines dated 21/01/2009 and 23/05/2013 which dealt with opening of representative/liaison offices overseas and for opening of foreign insurance company (including branch office) outside India by Indian Insurance Co respectively. The relevant provisions of both Places of Business Regulations 2013 and these two Guidelines are suitably adapted to notify the Regulations 2015 as per the powers vested under Section 64 VC of the Insurance Act. In 2015 Regulations (notified on 21st July, 2015), the Authority specified the norms for Opening Places of Business within India and for Places of Business outside India. Some of the key features are –

i. For Places of Business within India, it is specified, inter alia, that all the Insurers shall have in place the Board approved Annual Business Plan for every Financial Year, in addition to the business plans of the Insurer, and shall contain the total number of new places of business proposed to be opened with in India not only in the urban centres but also in semi-urban and rural centres. The Regulations also specified that all places of business opened shall at minimum offer policyholders' services such as collection of premium, proposal deposits or attending policy service requests.

ii. For Closure or Relocation of Places of Business within India, it is specified, inter-alia, that a minimum of two months advance notice on all the proposed relocations or closures, shall be given to the policyholders serviced by that place of business along with the information on alternative arrangements made to provide services to them.

iii. Specified norms for opening a Liaison Office (LO) or a Representative Office (RO), activities allowed by a RO or a LO and other related provisions.

iv. Specified norms for opening a Foreign Branch Office, eligibility criteria, terms and conditions governing the approval of the foreign Branch Office and operational requirements for foreign branch office

IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social sectors) Regulations, 2015

II.1.4 After substitution of the word 'OR' with 'AND' between the words "rural" and "social sector" in the amendment to Section 32 B of the Insurance Act, 1938, the new provisions of the Section now read as "Every insurer shall, after the commencement of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, undertake such percentages of life insurance business and general insurance business in the rural and social sector as may be specified, in the official gazette by the Authority, in this behalf". To give effect to the new provisions of Section 32 B of the Insurance Act, the Authority has reviewed the existing Rural or Social Sector Regulations 2002 and notified IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations 2015 on August 28, 2015. The salient features of these Regulations are:

i. The Obligations specified in the 2015 Regulations are applicable from financial year (FY) 2016-17.

ii. Enhanced the definition of Unorganized Sector by adding the categories such as daily wager, hired drivers and coolie.

iii. Removed the provisions which prescribed separate obligations for existing insurers as on the date of the commencement of the IRDA Act, 1999 and prescribed uniform criteria of percentages to all the Insurers with only the criteria as "Age of the Insurer".

iv. Prescribed separate percentages of rural and social obligations for health insurers as the health insurance is now a separate class of business as per the Insurance Law Amendment Act, 2015.

v. Prescribed percentage (%) of lives on total business of previous FY for Social Sector obligations in place of the existing provision of absolute number of lives

vi. Government Sponsored Social Security schemes where entire premium is borne by the Government are not to be considered for both rural and social sector obligations and this provision is applicable for the obligations from FY 2017-18.

vii. No obligations are prescribed for Agricultural Insurance Company of India Ltd. and Export Credit Guarantee Corporation of India owing to the nature of their business.

viii. All Micro Insurance policies are eligible for social sector obligations and if the same are issued in rural area then they are eligible for both rural and social sector obligations.

ix. Insurer shall put in place effective operational procedures for accurate classification of the business obligations into the Rural and Social sectors as per these Regulations.

x. An annual certificate needs to be filed by the CEO or the Principal Officer within 90 days from the end of FY submitting the actual business details for fulfillment of these obligations.

xi. Re-insurance premium shall not be included while calculating the obligations of the insurers in respect of the Rural and Social Sectors.

IRDAI (Obligations of Insurers in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015

II.1.5 In order to comply with Sec 32D of Insurance Laws (Amendment) Act 2015, the Authority, in consultation with Insurance Advisory Committee, issued IRDAI (Obligations of Insurers in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015 on 2nd June 2015 stating the methodology for the minimum obligation of Insurers transacting motor insurance business.

IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

II.1.6 Consequent to the amendment to the Insurance Act 1938, the Corporate Agents have been defined as Intermediary and Insurance Intermediary as per Sec 2(1)(f) of the IRDA Act, 1999. This necessitated for issuance of new set of regulations for this segment. In this direction the Authority has issued two exposure drafts under proposed regulations for Corporate Agents for the comments of the stakeholders. The draft has been discussed in the Insurance Advisory Committee as well as the Authoirty's meeting. This has been approved by the Authority and the IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 has been notified vide F. No. IRDAI/Reg/12/102/2015 dt 20th August, 2015, which shall come into force with effect from 01.04.2016.

Some of the salient features of this Regulation are as under:

(a) A Corporate Agent (Life) may have arrangements with a maximum of three life insurers to solicit, procure and service their insurance products

(b) A Corporate Agent (General) may have arrangements with a maximum of three general insurers to solicit, procure and service their insurance products. Further, the Corporate Agent (General) shall solicit, procure and service retail lines of general insurance products and commercial lines of such insurers having a total sum insured not exceeding rupees five crores per risk for all insurances combined.

(c) A Corporate Agent (Health) may have arrangements with a maximum of three health insurers to solicit, procure and service their insurance products.

(d) In the case of Corporate Agent (Composite) the conditions as specified in clauses (a) to (c) shall apply.

(e) Any change in the arrangement with the insurance companies shall be done only with the prior approval of the Authority and with suitable arrangements for servicing existing policyholders.

(f) An applicant exclusively doing insurance distribution shall have a minimum equity share capital or contribution and net worth of rupees fifty lakh. They shall maintain the net worth at all times.

(g) A registration once issued shall be valid for a period of three years from the date of its issue, unless the same is suspended or cancelled pursuant to these regulations.

(h) Every corporate agent shall file, at the time of seeking registration, with the Authority, a Board or its equivalent Approved Policy on the manner of soliciting and servicing insurance products. The Policy shall address the manner of adopting the philosophy of open architecture and going forward in implementing the same. The Policy, amongst others, shall include the approach to be followed by the corporate agent in having single or multiple tie-ups, the partners in the tie-ups, the business mix, the type of products sold, grievance redressal mechanism and reporting requirements.

(i) The corporate agent shall disclose to the Authority the details of its offices in which they propose to distribute insurance products and details of Specified Persons along with their certificate number issued by the Authority. Further, any opening or closure of an office by a corporate agent shall be informed to the Authority.

Guidelines on Investment in Exchange Traded Funds with G-Sec Underlying (GILT-ETF)

II.1.7 Insurers are permitted to invest in GILT-ETF as a part of “Approved Investments” in line with investments in Mutual Funds. GILT ETFs shall be investing in a basket of Government Securities actively traded in the market or constituents’ of a publicly available index. The minimum investment by the Insurer shall not be less than Creation Unit size and shall not be reduced at any time below Creation Unit Size and value of Creation Unit Size, at the time of investment, shall not be more than ₹50 lakhs. The Overall Expense Ratio shall be less than 0.50% of the daily net assets of the scheme.

II.2 Individual Agents associated with the Insurance Business

II.2.1 The year 2015-16 witnessed a decline of 2.48 percent in the number of individual agents. The number had declined from 20.68 lakhs as on 31st March, 2015 to 20.17 lakhs as on 31st March, 2016. While the private life insurers recorded a growth of 5.61 per cent, LIC recorded a decline of 8.77 per cent. LIC had a higher number of individual agents than all private life insurers put together. At the end of the year 2015-16, while the number of agents with LIC stood at 10.62 lakhs, the corresponding number for private sector insurers was 9.55 lakhs.

II.2.2 During the year 2015-16, the total number of agents appointed was 6.66 lakhs and the number of agents terminated was 7.17 lakhs. While private insurers appointed 3.46 lakh agents, 2.95 lakh agents were terminated. On the other hand, in case of LIC, 4.21 lakh agents were terminated while it appointed 3.19 lakh agents.

TABLE II.1
DETAILS OF INDIVIDUAL AGENTS OF LIFE INSURERS -- 2015-16

Insurer	As on 1st April, 2015	Additions	Deletions	As on 31st March, 2016
Private Total	904303	345855	295153	955005
LIC	1163604	319428	421472	1061560
Industry Total	**2067907**	**665283**	**716625**	**2016565**

Intermediaries associated with the Insurance Business

Corporate Agents

II.2.3 As on 31st March 2016, there were 416 corporate agents. While 70 new agents were added during 2015-16, licences of 157 corporate agents were cancelled. LIC had terminated 35 corporate agents and issued 12 new licences. The private insurers had terminated 122 corporate agents while adding 58 new corporate agents.

TABLE II.2
DETAILS OF CORPORATE AGENTS OF LIFE INSURERS -- 2015-16

Insurer	As on 1st April, 2015	Additions	Deletions	As on 31st March, 2016
Private Total	361	58	122	297
LIC	142	12	35	119
Industry Total	**503**	**70**	**157**	**416**

Channel-wise New Business performance

II.2.4 Individual New Business-Life

The contribution of individual agents to the individual NB premium has declined to 68.27% during the year 2015-16 compared to 71.42% in 2014-15.

LIC had procured 96.50% of its individual NB premium through individual agents while the share of individual agents was 31.90% for the private sector.

II.2.5 The share of corporate agents, which was at 22.32 percent during 2014-15, had increased to 25.21 per cent in the year 2015-16. The share of corporate agents in the new business premium procured by the private life insurers was significant at 54.71 per cent in 2015-16 (50.72 per cent in 2014-15). On the other hand, as LIC had 96.50 per cent of the new business premium from individual agents, the contribution of corporate agents for LIC was 2.32 per cent.

Between bank and other corporate agency channels, the share of Banks in total new business had gone up from 20.84 per cent in 2014-15 to 23.82 per cent in 2015-16.

TABLE II.3
INDIVIDUAL NEW BUSINESS PERFORMANCE OF LIFE INSURERS FOR 2015-16 --- CHANNEL WISE

(Figures in percent of Premium)

Life Insurer	Individual Agents	Corporate Agents		Brokers	Direct Selling	MI Agents	Common Service Centres (CSCs)	Web Aggreg-ators	IMF	Online	Total Individual New Business	Referrals
		Banks	Others*									
Private Total	31.90	51.70	3.00	3.64	8.65	0.01	0.004	0.00	0.00	1.10	100.00	0.06
LIC#	96.50	2.18	0.14	0.02	1.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.07	100.00	0.00
Industry Total	**68.27**	**23.82**	**1.39**	**1.60**	**4.36**	**0.04**	**0.002**	**0.00**	**0.00**	**0.52**	**100.00**	**0.03**

**Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.*
 # Does not include its overseas new business premium.
***Note:** 1) New business premium includes first year premium and single premium.*
2) The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.

Direct sales share registered 4.36 percent of Individual New Business in 2015-16 while Online Sales channel registered a share of 0.52% in the year 2015-16. Earlier, this was included in the Direct Sales channel. While private insurers procured 8.65 per cent of their new business through direct sales, LIC procured 1.03 per cent of their new business through this channel. Private Insurers procured 1.1% of their new business premium through Online Sales while LIC procured 0.07% through the same.

The contribution of Brokers channel, MI Agents channel and Common Service Centres (CSCs) channel are 1.60%, 0.04% and 0.002% respectively to the industry NB premium under individual business.

Group New Business

II.2.6 Direct selling continues to be the dominant channel of distribution for group business, with a share of 95.03 per cent of premium during 2015-16.

TABLE II.4
GROUP NEW BUSINESS PERFORMANCE OF LIFE INSURERS FOR 2015-16 - CHANNEL WISE

(Figures in percent of Premium)

Life Insurer	Individual Agents	Corporate Agents		Brokers	Direct Selling	MI Agents	Common Service Centres (CSCs)	Web Aggreg-ators	IMF	Online	Total Group New Business	Referrals
		Banks	Others*									
Private Total	0.77	8.79	4.71	3.17	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
LIC#	1.91	0.00	0.07	0.02	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Industry Total	**1.69**	**1.69**	**0.96**	**0.63**	**95.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**

**Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.*
 # Does not include its overseas new business premium.
***Note:** 1) New business premium includes first year premium and single premium.*
2) The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.

TABLE II.5
NEW BUSINESS PREMIUM (INDIVIDUAL AND GROUP) OF LIFE INSURERS FOR 2015-16 -- CHANNEL-WISE

(Figures in percent of Premium)

Life Insurer	Individual Agents	Corporate Agents		Brokers	Direct Selling	MI Agents	Common Service Centres (CSCs)	Web Aggreg-ators	IMF	Online	Total Group New Business	Referrals
		Banks	Others*									
Private Total	20.13%	35.48%	3.65%	3.47%	36.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	100.00%	0.04%
LIC#	33.68%	0.73%	0.09%	0.02%	65.43%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	100.00%	0.00%
Industry Total	**29.68%**	**10.99%**	**1.14%**	**1.04%**	**56.92%**	**0.02%**	**0.0007%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.22%**	**100.00%**	**0.01%**

**Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.*
 # Does not include its overseas new business premium.
Note: *1) New business premium includes first year premium and single premium.*
2) The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.

The corresponding share in the previous year was 93.05 per cent. This channel had contributed 82.56% and 98.00% of the group NB premium of the private and public sectors respectively.

Another important distribution channel for Group business of the private insurers was Banks. During the year 2015-16, Banks contributed 8.79 per cent of the total group business in case of the private insurers. This figure stood at 10.36 per cent in the previous year.

LIC had procured 1.91 per cent of the group business through its traditional individual agency force while private insurers procured 0.77 per cent through this channel.

The contribution of Brokers channel was 0.63% to the industry NB premium under group business.

Total of Individual and Group Business

II.2.7 At the aggregate level (individual and group business together), 'Direct Selling' had contributed 56.92 per cent of the total new business compared to 49.67 percent in 2014-15. The share of individual agents to the aggregate premium had decreased to 29.68 percent from 36.44 percent of 2014-15.

The contributions made by Banks and Corporate Agents other than Banks were 10.99 percent and 1.14 percent respectively. The contribution of Brokers was 1.04%. Online sales channel had contributed 0.22% of new business premium. The contribution of MI Agents and Common Service Centers (CSCs) was at 0.02% and zero percent respectively

CHART II.1: INDIVIDUAL NEW BUSINESS PREMIUM OF LIFE INSURERS - CHANNEL WISE

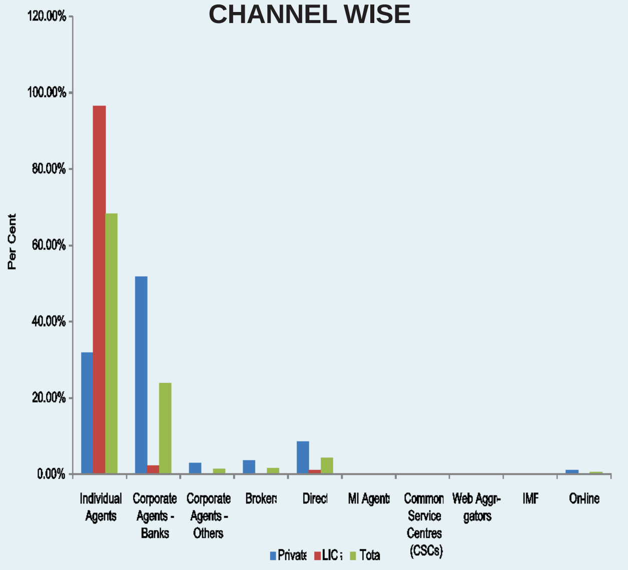

CHART II.2
GROUP NEW BUSINESS PREMIUM
OF LIFE INSURERS - CHANNEL WISE

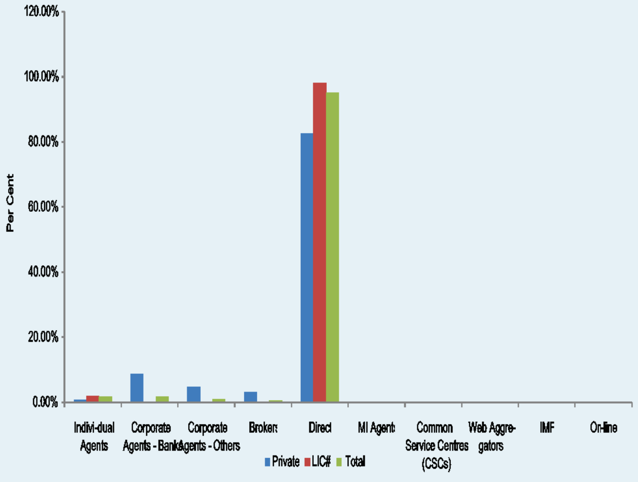

CHART II.3
NEW BUSINESS PREMIUM
(INDIVIDUAL & GROUP) OF LIFE INSURERS

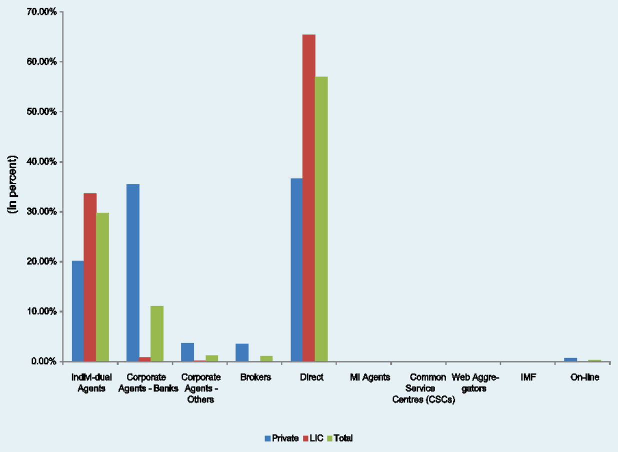

Surveyors and Loss Assessors

II.2.8 As per section 64 UM of Insurance Act, 1938 amended vide the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, academic qualification as specified by the Authority and membership of Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) are statutory requirements for a person to act as a surveyor and loss assessor. IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015 specifies qualification criteria in Schedule I, Annexure – 1.

Further, sub-section 4 of section 64 UM of the Act states that “No claim in respect of a loss which has occurred in India and requiring to be paid or settled in India equal to or exceeding an amount specified in the regulations by the Authority in value on any policy of general insurance, arising or intimated to an insurer, be admitted for payment or settled unless a report is obtained on the loss occurred, from any person who holds a license issued under this section to act as Surveyor or Loss assessor (also referred to as **“Approved surveyor or loss assessor”).**

Regulation 12 of IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015 stipulates the limit on survey in as under:

Regulation 12(2) – Surveyors and Loss Assessors shall be appointed either by insurers or insured to assess loss under a policy of insurance in respect of

(a) Motor insurance – above Rupees fifty thousand

(b) Other than motor insurance – above Rupees one lakh

Regulation 12(3) -- The above mentioned limit shall be reviewed every three years by the Authority.

II.2.9 Being an insurance intermediary, surveyors have to obtain registration under section 42D of the Insurance Act, 1938 and the license has to be renewed every three years. The following are the details of trainee enrollments, grant of fresh and renewal license to individual and corporate surveyors and loss assessors during the period April, 2015 to March, 2016.

Table II.6
LICENCES ISSUED TO SURVEYORS AND LOSS ASSESSORS

	2014-15	2015-16
Fresh licenses		
Individual	182	260
Corporate	5	8
Sub total	**187**	**268**
Renewals		
Individual	2137	1537
Corporate	20	24
Sub-total	**2157**	**1561**
Trainee Enrolments	**753**	**947**

Grievances - Surveyors and Loss Assessors

II.2.10 Surveyor Licensing Department of the Authority receives grievances from surveyors regarding empanelment for survey jobs, nonpayment of survey fee by insurance companies, denial of membership by IIISLA etc. Such complaints are forwarded to respective insurance companies and IIISLA for resolution at their end. Policyholders also complain against surveyors/surveyors firms on non receipt of copy of survey report, delay in issuance of survey report, misconduct, violation of IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations 2015 etc, such complaints are taken up with surveyors for speedy disposal of the issues. Apart from above, various RTI's and Ministry grievances are also received by the department against surveyors and corporate surveyor firms.

II.2.11 During the year 2015-16, the authority received 97 complaints,108 have been addressed and 1 was outstanding as on 31st March, 2016.

Insurance Brokers

II.2.12 The Authority allowed Insurance Brokers to operate in the Indian market from 2003 and the first Broking license was issued on 30th January, 2003 pursuant to the provisions of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002. These regulations were superseded by IRDA(Insurance Brokers) Regulations, 2013 in the year 2013-14. The Regulations stipulated a capital requirement of ₹50 lakh for Direct insurance brokers, ₹200 lakh for reinsurance brokers and ₹250 lakh for composite insurance brokers. The regulation prescribes a limit of 26% on foreign equity participation in insurance broking. However, this limit has been raised to 49% by the Government of India which has been notified vide Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015. The Insurance Broking is steadily popularizing and the number of registrations increased to 457 since 2003 (as on 31.03.2016).

II.2.13 Out of the total number of registered brokers of 457, the valid brokers stands at 368 and 89 are not in force as on 31.03.2016. The 368 valid brokers, which comprises of 315 direct brokers, 47 composite brokers and 6 reinsurance brokers. The Authority has issued 38 new licenses during the period, 1st April, 2015 to 31st March, 2016, out of which 36 licenses are in Direct Insurance Broker Category and 2 are in Composite Insurance Broker Category. One existing license has been upgraded from direct insurance broker to composite insurance broker and one existing license has been upgraded from Direct (General) to Direct (Life & General). Further, the license of 1 direct insurance broker and 1

TABLE II.7
GRIEVANCE RELATING TO SURVEYORS AND LOSS ASSESSORS

For the period	Outstanding at the beginning of period	Received	Addressed	Outstanding at the end of the period
April 2014 – March 2015	27	46	61	12
April 2015-- March 2016	12	97	108	1

reinsurance broker has been merged as per their own request and converted into a Composite Insurance Broker.

II.2.14 During the period under report, the Authority has renewed 124 insurance broker licenses. As per the revised regulations, an insurance broker may apply for renewal 90 days in advance prior to the expiry of their license. The Authority has been taking steps to improve the quality of compliance levels of the insurance brokers. Some of them include conduct of workshops, regular interaction with Insurance Brokers Association of India, etc.

As an preclude for moving towards paperless environment, the Department implemented the Business Analytical Project (BAP) in the Department w.e.f. 1st January, 2016 for the new licenses and for renewal applications, the same has been made effective from 1st April, 2016.

The following table shows the statistics of Insurance Broking industry in India as on 31-03-2016:

TABLE II.8
STATISTICS OF INSURANCE BROKERS

Total Share Capital	₹ 464.59 Cr.
Total Networth	₹ 2022.38 Cr.
Total FDI	₹ 14.75 Cr.

TABLE II.9
OFFICES OF INSURANCE BROKERS STATE WISE AS ON 31-03-2016

Sl. No.	Name of States of India	No. of Branches
1	Maharashtra	281
2	National Capital Territory of Delhi	148
3	Tamil Nadu	138
4	Gujarat	117
5	Uttar Pradesh	107
6	West Bengal	103
7	Karnataka	101
8	Telangana	72
9	Kerala	60
10	Andhra Pradesh	55
11	Rajasthan	50
12	Haryana	39
13	Punjab	36
14	Madhya Pradesh	33
15	Bihar	30
16	Assam	26
17	Jharkhand	25
18	Odisha(Orissa)	23
19	Chhattisgarh	22
20	Chandigarh	17
21	Himachal Pradesh	12
22	Uttarakhand	9
23	Jammu and Kashmir	7
24	Goa	5
25	Tripura	2
26	Meghalaya	1
27	Mizoram	1
28	Sikkim	1
29	Andaman and Nicobar Islands	1
30	Puducherry (Pondicherry)	1
	Total	**1523**

Web Aggregators

II.2.15 The Authority took the initiative to develop a system, known as Web Aggregator, for comparing and distribution of Insurance Policies online. This initiative was taken for the benefit of prospective buyers' of the Insurance Policy keeping in mind developing trends in e-commerce. The Authority initially issued guidelines in November, 2011 to enable enthusiastic entrepreneurs to leverage technological advancements to apply for license for comparison of insurance products of various insurance companies. Based on the guidelines, the Authority had issued licenses to 6 Web Aggregators.

Subsequently the Authority came out with "IRDA (Web Aggregators) Regulations, 2013 and licensed 5 Web Aggregators under the regulations. At present there are 16 Web Aggregators.

TABLE II.10
WEB AAGREGATORS APPROVED BY THE AUTHORITY (AS AT 31 MARCH, 2016)

S. No	Name of the Web Aggregator
1	Mangotree Solutions Pvt Ltd.
2	Commet Insurance Web Aggregator Pvt Ltd.
3	PolicyX.com Insurance Web Aggregator Pvt LTd
4	OA Insurance Web Aggregators Pvt Ltd.
5	Fingoole Insurance Web Aggregator Pvt Ltd.
6	Easy Policy Insurance Web Aggregator Pvt Ltd.
7	Policy Bazaar Insurance Web aggregator Pvt Ltd
8	My Insurance Club Insurance Web Aggregator Pvt Ltd.
9	Great India Insurance Web Aggregator Pvt Ltd.
10	Mint Wise Insurance Web aggregators Pvt Ltd.
11	Boon Insurance Web Aggregator Pvt Ltd
12	Compare Policy Insurance Web Aggregator Pvt Ltd
13	Buy Smart Policy Insurance Web Aggregator Pvt Ltd
14	MSF Insurance Web Aggregator Pvt Ltd
15	Policy Mantra Insurance web Aggregator Pvt. Ltd.
16	Deztination Insurance Web Aggregator Pvt. Ltd.

Common Service Centre-SPV

II.2.18 Consequent upon promulgation of Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, Common Service Centres are included in the definition of intermediary and insurance intermediary. As a result of the amendments in the Act the existing Guidelines on Common Service Centres were converted into Regulations. The regulations contains the following changes.

1) Definition of CSC product

2) Code of Conduct for CSC-SPV

3) On boarding charges

4) Remuneration

5) Types, Procedure and conditions applicable for Life and General Insurance products

6) Appeal to SAT on the orders of the Authority

7) Minor grammatical changes to bring consistency

The salient features of the proposed Insurance Services by CSC Regulations are as follows:

1. The CSC-SPV shall market insurance products and also offer other insurance related services through the CSC network of those insurance companies who have entered into an agreement with the CSC-SPV.

2. CSC-SPV is the CSC e-Governance Services Limited, Special Purpose Vehicle incorporated to facilitate delivery of government, private and social sector services to citizens of India through CSC network.

3. Minimum eligibility conditions; educational qualifications, and training requirement have been specified for

    a. Principal officer of the CSC-SPV

    b. RAP of the CSC-SPV in the regulations.

4. Fit and Proper criteria has been proposed to assess the suitability of the Principal Office of the CSC-SPV.

5. The procedure of grant of registration, validity and renewal of registration of CSC-SPV has also been specified.

6. Within the CSC framework there are Service partner Agency which includes the State Designated Agency or the Service Centre Agency or any other agency under the CSC Scheme who will train, guide and mentor the VLEs.

7. Rural Authorised Person (RAP) shall be an individual Village Level Entrepreneur (VLE) registered and authorized by the CSC-SPV to operate and manage a Common Service Centre to market Insurance Products and offer insurance related services. He should undergo

20 hour training and pass examination conducted by NIELIT and have a minimum qualification of 10th pass or equivalent.

8. The code of conduct and duties and obligations have been specified for the Principal Officer; RAP, CSC-SPV and Insurers in the regulations. Customer grievance handling procedure has been outlined in the regulations.

9. The remuneration between the CSC-SPV, Service Partner Agency and the RAP have been specified in the ratio of not more than 8%, not more than 12% and not less than 80% respectively of the commission paid. However the insurance related services that will be offered by the RAP has been left to be decided between the CSC-SPV and the insurer.

10. On-boarding charges of ₹ 20 lakhs per insurer, which are paid into an escrow account, have been allowed to be charged by CSC-SPV on the insurers to facilitate biometric and IRIS equipment infrastructure at RAP level which is released at the time of activation.

11. The CSC-SPV shall market exclusive products under this channel which will be pre-fixed with the words "CSC". The maximum sum assured/ insured allowed these policies is ₹2 lakhs excluding the sum insured under motor insurance. Currently non-participating non-linked variable insurance products with regular premium payment and pure term insurance products with regular premium payment of life insurers have been approved by the Authority under the file & use guidelines. Like-wise motor insurance, personal accident insurance, cattle/ livestock insurance, farmer's package policy and fire & allied peril dwellings insurance of general insurance have been approved by the Authority.

12. The procedure for disciplinary proceedings against the CSC-SPV and the RAP has also been specified in the proposed regulations.

13. The regulations also specify reports to be submitted by the insurers and CSC-SPV to the Authority.

14. The statistics regarding the CSC-SPV channel for the period 1.4.2016 till 31.8.2016 is as under:

    a. No. of RAP who have undergone training & passed exam and have been issued certificates – 11,621

    b. Total premium collected (New & renewal) – ₹117.42 crores

    c. Total New Insurance premium – ₹6.62 crores (General) + ₹0.28 crores (Life)

    d. Total Renewal Premium – ₹110.52 crores (Life)

    e. Total no. of customers serviced - 3.78 lakhs

    f. No of insurers with whom agreement signed: General – 16; Health – 3; Life – 18 (14(Renewal) + 4(Fresh & Renewal)

    g. No of policies sold – i) Motor Third Party – 56,484; ii) PA – 4,521; iii) Life Insurance – 2,622; iv) Crop – 1,187; v) others – 223

    h. Added new products such as motor comprehensive, travel insurance, crop insurance and Government Insurance Schemes to the list of approved products.

Point of Sales Person – Non-Life & Health Insurers

II.2.17 The Authority has observed that there are number of persons who are involved in undertaking simple and routine activities pertaining to solicitation and marketing of insurance policies. For e.g. bulk of products in motor insurance, travel insurance, personal accident insurance, etc. require very little underwriting. These happen to be largely pre-underwritten products wherein based on the information provided by the prospect, the insurance policy is automatically generated by the system. The intervention required for such a product is minimal and the training and examination for such persons could be of a lesser degree.

In order to facilitate the growth of insurance business in the country and to enhance insurance penetration and insurance density, the Authority as part of its developmental agenda issued the following guidelines on "Point of Sales Persons".

The salient features of the guidelines are as follows:

1. "Point of Sales Person" who can solicit and market only certain pre-underwritten products approved by the Authority.
2. Every "Point of Sales Person" shall be identified by his Aadhaar Card Number or his PAN Card.
3. The persons soliciting and marketing such pre-underwritten products approved by the Authority shall be called as "Point of Sales Person".
4. The "Point of Sales Person" shall be at least 10th pass.
5. He shall be sponsored to NIELIT, by the insurance company or the insurance intermediary with whom he shall work, for undergoing online training specified for "Point of Sales Person".
6. The fees for the online training and examination shall not exceed ₹500 which will be paid to NIELIT by either the insurance company or the insurance intermediary who is sponsoring the individual.
7. The training module will be hosted on NIELIT website as approved by the Authority.
8. He shall appear in the online examination conducted by NIELIT who shall be the examining body.
9. On successful passing the examination, he will be issued a letter by NIELIT certifying him to be a "Point of Sales Person".
10. A "Point of Sales Person" can represent an insurance company or an insurance intermediary.
11. The "Point of Sales Person" can sell only the following pre-underwritten product.
    a. Motor Comprehensive Insurance Package Policy for Two-wheeler, private car and commercial vehicles.
    b. Third party liability (Act only) Policy for Two-wheeler, private car and commercial vehicles.
    c. Personal Accident Policy
    d. Travel Insurance Policy
    e. Home Insurance Policy
    f. Any other Policy specifically approved by the Authority
12. Every policy sold through the "Point of Sales Person" shall be separately identified and pre-fixed by the name "POS – (name of product)".
13. The insurance company shall file the product with the Authority under the file and use guidelines for information.

14. Every proposal form, in paper or in paperless form, insurance policy and other related documents shall carry provision to record the Aadhaar card number or the PAN card number in order to tag the policy to the "Point of Sales Person" who is selling the said policy.

15. The insurance company shall be responsible to record the Aadhaar card number or the PAN card number of the "Point of Sales Person" in the proposal form and insurance policy. The insurance company shall be responsible for the conduct of the "Point of Sales Person" representing him.

16. For sales affected through the insurance intermediary, the insurance intermediary shall record the Aadhaar card number or the PAN card number of the "Point of Sales Person" in the proposal form and require insurance company to do the same in the insurance policy. The insurance intermediary shall be responsible for the conduct of the "Point of Sales Person" engaged by it and any misconduct on part of the Point of Sales Person shall make it liable to a penalty as per Act.

17. One of the factors that shall be considered while renewing the certificate of registration of the insurance intermediary shall be the conduct of the "Point of Sales Person" on the rolls of insurance intermediary.

18. As on the 31st August, 2016, the details are as under:

a) No. of Candidates registered – 2,536

b) No of candidates who appeared in exam – 1,639

c) No of candidates who passed the exam – 838

d) No of sponsoring agencies – i) Insurers - 8; ii) Insurance Brokers – 25; Corporate Agents – 4

e) No of POS of sponsoring agencies – i) Insurers – 115; ii) Insurance brokers – 670; Corporate agents – 53

f) 192 products of 16 general and health insurers cleared

g) Added new products such as Cattle/ livestock insurance, Agricultural pumpset insurance, Fire & Allied peril dwellings, crop insurance and Government Insurance Schemes to the list of approved products

II.3 PROFESSIONAL INSTITUTES CONNECTED WITH INSURANCE EDUCATION

II.3.1 Indian Insurance sector has seen a rise in demand for insurance education, training and research. As such, the Authority remains in touch with all the Professional Institutes connected with Insurance Education and Other reputed professional institutes and organizations related to insurance education in India and abroad.

II.3.2 The Authority in association with the then Andhra Pradesh government, established a professional institute viz., Institute of Insurance and Risk Management (IIRM) in the year 2002 for training and imparting professional courses in insurance and related subjects. The Authority continues to support the institute in its endeavors.

II.3.3 The Insurance Institute of India (III) is both the Training body and Examination body for Web Aggregators, Corporate Agents and Insurance Marketing Firms. It is also the training body for Brokers and examination body for Agents pre-recruitment examinations. The Institute has also been preparing course content for various surveyor examinations and is also conducting the surveyors examinations. The institute has also come up with

TABLE II.11
DETAILS OF CASES FILED FOR THE PERIOD 2015-16

Sl. No	Particulars cases filed	Non Life	HR	Health	CAD	Life	Brokers	Total
1.	Supreme Court	1	0	0	0	0	0	1
2.	Writ Petitions filed in various High Courts	23	6	5	0	2	2	38
3.	Securities Appellate Tribunal	0	0	0	0	0	5	5
4.	Writ Appeals ,LPAs filed in various High Courts	0	0	0	0	0	0	0
5.	Review/Restoration Petitions filed in various High Courts	0	0	0	0	0	0	0
6.	Contempt Petitions filed in High Courts	1	0	0	0	0	0	1
7.	Consumer Cases (DCF+SCDRC)	0	0	0	46	0	0	46
8.	Civil & Lok Adalat cases	0	0	0	20	0	0	20
9.	MACT cases	0	0	0	1	0	0	1
10.	PILs	0	0	0	0	0	0	0
11.	Criminal Petitions	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**25**	**6**	**5**	**67**	**2**	**7**	**112**

TABLE II.12
DETAILS OF CASES DISPOSED/DISMISSED FOR THE PERIOD 2015-16

Sl. No.	Particulars	Non Life		HR		Health		CAD		Life		Brokers		Total	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1.	Supreme Court	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Writ Petitions disposed in various High Courts	0	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8
3.	Securities Appellate Tribunal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
4.	Writ Appeals ,LPAs disposed in various High Courts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Review/Restoration Petitions disposed in various High Courts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Contempt Petitions disposed in High Courts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Consumer Cases	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
8.	Civil & Lok Adalat cases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MACT cases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PILs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Criminal Petitions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**7**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**15**

A - with directions to IRDA* * B - without directions to IRDAI*

the course for village level entrepreneurs under Common Service Centre guidelines.

II.3.4 Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA), an institute promoted and established by the Authority and incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956. Membership of the institute is mandatory for grant of surveyor licence. The institute works as self-regulatory body.

II.3.5 The Authority also has statutory representation in the council of the Institute of Actuaries of India (IAI), a statutory and professional body for regulation of profession of Actuaries in India. Its objective among other things also includes regulating the practice by the Members of the profession of Actuary. Another noteworthy integrated management school in relation to Insurance Education is the National Insurance Academy (NIA) Pune which promotes, develops and nurtures research and consultancy activities on institutional and individual basis.

II.4 LITIGATIONS, APPEALS AND COURT PRONOUNCEMENTS

II.4.1 The details of the litigation in terms of cases filed before the Supreme Court, various High Courts, Civil Courts, Motor Accident Claims Tribunal (MACT), and Lok Adalat, as also cases disposed/dismissed during 2015-16 are provided in Table II.11 and II.12

II.5 INTERNATIONAL COOPERATION IN INSURANCE

II.5.1 IRDAI recognizes importance of adopting international best practices while introducing and implementing regulatory measures domestically. In this context, and in furtherance of its regulatory objectives, IRDAI engages with various international organizations, forums and foreign regulators. IRDAI continued to actively engage and contribute to on-going in the international arena in the financial year 2015-16 as well.

The major international engagement continues to be with International Association of Insurance Supervisors (IAIS), an international standard setting body responsible for developing principles, standards and other supporting material for the supervision of the insurance sector and assisting in their implementation. The IAIS provides a forum for Members to share their experiences and understanding of insurance supervision and insurance markets. IRDAI's representatives have participated in various IAIS committee meetings and contributed to the standard setting and implementation activities.

The IRDAI continued to provide views and inputs on the ongoing work in insurance sector related matters of the Financial Stability Board (FSB) to the Ministry of Finance and Reserve Bank of India (RBI). Financial Stability Board is the international body that has been mandated by the G20 to promote implementation of financial sector regulatory reforms in the world.

As part of its other varying commitments as insurance sector regulator, the IRDAI has provided inputs to the Government of India on international issues/ treaties and financial sector dialogues, hosted and organized visits of foreign delegates.

At the bilateral engagement, IRDAI entered into a MoU with Insurance Authority of United Arab Emirates (UAE) with an objective to promote mutual interests and cooperation in the field of insurance supervision through exchange of information and experiences on insurance supervision.

As regards capacity building assistance to other countries on insurance aspects, IRDAI offered to provide Least Developed Countries (LDCs) with technical assistance in the areas of insurance services with an objective to improve and enhance their knowledge on various aspects of Insurance. The offer along with the contact details are hosted in the IRDAI's website under 'International Affairs' section.

As part of study tour, a delegation from Afghanistan Insurance Personnel Association (AIPA) had visited IRDAI's office, Hyderabad in February, 2016. During this interaction, the delegation had been briefed about the regulatory structure and process in place in India.

Association with IAIS:

II.5.2 Established in 1994, the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) represents insurance supervisory authorities of some 200 jurisdictions representing nearly 140 countries.

The IAIS issues global insurance principles, standards and guidance papers provides training and support on issues related to insurance supervision, and organises meetings and seminars for insurance supervisors. The IAIS works closely with other financial sector standard setting bodies and international organisations working to promote financial stability. It holds an Annual Conference where supervisors, industry representatives and other professionals discuss developments in the insurance sector and topics affecting insurance regulation.

An Executive Committee, whose members represent different geographical regions, heads the IAIS. From Asian region, there are five Members representing the Executive Committee. the Chairman, IRDAI, is one of the Members representing from Asian region, others being the insurance regulators from China, Japan, Korea and Singapore.

IAIS Committees/ Working Groups

II.5.3 The IRDAI has participation in two main committees viz., Financial Stability & Technical and Implementation Committees. These committees oversee standard setting activities in the area of financial stability and implementation & assessment of IAIS supervisory material etc.

Under IAIS Committee System, each committee has established various working groups/task forces to help in carrying out their duties. The IRDAI has participation in the IAIS working groups looking into aspects of Financial Inclusion, Corporate Governance, Market Conduct, Macro Prudential Policy & Surveillance and Capital Development. IRDAI played an important role in the IAIS's Financial Inclusion Working Group and its nominee chaired the working group.

IRDAI contributes to IAIS's work by way of attending meetings of the Committees/ Working Group/ Task Forces and by providing responses to IAIS surveys/ questionnaires/ reviews. The deliberations and knowledge sharing translate into the formulation and adoption of global insurance standards. Participation in the meetings of IAIS committees/ Working Groups/ Task forces have provided very useful inputs and have been useful in IRDAI's own domestic rule-making.

Asian Forum of Insurance Regulators

II.5.4 Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR) is a forum of insurance supervisors from Asia and Oceania regions was established based on Beijing Declaration on Regional Insurance Regulation Cooperation in 2005. The declaration lists 16 jurisdictions that signed Beijing Declaration dated 23-05-2005 are People's Republic of China, Hong Kong, Chinese Taipei, India, Indonesia, Japan, Jordan, Republic of Korea, Macau, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam (out of 16, 15 Asian and 1 Middle Eastern). International organizations such as ADB, EU, IAIS, OECD, World Bank, Mission RisquesNaturels (France) have attended the AFIR meetings as presenter/ speaker.

The AFIR has been set up for exchange of ideas on topics relating to the insurance industry and regulation. It comprises of insurance regulatory and supervisory authorities who have come together with a view to achieving common goals at the level of the Asian-Oceanic Region.

The AFIR Members have been meeting annually with each participating jurisdiction taking turns to be the host organiser. The first AFIR conference was held in Beijing in 2006 followed by Seoul (2007), Singapore (2008), Chinese-Taipei (2009), Japan

(2010), Thailand (2011), Macau (2012), Hyderabad, India (2013), Beijing (2014) and Colombo (2015). AFIR is the only insurance supervisory network in Asia. The conference provides the meeting point for jurisdictions to acquaint themselves of the developments in the member countries and to exchange thoughts on issues & topics of mutual interest.

The 10th Annual Conference of AFIR was held from July 27-28, in Colombo, Sri Lanka, wherein the participants agreed to form a task force with support of the secretariat to further identify functions of the AFIR, and to improve the AFIR mechanism. Apart from regular agenda, in Colombo, the AFIR extensively discussed formalisation of the AFIR, on key issues, such as funding and governance structure. To improve the AFIR mechanism, the AFIR found it necessary to identify focus areas and specific activities to move forward. Accordingly, a task force (China, Hong Kong, India, Japan, Korea, Singapore, Sri Lanka, Thailand and IAIS Secretariat) was established in November 2015 and the members reached an agreement after several discussions that AFIR to focus on four aspects which fall under categories namely Information Exchange, Capacity Building, Regional Cooperation and the Governance Structure.

Accordingly, the task force worked on the discussion papers for months and reached a consensus through conference calls and face-to-face meetings. These four discussion papers are key materials proposed for discussion at AFIR Annual Meeting at Taipei.

IRDAI, India contributed by designing an outline paper, as a guiding document, for preparation of these Discussion papers and also volunteered by drafting discussion paper on ‘Capacity Building’.

The IRDAI, India is an active participant in the AFIR forum and supports the need for further strengthening coordination among Asian jurisdictions. As a regulator representing a large economy and a large insurance market, IRDAI is expected to play a prominent role in the thought process for the regulator interface and contribute to the capacity building of the region.

Other engagements:

II.5.5 G20/ Financial Stability Board: The Financial Stability Board (FSB) is an international body established to address financial system vulnerabilities and to drive the development and implementation of strong regulatory, supervisory and other policies in the interest of financial stability. One of the main mandates of FSB is to implement G20 policy announcements on financial regulation. In FSB, India is represented by Ministry of Finance (MoF), Reserve Bank of India (RBI) and Securities Exchange Board of India (SEBI).

IRDAI contributes to FSB’s work by way of providing its views and comments on insurance sector related issues discussed in the FSB meetings to the Ministry of Finance or Reserve Bank of India. IRDAI also provides responses to FSB surveys/ questionnaires/ reviews.

II.5.6 FSB peer review of India FSB peer reviews focus on the implementation of financial sector standards and policies agreed within FSB, as well as their effectiveness in achieving the desired outcomes. As part of its commitment towards global financial stability, India underwent a FSB peer review in 2015. FSB appointed a peer review team to carry out the peer review. The peer review covered the two topics: (1) Macro-prudential Policy Framework and (2) Regulation and Supervision of Non-Banking Finance Companies.MoF and financial regulators (SEBI, RBI, IRDAI and PFRDA) responded to the various questionnaires circulated by the FSB peer review team. The FSB peer review team also made an onsite visit to India during March 07-11, 2016 as a part of its peer review exercise. The report of the FSB peer review is scheduled to be published in the second half of 2016.

II.5.7 OECD INFE: OECD International Network on Financial Education (INFE) launched in 2008 by OECD governments having recognised the importance of financial literacy. IRDAI became a member of OECD INFE in April, 2012. It provides a unique policy forum for governments to exchange views and experiences on Financial Education. It enables participants to share initiatives taken across the globe with regard to Financial Literacy and Financial Inclusion. The exposure to the principles and global methods for impact evaluation helps in learning about innovative methods for financial capability and enhancement.

Bilateral Engagement

II.5.8 At the bilateral engagement, IRDAI entered into an MoU (dated 11/02/2016) with Insurance Authority of United Arab Emirates (UAE). The MoU aims at promoting cooperation between the concerned authorities in the field of insurance supervision through a framework for cooperation and by increasing mutual understanding through the exchange of regulatory and relevant supervisory information to ensure compliance with their respective laws and regulations.

MINISTRY REFERENCES: CONTRIBUTION TO VARIOUS INTERNATIONAL TREATIES AND DIALOGUES

II.5.9 During 2015-16, IRDAI continued to contribute towards an effective and useful engagement with the Government of India with regard to various international dialogues in areas related to insurance sector.

In this direction, IRDAI provides inputs to the Ministry of Finance on various issues, agenda items and topics relating to insurance sector for various bilateral dialogues.

Inputs were also provided to the government for meetings with the Swiss Vice President and Heads of the Canadian Pension, Hannover Re and others. IRDAI also provided inputs for the 2nd Indo- Canada Economic & Financial Sector Policy Dialogue, India-Japan Dialogue on Financial Markets, India-UK Economic Dialogue, India-USA regulatory dialogue, BRICS Economic Partnership Agreement, India-Australia Services Negotiations w.r.t. Financial Services, Regional Comprehensive Economic Partnership, Disciplines in Domestic Regulation and India's Revised Offer in Financial Services in WTO and among others.

Technical Assistance for development of the insurance sector of Least Developed Countries:

II.5.10 Least Developed Countries (LDCs) are poorest members of the world community. As on date, there are 48 LDCs designated by the United Nations of which 34 are now WTO members while another nine are negotiating to join the WTO. The WTO members have agreed to grant special preferences to the LDCs which may not be offered to other WTO members.

As per the WTO mandate, decisions of the WTO Ministerial Conferences and requests made by the Least Developed Countries (LDCs), developed country and developing country members of the WTO, in a position to do so, were to voluntarily consider providing LDCs preferential treatment in Trade in Services.

India has been a strong supporter of the cause of LDCs. Government of India gave its approval for notification of Preferential Treatment by India to Least Developed Countries (LDCs) in Trade in Services in the WTO. The areas of preferential treatment include provision of Technical Assistance and capacity building to LDCs. In the insurance sector, India committed to accord priority in training of personnel of LDCs and provide insurance consultancy services.

In this direction, the IRDAI took initiative to support Developing/ Least Developed Countries in the form of providing technical inputs based on their

requirement, with an objective to improve and enhance their knowledge on various aspects of Insurance. The offer along with the contact details are hosted in the IRDAI's website under 'International Affairs' section.

II.6 GRIEVANCES

Integrated Grievance Management System (IGMS)

II.6.1 The IGMS put in place by IRDAI is the repository of the insurance industry complaints providing not only a platform to raise customer grievances with insurers but also to generate various analytical reports on Customer grievances registered against the Insurers.

Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Government of India

II.6.2 Apart from the complaints registered in the IGMS Portal of IRDAI, Complaints registered in DARPG Portal against insurers are also referred to IRDAI. IRDAI regularly accesses the portal of the DARPG and ensures that complaints relating to the insurance sector are downloaded and necessary action to get them examined by the insurers is taken.

Life Insurers

II.6.3 During 2015-16, the insurance companies resolved 99.56 per cent of the complaints handled. The private life insurers resolved 99.36 per cent of the complaints reported, while LIC resolved 100 per cent of the complaints as a result of which there were no pending complaints of LIC as at 31.3.2016.

As can be seen from the above, the classification as per the IGMS in terms of grievance Redressal guidelines, indicates a marginal decrease of 3% in the complaints under Unfair Business Practices during 2015-16 over 2014-15 and 1% increase in the complaints reported under Claims, Others and Policy servicing. The complaints under Proposal Processing and ULIP Related has maintained the same share to the total complaints during the last 2 years.

CHART II.4
CLASSIFICATION OF LIFE COMPLAINTS RECEIVED DURING THE LAST 2 YEARS

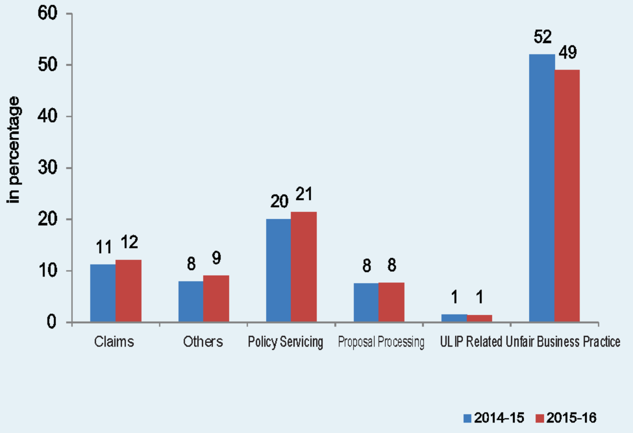

Non-Life Insurers

II.6.4 The non-life insurance companies resolved 98.41 per cent of the complaints handled during the year 2015-16. The private non-life insurance companies resolved 98.96 per cent and public nonlife insurance companies resolved 97.12 per cent of the complaints handled by them. As at 31st March, 2016, a total of 971 complaints were pending for resolution, out of which 446 were belonging to private sector insurance companies and 525 were pertaining to public sector insurance companies.

It can be seen from the above that there is a 1% reduction of the complaints reported under premium and 1% increase in the complaints reported under Claims during the year 2015-16 as compared to 2014-15. Complaints reported under all other categories have maintained the same share as that of the previous year.

Table II.13
STATUS OF GRIEVANCES (As per IGMS) - LIFE INSURERS DURING 2015-16

Insurer	Outstanding as on 1st April, 2015	Grievances Reported during 2015-16	Resolved during 2015-16	Outstanding as on 31st March, 2016
LIC	0	64750	64750	0
PRIVATE	6109	139951	145125	935
TOTAL	**6109**	**204701**	**209875**	**935**

Table II.14
STATUS OF GRIEVANCES - NON LIFE INSURERS DURING 2015-16

Insurer	Outstanding as on 1st April, 2015	Grievances Reported during 2015-16	Resolved during 2015-16	Outstanding as on 31st March, 2016
PUBLIC	437	17806	17718	525
PRIVATE	1662	41277	42493	446
TOTAL	**2099**	**59083**	**60211**	**971**

CHART II.5
COMPLAINT TYPE WISE CLASSIFICATION OF NON-LIFE COMPLAINTS REGISTERED DURING THE LAST 2 YEARS

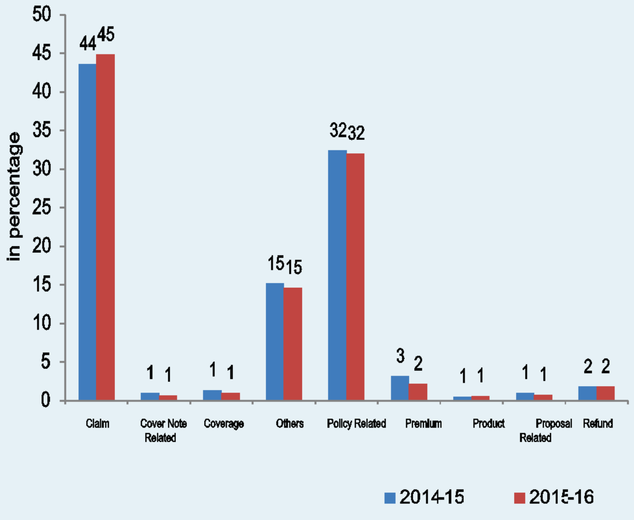

CHARAT II.6
POLICY TYPE WISE NON-LIFE COMPLAINTS DURING THE LAST 3 YEARS

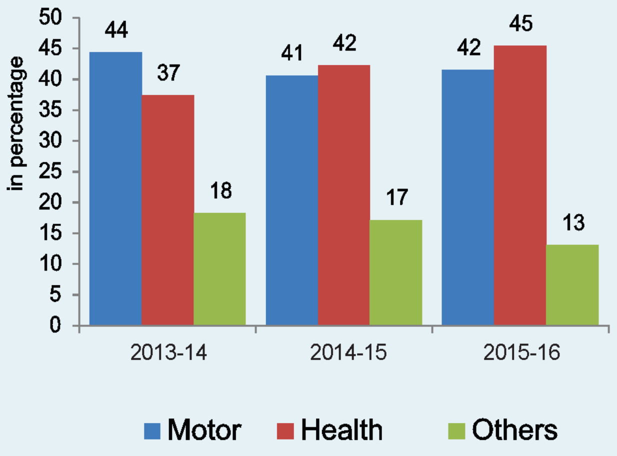

The analysis of the complaints under policy type indicates that health insurance complaints are more during the last 2 years as compared to the complaints reported under motor insurance.

Grievances - 2015-16 in comparison with 2014-15

II.6.5 Life Insurance Industry – In number of complaints reported, there has been a considerable reduction of about 26.62% in the year 2015-16 (204701 in 2015-16 as against 278992 in 2014-15). As regards the pending complaints as at 31.3.2016,

TABLE II.15
GRIEVANCES - 2015-16 IN COMPARISON WITH 2014-15 - LIFE

Sl. No	Insurer	2014-15			2015-16					
		Reported during the year	Attended to during the year	Pending at the end of the year	Opening Balance	Reported during the year	Duplicate Complaints	Actual Complaints Reported	Attended to during the year	Pending at the end of the year
(i)	Public Total	80944	80944	0	0	65512	762	64750	64750	0
(ii)	Private Total	198048	193119	6109	6109	145395	5444	139951	145125	935
	Grand total	278992	274063	6109	6109	210907	6206	204701	209875	935

TABLE II.16
GRIEVANCES - 2015-16 IN COMPARISON WITH 2014-15 - NON-LIFE

Sl. No	Insurer	2014-15			2015-16					
		Reported during the year	Attended to during the year	Pending at the end of the year	Opening Balance	Reported during the year	Duplicate Complaints	Actual Complaints Reported	Attended to during the year	Pending at the end of the year
(i)	Public Total	15860	16105	437	437	17808	2	17806	17718	525
(ii)	Private Total	44828	43318	1662	1662	41802	525	41277	42493	446
	Grand total	60688	59423	2099	2099	59610	527	59083	60211	971

CHART II.7
MOVEMENT OF COMPLAINTS - INDUSTRY - LAST TWO YEARS

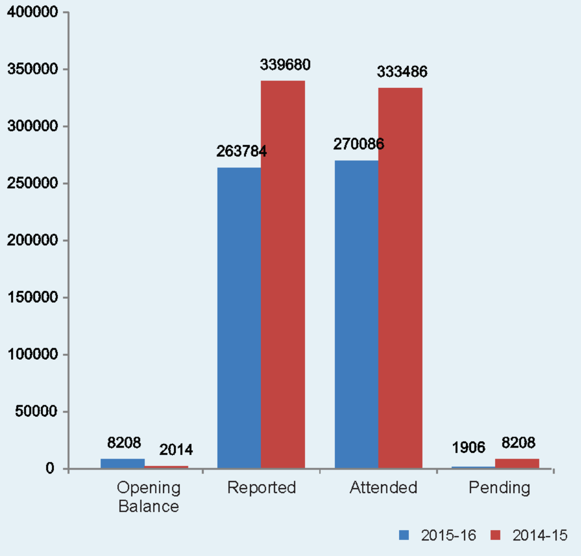

it is observed that 935 complaints were pending as against 6109 as at 31.3.2015 .

II.6.6 Non Life Insurance Industry – There has been a reduction of 1605 complaints in the year 2015-16 as compared to the number reported in 2014-15(59083 in 2015-16 as against 60688 in 2014-15). As regards the pending complaints, the no. as at 31.3.2016 reads 971 as against 2099 pending as at 31.3.2015.

II.6.7 Industry – Industry has witnessed a considerable reduction of 75896 complaints in the year 2015-16. A total of 263784 complaints were reported in the year 2015-16 as against 339680 in the year 2014-15. The reduction in number of complaints expressed in terms of percentage is about 22.34%.

With regard to the pending complaints as at 31.3.2016, 6 Life insurers and 6 Non Life Insurers have shown NIL pending.

During the Year 1874 grievances have been referred to IRDAI of the grievances registered in DARPG Portal. A total of 1698 grievances have been disposed of during the year. 237 grievances were pending as at 31.3.2016.

Out of 237 grievances pending as at 31.3.2016, No grievance was pending resolution beyond the prescribed TAT.

TABLE II.17
GRIEVANCES - 2015-16 IN COMPARISON WITH 2014-15 – INDUSTRY(LIFE + NON-LIFE)

Insurer	2014-15			2015-16					
	Reported during the year	Attended to during the year	Pending at the end of the year	Opening Balance	Reported during the year	Duplicate Complaints	Actual Complaints Reported	Attended to during the year	Pending at the end of the year
(Life + Non Life)	339680	333486	8208	8208	270517	6733	263784	270086	1906

TABLE: II.18
INSURERS WHO HAVE REGISTERED NIL PENDING IN NO. OF COMPLAINTS AS AT 31.3.2016

Sl. No.	Insurer type	Name of the insurer	Pending complaints as at 31.3.2016	Pending complaints as at 31.3.2015
1	Life Insurers	LIC	0	0
2		Aviva Life	0	0
3		Bharti Axa Life	0	351
4		IDBI Federal Life	0	0
5		Max Life	0	4
6		Tata AIA Life	0	113
7	Non Life Insurers	L&T General.	0	5
8		Magma HDI General	0	9
9		Max Bupa Health	0	0
10		Raheja General	0	0
11		Shriram General	0	0
12		Universal Sompo	0	0

TABLE: II.19
RECEIPT AND DISPOSAL OF GRIEVANCES REGISTERED IN DARPG PORTAL AND REFERRED TO IRDAI (DURING THE PERIOD FROM 1.4.2015 TO 31.3.2016)

Grievance Source	B/F Balance	Receipt During the Period	Total Receipts	Cases Disposed of During the Period	Closing Balance as on 31/03/2016
DARPG	15	213	228	202	26
DPG	5	98	103	100	3
Local/Internet	35	618	653	597	56
Pension	1	3	4	3	1
PMO	0	934	934	785	149
President Secretariat	5	8	13	11	2
Total	**61**	**1874**	**1935**	**1698**	**237**

TABLE II.20
GRIEVANCES REFERRED TO IRDAI - PENDING AS AT 31.3.2016

Name of Organisation	B/F as on 01/04/2015	Grievances Received	Grievances Disposed	Pending as on 31/03/2016	Pending 0 to 15 days	Pending 16 to 30 days	Pending 31 to 60 days	Pending more than 60 days
IRDAI	61	1874	1698	237	133	54	50	0

II.7 INSURANCE ASSOCIATIONS AND INSURANCE COUNCILS

Life Insurance Council

II.7.1 Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 was notified on 23rd March 2015. Life Insurance Council is a Statutory Body established under section 64C of the Insurance Act 1938. As per the amendment, the Executive Committee may make bye-laws for the transaction of business. The Executive Committee shall comprise of four elected members, an eminent person not connected with Insurance business, three persons to be nominated by the Authority to represent Insurance Agents, Intermediaries and Policy holders, one representative each from self-help groups and Insurance Cooperative Societies. Life Council accordingly framed bye-laws after holding a series of meetings of CEOs and other key representatives of member companies and also hold elections in a free and transparent manner.

Members of EC of Life Insurance Council is as per below –

1. Shri S.K.Roy, Chairman, LIC of India (Chairman of EC)
2. Shri Anup Rau, CEO, Reliance Nippon life
3. Shri Tarun Chugh, CEO, PNB Met life
4. Shri Sandeep Ghosh, CEO, Bharti-AXA life
5. Prof Anup Kumar Sinha, Category: 'Eminent Person not connected to Insurance Business'
6. Shri Bharat Parekh, Category : 'Individual Agent'
7. Shri Vineet Arora, Category: 'Intermediaries'
8. Shri M.P.Nagendra Murthy, Category: 'Policyholders'
9. Dr.L.H.Manjunath, Category: Self Help Group.

Life Council held 2 EC meetings and 1 General Body (GB) meeting in the FY 2015-16.

II.7.2 Brief outline of activities carried out by Council in 2015-16.

- **Review Meeting of Insurance Awareness Campaign in the State of Tripura –** IRDAI held a review meeting of Life and General Insurance Companies who had agreed to undertake Insurance Awareness Campaign in the State of Tripura on 30th September 2015 in Mumbai. Insurance Companies made a presentation on the activities undertaken by them in the first six months of FY 2015-16 and they gave a roadmap on the activities they propose to undertake in the next six months of FY 2015-16.

- **Meeting of CEOs to discuss Sumit Bose Committee Report–** Life Council organised a meeting of CEOs of member companies to discuss Sumit Bose Committee Report on 1st October, 2015 in Mumbai. Life Council after seeking an extension of time, sent its detailed response on the Committee report.

- **Pre-budget meeting - Union Budget 2016-17 -** Life Council received a letter from Ministry of Finance dt 8th October 2015 requesting Council to send the proposals on direct and Indirect taxes for Union Budget 2016-17. Accordingly, life council sought the views of the member companies on direct and indirect taxes and sent the final representation to Ministry of Finance on 20th October, 2015. Life Council was given an opportunity to make a pre-budget presentation on 11th December, 2015 at New Delhi. Secretary , life council was accompanied by tax heads of select member companies on this occasion.

- **Representation on Section 194DA of Finance Act 2014 -**

  In this regard, Life Insurance Council engaged the services of PWC and made a representation to Ministry of Finance and on the basis of it continued to follow up with MoF for seeking clarifications on the same.

- **Fraud Monitoring Framework –** Based on the feedback and guidance of general Body (GB) of Council, Life insurance Council held the first meeting on fraud repository for life insurance on 21st August 2015. Based on the inputs received from the core committee, 3 vendors were called for presentation and M/s. Experian was shortlisted by industry representatives. On 6th November 2015, Council held another meeting with industry representatives and M/s. Experian for drafting standard agreement and for framing uniform data standards that industry will be sharing with Experian.

- **Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) –** The scheme was launched by Government of India in May 2015. Life Insurance Council was entrusted by DFS, MoF GoI, with a mandate to develop and maintain a Claim Registry for all death claims under the above scheme. Life Insurance Council invited RBI approved Credit Information Companies (CIC) for initial discussion on 5th June 2015 and subsequently on 10th June 2015 to understand the capabilities of all the registered CIC's. On 30th June 2016, CIBIL was shortlisted as a vendor and awarded the work of developing and maintaining the death claim registry on behalf of Council. The registry is live and insurance companies are using the facility for de-duplication of claims under the scheme. Secretary, life council took a delegation of select member companies and met Principal Secretary, Government of Maharashtra for waiver of stamp duty on PMJJBY scheme.

- **Insurance Awareness on Tripura –** Insurers submit monthly activity report before 5th of every month to Council, which includes Tripura adoption activities as well as overall initiatives taken as a part of implementation of Insurance Awareness Policy. The insurers conduct sample surveys for evaluating the impact of various consumer awareness initiatives using NCAER survey format. Council Co-ordinates with insurers and publishes monthly activity reports on its websites.

- **CSC update -** M/s. CSC e-Governance Services India Ltd., a Special Purpose Vehicle (CSC-SPV) has been licensed to enable delivery of Insurance Services through CSC-SPV network.Life Insurance Council being the custodian of the "On Boarding Corpus Fund" transfers @ ₹ 5,000 per Licensed RAP (Rural Authorized Person) to CSC e-Governance services India Ltd. through NEFT mode of Payment. The details of CSC-SPV activated centres along with the amount withdrawn from the Corpus Fund are displayed accordingly on the Life Insurance Council website as per the list of activated Rural Authorized Person (RAP) provided by CSC-SPV to Life Insurance Council. As of 31st March 2016, the number of activated Rural Authorized Person (RAP) provided by CSC-SPV to Life Insurance Council stands at 3373.

- **Quiz Competition –** IRDAI has organized PAN India Insurance Quiz Competition for Insurance Companies on account of celebrating "Insurance Awareness Day" on 19th April 2016. In this regard Life Insurance Council has played a vital role in coordinating the activities related to Quiz Competition.

- **Meeting of IRDAI Draft Regulations on Expenses of Management –** Life Council took a delegation of select CEOs, CFOs and Appointed Actuaries to discuss IRDAI draft Expense of Management regulations on January 25, 2016 to meet Chairman IRDAI. Members had a threadbare discussion on the EoM draft regulations and its impact on the industry for the consideration of IRDAI.

- **Meeting on IRDAI Draft Regulations on Agency Commission –** Life Council had organised a meeting of CEOs of member companies on 20th February, 2016 in Mumbai to discuss IRDAI draft regulations on Commission. Members had a detailed discussion and it was agreed that council will take a delegation of select companies to meet Chairman IRDAI to discuss the same. Accordingly life council took a delegation of select CEOs of member companies to meet Chairman IRDAI on 22nd February, 2016 at Hyderabad. The delegation put forth the concerns on the draft regulations and IRDAI agreed to consider the views mentioned by the delegates.

- **Joint Meeting of Life Council and General Council on IND-AS -** Life Council along with General Insurance Council organized a joint meeting of CFOs and CIOs of all member companies to discuss the Road Map for Implementation of IND-AS and also evaluate preparedness of the industry for this. Meeting was held on 17th March 2016 at Mumbai. Ms.V.R.Iyer, Member (F&I), IRDAI, chaired the meeting. Senior Officials from IRDAI and Consultants associated with the working group of IND-AS also participated in the meeting.

- **Goods and Service Tax (GST) -** Life Council sent representation on GST to Ministry of Finance. Council had meetings with Chairman CBEC, GST Commissioner (Delhi), to discuss the GST representation.

- **IIB Agreement –** Member companies had a discussion on Professional Collaboration Agreement for MMIC between IIB, IAI and Life Council on 31st July, 2015 in Mumbai. Basis the meeting it was decided to have a meeting of IIB with Appointed Actuaries of life companies. Accordingly the meeting of IIB with Appointed Actuaries was held on 14th August, 2015 at Hyderabad. The professional Collaboration Agreement for MMIC between IIB, IAI and Life Council was signed on 11th September 2015. As per the Agreement the Council shall finance and fund the activities of the IIB for conducting the study by way of non-refundable grant on the basis of annual budget estimates submitted by the IIB to be adjusted annually based on the audited accounts submitted by the IIB.

- **The Council's website** continues to provide statistical data, latest insurance news and other information. The number of hits from different geographies – national and international increased significantly after upgrading its design and interlinking it with websites of IRDA and all life insurers. Council has also started displaying in its website the following data from this financial year 2015-16 –

    - Data on number of products of life companies
    - Data on Individual Agents of Life Companies
    - New Business Data of Life Companies

Life council's website also displays daily NAVs of Unit Linked Products of all life insurers.

- **Life council made a number of representations to IRDAI and Govt. of India and some of the key representations are as follows:**
  - Representation on Micro Insurance related issues.
  - Appeal to provide Level Playing Ground for Discontinuance Norms under ULIP
  - Clarification on applicability of Explanation 3 and 4 of Rule 6(1) of the CENVAT Rules,2004 to Life Insurance Business
  - FATCA Representation
  - Designated Grievance Redressal Officer (GRO)
  - Handling of Unclaimed Amounts pertaining to policyholders
  - Income Computation and Disclosure Standard (ICDS)
  - Recovery of Service tax on Renewal Fees
  - Prayer for common set of Guidelines for a level playing field across all health insurance providers.
  - Prayer to Dispense with Mandatory training for Specified Persons in bank (Corporate Agent)
  - Servicing of Orphan Policies that are in-force
  - Retrospective Amendment to the Payment of Bonus Act, 1965
- Secretary, life council attended Regional Advisory Committee(RAC) meeting of Service Tax, Mumbai Zone as a member in the month of February 2016 and expressed his views on the issues concerning life insurance sector.
- Council has been actively involved in meetings with and conferences organised by CII, FICCI, ASSOCHAM, ICAI, MMA,BIS,etc.
- Secretary, Life Council, as a Director on the Education Board of III and Member of Syllabus Committee of III, attended the meetings organised by III.
- Secretary, Life Council is a member of Insurance Price Index Committee constituted by GoI.

Secretary, Life Council, as a member of Governing Council of IIB and member of Finance & HR Committee of IIB attended various meetings organised by IIB.

GENERAL INSURANCE COUNCIL

II.7.3 Insurers carrying on general insurance business, health business, reinsurance and other specialized insurance business in India are the members of the General Insurance Council (GI Council). During the year, the existing General Insurance Council was reconstituted as the self-regulating representative body of general insurance companies, health insurance companies and reinsurance companies. Further as per the Insurance Law Amendment Act 2015 {Section 64F (2)} GI Council has reconstituted the Executive committee of the Council to consist of4 (four) elected representatives from amongst the members of the General Insurance Council elected in their individual capacity in such manner as may be laid down in the bye laws of the Council, an eminent person not connected with the Insurance business, nominated by the Authority, and Four persons representing Insurance agents, Third Party Administrators', Surveyors and Loss Assessors and Policyholders to be nominated by IRDAI. As per Section 64 L (1)

of the Insurance Act, the Council has the following statutory functions:

i. to aid and advise insurers, carrying on general insurance business, in the matter of setting up standards of conduct and sound practices and in the matter of rendering efficient service to holders of policies of general insurance;

ii. to render advise to the Authority in the matter of controlling the expenses of such insurers carrying on business in India in the matter of commission and other expenses;

iii. to bring to the notice of the Authority the case of any such insurer acting in a manner prejudicial to the interests of the holders of general insurance policies;

iv. to act in any manner incidental or ancillary to any matters specified in clauses (i) to (iii) with the approval of the Authority as may be notified by the Council in the Gazette of India.

II.7.4 The current membership strength of the Council is 30, viz., 4 public sector insurers, 18 private sector insurers, 5 standalone health insurers, two specialized insurers (AIC & ECGC) and Indian's National Reinsurer, GIC Re. During the year, Council provided a platform for the Heads of various Underwriting Departments, CFOs, and other Senior Executives of the member Companies for exchange of their views, experiences and common concerns affecting the industry in various spheres. These forums also built the camaraderie and rapport amongst their counterparts in competing companies. The activities of these forums are the basic foundation for the industry to enhance the adoption of best practices and standards in core business activities, enhancing customer service standards, maintaining market discipline and development of non-life insurance market in a healthy manner. In all, 15 formal meetings were held under the aegis of the Council covering ETASS, Health, Motor, Property, Taxation and Compliance issues. Yet another important activity worth mentioning in the report is the interactive session, Secretary General had with Hon'ble Judges from 23/24 States dealing with MACT claims at the National Judicial Academy in Bhopal. The opportunity was utilized to highlight the industry's position in respect of Motor TP claims wherein the financial contribution of the insurance industry towards the victims of motor accidents and how the increasing trend in Court awards is causing financial drain on the resources of the insurers to meet their policyholder obligations. On IT Enabled Member Services (i) live operationalization of ETASS Coinsurance module for Fire LoB, (ii) Monthly figures through ACORD online Messaging System, and (iii) providing a consolidated claims database under PMSBY for the participating insurers, are successful ongoing activities/projects.

II.8 INSURANCE OMBUDSMEN

II.8.1 During 2015-16, the Seventeen Ombudsmen centers spread across India have received a total of 26177 complaints. While 17257 complaints (66 per cent) pertained to life insurers, the remaining 8920 complaints (34 per cent) related to non-life insurers. This was in addition to 6782 complaints pending with various offices of Ombudsmen as at the end of March 2015.

II.8.2 During 2015-16, Ombudsmen disposed of 30266 complaints. Out of these complaints, Ombudsmen declared 49.56 per cent of the complaints as non-acceptable/not-entertainable. Awards/recommendations were issued for 29.31 per cent of total complaints. Other than this, 9.54 per cent of the complaints were withdrawn/settled, while nearly 11.59 per cent of the complaints were dismissed. 2693 complaints were pending as on 31st March, 2016.

TABLE II.21
DISPOSAL OF COMPLAINTS BY INSURANCE OMBUDSMEN DURING 2015-16

Insurer	Complaints O/S as on 1.4.2015	Received during 2015-16	Total	Complaints disposed during 2015-16	No. of Complaints disposed by way of				Complaints O/S as on 31.3.2016
					(I)	(II)	(III)	(IV)	
Life	4397	17257	21654	19645	5431 [27.65]	1956 [9.96]	1924 [9.79]	10334 [52.60]	2009
Non-Life	2385	8920	11305	10621	3440 [32.39]	932 [8.78]	1583 [14.90]	4666 [43.93]	684
Combined	**6782**	**26177**	**32959**	**30266**	**8871 [29.31]**	**2888 [9.54]**	**3507 [11.59]**	**15000 [49.56]**	**2693**

Notes: O/S : Outstanding
(I) Recommendations / Awards (II) Withdrawal / Settlement (III) Dismissal (IV) Non-acceptance / Not-entertainable

PART – III
STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

Section 14 of the IRDA Act, 1999 (IRDA Act) lays down the duties of the Authority to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance business and reinsurance business. Sub-section (2) of the said section lays down the powers and functions of the Authority. Chapter III of the Annual Report covers the activities of the Authority in 2015-16 while carrying out its functions and exercising the powers conferred on it.

III.1 Issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration

III.1.1 The Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 received the assent of the President of India on the 20th March, 2015 to amend the Insurance Act, 1938, General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

Amendment of Section 2 of Insurance Act, 1938 defines "Indian insurance company" means any insurer, being a company which is limited by shares, and,— (a) which is formed and registered under the Companies Act, 2013 as a public company or is converted into such a company within one year of the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015;(b) in which the aggregate holdings of equity shares by foreign investors, including portfolio investors, do not exceed forty-nine per cent of the paid up equity capital of such Indian insurance company, which is Indian owned and controlled, in such manner as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, the expression "control" shall include the right to appoint a majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;"

Consequent upon promulgation of Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, **Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Indian Insurance Companies) (Seventh Amendment) Regulations, 2016 were notified on 22.2.2016.**

M/s. Kotak Mahindra General Insurance Company Ltd has been granted Certificate of Registration in November, 2015.

M/s. Edeweiss General Insurance Company Limited and M/s. Kohinoor Reinsurance Company Limited (now renamed as M/s. ITI Reinsurance Limited) submitted requisition application for registration (R1).

III.1.2 Amendment of Section 2 of Insurance Act, 1938 defines " a foreign company engaged in re-insurance business through a branch established in India" . For the purposes of this sub-clause, the expression "foreign company" shall mean a company or body established or incorporated under a law of any country outside India and includes Lloyd's established under the Lloyd's Act, 1871 (United Kingdom) or any of its Members:

- Consequent upon promulgation of Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, foreign reinsurers and Lloyds are being permitted to make application to the Authority to set up branch office in India. The Authority has notified two separate regulations in respect of the same and they are as follows:

- Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 on 19.10.2015.
- IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (First Amendment) Regulations, 2016 on 28.1.2016
- Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016 on 9th March, 2016

Consequent upon notification of said regulations, the following foreign reinsurers applied for Registration of foreign reinsurance branch office in India during November, 2015:

- Munich Re, Germany
- Swiss Re , Switzerland
- Hannover Re, Germany
- Scor Se, France
- RGA Re, Canada

M/s. Gen Re, Germany has also filed requisition for registration application during June, 2016.

III.1.3 As per the prescribed procedure, on-site inspection of regulated entities is the responsibility of the Inspection department. The completed reports are being forwarded to the inspected entities for comments/compliance and thereafter the final inspection report is passed on to the Enforcement Department. The responses/compliances received from the inspected entities are analyzed and a proposed course of action finalised by the enforcement department is submitted to the concerned Whole Time Members (WTM) for their comments/inputs within 10 days time. After taking care of the comments from the WTMs, the proposed course of action would be submitted to the Chairman for approval. Thus all the inspection reports are being closed through show cause notice, personal hearing, final actions like penalty, warning etc. The Government of India has promulgated the Insurance Laws (Amendment) Ordinance 2014 on 26th December 2014 which was later on replaced with the Insurance Laws (Amendment) Bill 2015 and passed in both the houses of Parliament and finally enacted on 22nd March 2015. As per this the penalty provisions were amended and the imposition of penalties would be by a process of adjudication in respect of some Sections of the Act. The adjudicating officer would be appointed who would be at least at the level of Joint Director in IRDAI. Basic factors to be taken into account before deciding on the quantum of penalty are provided in the Act. All appeals against the orders of IRDAI would lie with the Securities Appellate Tribunal (SAT). The details of monetary penalties levied are given in Annexure 10(i) and 10(ii).

III.1.4 Apart from monetary penalty levied as above, other penal actions were also initiated on non-compliances observed with other entities. Further, the Authority also issued warnings, specific orders / directions to the regulated entities who were found to be non-compliant with the regulatory stipulations.

III.2 Protection of the interests of policyholders in matters concerning assigning of policy, nomination by policyholders, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of policy and other terms and conditions of contracts of insurance.

III.2.1 The Authority has brought out regulations providing for various do's and don'ts for insurers and intermediaries at the point of sale, point of claim, etc. The Authority has also prescribed Time frames

for rendering various services to policyholders under the regulations. Further, the regulations mandate insurers to have in place an effective mechanism for redressal of policyholder grievances. The Authority, through its Consumer Affairs Department has set up a "Grievances Cell" for policyholders of life and non-life insurance companies. Apart from playing a facilitative role in helping policyholders getting their grievances redressed by insurers within the stipulated time, the Authority also examines on a continuous basis, the underlying issues that cause grievances and works towards rectifying the systemic issues involved. The Authority has also issued Guidelines for Grievance Redressal by Insurers which mandates all insurers to have in place a Board approved Grievance Redressal policy and a Policyholders protection committee as stipulated in the guidelines for Corporate Governance. The Guidelines also prescribe Grievance Redressal Procedures, Turn Around Times, and lay down the circumstances in which complaint is treated as closed. The said Guidelines have been reiterated from time to time for strict adherence while handling the complaints/grievances received from policyholders/Ministries/Regulators and other statutory agencies. It is also emphasized about the need to review the systems in place to sensitize not only frontline staff but also customer service staff/ officials at all levels of the organization on handling policyholder grievances with seriousness, promptness and empathy to enhance the trust and confidence in the insurance sector.

III.2.2 Consequent to provisions in The Insurance laws(Amendment) Act,2015, the Authority issued Regulations prescribing the maximum fee that can be charged by the Insurers for :

a) Granting written acknowledgement of the receipt of notice of assignment

b) Registering cancellation or change of nomination by the holder of policy of life insurance as ₹50/- for policies issued in electronic form and ₹100/- for other than electronic form.

III.2.3 The Authority has advised all the insurance companies not to reject the genuine claims intimated or submitted at a later date than the time specified in the policy, due to unavoidable circumstances. The insurer's decision, to reject a claim due to delay in submission of intimation or documents, shall have to be based on sound logic and valid grounds as the time limitation clause is neither absolute nor does work in isolation. As such an insurer shall not repudiate any claim unless and until the reasons of delay are specifically ascertained, recorded and insurers satisfy themselves that those claims would have otherwise been rejected even if reported in time.

III.2.4 Various issues relating to Unclaimed amounts have been addressed through Circulars as under:

a) Unclaimed amounts defined - "Unclaimed amount includes any amount payable to Policyholder as death claim, maturity claim, survival benefits, premium due for refund, premium deposit not adjusted against premium and indemnity claims etc. remained unclaimed beyond six months from the due date for settlement of the claim amount."

b) Unclaimed amounts need to be maintained as a Single segregated fund with Investment mandated in Money market instruments and/ or fixed deposits of scheduled banks. Recovery of expenses capped at 20 basis points. Information of unclaimed amounts needs to be disclosed on website and the Bank account mandated to be linked for all new

policies. Communication to policyholders mandated and ageing reporting format prescribed. No appropriation or write back allowed.

c) Unclaimed amounts shall not be counted for solvency margin and reporting on aging of the unclaimed amounts as also disclosures in the notes to Accounts are prescribed. From the financial year 2016-17 onwards, the Investment income earned was mandated to be allocated to the unclaimed amount fund. It was also prescribed that the Insurer pays the identified unclaimed amount along with the Investment Income so credited to the Insured/ policyholders/claimants. In case of any award/ order made by statutory body including a court, which includes an interest component, it shall not carry any further interest.

III.2.5 To enable access to data relating to insurance status of motor vehicles with a view to assisting road accident victims or claimants of motor third party insurance, the Authority, through the Insurance Information Bureau, has provided a web based facility. The facility provides the users the details of the vehicle, insurance status and address of the policy issuing office.

III.2.6 Keeping in mind the gap created by the exit of insurance agents in servicing the life insurance policies and also to promote the persistency of insurance policies, the Authority has prescribed that insurance companies allot lapsed orphan life insurance policies to individual insurance agents whose license is in force. The allotted agent's details would be intimated by the insurer to the policyholder concerned.

III.2.7 While health insurance is growing rapidly; there are complaints with regard to variable interpretations of key policy terms. In order to address the expectation of the prospect/policyholder, the Authority has standardized definition of 46 commonly used terms in health insurance policies, nomenclature and coverage for 11 critical illnesses and list of exclusion expenses under indemnity policies. Also, Health Insurance Regulations, 2013 have been notified which, inter alia, prescribe free look period of 15 days for health policies, a time limit of 30 days from the date of receipt of last document for conveying a decision on claims, provisions relating to portability, standard definitions and special provisions for senior citizens.

III.2.8 The Regulations on Treatment of discontinued linked insurance policies, 2010 was modified to give the policyholder the right to revive policies within two years from the date of dis-continuance irrespective of the end of the lock in period.

III.2.9 The Life Insurance Companies were directed to spread awareness among public about Spurious Phone Calls and Fictitious /Fraudulent Offers by carrying cautionary message in all advertisements.

III.2.10 On noticing that in deferred annuity plans, non-receipt of Annuity Option from the policyholders before the vesting date is leading to delay in the commencement of annuity on vesting date and consequent inconvenience/loss to annuitants, in order to protect the policyholder's interests, the Authority mandated as under in respect of deferred pension/annuity plans where all Annuities falling due from 1st April 2016.

- The Insurer shall obtain Annuity Option duly exercised by the proposer at the proposal stage. Necessary provision shall be made in the proposal forms. The same shall be captured in the proposal/policy record.
- In all the deferred annuity policies where the life insurer has not obtained Annuity Option exercised

by the proposer at proposal stage, the same may be obtained and captured in the policy records without further loss of time.

- At least 6 months prior to the vesting date, the Insurer shall send a communication to the Policyholder intimating the Annuity amount under various options available and the selected option. Insurer shall provide an opportunity for the policyholder to review his decision based on the latest information and select any other annuity option than what he/she selected earlier. Insurer shall clearly inform the policyholder in that communication that the last date for receipt of revised option, if any, is at least 90 days prior to the date of vesting giving a specific date.
- If no revised option is received at least 90 days prior to date of vesting, the Insurer may go ahead and process the annuity payments as per the original option exercised at the proposal stage/ collected later as stated at Point 2. If a revised option is exercised by the policyholder which is received by the Insurer at least 90 days prior to the date of vesting, the annuity payments are to be processed and released according to the revised option.

III.2.10 To attend to the insurance claims arising out of loss of life and belongings due to Cyclone Hudhud in AP and Odisha, the Authority directed the Insurers to simplify the process and take certain proactive steps to expedite claim settlement.

III.2.11 The Authority mandated that “All insurance products shall provide the prospective policyholder a customized benefit illustration, illustrating the guaranteed and nonguaranteed benefits at gross investment returns of 4% and 8% and as specified by IRDAI or Life Insurance Council from time to time”. It was also advised that wherever the illustration is given in advertisements, it must be with both the scenarios with investment returns of 4% and 8% with equal prominence in font size, at the same place and in the same page to enable the prospects to compare both scenarios; so as to give better appreciation of possible benefit depending on the yield.

III.2.12 To improve the persistency rates alongside significant business growth, the Authority mandated the methodology and other requirements like Board approved persistency report along with Appointed Actuary’s report. The mandate is also intended to achieve uniform and systematic methodology in the calculation of persistency rate in all regulatory reporting and internal assessments.

III. 3 specifying requisite qualifications, code of conduct and practical training for intermediaries or insurance intermediaries and agents.

The licensing and code of conduct for all the intermediaries in the Insurance business are specified clearly in the regulations framed under the IRDA Act,1999 vide Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, professional requirements and code of conduct), Regulations,2000, Insurance regulatory and Development Authority (Insurance Brokers Regulations), 2002, **Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016 and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.**

The following Regulatory frame work has been prescribed by the Authority to further strengthen the regulatory supervision.

1) IRDA (Sharing of Database for Distribution of Insurance Products) Regulations, 2010 to streamline the tie-ups between insurers and referral companies. It also prescribes ceiling

on remuneration payable to referral entities and lays down the frame work under which the referral entities and insurers have to conduct insurance business.

2) Issued Circular no: IRDA/DIST/GDL/MISC/183/09/2013 dated 11.09.2013 permitting Agriculture Insurance Company to utilize services of other life and/or non-life insurance companies to distribute their products.

3) Issued Circular No. IRDA/AGTS/CIR/GLD/046/03/2015 dated 16.03.2015 notifying the "Guidelines on Appointment of Insurance Agents,2015" which shall come into force with effect from **01.04.2015.**

4) As per Circular No. IRDA/AGTS/CIR/GLD/081/04/2015 dated 22.04.2015 new course material IC 32 is launched w.e.f. 01.07.2015. Candidates who qualify in IC-32 shall be eligible to be appointed by Standalone Health Insurer as agents. Also new syllabus for IC 33 with Health Insurance chapters launched w.e.f. **01.07.2015.**

5) Issued instructions for obtaining Certificate of Registration under IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 vide Circular Ref: IRDAI/CAGTS/GDL/LCE/202/11/2015 dt 18.11.2015.

6) Issued Circular No. IRDA/CAGTS/CIR/LCE/029/02/2016 dt 10.02.2016 on clarifications on IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

III.4 Specifying the code of conduct for surveyors and loss assessors

III.4.1 The duties and responsibilities of a surveyor and loss assessor are specified in Chapter IV of the IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015. The Regulation 13 inter alia states that:

- It shall be the duty of every Licensed Surveyor and Loss Assessor to investigate, manage, quantify, validate and deal with losses(whether insured or not) arising from any contingency and report thereon to the insurer or insured.
- All licensed surveyors and loss assessors shall carry out the said work with competence, objectivity and professional integrity strictly adhere to the code of conduct as stipulated in IRDAI(Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015.

III.4.2 Further, in order to protect the interest of policyholders, the Authority has framed the IRDA (Protection of Policyholders' Interest) Regulations, 2002. Adherence to code of conduct by surveyors and loss assessors has been further emphasized under Regulation 9 of the said Regulation, while dealing with settlement of claims in respect of nonlife insurance policy.

During the year 2015-16, the Authority has issued the following surveyors related Circulars/Orders:

- A circular no. IRDA/NL/Cir/Misc/129/07/2015 dated 14th July, 2015 on Appointment of Surveyors and Loss Assessors issued to all CEOs of General Insurers advising them to strictly comply with the regulatory requirement that no person other than insurer and insured can appoint surveyor and loss assessors within 72 hours of intimation of claim to assess loss above rupees twenty thousand under policy of insurance in respect of general insurance business.
- IRDAI(Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015 were notified in the Official Gazette on 3rd November, 2015. These

Regulations supersede Insurance Surveyors and Loss Assessors(Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000.

- An Order No. IRDA/SUR/ORD/MISC/226/12/2015 dated 22nd December, 2015 on re-constitution of Committee of Surveyors and Loss Assessors in terms of Regulation 10 of the IRDAI(Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015(Surveyors Regulations). The term of the Committee shall be for a period of three years from the date of constitution of committee. The Committee shall discharge the functions as laid down in the Regulation 11 of the Surveyors Regulations.
- Order No. IRDA/SUR/ORD/MISC/028/02/2016 dated 12th February, 2016 in the matter of Shri Sanjeev Soni, Surveyor and Loss Asssessor Under License No. 15006.
- Order No. IRDA/SUR/MISC/ORD/030/02/2016 dated 16th February, 2016 on Appointment of Election Officer to conduct 8th Council Elections of Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) for 4 zonal vacancies.
- Order No. IRDA/SUR/ORD/MISC/034/02/2016 dated 25th February, 2016 in the matter of Shri Munish Prashar, SLA 72810 and M/s Puri Crawford ISLA Pvt. Ltd. SLA 72398

III.5 Promoting efficiency in the conduct of insurance business

Insurance Repositories

III.5.1 The Insurance Repository System is an initiative of the Authority to de-materialise insurance policies. To achieve this objective, the Authority issued the guidelines on Insurance Repositories and electronic issuance of insurance policies in April, 2011. The Authority granted certificates of registration to five entities to act as Insurance Repositories

III.5.2 The Authority has further issued “Guidelines on Pilot launch of the Insurance Repository System” for boosting the existing system and understanding the market trend. The feedback on this initiative was very positive and an approximate 1.8 lakh eIA (electronic Insurance Accounts) have been opened. Further, around 50,000 policyholders evinced interest for conversion of their hard copy in electronic form.

III.5.3 Subsequently in May, 2015, the Authority has issued the “Revised Guidelines on Insurance Repositories and electronic issuance of Insurance policies”. At present, there are total 8,07,705 eIA accounts and a total of 4, 11, 832 policies converted into electronic mode.

The list of approved Insurance Repositories is given in Table III.1

TABLE III.1
INSURANCE REPOSITORIES APPROVED BY THE AUTHORITY (AS AT 31 MARCH, 2016)

Sl.No.	Name
1	National Insurance-policy Repository, NSDL Database Management Limited
2	CDSL Insurance Repository Limited
3	CAMS Repository Services Limited, Chennai
4	Karvi Insurance Repository Limited, Hyderabad

Electronic Transaction Administration and Settlement System (ETASS)

III.5.4 The Electronic Transaction Administration and Settlement System (ETASS) is a clearing house system that facilitates sharing of documents and

accounting statements pertaining to the coinsurance and reinsurance transactions and is designed to aid easy reconciliation of inter-entity balances. ETASS shall provide electronic functionality for automated negotiation, deal placement, binding of risks, documentation, accounting, reconciliation and settlement of balances, messaging, risk management, etc. The ETASS system shall strive to bring complete transparency into reinsurance and coinsurance operations while addressing the security and privacy needs of the members.

III.5.5 The Authority had entrusted responsibility of developing and implementing the ETASS system to the General Insurance (GI) Council. The GI Council involved the Non-Life Insurers during the development, testing and implementation of the ETASS. In its first phase, the ETASS is designed to support the 'Fire' coinsurance transactions and was formally launched on 27th April, 2015. The Authority in order to facilitate smooth operationalization of the ETASS and for its continued development and patronage had issued 'Guidelines for ETASS Administration' on 11th May, 2015. The GI Council has been designated as the 'Administrator' and is entrusted with the responsibility of extending the ETASS system to support the needs of other lines of coinsurance business and later to reinsurance.

III.5.6 GI Council has made live the Phase 2 of ETASS dealing with coinsurances in the Fire Line of Business (LoB) along with settlements online on 01st April, 2016. The ETASS phase 2 is successful in providing a common platform for reconciliation and settlements between the companies for coinsurances in the Fire LoB. As a part of ETASS Phase 2, GI Council has also undertaken to upgrade the hardware and the security features in order to secure the data and provide safe access methods to the companies to transact over the ETASS platform. GI Council plans in ETASS phase 3 likely to be operational by 01st January 2017, to bring in all the LoBs, and handle all coinsurances through the platform with a mechanism for seamless transfer of net amounts.

Data Standards

III.5.7 The Authority had embarked on the task of compiling the data standards to facilitate easy interfacing of IT systems of multiple entities in the insurance sector. The data standards bring about common definitions for the information exchange. This helps in easy interfacing of multiple systems both within and outside an organization.

III.5.8 In order to support the Insurance Repository System, standard Extensible Markup Language (XML) schema consisting of the field definitions, field properties and message content was earlier shared for exchange of data between multiple players for the Life Segment. Similarly, schemas have been finalized to support the needs of 'Health' and 'Motor' lines of business. These schemas would support the 'individual lines' of Non-life insurance transactions in the Insurance Repository System.

International Financial Service Centre

III.5.9 The Government of India with the objective of creating high value jobs from financial services sector in the country and to open an avenue into financial globalisation had set up International Financial Service Centre (IFSC) at GIFT City, Gujarat. One of the main objectives of the IFSC is to provide an environment where controlled experiments with new ideas in policy can take place. As a part of this initiative, Government of India had identified Reinsurance business as one of the activities to be allowed under the regulatory supervision of the Authority. The Authority had issued the International Financial Service Centre Guidelines, 2015 on 06th April,2015 that allows an

Insurer who was granted certificate of registration by the Authority or any Insurer registered with a foreign regulatory or supervisory Authority to establish an IFSC Insurance Office (IIO) in the SEZ to carry on Reinsurance Business/specified Direct Insurance Business within the SEZ. However, IIO shall follow the terms and conditions for underwriting the business of insurance and reinsurance within the overall scope of IRDAI(Regulation of Insurance Business in SEZ) Rules, 2015. The Authority has received a application from “The New India Assurance Company Limited” for opening of IIO at GIFT City, Gujarat. The IFSC would thus provide the required platform for the creation of “Reinsurance Hub” in the country where domestic as well as foreign reinsurance business can be transacted.

III.6 Promoting and regulating professional organizations connected with the insurance and reinsurance business

III.6.1 The Life Insurance Council and the General Insurance Council which are statutory bodies under the Insurance Act, 1938, represent the life insurance companies and non-life insurance companies respectively. These councils contribute towards healthy growth of the industry by way of discussions, representations before various authorities, spreading insurance awareness, providing inputs on existing/ proposed regulatory stipulations. Development of these self-regulatory bodies augurs well for the industry to put across their view points on critical areas for the growth of the industry.

In similar lines, brokers licensed by the Authority are necessarily required to be members of the Insurance Brokers Association of India (IBAI).

III.6.2 Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA), an institute promoted and established by the Authority and incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956. Membership of the institute is mandatory for grant of surveyor licence. The institute works as self-regulatory body.

Health Insurance forum

III.6.3 The Health Insurance Forum was constituted on 2nd February 2012 with representation from various stakeholders of the health insurance sector including the Authority, insurers providing health insurance, third party administrators, the Government, hospitals, medical colleges and industry bodies. The basic objective for formation of the forum is to provide a common platform for all the stakeholders relevant to the Health Insurance business and to deliberate on various issues related to both products and deliverables in respect of Health Insurance, with a view to improve the service delivery to the general public who are the ultimate consumers of Health Insurance Services.

III.6.4 During the financial year 2015-2016, the forum met once in the month of December 2015. The topics which were taken up for discussion were revision of Nomenclature of Critical Illnesses, modifications to the Standard Definitions, designing cover for the Mentally and Physically disabled etc., Registry of Hospitals in Network of Insurance (ROHINI) and revisiting of TPA Regulations by IRDAI in the light of Insurance Laws (Amendment) Act 2015 and other amendments to existing Regulations.

The forum intends to work further on these areas through sub-groups and for creation of an enabling environment to encourage new players in the Health Insurance Industry thereby enhancing the availability of affordable Health Insurance for all the people of our country.

BOX ITEM 2

CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK FOR INSURANCE COMPANIES

The Companies Act, 1956 was replaced to a large extent, by the Companies Act, 2013, which had introduced many stipulations regarding governance of companies. The Insurance Act, 1938 was also significantly amended in December, 2014 and consequently, many new Regulations were issued by the Authority. In this backdrop it was felt necessary to review the stipulations of the Insurance law and the Regulatory framework regarding the corporate governance practices and guidelines applicable to insurance companies in India.

The Authority, after interactions with all the stakeholders, issued the revised Corporate Governance Guidelines for insurance companies on the 18th May, 2016. The revised guidelines combine the stipulations regarding the Corporate Governance practices, appointment of MD/ CEO/ WTD and other Key Management Persons (KMPs) as well as the appointment of statutory auditors of insurers. The guidelines require all insurers to furnish a checklist to the Authority on an annual basis indicating the compliance position with regard to the corporate governance stipulations. These are applicable from FY 2016-17 onwards.

Considering the peculiar nature of the insurance industry, the guidelines incorporate special provisions relating to the Committees of the Board, the qualifications and experience criteria for auditors, independent directors, corporate social responsibility obligations, etc. The guidelines have closely aligned the stipulations for insurance companies with the provisions of the Companies Act, 2013. The appointment and reporting of the Key Management Persons (KMPs) and the members of the Board of directors has been integrated into the Corporate Governance Guidelines. Insurance companies need to ensure proper procedure of recommendation by the Nomination and Remuneration Committee for the appointment of KMPs by the Board and would need to maintain proper records of due diligence in respect of such appointments.

The guidelines also provide for various kinds of disclosures in the Annual Reports by the insurance companies. The guidelines seek to benchmark the governance standards and practices as well as the disclosure requirements of the insurance companies with that of the listed entities.

The Authority has also issued guidelines regarding the remuneration of the MD & CEO and the Non-Executive Directors. The guidance mainly relates to the various components of the remuneration, both fixed and variable and the manner of payment of the same. The remuneration and compensation policy and the payment of incentives should be under a Board approved policy and should be uniformly implemented across the organization.

III.7 Levying fees and other charges for carrying out the purposes of the Act

III.7.1 The existing fee structure for insurers and intermediaries is indicated in Annexure 2.

III.8. Calling for information from, undertaking inspection of, conducting enquiries and investigations including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organizations connected with the insurance business

III.8.1 The Authority, through the Inspection Department, pursues its on-site supervision of the regulated entities with regard to their **observance of / compliance to provisions of relevant Acts, Regulations, Guidelines/ Circulars, Directions, Standards, etc.**

III.8.2 Section 33 of Insurance Act, 1938 and Sec.14(2)(h) of the IRDAI Act, 1999 lay down the statutory provisions to carry out on-site inspection including investigation of insurance companies, intermediaries, insurance intermediaries and other organizations connected with the insurance business. Supervisory oversight, at the minimum involves a two-pronged approach, viz., off-site examination and on-site inspection. Comprehensive and focused inspections are undertaken at the site of the regulated entities for assessment of their functioning by examination of relevant records,

books of accounts and business activities. The standard manuals on inspection are suitably customized to assess the specific compliance status of various regulatory provisions and all other applicable laws, risk appetite of the promoters/ directors, business planning, risk management and corporate governance framework and overall risk profile.

III.8.3 During FY 2015-16, the Inspection Department has conducted 58 inspections, **the details are as under:**

- **5 Life Insurance Companies**
- **3 General Insurance Companies**
- **2 Health Insurance Companies**
- **11 Insurance Brokers**
- **14 Third Party Administrators**
- **10 Web Aggregators**
- **9 Corporate Agents, and**
- **4 Focused Inspections.**

The areas of the focus inspections included grievance redress mechanism of the insurers, payments to specific class of intermediaries and other related entities, and specific complaints received by the Authority.

III.9 Control and regulation of rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business not so controlled and regulated by the Tariff Advisory Committee under section 64U of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)

III.9.1 With de-tariffing of non-life industry w.e.f 1st January, 2007, for all classes of tariff business except motor third party cover, the first steps were initiated to ensure that the insurance companies have the freedom in pricing of the products. For motor third party cover, which is a statutory insurance cover required under the provisions of Motor Vehicles Act, 1988, the Authority has retained the powers to determine the rates, terms and conditions. The Authority vide order no. IRDA/NL/NTFN/MOTP/066/ 04/ 2011 dated 15th April, 2011 notified that long intervals between rate revision puts an avoidable strain on policyholders as well as on the insurance companies and therefore the rates would be reviewed and adjusted annually in line with the formula notified by the Authority. As per the prescriptions, the revision in the premium rates has been pegged to the cost inflation index, average claim amounts, frequency and expenses involved in servicing the motor TP business.

(a) The Authority notified Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015 on 2nd June, 2015.

(b) The Authority issued a circular (Ref: IRDA/NL/ CIR/MOTP/196/11/2015 dated 4th November, 2015) on Motor Third Party Premium rates for e-carts [A3/A4], e-rickshaws [C1(b)] and Passenger premium for Motorized two wheeler Carrying Passengers for Hire or Reward [C4].

(c) The Authority (vide circular Ref. No.: IRDA/NL/ CIR/NISC/051/03/2016 dated 15th March 2016) decided to dismantle the Indian Motor Third Party Declined Risk Pool for Commercial Vehicle (Act only Insurance) with effect from 1st April, 2016.

(d) The Authority issued an order on premium rates for Motor Third Party Liability Insurance Cover for FY 2016-17 (Ref:IRDA/NL/NFTN/ MOTP/060/03/2015 dated 28.03.2016)

(e) Insurance Information Bureau of India, vide Ref: IIB/OLB/29/2015-16, dated 2nd February

2016 issued guidelines on "Pricing of Risk" related to Loss Costs in respect of Standard Fire and Special Perils (SFSP Policy).

III.10 Specifying the form and manner in which books of accounts shall be maintained and statements of accounts shall be rendered by Insurers and other insurance intermediaries

III.10.1 The financial statements of insurers are prepared in the form and manner prescribed under the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, amended from time to time and also by various circulars and guidelines issued from time to time. Books of accounts are maintained in order to present various line items as required under these Regulations.

In case of intermediaries, books of accounts and financial statements are required to be maintained in the form and manner prescribed under the respective regulations/ circulars/ guidelines.

Wherever the Authority has not prescribed the form and manner in which books of accounts are to be maintained, provisions of Companies Act/Rules and other applicable Acts/Rules apply.

III.11. Regulating investment of funds by insurance companies

III.11.1 Investment of funds by the insurance companies is regulated by the IRDA (Investment) Regulations, 2000, amended from time to time and by various circulars and guidelines issued from time to time.

III.11.2 Providing alternate investment avenues:

During 2015-16, the Authority had permitted the insurers to invest in GILT-ETF as a part of "Approved Investments" in line with investments in Mutual Funds. GILT ETFs shall be investing in a basket of Govt. Securities Actively Traded in the market or constituents' of a publicly available index. The minimum investment by the Insurer shall not be less than Creation Unit size and shall not be reduced at any time below Creation Unit Size and value of Creation Unit Size, at the time of investment, shall not be more than ₹50 lakhs. The Overall Expense Ratio shall be less than 0.50% of the daily net assets of the scheme.

III.12 Regulating maintenance of margin of solvency:

III.12.1 Every insurer is required to maintain a Required Solvency Margin as per Section 64VA of the Insurance Act, 1938. Every insurer shall maintain an excess of the value of assets over the amount of liabilities of not less than an amount prescribed by the IRDA, which is referred to as a Required Solvency Margin. The IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 describe in detail the method of computation of the Required Solvency Margin.

III.12.2 In the case of life insurers, the minimum Required Solvency Margin is rupees fifty crore (rupees one hundred crore in the case of reinsurer) and arrived at in the manner specified by the Authority. The Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 specifies a level of solvency margin known as control level of solvency, on the breach of which, the Authority shall direct the insurer to submit a financial plan indicating a plan of action to correct the deficiency within a specified period not exceeding six months.

III.12.3 In the case of non-life insurers, the Required Solvency Margin shall be the maximum of the fifty percent of minimum capital requirement for the insurer or reinsurer; or higher of RSM-1 and RSM-2 computed as under:

- RSM-1 means the Required Solvency Margin based on net premiums, and shall be determined as twenty per cent of the amount which is higher of the Gross Premiums multiplied by a Factor A and the Net Premiums. For the purpose of calculation of RSM1, premium of the last 12 months on rolling basis will be taken into account.
- RSM-2 means the Required Solvency Margin based on net incurred claims, and shall be determined as thirty per cent of the amount which is the higher of the Gross Incurred Claims multiplied by a factor B and the Net Incurred claims.

BOX ITEM 3

NOTIFICATION OF IND-AS

The Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 were notified vide G.S.R. 111(E) dated 16th February 2015] by Ministry of Corporate Affairs (MCA). The Rules came into force from 1st April 2015 and are applicable in a phased manner to specified companies. However, insurance companies, banking companies and non-banking finance companies were exempt from this requirement.

Press Release on Ind AS in Insurance Sector :

In the press release dated 18th January 2016 MCA has laid down the roadmap for implementation of Ind AS for the insurance sector. It requires insurers/insurance companies to prepare Ind AS based financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards with comparatives for the periods ending 31st March 2018 or thereafter. Insurers shall apply Ind AS only if they meet the specified criteria. They shall not be permitted to adopt Ind AS earlier. This however, does not preclude an insurer/insurance company from providing Ind AS compliant financial statement data for the purposes of preparation of consolidated financial statements by its parent/investor as required by the parent/investor to comply with the existing requirements of law.

Initiatives of IRDAI on Ind AS

The Authority, in order to prepare the insurance industry for Ind AS and to provide suitable guidelines wherever required has taken the following initiatives

1. The Authority has constituted an Implementation Group vide Order reference IRDA/F&A/ORD/ACTS/201/11/2015 dated 17th November 2015. The Implementation Group consists of Accountants, Actuaries, Industry experts and officials of the Authority.

The Implementation Group has been mandated, under the terms of reference, to examine the implications of implementing Ind AS, address the implementation issues and facilitate formulation of operational guidelines to converge with Ind AS in the Indian Insurance sector.

Various sub-groups were formed under the Implementation group to have a focused study on various Ind AS. Sub-groups have met many times in Hyderabad and Mumbai. Reports of various sub-groups are under finalization.

2. Proforma Ind AS financial statements

The Authority has directed vide circular dated 1st March 2016 that insurers will have to submit proforma Ind AS financial statements from quarter ended 31st December 2016 onwards.

Insurers have been advised to plan the changes required for systems and processes towards implementation of Ind AS and to set up the Steering Committee within their respective organisations, comprising members from cross-functional areas to initiate the implementation process. The oversight on implementation process is required to be done by the Audit Committee of the Board. The critical issues which need to be factored in the Ind AS implementation plan include Ind AS Technical Requirements i.e., diagnostic analysis of differences between the current accounting framework and Ind AS, significant accounting policy decisions impacting financials, drafting accounting policies, preparation of disclosures, documentation, preparation of proforma Ind AS financial statements, timing the changeover

(contd...)

Contd.. **BOX ITEM 3**

NOTIFICATION OF IND-AS

to Ind AS, and dry-run of accounting systems and end-to-end reporting process before the actual conversion. The insurers have been further advised to evaluate system changes; study the business Impact and evaluate the resource requirements.

Insurers are required to assess the impact of the Ind AS implementation on their financial position including the adequacy of capital, taking into account the solvency regulation requirements and place quarterly progress reports to their Boards. The disclosure of the strategy for Ind AS implementation and progress made in this regard shall be made in the Annual Report from financial year 2015-16 until implementation.

3. Training and Outreach

The Authority in coordination with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has organised six days training program for officials of IRDAI. The Authority is also reaching out to industry on various platforms to facilitate smooth process of implementation of Ind AS in the insurance sector.

Preparations by the Industry

Insurance companies have appointed steering committees/ nodal officers to implement the requirements in their respective organisations.

Amendments to standard on Insurance Contracts by IASB

The International Accounting Standards Board (the Board) on 17th May 2016 has announced amendments to the current insurance contracts Standard, IFRS 4 to address issues that may arise from implementing the new financial instruments Standard, IFRS 9, before implementing the new insurance contracts Standard which will replace IFRS 4. The amendments indicated are as under:

- give companies that issue insurance contracts the option to remove from profit or loss the volatility that may be caused by certain changes in the measurement of financial assets when applying IFRS 9 before the new insurance contracts Standard; and

- give companies whose predominant activities are insurance-related an optional temporary exemption from applying IFRS 9 until 2021.

The Authority along with ICAI met the Industry to seek their views on the proposed changes and ICAI is working to bring about similar amendments to IFRS 4 equivalent standard in India i.e., Ind AS 104.

In order to ensure smooth transition from existing GAAP to Ind AS, the regulator is closely working with the industry and the ICAI.

III.13 Adjudication of disputes between Insurers and Intermediaries or Insurance Intermediaries

III.13.1 As per Regulation 51(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013, any disputes arising between an insurance broker and an insurer or any other person either in the course of his engagement as an insurance broker or otherwise may be referred to the Authority by the person so affected; and on receipt of the complaint or representation, the Authority may examine the complaint and if found necessary proceed to conduct an enquiry or an inspection or an investigation in terms of these regulations.

III.13.2 During the year under review, the Authority has not received any such requests for adjudication.

III.14 Specifying the percentage of premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organizations referred to in para ‘6’

III.14.1 The Authority has not prescribed any percentage of the premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organizations referred to in para (6).

BOX ITEM 4

ADJUDICATION PROCEEDINGS UNDER SECTION 105 C OF INSURANCE ACT, 1938

The Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, introduced Adjudication of violations and levying penalties on the erring entities for contravening certain requirements mentioned in various sections of the Insurance Act. Only specific violations mentioned in section 105C (1) of the Insurance act are to be adjudicated for levying penalty.

The Authority shall appoint any officer not below the rank of a Joint Director (now General Manager) or its equivalent officer to be an adjudicating officer for holding enquiry in the prescribed manner. Adjudicating Officer (AO) shall give reasonable opportunity of being heard to the concerned before issuing the inquiry report. The Authority may impose a penalty as provided in the respective sections after giving a hearing to the concerned.

While recommending the quantum of penalty by AO and while imposing such penalty by the Authority, due regard shall be given to the following factors, namely:-

a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;

b) the amount of loss caused to the policyholders as a result of the default; and

c) the repetitive nature of default

Pursuant to section 114(2)(la) of the Act, the manner of holding inquiry by the Adjudicating Officer was prescribed by the Central Govt. vide the Insurance (Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Rules, 2016 notified on 17th February, 2016. The Adjudicating procedure broadly includes:

- An Officer not below the rank of Joint Director (now General Manager) shall be appointed as Adjudicating Officer (AO).
- The AO shall, in the first instance, issue a notice to the person alleged to have committed the violation requiring him to show cause as to why an inquiry should not be held against him.
- The notice shall indicate the nature of offence alleged to have been committed.
- After considering the cause, if any, shown by the person, if the AO decides to hold an inquiry, he shall issue a notice fixing a date for appearance of that person.
- The AO has the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to produce relevant documents, evidence, etc.
- On the date fixed, the AO shall explain to the person the offence alleged to have been committed, clearly indicating the provisions of the Act alleged to have been contravened.
- The AO shall give an opportunity to the person to produce documents and evidence relevant to the inquiry.
- The AO may, after taking into account all relevant facts and the submissions made by the person, if he is satisfied that the person has contravened the provisions of any of the sections specified in section 105C(1), recommend such penalty in his inquiry report, as he thinks fit, in accordance with the respective provisions in the Act.

A brief description of the sections mentioned in section 105C(1) is given below:

Sl. No.	Sec. of Insurance Act, 1938	Requirement
1	2CB(2)	Properties in India/Ship/aircraft regd. In India cannot be insured with foreign Insurer except with the permission of the Authority.
2	34(B)(4)	Contravention of orders issued u/s 34(B)(1 &2) by the Authority to remove the managerial persons from the office (Director/CEO)

(contd...)

Contd.. **BOX ITEM 4**

ADJUDICATION PROCEEDINGS UNDER SECTION 105 C OF INSURANCE ACT, 1938

3	40(3)	Payment of Commission/remuneration/reward to unlicensed entities and also payment of these rewards without following the manner specified by the regulations. (40(1))
		Receipt of such rewards by Intermediaries also attract penalty (40(2))
4	41(2)	Prohibition of Rebates
5	42(4)	Acting as Insurance Agent without the required qualifications and acting as agent for more than one life, one health, one general and one of each of the mono line Insurers
6	42(5)	Omissions of the agent to comply with the code of conduct prescribed (vicarious liability)
7	42(D)(8)	Acting as Insurance Intermediary without the registration from the Authority
8	42(D)(9)	If the above violation is done by company/firm
9	52F	Withholding of documents / property from Administrator
10	105B	Unable to meet Rural and Social sector obligations u/s 32B
11	105B	Unable to meet Rural and Social sector Unable to meet Rural sector obligations, unorganized or informal sector, economically backward classes, crop insurance obligations u/s 32C
12	105B	Unable to meet underwriting obligations in third party risk of motor vehicles u/s 32D

III.15 Specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the insurers in the rural and social sector

III.15.1 IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations,2015 have been notified on 24th August, 2015 and shall supersede the IRDA (obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2002. The obligations stated in these regulations shall be applicable from F.Y 2016-17. Upto F.Y 2015-16 the obligations as per IRDA (obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2002 as amended from time to time were applicable.

The obligations of the insurers are as under:

III.15.2 Rural sector

(a) In respect of a **Life Insurer** the following percentages of the total number of policies written in the respective years shown below: -

Sl. No.	Financial Year from Inception	Percentage of number of policies
1	First year	7%
2	Second year	9%
3	Third year	12%
4	Fourth year	14%
5	Fifth year	16%
6	Sixth and seventh year	18%
7	Eighth and ninth year	19%
8	Tenth year and every year thereafter	20%

(b) In respect of a **General Insurer**, the percentage of gross premium income written direct in the respective years shown below: -

Sl. No.	Financial Year from Inception	Percentage of gross premium written direct
1	First year	2%
2	Second year	3%
3	Third year to seventh year	5%
4	Eighth year	6%
5	Ninth year and every year thereafter	7%

(c) In respect of **Standalone Health Insurers:-**

50% of the obligations prescribed for General Insurers.

III.15.3 Social Sector

- In respect of **all insurers** (Life, Non-Life, Standalone Health): -

Age of the Insurer in years	"Percentage of Social Sector lives" computed on the total business procured in the preceding financial year**
1	0.5%
2	1%
3	1.5%
4	2%
5	2.5%
6	3%
7	3.5%
8	4%
9	4.5%
10 and above	5%

**Total business for the purpose of these regulations is the total number of policies issued in case of individual insurance and number of lives covered in case of Group Insurance. In case of Individual health insurance policies covering the lives of family members, the lives covered under such policy may be taken into account both in determination of target as well as actual performance.

In case where an Insurer commences operations in the second half of the financial year and is in operations for less than six months as at 31st March of the relevant financial year

(i) No rural and social sector Obligations shall be applicable for the said period, and

(ii) The annual Obligations as indicated in the Regulations shall be reckoned from the FY 2016-17, that shall be treated as the first year of operations and the applicable obligations for the first year shall be 2500 lives for Social Sector. Similarly, the obligations for Rural Sector shall be half of the percentage prescribed for the first year.

III.15.4 In addition, with a view to giving fillip to micro insurance and to align the rural and social sector obligations with the micro insurance regulations, the manner of compliance has been linked to the micro insurance regulations.

PART IV
ORGANISATIONAL MATTERS

IV.1 ORGANISATION

IV.1.1 Shri T.S.Vijayan, appointed as Chairman of the Authority by Government of India with effect from 21st February, 2013 is continuing in the post. Shri M. Rama Prasad, Whole-time Member (Non-life) had retired from the services of the Authority on 1st May, 2015. Shri DD Singh, Whole-time Member (Distribution) and Ms Pournima Gupte, Whole-time Member (Actuary) continued in the Authority during the year.

The Government of India had appointed the following three Whole-time Members of the Authority:

i) Mrs Vijayalaxmi Rajaram Iyer, Whole-time Member (F&I) with effect from 15th June, 2015

ii) Shri Nilesh Sathe, Whole-time Member (Life) with effect from 1st July, 2015

iii) Shri Joseph Plappallil J, Whole-time Member (Non-life) with effect from 29th March, 2016

IV.1.2 The term of Prof. V K Gupta, Director, Management Development Institute (MDI), Gurgaon, Part-time Member of the Authority, expired on 21st February, 2016. CA M.Devaraja Reddy, President of the Institute of Chartered Accountants of India, became Part-time Member of the Authority in the place of CA Manoj Fadnis with effect from 12th February, 2016. Shri Alok Tandon, Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance was appointed as Part-time Member of the Authority with effect from 14th September, 2015 in the place of Shri Anup Wadhwan, Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance. Shri S B Mathur, Former Chairman, LIC of India continued as Part-time Member of the Authority during the year.

IV.2 MEETINGS OF THE AUTHORITY

IV.2.1 Five meetings of the Authority were held during the financial year 2015 -16. Five meetings of the Insurance Advisory Committee were convened during the same period. The details are given hereunder:

Authority Meetings:

1) 88th Meeting of the Authority held on 24th June, 2015

2) 89th Meeting of the Authority held on 12th October, 2015

3) 90th Meeting of the Authority held on 24th November, 2015

4) 91st Meeting of the Authority held on 04th January, 2016

5) 92nd Meeting of the Authority held on 11th March, 2016

Insurance Advisory Committee Meetings:

1) 26th Meeting of the IAC held on 12th June, 2015

2) 27th Meeting of the IAC held on 05th October, 2015

3) 28th Meeting of the IAC held on 22nd December, 2015

4) 29th Meeting of the IAC held on 08th February, 2016

5) 30th Meeting of the IAC held on 19th February, 2016

IV.3 HUMAN RESOURCES

IV 3.1 The staff strength and the need for additional resources are reviewed from time to time. The staff strength of the Authority as on 31-03-2016 is as under:-

Sl. No.	Class	As on 31-03-2015	As on 31-03-2016
1	I	142	141
2	III	3	19

- During the year 2015-16, one Officer in the cadre of Joint Director had retired and sixteen employees in the cadre of Assistant had joined the services of the Authority.
- The process for recruitment of 24 Junior Officers has been initiated in January, 2016.
- Four Officers were nominated for NAIC International Fellows Programme.
- Induction/advanced training programmes were organized for promotees in the cadre of Junior Officer, Assistant Director and Senior Assistant Director.

Capacity building measures taken by IRDAI

IV.3.2 As part of implementation of non-legislative recommendation of FSLRC and in order to apprise the officers of IRDAI about the content and import of the FSLRC recommendations and Indian Financial Code in general and the Non Legislative Recommendations in particular, the following training programmes were conducted by Legal Department, so that every employee of IRDAI is familiar with the key aspects of the FSLRC, IFC and Non Legislative Recommendations:

i) Three day Executive Training Programme (Residential) for Officers of IRDAI conducted by NALSAR, Hyderabad on the topics of drafting of Regulation, up-dation on Legal system within which Authority operates, Law relating to RTI and recent international trends in areas of Insurance, in which 152 participants were trained in 5 batches during June-August, 2015.

ii) Adjudication and Appeal to SAT Interactive Session with ED, SEBI on conducting of Enquiry, Enforcement and Adjudication was organized on 27.11.2015

iii) On 05.12.2015, a Session was conducted on Drafting of Regulation- Principles and Best Practices by Dr KN Chaturvedi, Former Secretary, Ministry of Law and Justice, GOI where 60 employees have participated.

iv) Three in house sessions were conducted by the Legal department on Indian Financial Code and Non Legislative Recommendations made by FSLRC in which all the employees and officers participated.

The information about FSLRC, IFC and NLRs was also placed on the Intranet for access by all staff members of IRDAI.

IV.4 INTERNAL COMMITTEE FOR WOMEN EMPLOYEES

IV.4.1 In terms of provisions of 'The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013' an internal Complaints Committee has been set up vide office order ref: IRDA/ADMN/ORD/PER/41/3/2013 dated 1st March, 2013 with a view to redressing the complaints in this regard as also to ensure compliance of various provisions laid down in the Act.

IV.4.2 The Committee felt the need to conduct workshop/s to educate employees on the Act provisions and also orientation programmes for employees.

IV.5 PROMOTION OF OFFICIAL LANGUAGE (O.L)

IV.5.1. The Insurance Regulatory and Development Authority of India continued to make concerted efforts to promote the use of Hindi in Official work and to ensure proper compliance of the provisions of Official language Act, 1963 and Rules 1976 framed hereunder.

IV.5.2. In order to ensure effective compliance of these rules and provisions, the Official Language Department of the Authority arranges Hindi to English and vis-a- vis translation, as required by the departments of the Authority, encourages all the officers / employees to use Hindi in their day to day official work by signing the documents in Hindi, conduct meetings in Hindi, make entries in the registers in Hindi, make bilingual office notes, making bilingual forwarding letters of technical and non-technical documents, using bilingual contact details in e-mails, writing comments in Hindi on the official notes, etc.

IV.5.3 All documents, laid on the table of Parliament, were also brought out in bilingual form. Sustained efforts were made to ensure proper compliance of the Official Language Policy of the Union enshrined in the Constitution of India, the Official Languages Act, the Official Languages Rules, the Annual Programme and orders issued by the Department of Official Language from time to time. All documents coming under the purview of Sec. 3(3) of the O.L. Act i.e. important notifications/regulations, circulars, orders, administrative and other reports, annual reports, press communiqués, licenses, contracts, agreements were converted into bilingual form. The letters, representations/ appeals/ RTI applications signed in Hindi were replied in Hindi ensuring compliance of Rule 5 and Rule 7 (2) of the O.L. Rules.

IV.5.4 Rajbhasha Vibhag collected the data related to Hindi Knowledge of Officers & Employees of the Authority as per the format provided by Official Language Department, Ministry of Home Affairs through online programme developed by OLI Dept. of the Authority, which is made available on the office Intranet, similarly, OLI Dept. collected data related to Quarterly Progress Report from all the departments as per the format provided by the Ministry.

IV.5.5 The Authority processed a recruitment drive for appointment of Rajbhasha Assistant in the OLI Department in the year 2015-16, who joined the services in the month of July, 2016.

IV.5.6 Official Language Department was created in the Delhi Regional Office (DRO) and one senior officer was designated as OLI Department Head and another as OLI Officer. This is the duty of both the officers to ensure the compliance of Official Language implementation at DRO with the guidance of the Headquarter.

IV.5.7 The OLI Department sent Aaj Ka Shabd" with example, Aaj Ka Suvichar" in bilingual form to all the officers / employees of the Authority on daily basis. The list of books in Hindi available in the Authority's Library was sent to all to promote all the officers / employees to develop their interest in reading Hindi books and enrich their Hindi knowledge.

IV.5.8 Authority celebrated Hindi Fortnight starting from 14th September, 2015 which was inaugurated by the Chairman of the Authority. For this celebration a Hindi Fortnight Celebration Committee was formed by taking at least one officer from each department.

During the celebrations various competitions were conducted like Essay Writing, Extempore, and Antakshari. A pen drive containing Hindi Language Promotional material was distributed amongst all Officers / Employees of the Authority. Closing ceremony of the fortnight was conducted in a big conference hall as a cultural function. An experienced Hindi Officer from Insurance Industry was invited as chief guest for the closing ceremony. Closing ceremony started with the Ganesh Vandana and lighting up the lamps by Member (Life & OL), Chief Guest and other senior officers of the Authority. 1st, 2nd, 3rd and 5 Consolation Prizes were distributed in two categories (Hindi speaking & Non-Hindi speaking) to all the officers / employees who participated in the various events during celebrations.

IV.5.9 Authority publishes its quarterly in-house magazine 'Spandan' in bilingual form; wherein Hindi and English both articles are published.

IV.5.10 Authority's Communication Department is also maintaining a website 'policyholder.gov.in' which is also bilingual. This department is regularly publishing lots of Hindi material in the consumer awareness drive called 'Bima Bemisal' which is distributed amongst general public, school students, etc. This department has also made public awareness videos & cartoon films in Hindi. Authority published its Date Calendar in bilingual form.

IV.6 RESEARCH & DEVELOPMENT

IV.6.1 The Department continues to be the nodal point for the compilation of the Annual Report and the Handbook on Indian Insurance Statistics, which is an annual publication consisting of time series data.

IV.6.2 Consequent upon the publication of first edition of the Handbook on Indian Insurance in 2008, the Research & Development department continued to extend the coverage of this publication in order to meet the increasing needs of various stakeholders in the industry. The 8th edition of the handbook was published in March 2016; with 93 time series data tables included in it. The department continues to strive at improving the coverage and content of the handbook in its 9th edition, which is likely to be released in December 2016.

IV.6.3 R & D Section has been providing various types of data to RBI, MOSPI & DFS. Some of the data are periodical in nature.

IV.6.4 The Government of India has constituted two sub-committees, one for the construction of 'Service Production Index' and another for 'Service Price Index' for the Insurance Sector. The Sub-Committee for developing the Service Production Index for the insurance sector constituted by the Ministry of Statistics and Program Implementation in February 2012, submitted its final report to MOSPI on 14.07.2015.

IV.6.5 The Sub-Committee for the development of Service Price Index for Insurance sector, constituted by the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry in December 2011, worked on multiple approaches. The draft report on Service Price Index was presented to the Expert Committee in its Joint Meeting with Technical Advisory Committee on 30.09.2015. Based on the suggestions of Expert Committee, the methodology was revisited in the seventh meeting of Sub-Committee held on 15-16.02.2016. The final report on Insurance Service Price Index is likely to be submitted in the following year.

IV.6.6 Both the Sub-Committees were chaired by Shri Sriram Taranikanti, Executive Director and were also represented by another senior officer from

IRDAI. The R&D wing of the Sectoral Development Department has been providing secretarial assistance to both the Sub-Committees. Besides, officers of the department have been closely involved in the progress of the work of the Sub-Committees.

IV.6.7 R&D Section is carrying out the research project to find out the cause of low insurance penetration in our country compared to world average and role of various Distribution Channels in connection with that.

IV.7 STATUS OF INFORMATION TECHNOLOGY

Effective supervision and monitoring can happen only if robust IT systems are in place. Information Technology department has been consistently moving towards this direction and some of the activities carried out by the department during this year are as follows:

IV.7.1 BUSINESS ANALYTICS PROJECT (BAP)

The entire system was successfully implemented and made operational after conducting User Acceptance Testing (UAT), user training (for both internal and external users) and controlled go-live for various modules of the portal. Formal circulars were issued by the user departments and the regulated entities have commenced filing the returns/ data online. The regulated entities will continue the electronic submission along with manual system in parallel. The manual filings shall be dispensed-with gradually, once the operations of these modules fully stabilise.

IV.7.2 INTERNAL APPLICATIONS

The following new applications were developed in-house and implemented for various departments during this year.

i. Application for uploading of presentations of HOD Meetings conducted.

ii. Application for uploading of various reports and minutes of State Level Coordination Committee (SLCC) meetings conducted by State Level Officers (SLOs).

iii. Application for maintenance of Legal Cases.

iv. Application for IT Help Desk complaint lodging and monitoring.

Various enhancements also carried out in the existing internal applications during this year and abstract of the same are as follows:

I. Filing procedure in Cross Border Reinsurance.

II. Conference room booking

The intranet site has also been upgraded to include Separate verticals for disseminating vigilance related information, Internal Audit and Sectoral Development Department. IT department is also in the process revamping the intranet portal to implement a collaborative working environment.

IV.7.3 SAP-ERP IMPLEMENTATION

A detailed gap analysis was conducted for ERP application to identify the gaps and also to further enhance utility of ERP application. In addition to this activity, the following were also carried out during this year

a) Selection of new AMC vendor through open tendering process

b) Setting up of Quality system in landscape

c) Fixing of gaps (except Form 16) in existing SAP ERP system

IV.7.4 OTHER ACTIVITIES

The other activities completed by the department during the year are as follows:

a) Establishment of connectivity among regional offices and HO.

b) Setting up of Networking for Mumbai Regional Office (MRO)

c) Hardening of messaging system to halt e-mail spoofing

d) Upgrading of unified threat management system

e) Upgrading of Antivirus system for robust monitoring

f) Implementation of off-site backups for important databases.

IV.8 ACCOUNTS

IV.8.1 The accounts of the Authority for the Financial Year 2015-16 have been submitted to the Comptroller and Auditor General of India (CAG). Pursuant to the provisions of Section 17 of IRDA Act, 1999, the audited accounts along with the audit report are required to be forwarded to the Government of India to be placed in both the houses of Parliament.

The audited accounts for the financial year 2014-15 were laid before the Lok Sabha on 18^{th} December 2015 and before the Rajya Sabha on 15^{th} December 2015.

IV.9 IRDAI JOURNAL

IV.9.1 IRDAI has been publishing the IRDAI Journal since 2002 every month as a transparent medium for unfettered dissemination of information among various stakeholders and observers of the industry. The Journal derives its strength from experts who have contributed to it from time to time. Articles for the IRDAI Journal are usually written by specialist and experts in the area of Insurance. IRDAI Journal strives to gather, process, and disseminate information and news related to the Insurance for its audience and aims to publish articles that are of value to the readers.

In the Journal statistical information pertaining to Life, Non-life and Health Insurance facilitates for further analysis by the academicians as well as the policy makers.

The readers of the Journal have been going up steadily and several new authors are evincing a keen interest in writing for the Journal. This has resulted in a good source of varied opinions on informative topics - both domestic as well as international. The web copy of the Journal continues to be the source of information and covers many topical issues for the various stakeholders.

IV.9.2 Each issue of the monthly Journal is centred on a contextual theme relevant to the industry. During the year 2015-16, various topics have been captured by the Journal ranging from health insurance, customer service, grievance handling in insurance industry, crop insurance, role of intermediaries in insurance industry, role of CSR Activities in insurance industry, etc. Apart from covering the widest range of thoughts and ideas in a particular domain, the practice has also enabled the coverage of articles from various contributors; thereby widening the scope of intellectual content in the Journal.

Since its inception, till March 2016, the Journal was being handled by external persons and for the first time, it is decided by the Authority to entrust the job to in-house Editor from the financial year 2016-17. The periodicity of the publication of the Journal has now been changed from monthly to quarterly and the first quarter issue of the Journal is April –June 2016.

IV.10 ACKNOWLEDGEMENTS

IV.10.1 IRDAI would like to place on record its appreciation and sincere thanks to the Members of the Board, Members of the Insurance Advisory Committee, the Reinsurance Advisory Committee, Department of Financial Services (Ministry of Finance), Members of the Consultative Committee, all insurers and intermediaries for their invaluable guidance and co-operation in its proper functioning; and to the compact team of officers and employees of IRDAI for efficient discharge of their duties. The Authority also records its special thanks to the members of the public, the press, all the professional bodies and international agencies connected with the insurance profession through their councils including the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) for their valuable contribution from time to time.

STATEMENTS

STATEMENT 1

INTERNATIONAL COMPARISON OF INSURANCE PENETRATION*

(In Per Cent)

Countries	2014**			2015**		
	Total	Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life
Australia	6.0	3.8	2.2	5.7	3.5	2.2
Brazil	3.9	2.1	1.9	3.9	2.1	1.8
France	9.1	5.9	3.1	9.3	6.2	3.1
Germany	6.5	3.1	3.4	6.2	2.9	3.4
Russia	1.4	0.2	1.2	1.4	0.2	1.2
South Africa	14.0	11.4	2.7	14.7	12.0	2.7
Switzerland	9.2	5.1	4.1	9.2	5.1	4.1
United Kingdom	10.6	8.0	2.6	10.0	7.5	2.4
United States	7.3	3.0	4.3	7.3	3.1	4.2
Asian Countries						
Hong Kong	14.2	12.7	1.4	14.8	13.3	1.5
India#	**3.3**	**2.6**	**0.7**	**3.4**	**2.7**	**0.7**
Japan#	10.8	8.4	2.4	10.8	8.3	2.6
Malaysia#	4.8	3.1	1.7	5.1	3.4	1.7
Pakistan	0.8	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3
PR China	3.2	1.7	1.5	3.6	2.0	1.6
Singapore	6.7	5.0	1.6	7.3	5.6	1.7
South Korea#	11.3	7.2	4.1	11.4	7.3	4.1
Sri Lanka	1.1	0.5	0.7	1.2	0.5	0.7
Taiwan	18.9	15.6	3.3	19.0	15.7	3.2
Thailand	5.8	3.6	2.2	5.5	3.7	1.8
World	**6.2**	**3.4**	**2.7**	**6.2**	**3.5**	**2.8**

Source: *Swiss Re, Sigma Volumes 4/2015 and 3/2016.*
** Insurance penetration is measured as ratio of premium (in US Dollars) to GDP (in US Dollars)*
*** Data pertains to the calender year 2014 and 2015.*
 # Data relates to financial year 2014-15 & 2015-16.

STATEMENT 2

INTERNATIONAL COMPARISON OF INSURANCE DENSITY*

(In US Dollar)

Countries	2014**			2015**		
	Total	Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life
Australia	3736	2382	1354	2958	1830	1128
Brazil	422	222	200	332	178	154
France	3902	2552	1350	3392	2263	1129
Germany	3054	1437	1617	2563	1181	1381
Russia	181	20	161	117	15	102
South Africa	925	748	176	843	688	155
Switzerland	7934	4391	3542	7370	4079	3292
United Kingdom	4823	3638	1185	4359	3292	1067
United States	4017	1657	2360	4096	1719	2377
Asian Countries						
Hong Kong	5647	5071	575	6271	5655	616
India#	**55**	**44**	**11**	**55**	**43**	**12**
Japan#	3778	2926	852	3554	2717	837
Malaysia#	524	338	186	472	316	157
Pakistan	11	7	4	12	8	4
PR China	235	127	109	281	153	128
Singapore	3759	2840	919	3825	2932	894
South Korea#	3163	2014	1149	3034	1940	1094
Sri Lanka	40	17	23	43	19	25
Taiwan	4072	3371	701	4094	3397	698
Thailand	323	198	125	319	215	104
World	**662**	**368**	**294**	**621**	**346**	**276**

Source: *Swiss Re, Sigma Volumes 4/2015 and 3/2016.*
** Insurance density is measured as ratio of premium (in US Dollar) to total population.*
*** Data pertains to the calender year 2014 and 2015.*
 # Data relates to financial year 2014-15 & 2015-16.

STATEMENT 3

FIRST YEAR LIFE INSURANCE PREMIUM (INCLUDING SINGLE PREMIUM)

(₹ Crore)

INSURER	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Aegon Life	--	--	--	--	--	--	--	--	31.21	150.37	274.87	207.65	135.90	147.22	207.50	136.33
Aviva	--	--	13.47	76.96	192.29	407.12	721.35	1053.98	724.56	798.37	745.39	801.86	687.40	593.76	556.89	320.80
Bajaj Allianz	--	7.14	63.39	179.55	857.45	2716.77	4302.74	6674.48	4491.43	4451.10	3465.82	2717.31	2987.90	2592.03	2702.10	2884.52
Bharti AXA	--	--	--	--	--	--	7.78	113.24	292.93	437.43	347.78	224.59	248.92	375.61	474.20	539.49
Birla Sunlife	0.32	28.11	129.57	449.86	621.31	678.12	882.72	1965.01	2820.85	2960.01	2080.30	1926.17	1836.51	1697.49	1937.94	2220.31
Canara HSBC	--	--	--	--	--	--	--	--	296.41	622.62	817.29	687.10	606.72	608.07	476.98	859.18
DHFL Pramerica	--	--	--	--	--	--	--	--	3.37	37.38	74.15	103.16	140.01	172.95	579.59	727.02
Edelweiss Tokio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.88	47.33	80.72	122.42	183.59
Exide Life	--	4.19	17.66	72.10	282.42	283.98	467.66	704.44	688.95	642.43	660.49	638.14	638.20	567.81	644.75	632.85
Future Generali	--	--	--	--	--	--	--	2.49	149.97	486.08	448.61	345.03	240.43	224.90	252.41	255.59
HDFC Standard	0.002	32.78	129.31	209.33	486.15	1042.65	1648.85	2685.37	2651.11	3257.51	4059.33	3857.47	4436.07	4038.93	5492.10	6487.22
ICICI Prudential	5.97	113.33	364.11	750.84	1584.34	2602.50	5162.13	8034.75	6811.83	6333.92	7862.14	4441.09	4808.62	3759.59	5332.13	6765.75
IDBI Federal	--	--	--	--	--	--	--	11.90	316.78	400.56	444.95	311.01	345.14	315.69	484.50	588.40
IndiaFirst	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.59	704.77	982.31	1316.42	1681.36	1538.67	1478.10
Kotak Mahindra	--	7.58	35.21	125.51	373.99	396.06	614.94	1106.62	1343.03	1333.98	1253.14	1164.27	1188.10	1271.81	1540.18	2209.66
Max Life	0.16	38.80	67.31	137.28	233.63	471.36	912.11	1597.83	1842.91	1849.08	2061.39	1901.72	1899.34	2261.60	2572.60	2881.71
PNB Metlife	--	0.48	7.70	23.41	57.52	148.53	340.44	825.35	1144.70	1061.85	706.22	1076.97	840.08	675.89	829.06	1003.17
Reliance Nippon	--	0.28	6.32	27.21	91.33	193.56	932.11	2751.05	3513.98	3920.78	3034.94	1809.29	1376.57	1933.99	2069.69	1558.33
Sahara	--	--	--	--	1.74	26.34	43.00	122.12	134.01	124.83	91.83	71.14	61.43	65.09	38.44	43.43
SBI Life	--	14.69	71.88	207.05	484.85	827.82	2563.84	4792.82	5386.64	7040.74	7589.58	6531.32	5182.88	5065.48	5529.16	7106.58
Shriram Life	--	--	--	--	--	10.33	181.17	309.99	314.47	419.50	571.99	390.99	420.65	389.83	498.52	693.79
Star Union Dai-ichi	--	--	--	--	--	--	--	--	50.19	519.87	758.69	964.77	744.80	562.85	629.93	654.19
Tata AIA	--	21.14	59.77	181.59	297.55	464.53	644.82	964.51	1142.67	1322.01	1332.21	939.55	560.16	433.76	312.05	740.79
Private Total	**6.45**	**268.51**	**965.69**	**2440.71**	**5564.57**	**10269.67**	**19425.65**	**33715.95**	**34152.00**	**38372.01**	**39385.84**	**32103.78**	**30749.58**	**29516.43**	**34821.81**	**40970.80**
		(4061.70)	**(259.65)**	**(152.74)**	**(127.99)**	**(84.55)**	**(89.16)**	**(73.56)**	**(1.29)**	**(12.36)**	**(2.64)**	**(-18.49)**	**(-4.22)**	**(-4.01)**	**(17.97)**	**(17.66)**
LIC	9700.98	19588.77	15976.76	17347.62	20653.06	28515.87	56223.56	59996.57	53179.08	71521.90	87012.35	81862.25	76611.50	90808.79	78507.72	97891.51
		(101.93)	(-18.44)	(8.58)	(19.05)	(38.07)	(97.17)	(6.71)	(-11.36)	(34.49)	(21.66)	(-5.92)	(-6.41)	(18.53)	(-13.55)	(24.69)
Industry Total	**9707.43**	**19857.28**	**16942.45**	**19788.32**	**26217.64**	**38785.54**	**75649.21**	**93712.52**	**87331.08**	**109893.91**	**126398.18**	**113966.03**	**107361.08**	**120325.22**	**113329.52**	**138862.31**
		(104.56)	**(-14.68)**	**(16.80)**	**(32.49)**	**(47.94)**	**(95.04)**	**(23.88)**	**(-6.81)**	**(25.84)**	**(15.02)**	**(-9.84)**	**(-5.80)**	**(12.08)**	**(-5.82)**	**(22.53)**

Note: *1) Figures in the brackets represent the growth over the previous year in per cent.*

2) -- represents business not started.

3) Previous years figures revised by insurers

STATEMENT 4

TOTAL LIFE INSURANCE PREMIUM

(₹ Crore)

INSURER	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Aegon Life	--	--	--	--	--	--	--	--	31.21	165.65	388.61	457.32	430.50	453.00	559.20	501.60
Aviva	--	--	13.47	81.50	253.42	600.27	1147.23	1891.88	1992.87	2378.01	2345.17	2415.87	2140.67	1878.10	1796.25	1493.15
Bajaj Allianz	--	7.14	69.17	220.80	1001.68	3133.58	5345.24	9725.31	10624.52	11419.71	9609.95	7483.80	6892.70	5843.14	6017.30	5897.31
Bharti AXA	--	--	--	--	--	--	7.78	118.41	360.41	669.73	792.02	774.16	744.52	872.65	1053.32	1208.33
Birla Sunlife	0.32	28.26	143.92	537.54	915.47	1259.68	1776.71	3272.19	4571.80	5505.66	5677.07	5885.36	5216.30	4833.05	5233.22	5579.71
Canara HSBC	--	--	--	--	--	--	--	--	296.41	842.45	1531.86	1861.08	1912.15	1823.42	1657.02	2059.96
DHFL Pramerica	--	--	--	--	--	--	--	--	3.37	38.44	95.04	167.01	236.79	305.86	735.10	920.21
Edelweiss Tokio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.88	54.83	110.90	193.08	310.07
Exide Life	--	4.19	21.16	88.51	338.86	425.38	707.20	1158.87	1442.28	1642.65	1708.95	1679.98	1742.36	1830.67	2027.48	2046.99
Future Generali	--	--	--	--	--	--	--	2.49	152.60	541.51	726.16	779.58	678.29	634.16	604.25	592.50
HDFC Standard	0.002	33.46	148.83	297.76	686.63	1569.91	2855.87	4858.56	5564.69	7005.10	9004.17	10202.40	11322.68	12062.90	14829.90	16312.98
ICICI Prudential	5.97	116.38	417.62	989.28	2363.82	4261.05	7912.99	13561.06	15356.22	16528.75	17880.63	14021.58	13538.24	12428.65	15306.62	19164.39
IDBI Federal	--	--	--	--	--	--	--	11.90	318.97	571.12	811.00	736.70	804.68	826.25	1069.62	1239.67
IndiaFirst	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.60	798.43	1297.93	1690.08	2143.36	2034.11	1967.40
Kotak Mahindra	--	7.58	40.32	150.72	466.16	621.85	971.51	1691.14	2343.19	2868.05	2975.51	2937.43	2777.78	2700.79	3038.05	3971.68
Max Life	0.16	38.95	96.59	215.25	413.43	788.13	1500.28	2714.60	3857.26	4860.54	5812.63	6390.53	6638.70	7278.54	8171.62	9216.16
PNB Metlife	--	0.48	7.91	28.73	81.53	205.99	492.71	1159.54	1996.64	2536.01	2508.17	2677.50	2429.52	2240.59	2461.19	2827.83
Reliance Nippon	--	0.28	6.47	31.06	106.55	224.21	1004.66	3225.44	4932.54	6604.90	6571.15	5497.62	4045.39	4283.40	4621.08	4398.12
Sahara	--	--	--	--	1.74	27.66	51.00	143.49	206.47	250.59	243.41	225.95	205.38	204.63	166.86	157.05
SBI Life	--	14.69	72.39	225.67	601.18	1075.32	2928.49	5622.14	7212.10	10104.03	12945.29	13133.74	10450.03	10738.60	12867.11	15825.36
Shriram Life	--	--	--	--	--	10.33	184.16	358.05	436.17	611.27	821.52	644.16	618.07	594.24	734.66	1022.11
Star Union Dai-ichi	--	--	--	--	--	--	--	--	50.19	530.37	933.31	1271.95	1068.80	948.75	1134.68	1307.47
Tata AIA	--	21.14	81.21	253.53	497.04	880.19	1367.18	2046.35	2747.50	3493.78	3985.22	3630.30	2760.43	2323.70	2122.66	2478.96
Private Total	**6.45**	**272.55**	**1119.06**	**3120.33**	**7727.51**	**15083.54**	**28253.00**	**51561.42**	**64497.43**	**79369.94**	**88165.24**	**84182.83**	**78398.91**	**77359.36**	**88434.35**	**100499.03**
		(4124.31)	**(310.59)**	**(178.83)**	**(147.65)**	**(95.19)**	**(87.31)**	**(82.50)**	**(25.09)**	**(23.06)**	**(11.08)**	**(-4.52)**	**(-6.87)**	**(-1.33)**	**14.32**	**(13.64)**
LIC	34892.02	49821.91	54628.49	63533.43	75127.29	90792.22	127822.84	149789.99	157288.04	186077.31	203473.40	202889.28	208803.58	236942.30	239667.65	266444.21
		(42.79)	(9.65)	(16.30)	(18.25)	(20.85)	(40.79)	(17.19)	(5.01)	(18.30)	(9.35)	(-0.29)	(2.92)	(13.48)	(1.15)	(11.17)
Industry Total	**34898.47**	**50094.46**	**55747.55**	**66653.75**	**82854.80**	**105875.76**	**156075.84**	**201351.41**	**221785.47**	**265447.25**	**291638.64**	**287072.11**	**287202.49**	**314301.66**	**328102.01**	**366943.23**
		(43.54)	**(11.28)**	**(19.56)**	**(24.31)**	**(27.78)**	**(47.41)**	**(29.01)**	**(10.15)**	**(19.69)**	**(9.87)**	**(-1.57)**	**(0.05)**	**(9.44)**	**(4.39)**	**(11.84)**

Note: *1) Figures in the brackets represent the growth over the previous year in per cent.*
2) -- represents business not started.
3) Previous years figures revised by insurers

STATEMENT 5

LINKED AND NON-LINKED PREMIUM OF LIFE INSURERS FOR 2015-16

(Premium in ₹ Crore)

Insurer	Total Premium					Linked Premium					Non-Linked Premium				
	Regular	Single	First Year	Renewal	Total	Regular	Single	First Year	Renewal	Total	Regular	Single	First Year	Renewal	Total
AEGON LIFE	133.92	2.40	136.33	365.27	501.60	31.13	0.67	31.80	133.33	165.13	102.79	1.73	104.53	231.95	336.48
AVIVA	312.19	8.61	320.80	1172.34	1493.15	162.34	3.86	166.19	444.41	610.60	149.85	4.76	154.61	727.93	882.54
BAJAJ ALLIANZ	1393.80	1490.71	2884.52	3012.79	5897.31	381.28	618.99	1000.27	731.10	1731.37	1012.52	871.72	1884.25	2281.70	4165.94
BHARTI AXA	358.82	180.67	539.49	668.84	1208.33	4.51	3.37	7.88	157.58	165.46	354.31	177.30	531.61	511.26	1042.87
BIRLA SUNLIFE	2173.43	46.87	2220.31	3359.41	5579.71	1048.54	18.57	1067.12	2168.41	3235.52	1124.89	28.30	1153.19	1191.00	2344.19
CANARA HSBC	437.79	421.40	859.18	1200.78	2059.96	348.64	18.95	367.59	958.76	1326.35	89.15	402.44	491.59	242.02	733.61
DHFL PRAMERICA	148.85	578.17	727.02	193.19	920.21	10.04	30.22	40.26	21.90	62.17	138.81	547.95	686.75	171.29	858.04
EDELWEISS TOKIO	150.04	33.55	183.59	126.47	310.07	29.04	15.58	44.63	14.12	58.74	121.00	17.96	138.96	112.36	251.32
EXIDE LIFE	565.82	67.04	632.85	1414.14	2046.99	20.94	9.31	30.25	181.95	212.20	544.88	57.73	602.61	1232.18	1834.79
FUTURE GENERALI	249.05	6.53	255.59	336.91	592.50	20.80	2.99	23.78	59.11	82.89	228.26	3.55	231.81	277.80	509.61
HDFC STANDARD	3296.49	3190.73	6487.22	9825.76	16312.98	1882.10	954.85	2836.95	5771.45	8608.39	1414.40	2235.88	3650.27	4054.31	7704.58
ICICI PRUDENTIAL	4924.38	1841.37	6765.75	12398.64	19164.39	4116.43	1450.35	5566.78	8815.16	14381.94	807.95	391.02	1198.97	3583.48	4782.45
IDBI FEDERAL	310.32	278.08	588.40	651.27	1239.67	50.18	183.65	233.83	56.30	290.14	260.14	94.43	354.57	594.96	949.53
INDIAFIRST	218.79	1259.31	1478.10	489.30	1967.40	92.40	46.46	138.86	403.51	542.37	126.39	1212.85	1339.23	85.79	1425.03
KOTAK MAHINDRA	1646.68	562.98	2209.66	1762.02	3971.68	586.93	125.56	712.49	585.41	1297.90	1059.76	437.42	1497.17	1176.60	2673.78
MAX LIFE	2082.79	798.92	2881.71	6334.45	9216.16	576.48	32.85	609.33	1637.95	2247.28	1506.31	766.07	2272.38	4696.50	6968.89
PNB METLIFE	958.15	45.02	1003.17	1824.67	2827.83	266.84	8.81	275.65	646.93	922.58	691.31	36.21	727.52	1177.73	1905.26
RELIANCE NIPPON	1446.70	111.63	1558.33	2839.79	4398.12	689.92	17.14	707.07	621.41	1328.48	756.77	94.49	851.26	2218.37	3069.64
SAHARA	12.45	30.98	43.43	113.62	157.05	0.11	3.19	3.31	8.07	11.38	12.34	27.79	40.12	105.55	145.67
SBI LIFE	4630.54	2476.04	7106.58	8718.79	15825.36	2594.66	638.69	3233.35	3661.41	6894.76	2035.88	1837.34	3873.23	5057.38	8930.61
SHRIRAM LIFE	420.13	273.66	693.79	328.32	1022.11	7.79	30.45	38.25	19.74	57.98	412.33	243.21	655.54	308.58	964.13
STAR UNION DAI-ICHI	553.34	100.85	654.19	653.28	1307.47	42.75	61.44	104.18	316.56	420.75	510.59	39.41	550.01	336.72	886.73
TATA AIA	724.84	15.95	740.79	1738.17	2478.96	255.65	9.64	265.28	482.71	747.99	469.19	6.32	475.51	1255.46	1730.97
PRIVATE TOTAL	**27149.32**	**13821.47**	**40970.80**	**59528.23**	**100499.03**	**13219.51**	**4285.59**	**17505.10**	**27897.27**	**45402.37**	**13929.82**	**9535.88**	**23465.70**	**31630.96**	**55096.65**
LIC	23829.38	74062.13	97891.51	168552.70	266444.21	29.14	1.27	30.41	1438.79	1469.21	23800.24	74060.86	97861.10	167113.90	264975.00
GRAND TOTAL	**50978.71**	**87883.60**	**138862.31**	**228080.93**	**366943.23**	**13248.65**	**4286.86**	**17535.51**	**29336.07**	**46871.58**	**37730.06**	**83596.74**	**121326.79**	**198744.86**	**320071.65**

Note : *1) First Year Premium = Regular Premium + Single Premium*
2) Total Premium = First Year Premium + Renewal Premium

Contd.. **STATEMENT 5**

LINKED AND NON-LINKED PREMIUM OF LIFE INSURERS FOR 2014-15

(Premium in ₹ Crore)

Insurer	Total Premium					Linked Premium					Non-Linked Premium				
	Regular	Single	First Year	Renewal	Total	Regular	Single	First Year	Renewal	Total	Regular	Single	First Year	Renewal	Total
AEGON LIFE	206.28	1.22	207.50	351.69	559.20	32.95	0.45	33.40	160.48	193.89	173.33	0.77	174.10	191.21	365.31
AVIVA	546.04	10.86	556.89	1239.36	1796.25	113.53	4.71	118.24	615.39	733.63	432.51	6.15	438.65	623.97	1062.62
BAJAJ ALLIANZ	1501.02	1201.07	2702.10	3315.20	6017.30	331.27	643.57	974.84	771.03	1745.88	1169.75	557.50	1727.25	2544.17	4271.42
BHARTI AXA	350.48	123.73	474.20	579.12	1053.32	6.10	1.92	8.02	236.22	244.24	344.37	121.80	466.18	342.90	809.08
BIRLA SUNLIFE	1896.37	41.57	1937.94	3295.28	5233.22	665.13	12.57	677.70	2322.42	3000.12	1231.24	29.01	1260.25	972.86	2233.10
CANARA HSBC	336.35	140.63	476.98	1180.04	1657.02	249.22	4.90	254.12	964.08	1218.19	87.13	135.73	222.86	215.96	438.82
DHFL PRAMERICA	140.21	439.38	579.59	155.51	735.10	8.54	0.23	8.77	30.38	39.15	131.67	439.15	570.82	125.13	695.95
EDELWEISS TOKIO	105.30	17.12	122.42	70.66	193.08	17.64	4.95	22.58	5.10	27.69	87.66	12.17	99.84	65.56	165.40
EXIDE LIFE	429.09	215.67	644.75	1382.72	2027.48	20.94	9.31	30.25	181.95	212.20	408.15	206.36	614.51	1200.77	1815.28
FUTURE GENERALI	245.89	6.52	252.41	351.84	604.25	21.80	4.32	26.12	69.72	95.84	224.09	2.20	226.29	282.11	508.40
HDFC STANDARD	2927.90	2564.20	5492.10	9337.80	14829.90	1845.36	530.68	2376.04	5950.92	8326.96	1082.54	2033.51	3116.06	3386.88	6502.94
ICICI PRUDENTIAL	4573.17	758.96	5332.13	9974.49	15306.62	3884.90	480.25	4365.15	6799.21	11164.35	688.27	278.71	966.98	3175.28	4142.26
IDBI FEDERAL	257.64	226.86	484.50	585.12	1069.62	17.30	105.24	122.54	84.57	207.11	240.34	121.62	361.96	500.56	862.52
INDIAFIRST	155.67	1383.01	1538.67	495.43	2034.11	91.74	76.24	167.98	444.98	612.96	63.93	1306.77	1370.69	50.45	1421.14
KOTAK MAHINDRA	1061.42	478.76	1540.18	1497.88	3038.05	269.02	137.95	406.98	622.47	1029.45	792.40	340.80	1133.20	875.41	2008.61
MAX LIFE	1924.78	647.82	2572.60	5599.02	8171.62	521.52	38.69	560.21	1553.96	2114.18	1403.26	609.13	2012.39	4045.05	6057.44
PNB METLIFE	812.90	16.16	829.06	1632.12	2461.19	307.22	9.53	316.75	674.92	991.67	505.68	6.63	512.31	957.21	1469.52
RELIANCE NIPPON	1971.09	98.59	2069.69	2551.40	4621.08	505.52	21.74	527.26	668.46	1195.72	1465.57	76.86	1542.43	1882.93	3425.36
SAHARA	10.35	28.10	38.44	128.41	166.86	0.10	2.89	2.99	13.99	16.99	10.24	25.21	35.45	114.42	149.87
SBI LIFE	3330.72	2198.44	5529.16	7337.95	12867.11	1379.84	555.29	1935.12	3351.78	5286.90	1950.88	1643.15	3594.03	3986.17	7580.21
SHRIRAM LIFE	273.46	225.06	498.52	236.13	734.66	2.04	24.38	26.42	32.65	59.07	271.42	200.68	472.10	203.49	675.59
STAR UNION DAI-ICHI	551.74	78.19	629.93	504.75	1134.68	218.41	34.70	253.11	284.37	537.48	333.33	43.48	376.81	220.39	597.20
TATA AIA	293.91	18.14	312.05	1810.61	2122.66	54.44	1.44	55.88	631.20	687.08	239.48	16.69	256.17	1179.41	1435.58
PRIVATE TOTAL	**23901.76**	**10920.05**	**34821.81**	**53612.54**	**88434.35**	**10564.52**	**2705.96**	**13270.48**	**26470.27**	**39740.75**	**13337.24**	**8214.09**	**21551.33**	**27142.28**	**48693.60**
LIC	23112.20	55395.51	78507.72	161159.94	239667.65	0.68	1.36	2.04	1875.01	1877.05	23111.52	55394.15	78505.67	159284.93	237790.60
GRAND TOTAL	**47013.97**	**66315.56**	**113329.52**	**214772.48**	**328102.01**	**10565.21**	**2707.32**	**13272.53**	**28345.28**	**41617.80**	**36448.76**	**63608.24**	**100057.00**	**186427.20**	**286484.20**

Note : *1) First Year Premium = Regular Premium + Single Premium*
2) Total Premium = First Year Premium + Renewal Premium

STATEMENT 6

INDIVIDUAL DEATH CLAIMS FOR THE YEAR 2015-16

(Benefit Amount in ₹crore)

Life Insurer	Claims pending at start of the period		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated / rejected		Claims written back		Claims pending at at end of the period		Break up of claims pending -- duration wise (Policies)				
	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	< 3 mths	3 - < 6 mths	6 - < 1 yr	> 1 yr	Total
Aegon Religare	1	0.10	532	42.54	533	42.64	508	40.15	20	1.12	0	0.00	5	1.37	5	0	0	0	5
					100%	100%	95.31%	94.16%	3.75%	2.63%	-	-	0.94%	3.21%	100.00%				100%
Aviva	9	2.07	1522	138.54	1531	140.60	1255	101.39	266	36.02	0.00	0.00	10	3.20	10	0	0	0	10
					100%	100%	81.97%	72.11%	17.37%	25.62%	-	-	0.65%	2.27%	100.00%				100%
Bajaj Allianz	624	36.36	17343	404.30	17967	440.67	16404	352.46	1140	56.47	0.00	0.00	423	31.73	377	46	0	0	423
					100%	100%	91.30%	79.98%	6.34%	12.82%	-	-	2.35%	7.20%	89.13%	10.87%			100%
Bharti Axa	32	3.29	1229	68.70	1261	71.99	1009	50.79	166	13.66	0.00	0.00	86	7.55	68	18	0	0	86
					100%	100%	80.02%	70.55%	13.16%	18.97%	-	-	6.82%	10.48%	79.07%	20.93%			100%
Birla Sunlife	142	17.72	7062	259.79	7204	277.51	6372	215.97	566	37.40	0.00	0.00	266	24.14	225	10	5	26	266
					100%	100%	88.45%	77.82%	7.86%	13.48%	-	-	3.69%	8.70%	84.59%	3.76%	1.88%	9.77%	100%
Canara HSBC OBC	18	2.38	553	30.51	571	32.89	531	30.05	36	2.25	0.00	0.00	4	0.59	1	0	1	2	4
					100%	100%	92.99%	91.37%	6.30%	6.83%	-	-	0.70%	1.80%	25.00%		25.00%	50.00%	100%
DHFL Pramerica	55	2.41	495	16.45	550	18.87	460	13.80	74	4.29	3.00	0.05	13	0.73	13	0	0	0	13
					100%	100%	83.64%	73.14%	13.45%	22.72%	0.55%	0.25%	2.36%	3.89%	100.00%				100%
Edelweiss Tokio	6	1.03	135	15.31	141	16.34	120	14.13	18	2.13	0	0.00	3	0.08	3	0	0	0	3
					100%	100%	85.11%	86.47%	12.77%	13.04%	-	-	2.13%	0.49%	100.00%				100%
Exide Life	48	4.15	3185	76.60	3233	80.75	2889	51.69	327	27.96	0	0.00	17	1.11	17	0	0	0	17
					100%	100%	89.36%	64.01%	10.11%	34.62%	-	-	0.53%	1.37%	100.00%				100%
Future Generali	38	1.75	1492	30.47	1530	32.22	1381	25.93	132	5.50	0.00	0.00	17	0.79	14	1	2	0	17
					100%	100%	90.26%	80.48%	8.63%	17.07%	-	-	1.11%	2.45%	82.35%	5.88%	11.76%		100%
HDFC Standard	275	53.55	12155	378.96	12430	432.51	11811	300.19	540	105.07	0.00	0.00	79	27.25	72	7	0	0	79
					100%	100%	95.02%	69.41%	4.34%	24.29%	-	-	0.64%	6.30%	91.14%	8.86%			100%
ICICI Prudential	96	14.14	10938	446.43	11034	460.57	10615	405.63	386	46.70	0.00	0.00	33	8.24	32	0	0	1	33
					100%	100%	96.20%	88.07%	3.50%	10.14%	-	-	0.30%	1.79%	96.97%			3.03%	100%
IDBI Federal	44	3.56	1041	49.55	1085	53.11	920	43.39	145	8.40	0	0.00	20	1.32	19	0	0	1	20
					100%	100%	84.79%	81.69%	13.36%	15.82%	-	-	1.84%	2.49%	95.00%			5.00%	100%
India First	82	6.14	1809	59.60	1891	65.74	1359	41.35	482	20.75	0	0.00	50	3.64	44	6	0	0	50
					100%	100%	71.87%	62.90%	25.49%	31.56%	-	-	2.64%	5.54%	88.00%	12.00%			100%

Note: *1) First row across each insurer shows the absolute figures whereas second row shows percentage of the respective total claims.*

Contd.. **STATEMENT 6**

INDIVIDUAL DEATH CLAIMS FOR THE YEAR 2015-16

(Benefit Amount in ₹crore)

Life Insurer	Claims pending at start of the period		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated / rejected		Claims written back		Claims pending at at end of the period		Break up of claims pending -- duration wise (Policies)				
	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	< 3 mths	3 - < 6 mths	6 - < 1 yr	> 1 yr	Total
Kotak Mahindra Old Mutual	87	8.19	2680	103.86	2767	112.05	2465	93.65	210	11.00	0.00	0.00	92	7.40	21	12	14	45	92
					100%	100%	89.09%	83.58%	7.59%	9.82%	-	-	3.32%	6.60%	22.83%	13.04%	15.22%	48.91%	100%
Max Life	6	2.09	9169	278.97	9175	281.07	8895	261.91	276	16.94	0.00	0.00	4	2.21	4	0	0	0	4
					100%	100%	96.95%	93.19%	3..01%	6.03%	-	-	0.04%	0.79%	100.00%				100%
PNB Met Life	37	6.74	3057	163.41	3094	170.14	2641	125.42	427	40.93	0	0.00	26	3.80	23	3	0	0	26
					100%	100%	85.36%	73.71%	13.80%	24.06%	-	-	0.84%	2.23%	88.46%	11.54%			100%
Reliance Life	1050	32.84	13568	234.11	14618	266.96	13714	220.42	721	35.76	0	0.00	183	10.77	163	7	4	9	183
					100%	100%	93.82%	82.57%	4.93%	13.40%	-	-	1.25%	4.03%	89.07%	3.83%	2.19%	4.92%	100%
Sahara	28	0.29	766	7.41	794	7.70	717	6.95	52	0.45	0	0.00	25	0.29	24	1	0	0	25
					100%	100%	90.30%	90.35%	6.55%	5.85%	-	-	3.15%	3.79%	96.00%	4.00%			100%
SBI Life	470	31.40	15632	437.71	16102	469.10	15037	389.58	767	38.45	0	0.00	298	41.06	120	24	44	110	298
					100%	100%	93.39%	83.05%	4.76%	8.20%	-	-	1.85%	8.75%	40.27%	8.05%	14.77%	36.91%	100%
Shriram	220	11.48	2290	75.86	2510	87.35	1512	42.05	726	33.22	0.00	0.00	272	12.07	232	26	5	9	272
					100%	100%	60.24%	48.15%	28.92%	38.04%	-	-	10.84%	13.82%	85.29%	9.56%	1.84%	3.31%	100%
Star Union	4	0.33	1361	47.87	1365	48.20	1102	32.48	72	3.54	0.00	0.00	191	12.18	127	55	7	2	191
					100%	100%	80.73%	67.39%	5.27%	7.34%	-	-	13.99%	25.28%	66.49%	28.80%	3.66%	1.05%	100%
Tata AIA	37	2.45	3274	89.96	3311	92.41	3205	87.09	106	5.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	96.80%	94.24%	3.20%	5.76%	-	-	-	-					0%
Private Total	**3409**	**244.46**	**111288**	**3456.93**	**114697**	**3701.39**	**104922**	**2946.49**	**7655**	**553.33**	**3**	**0.05**	**2117**	**201.52**	**1614**	**216**	**82**	**205**	**2117**
					100%	**100%**	**91.48%**	**79.60%**	**6.67%**	**14.95%**	**0.00%**	**0.00%**	**1.85%**	**5.44%**	**76.24%**	**10.20%**	**3.87%**	**9.68%**	**100%**
LIC	3652	207.63	758331	9929.46	761983	10137.09	749249	9690.17	7502	183.18	1318	21.03	3914	243	693	796	1441	984	3914
					100%	100%	98.33%	95.59%	0.98%	1.81%	0.17%	0.21%	0.51%	2.39%	17.71%	20.34%	36.82%	25.14%	100%
Industry Total	**7061**	**452.09**	**869619**	**13386.39**	**876680**	**13838.48**	**854171**	**12636.66**	**15157**	**736.51**	**1321**	**21.08**	**6031**	**444.23**	**2307**	**1012**	**1523**	**1189**	**6031**
					100%	**100%**	**97.43%**	**91.32%**	**1.73%**	**5.32%**	**0.15%**	**0.15%**	**0.69%**	**3.21%**	**38.25%**	**16.78%**	**25.25%**	**19.71%**	**100%**

Note: *1) First row across each insurer shows the absolute figures whereas second row shows percentage of the respective total claims.*

STATEMENT 7

GROUP DEATH CLAIMS FOR THE YEAR 2015-16

(Benefit Amount in ₹crore)

Life Insurer	Claims pending at start of the period		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated / rejected		Claims written back		Claims pending at at end of the period		Break up of claims pending -- duration wise (Lives)				
	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	< 3 mths	3 - < 6 mths	6 - < 1 yr	> 1 yr	Total
Aegon Religare	0	0.00	1	0.09	1	0.09	1	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-					0%
Aviva	0	0.00	2075	10.85	2075	10.85	2068	10.76	7	0.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.66%	99.16%	0.34%	0.84%	-	-	-	0.00%					0%
Bajaj Allianz	323	9.16	150211	509.14	150534	518.30	148840	486.44	1595	23.22	0.00	0.00	99	8.64	96	3	0	0	99
					100%	100%	98.87%	93.85%	1.06%	4.48%	-	-	0.07%	1.67%	96.97%	3.03%			100%
Bharti Axa	0	0.00	209	15.48	209	15.48	175	12.45	28	2.32	0.00	0.00	6	0.71	6	0	0	0	6
					100%	100%	83.73%	80.41%	13.40%	15.01%	-	-	2.87%	4.58%	100.00%				100%
Birla Sunlife	0	0.00	2312	113.29	2312	113.29	2309	112.97	3	0.33	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.87%	99.71%	0.13%	0.29%	-	-	-	0.00%					0%
Canara HSBC OBC	1	0.00	540	5.35	541	5.35	525	4.33	15	0.72	0.00	0.00	1	0.30	1	0	0	0	1
					100%	100%	97.04%	80.99%	2.77%	13.47%	-	-	0.18%	5.54%	100.00%				100%
DHFL Pramerica	432	2.25	15525	58.73	15957	60.98	15733	53.29	176	4.60	0.00	0.00	48	3.09	47	1	0	0	48
					100%	100%	98.60%	87.39%	1.10%	7.54%	-	-	0.30%	5.07%	97.92%	2.08%			100%
Edelweiss Tokio	8	0.18	1264	10.74	1272	10.92	1269	10.90	0	0.00	0	0.00	3	0.02	3	0	0	0	3
					100%	100%	99.76%	99.85%	-	-	-	-	0.24%	0.15%	100.00%				100%
Exide Life	0	0.00	698	23.68	698	23.68	697	23.61	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.86%	99.68%	0.14%	0.32%	-	-	-	0.00%					0%
Future Generali	12435	18.12	191	29.23	12626	47.34	198	24.69	0	0.00	0.00	0.00	12428	22.65	10	3	1	12414	12428
					100%	100%	1.57%	52.16%	-	-	-	-	98.43%	47.84%	0.08%	0.02%	0.01%	99.89%	100%
HDFC Standard	0	0.00	13814	115.22	13814	115.22	13742	106.33	72	8.89	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.48%	92.28%	0.52%	7.72%	-	-	-	0.00%					0%
ICICI Prudential	8	1.96	1876	81.09	1884	83.05	1876	81.12	-3	-0.41	0.00	0.00	11	2.34	6	0	0	5	11
					100%	100%	99.58%	97.68%	-0.16%	-0.49%	-	-	0.58%	2.81%	54.55%			45.45%	100%
IDBI Federal	1	0.13	1755	19.06	1756	19.19	1753	18.43	3	0.30	0	0.00	0	0.46	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.83%	96.04%	0.17%	1.55%	-	-	-	2.41%					0%
India First	28	1.10	6486	117.30	6514	118.40	6197	108.91	288	8.10	0	0.00	29	1.39	24	1	0	4	29
					100%	100%	95.13%	91.98%	4.42%	6.84%	-	-	0.45%	1.18%	82.76%	3.45%		13.79%	100%

Note: *1) First row across each insurer shows the absolute figures whereas second row shows percentage of the respective total claims.*

Contd... **STATEMENT 7**

GROUP DEATH CLAIMS FOR THE YEAR 2015-16

(Benefit Amount in ₹crore)

Life Insurer	Claims pending at start of the period		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated / rejected		Claims written back		Claims pending at at end of the period		Break up of claims pending -- duration wise (Lives)				
	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	< 3 mths	3 - < 6 mths	6 - < 1 yr	> 1 yr	Total
Kotak Mahindra Old Mutual	44	3.10	34728	282.73	34772	285.83	34501	272.03	204	9.12	0.00	0.00	67	4.69	11	10	24	22	67
					100%	100%	99.22%	95.17%	0.59%	3.19%	-	-	0.19%	1.64%	16.42%	14.93%	35.82%	32.84%	100%
Max Life	1	0.53	3702	47.84	3703	48.36	3688	46.40	15	1.96	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.59%	95.95%	0.41%	4.05%	-	-	-	0.00%					0%
PNB Met Life	4	0.22	1923	132.93	1927	133.15	1915	132.26	11	0.48	0	0.00	1	0.41	1	0	0	0	1
					100%	100%	99.38%	99.33%	0.57%	0.36%	-	-	0.05%	0.31%	100.00%				100%
Reliance Life	3	0.06	6386	51.41	6389	51.47	6354	50.26	19	0.73	0	0.00	16	0.48	14	1		1	16
					100%	100%	99.45%	97.65%	0.30%	1.41%	-	-	0.25%	0.94%	87.50%	6.25%		6.25%	100%
Sahara	0	0.00	69	0.07	69	0.07	67	0.07	0	0.00	0	0.00	2	0.00	2	0	0	0	2
					100%	100%	97.10%	97.10%	-	-	-	-	2.90%	2.90%	100.00%				100%
SBI Life	179	8.46	19753	525.66	19932	534.12	19523	510.08	273	16.69	0	0.00	136	7.35	76	19	8	33	136
					100%	100%	97.95%	95.50%	1.37%	3.12%	-	-	0.68%	1.38%	55.88%	13.97%	5.88%	24.26%	100%
Shriram	0	0.00	14589	96.20	14589	96.20	14575	95.77	14	0.43	0.00	0.00	0	0.00					0
					100%	100%	99.90%	99.56%	0.10%	0.44%	-	-	-	0.00%					0%
Star Union	0	0.19	5081	88.42	5081	88.61	4740	80.29	32	1.64	0.00	0.00	309	6.68	242	53	14	0	309
					100%	100%	93.29%	90.61%	0.63%	1.85%	-	0.00%	6.08%	7.54%	78.32%	17.15%	4.53%		100%
Tata AIA	36	1.92	1142	61.76	1178	63.69	1147	61.51	31	2.17	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	97.37%	96.59%	2.63%	3.40%	-	-	-	0.01%					0%
Private Total	**13503**	**47.38**	**284330**	**2396.28**	**297833**	**2443.66**	**281893**	**2303.00**	**2784**	**81.44**	**0**	**0.00**	**13156**	**59.22**	**539**	**91**	**47**	**12479**	**13156**
					100%	**100%**	**94.65%**	**94.24%**	**0.93%**	**3.33%**	**-**	**0.00%**	**4.42%**	**2.42%**	**4.10%**	**0.69%**	**0.36%**	**94.85%**	**100%**
LIC	885	7.31	246619	2495.62	247504	2502.93	246745	2494.03	101	0.50	0	0.00	658	8.40	120	47	70	421	658
					100%	100%	99.69%	99.64%	0.04%	0.02%	-	-	0.27%	0.34%	18.24%	7.14%	10.64%	63.98%	100%
Industry Total	**14388**	**54.69**	**530949**	**4891.90**	**545337**	**4946.59**	**528638**	**4797.03**	**2885**	**81.94**	**0**	**0.00**	**13814**	**67.62**	**659**	**138**	**117**	**12900**	**13814**
					100%	**100%**	**96.94%**	**96.98%**	**0.53%**	**1.66%**	**-**	**0.00%**	**2.53%**	**1.37%**	**4.77%**	**1.00%**	**0.85%**	**93.38%**	**100%**

Note: *1) First row across each insurer shows the absolute figures whereas second row shows percentage of the respective total claims.*

STATEMENT 8

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS

(₹ Crore)

INSURER	LIFE FUND											
	Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Housing & Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		Total (Life Fund)	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
AEGON RELIGARE	469.94	317.64	7.44	4.68	192.78	109.97	74.34	64.87	1.01	35.94	745.51	533.10
AVIVA	2367.60	1856.75	138.99	139.02	798.23	596.10	254.54	246.97	0.00	0.01	3559.36	2838.85
BAJAJ ALLIANZ	11331.19	9881.46	1117.83	1427.01	3722.47	3200.89	3635.21	2901.38	247.78	136.11	20054.48	17546.85
BHARTI AXA	458.78	278.25	231.50	186.45	265.84	149.64	359.70	250.88	71.18	32.59	1387.00	897.81
BIRLA SUNLIFE	2615.63	1995.60	77.95	77.96	1195.58	1079.14	586.14	552.11	480.18	103.36	4955.48	3808.17
CANARA HSBC	1005.68	833.20	31.51	31.35	618.06	395.34	93.42	70.36	109.80	72.47	1858.47	1402.72
DHFL PRAMERICA	688.97	576.39	57.99	20.27	379.39	302.81	149.77	120.27	6.44	3.33	1282.56	1023.08
EDELWEISS TOKIO	287.22	168.86	0.00	0.00	298.08	74.19	556.02	404.92	108.59	20.33	1249.91	668.30
EXIDE LIFE	3527.82	2576.99	177.78	165.87	1166.29	1180.56	849.86	766.16	121.40	92.88	5843.15	4782.46
FUTURE GENERALI	671.07	557.79	165.53	195.47	295.95	378.92	384.83	327.09	19.46	2.33	1536.84	1461.60
HDFC STANDARD	10596.93	8067.26	474.75	292.74	3711.23	3513.82	5308.53	4159.49	1009.63	279.76	21101.07	16313.07
ICICI PRUDENTIAL	12585.83	10431.94	1176.79	527.10	4145.91	3500.40	4779.58	4590.95	492.53	186.52	23180.64	19236.91
IDBI FEDERAL	1342.37	1069.31	227.58	151.00	593.71	575.95	637.84	466.51	12.48	0.00	2813.98	2262.76
INDIAFIRST	440.80	323.25	86.99	61.41	212.48	132.44	191.77	143.12	8.73	1.25	940.77	661.47
KOTAK MAHINDRA	4341.62	2927.05	69.39	192.40	1049.43	865.47	979.10	860.33	259.00	171.12	6698.54	5016.37
MAX LIFE	13521.13	10230.86	1350.40	1289.68	3468.72	2832.14	3474.23	2544.62	126.85	92.68	21941.33	16989.97
PNB METLIFE	3725.39	3424.25	210.71	154.09	1520.00	1285.19	1166.58	346.39	0.00	0.00	6622.68	5209.91
RELIANCE	4210.02	2476.41	431.02	827.34	1846.97	1512.09	1366.35	1038.34	163.77	144.69	8018.13	5998.86
SAHARA	318.76	289.99	202.72	188.71	300.87	244.14	92.59	96.96	36.01	31.21	950.95	851.01
SBI LIFE	11741.14	9123.22	777.26	889.25	4203.34	3365.59	4847.37	3449.26	879.66	182.93	22448.77	17010.24
SHRIRAM LIFE	384.17	423.66	247.49	118.40	224.89	203.20	371.04	241.70	178.78	107.20	1406.37	1094.16
STAR UNION DAI-ICHI	884.62	685.29	86.30	86.35	291.30	244.20	380.07	170.72	17.61	1.64	1659.90	1188.20
TATA AIA	6431.51	5878.60	343.94	325.94	2009.89	1702.44	1395.95	770.83	0.00	6.55	10181.29	8684.36
PRIVATE TOTAL	**93948.19**	**74394.02**	**7691.86**	**7352.49**	**32511.41**	**27444.61**	**31934.83**	**24584.24**	**4350.89**	**1704.90**	**170437.18**	**135480.26**
LIC	602617.50	548898.83	369746.35	321376.39	153600.13	147066.38	372257.61	317999.04	28794.17	24488.24	1527015.76	1359828.88
INDUSTRY TOTAL	**696565.69**	**623292.85**	**377438.21**	**328728.88**	**186111.54**	**174510.99**	**404192.44**	**342583.28**	**33145.06**	**26193.14**	**1697452.94**	**1495309.14**

Contd... **STATEMENT 8**

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS

(₹ Crore)

INSURER	PENSION & GENERAL ANNUITY & GROUP FUND							
	Central Govt - Securities		State Govt & Other Approved Securities		Approved Investments		Total (Pension & General Annuity & Group Fund)	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
AEGON RELIGARE	3.80	3.74	0.35	0.35	1.14	0.23	5.29	4.32
AVIVA	191.42	352.33	1.02	1.02	195.58	312.65	388.02	666.01
BAJAJ ALLIANZ	1501.96	1383.15	595.84	336.22	2511.24	2246.41	4609.04	3965.78
BHARTI AXA	56.84	48.98	54.18	18.77	153.34	87.82	264.36	155.57
BIRLA SUNLIFE	953.87	728.60	98.91	85.25	1406.41	1027.61	2459.19	1841.46
CANARA HSBC	378.82	243.69	93.33	83.40	610.22	433.57	1082.37	760.66
DLF PRAMERICA	259.80	128.78	5.02	5.02	257.23	134.48	522.05	268.28
EDELWEISS TOKIO	18.59	14.83	0.00	0.00	14.98	7.38	33.57	22.21
EXIDE LIFE	664.17	573.28	99.08	103.65	687.53	681.59	1450.78	1358.52
FUTURE GENERALI	105.95	101.21	96.08	52.83	231.15	159.75	433.18	313.79
HDFC STANDARD	2711.60	1794.90	624.51	599.15	4084.92	3374.96	7421.03	5769.01
ICICI PRUDENTIAL	2209.97	2138.75	166.19	257.57	937.89	1465.21	3314.05	3861.53
IDBI FEDERAL	79.70	56.25	84.28	53.58	134.37	131.10	298.35	240.93
INDIAFIRST	1976.01	1445.47	574.60	544.17	2158.30	1751.33	4708.91	3740.97
KOTAK MAHINDRA	229.48	171.18	75.25	42.30	222.16	140.96	526.89	354.44
MAX LIFE	418.13	323.86	70.25	56.99	221.49	190.22	709.87	571.07
PNB METLIFE	78.10	130.83	0.97	5.99	91.32	85.86	170.39	222.68
RELIANCE	154.00	305.6002	73.96	165.82	193.98	569.74	421.94	1041.15
SAHARA	2.58	2.68	0.00	0.00	0.28	0.43	2.86	3.11
SBI LIFE	9288.70	7689.10	2611.23	2337.14	9085.13	8927.19	20985.06	18953.43
SHRIRAM LIFE	71.79	68.72	36.74	13.11	161.98	110.36	270.51	192.19
STAR UNION DAI-ICHI	372.47	282.34	137.29	115.99	370.47	375.64	880.23	773.97
TATA AIA	295.94	262.92	23.84	36.9600	261.72	279.05	581.50	578.93
PRIVATE TOTAL	**22023.69**	**18251.19**	**5522.92**	**4915.27**	**23992.83**	**22493.55**	**51539.44**	**45660.00**
LIC	112460.06	81411.04	145244.51	96910.06	154959.34	165491.47	412663.91	343812.57
INDUSTRY TOTAL	**134483.75**	**99662.23**	**150767.43**	**101825.33**	**178952.17**	**187985.02**	**464203.35**	**389472.57**

Contd... **STATEMENT 8**

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS

(₹ Crore)

INSURER	UNIT LINKED FUND						TOTAL (ALL FUNDS)	
	Approved Investments		Other Investments		Total (ULIP Funds)			
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
AEGON RELIGARE	993.02	1129.02	41.12	46.28	1034.14	1175.31	1784.94	1712.73
AVIVA	4768.04	5536.92	36.61	80.94	4804.65	5617.85	8752.03	9122.71
BAJAJ ALLIANZ	18430.99	20429.20	790.47	1215.84	19221.46	21645.04	43884.98	43157.67
BHARTI AXA	1321.22	1741.65	104.00	167.20	1425.22	1908.85	3076.58	2962.23
BIRLA SUNLIFE	22044.12	23348.63	1284.15	1046.77	23328.27	24395.40	30742.94	30045.03
CANARA HSBC	6375.65	7239.68	469.16	380.33	6844.81	7620.01	9785.65	9783.39
DLF PRAMERICA	220.71	249.54	2.48	1.91	223.19	251.44	2027.80	1542.80
EDELWEISS TOKIO	104.45	54.69	9.62	4.92	114.07	59.61	1397.55	750.13
EXIDE LIFE	2010.05	2310.07	142.01	158.71	2152.06	2468.78	9445.99	8609.76
FUTURE GENERALI	661.56	865.71	30.47	12.84	692.03	878.55	2662.05	2653.94
HDFC STANDARD	44037.25	43332.60	1689.76	1587.72	45727.01	44920.32	74249.11	67002.40
ICICI PRUDENTIAL	73655.26	73437.94	1640.52	1339.59	75295.78	74777.54	101790.47	97875.98
IDBI FEDERAL	1614.90	1743.13	11.24	13.42	1626.14	1756.55	4738.47	4260.24
INDIAFIRST	3227.69	3490.13	19.68	105.36	3247.37	3595.49	8897.05	7997.93
KOTAK MAHINDRA	8998.39	9048.67	552.86	631.44	9551.25	9680.11	16776.68	15050.92
MAX LIFE	12451.46	12742.31	702.33	657.26	13153.79	13399.57	35804.99	30960.61
PNB METLIFE	6594.22	7273.07	88.11	30.54	6682.33	7303.62	13475.40	12736.20
RELIANCE	7055.17	8293.98	440.50	493.77	7495.67	8787.75	15935.74	15827.76
SAHARA	188.08	267.99	0.59	3.54	188.67	271.53	1142.48	1125.65
SBI LIFE	34227.88	33994.08	1794.01	815.99	36021.89	34810.07	79455.72	70773.75
SHRIRAM LIFE	818.72	1027.09	43.80	36.59	862.52	1063.68	2539.40	2350.03
STAR UNION DAI-ICHI	2989.91	3389.13	65.61	33.49	3055.52	3422.62	5595.65	5384.79
TATA AIA	7961.07	10021.27	263.83	238.42	8224.90	10259.69	18987.69	19522.98
PRIVATE TOTAL	**260749.81**	**270966.49**	**10222.93**	**9102.88**	**270972.74**	**280069.37**	**492949.36**	**461209.63**
LIC	68224.31	81404.95	1214.95	1266.15	69439.26	82671.10	2009118.93	1786312.55
INDUSTRY TOTAL	**328974.12**	**352371.44**	**11437.88**	**10369.03**	**340412.00**	**362740.47**	**2502068.29**	**2247522.18**

STATEMENT 9

EQUITY SHARE CAPITAL OF LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Insurer	As on 31st March, 2015"	Infusion During the year	As on 31st March, 2016	Foreign Promoter	Indian Promoter	FDI
AEGON LIFE	1310.50	48.94	1359.44	666.13	693.31	49.00%
AVIVA LIFE	2004.90	0.00	2004.90	521.27	1483.63	26.00%
BAJAJ ALLIANZ	150.70	0.00	150.70	39.18	111.52	26.00%
BHARTI AXA	2115.70	170.50	2286.20	1120.24	1165.96	49.00%
BIRLA SUNLIFE	1901.21	0.00	1901.21	494.31	1406.90	26.00%
CANARA HSBC	950.00	0.00	950.00	247.00	703.00	26.00%
DHFL PRAMERICA	374.06	0.00	374.06	97.26	276.80	26.00%
EDELWEISS TOKIO	180.29	81.30	261.59	128.18	133.41	49.00%
EXIDE LIFE	1750.00	0.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00%
FUTURE GENERALI	1452.00	0.00	1452.00	370.26	1081.74	25.50%
HDFC STANDARD	1994.88	0.41	1995.29	518.67	1476.62	25.99%
ICICI PRUDENTIAL	1431.72	0.60	1432.32	370.78	1061.53	25.89%
IDBI FEDERAL	799.78	0.11	799.89	208.00	591.89	26.00%
INDIAFIRST	475.00	150.00	625.00	162.50	462.50	26.00%
KOTAK MAHINDRA	510.29	0.00	510.29	132.68	377.61	26.00%
MAX LIFE	1918.81	0.00	1918.81	479.70	1439.11	25.00%
PNB METLIFE	2012.88	0.00	2012.88	523.35	1489.53	26.00%
RELIANCE NIPPON	1196.32	0.00	1196.32	586.20	610.12	49.00%
SAHARA	232.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00%
SBI LIFE	1000.00	0.00	1000.00	260.00	740.00	26.00%
SHRIRAM LIFE	175.00	0.05	175.05	0.00	175.05	0.00%
STAR UNION DAI-ICHI	250.00	0.00	250.00	65.00	185.00	26.00%
TATA AIA	1953.50	0.00	1953.50	507.91	1445.59	26.00%
Total (Private Sector)	**26139.55**	**451.91**	**26591.46**	**7498.63**	**19092.83**	**28.20%**
LIC	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00%
Total (Life)	**26239.55**	**451.91**	**26691.46**	**7498.63**	**19192.83**	**28.09%**

STATEMENT 10

QUARTERLY SOLVENCY RATIO OF LIFE INSURERS IN INDIA DURING THE FINANCIAL YEAR 2015-16

S.No	Name of the Life Insurer	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015	31.03.2016
1	AEGON Life Insurance Co. Ltd.	1.97	2.21	1.70	2.20
2	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	3.92	3.93	3.89	3.84
3	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	7.87	8.09	7.97	7.93
4	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	2.00	1.62	1.69	2.19
5	Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	2.14	2.14	2.11	2.11
6	Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd.	3.53	3.84	4.04	4.11
7	DHFL Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	12.79	13.12	12.15	10.31
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	2.27	2.58	2.42	2.64
9	Exide Life Insurance Company Limited	2.74	2.52	2.42	2.65
10	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	2.73	2.58	2.35	2.03
11	HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.	2.08	2.04	1.95	1.98
12	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	3.40	3.28	3.20	3.20
13	IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	5.13	4.85	4.80	4.06
14	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	1.63	1.58	2.16	2.17
15	Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Co. Ltd.	3.21	3.16	3.20	3.11
16	Life Insurance Corporation of India	1.52	1.56	1.55	1.55
17	Max Life Insurance Co. Ltd.	4.27	4.01	4.02	3.43
18	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	2.18	2.18	2.18	2.11
19	Reliance Life Insurance Co. Ltd.	3.65	3.68	3.62	3.04
20	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	8.15	8.05	8.24	8.04
21	SBI Life Insurance Co. Ltd.	2.10	2.15	2.16	2.12
22	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	3.41	3.29	2.98	2.43
23	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	1.71	1.77	1.89	1.86
24	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	3.62	3.61	3.53	3.48

Source: *BAP submissions of Life Insurers*

STATEMENT 11

GROSS DIRECT PREMIUM OF NON-LIFE INSURERS (WITHIN & OUTSIDE INDIA)

(₹ Crore)

INSURER	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
BAJAJ ALLIANZ	--	141.96	296.48	476.53	851.62	1272.29	1786.34	2379.92	2619.29	2482.33	2869.96	3286.62	4001.4	4516.44	5229.84	5832.15
BHARTI AXA	--	--	--	--	--	--	--	--	28.50	310.82	553.90	884.00	1218.43	1423.15	1457.06	1274.41
CHOLAMANDALAM	--	--	14.79	97.05	169.25	220.18	311.73	522.34	685.44	784.85	967.99	1346.54	1620.89	1855.11	1890.43	2452.00
FUTURE GENERALI	--	--	--	--	--	--	--	9.81	186.49	376.61	600.16	919.76	1105.39	1262.55	1438.24	1555.26
HDFC ERGO	--	--	9.49	112.95	175.63	200.94	194.00	220.60	339.21	915.40	1279.91	1839.46	2453.2	2906.98	3182.2	3379.55
ICICI LOMBARD	--	28.13	211.66	486.73	873.86	1582.86	2989.07	3307.12	3402.04	3295.06	4251.87	5150.14	6133.99	6856.16	6677.79	8090.71
IFFCO TOKIO	5.83	70.51	213.33	322.24	496.64	892.72	1144.47	1128.15	1374.06	1457.84	1783.18	1975.24	2565.03	2930.92	3329.96	3691.33
KOTAK MAHINDRA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71
L&T	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.24	143.40	182.07	253.78	331.71	473.39
RAHEJA QBE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.32	4.90	14.79	21.3	23.23	21.62	28.76
RELIANCE	1.07	77.46	185.68	161.06	161.68	162.33	912.23	1946.42	1914.88	1979.65	1655.43	1712.55	2010.01	2388.82	2715.83	2791.56
ROYAL SUNDARAM	0.24	71.13	184.44	257.76	330.70	458.64	598.20	694.41	803.36	913.11	1143.99	1479.79	1560	1437.04	1569.2	1694.12
SBI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43.02	250.14	770.85	1187.57	1576.9	2039.85
SHRIRAM	--	--	--	--	--	--	--	--	113.76	416.93	780.89	1266.44	1541.38	1510.59	1496.51	1712.27
TATA AIG	--	78.46	233.93	343.52	448.24	572.70	710.55	782.64	823.92	853.80	1173.09	1641.57	2135.08	2362.71	2714.13	2958.56
UNIVERSAL SOMPO	--	--	--	--	--	--	--	0.48	30.14	189.28	299.10	404.58	534.35	540.44	701.1	903.79
MAGMA HDI												0.00	95.14	424.93	473.59	403.94
LIBERTY VIDEOCON												0.00	2.19	129.81	283.85	408.72
PRIVATE SECTOR	**7.14**	**467.65**	**1349.80**	**2257.83**	**3507.62**	**5362.66**	**8646.57**	**10991.89**	**12321.09**	**13977.00**	**17424.63**	**22315.03**	**27950.70**	**32010.30**	**35089.96**	**39694.07**
		(6453.98)	**(188.64)**	**(67.27)**	**(55.35)**	**(52.89)**	**(61.24)**	**(27.12)**	**(12.09)**	**(13.44)**	**(24.67)**	**(28.07)**	**(25.26)**	**(14.52)**	**(9.59)**	**(13.12)**
NATIONAL	2227.73	2439.41	2869.87	3399.97	3810.65	3536.34	3827.12	4021.97	4295.85	4645.99	6245.17	7815.69	9194.6122	10260.96	11282.62	12018.98
NEW INDIA	3493.05	4198.06	4812.79	4921.47	5103.16	5675.54	5936.78	6151.97	6455.79	7099.14	8225.51	10073.88	11873.4881	13727.6	15480.35	17763.31
ORIENTAL	2247.10	2498.64	2868.15	2899.74	3090.55	3609.77	4020.78	3900.22	4077.89	4854.67	5569.88	6194.60	6737.6574	7282.53	7561.92	8611.59
UNITED	2524.00	2781.48	2969.63	3063.47	2944.46	3154.78	3498.77	3739.56	4277.77	5239.05	6376.66	8179.29	9266.0376	9708.93	10691.73	12250.36
PUBLIC SECTOR	**10491.88**	**11917.59**	**13520.44**	**14284.65**	**14948.82**	**15976.44**	**17283.45**	**17813.71**	**19107.31**	**21838.85**	**26417.21**	**32263.46**	**37071.7953**	**40980.06**	**45016.62**	**50644.24**
	--	**(13.59)**	**(13.45)**	**(5.65)**	**(4.65)**	**(6.87)**	**(8.18)**	**(3.07)**	**(7.26)**	**(14.30)**	**(20.96)**	**(22.13)**	**(14.90)**	**(10.54)**	**(9.85)**	**(12.50)**
PUBLIC & PRIVATE TOTAL	**10499.02**	**12385.24**	**14870.25**	**16542.49**	**18456.45**	**21339.10**	**25930.02**	**28805.60**	**31428.40**	**35815.85**	**43841.84**	**54578.49**	**65022.4953**	**72990.36**	**80106.58**	**90338.31**
	--	**(17.97)**	**(20.06)**	**(11.25)**	**(11.57)**	**(15.62)**	**(21.51)**	**(11.09)**	**(9.11)**	**(13.96)**	**(22.41)**	**(24.49)**	**(19.14)**	**(12.12)**	**(9.74)**	**(12.77)**
AIC	--	--	--	369.21	549.72	555.83	564.67	835.11	833.44	1520.40	1950.05	2576.85	3297.42	3395.00	2739.69	3521.22
ECGC	--	338.52	374.78	445.48	515.55	577.33	617.66	668.37	744.68	813.00	885.47	1004.83	1157.25	1303.72	1362.39	1320.73
SPECIALISED INSURERS	**0.00**	**338.52**	**374.78**	**814.70**	**1065.26**	**1133.17**	**1182.33**	**1503.47**	**1578.12**	**2333.39**	**2835.52**	**3581.68**	**4454.67**	**4698.72**	**4102.08**	**4841.95**
	--	**--**	**(10.71)**	**(117.38)**	**(30.76)**	**(6.37)**	**(4.34)**	**(27.16)**	**(4.96)**	**(47.86)**	**(21.52)**	**(26.31)**	**(24.37)**	**(5.48)**	**(-12.7)**	**(18.04)**
APOLLO MUNICH	--	--	--	--	--	--	--	2.97	48.14	114.66	282.69	475.64	619.99	692.47	803.12	1022.18
CIGNA TTK														0.33	21.82	143.82
MAX BUPA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.13	25.53	99.08	207.22	308.85	372.65	476.01
RELIGARE HEALTH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.79	152.30	275.80	503.32
STAR HEALTH	--	--	--	--	--	--	22.51	168.19	509.86	961.65	1227.55	1085.06	860.21	1091.07	1469.19	2007.34
STANDALONE HEALTH INSURERS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22.51**	**171.16**	**558.01**	**1076.44**	**1535.77**	**1659.78**	**1726.21**	**2245.02**	**2942.58**	**4152.67**
	--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		**660.34**	**226.02**	**92.91**	**42.67**	**8.08**	**4.00**	**30.05**	**31.07**	**41.12**
	--	--	--	--	--	--	(0)	(660.34)	(226.02)	(92.91)	(42.67)	(8.08)	(4)	(30.05)	(31.07)	(41.12)
GRAND TOTAL	**10499.02**	**12723.76**	**15245.02**	**17357.18**	**19521.71**	**22472.27**	**27134.86**	**30480.23**	**33564.52**	**39225.68**	**48213.12**	**59819.96**	**71203.38**	**79934.14**	**87151.24**	**99332.93**
	(0)	**(21.19)**	**(19.82)**	**(13.85)**	**(12.47)**	**(15.11)**	**(20.75)**	**(12.33)**	**(10.12)**	**(16.87)**	**(22.91)**	**(24.07)**	**(19.03)**	**(12.26)**	**(9.03)**	**(13.98)**

Note: *Figures in the bracket represents the growth over the previous year in per cent.*

-- represents business not started.

STATEMENT 12

SEGMENT WISE GROSS DIRECT PREMIUM INCOME OF NON-LIFE INSURERS (WITHIN INDIA)

(₹ Lakh)

Insurer/Segments	Fire		Marine		Motor		Health		Others		TOTAL	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
PRIVATE INSURERS												
BAJAJ ALLIANZ	43098	47627	12308	14154	291838	327729	79751	94225	95991	99481	522985	583215
BHARTI AXA	7793	6236	3206	2592	109352	101991	17623	9937	7732	6686	145707	127442
CHOLAMANDALAM	12434	20468	6413	7571	127909	166761	23797	31136	18490	19264	189043	245200
FUTURE GENERALI	13312	16200	5779	6114	82810	92785	18930	20405	22994	20023	143825	155526
HDFC ERGO	37469	42171	10669	10440	105165	117430	94285	109288	70633	58625	318221	337955
ICICI LOMBARD	54474	63270	24643	29980	341581	414981	155049	166284	92033	134555	667780	809071
IFFCO TOKIO	23240	26595	11394	11673	214197	240714	39039	48178	45127	41973	332997	369133
KOTAK MAHINDRA	-	0	-	0	-	362	-	9	-	0	-	371
L&T	4181	6009	946	1448	20486	30194	4856	6837	2702	2851	33171	47339
RAHEJA QBE	62	77	0	3	42	543	32	15	2027	2238	2163	2876
RELIANCE	18932	25908	4599	5079	164254	166053	51970	56457	31829	25660	271584	279156
ROYAL SUNDARAM	7958	9409	3403	3320	115943	127391	24205	23595	5411	5696	156920	169412
SBI	51469	61535	1751	2220	53865	70794	38694	51678	11911	17757	157690	203985
SHRIRAM	1595	1971	76	128	146131	166641	562	657	1288	1829	149652	171227
TATA AIG	34863	38494	24905	26543	122458	141136	37928	39840	51260	49842	271414	295855
UNIVERSAL SOMPO	11924	13103	1614	1687	25130	31577	13891	14845	17551	29167	70111	90379
MAGMA HDI	2978	2913	1081	1239	40119	33448	134	177	3048	2618	47360	40394
LIBERTY VIDEOCON	1941	2780	367	797	19216	27447	5405	6985	1457	2863	28386	40872
PRIVATE INSURER TOTAL	**327722**	**384765**	**113153**	**124989**	**1980497**	**2257979**	**606151**	**680547**	**481483**	**521129**	**3509009**	**3969408**
PUBLIC INSURER												
NATIONAL	92133	89655	29859	25835	517748	566460	389597	428410	94852	87247	1124189	1197607
NEW INDIA	164489	169184	66528	61753	536601	617729	412739	505864	140583	160422	1320940	1514951
ORIENTAL	96161	98403	39793	42033	286170	315064	220022	277815	98649	98159	740796	831474
UNITED	125149	131139	52673	43828	416917	472854	340887	437828	133547	139387	1069173	1225036
PUBLIC INSURER TOTAL	**477933**	**488380**	**188853**	**173449**	**1757435**	**1972107**	**1363246**	**1649918**	**467631**	**485215**	**4255097**	**4769068**
STANDALONE HEALTH INSURERS												
APOLLO MUNICH	-	-	-	-	-	-	80313	102218	-	-	80313	102218
CIGNA TTK	-	-	-	-	-	-	2183	14382	-	-	2183	14382
MAX BUPA	-	-	-	-	-	-	37266	47601	-	-	37266	47601
RELIGARE	-	-	-	-	-	-	27580	50332	-	-	27580	50332
STAR HEALTH	-	-	-	-	-	-	146919	200734	-	-	146919	200734
STANDALONE HEALTH INSURERS TOTAL	-	-	-	-	-	-	**294261**	**415267**			**294261**	**415267**
SPECIALISED INSURERS												
ECGC	-	-	-	-	-	-	-	-	136240	132073	136240	132073
AIC	-	-	-	-	-	-	-	-	273970	352122	273970	352122
SPECIALISED INSURERS TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	**410210**	**484195**	**410210**	**484195**
Grand Total	**805654**	**873146**	**302006**	**298437**	**3737932**	**4230085**	**2263657**	**2745731**	**1359324**	**1490539**	**8468577**	**9637938**

Note: *Health includes Personal Accident and Travel Insurance*

STATEMENT 13

HEALTH INSURANCE (EXCLUDING TRAVEL -DOMESTIC/OVERSEAS AND PERSONAL ACCIDENT) GROSS PREMIUM AND NUMBER OF PERSONS COVERED (2015-16)

(No. of Policies in Actuals) (No. of Persons in '000) (Gross premium in ₹Lakh)

Name of the Insurance Company	Government Sponsored Schemes including RSBY			Group Insurance Schemes excluding Govt Sponsored Schemes			Individual Family Floater			Individual Other than Family Floater			TOTAL		
	No. of policies	No. of Persons Covered	Gross Premium	No. of policies	No. of Persons Covered	Gross Premium	No. of policies	No. of Persons Covered	Gross Premium	No. of policies	No. of Persons Covered	Gross Premium	No. of policies	No. of Persons Covered	Gross Premium
Bajaj Allianz				2211	1210	36882	170740	500	14978	262597	457	20765	435548	2167	72625
Bharti AXA				1474	282	7394				19528	36	924	21002	318	8319
Chola MS	9	1874	1141	11332	1447	15519	40043	136	2099	26723	37	1477	78107	3494	20236
Future Generali		3976	594	868	297	11231	16105	65	1389	14028	27	954	31001	4364	14167
HDFC ERGO		71		1257	348	10333	172931	435	18179	282337	244	28630	456525	1098	57142
ICICI Lombard	52	19200	3489	3497	2518	62437	109928	315	17350	653053	664	58491	766530	22697	141767
IFFCO Tokio	28	5226	7536	982	1606	26639	81819	317	5890	60868	85	2784	143697	7234	42849
Kotak General							56	0.16	5	71	0.08	4	127	0.24	9
Liberty Videocon				424	223	5548	1436	4	162	4088	4	186	5948	231	5897
L&T General	8	606	702	84	89	961	37294	113	2564	33148	45	2329	70534	852	6556
Magma HDI										1	0.001	0.05	1	0.001	0.05
Raheja QBE										84	0.08	2	84	0.08	2
Reliance	34	17074	25813	898	1878	18321	52724	162	4858	25581	27	1974	79237	19141	50966
Royal Sundaram				576	388	6700	71419	184	5199	109832	230	7757	181827	802	19656
SBI General				3860	2137	20611	2649	16	238	20821	26	709	27330	2179	21558
Shriram General															
Tata AIG	10	1526	3567	1574	423	3543	102745	224	4092	38762	56	4828	143091	2229	16030
Universal Sompo				3873	762	7184	170328	369	6158	684	1	14	174885	1132	13356
Private Total	**141**	**49552**	**42841**	**32910**	**13608**	**233304**	**1030217**	**2839**	**83162**	**1552206**	**1940**	**131827**	**2615474**	**67938**	**491134**
National	21	75493	86903	10021	5262	182105	584809	1620	32715	1154480	2727	101438	1749331	85102	403161
New India	106	62039	67200	14726	10508	245391	480488	1613	42584	1210877	2965	128358	1706197	77124	483532
Oriental	8	2469	1435	223061	5410	160471	756652	2046	65221	449703	910	33671	1429424	10835	260798
United India	142	79670	47041	99502	19706	270817	304349	1440	31243	789670	2686	62473	1193663	103502	411574
Public Total	**277**	**219671**	**202578**	**347310**	**40886**	**858784**	**2126298**	**6719**	**171763**	**3604730**	**9288**	**325940**	**6078615**	**276563**	**1559065**
Apollo Munich				1036	1090	29800	330059	1068	42469	244925	375	22236	576020	2533	94505
Cigna TTK				5	9	5421	33903	102	4842	32681	33	3319	66589	144	13582
Max Bupa	3	1046	425	135	317	3852	134069	372	16180	130861	306	27098	265068	2040	47555
Religare	0	86	26	1728	635	16760	114297	360	14944	106582	116	12790	222607	1198	44520
Star Health	12	2917	1534	5444	496	14131	1316551	4394	130364	669551	740	48363	1991558	8547	194392
Stand Alone Health Insurers Total	**15**	**4049**	**1985**	**8348**	**2546**	**69964**	**1928879**	**6297**	**208801**	**1184600**	**1570**	**113806**	**3121842**	**14461**	**394555**
Grand Total	**433**	**273272**	**247404**	**388568**	**57039**	**1162052**	**5085394**	**15855**	**463725**	**6341536**	**12797**	**571573**	**11815931**	**358962**	**2444754**

STATEMENT 14

INCURRED CLAIMS RATIO-PUBLIC SECTOR NON-LIFE INSURERS 2015-16

INSURER	Net Earned Premium (₹ In Lakh)						Claims Incurred (Net) (₹ In Lakh)						Incurred Claims Ratio (%)					
	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total
PUBLIC INSURERS																		
NATIONAL	75646	20572	517057	388709	77155	1079138	68787	10480	464899	429135	54939	1028240	90.93	50.94	89.91	110.40	71.21	95.28
NEW INDIA	207326	47300	650000	445045	146313	1495983	147197	27244	531431	510180	98067	1314119	71.00	57.60	81.76	114.64	67.03	87.84
ORIENTAL	56559	29018	295944	235960	84908	702390	43533	21685	203258	270132	49351	587959	76.97	74.73	68.68	114.48	58.12	83.71
UNITED	79068	28877	417281	375121	101939	1002287	58754	20656	301372	458596	40732	880109	74.31	71.53	72.22	122.25	39.96	87.81
TOTAL	**418599**	**125767**	**1880282**	**1444835**	**410314**	**4279798**	**318270**	**80064**	**1500960**	**1668042**	**243090**	**3810427**	**76.03**	**63.66**	**79.83**	**115.45**	**59.24**	**89.03**
SPECIALISED INSURERS																		
ECGC	-	-	-	-	979	979	-	-	-	-	1001	1001	-	-	-	-	102.22	102.22
AIC	-	-	-	-	1862	1862	-	-	-	-	1856	1856	-	-	-	-	99.66	99.66
TOTAL	-	-	-	-	**2841**	**2841**	-	-	-	-	**2857**	**2857**	-	-	-	-	**100.54**	**100.54**
GRAND TOTAL	**418599**	**125767**	**1880282**	**1444835**	**413155**	**4282639**	**318270**	**80064**	**1500960**	**1668042**	**245946**	**3813283**	**76.03**	**63.66**	**79.83**	**115.45**	**59.53**	**89.04**

INCURRED CLAIMS RATIO-PUBLIC SECTOR NON-LIFE INSURERS 2014-15

INSURER	Net Earned Premium (₹. In Lakh)						Claims Incurred (Net) (₹ In Lakh)						Incurred Claims Ratio (%)					
	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total
PUBLIC INSURERS																		
NATIONAL	75331	20138	477416	332965	83965	989816	56333	11748	262074	366344	71019	767518	74.78	58.34	54.89	110.02	84.58	77.54
NEW INDIA	188733	61104	569219	368785	143688	1331529	144152	32167	496170	364302	82012	1118804	76.38	52.64	87.17	98.78	57.08	84.02
ORIENTAL	59002	30019	263244	200410	89841	642517	42506	12129	203850	234517	33149	526150	72.04	40.40	77.44	117.02	36.90	81.89
UNITED	80640	30454	368224	299246	103059	881623	60651	25865	252524	356057	49205	744303	75.21	84.93	68.58	118.98	47.74	84.42
TOTAL	**403706**	**141714**	**1678103**	**1201406**	**420554**	**3845484**	**303642**	**81908**	**1214618**	**1321220**	**235386**	**3156775**	**75.21**	**57.80**	**72.38**	**109.97**	**55.97**	**82.09**
SPECIALISED INSURERS																		
ECGC	-	-	-	-	101927	101927	-	-	-	-	116350	116350	-	-	-	-	114.15	114.15
AIC	-	-	-	-	159838	159838	-	-	-	-	173371	173371	-	-	-	-	108.47	108.47
TOTAL	-	-	-	-	**261765**	**261765**	-	-	-	-	**289721**	**289721**	-	-	-	-	**110.68**	**110.68**
GRAND TOTAL	**403706**	**141714**	**1678103**	**1201406**	**682319**	**4107249**	**303642**	**81908**	**1214618**	**1321220**	**525106**	**3446495**	**75.21**	**57.80**	**72.38**	**109.97**	**76.96**	**83.91**

STATEMENT 15

INCURRED CLAIMS RATIO-PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS 2015-16

INSURER	Net Earned Premium (₹ In Lakh)						Claims Incurred (Net) (₹ In Lakh)						Incurred Claims Ratio (%)					
	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total
BAJAJ ALLIANZ	16585	8488	288564	79332	29396	**422365**	11125	4135	207964	59450	22712	**305386**	67.08	48.71	72.07	74.94	77.26	**72.30**
BHARTI AXA	936	1181	100736	9987	2981	**115822**	2221	1237	92162	8531	3009	**107161**	237.20	104.77	91.49	85.41	100.95	**92.52**
CHOLAMANDALAM	4659	1574	134687	22552	5609	**169080**	1702	864	105628	10050	4134	**122377**	36.52	54.88	78.42	44.56	73.70	**72.38**
FUTURE GENERALI	4315	4866	74106	15062	9795	**108144**	3466	3673	58682	12281	9788	**87890**	80.33	75.49	79.19	81.53	99.93	**81.27**
HDFC ERGO	7330	7478	79025	63809	13212	**170854**	3718	7615	67802	32542	12738	**124416**	50.73	101.83	85.80	51.00	96.41	**72.82**
ICICI LOMBARD	9950	18493	295902	107460	50357	**482162**	6330	18033	237546	88212	42701	**392821**	63.62	97.51	80.28	82.09	84.80	**81.47**
IFFCO-TOKIO	4493	3961	216092	41531	14418	**280495**	2508	4003	164415	43296	7744	**221967**	55.83	101.05	76.09	104.25	53.71	**79.13**
KOTAK MAHINDRA	-	-	6	0.35	-	**6**	-	-	21	0.12	-	**21**	-	-	366.84	34.29	-	**347.60**
LIBERTY VIDEOCON	454	331	21295	6677	872	**29630**	806	301	18169	7079	838	**27194**	177.49	90.95	85.32	106.02	96.06	**91.78**
L&T	761	588	22346	4940	1148	**29783**	1413	509	16946	2298	730	**21896**	185.57	86.45	75.84	46.52	63.58	**73.52**
MAGMA HDI	190	105	35681	125	1221	**37322**	441	330	29270	242	1599	**31883**	232.02	316.00	82.03	192.87	130.99	**85.43**
RAHEJA QBE	35	2	114	19	1979	**2149**	22	(0.26)	123	18	373	**535**	61.88	(17.11)	107.85	94.15	18.83	**24.90**
RELIANCE	5604	2683	129625	54948	7080	**199940**	3627	3142	113156	52679	6147	**178751**	64.72	117.12	87.30	95.87	86.82	**89.40**
ROYAL SUNDARAM	2174	1412	112087	21565	1764	**139002**	1096	1086	92785	12631	420	**108018**	50.41	76.94	82.78	58.57	23.81	**77.71**
SBI	15278	1588	60054	38893	4876	**120689**	9900	1555	64813	21161	2698	**100127**	64.80	97.91	107.92	54.41	55.34	**82.96**
SHRIRAM	748	56	146204	219	880	**148106**	400	51	148482	141	341	**149415**	53.54	90.35	101.56	64.55	38.78	**100.88**
TATA AIG	2676	22582	127273	37258	16484	**206274**	2555	18248	106574	24163	7486	**159026**	95.47	80.81	83.74	64.85	45.41	**77.09**
UNIVERSAL SOMPO	5518	726	25309	13731	7772	**53056**	2850	603	18316	11681	4111	**37561**	51.65	83.12	72.37	85.07	52.89	**70.80**
SUB-TOTAL	**81708**	**76114**	**1869105**	**518108**	**169843**	**2714879**	**54181**	**65385**	**1542854**	**386455**	**127568**	**2176444**	**66.31**	**85.90**	**82.55**	**74.59**	**75.11**	**80.17**
STANDALONE HEALTH INSURERS																		
APOLLO MUNICH	-	-	-	77490	-	**77490**	-	-	-	50065	-	**50065**	-	-	-	64.61	-	**64.61**
CIGNA TTK	-	-	-	7096	-	**7096**	-	-	-	5582	-	**5582**	-	-	-	78.66	-	**78.66**
MAX BUPA	-	-	-	39311	-	**39311**	-	-	-	23402	-	**23402**	-	-	-	59.53	-	**59.53**
RELIGARE	-	-	-	28773	-	**28773**	-	-	-	16472	-	**16472**	-	-	-	57.25	-	**57.25**
STAR HEALTH	-	-	-	151387	-	**151387**	-	-	-	81455	-	**81455**	-	-	-	53.81	-	**53.81**
SUB-TOTAL	-	-	-	**304056**	-	**304056**	-	-	-	**176976**	-	**176976**	-	-	-	**58.20**	-	58.20
GRAND TOTAL	**81708**	**76114**	**1869105**	**822164**	**169843**	**3018935**	**54181**	**65385**	**1542854**	**563431**	**127568**	**2353420**	**66.31**	**85.90**	**82.55**	**68.53**	**75.11**	**77.96**

Contd... **STATEMENT 15**

INCURRED CLAIMS RATIO-PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS 2014-15

INSURER	Net Earned Premium (₹ In Lakh)						Claims Incurred (Net) (₹ In Lakh)						Incurred Claims Ratio (%)					
	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total	Fire	Marine	Motor	Health	Others	Total
BAJAJ ALLIANZ	14662	7201	265003	69512	26813	**383190**	9366	6468	189764	51152	18850	**275599**	63.88	89.82	71.61	73.59	70.30	**71.92**
BHARTI AXA	1143	808	96669	19117	2648	**120384**	916	783	81000	18636	1757	**103091**	80.12	96.88	83.79	97.48	66.35	**85.64**
CHOLAMANDALAM	4341	2027	116588	19635	5619	**148210**	2769	1454	92374	10295	3720	**110612**	63.78	71.74	79.23	52.43	66.21	**74.63**
FUTURE GENERALI	3347	3999	74933	14192	11441	**107912**	1649	2639	60276	11345	7519	**83428**	49.27	65.98	80.44	79.94	65.72	**77.31**
HDFC ERGO	6840	7169	80860	58145	14395	**167409**	6015	8152	73058	32843	11720	**131788**	87.94	113.71	90.35	56.48	81.42	**78.72**
ICICI LOMBARD	10885	16011	249673	106110	40854	**423533**	10235	15799	200060	92720	25529	**344344**	94.03	98.68	80.13	87.38	62.49	**81.30**
IFFCO-TOKIO	3920	4909	174710	29989	13186	**226714**	2155	3778	128387	27714	6120	**168153**	54.97	76.96	73.49	92.41	46.41	**74.17**
Liberty Videocon	363	105	14570	3747	415	**19200**	371	209	13345	3843	380	**18148**	102.17	199.18	91.59	102.56	91.56	**94.52**
L&T	848	436	14590	3502	1239	**20614**	692	539	10613	1819	1103	**14765**	81.59	123.86	72.74	51.93	89.02	**71.63**
MAGMA HDI	148	(121)	38807	66	1718	**40618**	584	100	31669	61	1639	**34053**	394.77	(82.47)	81.61	92.67	95.39	**83.84**
RAHEJA QBE	47	1	39	35	1831	**1953**	73	(1)	(46)	41	474	**542**	154.91	(85.00)	(116.92)	116.54	25.91	**27.73**
RELIANCE	4839	2187	133026	44927	6868	**191847**	3650	1861	121289	48291	5340	**180430**	75.43	85.07	91.18	107.49	77.76	**94.05**
ROYAL SUNDARAM	1824	1213	103045	22577	1686	**130346**	933	986	87438	11942	366	**101665**	51.15	81.26	84.85	52.89	21.72	**78.00**
SBI	13942	763	48292	24252	3884	**91133**	5703	1075	49867	19492	2036	**78173**	40.90	140.91	103.26	80.37	52.41	**85.78**
SHRIRAM	660	26	137721	214	803	**139424**	428	(24)	135690	152	335	**136580**	64.83	(92.08)	98.53	70.91	41.67	**97.96**
TATA AIG	2423	21088	104757	35591	16365	**180224**	2032	15458	79233	24892	6001	**127616**	83.84	73.30	75.63	69.94	36.67	**70.81**
UNIVERSAL SOMPO	5834	672	22584	9955	6579	**45623**	2779	572	18669	10176	1863	**34060**	47.64	85.17	82.67	102.22	28.32	**74.65**
SUB-TOTAL	**76066**	**68494**	**1675866**	**461565**	**156343**	**2438335**	**50349**	**59848**	**1372685**	**365412**	**94752**	**1943046**	**66.19**	**87.38**	**81.91**	**79.17**	**60.61**	**79.69**
STANDALONE																		
HEALTH INSURERS																		
APOLLO MUNICH	-	-	-	65588	-	**65588**	-	-	-	41343	-	**41343**	-	-	-	63.03	-	**63.03**
CIGNA TTK	-	-	-	667	-	**667**	-	-	-	429	-	**429**	-	-	-	64.33	-	**64.33**
MAX BUPA	-	-	-	31524	-	**31524**	-	-	-	17388	-	**17388**	-	-	-	55.16	-	**55.16**
RELIGARE	-	-	-	15372	-	**15372**	-	-	-	9397	-	**9397**	-	-	-	61.13	-	**61.13**
STAR HEALTH	-	-	-	101793	-	**101793**	-	-	-	65106	-	**65106**	-	-	-	63.96	-	**63.96**
SUB-TOTAL	-	-	-	**214945**	-	**214945**	-	-	-	**133662**	-	**133662**	-	-	-	**62.18**	-	**62.18**
GRAND TOTAL	**76066**	**68494**	**1675866**	**676510**	**156343**	**2653279**	**50349**	**59848**	**1372685**	**499074**	**94752**	**2076708**	**66.19**	**87.38**	**81.91**	**73.77**	**60.61**	**78.27**

Note: *Figures in brackets indicates negative value*

STATEMENT 16

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF NON-LIFE INSURERS

(₹ Crore)

INSURER	Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Housing & Loans to State Government for Housing and FFE*		Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		Total Investments	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
BAJAJ ALLIANZ	3906.13	3510.37	598.52	476.76	1112.76	688.31	1899.62	1315.63	1238.76	1386.64	178.86	138.61	8934.65	7516.32
BHARTI AXA	635.97	626.46	250.77	148.53	387.87	316.36	414.95	385.07	1068.00	974.61	82.72	9.90	2840.28	2460.92
CHOLAMANDALAM MS	840.62	684.06	411.19	321.20	526.83	361.48	588.40	409.29	1497.78	1388.07	10.00	0.00	3874.82	3164.10
FUTURE GENERALI	573.96	458.93	195.12	239.53	240.89	163.70	476.79	517.88	512.59	592.93	24.66	0.32	2024.01	1973.29
HDFC ERGO	1229.27	994.90	249.99	212.70	307.90	282.70	1241.02	1073.20	836.90	1091.50	266.22	101.80	4131.30	3756.80
ICICI LOMBARD	4511.27	3338.26	97.90	480.10	1144.53	1002.95	1904.51	2464.97	3159.74	2374.48	439.96	187.12	11257.91	9847.88
IFFCO TOKIO	1032.51	907.87	483.07	473.18	697.47	491.34	1489.47	730.20	1119.52	1766.21	9.02	0.00	4831.06	4368.80
L&T GENERAL	203.68	174.80	10.33	20.30	80.24	49.20	85.83	70.55	168.63	157.35	53.08	18.08	601.79	490.28
LIBERTY VIDEOCON	214.55	314.37	0.00	0.00	55.32	49.95	145.57	120.46	98.17	81.22	0.00	0.00	513.61	566.00
MAGMA HDI	268.71	248.43	66.60	46.56	80.03	81.77	143.89	143.74	271.78	245.50	35.32	0.00	866.33	766.00
RAHEJA QBE	84.68	78.24	0.00	0.00	30.23	30.38	60.52	50.52	80.02	80.64	0.00	0.00	255.45	239.78
RELIANCE	1338.06	1612.63	417.94	72.48	768.35	636.66	575.59	609.49	2119.78	2082.63	175.61	32.98	5395.33	5046.87
ROYAL SUNDARAM	1021.51	848.83	74.27	74.64	335.20	306.10	692.97	772.92	584.39	486.10	10.00	0.00	2718.34	2488.59
SBI GENERAL	862.29	587.11	269.78	241.05	348.24	179.77	524.46	311.10	1171.78	1323.55	128.07	25.00	3304.62	2667.58
SHRIRAM	1405.65	1226.35	534.37	482.43	1135.65	948.99	2213.33	1941.97	730.71	781.71	0.00	0.01	6019.71	5381.46
TATA AIG	981.08	970.07	525.09	80.84	437.70	410.69	976.36	1288.00	781.63	266.35	0.00	0.00	3701.86	3015.95
UNIVERSAL SOMPO	386.51	364.00	38.95	28.7600	145.84	130.85	296.86	220.09	220.72	287.67	0.00	0.00	1088.88	1031.37
KOTAK MAHINDRA**	41.72	--	15.39	--	14.86	--	20.27	--	22.18	--	0.00	--	114.42	--
PRIVATE TOTAL	**19538.17**	**16945.68**	**4239.28**	**3399.06**	**7849.91**	**6131.20**	**13750.41**	**12425.08**	**15683.08**	**15367.16**	**1413.52**	**513.82**	**62474.37**	**54781.99**
NATIONAL	3780.25	3770.28	3185.80	3224.39	1009.44	982.92	2509.02	2639.23	5633.40	5469.01	1024.56	396.53	17142.47	16482.36
NEW INDIA	7991.89	7576.33	3794.89	2371.67	2327.16	2208.02	3531.00	3124.06	8039.27	9258.26	496.34	274.77	26180.55	24813.11
ORIENTAL	2745.66	2745.21	1667.50	1732.38	1155.58	1058.51	1904.92	1961.16	4384.78	4707.86	355.83	268.40	12214.27	12473.52
UNITED INDIA	4055.77	4185.91	2353.40	2148.08	1981.74	1874.05	3550.13	3469.64	6877.65	6684.22	846.61	735.68	19665.30	19097.58
PUBLIC TOTAL	**18573.57**	**18277.73**	**11001.59**	**9476.52**	**6473.92**	**6123.50**	**11495.07**	**11194.09**	**24935.10**	**26119.35**	**2723.34**	**1675.38**	**75202.59**	**72866.57**
APOLLO MUNICH	184.65	175.98	83.80	54.04	124.14	69.10	106.10	81.26	305.77	348.24	76.02	15.27	880.48	743.89
CIGNA TTK	54.66	43.79	20.73	15.44	19.95	14.88	44.95	30.12	64.29	36.87	2.04	2.76	206.62	143.86
MAX BUPA	149.68	128.24	30.84	5.34	47.70	26.75	111.44	50.53	187.28	208.82	39.21	9.89	566.15	429.57
RELIGARE HEALTH	121.00	75.60	38.70	23.30	51.80	36.20	56.40	41.90	171.80	105.90	13.60	22.00	453.30	304.90
STAR HEALTH	385.01	301.97	0.00	0.00	146.20	83.11	234.47	96.56	204.68	267.55	14.00	0.00	984.36	749.19
STANDALONE HEALTH PRIVATE (TOTAL)	**895.00**	**725.58**	**174.07**	**98.12**	**389.79**	**230.04**	**553.36**	**300.37**	**933.82**	**967.38**	**144.87**	**49.92**	**3090.91**	**2371.41**
GIC (Reinsurer)	7977.31	6955.31	4735.78	4146.69	3310.37	2348.85	4212.54	3357.87	12180.73	11280.33	1633.59	2605.32	34050.32	30694.37
NON-LIFE TOTAL	**46984.05**	**42904.30**	**20150.72**	**17120.39**	**18023.99**	**14833.58**	**30011.38**	**27277.41**	**53732.73**	**53734.22**	**5915.32**	**4844.44**	**174818.19**	**160714.34**
AIC	1260.19	996.06	688.63	532.30	444.94	510.01	637.19	589.74	2848.00	2079.44	243.95	4.00	6122.90	4711.55
ECGC	1749.29	1516.19	1320.66	960.61	1034.55	744.53	1297.13	1150.69	1730.67	2316.15	52.33	30.30	7184.63	6718.47
SPECIALISED INSURERS (TOTAL)	**3009.48**	**2512.25**	**2009.29**	**1492.91**	**1479.49**	**1254.54**	**1934.32**	**1740.43**	**4578.67**	**4395.59**	**296.28**	**34.30**	**13307.53**	**11430.02**

*** FFE:** *Fire Fighting Equipments* *** started operations during 2015-16*

STATEMENT 17

EQUITY SHARE CAPITAL OF NON-LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Insurer	As on 31st March, 2015	Infusion During the year	As on 31st March, 2016	Foreign Promoter	Indian Promoter	FDI
BAJAJ ALLIANZ	110.23	0.00	110.23	28.66	81.57	26.00%
BHARTI AXA	1238.66	332.79	1571.45	770.00	801.45	49.00%
CHOLAMANDALAM MS	298.81	0.00	298.81	119.52	179.28	40.00%
FUTURE GENERALI	710.00	0.00	710.00	181.05	528.95	25.50%
HDFC ERGO	538.62	0.00	538.62	139.17	399.45	25.84%
ICICI LOMBARD	446.59	0.95	447.54	154.78	292.76	34.58%
IFFCO TOKIO	269.32	0.00	269.32	70.02	199.30	26.00%
KOTAK MAHINDRA***	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00%
L&T	620.00	85.00	705.00	0.00	705.00	0.00%
MAGMA HDI	100.00	12.50	112.50	28.75	83.75	25.56%
LIBERTY VIDEOCON	679.35	0.00	679.35	122.90	556.45	18.09%
RAHEJA QBE	207.00	0.00	207.00	53.82	153.18	26.00%
RELIANCE	122.78	0.00	122.78	0.00	122.78	0.00%
ROYAL SUNDARAM	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00%
SBI	203.00	0.00	203.00	52.78	150.22	26.00%
SHRIRAM	258.09	0.20	258.29	0.00	258.29	0.00%
TATA AIG	505.00	127.50	632.50	164.45	468.05	26.00%
UNIVERSAL SOMPO	350.00	0.00	350.00	91.00	259.00	26.00%
PRIVATE TOTAL	**6972.45**	**693.93**	**7666.38**	**1976.90**	**5689.48**	**25.79%**
NATIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00%
NEW INDIA	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00%
ORIENTAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00%
UNITED INDIA	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00%
PUBLIC TOTAL	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00%
TOTAL (NON-LIFE)	**7622.45**	**693.93**	**8316.38**	**1976.90**	**6339.48**	**23.77%**
STANDALONE HEALTH PRIVATE						
APOLLO MUNICH	349.23	7.69	356.92	90.91	266.01	25.47%
CIGNA TTK	200.00	40.03	240.03	62.41	177.62	26.00%
MAX BUPA	790.50	107.50	898.00	233.48	664.52	26.00%
RELIGARE HEALTH	350.00	125.07	475.07	0.00	475.07	0.00%
STAR HEALTH	362.14	24.85	386.99	99.29	287.70	25.66%
STANDALONE TOTAL	**2051.87**	**305.14**	**2357.01**	**486.09**	**1870.92**	**20.62%**
SPECIALISED INSURERS						
AIC	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00%
ECGC	1200.00	100.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00%
SPECIALISED TOTAL	**1400.00**	**100.00**	**1500.00**	**0.00**	**1500.00**	**0.00%**
REINSURER						
GIC	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00%
REINSURER TOTAL	**430.00**	**0.00**	**430.00**	**0.00**	**430.00**	**0.00%**
GRAND TOTAL (NON-LIFE)	**11504.31**	**1099.08**	**12603.39**	**2462.99**	**10140.40**	**19.54%**

***Newly incorporated

STATEMENT 18

SOLVENCY RATIO OF NON -LIFE INSURERS

Sl No.	Insurer	March 2015	June 2015	September 2015	December 2015	March 2016
	PRIVATE INSURERS					
1	BAJAJ ALLIANZ	1.82	2.46	2.54	2.54	2.51
2	BHARTI AXA	1.57	1.72	1.61	1.30	1.59
3	CHOLAMANDALAM MS	1.59	1.72	1.55	1.61	1.61
4	FUTURE GENERALI	1.66	1.54	1.59	1.53	1.54
5	HDFC ERGO	1.65	1.54	1.66	1.78	1.67
6	ICICI LOMBARD	1.95	1.93	1.94	1.93	1.82
7	IFFCO TOKIO	1.65	1.63	1.65	1.62	1.60
8	KOTAK MAHINDRA***				2.58	2.45
9	L&T	1.97	1.69	1.60	1.40	1.52
10	LIBERTY VIDEOCON	6.71	4.91	3.87	2.87	2.24
11	MAGMA HDI	1.24	1.69	1.51	1.53	1.78
12	RAHEJA QBE	4.26	4.28	4.37	4.44	4.43
13	RELIANCE	1.53	1.50	1.54	1.64	1.55
14	ROYAL SUNDARAM	1.64	1.6	1.66	1.60	1.55
15	SBI	2.80	2.62	2.40	2.19	1.81
16	SHRIRAM	1.79	1.91	2.01	2.09	1.98
17	TATA AIG	1.55	1.57	1.53	1.58	1.66
18	UNIVERSAL SOMPO	1.86	1.84	1.67	1.75	1.69
	PUBLIC INSURERS					
18	NATIIONAL	1.52	1.51	1.51	1.51	1.26
19	NEW INDIA	2.44	2.47	2.40	2.31	2.30
20	ORIENTAL	1.68	1.77	1.78	1.74	1.59
21	UNITED INDIA	2.36	2.4	2.43	2.02	1.91
	STANDALONE HEALTH PRIVATE					
22	APOLLO MUNICH	1.72	1.55	1.51	1.60	1.51
23	MAX BUPA	2.10	1.66	1.84	2.17	2.16
24	RELIGARE HEALTH	2.04	1.84	1.67	1.68	1.85
25	STAR HEALTH	2.40	1.04	1.36	2.10	5.99
26	CIGNA TTK	2.10	1.83	1.81	1.68	1.54
	SPECIALISED INSURERS					
27	AIC	3.18	3.2	3.09	3.13	3.26
28	ECGC	6.61	6.53	6.23	8.93	9.79
	REINSURER					
29	GIC	3.04	3.33	3.22	3.52	3.48

**** Newly Incorporated*

STATEMENT 19

STATUS OF GRIEVANCES - LIFE INSURERS FOR 2015-16

Insurer	2015-16					Duration wise analysis of pending complaints		
	Opening Balance	Reported during the year	Resolved during the year	% Resolved during the year	Pending at the end of the year	Less than 15 days	Between 15 and 30 days	More than 30 days
Aegon Religare	371	8595	8822	98.39	144	124	0	20
Aviva	0	3259	3259	100.00	0	0	0	0
Bajaj Allianz	275	14295	14556	99.90	14	9	2	3
Bharti Axa	351	4728	5079	100.00	0	0	0	0
Birla Sun Life	11	12402	12412	99.99	1	1	0	0
Canara HSBC	59	3179	3225	99.60	13	13	0	0
DHFL Pramerica	653	1372	2018	99.65	7	7	0	0
Edleweiss Tokio	33	627	654	99.09	6	6	0	0
Exide Life	634	9375	9968	99.59	41	41	0	0
Future Generali	381	7162	7491	99.31	52	52	0	0
HDFC Standard	2298	11513	13726	99.38	85	28	11	46
ICICI Prudential	59	8865	8912	99.87	12	12	0	0
IDBI Federal	0	853	853	100.00	0	0	0	0
India First	118	1912	2006	98.82	24	24	0	0
Kotak Mahindra	128	3444	3326	93.11	246	195	4	47
Max Life	4	14157	14161	100.00	0	0	0	0
PNB MetLife	7	4411	4398	99.55	20	18	0	2
Reliance	490	14024	14345	98.84	169	163	4	2
Sahara	0	35	34	97.14	1	0	1	0
SBI Life	15	9391	9403	99.97	3	3	0	0
Shri Ram	14	259	264	96.70	9	2	0	7
Star Union Daichi	95	1825	1832	95.42	88	77	0	11
Tata AIA	113	4268	4381	100.00	0	0	0	0
LIC	0	64750	64750	100.00	0	0	0	0
Total	**6109**	**204701**	**209875**	**99.56**	**935**	**775**	**22**	**138**

STATEMENT 20

STATUS OF GRIEVANCES - NON LIFE INSURERS FOR 2015-16

Insurer	2015-16					Duration wise analysis of pending complaints		
	Opeing Balance	Reported during the year	Resolved during the year	% Resolved during the year	Pending at the end of the year	Less than 15 days	Between 15 and 30 days	More than 30 days
Bajaj Allianz General Insurance	204	1756	1911	97.50	49	18	7	24
Bharati Axa General Insurance	105	4198	4266	99.14	37	26	5	6
Cholamandalam MS General	103	2163	2256	99.56	10	10	0	0
Future Generali India Ins.	0	4251	4250	99.98	1	1	0	0
HDFC ERGO General Insurance	23	2879	2886	99.45	16	16	0	0
ICICI Lombard General Insurance	372	4974	5256	98.32	90	90	0	0
IFFCO Tokio General Insurance	163	1355	1517	99.93	1	1	0	0
L&T General. Insurance	5	335	340	100.00	0	0	0	0
Liberty Videocon Genral Insurance	6	524	527	99.43	3	3	0	0
Magma HDI General Insurance	9	151	160	100.00	0	0	0	0
Raheja QBE	0	0	0	0.00	0	0	0	0
Reliance General Insurance	67	1500	1521	97.06	46	31	7	8
Royal Sundaram Alliance General	66	2551	2595	99.16	22	18	1	3
SBI General Insurance	317	1136	1392	95.80	61	26	10	25
Shriram General Insurance	0	120	120	100.00	0	0	0	0
Tata- AIG General Insurance	37	3422	3458	99.97	1	1	0	0
Universal Sompo General Ins	0	373	373	100.00	0	0	0	0
Total Private Insurers	**1477**	**31688**	**32828**	**98.98**	**337**	**241**	**30**	**66**
National Insurance	175	4933	4928	96.48	180	57	12	111
The New India Assurance	102	4087	4050	96.68	139	90	26	23
The Oriental Insurance	59	2555	2485	95.07	129	25	11	93
United India Insurance	55	6221	6254	99.65	22	13	2	7
Total - PSU insurers	**391**	**17796**	**17717**	**97.42**	**470**	**185**	**51**	**234**
STANDALONE HEALTH INSURERS								
Apollo MUNICH Health Insurace	13	978	987	99.60	4	4	0	0
CignaTTK Health Insurance	4	334	332	98.22	6	6	0	0
Max Bupa Health Insurance	0	620	620	100.00	0	0	0	0
Religare Health Insurance	2	564	560	98.94	6	6	0	0
Star Health and Allied Insurance	166	7093	7166	98.72	93	91	2	0
Total - Health Insurers	**185**	**9589**	**9665**	**98.88**	**109**	**107**	**2**	**0**
SPECIALISED INSURERS								
Agriculture Insurance	-	-	-	-	-	-	-	-
ECGC of India	46	10	1	1.79	55	0	0	55
Grand total:	**2099**	**59083**	**60211**	**98.41**	**971**	**533**	**83**	**355**

ANNEXURES

ANNEXURE 1

INSURANCE COMPANIES OPERATING IN INDIA
LIFE INSURERS*

Public Sector	Private Sector
1. Life Insurance Corporation of India	1. Aegon Life Insurance Co. Ltd.
	2. Aviva Life Insurance Co. India Ltd.
	3. Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.
	4. Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.
	5. Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.
	6. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
	7. DHFL Pramerica Life Insurance Co. Ltd.
	8. Edleweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.
	9. Exide Life Insurance Co. Ltd.
	10. Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.
	11. HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.
	12. ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
	13. IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.
	14. IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.
	15. Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd.
	16. Max Life Insurance Co. Ltd.
	17. PNB Met Life India Insurance Co. Ltd.
	18. Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.
	19. Sahara India Life Insurance Co. Ltd.
	20. SBI Life Insurance Co. Ltd.
	21. Shriram Life Insurance Co. Ltd.
	22. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.
	23. TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.

* As on 31st March, 2016

Contd…ANNEXURE 1

NON-LIFE INSURERS*

Public Sector		Private Sector	
1	National Insurance Co. Ltd.	1	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.
2	The New India Assurance Co. Ltd.	2	Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.
3	The Oriental Insurance Co. Ltd.	3	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd
4	United India Insurance Co. Ltd.	4	Future Generali India Insurance Co. Ltd.
		5	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.
	Specialised Insurers	6	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
5	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	7	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.
6	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	8	L & T General Insurance Co. Ltd
		9	Liberty Videocon General Insurance Co. Ltd.
		10	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.
		11	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.
		12	Reliance General Insurance Co. Ltd.
		13	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.
		14	SBI General Insurance Co. Ltd.
		15	Shriram General Insurance Co. Ltd.
		16	TATA AIG General Insurance Co. Ltd.
		17	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.
		18	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.
			Standalone Health Insurers
		19	Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd.
		20	Cigna TTK Health Insurance Co. Ltd
		21	Max Bupa Health Insurance Co. Ltd.
		22	Religare Health Insurance Co. Ltd.
		23	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.

RE – INSURER*

General Insurance Corporation of India

* As on 31st March 2016.

ANNEXURE 2

FEE STRUCTURE FOR INSURERS AND VARIOUS INTERMEDIARIES

Sl. No	Insurer/ Intermediary	Processing Fee	Registration Fee	Renewal Fee	Periodicity of Renewal
1	Insurer (Life / General/Health)	-	₹5,00,000	1/20th of 1% of Gross Direct Premium written in India subject to a minimum of ₹5,00,000 and maximum of ₹10 crore	Every year (by 31st January)
2	Reinsurer	-	₹5,00,000	1/20th of 1 % of the total premium in respect of facultative reinsurance accepted in India subject to a minimum of ₹ 5,00,000 and maximum of ₹10 crore	Every year (by 31st January)
3	Amalgamation and transfer of General / Life insurance business	1/10th of 1% of Gross Direct Premium written direct in India by the transacting entities during the financial year preceding the financial year in which the application is filled with the Authority subject to a minimum of ₹50 lakh and maximum of ₹5 crore	-	-	-
4	Branch of Foreign Reinsuers including Lloyds	-	₹5,00,000	1/20th of 1 % of the total premium in respect of facultative reinsurance accepted in India subject to a minimum of ₹ 5,00,000 and maximum of ₹ 10 crore	Every year (by 31st December)
5	Third Party Administrator	₹20000	₹30000	₹15000	3 years
6	Brokers-Direct	-	₹20000	₹1,000 as renewal fee+ annual fee of 0.50% of remuneration earned in the preceding financial year subject to a minimum of ₹25,000 and maximum of ₹1,00,000	3 years
	Brokers-Reinsurance	-	₹25000	₹1,000 as renewal fee+ annual fee of 0.50% of remuneration earned in the preceding financial year subject to a minimum of ₹75,000 and maximum of ₹3,00,000	3 years
	Brokers-Composite	-	₹40000	₹1,000 as renewal fee+ annual fee of 0.50% of remuneration earned in the preceding financial year subject to a minimum of ₹1,25,000 and maximum of ₹5,00,000	3 years
7	Surveyors and Loss Assessors Individual and Corporate	-	₹1000	₹100 as renewal fee if application filed before 30 days from the date of expiry, ₹850 as renewal fee with penalty of ₹750, if renewal application filed later but within six months from the date of expiry of licence	3 years
8	Corporate Agents	Non Refundable Fee - ₹ 10,000	₹ 25000 for Certificate of Registration for the entity and ₹ 500 for the Certificate to the Principal Officer/Specified Person/Authorised Verifier	₹ 25000 for CoR Renewal ₹500 for Renewal of the Certificate to the PO/SP/AV.	3 Years
9	Web Aggregators	-	₹10000	₹10000	3 Years
10	Common Service Centre - Special Purpose Vehicles	-	-	₹1000	3 Years
11	Referrals	-	₹10,000	₹10000	3 Years
12	Insurance Marketing Firm	-	₹5000	₹2000	3 years
13	Insurance Repository	₹10000	₹100000	₹50000	3 Years

Note: *Service tax is exempted on the applicable fee amount w.e.f.1.4.2016*

ANNEXURE 3(i)

INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08) ULT.

Published Mortality Table, effective 1st April, 2013, within the meaning of Regulation 4 of IRDA (Asset, Liabilities and Solvency Margin of Insurers)

Published with the concurrence of IRDA vide its letter dated 20th February 2013

Age x is defined as age nearest birthday.

Age (x)	Mortality rate (q_x)	Age (x)	Mortality rate (q_x)
0	0.004445	27	0.001004
1	0.003897	28	0.001017
2	0.002935	29	0.001034
3	0.002212	30	0.001056
4	0.001670	31	0.001084
5	0.001265	32	0.001119
6	0.000964	33	0.001164
7	0.000744	34	0.001218
8	0.000590	35	0.001282
9	0.000492	36	0.001358
10	0.000440	37	0.001447
11	0.000428	38	0.001549
12	0.000448	39	0.001667
13	0.000491	40	0.001803
14	0.000549	41	0.001959
15	0.000614	42	0.002140
16	0.000680	43	0.002350
17	0.000743	44	0.002593
18	0.000800	45	0.002874
19	0.000848	46	0.003197
20	0.000888	47	0.003567
21	0.000919	48	0.003983
22	0.000943	49	0.004444
23	0.000961	50	0.004946
24	0.000974	51	0.005483
25	0.000984	52	0.006051
26	0.000994	53	0.006643

Contd... **ANNEXURE 3(i)**

INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08) ULT.

Age (x)	Mortality rate (q_x)	Age (x)	Mortality rate (q_x)
54	0.007256	85	0.091982
55	0.007888	86	0.099930
56	0.008543	87	0.108540
57	0.009225	88	0.117866
58	0.009944	89	0.127963
59	0.010709	90	0.138895
60	0.011534	91	0.150727
61	0.012431	92	0.163532
62	0.013414	93	0.177387
63	0.014497	94	0.192374
64	0.015691	95	0.208585
65	0.017009	96	0.226114
66	0.018462	97	0.245067
67	0.020061	98	0.265555
68	0.021819	99	0.287699
69	0.023746	100	0.311628
70	0.025855	101	0.337482
71	0.028159	102	0.365411
72	0.030673	103	0.395577
73	0.033412	104	0.428153
74	0.036394	105	0.463327
75	0.039637	106	0.501298
76	0.043162	107	0.542284
77	0.046991	108	0.586516
78	0.051149	109	0.634244
79	0.055662	110	0.685737
80	0.060558	111	0.741283
81	0.065870	112	0.801191
82	0.071630	113	0.865795
83	0.077876	114	0.935453
84	0.084645	115	0.985796

ANNEXURE 3(ii)

PUBLISHED MORTALITY TABLE

[Within the meaning of Regulation 4 of IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000]

MORTALITY FOR ANNUITANTS - LIC (A) (1996-98) ULTIMATE RATES

Age (x)	Mortality rate (q_x)	Age (x)	Mortality rate (q_x)
20	0.000919	48	0.003438
21	0.000961	49	0.003816
22	0.000999	50	0.004243
23	0.001033	51	0.004719
24	0.001063	52	0.005386
25	0.001090	53	0.006058
26	0.001113	54	0.006730
27	0.001132	55	0.007401
28	0.001147	56	0.008069
29	0.001159	57	0.008710
30	0.001166	58	0.009397
31	0.001170	59	0.010130
32	0.001170	60	0.010907
33	0.001171	61	0.011721
34	0.001201	62	0.011750
35	0.001246	63	0.012120
36	0.001308	64	0.012833
37	0.001387	65	0.013889
38	0.001482	66	0.015286
39	0.001593	67	0.017026
40	0.001721	68	0.019109
41	0.001865	69	0.021534
42	0.002053	70	0.024301
43	0.002247	71	0.027410
44	0.002418	72	0.030862
45	0.002602	73	0.034656
46	0.002832	74	0.038793
47	0.003110	75	0.043272

Contd.. **ANNEXURE 3(ii)**

PUBLISHED MORTALITY TABLE

[Within the meaning of Regulation 4 of IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000]

MORTALITY FOR ANNUITANTS - LIC (A) (1996-98) ULTIMATE RATES

Age (x)	Mortality rate (q_x)	Age (x)	Mortality rate (q_x)
76	0.048093	98	0.240778
77	0.053257	99	0.253473
78	0.058763	100	0.266511
79	0.064611	101	0.279892
80	0.070802	102	0.293614
81	0.077335	103	0.307679
82	0.084210	104	0.322087
83	0.091428	105	0.336836
84	0.098988	106	0.351928
85	0.106891	107	0.367363
86	0.115136	108	0.383139
87	0.123723	109	0.399258
88	0.132652	110	0.415720
89	0.141924	111	0.432524
90	0.151539	112	0.449670
91	0.161495	113	0.467159
92	0.171794	114	0.484989
93	0.182436	115	0.503163
94	0.193419	116	0.521678
95	0.204746	117	0.540536
96	0.216414	118	0.559737
97	0.228425		

ANNEXURE 4

LIST OF LIFE INSURNACE PRODUCTS & RIDERS APPROVED BY IRDAI IN THE YEAR 2015-16

Sl. No	Company Name	Name of the Product	UIN
1	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	Bajaj Allianz Life Jan Suraksha Yojna	116N138V01
		Bajaj Allianz Life Bima Sanchay Yojana	116N136V02
		Bajaj Allianz Life Bima Sanchay Yojana	116N136V01
		Bajaj Allianz Life Bima Dhan Suraksha Yojana	116N135V02
		Bajaj Allianz Life Bima Dhan Suraksha Yojana	116N135V01
		Bajaj Allianz Life Super Life Assure	116N134V01
		Bajaj Allianz CSC Bachat Plus	116N132V01
		Bajaj Allianz Cash Assure	116N131V01
		Bajaj Allianz Group Credit Protection plus	116N094V03
		Bajaj Allianz Group Annuity	116N059V04
		Bajaj Allianz Pension Guarantee	116N036V05
		Bajaj Allianz Group Term Life	116N021V03
		Bajaj Allianz Life Principal Gain	116L137V01
		Bajaj Allianz Group Employee Benefit Plan	116L104V03
		Bajaj Allianz Life Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	116G133V01
		Bajaj Allianz Group Accelerated Critical Illness Rider	116B026V02
2	Reliance Life Insurance Co. Ltd.	Reliance Group Credit Assure Plus	121N115V01
		Reliance Pension Buider	121N113V01
		Reliance Whole Life Income	121N112V01
		Reliance Online Income Protect	121N111V01
		Reliance Life Long Savings	121N110V01
		Reliance Future Icome	121N109V01
		Reliance Increaseing Income Insurance Plan	121N108V01
		Reliance fixed money Back	121N107V01
		Reliance Premier Wealth Insurance Plan	121L114V01
3	AVIVA Life Ins. Co. India Pvt. Ltd.	Aviva Dhan Vriddhi Plus	122N110V01
		Aviva CSC Bima Laabh Yojana	122N109V01
		Aviva i-Life Secure	122N104V02
		Aviva New Family Income Builder	122N103V02
		Aviva Corporate Shiled Plus	122N066V04
		Aviva Affluence	122L111V01
		AVIVA i-Growth	122L106V02
		Aviva Live Smart Plan	122L098V03
		Aviva Life Bond Advantage	122L086V03

Contd... **ANNEXURE 4**

LIST OF LIFE INSURNACE PRODUCTS & RIDERS APPROVED BY IRDAI IN YEAR 2015-16

Sl. No	Company Name	Name of the Product	UIN
4	Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	BSLI Hospital Plus Plan	109N101V01
		BSLI Group Savings Assurance Plan	109N098V01
		BSLI Group Capsecure Plan	109N084V02
		BSLI Immediate Annuity Plan	109N083V03
		BSLI Group CapSecure Pension Plan	109N082V02
		BSLI Group Protection Solutions	109N006V05
		BSLI Wealth Aspire Plan	109L100V01
		BSLI Wealth Max Plan	109L073V03
		BSLI Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	109G099V01
		BSLI Critical Illness Rider	109B019V03
		BSLI Accident Death and Disability Rider	109B018V03
		BSLI Hospital Care Rider	109B016V03
		BSLI Surgical Care Rider	109B015V03
5	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	ICICI Pru iProtect Smart	105N151V01
		ICICI Pru Loan Protect Plus	105N150V01
		ICICI Pru Life Raksha	105N149V01
		ICICI Pru Group Suraksha Plus Superannuation	105N148V01
		ICICI Pru Group Suraksha Plus	105N147V01
		ICICI Pru Group Term Plus	105N119V03
		ICICI Pru Sarv Jana Suraksha	105N081V03
		ICICI Pru Group Insurance Scheme for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	105G146V01
		ICICI Pru Unit Linked Accidental Death Rider	105A025V01
6	HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.	HDFC Life Easy Health	101N110V01
		HDFC Cancer Care	101N106V01
		HDFC Life Uday	101N105V01
		HDFC Life CSC Suraksha Plan	101N104V01
		HDFC Life Sanchay	101N097V02
		HDFC Life Guaranteed Pension Plan	101N092V02
		HDFC Life Personal Pension Plus	101N091V02
		HDFC Life New Immediate Annuity Plan	101N084V03
		HDFC Life New Immediate Annuity Plan	101N084V02
		HDFC SL Sarvgrameen Bachat Yojana (Micro Insurance Product)	101N069V03
		HDFC Life Assured Pension Plan	101L109V02
		HDFC Life Assured Pension Plan	101L109V01
		HDFC Life Click 2 Retire	101L108V02
	(Contd..)	HDFC Life Click 2 Retire	101L108V01

Contd... **ANNEXURE 4**

LIST OF LIFE INSURNACE PRODUCTS & RIDERS APPROVED BY IRDAI IN YEAR 2015-16

Sl. No	Company Name	Name of the Product	UIN
	(Contd..)	HDFC Life Single Premium Pension Super	101L086V03
	HDFC Standard	HDFC Life Pension Super Plus	101L085V03
	Life Insurance Co. Ltd.	HDFC Life Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Plan	101G107V01
		HDFC Life Critical Illness Plus Rider	101B014V01
7	Exide Life	Exide Life New Immediate Annuity with	
	Insurance Co. Ltd.	Return of Purchase Price	114N081V01
		Exide Life Star Saver	114N080V01
		Exide Life Term Plan	114N076V01
		Exide Life Group Traditional Employee Benefit Plan	114N075V01
		Exide Life Golden years Retirement Plan	114N065V02
		Exide Life Wealth Maxima	114L079V01
		Exide Life Group Gratuity Product	114L078V02
		Exide Life Group Gratuity Product	114L078V01
		Exide Life Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	114G077V01
		Exide Life Group Illness Rider	114B010V01
8	Life Insurance	LIC's jeevan Pragati Plan	512N306V01
	Corporation of India	Lic's Jeevan Shikhar	512N305V01
		LIC's Jeevan labh	512N304V01
		LIC's Group Credit Life Insurance	512N302V01
		LIC's Jeevan Tarun	512N299V01
		LIC's New Endowment Plus	512L301V01
		LIC's Pradhan Mantri Jeevan jyoti Bima Yojana	512G300V01
		LIC's Premium Waiver Benefit Rider	512B204V02
		LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider	512A211V01
9	Max Life	Max Life Monthly Income Advantage Plan	104N091V01
	Insurance Co. Ltd.	Max Life Super Term Plan	104N086V02
		Max Life Whole Life Super Plan	104N080V02
		Max Life Life Gain Premier	104N079V02
		Max Life Platinum Wealth Plan	104L090V01
		Max Life Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	104G089V01
		Max Life Group Critical Illness	
		(Additional Benefit) Premier Rider	104B031V01
		Max Life Group Total and Permanent Disability	
		(Accident) Premier Rider	104B030V01
		Max Life Waiver of Premium Plus Rider	104B029V01
		Max Life Group Accelerated Terminal illness Premier Rider	104B028V01

Contd... **ANNEXURE 4**

LIST OF LIFE INSURNACE PRODUCTS & RIDERS APPROVED BY IRDAI IN YEAR 2015-16

Sl. No	Company Name	Name of the Product	UIN
10	PNB Met Life India Insurance Co. Pvt. Ltd.	MetLife Guaranteed Income Plan	117N097V01
		MetLife Guaranteed Savings Plan	117N096V01
		MetLife Immediate Annuity Plan	117N095V01
		MetLife Complete Care Plus	117N093V01
		MetLife Mera Term Plan	117N092V01
		MetLife Retirement Savings Plan	117N091V01
		MetLife Major Illness Premium Back Cover	117N090V02
		MetLife Bhavishya Plus	117N089V02
		MetLife Bachat Yojana	117N088V02
		MetLife College Plan	117N087V02
		MetLife Family Income Protector Plus	117N086V02
		MetLife Endowment Savings Plan	117N083V02
		MetLife Monthly Income Plan-10Pay	117N082V02
		MetLife Money Back Plan	117N081V02
		MetLife Unit Linked Employee Benefits Plan	117L084V02
		MetLIfe Pradhan mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Plan	117G094V01
		MetLife Crititcal Illness Rider	117B023V01
		MetLife Accidental Disability Benefit Rider	117B022V01
		MetLife Serious Illness Rider (Non-Linked)	117B021V01
		MetLife Accidnetal Death Benefit Rider Plus	117B020V01
11	Kotak Mahindra OM Life Insurance Ltd.	Kotak Premier Life Plan	107N096V01
		Kotak Income Protection Plan	107N095V01
		Kotak Premier Pension Plan	107N094V01
		Kotak E-Lifetime Income Plan	107N085V02
		Kotak Single invest Plus Plan	107L075V02
		Kotak Platinum	107L067V03
		Kotak Single Invest Advantage	107L065V03
		Kotak Ace Investment	107L064V03
		Kotak Gratuity Group plan - KGGP	107L010V06
		Kotak Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	107G093V01
		Kotak eAccidental Death Benefit Rider	107B019V01
		Kotak Crritical Illness Plus Benefit Rider (Non Linked Group Rider)	107B015V03
		Kotak Critical Illness Benefit Rider (Non-Linked Group Rider)	107B009V04
		Kotak Accidental Death Benefit Rider (Non-Linked Group Rider)	107B005V04
	(Contd..)	Kotak Permanent Disability Benefit (Rider)	107B002V03

Contd... **ANNEXURE 4**

LIST OF LIFE INSURNACE PRODUCTS & RIDERS APPROVED BY IRDAI IN YEAR 2015-16

Sl. No	Company Name	Name of the Product	UIN
	(Contd..)	Kotak Accidental Death Benefit (Rider)	107B001V03
	Kotak Mahindra	Kotak Permanent Disability Benefit Rider(Linked)	107A018V01
	OM Life Insurance Ltd.	Kotak Accidental Death Benefit Rider(Linked)	107A017V01
12	SBI Life	SBI Life Smart Women Advantage	111N106V01
	Insurance Co. Ltd.	SBI Life eIncome Shield	111N105V01
		SBI Life Smart Swadhan Plus	111N104V01
		SBI Life Smart Humsafar	111N103V01
		SBI Life Pradhan mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	111G102V01
13	TATA AIA Life	Tata AIA Life Good Kid	110N127V01
	Insurance Co. Ltd.	Tata AIA Life Insurance Smart Income Plus	110N126V01
		Tata AIA Life Insurance Monthly Insurance Plan	110N125V01
		Tata AIA Life Insurance Freedom	110N124V01
		Tata AIA Life Insurance Saat Saath-Micro Insurance Product	110N123V01
		Tata AIA Life Insurance Fortune Guarantee	110N120V01
		Tata AIA Life Insurance Money Back Plus	110N119V01
		Tata AIA Life Insurance Super Achiever	110L122V01
		Tata AIA Life Insurance Invest One	110L121V01
		Tata AIA Life Insurance Waiver of Premium Plus Rider	110B029V01
		Tata AIA Life Insurance Accidental Death and Dismemberment (Long Scale) (ADDL) Non-Linked Rider	110B028V01
14	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	NIL	
15	Bharti AXA Life	Bharti AXA Life Super Series	130N066V01
	Insurance Co. Ltd.	Bharti AXA Life Child Advantage	130N065V01
		Bharti AXA Life – Invest Once	130N064V01
		Bharti AXA Life eFuture Invest	130L063V01
		Bharti AXA Life Accidental Death Benefit Rider	130B008V01
		Bharti AXA Life premium Waiver Rider	130B005V03
16	Shriram	Shriram Jan Sahay	128N062V01
	Life Insurance Co. Ltd.	Shriram Life Family Protection Plan	128N061V01
		Shriram Life Assured Income Plus	128N060V01
		Shriram Life Secure Plus Plan	128N059V01
		Shriram Grameena Suraksha	128N057V01
		Shriram Group Term Life Insurance Plan	128N042V02
		Shriram Group Term Life Insurance in Lieu of EDLI	128N040V02
		Shriram Life Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	128G058V01
		Shriram Critical Illness Care Rider	128A014V01

Contd... **ANNEXURE 4**

LIST OF LIFE INSURNACE PRODUCTS & RIDERS APPROVED BY IRDAI IN YEAR 2015-16

Sl. No	Company Name	Name of the Product	UIN
17	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	Future Generali New Saral Anand	133N062V01
		Future Generali Jan Suraksha Plus	133N060V01
		Future Generali Jan Suraksha	133N059V01
		Future Generali Flexi Online Term Plan	133N058V01
		Future Generali Assured Education Plan	133N057V01
		Future Generali Loan Suraksha	133N053V02
		Future Generali Easy Invest Online Plan	133L061V01
18	IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	IDBI Federal Loanasurance Group Insurance Plan	135N041V01
		IDBI Federal Incomesurance Guarateed Money Back Insurance Plan 7 pay	135N042V01
19	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Samridh Bhavishya	136N038V01
		Canara HSBC Oriental Bank Of commerce Life Insurance Smart Future Income Plan	136N036V01
		Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart Vriddhi Plan	136N035V01
		Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart Immediate Income Plan	136N034V01
		Canara HSBC OBC Life Corporate Group Term Plan	136N020V03
		Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Insurance Smart Future Plan	136L037V01
		Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	136G033V01
20	DHFL Pramerica Life Insurance Co. Ltd	DHFL Pramerica Smart Fee Protect	140N050V01
		DHFL Pramerica Rakshak Gold	140N049V01
		DHFL Pramerica Magnum Assure	140N047V01
		DHFL Pramerica e-Save	140N046V01
		DHFL Pramerica Smart Money Back	140N045V01
		DHFL Pramerica Smart Income	140N044V01
		DHFL Pramerica Group Term Plan	140N034V03
		DHFL Pramerica Sarv Suraksha	140N007V03
		DHFL Pramerica Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	140G048V01
		DHFL Pramerica Group Traditional Accidental Total and Permanent Disability (ATPD) & Accidental Death Benefit (ADB) Rider	140B008V01
		DHFL Pramerica Traditional Waiver of Premium Rider	140B007V01

Contd... **ANNEXURE 4**

LIST OF LIFE INSURNACE PRODUCTS & RIDERS APPROVED BY IRDAI IN YEAR 2015-16

Sl. No	Company Name	Name of the Product	UIN
21	AEGON RELIGARE Life Insurance Co. Ltd.	Aegon Life Group Credit Shield Insurance Plan	138N057V01
		Aegon Life Regular Money Back Insurance Plan	138N056V01
		Aegon Religare Jeevan Shanti Insurance Plan	138N055V01
		Aegon Religare iIncome Insurance Plan	138N054V01
		Aegon Religare iCancer Insurance Plan	138N053V01
		AEGON Religare iDisability Rider	138B014V01
		Aegon Religare Premium Shield Rider	138B013V01
		Aegon Religare WoP on CI Joint Life Rider	138B012V01
22	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd.	SUD Life Aarogyam	142N051V01
		SUD Life AAYUSHMAAN	142N050V01
		SUD Life Immediate Annuity Plus	142N048V02
		SUD Life Immediate Annuity Plus	142N048V01
		SUD Life Assured Income Plan	142N045V02
		SUD Life Jeevan Ashray	142N044V02
		SUD Life's Elite Assure	142N040V02
		SUD Life Bright Child	142N039V02
		SUD Life Shiksha Suraksha 2 Plan	142N038V02
		Star Union Dai-ichi's Guaranteed Money Back Plan	142N036V02
		SUD Life Group Retirement Benefit Plan	142L049V01
		SUD Life Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	142G047V01
		SUD Life Family Income Benefit Rider - Traditional	142B007V01
23	India First Life Insurance Co. Ltd	India First Mass Market Insurance Plan	143N028V01
		India First Immediate Annuity Plan	143N027V01
		India First Guaranteed Retirement Plan	143N026V01
		IndiaFirst Maha Jeevan Plan	143N018V03
		India First Money Balance Plan	143L017V03
		India First Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Plan	143G025V01
24	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	Edelweiss Tokio Life - Simply Protect	147N035V01
		Edelweiss Tokio Life – Dhan Labh	147N033V01
		Edelweiss Tokio Life – Triple Advantage Plan	147N032V01
		Edelweiss Tokio Life – GCAP	147N031V01
		Edelweiss Tokio Life - Wealth Builder	147N026V02
		Edelweiss Tokio Life - Immediate Annuity Plan	147N019V02
		Edelweiss Tokio Life - Group Life Protection	147N008V03
		Edelweiss Tokio Life -Easy Pension	147L034V01

ANNEXURE 5

LIST OF MICRO INSURANCE PRODUCTS OF LIFE INSURERS AS AT 31.03.2016

Insurer	Name of the Product	
	Individual Category	**Group Category**
AVIVA LIFE	Aviva Nayi Grameen Suraksha	-
BAJAJ ALLIANZ LIFE	Bajaj Allianz Life Bima Dhan Suraksha Yojana Bajaj Allianz Life Bima Dhan Suraksha Yojana Bajaj Allianz Life Bima Sanchay Yojana	- - -
BHARTI AXA LIFE	-	Bharti AXA Life Jan Suraksha
BIRLA SUNLIFE	BSLI Bima Suraksha Super BSLI Grameen Jeevan Raksha	- -
CANARA HSBC OBC LIFE	-	Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Sampoorna Kavach Plan
DHFL PRAMERICA LIFE	-	DHFL Pramerica Sarv Suraksha
EDLEWEISS TOKIO LIFE	Edelweiss Tokio Life Raksha Kavach Edelweiss Tokio Life Dhan Nivesh Bima Yojana	- -
HDFC STANDARD LIFE	HDFC SL SarvGrameen Bachat Yojana	-
ICICI PRUDENTIAL LIFE	ICICI Pru Anmol Bachat ICICI Pru Sarva Jana Suraksha	- -
IDBI FEDERAL LIFE	Termsurance Sampoorn Suraksha Micro-insurance Plan	IDBI Federal Group Microsurance Plan
KOTAK MAHINDRA LIFE	Sampoorn Bima Micro-Insurance Plan	
PNB MET LIFE	MetLife Grameen Ashray	-
SAHARA LIFE	Sahara Surakshit Pariwar Jeevan Bima	-
SBI LIFE	SBI Life Grameen Bima -	SBI Life Grameen Super Suraksha SBI Life Grameen Shakti
SHRIRAM LIFE	-	Shri Sahay SP
TATA AIA LIFE	Tata AIA Life Insurance Navkalyan Yojana Tata AIA Life Insurance Saat Saath	- -
LIC OF INDIA	New Jeevan Mangal Bhagya Lakshmi	-

ANNEXURE 6

NON-LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE FINANCIAL YEAR 2015-16

S.No	Name of the Insurer	Name of the Product/ Add-on	UIN
1	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	Extended Warranty - Revision	BAL-OT-P15-04-V02-15-16
		Cyber Protect	BAL-LI-P15-11-V01-15-16
		Commercial Crime Insurance Policy	BAL-LI-P15-16-V01-15-16
		Bajaj Allianz KVB Suraksha Plus	BAL-OT-P16-62-V01-15-16
		Long Term Two Wheeler Package Policy	BAL-MO-P16-65-V01-15-16
		Poultry Insurance	BAL-OT-P16-67-V01-15-16
		Weather Index Plus cover Addon to Weather protect Insurance policy	BAL-WE-A00-00-30-V01-15-16
		Two Wheeler Package Policy add on cover – 24X7 Spot Assistance	BAL-MO-A00-00-34-V01-15-16
2	Bharti Axa General Insurance Co. Ltd.	Crop Insurance- yeild based MNAIS	BXA-AG-P16-29-V01-15-16
		Weather Insurance Policy	BXA-WE-P16-30-V01-15-16
		Motor Trade Internal Risk	BXA-MO-P16-36-V01-15-16
		Motor Trade Road Risk	BXA-MO-P16-37-V01-15-16
		Motor Trade Road Transit Risks	BXA-MO-P16-38-V01-15-16
3	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	Add on cover for coverage of land value / undivided share of land value of residential building (under SFSP policy)	CHM-FI-A00-00-29-V01-15-16
		GcCV package - New Vehicle Replacement Cover	CHM-MO-A00-00-31-V01-15-16
		GcCV package - Loss of Income Cover	CHM-MO-A00-00-32-V01-15-16
		GcCV package - Full Depreciation Waiver Cover	CHM-MO-A00-00-33-V01-15-16
4	ECGC Limited	Buyers Credit Cover - Revision	ECG-CR-P16-58-V02-15-16
		Export Turnover Policy -Revision	ECG-CR-P15-59-V02-15-16
		Small Exporters Policy	ECG-CR-P16-68-V02-15-16
		Shipment Comprehensive Risk (SCR) Policy	ECG-CR-P16-69-V02-15-16
		Export of Sevices Comrehensive Risk (SRC) Policy	ECG-CR-P16-70-V02-15-16
		Exports Turnover Policy	ECG-CR-P16-71-V02-15-16
		Consignment Exports (SHA) Policy	ECG-CR-P16-72-V02-15-16
		Consignment Exports (Global Entity) Policy	ECG-CR-P16-73-V02-15-16
5	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	Jewellers Comprehensive Insurance	HDE-OT-P15-39-V01-15-16
		Marine Kidnap & Ransom Policy	HDE-LI-P15-60-V01-15-16
		Long Term Two Wheeler Package Policy	HDE-MT-P16-77-V01-15-16

Contd.. **ANNEXURE 6**

NON-LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE FINANCIAL YEAR 2015-16

S.No	Name of the Insurer	Name of the Product/ Add-on	UIN
6	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	Zero depreciation add-on comprehesive insurance (Two wheeler - Long term) policy	ICI-MO-A00-00-11-V01-15-16
7	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	Janata Suraksha Bima Yojna	ITG-OT-P15-12-V01-15-16
		Jan Sewa Bima Yojna	ITG-OT-P15-13-V01-15-16
		Crime Insurance	ITG-LI-P16-57-V01-15-16
8	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	Kotak Car Secure	KMG-MO-P16-47-V01-15-16
		Kotak Two Wheeler Secure	KMG-MO-P16-48-V01-15-16
		Kotak Commercial Vehicle Secure (Passenger Carrying Vehicle)	KMG-MO-P16-49-V01-15-16
		Kotak Commercial Vehicle Secure (Goods Carrying Vehicle)	KMG-MO-P16-50-V01-15-16
		Kotak Commercial Vehicle Secure (Misc D)	KMG-MO-P16-51-V01-15-16
		Liability only (Private Car)	KMG-MT-P16-52-V01-15-16
		Liability only (Two Wheeler)	KMG-MT-P16-53-V01-15-16
		Liability only (GCV)	KMG-MT-P16-54-V01-15-16
		Liability only (PCV)	KMG-MT-P16-55-V01-15-16
		Liability only (Misc D)	KMG-MT-P16-56-V01-15-16
		Depreciation Cover	KMG-MO-A00-00-24-V01-15-16
		Consumables Cover	KMG-MO-A00-00-25-V01-15-16
		Engine Protect	KMG-MO-A00-00-26-V01-15-16
		Return to Invoice	KMG-MO-A00-00-27-V01-15-16
		Roadside Assistance	KMG-MO-A00-00-28-V01-15-16
9	L& T General Insurance Co. Ltd.	Farmer's Package Policy	LNT-OT-P16-43-V01-15-16
		My Jeevika Commercial and Miscellaneous & Special Types of Vehciles package Policy	LNT-MO-P16-64-V02-15-16
		My asset Two Wheeler Package Policy - revision in rating	LNT-MO-P16-74-V02-15-16
		My Asset Two Wheeler Package Insurance	LNT-MO-A00-00-08-V01-15-16
10	Liberty Videocon General Insurance Co. Ltd.	Multi-year Policy option under Two Wheeler Package Policy	LVG-MO-P16-44-V01-15-16
		Home Connect	LVG-OT-P16-75-V01-15-16
		Two Wheeler Package Policy-Add on GAP Value cover	LVG-MO-A00-00-12-V01-15-16
	(Contd..)	Two Wheeler Package Policy-Add on - Roadside Assistance	LVG-MO-A00-00-13-V01-15-16

Contd.. **ANNEXURE 6**

NON-LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE FINANCIAL YEAR 2015-16

S.No	Name of the Insurer	Name of the Product/ Add-on	UIN
	(Contd..) Liberty Videocon General Insurance Co. Ltd.	Two Wheeler Package Policy-Add on - Engine Safe)	LVG-MO-A00-00-14-V01-15-16
		Gap Value cover - Multi year option under TW	LVG-MO-A00-00-16-V01-15-16
		Roadside Assistance cover - Multi year option under TW	LVG-MO-A00-00-17-V01-15-16
		Engine safe - Multi year option under TW	LVG-MO-A00-00-18-V01-15-16
11	National Insurance Co. Ltd.	Long Term Two Wheeler Package Policy	NIC-MO-P16-31-V01-15-16
		No Claim Bonus Protect - Private Car Package Policy	NIC-MO-A00-00-04-V01-15-16
		Engine Protect - Private Car Package Policy	NIC-MO-A00-00-05-V01-15-16
		Engine Protect - Two Wheerler Package Policy	NIC-MO-A00-00-06-V01-15-16
		Engine Protect - Commercial Vehicle Package Policy	NIC-MO-A00-00-07-V01-15-16
		NCB Protect - Commercial Vehicles Package Policy	NIC-MO-A00-00-09-V01-15-16
		NCB Protect - Two Wheelers Package Policy	NIC-MO-A00-00-10-V01-15-16
		Invoice Protect (Add-on to Commercial Vehicles Package Policy)	NIC-MO-A00-00-15-V01-15-16
12	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	Clinical Trials Insurance Policy	RQB-LI-P16-45-V02-15-16
13	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	All Risks Insurance Policy - Revision	RSA-FI-P16-63-V02-15-16
		Private Car Package Policy - Key Replacement Clasue	RSA-MO-A00-00-03-V01-15-16
14	SBI General Insurance Co. Ltd.	Long Term Two Wheeler Package Policy	SBG-MO-P16-66-V01-15-16
		Trade Credit Insurance Policy	SBG-CR-P16-76-V02-15-16
15	Shriram General Insurance Co. Ltd.	Burglary Insurance -Revision	SGI-OT-P16-61-V02-15-16
16	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	E- Guard (long term upto 3 years)	TAG-OT-P15-05-V01-15-16
		Rural Package Policy	TAG-OT-P15-10-V01-15-16
		Business Guard - Long term agriculture pumpset insurance (upto 9 years)	TAG-OT-P15-14-V01-15-16
		Marine Cargo Insurance policy	TAG-MC-P15-15-V02-15-16
		Workmen's Compensation Insurance	TAG-OT-P15-17-V02-15-16
	(Contd..)	Product Recall Insurance	TAG-LI-P15-35-V01-15-16

Contd.. **ANNEXURE 6**

NON-LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE FINANCIAL YEAR 2015-16

S.No	Name of the Insurer	Name of the Product/ Add-on	UIN
	(Contd..)	Long Term Two Wheeler Package Policy	TAG-MO-P16-46-V01-15-16
	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	Auto Secure - TW add- ons - Additional Third Party Property Damage Cover	TAG-MO-A00-00-19-V01-15-16
		Auto Secure - TW add- ons - Consumables expenses	TAG-MO-A00-00-20-V01-15-16
		Auto Secure - TW add- ons - Emergency Medical expenses	TAG-MO-A00-00-21-V01-15-16
		Auto Secure - TW add- ons -Additional Personal Accident Cover to Owner Driver	TAG-MO-A00-00-22-V01-15-16
		Auto Secure - TW add- ons -Additional personal accident cover to unnamed persons	TAG-MO-A00-00-23-V01-15-16
		Long term two wheeler package policy addon-Depreciation allowance	TAG-MO-A00-00-35-V01-15-16
		Long term two wheeler package policy addon-Return to Invoice	TAG-MO-A00-00-36-V01-15-16
17	The New India Assurance Co. Ltd.	Griha Suvidha Policy on fist loss basis	NIA-OT-P15-02-V01-15-16
		Jan Suraksha Laghu Bima Policy - Micro Insurance	NIA-OT-P15-03-V02-15-16
		Nuclear Operators (Act Only) Liability Policy	NIA-LI-P16-28-V01-15-16
		Private Car package policy - enchanced cover - Nil Dep	NIA-MO-A00-00-01-V01-15-16
		Private Car package policy - enchanced cover - Road tax cover	NIA-MO-A00-00-37-V01-15-16
		Private Car package policy - enchanced cover - Return to Invoice cover	NIA-MO-A00-00-38-V01-15-16
		Private Car package policy - enchanced cover - No Claim Bonus (NCB) Protection	NIA-MO-A00-00-39-V01-15-16
		Private Car package policy - enchanced cover - Engine Protect Cover	NIA-MO-A00-00-40-V01-15-16
		Private Car package policy - enchanced cover - Additional Towing Charges Cover	NIA-MO-A00-00-41-V01-15-16
		Private Car package policy - enchanced cover - Loss of contents cover	NIA-MO-A00-00-42-V01-15-16
18	The Oriental Insurance Co. Ltd.	Medical Extension Addon for WC Policy	OIC-OT-A00-00-02-V01-15-16
19	United India Insurance Co. Ltd.	Exectuive Protect (Directors & Officers)	UII-LI-P15-06-V01-15-16
		Shopkeepers Insurance	UII-OT-P15-07-V02-15-16
		UNI Product Liability Insurance	UII-LI-P15-08-V01-15-16
		UNI MSME protect Insurance	UII-OT-P15-09-V01-15-16

ANNEXURE 7

LIST OF HEALTH INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE YEAR 2015-16

S.No	Name of Insurer	Name of the product	Date	UIN
1	Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd	Dengue Care	23.05.2015	IRDA/NL-HLT/AMHI/P-H/V.I/74/14-15
		Edu Care	19.06.2015	IRDA/NL-HLT/AMHI/P-H/V.I/72/14-15
		Critical Advantage Rider	19.06.2015	IRDA/NL-HLT/AMHI/P-H/V.I/59/14-15
		Every Day Care	12.08.2015	IRDAI/HLT/AMHI/P-H/V.I/01/15-16
		Energy	16.12.2015	IRDAI/HLT/AMHI/P-H/V.II/10/15-16
		Individual Personal Accident	11.01.2016	IRDAI/HLT/AMHI/P-P/V.II/20/2015-16
2	Bajaj Allianz General . Insurance Co. Ltd	Emergency Hotel Extension for insured and family members	11.05.2015	IRDA/NL HLT/BAGI/P-T/V.I/60/14-15
		Compassionate Visit by family member	11.05.2015	IRDA/NL HLT/BAGI/P-T/V.I/60/14-15
		Emergency Hotel Accommodation for family members	11.05.2015	IRDA/NL HLT/BAGI/P-T/V.I/65/14-15
		Loss of personal belongings cover	11.05.2015	IRDA/NL HLT/BAGI/P-T/V.I/66/14-15
		Escort for minor child/children	11.05.2015	IRDA/NL HLT/BAGI/P-T/V.I/67/14-15
		Replacement and rearrangement of Staff	11.05.2015	IRDA/NL HLT/BAGI/P-T/V.I/68/14-15
		Group Hospital Cash Policy	18.06.2015	IRDA/NL HLT/BAGI/P-H/V.I/64/14-15
		Travel Prime Policy	18.06.2015	IRDA/NL HLT/BAGI/P-T/V.II/37/14-15
		Accidental Hospitalization Cover	18.06.2015	IRDA/NL HLT/BAGI/P-H/V.I/84/14-15
		Global Personal Guard policy individual	23.02.2016	IRDAI/HLT/BAGI/P-P/V.I/30/2015-16
3	Cholamandalam MS Gen. Ins. Co. Ltd	Janatha Personal Accident policy (group)	31.03.2016	IRDAI/HLT/CHSGI/P-P/V.I/33/15-16
		Chola Income Shield Insurance Group	29.02.2016	IRDAI/HLT/CHSGI/P-H/V.I/24/15-16
4	Cigna TTK Health Insurance Co. Ltd	Cigna TTK Pro Health Cash	14.07.2015	IRDA/NL-HLT/CTTK/P-H/V.I/70/14-15
		Cigna TTK Lifestyle protection group policy	02.12.2015	IRDAI/HLT/CTTK/P-H/V.I/81/2014-15
		Cigna TTK pro health insurance	02.03.2016	IRDAI/HLT/CTTK/P-H/V.II/390/15-16
5	Future Generali India Insurance Co. Ltd	Health Total	23.06.2015	IRDAI/HLT/FGII/P-H/V.I/02/15-16
		Sukshma Hopi Cash Group Micro Insurance	31.03.2016	IRDAI/HLT/FGII/P-H/V.I/34/15-16
6	HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd	HDFC Ergo Janatha Personal Accident Insurance Policy	03.06.2015	IRDAI/NL-HLT/HDFC-ERGOGI/P-P/V.1/82/14-15
7	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd	ICICI Lombard Complete Health Insurance	31.03.2016	IRDAI/NL-HLT/ICICI/P-H/V.II/63/15-16
		Health Booster Individual	03.03.2016	IRDAI/HLT/ICICI/P-H/V.I/31/15-16
8	Iffco Tokio General Insurance Co. Ltd	Individual Personal Accident Grand	24.06.2015	IRDA/NL-HLT/ITGI/P-P/V.I/13/14-15
9	Kotak Mahindra Gen. Ins. Co. Ltd	Kotak Health Care	16.02.2016	IRDAI/HLT/KMGI/P-H/V.I/28/2015-16
10	Liberty Videocon Gen. Ins. Co. Ltd	Liberty videocon Hospi Cash Connect policy	10.09.2015	IRDAI/HLT/LVGI/P-H/V.1/77/14-15
		Overseas Travel Connect Insurance policy	28.01.2016	IRDAI/HLT/LVGI/P-T/V.II/32/15-16
		Overseas Student Travel Connect Insurance policy	28.01.2016	IRDAI/HLT/LVGI/P-T/V.II/33/15-16
		Liberty Videocon Secure Future Connect Policy	16.02.2016	IRDAI/HLT/LVGI/P-H/V.1/29/15-16

Contd.. **ANNEXURE 7**

LIST OF HEALTH INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE YEAR 2015-16

S.No	Name of Insurer	Name of the product	Date	UIN
11	The Oriental Insurance Co. Ltd	Mediclaim Insurance Policy Invididual	22.05.2015	IRDA/NL-HLT/OIC/P-H/V.II/448/14-15
		Oriental Happy Cash Nischint Rahein!	22.05.2015	IRDA/NL-HLT/OIC/P-H/V.I/73/14-15
		Happy Family Floater policy 2015	07.10.2015	IRDAI/HLT/OIC/P-H/V.II/450/15-16
12	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd	Health QuBE	31.03.2016	IRDAI/HLT/RQBEGI/P-H/V.I/35/15-16
13	Religare Health Insurance Co. Ltd	Student Explore	26.06.2015	IRDA/NL HLT/RHI/P-T/V.I/70/2014-15
		Care Freedom	03.07.2015	IRDA/NL HLT/RHI/P-H/V.I/36/2014-15
		Group Explore Policy	23.11.2015	IRDA/ HLT/RHI/P-T/V.I/53/2014-15
		Grameen Care-Micro insurance product	21.01.2016	IRDAI/HLT/RHI/P-H/V.I/27/2015-16
14	Royal Sundaram Gen. Ins. Co. Ltd	Smart Cash Plan	12.08.2015	IRDAI/HLT/RSAI/P-H/V.II/181/14-15
		Life Line	09.12.2015	IRDAI/HLT/RSAI/P-H/V.II/32/15-16
15	SBI General Insurance Co. Ltd	Group Business Travel (international) insurance	23.11.2015	IRDAI/HLT/SBIGI/P-T/V.I/85/14-15
16	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd	Star Comprehensive Insurance Policy	07.04.2015	IRDA/NL-HLT/SHAI/P-H/V.III/398/14-15
		Senior Citizen Red Carpet Health Insurance policy	16.06.2015	IRDA/NL-HLT/SHAI/P-H/V.II/172/14-15
		Accidental care individual insurance policy	20.08.2015	IRDAI/HLT/SHAI/P-P/V.II/134/15-16
		Family Health Optima Accident Care policy	24.09.2015	IRDAI/HLT/SHAI/P-P/V.II/166/15-16
		Medi classic Accident Care (individual) insurance policy	24.09.2015	IRDAI/HLT/SHAI/P-P/V.II/162/15-16
		Group Health Insurance	23.03.2016	IRDAI/HLT/SHAI/P-H/V.I/32/15-16
		Accident Care (group) insurance Revision	29.03.2016	IRDAI/HLT/SHAI/P-H/V.II/102/2015-16
17	Tata AIG General Insurance Co. Ltd	Home Guard Plus policy	23.04.2015	IRDAI/NL HLT/TAGI/P-H/V.II/287/14-15
		Student Guard Overseas Travel health insurance plan	19.06.2015	IRDAI/NL HLT/TAGI/P-T/V.II/237/14-15
		Accident Shield policy	26.05.2015	IRDAI/HLT/TAGI/P-P/V.II/200/15-16
18	National Insurance Co. Ltd	National Parivar Mediclaim policy	24.06.2015	IRDAI/NL HLT/NI/P-H/V.I/61/14-15
		National Parivar Mediclaim Plus policy	24.06.2015	IRDAI/NL HLT/NI/P-H/V.I/62/14-15
		National Hero Accident Suraksha policy	24.06.2015	IRDAI/NL HLT/NI/P-P/V.I/78/14-15
19	United India Insurance Co. Ltd	Overseas Travel Insurance 2014	25.05.2015	IRDA/NL-HLT/UII/P-T/V.I/37/14-15
		Bhagyashree Insurance-Individual	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/3/2015-16
		Bhagyashree Insurance - Group	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/4/2015-16
		Group Road Safety Insurance	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/5/2015-16
		Individual Road Safety Policy	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/6/2015-16
		Janata Personal Accident - Individual	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/7/2015-16
		Janata Personal Accident - Group	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/8/2015-16
		Mother Teresa Women and Children Policy	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/9/2015-16
		Raja Rajeshwari Mahila Kalyan Bima Yojana (Individual)	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/10/2015-16
		Raja Rajeshwari Mahila Kalyan Bima Yojana (Group)	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/11/2015-16
	(Contd..)	Naadalahiri Individual	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/12/2015-16

Contd.. **ANNEXURE 7**

LIST OF HEALTH INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE YEAR 2015-16

S.No	Name of Insurer	Name of the product	Date	UIN
	(Contd..)	Naadalahiri Group	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/13/2015-16
	United India	Passenger Flight Coupon - Individual	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/14/2015-16
	Insurance Co. Ltd	Passenger Flight Coupon - Group	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/15/2015-16
		Gramin Accident Policy - Individual	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/16/2015-16
		Gramin Accident Policy - Group	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/17/2015-16
		Kisan Credit Card Group Insurance	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/18/2015-16
		Rural Women Package	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/19/2015-16
		Rural Accident Package	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/20/2015-16
		Unistudycare Individual	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/21/2015-16
		Unistudycare Group	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/22/2015-16
		Student Safety	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/23/2015-16
		Package PBBY (Pravasi Bharatiya Bima Yojana)	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/24/2015-16
		Suhana Safar	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/25/2015-16
		Group Margabandhu Policy	11.01.2016	IRDAI/HLT/UII/P-P/V.I/26/2015-16

ANNEXURE 8

CIRCULARS/ORDERS/NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2015 TO MARCH 2016

S.No.	REFERENCE NUMBER	DEPARTMENT	NOTIFICATION TYPE	DATE	Subject
1	IRDA/AGTS/GDL/CIR/060/04/2015	AGENTS	Guidelines/Instructions	1/4/2015	Guidelines on Appointment of Insurance Agents 2015 - Instructions to Insurers
2	IRDA/F&A/CIR/GLD/062/04/2015	Finance & Accounts	Circular	6/4/2015	Certificate of Registration issued under Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act 1938
3	IRDA/HLT/REG/CIR/063/04/2015	HEALTH DEPARTMENT	Regulations	6/4/2015	Compliance with Regulation 12 of IRDA (Health Insurance) Regulations,2013
4	IRDA/I & C/ORD/ONS/064/04/2015	Inspection & Compliance	Orders	6/4/2015	order in the matter of M/s Excellent Insurance BrokingServices Ltd
5	IRDA/NL/GDL/MISC/065/04/2015	NON LIFE	Guidelines/Instructions	6/4/2015	Gudelines of Insurance business in Special Economic Zones
6	IRDA/ACT/CIR/BAP/066/04/2015	ACTUARIAL	Circular	8/4/2015	Submission of ARA,AAAR and Reinsurance Returns
7	IRDA/AGTS/MISC/ORD/067/04/2015	AGENTS	Miscellaneous	9/4/2015	Committee to examine the training/ professionalization of the Insurance distribution system
8	IRDA/ENF/ORD/ONS/069/04/2015	Enforcement	Orders	9/4/2015	Order in the matter of M/s Suraksha Insurance Brokers Pvt Ltd, Kolkota
9	IRDA/ENF/ORD/ONS/070/04/2015	Enforcement	Orders	9/4/2015	Order in the matter of M/s Reliance General Insurance Company
10	IRDA/SUR/REG/ORD/071/04/2015	SURVEYORS	Regulations	10/4/2015	Weblist of surveyors and loss assessors (imdividula & corporate) with IIISLA membership
11	IRDA/TPA/MISC/ORD/072/04/2015	TPA(Intrme)	Miscellaneous	15/4/2015	In the matter of M/s Sri Gokulam Health Services TPA Pvt Ltd
12	IRDA/BRK/GDL/CIR/074/04/2015	BROKERS	Guidelines/Instructions	16/4/2015	All CEO of General Insurance Companies and GIC Re
13	IRDA/NL/CIR/OOO/075/04/2015	NON LIFE	Circular	17/4/2015	Submission of office filling application through BAP nonlife module
14	IRDA/AGTS/CIR/GLD/081/04/2015	AGENTS	Circular	21/4/2015	Guidelines on appointment of Insurance Agents - 2015
15	IRDA/TAC/ORD/ADMN/077/04/2015	TARIFF ADVISORY COMMITTEE	Orders	21/4/2015	Reconstitution of PF Trusts of TAC and its Regional offices
16	IRDA/INSP/ORD/ONS/083/04/2015	INSPECTION	Orders	23/4/2015	Final order in the matter of United India I nsurance Company Ltd
17	IRDA/LIFE/CIR/GRV/084/04/2015	LIFE	Circular	23/4/2015	Handling of Compliants and Grievances of Frm PH
18	IRDA/HLT/MISC/ORD/085/04/2015	HEALTH DEPARTMENT	Miscellaneous	24/4/2015	Final order in the matter of M/s Chola MS General Insurance Co Ltd

Contd.. **ANNEXURE 8**

CIRCULARS/ORDERS/NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2015 TO MARCH 2016

S.No.	REFERENCE NUMBER	DEPARTMENT	NOTIFICATION TYPE	DATE	Subject
19	IRDA/TPA/MISC/ORD/087/04/2015	TPA(Intrme)	Miscellaneous	27/4/2015	Final order in the matter of Good Health Plan(TPA) Limited, Hyderabad.
20	IRDA/TPA/MISC/ORD/088/04/2015	TPA(Intrme)	Miscellaneous	28/4/2015	Final Order in the Matter of Genins India TPA Limited
21	IRDA/HLT/MISC/ORD/090/04/2015	HEALTH DEPARTMENT	Miscellaneous	29/4/2015	Final order in the matter of M/s National Insurance Company Limited
22	IRDA/INSP/ORD/ONS/089/04/2015	INSPECTION	Orders	29/4/2015	Final order in the matter of M/s Amsure Insurance Agency Ltd
23	IRDA/BRK/MISC/ORD/092/04/2015	BROKERS	Miscellaneous	30/4/2015	Final order in the matter of M/s Shree Vighneshwar Insurance Brokers Private Limited.
24	IRDA/F&I/CIR/INV/093/04/2015	F&I	Circular	30/4/2015	Withdrawal of Deposit under Section 7 of Insurance Act,1938
25	IRDA/HLT/WRN/ORD/095/05/2015	HEALTH DEPARTMENT	Warning	1/5/2015	Order in the matter of M/s Bajaj Allianz
26	IRDA/LIFE/CIR/MISC/104/05/2015	LIFE	Circular	11/5/2015	Submission of Returns for Life through BAP
27	IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015	NON LIFE	Elec. Trans. and Setl. Sys.	11/5/2015	ETASS Guidelines
28	IRDA/NL/CIR/ADV/105/05/2015	NON LIFE	Circular	12/5/2015	Submission of Product filing applications throughs BAP -- NL
29	IRDA/LIFE/CIR/MISC/106/05/2015	LIFE	Circular	18/5/2015	Acknowledememt on collection of Premiums and Procedures for refund of Premiums received/ Deposits remitted for Insurance
30	IRDA/TAC/ORD/ADMN/107/05/2015	TARIFF ADVISORY COMMITTEE	Orders	19/5/2015	Redesignation of Secretary, TAC
31	IRDA/ACT/CIR/BAP/108/05/2015	ACTUARIAL	Circular	20/5/2015	Submission of Life Insurance Products/ Riders through BAP
32	IRDA/ENF/MISC/ONS/112/05/2015	Enforcement	Miscellaneous	26/5/2015	Final Order in the matter of M/s IndiaFirst Life Insurance Co Ltd
33	IRDA/INT/GDL/INSRE/111/05/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Guidelines/Instructions	26/5/2015	Revised Guidelines on Insurance Repositories and electronic issuance of Insurance policies
34	IRDA/ENF/ORD/ONS/113/05/2015	Enforcement	Orders	28/5/2015	Order in the matter of M/s Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.
35	IRDA/F&A/CIR/GLD/114/05/2015	Finance & Accounts	Circular	28/5/2015	Handling of the Unclaimed amounts pertaining to teh Policyholders
36	IRDA/ENF/ORD/ONS/115/06/2015	Enforcement	Orders	9/6/2015	Final order in the matter of M/s. Future Generali Life Insruance Co. Ltd
37	IRDA/TPA/MISC/CIR/117/06/2015	TPA(Intrme)	Miscellaneous	22/6/2015	Discount on Bills offered by Hospitals

Contd.. **ANNEXURE 8**

CIRCULARS/ORDERS/NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2015 TO MARCH 2016

S.No.	REFERENCE NUMBER	DEPARTMENT	NOTIFICATION TYPE	DATE	Subject
38	IRDA/BRK/MISC/ORD/120/06/2015	BROKERS	Miscellaneous	26/6/2015	Order in the matter of M/S Ishan Insurance Broking Pvt. Ltd.
39	IRDA/INT/MISC/ORD/123/07/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Miscellaneous	2/7/2015	Committee of Life and General Insurance Group Promoting e-commerce in Insurance Sector
40	IRDA/F&I/ORD/F&A/125/07/2015	F&I	Orders	3/7/2015	Final order in matter of India First Life Insurance CO. Ltd.
41	IRDA/F&I/ORD/F&A/126/07/2015	F&I	Orders	3/7/2015	Final order in matter ofTata AIA Life Insurance CO. Ltd.
42	IRDA/INT/MISC/ORD/128/07/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Miscellaneous	7/7/2015	Order in respect of M/S Stratus Insurance Brokers Pvt. Ltd.
43	IRDA/NL/CIR/MISC/129/07/2015	NON LIFE	Circular	14/7/2015	Appointment of Surveyors and Loss Assessors
44	IRDA/ACT/ORD/LIF/130/07/2015	ACTUARIAL	Orders	22/7/2015	Review of Regulations - Life
45	IRDA/ACT/ORD/GEN/131/07/2015	ACTUARIAL	Orders	22/7/2015	Review of Regulations - General
46	IRDA/ACT/ORD/RIN/132/07/2015	ACTUARIAL	Orders	22/7/2015	Foreign Office of Reinsurer
47	IRDA/ENF/ORD/ONS/133/07/2015	Enforcement	Orders	24/7/2015	Order on the onsite inspection report of M/s L & T General Insuance Co. Ltd.
48	IRDA/F&A/CIR/CPM/134/07/2015	Finance & Accounts	Circular	24/7/2015	Handling of the Unclaimed amounts pertaining to the Policyholders
49	IRDA/INT/ORD/INSRE/135/07/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Orders	24/7/2015	Constitution of technical committee for KYC
50	IRDA/ENF/ORD/ONS/138/07/2015	Enforcement	Orders	31/7/2015	Order in matter of Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.
51	IRDA/LIFE/CIR/MISC/140/08/2015	LIFE	Circular	4/8/2015	Obtaining Annuity Options from the Policy Holders
52	IRDA/CAD/ORD/MISC/142/08/2015	Consumer Affairs	Orders	5/8/2015	Utilization of digital cinema for transmission of television commercial
53	IRDA/INT/MISC/ORD/141/08/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Miscellaneous	5/8/2015	Order in respect of M/s Anil Krishna Insurance Broking Associates Private Limited
54	IRDA/LIFE/ORD/MISC/143/08/2015	LIFE	Orders	7/8/2015	Final order in the matter of M/s Reliance Life Insruance Co. Ltd.
55	IRDA/INT/ORD/INSRE/146/08/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Orders	10/8/2015	Development and Maintenance of iTrex (Insurance Transaction Exchange)
56	IRDA/LIFE/CIR/MISC/147/08/2015	LIFE	Circular	13/8/2015	Master Circular on Insurance Advertisement
57	IRDA/HLT/WRN/ORD/150/08/2015	HEALTH DEPARTMENT	Warning	20/8/2015	Letter to Star Health for advertisement in the Economic Times

Contd.. **ANNEXURE 8**

CIRCULARS/ORDERS/NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2015 TO MARCH 2016

S.No.	REFERENCE NUMBER	DEPARTMENT	NOTIFICATION TYPE	DATE	Subject
58	IRDA/INT/MISC/ORD/149/08/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Miscellaneous	20/8/2015	Order inrespect of M/s Esquire Insurance Broking Pvt. Ltd.
59	IRDA/INT/MISC/ORD/151/08/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Miscellaneous	20/8/2015	Order in respect of M/s Space Insurance Brokers Private Limited
60	IRDA/INT/ORD/INSRE/153/08/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Orders	25/8/2015	Committee on iTrex
61	IRDA/F&I/CIR/INV/156/08/2015	F&I	Circular	27/8/2015	Guidelines on investment in exchange Traded Funds with G Sec Underlying (GILT - ETF)
62	IRDA/LIFE/ORD/MISC/157/08/2015	LIFE	Orders	28/8/2015	Modification of the final order bearing no. IRDA/LIFE/ORD/MISC/143/08/2015 dated August 6, 2015
63	IRDA/ENF/ORD/ONS/162/09/2015	Enforcement	Orders	4/9/2015	Order in the matter of M/s ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
64	IRDA/F&A/CIR/GLD/161/09/2015	Finance & Accounts	Circular	4/9/2015	Submission of Returns for F&A Life through BAP module
65	IRDA/F&A/ORD/TRSH/163/09/2015	Finance & Accounts	Orders	7/9/2015	Penalty order against RLIC
66	IRDA/NL/ORD/MISC/164/09/2015	NON LIFE	Orders	7/9/2015	Committee for development of a model for sharing the motor vehicle database
67	IRDA/F&A/ORD/TRSH/165/09/2015	Finance & Accounts	Orders	9/9/2015	Penalty order against Reliance General Insurance Co. Ltd.
68	IRDA/ACT/CIR/BAP/166/09/2015	ACTUARIAL	Circular	11/9/2015	Submission of IBNR Report through Business Analytics Project(BAP)
69	IRDA/INT/CIR/ORD/171/09/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Circular	16/9/2015	Clarification on the name of Insurance Marketing Firm
70	IRDA/NL/CIR/MISC/173/09/2015	NON LIFE	Circular	24/9/2015	Discharge voucher in settlement of claims
71	IRDA/SDD/GDL/CIR/175/09/2015	SECTORAL DEVELOPMENT	Guidelines/Instructions	28/9/2015	Master circular on AML/CFT
72	IRDA/LIFE/ORD/MISC/176/10/2015	LIFE	Orders	9/10/2015	Final Order in the matter of M/s. Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.
73	IRDA/LIFE/ORD/MISC/177/10/2015	LIFE	Orders	9/10/2015	Final Order in the matter of M/s. ICICI Life Insurance Co. Ltd.
74	IRDA/LIFE/CIR/GLD/179/10/2015	LIFE	Circular	15/10/2015	Guidelines on Claim Processing for Group Life Kinsurance Policies Under Lender-Borrower Group Insruance Schemes
75	IRDA/F&A/GDL/GLD/180/10/2015	Finance & Accounts	Guidelines/Instructions	19/10/2015	Guidelines on "Indian owned and controlled" requirements for an Indian Insurance Company
76	IRDA/CW/CIR/MISC/181/10/2015	Communication Wing	Circular	23/10/2015	Printing of Calendars

Contd.. **ANNEXURE 8**

CIRCULARS/ORDERS/NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2015 TO MARCH 2016

S.No.	REFERENCE NUMBER	DEPARTMENT	NOTIFICATION TYPE	DATE	Subject
77	IRDA/INT/GDL/ORD/183/10/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Guidelines/Instructions	26/10/2015	Guidelines on Point of Sales Person - Non-Life & Health Insurers
78	IRDA/LIFE/GDL/MISC/186/10/2015	LIFE	Guidelines/Instructions	28/10/2015	Applicability of Provisions of Sec 45 of Insruance Act 1938 in various scenarios
79	IRDA/CAD/CIR/MISC/194/11/2015	Consumer Affairs	Circular	3/11/2015	non compliance of award of insurance Ombudsman or Order of MACT or Consumer fora
80	IRDA/ENF/MISC/ONS/195/11/2015	Enforcement	Miscellaneous	4/11/2015	Final Order in the matter of M/s. IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.
81	IRDA/NL/CIR/MOTP/196/11/2015	NON LIFE	Circular	4/11/2015	Motor third party premium rates for e-carts, e-rickshawas and passenger premium for motorised two wheeler carrying passengers for hire or reward
82	IRDA/INT/CIR/INSRE/197/11/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Circular	6/11/2015	Issuance of Elecronic Insurance Policies
83	IRDA/NL/ORD/CMT/199/11/2015	NON LIFE	Orders	13/11/2015	constitution of committee on motor dealer payouts on motor insurance business
84	IRDA/F&A/CIR/GLD/200/11/2015	Finance & Accounts	Circular	16/11/2015	Registration and operation of branch office of foreign reinsurer other than Lloyd's
85	IRDA/CAGTS/GDL/LCE/202/11/2015	CORPORATE AGENTS	Guidelines/Instructions	18/11/2015	Instructions for obtaining Certificate of Registration under IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015
86	IRDA/F&A/ORD/ACTS/201/11/2015	Finance & Accounts	Orders	18/11/2015	Impltementation group on Ind AS
87	IRDA/INT/ORD/INSRE/203/11/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Orders	19/11/2015	Discounted structure for policies issued only in electronic form
88	IRDA/TPA/MISC/ORD/204/11/2015	TPA(Intrme)	Miscellaneous	19/11/2015	M/s. East West Assist TPA Pvt. Ltd.
89	IRDA/TPA/MISC/ORD/205/11/2015	TPA(Intrme)	Miscellaneous	19/11/2015	M/s. East West Assist TPA Pvt. Ltd
90	IRDA/INT/CIR/ORD/208/11/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Circular	20/11/2015	Indian owned and controlled
91	IRDA/TAC/ORD/ADMN/206/11/2015	TARIFF ADVISORY COMMITTEE	Orders	20/11/2015	Reconstitution of TAC gratuity and provident fund trusts
92	IRDA/TAC/ORD/ADMN/207/11/2015	TARIFF ADVISORY COMMITTEE	Orders	20/11/2015	Reconstitution of TAC Pension fund trust
93	IRDA/LIFE/CIR/ADV/209/11/2015	LIFE	Circular	23/11/2015	Benefit illustration/s in Advertisements of Life Insurance Products
94	IRDA/ENF/ORD/ONS/210/11/2015	Enforcement	Orders	24/11/2015	Office Order
95	IRDA/IT/MISC/TNDR/211/11/2015	INFORMATION TECHNOLOGY	Miscellaneous	26/11/2015	Selection of Vendor for the Annual maintenance of SAP-ERP application

Contd.. **ANNEXURE 8**

CIRCULARS/ORDERS/NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2015 TO MARCH 2016

S.No.	REFERENCE NUMBER	DEPARTMENT	NOTIFICATION TYPE	DATE	Subject
96	IRDA/IT/CIR/MISC/217/12/2015	INFORMATION TECHNOLOGY	Circular	3/12/2015	Setting up of a central databases of all important communications issued to the registered entities-
97	IRDA/INT/CIR/INSRE/214/12/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Circular	3/12/2015	Maximum charges on basic services offered by Insurance Repository
98	IRDA/LIFE/ORD/MISC/213/12/2015	LIFE	Orders	3/12/2015	Final order in the matter of M/s Max Life Insurance Co. Ltd.
99	IRDA/TAC/ORD/ADMN/219/12/2015	TARIFF ADVISORY COMMITTEE	Orders	15/12/2015	Change in bank signatories - TAC
100	IRDA/ENF/ORD/ONS/221/12/2015	Enforcement	Orders	16/12/2015	Draft order on the onsite inspection report observations of M/s Cholamandalam MS GICL- Inspection period 6th to 10th Dec, 2010
101	IRDA/INT/CIR/INSRE/220/12/2015	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Circular	16/12/2015	fortnightly status report on isurance of elcetronic motor policies
102	IRDA/F&A/CIR/GLD/222/12/2015	Finance & Accounts	Circular	18/12/2015	Registration and submission of information to CBDT for compliance with obligations under Foreign Account Tax compliance Act (FATCA) / Common Reporting Standards (CRS)
103	IRDA/CW/ORD/MISC/223/12/2015	Communication Wing	Orders	22/12/2015	Reconstitution of Editorial Board for publication of IRDAI Journal
104	IRDA/F&A/CIR/CPM/224/12/2015	Finance & Accounts	Circular	23/12/2015	Reporting of compliance regarding Indian Ownership and control
105	IRDA/LIFE/CIR/MIN/225/12/2015	LIFE	Circular	23/12/2015	extension of date for continuance of existing Micri Insurance Products
106	IRDA/SUR/ORD/MISC/226/12/2015	SURVEYORS	Orders	23/12/2015	Re-constitution of committee of surveyours and loss assessors in terms of regulation 10 of the IRDAI(Insurance Surveyours and loss Assessors) Regulations, 2015 (surveyor Regulations)
107	IRDA/TPA/MISC/ORD/229/12/2015	TPA(Intrme)	Miscellaneous	31/12/2015	In the matter of M/s Spurthi Meditech (TPA) Solutions Pvt Ltd.
108	IRDA/HLT/REG/CIR/001/01/2016	HEALTH DEPARTMENT	Regulations	4/1/2016	Agreements with adequate number of Service providers widespread geographically
109	IRDA/ENF/ORD/ONS/004/01/2016	Enforcement	Orders	7/1/2016	Onsite inspection of M/s Probus Insurance Brokers Ltd. - Final order
110	IRDA/ENF/ORD/ONS/005/01/2016	Enforcement	Orders	7/1/2016	Final order in the matter of M/s Universal Sompo General Inrance Co. Ltd.

Contd.. **ANNEXURE 8**

CIRCULARS/ORDERS/NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2015 TO MARCH 2016

S.No.	REFERENCE NUMBER	DEPARTMENT	NOTIFICATION TYPE	DATE	Subject
111	IRDA/ENF/ORD/ONS/006/01/2016	Enforcement	Orders	7/1/2016	Final order in the matter of M/s Iffco Tokio General Insurance Co. Ltd.
112	IRDA/LIFE/CIR/MIN/007/01/2016	LIFE	Circular	8/1/2016	Filing of Micro Insurance Products subsequent to the implementation of IRDAI (Micro Insurance) Regulations, 2015
113	IRDA/HLT/MISC/ORD/009/01/2016	HEALTH DEPARTMENT	Miscellaneous	11/1/2016	Final order in the matter of M/s Anmol Medicare TPA Ltd.
114	IRDA/INT/MISC/ORD/012/01/2016	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Miscellaneous	12/1/2016	Order in the matter related to AB Insurance Brokers Pvt. Ltd.
115	IRDA/TPA/MISC/ORD/013/01/2016	TPA(Intrme)	Miscellaneous	13/1/2016	Matter of M/s Sri Gokulam Health Services TPA Pvt. Ltd.
116	IRDA/INT/MISC/ORD/014/01/2016	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Miscellaneous	15/1/2016	Approach in case of non-compliance of IRDA's (Insurance Broker) Regualtions, 2015
117	IRDA/HLT/MISC/ORD/016/01/2016	HEALTH DEPARTMENT	Miscellaneous	19/1/2016	Final order in the matter of M/s The New India Assurance Co. Ltd.
118	IRDA/NL/GDL/RIN/017/01/2016	NON LIFE	Guidelines/Instructions	19/1/2016	Guidelines on Cross Border Reinsurance
119	IRDA/BRK/MISC/CIR/018/01/2016	BROKERS	Miscellaneous	21/1/2016	Brokers Training through online module
120	IRDA/NL/CIR/MISC/019/01/2016	NON LIFE	Circular	28/1/2016	Issues pertaining to opening of offices in IFSC
121	IRDA/ENF/ORD/ONS/023/02/2016	Enforcement	Orders	8/2/2016	Final order in the matter of M/s The Oriental Insurance Co Ltd
122	IRDA/F&I/MISC/CIR/026/02/2016	F&I	Miscellaneous	9/2/2016	Submission of returns for F & A non life through BAP
123	IRDA/NL/CIR/MISC/024/02/2016	NON LIFE	Circular	9/2/2016	All Gen. Ins, Co. stand alone Ins. co.
124	IRDA/NL/CIR/F&U/025/02/2016	NON LIFE	Circular	9/2/2016	All Gen. Ins.
125	IRDA/BRK/MISC/ORD/027/02/2016	BROKERS	Miscellaneous	12/2/2016	Final order in the matter of M/s LMB Insurance Brokers Pvt. Ltd.
126	IRDA/SUR/ORD/MISC/028/02/2016	SURVEYORS	Orders	15/2/2016	Order in the matter of Shri.Sanjeev Soni, Surveyor and Loss Assessor - SLA NO:150006
127	IRDA/CAGTS/CIR/LCE/029/02/2016	CORPORATE AGENTS	Circular	16/2/2016	Clarification on IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015
128	IRDA/NL/GDL/F&U/030/02/2016	NON LIFE	Guidelines/Instructions	16/2/2016	Guidelines on Product filing procedures for general insurance products
129	IRDA/SUR/MISC/ORD/031/02/2016	SURVEYORS	Miscellaneous	16/2/2016	Appointment of election officer to conduct 8th conusil elections of IIISLA for 4 zonalvacancies

Contd.. **ANNEXURE 8**

CIRCULARS/ORDERS/NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2015 TO MARCH 2016

S.No.	REFERENCE NUMBER	DEPARTMENT	NOTIFICATION TYPE	DATE	Subject
130	IRDA/INT/CIR/INSRE/032/02/2016	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Circular	22/2/2016	uploading of sIA data on iTrex(Insurance Transaction Exchange) server
131	IRDA/SUR/ORD/MISC/034/02/2016	SURVEYORS	Orders	25/2/2016	Order in the matter of Sh. Munish Prashar, SLA 72810 and M/s Puri Crawford ISLA IndiaPvt. Ltd., SLA 72398
132	IRDA/NL/CIR/RIN/036/02/2016	NON LIFE	Circular	29/2/2016	Deferment of date of enforcement of Reg 28(9) of IRDAI Regulations, 2015
133	IRDA/F&A/CIR/IFRS/037/03/2016	Finance & Accounts	Circular	1/3/2016	Constitution of internal working group on Ind As
134	IRDA/F&A/CIR/IFRS/038/03/2016	Finance & Accounts	Circular	1/3/2016	Implementation of Indian Accounting Standards in insurance industry
135	IRDA/BRK/MISC/ORD/039/03/2016	BROKERS	Miscellaneous	2/3/2016	Final order in the matter of M/s Towers Watson Insurance Brokers India Pvt. Ltd.
136	IRDA/INT/CIR/IMF/041/03/2016	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Circular	2/3/2016	clarification on IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulation, 2015
137	IRDA/INT/ORD/COCI/042/03/2016	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Orders	2/3/2016	CONSTITUTION OF A COMMITTEE FOR ESTABLISHMENT OF INSURANCE SERVICE COMPANIES
138	IRDA/TPA/MISC/ORD/040/03/2016	TPA(Intrme)	Miscellaneous	2/3/2016	Final order in the matter of M/s Medsave Healthcare (TPA) Ltd.
139	IRDA/LIFE/CIR/MIN/045/03/2016	LIFE	Circular	10/3/2016	offering existing general insurance products that are in compliance wiht IRDA(Micro insurance) reg. 2015 as gen. micro insurance products
140	IRDA/NL/CIR/CRE/044/03/2016	NON LIFE	Circular	10/3/2016	Guidelines on trade credit insurance
141	IRDA/ENF/ORD/ONS/046/03/2016	Enforcement	Orders	11/3/2016	Final Order in the matter of M/s The New India Assurance Co. Limited
142	IRDA/INT/GDL/ORD/047/03/2016	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Guidelines/Instructions	11/3/2016	Guidelines on Point of Sales Person - Non-Life & Health Insurers - Addition of Products
143	IRDA/ACT/MISC/MISC/048/03/2016	ACTUARIAL	Miscellaneous	14/3/2016	Panel of Actuaries - Expression of Intrest
144	IRDA/BRK/GDL/CIR/050/03/2016	BROKERS	Guidelines/Instructions	15/3/2016	exemption from regulation
145	IRDA/INT/ORD/COMM/049/03/2016	INTERMEDIARIES DEPARTMENT	Orders	15/3/2016	Regulations on payment of commission remuneration or renewal or reward to insurance agents and insurance intermediaries
146	IRDA/NL/CIR/MISC/051/03/2016	NON LIFE	Circular	15/3/2016	Dismantling of Indian Motor Third Party Declined Risk Pool for Commercial vehicles (Act only insurance) - DR Pool

Contd.. **ANNEXURE 8**

CIRCULARS/ORDERS/NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2015 TO MARCH 2016

S.No.	REFERENCE NUMBER	DEPARTMENT	NOTIFICATION TYPE	DATE	Subject
147	IRDA/ENF/MISC/ONS/052/03/2016	Enforcement	Miscellaneous	17/3/2016	Final Order in the matter of M/s Star Union Dai Ichi Life Insurance Co Ltd
148	IRDA/ENF/MISC/ONS/053/03/2016	Enforcement	Miscellaneous	17/3/2016	Final order in the matter of M/s Exide Life Insurance Co. Ld.
149	IRDA/ACT/GDL/MISC/055/03/2016	ACTUARIAL	Guidelines/Instructions	22/3/2016	To CEOs of all Insurers / Reinsurers Appointment of Appointed Actuaries and their Mentors
150	IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016	Finance & Accounts	Circular	23/3/2016	IRDA (Preparation of financial statements and auditors repot of insurance companies) regulations, 2002
151	IRDA/ACT/CIR/MISC/057/03/2016	ACTUARIAL	Circular	24/3/2016	Panel of actuaries - Expression of interest
152	IRDA/NL/CIR/MISC/058/03/2016	NON LIFE	Circular	24/3/2016	Submission of quality data to IIB
153	IRDA/NL/ORD/MOTP/060/03/2016	NON LIFE	Orders	28/3/2016	premium rates for motor third party liability insurance cover for FY 2016-17
154	IRDA/TPA/REG/CIR/059/03/2016	TPA(Intrme)	Regulations	28/3/2016	Third Party Administrators - Health Services, Regulations
155	IRDA/CAD/CIR/MISC/063/03/2016	Consumer Affairs	Circular	31/3/2016	Non-Compliance of Award of Insurance Ombudsman

ANNEXURE 9

REGULATIONS FRAMED UNDER THE IRDA ACT, 1999 UP TO 31/03/2016#

Sl.No	Name of the Notification
1	IRDA (The Insurance Advisory Committee) (Meeting) Regulations, 2000
2	IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000
3	IRDA (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000
4	IRDA (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000
5	IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000
6	IRDA (General Insurance-Reinsurance) Regulations, 2000
7	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000
8	IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000
9	IRDA (Obligations of Insurers to Rural Social Sectors) Regulations, 2000
10	IRDA (Meetings) Regulations, 2000
11	IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2000
12	IRDA (Investment) Regulations, 2000
13	IRDA (Conditions of service of Officers and other Employees) Regulations, 2000
14	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors-Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000
15	IRDA (Life Insurance - Reinsurance) Regulations, 2000
16	IRDA (Investment) (Amendment) Regulations, 2001
17	IRDA (Third Party Administrators - Health Services) Regulations, 2001
18	IRDA (Re-Insurance Advisory Committee) Regulations, 2001
19	IRDA (Investments) (Amendment) Regulations, 2002
20	IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002
21	IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002
22	IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002
23	IRDA (Obligations of Insurers to Rural Social Sectors) Regulations, 2002
24	IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002
25	IRDA (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2002
26	IRDA (Protection of Policyholders' Interests) (Amendment) Regulations, 2002
27	IRDA (Manner of Receipt of Premium) Regulations, 2002
28	IRDA (Distributions of Surplus) Regulations, 2002
29	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2003
30	IRDA (Investment) (Amendment) Regulations, 2004
31	IRDA (Qualification actuary) Regulations, 2004
32	IRDA (Obligations of Insurers to Rural / Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2004
33	IRDA (Micro Insurance) Regulations, 2005
34	IRDA (Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Regulations, 2005
35	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2005
36	IRDA(Licensing of Insurance Agents)(Amendment) Regulations, 2007

Contd.. **ANNEXURE 9**

REGULATIONS FRAMED UNDER THE IRDA ACT, 1999 UP TO 31/03/2016#

Sl.No	Name of the Notification
37	IRDA (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2007
38	IRDA (Insurance Brokers) (Amendment) Regulations, 2007
39	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Third Amendment) Regulations, 2008
40	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Fourth Amendment) Regulations, 2008
41	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Second Amendment) Regulations, 2008
42	IRDA (Conditions of service of Officers and other Employees) (Amendments) Regulations, 2008
43	IRDA(Investment) (Fourth Amendment) Regulations, 2008
44	IRDA (Sharing of Database for Distribution of Insurance Products) Regulations, 2010
45	IRDA (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations, 2010
46	IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2010
47	IRDA (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2010
48	IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) 2011
49	IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011
50	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Third Amendment) Regulations, 2012
51	IRDA (Insurance Advisory Committee) (Meetings) (First Amendment) Regulations. 2012
52	IRDA (Sharing of confidential information concerning domestic or foreign entity) Regulations, 2012
53	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Fourth Amendment) Regulations, 2013
54	IRDA (Appointed Actuary) (First Amendment) Regulations, 2013
55	IRDA (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013
56	IRDA (Insurance Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013
57	IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013
58	IRDA (Third Party Administartor - Health Services) (First Amendment) Regulations, 2013
59	IRDA (Standard Proposal Form for Life Insurance) Regulations, 2013
60	IRDA (Places of Business) Regulations, 2013
61	IRDA (Issuance of Capital by General Insurance Companies) Regulations, 2013
62	IRDA (Non-linked Insurance Products) Regulations, 2013
63	IRDA (Health Insurance) Regulations, 2013
64	IRDA (Linked Insurance Products) Regulations, 2013
65	IRDA (Investment) (Fifth Amendment) Regulations, 2013
66	IRDA (Life Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013
67	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors - Licensing, Professional requirements and code of conduct) (Amendment) Regulations, 2013
68	IRDA (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013
69	IRDA (Web aggregators) Regulations, 2013
70	IRDA (Meetings) (First Amendment) Regulations, 2013
71	IRDA IAC (Mettings) (Second Amendment) Regulations, 2013
72	IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013

Contd.. **ANNEXURE 9**

REGULATIONS FRAMED UNDER THE IRDA ACT, 1999 UP TO 31/03/2016#

Sl.No	Name of the Notification
73	IRDA (TPA - Health Services) (Second Amendment) Regulations, 2013
74	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Fifth Amendment) Regulations, 2013
75	IRDA (Licencing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations 2013
76	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors- Licensing, Professional requirements and code of conduct) (Second Amendment) Regulations, 2013
77	IRDA (Conditions of Service of Officers and Other Employees) (Third Amendment) Regulations, 2014
78	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Sixth Amendment) Regulations, 2014
79	IRDA (Health Insurance) (First Amendment) Regulations, 2014
80	IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2014
81	IRDAI (Micro Insurance) Regulations, 2015
82	IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015
83	IRDAI (Fee for registering, cancellation or change of Nomination) Regulations, 2015
84	IRDAI (Fee for granting written acknowledgement of the receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015
85	IRDAI (Obligation of Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015
86	IRDAI (Places of Business) Regulations, 2015
87	IRDAI (Maintenance of Insurance Records) Regulations, 2015
88	IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015
89	IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social sectors) Regulations, 2015
90	IRDAI (Minimum Limits for Annuties and other Benefits) Regulations, 2015
91	IRDAI (Acquisition of Surrender and Paid up values) Regulations, 2015
92	IRDAI (Insurance Services by Common Service Centres) Regulations, 2015
93	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015.
94	IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015
95	IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2015
96	IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2015
97	IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance business) Regulations, 2015
98	IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance business) Regulations, 2015
99	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (First Amendment) Regulations, 2016
100	IRDAI (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2015
101	IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) (Seventh Amendment) Regulations, 2016
102	IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016
103	IRDAI (TPA - Health Services) Regulations, 2016

#Notified in official Gazette

ANNEXURE 10(i)

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING FY 2015-16

Sl. No	Name of the entity	Amount of Penalty (in ₹)	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
1	Reliance General Insurance Co Ltd	500000	10/4/2015	Violaiton of IRDA (Health Insurance) Regulation, 2013
2	Gokulam Health Services TPA Pvt Ltd	200,000	13/4/2015	Violation of IRDA (TPA-Health Services) Regulations.
3	United India Insurance Co Ltd	6,000,000	22/4/2015	Violation of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors report of insurance companies) Regulations, 2002, IRDA ((Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002, F&U guidelines, Section,64VB of Insurance Act, IRDA (ASLM) Regulations, 2000, IRDA (Licensing of insurance agents) Regulations, 2000, advertisement guidelines and guidelines on payouts to licensed entities.
4	Chola MS General Insurance Co. Ltd	100,000	24/4/2015	Marketing of product named 'Chola MS Corporate Travel Insurance' without approval of the Authority
5	National Insurance Co Ltd	500,000	27/4/2015	Violation of Reg.5(r),5(e),5(f)(iv),5(g),8(d)(iv) of IRDA (Health Insurance) Regulation, 2013 and Reg.14(2)(h) of IRDA Act 1999.
6	Good Health Plan TPA Ltd	500,000	28/4/2015	Violation of IRDA (TPA-Health Services) Regulations.
7	India First Life Insurance Co Ltd	6,500,000	27/5/2015	Violation of Section 40(1), 40(A) of Insurance Act, Corporate agents, F&U and group insurance guidelines and IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002.
8	Future Generali India Life Ins. Co Ltd	5,000,000	9/6/2015	Violation of provisions of IRDA (Registration of Insurance Companies) Regulation, 2000, Section 40(1) & 42(7) of Insurance Act,1938, IRDA (Sharing of Database) Regulations, 2010, corporate agents guidelines and IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002
9	India First Life Insurance Co Ltd	500,000	3/7/2015	Violation of Section 40 (1) of the Insurance Act, 1938 and Clause 21 of the Circular No. 017/IRDA/Circular/CA guidelines/2005 dated 14th July 2005 issued under IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002
10	Tata AIA Life Insurance Co Ltd	1,000,000	3/7/2015	Violation of Clause 21 of the Circular No. 017/IRDA/Circular/CA guidelines/2005 dated 14th July 2005 issued under IRDA (Licensing of Corporate Agents)Regulations, 2002
11	L&T General Insurance Co Ltd	5,000,000	30/7/2015	Violation of F&U guidelines, Distance Marketing guidelines, IRDA (Protections of Policyholders' Interests) Regulations,2002 and Section.40(1) and 42D(8) of Insurance Act,1938.
12	Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd	1,500,000	31/7/2015	Violation of Section 64VB,40(1) & 42d(8) of Insurance Act and commission circular dated 25/08/2008
13	Reliance Life Insurance Co Ltd	8,500,000	6/8/2015	Violation of Outsourcing guidelines and Corporate Governance guidelines.
14	ICICI Lombard General Ins. Co Ltd	1,000,000	3/9/2015	Violation of F&U guidelines and Section 64VB of Insurance Act, 1938.
15	Reliance General Insurance Co Ltd	500,000	10/9/2015	Violation of provisions of Reg.2(g)(i) of IRDA (Registration of Insurance Companies) Regulation, 2000

Contd.. **ANNEXURE 10(i)**

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING FY 2015-16

Sl. No	Name of the entity	Amount of Penalty (in ₹)	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
16	Reliance Life Insurance Co Ltd	500,000	10/9/2015	Violation of Reg.2(g)(i) of IRDA (Registration of Indian Insurance companies) Regulaiton, 2000
17	ICICI Life Insurance Co Ltd	500,000	9/10/2015	Violation of Outsourcing guidelines.
18	IDBI Federal Life Insurance Co Ltd	1,600,000	4/11/2015	Violation of Group Insurance guidelines, F&U guidelines, Section 40A(1) & 40(1) of Insurance Act,1938 and IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002
19	East West Assist TPA Pvt Ltd	100,000	17/11/2015	Violation of IRDA (TPA-Health Services) Regulations.
20	Chola MS General Insurance Co. Ltd	2,500,000	16/12/2015	Violation of F&U guidelines, Section 64VB of Insurance Act,1938, IRDA (Sharing of Database) Regulations, 2010 and IRDA (Protection of Policyholders') Regulations, 2002.
21	Iffco-Tokio General Insurance Co Ltd	1,000,000	7/1/2016	Violation of F&U guidelines and provisions of IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002.
22	Universal Sompo General Ins. Co Ltd	1,500,000	7/1/2016	Violation of F&U guidelines, additional payouts to licensed entities, guidelines on solicitation of business and IRDA (Sharing of Database) Regulations, 2010.
23	Anmol Medicare TPA Ltd	500,000	11/1/2016	Violation of IRDA (TPA-Health Services) Regulations.
24	The New India Assurance Co Ltd	500,000	19/1/2016	Violation of Reg.4(a) of IRDA (Health Insurance) Regulations, 2013
25	The Oriental Insurance Co Ltd	2,000,000	8/2/2016	Violation of Group insurance guidelines, F&U guidelines and guidelines on solicitation of business.
26	The New India Assurance Co Ltd	1,500,000	11/3/2016	Violation of IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002, F&U guidelines and IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002.
27	Exide Life Insurance Co Ltd	1,100,000	21/3/2016	Violation of Section 45 of Insurance Act, Group Insurance Guidelines and IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002
28	Star Union Dia-ichi Life Ins. Co Ltd	100,000	22/3/2016	Violation of Group Insurance guidelines

ANNEXURE - 10(ii)

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING FY 2015-16 (BROKERS)

Sl. No	Name of the entity	Amount of Penalty	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
1	Aditya Birla Insurance Brokers Ltd	₹ 1,000,000	1/4/2015	(1) Penalty of ₹3 lacs. imposed for violation of Reg.20 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002. (2). Penalty of ₹2 lacs imposed for violation of Reg.13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013 (3) Penalty of ₹5 lacs imposed for violatoin of Reg 8(2)(xiv) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013
2	Sanguine Insurance Brokers Pvt.Ltd	₹ 100,733	1/4/2015	(1) Penalty of ₹ 733/- imposed for violation of Reg.18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002. (2) Penalty of ₹1 lac imposed for violation of Reg.13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013
3	Navnit Insurance Broking Pvt.ltd.	₹ 302,500	9/4/2015	(1)Penalty of ₹2500/- imposed for violation of Reg.18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002.(2) Penalty of ₹1 lac imposed for violation of Reg.13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013. (3) Penalty of ₹2 lacs imposed for violation of Reg 9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002
4	Unison Insurance Broking Services Pvt.Ltd	₹ 400,000	9/4/2015	(1) Penalty of ₹2 lacs. imposed for violatoin of Clause 3(b) of code of conduct as specified in IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013. (2) Penalty of ₹2 lacs imposed for risk assessment report relates to universal management, violation of Reg 4 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
5	Salasar Services Insurance Brokers Pvt.Ltd	₹ 500,000	13/4/2015	A penatly of ₹ 5 lacs imposed for violation of Reg.34 (b) IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002
6	IndiaNivesh Insurance Brokers Pvt.Ltd	₹ 1,300,000	13/4/2015	(1) Penalty of ₹ 6 lacs. imposed for violation of Reg.20 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002. (2) Penalty of ₹5 lacs imposed for violation of Reg.34 (b) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002. (3) Penalty of ₹2 lacs imposed for violation of Reg.9(2)(b) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002.
7	Rajkrishna Insurance Broker Pvt.Ltd	₹ 11,034	13/4/2015	Penalty of ₹11034/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002
8	AIMS Insurance Broking Pvt. Ltd	₹ 100,000	20/4/2015	Imposed penalty of ₹1 lac. for violation of Reg.13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013
9	TransAsia Composite Insurance Broking Ltd	₹ 200,000	21/4/2015	Imposed penalty of ₹2 lacs. for violation of Reg.13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013
10	Interlink Ins. and Re-Ins. Broking Pvt. Ltd.	₹ 600,000	23/4/2015	Penalty of ₹ 6 lacs. Imposed for violation of Reg.20 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002
11	RR Insurance brokers Pvt. Ltd.	₹ 523,608	27/4/2015	(1) Penalty of ₹23,608/- imposed for violation of Reg.18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002. (2) Penalty of ₹5 lac imposed for violation of Reg.8(2)(iii)of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013

Contd.. **ANNEXURE - 10(ii)**

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING FY 2015-16 (BROKERS)

Sl. No	Name of the entity	Amount of Penalty	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
12	Vipul Insurance Brokers Pvt.Ltd	₹ 200,000	4/5/2015	₹2 lacs penalty imposed for violation of Reg.13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013
13	JK Risks Managers & Insurance Brokers Ltd.	₹ 400,000	12/5/2015	(1) ₹2 lacs penalty imposed for violation of Reg.9(2)(b) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002. (2) ₹2 lacs penalty imposed for violation of Reg.9(3)(a) and (b) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002.
14	Premium Insurance Brokers Pvt.Ltd.	₹ 2,500	7/5/2015	Penalty of ₹2,500/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002
15	Galaxy Risk Insurance Brokers Pvt.Ltd.	₹ 302,500	18/5/2015	(1) Penalty of ₹1 lac. imposed for violation of Reg.13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013. (2) Penalty of ₹2500/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002 . 3) Penalty of ₹2 lacs imposed for violation of Reg.9(3)(b) of IRDA (Insurance brokers) Regulations,2002
16	JB Boda Insurance Brokers Pvt.Ltd	₹ 800,000	18/5/2015	(1) Penalty of ₹1 lac. imposed for violation of Reg.13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013 (2) Penalty of ₹2 lacs imposed for violation of Reg.21(3)(b) of IRDA (Insurance brokers) Regultions,2002 (3) Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Reg.27 of IRDA (Insurance brokers) Regulations 2002 (4) Penalty of ₹3 lacs. imposed for violation of Reg.9(2)(b) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002 .
17	Vulcan International Insurance Brokers Ltd.	₹ 300,000	18/5/2015	Penalty of ₹3 lacs. Imposed for violation of Reg.20 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002
18	AU Insurance Broking Services Pvt.Ltd	₹ 200,000	18/5/2015	Penalty of ₹2 lacs. Imposed for violation of 9(3)(b) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002
19	Praman Re-insurance Brokers Pvt.Ltd	₹ 407,500	5/5/2015	(1) Penalty of ₹7500/- imposed for violation of Regulation 14 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2013. (2) Penalty of ₹2 lacs imposed for violation of Reg.13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013. (3) Penalty of of ₹2 lacs for violation of Reg.34(2) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002
20	Mathrawala & Sons Ins.Brokers Pvt.Ltd.	₹ 479,790	26/5/2015	(1)Penalty of ₹4 lacs. imposed for violation of Regulation 24 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002 . (2) Penalty of ₹79,790/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002
21	Zeal Direct & Re-Ins. Broking Services Pvt.Ltd.	₹ 12,500	26/5/2016	Penalty of ₹12500/-imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002
22	Link-K Insurance Broker Co.Ltd	₹ 400,000	8/6/2015	(1) Penalty of ₹ 2 lacs. imposed for violation of Regulation 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 . (2) Penalty of ₹ 2 lacs. imposed for violation of Reg. 8 (2)(ii) of IRDA's (Insurance Brokers) Regulations, 2013

Contd.. **ANNEXURE - 10(ii)**

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING FY 2015-16 (BROKERS)

Sl. No	Name of the entity	Amount of Penalty	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
23	Suraksha Insurance Brokers Pvt. Ltd	₹ 300,000	9/6/2015	Penalty of ₹3 lacs imposed for violation of Regulation 20 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002.
24	Satyan Insurance Brokers Pvt.Ltd.	₹ 203,886	10/6/2015	(1) Imposed penalty ₹3,886/- for violation of Reg.18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002 (2)Imposed penalty of ₹2 lacs for violation of Reg.9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002
25	Deccan Ins. & Re-Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 200,000	25/6/2015	"Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of 8 (2) of IRDA (Insurance Brokers), Regulations,2013""
26	Life and General Ins. and Reinsurnce Brokers Pvt Ltd	₹ 491,315	8/7/2015	(1) Penatly of ₹91,315 imposed for violation of Reg. 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002. (2) Penalty of ₹2 lacs imposed for violation of Reg 18(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013. (3) Penalty of ₹2 lakhs imposed for violation of Reg 9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002.
27	Insutech Insurance Broking Services Pvt Ltd	₹ 100,000	8/7/2015	Penalty of ₹1 lac imposed for violation of Reg 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
28	Peraj Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 200,000	11/7/2015	Penalty of ₹2 lacs for violation for violation of Reg 18(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013
29	Safeway Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 1,020,000	28/7/2015	(1).Penalty of ₹ 20,000/- imposed for violation Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 . (2).Penalty of ₹ 1 lac imposed for violation of Reg 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013. (3). Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 9(1) & 9(2) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002. (4) Penalty of ₹ 5 lacs imposed for violation of Regulation 3(b) of the code of conduct of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002. (5) Penlaty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Reg 41 (1) (o) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013
30	Leads Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 305,750	31/7/2015	(1).Penalty of ₹ 5,750/- imposed for violation Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 . (2). Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Reg 13(2) of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002. (3). Penalty of ₹ 1 lac imposed for violation of Regulation 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013
31	Nipun Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 300,000	31/7/2015	Penalty of ₹ 3 lakhs imposed for violation Regulation 20 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
32	Telos Risk Mgmt. & Ins. Broking services Pvt Ltd	₹ 300,000	31/7/2015	Penalty of ₹ 3 lakhs imposed for violation Regulation 20 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
33	VIS Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 230,000	31/7/2015	(1).Penalty of ₹ 30,000/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 . (2).Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Reg 9(3) of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002.

Contd.. **ANNEXURE - 10(ii)**

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING FY 2015-16 (BROKERS)

Sl. No	Name of the entity	Amount of Penalty	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
34	Satabdi Insurance Broker Ltd	₹ 300,000	31/7/2015	(1). Penalty of ₹ 1 lac imposed for violation of Reg 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2013. (2). Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Reg 9(3) of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002.
35	Continental Suraksha Ins. Broking Services Pvt Ltd	₹ 11,926	31/7/2015	(1). Penatly of ₹11,926 imposed for violation of Reg. 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002.
36	MASS Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 302,500	31/7/2015	(1).Penalty of ₹ 2,500/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .(2) Penalty of ₹ 3 lacs imposed for violation of Regulation 20 of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002.
37	Composite Ins. Brokers & Advisors Pvt Ltd	₹ 80	4/8/2015	Penatly of ₹80 imposed for violation of Reg. 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002.
38	Rangudyan Insurance Broking Services Ltd	₹ 405,776	5/8/2015	(1). Penalty of ₹ 5,776/- imposed for violation of Regulation 14 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 . (2). Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 8(2)(iii) IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013. (3) Penlaty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Reg 21 of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013
39	Anar Insurance Brokers Ltd	₹ 300,000	12/8/2015	Penalty of ₹ 3 lakhs imposed for violation of Regulation 20 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
40	RIA Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 200,000	21/8/2015	Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
41	Sriyah Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 400,000	21/8/2015	(1)Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 . (2) Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 38(4) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013
42	Synergy Insurance Broking Services Pvt Ltd	₹ 5,937	24/8/2015	Penalty of ₹ 5,937/- imposed for violation of Regulation 14 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 .
43	Almondz Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 200,000	27/8/2015	Imposed penalty of ₹ 2,00,000 for violation Reg 4 of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013
44	Shreyash Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 20,000	28/8/2015	Penalty of ₹ 20,000 imposed for violation of Regulation 14 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 .
45	Makhathi Insurance Broker Pvt Ltd	₹ 3,000	31/8/2015	Imposed penalty of ₹ 3000/- for violation of Regulation 14 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 .
46	Coretree Insurance Brokers (India) Pvt. Ltd	₹ 205,000	1/9/2015	(1)Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 . (2). Imposed penalty of ₹ 5,000/- for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
47	Sunrays Insurance Broking Services Ltd	₹ 305,000	11/9/2015	(1).Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 . (2). Penalty of ₹ 1 lac imposed for violation of Regulation 13 of

Contd.. **ANNEXURE - 10(ii)**

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING FY 2015-16 (BROKERS)

Sl. No	Name of the entity	Amount of Penalty	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
	(Contd..) Sunrays Insurance Broking Services Ltd.			IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013. (3).Imposed penalty of ₹ 5,000/- for violation of Regulation 14 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 .
48	BUT International Insurance Broker Pvt Ltd	₹ 100,000	8/9/2015	Penalty of ₹ 1 lac imposed for violation of Regulation 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
49	Royal Insurance Broking (India) Pvt. Ltd	₹ 110,500	22/9/2015	(1). Penalty of ₹ 1 lac imposed for violation of Regulation 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013. (2).Penalty of ₹10,500/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002.
50	Key Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 102,500	24/9/2015	(1).Penalty of ₹ 1 lac imposed for violation of Regulation 9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 . (2) Penalty of ₹ 2,500/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
51	Alliance Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 50,000	5/10/2015	Penalty of ₹ 50,000/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
52	Blend Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 300,000	25/9/2015	(1).Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 . (2). Penalty of ₹ 1 lac imposed for violation of Regulation 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
53	Kare India Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 206,297	15/10/2015	(1) Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 . (2) Penalty of ₹ 6,297/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
54	Urjita Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 2,500	16/10/2015	Penalty of ₹ 2,500/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
55	Ecomoney Insurance Brokers Pvt. Ltd	₹ 402,500	16/10/2015	(1). Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 9(3) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 . (2). Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013. (3). Penalty of ₹ 2,500/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
56	Way2Wealth Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 200,000	20/10/2015	Penatly of ₹ 2,00,000 imposed for violation of Reg 8(2)(iii) of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
57	Exclusive Insurance Broking Services Ltd	₹ 5,000	20/10/2015	Penalty of ₹ 5,000/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
58	Fundtree Insurance Brokers Pvt Ltd	₹ 5,000	28/10/2015	Penalty of ₹ 5,000/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
59	Mohur Insurance Broking and Services Pvt. Ltd	₹ 200,000	27/10/2015	Penatly of ₹ 2 lacs imposed for violation of Reg 8(2)(iii) of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
60	Platinumone Insurance Broking Pvt Ltd	₹ 5,000	30/10/2015	(1) Penalty of ₹ 5,000/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .

Contd.. **ANNEXURE - 10(ii)**

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING FY 2015-16 (BROKERS)

Sl. No	Name of the entity	Amount of Penalty	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
61	Inditrade Insurance Broking Pvt Ltd	₹ 5,000	29/10/2015	Penalty of ₹ 5,000/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
62	Hasthiraa Insurance Broking Pvt Ltd	₹ 2,500	30/10/2015	Penalty of ₹ 2,500/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002 .
63	Best Insurance Broking Services Pvt Ltd	₹ 308,115	3/12/2015	(1). Penatly of ₹ 2 lacs imposed for violation of Reg 8(2)(iii) of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013. (2) Penalty of ₹ 8,115/- imposed for violation of Regulation 18 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002. (3). Penalty of ₹ 1 lac imposed for violation of Regulation 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013
64	IIT Ins. Broking & Risk Management Pvt. Ltd.	₹ 200,000	13/11/2015	Penatly of ₹ 2 lacs imposed for violation of Reg 8(2)(iii) of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
65	AB Insurance Brokers Pvt. Ltd.	₹ 800,000	12/1/2016	(1). Penatly of ₹ 2 lacs imposed for violation of Reg 8(2)(xiv) of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013. (2) Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of Regulation 41(1)(d) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 . (3). Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of clause 3(b) of code of conduct of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013. (4). Penalty of ₹ 2 lacs imposed for violation of clause 7(i) of Distance Marketing Guidelines, issued by the Authority

भा बी वि वि प्रा

irdai

प्रधान कार्यालय:
तीसरा तल, परिश्रम भवन,
बशीरबाग, हैदराबाद-500 004.
फोन: +91-40-23381100 / 1300
फैक्स: +91-40-6682 3334

Head Office
3rd Floor, Parishram Bhavan
Basheerbagh, Hyderabad - 500 004
Phone : +91-40-2338 1100 / 1300
Fax : +91-40-6682 3334